वार्षिक रिपोर्ट | 2015 - 16

पावरग्रिड

विकास की राह पर अग्रसर...

एकीकृत प्रबंधन नीति

पावरग्रिड निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है :

- समय, लागत, प्रौद्योगिकी और मूल्यवर्धन का पूरा ध्यान रखते हुए एक दक्ष एवं प्रभावी ''नेशनल ग्रिड'' की स्थापना एवं उसका रखरखाव ।
- परिहार, न्यूनीकरण एवं प्रशमन के सिद्धांत पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने के जरिए सतत् विकास।
- कानूनी एवं विनियामक प्रावधानों के अनुरूप अपनी प्रबंधन प्रणालियों और पद्धतियों के सभी क्षेत्रों में पणधारकों की संतुष्टि के लिए सुरक्षित, व्यावसायिक रूप से बाधामुक्त और स्वस्थ कार्य वातावरण को सुनिश्चित करना।

विषय सूची

दृष्टि	02
संदर्भ सूचना	04
निदेशकों का परिचय	05
वरिष्ठ कार्यपालकों की सूची	09
पावरग्रिड का कार्यनिष्पादन	10
पांच–वर्षीय सारांश	11
अध्यक्षीय भाषण	13
निदेशकों की रिपोर्ट	20
अनुबंध–I – प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	32
अनुबंध–II – व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	52
अनुबंध– III – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अधीन अपेक्षित विवरण	61
अनुबंध–IV – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	64
अनुबंध–V – सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट	66
अनुबंध–VI – प्रपत्र सं. एमजीटी 9	69
अनुबंध–VII – कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	90
अनुबंध–VIII – कॉरपोरेट अभिशासन पर प्रमाणपत्र	111
अनुबंध–IX – प्रपत्र सं. एओसी–2	112
अनुबंध–X – प्रपत्र सं. एओसी–1	117
अनुबंध–XI – कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	120
तुलन पत्र	138
लाभ और हानि लेखा	139
नकदी प्रवाह विवरण	140
टिप्पणियाँ	142
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	187
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक	189
समेकित वित्तीय विवरण	195

दृष्टि

“ विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता सुनिश्चित करते हुए उभरते विद्युत बाजारों में प्रभावशाली नेतृत्व के साथ विश्वस्तरीय, एकीकृत वैश्विक पारेषण कंपनी ”

मूल्य

- परिवर्तनकामी तथा उत्कृष्टता के लिए तत्पर
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता
- वैयक्तिक प्रतिष्ठा और क्षमता के लिए सम्मान
- प्रतिबद्धताओं के प्रति कठोर अनुपालन
- त्वरित प्रत्युत्तर सुनिश्चित करना
- सीखने, सृजनात्मकता और टीम कार्य को प्रोत्साहन देना
- पावरग्रिड के प्रति निष्ठा और गौरव

मिशन

''हम विश्वस्तरीय क्षमताओं के साथ निम्नलिखित द्वारा, उभरते विश्व बाजारों में प्रभावशाली नेतृत्व से वैश्विक पारेषण कंपनी बनेंगे ––

- विश्वस्तरीय : उद्योग और अपने लिए पूंजीगत परियोजना प्रबंधन और प्रचालनों में उत्कृष्ट मानक स्थापित करना
- वैश्विकः भारत में और उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सभी पणधारकों के लिए निरंतर अधिकतम मूल्य सृजन के लिए उत्तोलक क्षमताएं
- व्यावसायिकों की अगली पीढ़ी को अभिप्रेरित, पोषित और सशक्त करना
- नवोन्मेष और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए सतत् सुधार हासिल करना
- स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण में उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्धता

उद्देश्य

केंद्रीय पारेषण निकाय के रूप में अपने विजन, मिशन और अपनी स्थिति के अनुरूप निगम ने निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं :

- अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के जरिए विद्युत का पारेषण करना
- निम्नलखित के साथ अंतर राज्य पारेषण प्रणाली से संबधित आयोजना और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करना :
  - (i) राज्य पारेषण निकाय
  - (ii) केंद्र सरकार
  - (iii) राज्य सरकार
  - (iv) उत्पादन कंपनियां
  - (v) क्षेत्रीय विद्युत समितियां
  - (vi) प्राधिकरण
  - (vii) लाइसेंसी
  - (viii) इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति
- उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों तक विद्युत के सुचारू प्रवाह के लिए अंतर–राज्य पारेषण लाइनों की दक्ष, समन्वित और किफायती प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना।
- पारेषण प्रणालियों का दक्ष प्रचालन एवं अनुरक्षण
- सुपर चक्रवात, बाढ़ आदि जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की किसी स्थिति मे आपातकालीन बहाली प्रणालियों की तैनाती के जरिए शीघ्रतम संभव समय मे विद्युत की बहाली।
- संगठन द्वारा विकसित आंतरिक विशेषज्ञता के आधार पर पारेषण क्षेत्र में देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।
- लंबी दूरी के दूरसंचार कारोबार उद्यमों मे भागीदारी।
- इसके कार्यकलापों से प्रभावित और लाभान्वित दोनों तरह के लोगों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और स्वच्छ परिवेश के लिए उभरती/ वांछनीय अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय, सुरक्षा और मितव्ययिता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करना।

POWERTEL

राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने और प्रचालित करने में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए दूरसंचार में विविधीकरण, विस्तृत रूप से फैली पारेषण अवसंरचना पर 595 से अधिक पीओपी को कनेक्ट करने के लिए 36000 कि.मी. का ब्राडबैंड टेलीकॉम नेटवर्क स्थापित।

- देश में एकमात्र निकाय जिसके पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पारेषण नेटवर्क पर अखिल भारत ओवरहेड आप्टिक फाइबर है।
- पावरग्रिड फाइबर टेलीकॉम नेटवर्क
  – मजबूत एवं सुरक्षित – कृंतक खतरे और दहशत से मुक्त
- संजाल में बैकबोन में बहुतायत के साथ–साथ इंट्रा–सिटी एक्सेस नेटवर्क के लिए सेल्फ रेजिलेन्ट रिंग्स हैं
- समग्र समाधान की पेशकश और ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना
- टेलीकॉम संजाल की विश्वसनीयता 99.95 प्रतिशत
- सभी मैट्रो और प्रमुख शहरों में बैण्डविड क्षमता उपलब्ध
- आम आदमी के लाभ के लिए गैर–किफायती और पिछड़े क्षेत्रों को सेवा देने के लिए विस्तृत टेलीकॉम नेटवर्क
- क्षेत्रीय सार्क टेलीकॉम ग्रिड के लिए पड़ोसी देशों में नेटवर्क का विस्तार करने की योजना। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के लिए नेटवर्क पहले ही स्थापित किया जा चुका है
- देश में टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करने के लिए नेशनल लांग डिस्टेंस (एनएलडी), इंटरनेट सर्विस् प्रोवाइडर (आईएसपी)– कैटेगिरी–ए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कैटेगिरी–I (आईपी– I) लाइसेंस है
- भारत सरकार की प्रमुख महत्वाकांक्षी परियोजनाओं जैसे नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) आदि के लिए निष्पादन एजेंसियों में से एक
- उत्तम कारोबार पेशकश: वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क (वीएलएएन), वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) आधारित मल्टी प्रोटोकाल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस)
- अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की शुरूआत वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल (वीओआईआर)– वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग– वाई–फाई सेवाएं

संदर्भ सूचना

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीआईएन: एल40101डीएल1989जीओआई038121

पंजीकृत कार्यालय
बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
दूरभाष सं. 011–26560112, फैक्स: 011–26601081

केंद्रीय कार्यालय
"सौदामिनी" प्लॉट सं.2,
सेक्टर–29, गुड़गांव–122001 (हरियाणा)
दूरभाष सं. 0124–2571700–719, फैक्स: 0124–2571762

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
श्रीमती दिव्या टंडन

वेबसाइट : www.powergridindia.com
ई–मेल आईडी : powergrid@powergrid.co.in

समीक्षाधीन वित्त वर्ष अर्थात 2015–16 के लिए

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.के. मित्तल एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार,
मित्तल हाउस, ई–29, साउथ एक्स्टेंशन पार्ट– II,
नई दिल्ली–110049
ई–मेल: skmittalca@yahoo.co.in

मैसर्स आर.जी.एन प्राइस एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार,
सिम्पसन बिल्डिंग, 861, अन्ना सलाई,
चेन्नई–600002
ई–मेल: rangarajan@rgnprice.com

मैसर्स कोठारी एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार,
1ई, नीलकंठ, 26–बी, कमक स्ट्रीट,
कोलकाता–700016
ई–मेल: manaswykothari@yahoo.co.in

मैसर्स परख एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार,
ए–101, प्रतीक अपार्टमेंट, रामचंद्र नगर 3,
केडबरी सिग्नल के पास, थाने वेस्ट,
मुंबई–400604
ई–मेल: sharmapsd@yahoo.com

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स के.जी.गोयल एंड एसोसिएट्स,
लागत लेखाकार,
8, चित्रगुप्त नगर– I, ज्योति नगर रेलवे क्रोसिंग,
जयपुर–302005
ई–मेल: rajeshgoyaljaipur@yahoo.co.in

मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी,
लागत लेखाकार,
ए–201, ट्विन टावर, लखनपुर, कानपुर–208024
ई–मेल: cmarmbansal11@gmail.com

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट
साम्या शेयर:
कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट सं. 31 एंड 32, गाचीबावली
फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानक रामगुडा, सेरिलिंगमपेली
हैदराबाद–500032
फोन: +91–40–67162222 फैक्स: +91–40–23420814
नि:शुल्क दूरभाष: 1800–345–4001,
ई–मेल: einward.ris@karvy.com
वेबसाइट: www.karvycomputershare.com
बॉण्ड्स:
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फेज–I, नई दिल्ली–110020.
फोन: 011–41406149–52
टेलीफैक्स: 011–41709881.
ई–मेल: admin@mcsregistrars.com

शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध:
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,
बीएसई लिमिटेड

निक्षेपागार :
नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

बैंकर
इंडियन ओवरसीज बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
केनरा बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई बैंक
आंध्रा बैंक
कारपोरेशन बैंक
एक्सिस बैंक लिमिटेड
कोटक महिंद्रा बैंक
देना बैंक
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

ऋणपत्र न्यासी

बांड श्रृंखला VIII से XV निर्गम के लिए
इंडियन ओवरसीज बैंक,
10, पार्लियामेंट स्ट्रीट जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली–110001
दूरभाष: 011–23342421, 23742559, 23742830
फैक्स: 011–23348928
ई–मेल: Iob0762@iob.in

बांड श्रृंखला XVI से LII निर्गम के लिए
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.
एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर.कमानी मार्ग, बलार्ड एस्टेट,
मुंबई–400 001
दूरभाष: 022–40807000,
फैक्स: 022–66311776
ई–मेल: itsl@idbitrustee.com

निदेशकों का परिचय

श्री आई.एस.झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री आई.एस.झा (57 वर्ष), (डीआईएन.00015615) हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पूर्व इन्होंने सितंबर, 2009 से कंपनी के निदेशक (परियोजना) के रूप में काम किया और सभी पारेषण और वितरण परियोजनाओं की आयोजना, इंजीनियरी, परियोजना प्रबंधन, निगरानी एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। वे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरींग की शिक्षा प्राप्त हैं और उन्हें प्रख्यात विद्युत प्रणाली व्यावसायिक के रूप में 35 वर्ष से अधिक का विभिन्न कार्यों का अनुभव है। इन्होंने अपना व्यावसायिक करियर एनटीपीसी में कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में 1981 में शुरू किया था। वे 1991 में पावरग्रिड की स्थापना के समय से ही इससे जुडे रहे हैं और इंजीनियरी, वितरण प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) निगम अनुवीक्षण समूह जैसे विभागों का भाग रहे हैं। इन्होंने कंपनी के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक और इंजीनियरी और निगम के अनुवीक्षण समूह के प्रधान के रूप में कार्य किया। एनटीपीसी और पावरग्रिड की विभिन्न परियोजनाओं और निगम कार्यालय में काम करते हुए वे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की अवधारणा, आयोजना, डिजाइन, इंजीनियरी, अनुवीक्षण और कार्यान्वयन में शामिल रहे।

इनके अलावा वे पावरग्रिड में एपीडीआरपी और आरजीजीवीवाई योजनाओं की आयोजना, इंजीनियरी और निष्पादन के क्षेत्र में एक अग्रणी सदस्य रहे। वे विभिन्न व्यावसायिक निकायों जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स– इंडिया पावर इंजीनियरिंग सोसायटी ऑफ आईईईई– यूएसए और इंटरनेशनल कौंसिल ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक सिस्टम (सीआईजीआरई)–फ्रांस से भी जुडे हुए हैं। इन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं/सम्मेलनों में विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में विभिन्न लेख, तकनीकी शोध–पत्र प्रकाशित कराए। उन्हें नवंबर, 2015 में कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

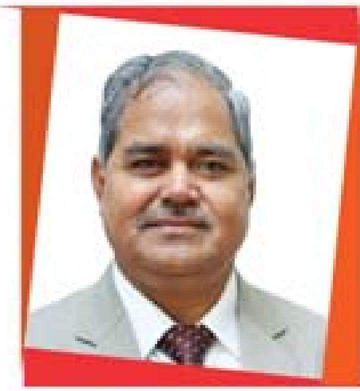

श्री आर.टी. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री आर.टी. अग्रवाल (59 वर्षीय), (डीआईएन :01937329) हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। इस पद को ग्रहण करने से पूर्व वे कार्यपालक निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे। व्यवसाय से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट श्री अग्रवाल को लेखाओं को अंतिम रूप देने, लेखापरीक्षकों के साथ समन्वय करने, कराधान, राजकोषीय कार्य, आंतरिक लेखापरीक्षा, बजट निर्माण, वेतन चिट्ठा, सहमति, एमआईएस और वाणिज्यिक पहलुओं आदि जैसे बहुआयामी वित्त और लेखा कार्यों में पावरग्रिड के केंद्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों, दोनों स्तरों पर 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने पावरग्रिड की दो सफल अनुगामी सार्वजनिक पेशकशों में प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 1991 में पावरग्रिड में कार्यग्रहण करने से पूर्व उन्होंने प्रमुख विद्युत संगठन एनटीपीसी लिमिटेड के परियोजना कार्यस्थलों में लगभग 10 वर्ष तक कार्य किया। उन्हें हमारे बोर्ड में जुलाई, 2011 में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 31 अगस्त, 2016 को सेवानिवृत्त हुए।

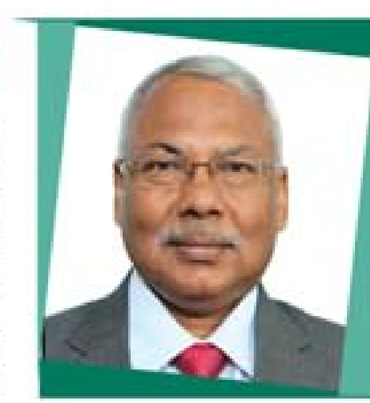

श्री आर.पी. ससमल
निदेशक (प्रचालन)

श्री आर.पी. ससमल (58 वर्षीय) (डीआईएन : 02319702) हमारी कंपनी के निदेशक (प्रचालन) हैं। इस पद को ग्रहण करने से पूर्व वे कंपनी में कार्यपालक निदेशक (प्रचालन सेवाएं) के रूप में कार्यरत थे। सम्बलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा से स्नातक अभियंता श्री ससमल को विद्युत क्षेत्र में 34 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव है। श्री ससमल ने एचवीडीसी परियोजनाओं, ईएचवी पारेषण प्रणालियों तथा भार प्रेषण एवं संचार प्रणालियों की आयोजना, अनुवीक्षण तथा क्रियान्वयन जैसे बहुविधात्मक कार्यों का निष्पादन किया है। ±800 केवी बहुटर्मिनल एचवीडीसी पारेषण प्रणाली की शुरूआत करने में उनकी अहम भूमिका थी। यह प्रणाली विश्व में अपनी किस्म की पहली प्रणाली है। उनके मार्गदर्शन में, भिवाड़ी में 400 केवी उपकेंद्र के प्रथम मानवरहित प्रचालन को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया गया। उन्हें "सिगरे 2012 का लब्धप्रतिष्ठ सदस्य" सम्मान प्रदान किया गया तथा उन्होंने आईईईई तथा सिगरे जैसे विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक मंचों/सोसायटियों में पारेषण प्रणालियों विशेषकर एचवीडीसी संबंधी विभिन्न तकनीकी शोधपत्र प्रकाशित किए हैं। वर्तमान में वे एचवीडीसी तथा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सिगरे में भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं। वर्ष 1993 में पावरग्रिड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने लगभग 13 वर्ष एनटीपीसी लिमिटेड में कार्य किया। उन्हें अगस्त, 2012 में हमारे बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री रवि पी. सिंह

निदेशक (कार्मिक)

श्री रवि पी. सिंह (56 वर्षीय) (डीआईएन : 05240974) हमारी कंपनी के निदेशक (कार्मिक) है। उन्होंने एआईएमए, नई दिल्ली से मानव संसाधन में ऑनर्स तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ एनआईटी, इलाहाबाद से प्रथम श्रेणी में अभियांत्रिकी उत्तीर्ण की। वे पहले पावरग्रिड में कार्यपालक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र–।।) तथा कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन प्रबंधन तथा केंद्रीय संचार) के पद पर कार्यरत थे। श्री सिंह को विद्युत क्षेत्र में विभिन्न बहुविधात्मक कार्यों जैसे मानव संसाधन, दूरसंचार, संविदा, सामग्री, आयोजना, अनुवीक्षण तथा पारेषण प्रणाली संरचना/प्रचालन और अनुरक्षण का निष्पादन करने का 34 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव है। 1991 में पावरग्रिड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री सिंह ने एनटीपीसी में 10 वर्ष तक कार्य किया है। उन्हें अप्रैल, 2012 में हमारे बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

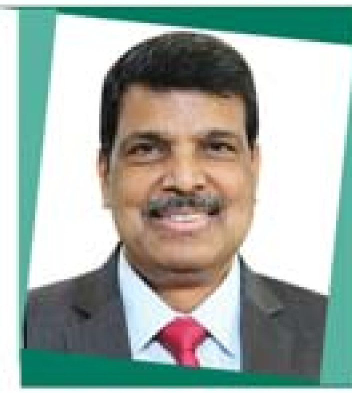

डॉ. प्रदीप कुमार

सरकारी नामिती निदेशक

डॉ. प्रदीप कुमार (55 वर्षीय) (डीआईएन : 05125269) जो केरल संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.टेक., एमबीए, लोक प्रशासन तथा अभिशासन में मास्टर डिप्लोमाधारक तथा एकीकृत भाड़ा परिवहन आयोजना क्षेत्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में 29 वर्ष के अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने राजस्व, वित्त, परिवहन, नौवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग संवहन, जल संसाधन, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सिंचाई, खाद्य एवं सिविल पूर्ति उपभोक्ता मामले, पर्यावरण एवं वन के क्षेत्र में विविध प्रशासनिक पद धारण किए हैं।

श्रीमती ज्योति अरोड़ा

सरकारी नामिती निदेशक

श्रीमती ज्योति अरोड़ा (डीआईएन : 00353071) भारत में एक प्रसिद्ध ऊर्जा व्यावसायिक हैं और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और विनियामक कार्यों, पारेषण एवं नवीकरणीय ग्रिड एकीकरण से संबंधित विद्युत क्षेत्र में नीति निर्माण से संबंधित कार्य देखती हैं। उनके कार्य में भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम सभी के लिए 24X7 विद्युत की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करना भी शामिल है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपने 26 वर्ष के अनुभव में वे ऊर्जा पहुंच, इसकी सुपुर्दगी और उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकल्प के मुद्दों के साथ सबसे नीचे के स्तर पर निकटता से जुड़ी रही हैं। इन्हें विद्युत क्षेत्र में नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन में सर्वांगीण अनुभव है क्योंकि वे वितरण, पारेषण और उत्पादन से संबंधित विद्युत उपयोगिताओं की एक दशक से अधिक समय से प्रबंध निदेशक थीं। भारत के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की प्रमुख के रूप में ये स्वच्छ ऊर्जा पहलों में निकटता से शामिल थीं। इन्होंने यूएनएफसीसी जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और वर्ष 2003 में इनका चयन हबर्ट हम्फरी फैलोशिप के लिए किया गया था। उन्हें हमारे बोर्ड में मार्च, 2014 में नियुक्त किया गया था।

श्री जगदीश आई. पटेल

स्वतंत्र निदेशक

श्री जगदीश आई. पटेल (51 वर्षीय) (डीआईएन : 02291361) बीएससी, आईएसटीएम यूटी, एमबीए (इंड) है और कारोबार सहायक इकाइयो मे इंजीनियरी समाधान प्रदाता और कार्यनीतिक नियोजनकर्ता के रूप मे ऊर्जा उत्पादन, खनन और अंतरिक्ष क्षेत्रो मे 35 से अधिक वर्ष का अनुकरणीय करियर है। केआईए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ–साथ पुष्पक ट्रेडमैक लिमिटेड मे निदेशक (टेक) और गुजरात चैंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ; (जीसीसीआई) के सक्रिय सदस्य रहे है और आईटीआई की जिला कार्यान्वयन एवं औद्योगिक प्रबंधन समिति, आईजीटीआर की औद्योगिक प्रबंधन समिति जैसी कई संस्थानो के सदस्यों के साथ–साथ एलयूबी गुजरात के अध्यक्ष के साथ–साथ कोषाध्यक्ष के रूप मे काम किया। ये एएमसी की स्थायी समिति, नगर नियोजन समिति/ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति के सदस्य भी है। उन्हे नवंबर, 2015 मे हमारे बोर्ड मे स्वतंत्र निदेशक के रूप मे नियुक्त किया गया था।

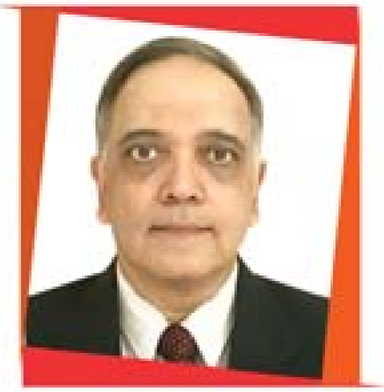

श्री वी.के. सक्सेना

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री वी.के. सक्सेना (57 वर्षीय), एमएएलएलबी, पावरग्रिड के मुख्य सतर्कता अधिकारी है। वे भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 1984 बैच के अधिकारी है और कर कानून प्रवर्तन मे उन्हे 32 वर्ष से अधिक का अनुभव प्राप्त है और प्रतिनियुक्ति पर भी कार्य किया है। आयकर विभाग, भारत सरकार मे इन्होने प्रशासनिक और अपीलीय सहित विभिन्न क्षमताओ मे कार्य किया है और न्यायिक तथा सतर्कता कार्य भी देखे है। इन्होने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय के कर नीति एवं विधि निर्माण प्रभाग मे भी कार्य किया है। इन्होने लोस एंजेल्स, यूएसए मे कर लेखा परीक्षा और संग्रहण की तकनीको संबधी यूएनडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम मे भाग लिया। उन्हे जुलाई, 2016 मे पावरग्रिड का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया था।

29 जुलाई, 2016 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठ कार्यपालकों की सूची

क्र.सं.	नाम (सर्व/श्री)	कर्मचारी संख्या	पदनाम	स्तर	विभाग	क्षेत्र	अवस्थल
1	अश्वनी जैन	00095	सीओओ	ई9	टेलिकोम	सीसी	नई दिल्ली
2	पंकज कुमार	00105	ईडी	ई9	ईआरपी सेल	सीसी	गुड़गांव
3	वाई.के. सहगल	00122	ईडी	ई9	वाणिज्यिक एवं विनियामक प्रकोष्ठ	सीसी	गुड़गांव
4	सीमा गुप्ता	00127	सीओओ	ई9	सीटीयू आयोजना एवं लागत पूंजी	सीसी	गुड़गांव
5	एम.कृष्णा कुमार	00129	ईडी	ई9	तकनीकी विकास	सीसी	गुड़गांव
6	डॉ. सुबिर सेन	00158	ईडी	ई9	स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी एफिशिएंसी सेल	सीसी	गुड़गांव
7	बी. मिश्रा	00189	ईडी	ई9	कारपोरेट प्लानिंग, आईटी	सीसी	गुड़गांव
8	मीनाक्षी डावर	00384	ईडी	ई9	एचआर	सीसी	गुड़गांव
9	अनिल मेहरा	00464	सीओओ	ई9	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	सीसी	गुड़गांव
10	डी.के. वलेचा	10027	ईडी	ई9	इंजी.,टीएल, एस/एस, सिविलद्ध	सीसी	गुड़गांव
11	पी.एन. दीक्षित	10046	ईडी	ई9	एसेट मनेजमेंट	सीसी	गुड़गांव
12	रंजन कुमार श्रीवास्तव	10073	ईडी	ई9	एफएंडए	सीसी	गुड़गांव
13	एस.के.मिश्रा	10091	ईडी	ई9	क्यूएंडआई, सीएमडी समन्वय प्रकोष्ठ	सीसी	गुड़गांव
14	एस सेन	10871	सीओओ	ई9	एनटीएएमसी	सीसी	मानेसर
15	ऑमेन चंडी	10872	ईडी	ई9	इंजीनियरिंग–एचवीडीसी	सीसी	गुड़गांव
16	ए.के. अरोड़ा	10907	ईडी	ई9	एसेट मेनेजमेंट	सीसी	गुड़गांव
17	एस.के. शर्मा	16257	ईडी	ई9	सीएमजी	सीसी	गुड़गांव
18	टी.सी. शर्मा	20026	सीओओ	ई9	बीडीडी	सीसी	गुड़गांव
19	सुनील अग्रवाल	20497	ईडी	ई9	एलडीएंडसी	सीसी	गुड़गांव
20	डी.सी. जोशी	40045	ईडी	ई9	कॉंट्रेक्ट सर्विसेज	सीसी	गुड़गांव
21	एस. वैथिलिंगम	40050	ईडी	ई9	एफएंडए	सीसी	गुड़गांव
22	आर.एन.सिंह	40054	ईडी	ई9	टीबीसीबी सेल	सीसी	गुड़गांव
23	बी.पी. गंतयेत	40080	ईडी	ई9	टीएमएस	सीसी	गुड़गांव
24	अतुल त्रिवेदी	40707	ईडी	ई9	ईएसएमडी, सीएसआर एंड एलएसी	सीसी	गुड़गांव
25	पंकज कुमार	00369	जीएम (आई/सी)	ई8	सामग्री	सीसी	गुड़गांव
क्षेत्र/परियोजनाएं							
1	प्रभाकर सिंह	20003	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एनआर-I	नई दिल्ली
2	अनिल जैन	10060	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एनआर-II	जम्मू
3	ए.के. सिन्हा	40062	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एनआर-III	लखनऊ
4	देवेन्द्र कुमार	10765	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	ईआर-I	पटना
5	भारत भूषण	20006	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	ईआर-II	कोलकाता
6	ए. चौधरी	40017	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एनईआर	शिलांग
7	वी. शेखर	20107	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एसआर-I	सिकंद्राबाद
8	आर.के. सिंह	11044	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	एसआर-II	बैंगलूरु
9	एस.के. गुप्ता	10034	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	डब्ल्यूआर-I	नागपुर
10	डी.के. सिंह	40065	ईडी	ई9	क्षेत्राध्यक्ष	डब्ल्यूआर-II	बड़ौदा
11	भोज पौल	10947	ईडी	ई9	नार्थ इस्टर्न–नार्थर्न/वेस्टर्न आईसी–I परियोजना	सीसी	गुड़गांव
12	आर.के. चौहान	10951	ईडी	ई9	वेस्टर्न/नार्थर्न आईसी परियोजना	एनआर-II	कुरुक्षेत्र
13	एस. गुप्ता	11045	जीएम (आई/सी)	ई8	ओडिशा परियोजना	ईआर-II	भुवनेश्वर
पोसोको							
1	एस.के. सूनी	45003	सीईओ	ई9	आई/सी पोसोको	पोसोको–मुख्यालय	नई दिल्ली
2	के.वी.एस. बाबा	00126	ईडी	ई9	एनएलडीसी प्रमुख	एनएलडीसी	नई दिल्ली
3	पी.के. अग्रवाल	10963	जीएम	ई8	आरएलडीसी प्रमुख	एनआरएलडीसी	नई दिल्ली
4	यू.के. वर्मा	16373	जीएम	ई8	आरएलडीसी प्रमुख	ईआरएलडीसी	कोलकाता
5	टी.एस. सिंह	50022	जीएम	ई8	आरएलडीसी प्रमुख	एनईआरएलडीसी	शिलांक
6	वी.के. श्रीवास्तव	30041	जीएम	ई8	आरएलडीसी प्रमुख	एसआरएलडीसी	बैंगलूरु
7	पी मुखोपाध्याय	45007	जीएम	ई8	आरएलडीसी प्रमुख	डब्ल्यूआरएलडीसी	मुंबई
अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर							
1	जे.पी. सिंह	00195	ईडी	ई9	प्रतिनियुक्ति पर– टीपीटीएल		गुड़गांव
2	संजीव सिंह	10040	ईडी	ई9	प्रतिनियुक्ति पर –दिल्ली ट्रांस्को लि.		नई दिल्ली
3	कनिक राम	20008	ईडी	ई9	प्रतिनियुक्ति पर – बिहार ग्रिड का. लि.		पटना

पावरग्रिड का कार्यनिष्पादन

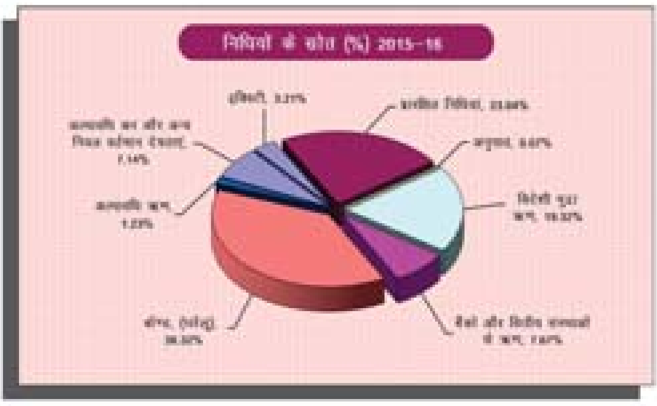

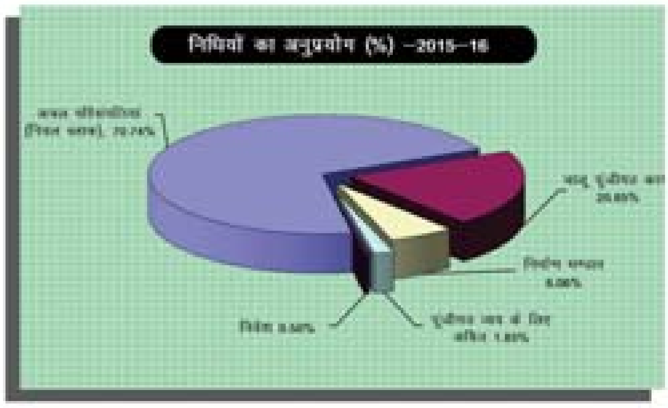

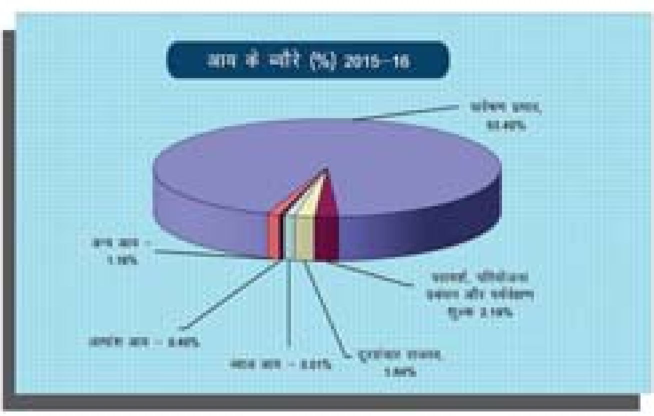

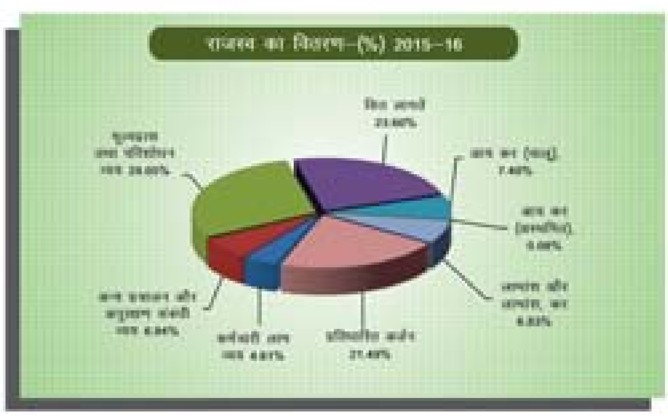

पांच–वर्षीय सारांश

प्रचालन संबंधी परिणाम

(रु. करोड़ में)

	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
(क) निम्न से अर्जित:					
पारेषण प्रभार	19877.08	16450.86	14250.05	12162.66	9544.19
परामर्श राजस्व					
सेवाओं की बिक्री	465.46	380.60	332.48	228.96	289.95
उत्पादों की बिक्री	-	-	294.07	86.44	-
दूरसंचार राजस्व	392.25	274.89	276.14	231.39	201.19
अन्य प्रचालनात्मक राजस्व	67.43	70.88	77.54	48.40	128.94
अन्य आय	478.96	602.81	491.13	570.89	620.74
कुल अर्जन	21281.18	17780.04	15721.41	13328.74	10785.01
(ख) निम्न के लिए प्रदत्त और व्यवस्थित :					
स्टॉक –इन –ट्रेड की खरीद	-	-	219.40	63.50	-
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ	980.54	1023.65	941.68	886.40	842.97
पारेषण संबंधी व्यय	644.29	605.15	456.24	367.65	328.38
प्रशासन संबंधी व्यय	888.59	705.80	629.54	494.56	476.21
अन्य व्यय (**पूर्वावधि** समायोजन सहित)	(64.25)	47.38	25.25	-18.12	19.96
अस्थगित राजस्व व्यय	-	-	-	-	1.79
प्रावधान	7.50	43.95	22.35	2.75	2.30
कुल व्यय (मूल्यह्रास और ब्याज को छोड़कर)	2456.67	2425.93	2294.46	1796.74	1671.61
मूल्यह्रास और ब्याज से पूर्व लाभ	18824.51	15354.11	13426.95	11532.00	9113.40
मूल्यह्रास	6182.76	5085.41	3995.68	3351.92	2572.54
ब्याज और वित्त प्रभार	5022.97	3979.32	3167.52	2535.22	1943.26
ब्याज और मूल्यह्रास के पश्चात परंतु कर से पहले निवल लाभ	7618.78	6289.38	6263.75	5644.86	4597.60
विनियामक आय/(व्यय)	(0.05)	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान (एमएटी)	1574.79	1280.99	1274.13	1052.08	888.51
एमएटी और एफबीटी के पश्चात निवल लाभ	6043.94	5008.39	4989.62	4592.78	3709.09
अस्थगित कर	17.22	29.22	492.20	358.28	454.14
अस्थगित कर पश्चात लाभ	6026.72	4979.17	4497.42	4234.50	3254.95
लाभांश	1208.50	1046.32	1349.76	1273.18	976.89

वित्तीय स्थिति

(रु. करोड़ में)

	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
(क) कंपनी के स्वामित्वाधीनः					
सकल अचल परिसंपत्तियां	150051.92	118264.26	96503.66	80600.05	63387.34
घटाएं: मूल्यह्रास	34894.02	28578.05	23349.59	19199.41	15725.04
निवल अचल परसंपत्तियां	115157.90	89686.21	73154.07	61400.64	47662.30
चालू पूंजीगत कार्य	33950.69	39882.19	31851.41	19114.92	15573.50
निर्माण भंडार	9859.27	13041.96	17625.30	15708.62	12610.04
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	3020.20	3367.44	3853.61	5328.98	5091.23
दीर्घावधि निवेश	771.28	740.99	814.33	964.24	1101.19
अन्य गैर चालू ऋण और अग्रिम	5687.78	3651.99	3221.35	2517.07	1840.20
चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	9981.80	7930.10	9069.00	6099.09	6329.89
कुल (क)	178428.92	158300.88	139589.07	111133.56	90208.35
(ख) कंपनी द्वारा देयः					
दीर्घावधिक ऋणः					
– बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से	12031.00	7600.22	5101.94	1705.31	1323.51
– विदेशी मुद्रा ऋण	29266.81	26713.66	24721.62	21031.17	14352.17
– घरेलू बॉण्ड	58941.94	55061.96	46966.66	40339.79	33443.51
कुल दीर्घावधि ऋण	100239.75	89375.84	76790.22	63076.27	49119.19
दीर्घावधि ऋणों की वर्तमान परिपक्वताएं	6081.66	4468.71	3679.63	3111.60	2632.72
कार्यशील पूंजी ऋण (अल्पावधि)	2000.00	1200.00	2700.00	2000.00	1650.00
चालू देयताएं और प्रावधान	17171.91	16195.81	13137.50	9596.90	7088.29
अस्थगित कर देयता (निवल)	2489.37	2472.15	2442.96	1959.16	1600.88
अस्थगित राजस्व–मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	1795.57	1938.57	2018.07	2094.96	2143.78
राजस्व–टीएफसीएफआई/ई खाता	3819.12	2751.22	2404.32	1505.61	493.17
सहायतानुदान	109.16	73.12	95.07	117.03	139.32
दीर्घावधि प्रावधान	650.45	580.23	524.37	442.63	421.49
अन्य दीर्घावधि देयताएं	1337.96	1078.64	1337.30	989.93	1431.73
कुल (ख)	135694.95	120134.29	105129.44	84894.09	66720.57
(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित कंपनी का निवल मूल्यः					
अंश पूंजी	5231.59	5231.59	5231.59	4629.73	4629.73
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	37366.85	32805.48	29181.30	21583.68	18858.05
कुल (ग)	42598.44	38037.07	34412.89	26213.41	23487.78
(घ) प्रतिबद्ध प्रारक्षित राशि					
सीएसआर कार्यकलापों के लिए प्रारक्षित निधि	135.53	129.52	46.74	26.06	-
कुल (घ)	135.53	129.52	46.74	26.06	-
कुल (ख+ग+घ)	178428.92	158300.88	139589.07	111133.56	90208.35
नियोजित पूंजी	99886.13	75751.79	62705.94	52791.23	42621.18
(निवल अचल परिसंपत्तियां+निवल चालू परिसंपत्तियां)					
(ङ) अनुपात					
नियोजित पूंजी के प्रति निवल लाभ (%)	6.03	6.57	7.17	8.02	7.64
निवल मूल्य के प्रति निवल लाभ (%)	14.15	13.09	13.07	16.15	13.86
प्रदत्त पूंजी का प्रति रूपया निवल मूल्य (रु)	8.14	7.27	6.58	5.66	5.07
ऋण/इक्विटी अनुपात (#)	71:29	71:29	70:30	72:28	69:31
वर्तमान अनुपात	0.40:1	0.36:1	0.46:1	0.41:1	0.56:1
प्रति शेयर अर्जन (लघुकृत ईपीएस) (रु)	11.52	9.52	9.36	9.15	7.03
प्रति शेयर बही मूल्य (रु)	81.43	72.71	65.78	56.62	50.73
प्रति शेयर लाभांश (रु)	2.31	2.00	2.58	2.75	
पूंजीगत व्यय	22584	22456	23158	20037	17814
(च) अन्य महत्वपूर्ण जानकारी					
पारेषण लाइनों की लंबाई (सीकेएम)	129354	115637	106804	100200	92981
सब स्टेशनों की संख्या	207	192	184	167	150
अंतरण क्षमता (एमवीए)	254848	231709	205923	164763	124525
कर्मचारियों की संख्या ($)	8606	8575	8694	8909	9221
पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता (%)	99.72%	99.78%	99.92%	99.90%	99.94%

(#) ऋण इक्विटी अनुपात के परिकलन के लिए ऋण देयता में दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वताएं भी शामिल हैं।
($) सेकंडमेंट आधार पर पोसोको में तैनात कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

अध्यक्षीय सम्बोधन

प्रिय शेयरधारको,

मैं निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 27वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस बैठक में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं।

मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं आपके समक्ष अपनी कंपनी का वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान का निष्पादन प्रस्तुत कर रहा हूं। कंपनी का वित्त वर्ष 15–16 का लेखा और निदेशक व लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, शेयरधारकों के लिए मेरा पत्र तथा प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण आपको प्रेषित कर दिए गए हैं। आपकी अनुमति से मैं उन्हें हुआ मान रहा हूँ।

कारोबार की स्थिति

प्रिय शेयरधारको, वर्तमान में हम हर समय बदलती परिस्थितियों के साथ वैश्विक गांव में रह रहे हैं । 'इंटरनेशनल मौनीटरी फंड (आईएमएफ)–वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अपडेट' के अनुसार, वर्ष 2017 के लिए वैश्विक विकास का पूर्वानुमान 3.4 प्रतिशत लिया गया है जबकि भारत के लिए विकास का अनुमान 7.4 प्रतिशत रखा गया है। इससे पता चलता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में विकास विश्व की अर्थव्यवस्था को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है।

भारत चूंकि एक जीवंत लोकतंत्र है और यहां युवा और शिक्षित कार्यबल काफी संख्या में मौजूद है, इसलिए इसमें विश्व में एक विनिर्माण और सेवा के केन्द्र के रूप में बनने की क्षमता है। भारत सरकार को दूरदर्शी नेतृत्व और 'कारोबार करने में सुगमता' के लिए प्रयास तथा 'मेक इन इंडिया', डिजिटल इंडिया इत्यादि जैसे अनेक पहल–प्रयासों से इस दिशा में विकास में सुविधा मिलने की संभावना है। आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन पर हमारी उन्नति हमें विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनाने और हमारे आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है।

विशेष रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में आधारभूत विकास होना आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण संचालकों में से एक है । वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत कई विकसित देशों से 1/10 (दसवें) से भी कम है । यह दर्शाता है कि हमें आर्थिक विकास के हमारे उद्देश्यों को हासिल करने और हमारे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है ।

भारत ने स्थापित ऊर्जा क्षमता में त्वरित गति से वृद्धि की है और विगत 5 वर्षों में 135 गीगावॉट से भी अधिक उत्पादन क्षमता 10 प्रतिशत से अधिक सीएजीआर (CAGR) पर हासिल की है । नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि हमेशा से ही अधिक रही है और तकरीबन 25 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 15 प्रतिशत से भी अधिक के सीएजीआर पर वर्ष 2010 से शामिल हुई है। विकास की यह गति निकट भविष्य में जारी रहने की संभावना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) इत्यादि जैसी योजनाओं के संबंध में नई पहल करके विद्युत क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार करके भारत सरकार, विशेषकर विद्युत मंत्रालय के प्रयास सराहनीय है। अतः वर्ष 2019 तक देश में प्रत्येक घर तक 24X7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारी कंपनी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आपकी कंपनी द्वारा निर्मित किए गए भारी नेटवर्क संवर्धन और पारेषण पथ से व्यस्ततम समय के घाटे और ऊर्जा घाटे में कमी लाने में मदद मिली है, जो कुछ समय पहले तक 10–12 प्रतिशत के बीच होता था और अब करीब 1 प्रतिशत के बीच ही है।

भारत में विद्युत पारेषण

साथियो, आज के परिप्रेक्ष्य में एक पारेषण सेवा इकाई की भूमिका मात्र विद्युत निकास और पारेषण सुविधा प्रदाता से बदलकर बाजार हितैषी की हो गई है। अंतर–राज्य पारेषण स्तर पर आपकी कंपनी ने बड़े–बड़े इंटरकनेक्ट, मजबूत और विश्वसनीय राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करने में असाधारण प्रगति की है। **'एक राष्ट्र–एक ग्रिड–एक फ्रीक्वेंसी'** की उपलब्धि हासिल होने से देश के हर ओर विद्युत का निर्बाध प्रवाह हो पाया है और साथ ही एक ऐसा जीवंत विद्युत बाजार स्थापित हो पाया है, जिसमें संसाधनों का अनुकूलन, हाजिर बाजार में बिजली की लागत में कमी आई है, जो 2010 में 8 रु० प्रति यूनिट थी और अब करीब 2रु० प्रति यूनिट है। बिजली बाजार में अनेक बार, देश भर में **'एक कीमत'** देखी गई है।

यह बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में **'एक राष्ट्र–एक ग्रिड–एक कीमत'** की संकल्पना को सुन्दर बनाने के लिए पारेषण अवसंरचना में वृद्धि और उच्च क्षमता के विद्युत पारेषण कॉरिडोरों के कार्य की सराहना की है।

साथियो, **'मांग पर विद्युत'** को हासिल करने के लिए आपकी कंपनी देश की केन्द्रीय पारेषण सेवा इकाई (सीटीयू) के रूप में एक विश्व स्तरीय अंतर–राज्य पारेषण प्रणाली की योजना और समन्वित विकास में जिम्मेदारीपूर्वक अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। भरपूर संसाधनों वाले क्षेत्रों से दूर दराज स्थित भार (लोड) केन्द्रों को विद्युत पहुंचाने के लिए उच्च क्षमता के विद्युत पारेषण कॉरीडोरों का निर्माण करने का उपाय इस दिशा में किए गए हैं । वर्तमान में आपकी कंपनी के पास प्रचालन के लिए 1,31,728 सर्किट कि०मी० की अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनें और 213 उप–केन्द्र हैं, जिनकी 266,163 एमवीए विद्युत पारेषण क्षमता है। आपकी कंपनी देश में कुल विद्युत उत्पादन के 45 प्रतिशत से अधिक का संचालन कर रही है ।

वर्ष 2022 तक बड़े पैमाने पर **175 गीगावॉट** का नवीकरणीय उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त करने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में सहायता प्रदान करते हुए आपकी कंपनी इस नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और इसे ग्रिड में एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह मामला अनिरंतरता,

भार संतुलन, मौसमी अनिश्चितता आदि से जुड़ा है। आपकी कंपनी ने पहले ही फेजर मैजरमेंट यूनिटों की स्थापना करके, सेल्फ हीलिंग प्रोपर्टीज के साथ ग्रिड के लिए एनेलिटिक्स विकसित करके तथा राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केन्द्रों (आरईएमसी) की स्थापना करके स्मार्ट पारेषण समाधान करने की दिशा में कार्रवाई आरंभ कर दी है।

निष्पादन विशेषताएं

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, आपकी कंपनी के वित्तीय वर्ष, 2016 के दौरान के प्रमुख निष्पादन की खास–खास बातें आपके समक्ष रखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है।

- 22,500 करोड़ रू0 के लक्ष्य के अन्तर्गत हमने 22,584 करोड़ रू0 का पूंजीगत व्यय किया। इसे निवेश के साथ आपकी कंपनी ने पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए 1,10,000 करोड़ रू0 के अनुमानित परिव्यय का 80 प्रतिशत से अधिक पहले ही हासिल कर लिया है।
- 31,788 करोड़ रू0 की पूंजीकृत परियोजनाएं, जो वर्ष दर वर्ष 46 प्रतिशत की वृद्धि है, किसी भी वर्ष में आपकी कंपनी द्वारा अब तक का सबसे अधिक पूंजीकरण है।
- वर्ष के दौरान पैन इंडिया नेटवर्क में 13,717 सर्किट कि0मी0 पारेषण लाइनें जोड़ी गई है।, जो पुन: एक वर्ष में अब तक चालू की गई लाइनों में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ।
- अंतर–क्षेत्रीय विद्युत स्थानांतरण क्षमता में 13,200 मेगावाट शामिल करके वृद्धि की गई, जो एक वर्ष में अब तक का सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही, देश की संचित अंतर–क्षेत्रीय विद्युत स्थानांतरण क्षमता 61,000 मेगावॉट से अधिक हो गई है जो पिछली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर वित्त वर्ष 2012 में केवल 27,750 मेगावॉट थी।
- वर्ष के दौरान शुरू की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है :–
  - ±800 के.वी. एचवीडीसी, 1750 कि.मी. लंबी बिश्वनाथ चारियाली–(असम)–आगरा–(उत्तर प्रदेश) पारेषण लाइन और टर्मिनल स्टेशन पोल–। की स्थापना नवंबर, 2015 में की गई जो देश की पहली ±800 के.वी. एचवीडीसी लाइन है।
  - आंध्रप्रदेश में एनपी कुंटा में पहले अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली,
  - 765 केवी डी/सी औरंगाबाद–सोलापुर पारेषण लाइन
  - 765 केवी ग्वालियर–जयपुर सर्किट I और II पारेषण लाइन
  - 400 केवी डी/सी खम्माम–नागार्जुन सागर पारेषण लाइन, जो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली माध्यम के तहत आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई पहली लाइन है;
  - 1200 केवी यूएचवीएसी टेस्ट स्टेशन, बीना (मध्य प्रदेश) जो विश्व के सर्वाधिक वोल्टेज लेवल पर चार्ज पर संचालित हो रहा है; और
  - नेपाल के साथ अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय लिंक चालू किए गए:–
    - 400 के.वी. मुजफ्फरपुर (भारत)–धालकेबार (नेपाल) पारेषण लाइन, संयुक्त उद्यम के माध्यम से;
    - बांग्लादेश 400 के.वी. सुर्जयामनी नगर (भारत)–कोमिला (बांग्लादेश) पारेषण लाइन।

  उपरोक्त लिंक के सामरिक महत्व को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री, भारत द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, नेपाल के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 20 फरवरी, 2016 को नेपाल लिंक का और माननीय प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के साथ दिनांक 17 मार्च, 2016 को बांग्लादेश लिंक का उद्घाटन किया।
- प्रचालनीय उत्कृष्टता आपकी कंपनी का हॉलमार्क रहा है और इस व्यापक और जटिल पारेषण प्रणाली का रखरखाव 99.72 प्रतिशत की उपलब्धता पर किया गया, जिसमें वर्ष के दौरान प्रति लाइन ट्रिपिंग की संख्या 0.66 तक सीमित रही।
- उच्चतर पारेषण वोल्टेज के साथ विद्युत प्रणाली की बढ़ती जटिलताओं, नए अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संबंधों और भारी मात्रा में नवीकरणीय उपलब्धता के कारण प्रणाली प्रचालनों में काफी चुनौतियां सामने आई है । पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लि0 (पोसोको), जो आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने वर्ष के दौरान ग्रिड प्रचालकों का प्रभावी प्रबंधन किया है।
- वित्तीय क्षेत्र में आपकी कंपनी ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। **सकल अचल परिसंपत्तियां** 150,000 करोड़ रू0 से अधिक की हो गई है, अर्जित **कुल राजस्व** 21,281 करोड़ रू0 है, जो वर्ष दर वर्ष 20 प्रतिशत तक अधिक है और करोपरांत लाभ 6027 करोड़ रू0 है, जिसमें 21 **प्रतिशत की वृद्धि** दर्ज की गई है ।
  हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि आपकी कंपनी का स्टॉक अब प्रतिष्ठित **'एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स'** में शामिल कर लिया गया है।

दृष्टिकोण

भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका आविष्कार किया जाए''–एलन की, अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक

अंतर–राज्य विद्युत पारेषण करना आपकी कंपनी का प्रमुख कारोबार है। एक सशक्त एवं मजबूत पारेषण नेटवर्क का निर्माण करते हुए आपकी कंपनी का लक्ष्य 'मांग पर विद्युत' का है और हर समय **'एक राष्ट्र–एक कीमत'** को सुकर बनाना है।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 765 केवी और 400 केवी स्तरों पर अनेक ईएचवी लाइनें शुरू करने के साथ ही उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के लिए विद्युत हस्तांतरण करने का भार काफी हद तक आसान हो गया है । इसके

अलावा, भावी मांग को पूरा करने के लिए अनेक परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनसे राष्ट्रीय ग्रिड सुदृढ़ होगा, देश भर में अप्रतिबंधित विद्युत प्रवाह में सुविधा होगी । पश्चिमी (डब्ल्यू आर) और उत्तरी क्षेत्रों (एनआर) के बीच वर्तमान में उपलब्ध विद्युत हस्तांतरण क्षमता 7,900 मेगावॉट है, जो वर्ष 2020 तक बढ़कर 20,000 मेगावॉट हो जाने की संभावना है और अन्य क्षेत्रों से दक्षिणी क्षेत्र (एसडब्ल्यू) की ओर वर्तमान में 5,900 मेगावॉट से 18,400 मेगावॉट संभावित है। भार के प्रबंधन के लिए क्षमता में वृद्धि की मांग के अलावा, देश में सस्ती विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अंतर–क्षेत्रीय कॉरिडोरों की विद्युत हस्तांतरण क्षमताओं की वृद्धि के लिए अभी भी काफी संभावना है । मौजूदा लाइनों की विद्युत हस्तांतरण क्षमता में वृद्धि करने के लिए मौजूदा पारेषण प्रणालियों को अपग्रेड करने और अपरेट करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं । यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि बाजारी शक्तियां मेरिट क्रम में डिस्पैच पर बल देंगी और कभी–कभी अत्याधिक विद्युत हस्तांतरण में कुछ समस्या महसूस की जा रही है, जो अपरिहार्य है।

अनुरक्षण

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया (टीबीसीबी) के बाद जनवरी, 2011 से आपकी कंपनी ने टीबीसीबी प्रक्रिया के तहत 9 (नौ) पारेषण परियोजनाएं सफलतापूर्वक अर्जित की हैं, जिनमें मूल्य की दृष्टि से बोली परियोजनाओं का करीब 40 प्रतिशत प्राप्त किया है । आगे बढ़ते हुए आपकी कंपनी अपना प्रतिस्पर्धी रूख जारी रखेगी और नेतृत्व की स्थिति को भी बनाए रखेगी ।

इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए आपकी कंपनी एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर** का कार्यान्वयन कर रही है और **आरईएमसी** की स्थापना कर रही है। नवीकरणीय रूप से समृद्ध राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों से विद्युत निकालने की सुविधा के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है और अगले वर्ष तक उत्तरोत्तर चालू हो जाने की संभावना है।

दूसरी +800 के.वी. एचवीडीसी परियोजना, चंपा–कुरुक्षेत्र सर्किट एवं ± 800 के वी मल्टी – टर्मीनल लिंकस एनईआर–अलीपुरद्वार–आगरा के दूसरे पोल (POLE) भी वर्तमान वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।

साथियों, ग्रिड में लचीलेपन की बढ़ती जरूरत के कारण पारेषण विकास में निरंतर गति लाने, ऊर्जा स्रोतों के असमान वितरण का अनुकूलतम उपयोग करने और गुणवत्तापरक ऊर्जा के लिए बढ़ती मांग की संभावना को देखते हुए आपकी कंपनी ने अगले चार वर्षों में पारेषण परियोजनाओं के लिए करीब 1,00,000 करोड़ रू0 के कैपेक्स का लक्ष्य रखा है । वर्तमान परियोजनाओं को चालू करके और उनके पूंजीकरण पर निरंतर बल देकर, जिससे कि इसके निवेशों पर प्रभावी आउटपुट प्राप्त हो, आपकी कंपनी का **'मंत्र'** जारी है । परियोजना के कार्यान्वयन से संबद्ध क्रियाकलापों को सरल बनाने और नियोजन की अवस्था से ही पूर्व सक्रिय कार्रवाई की शुरूआत करने से अपने आप ही प्रगतिशील पूंजीगत कार्यों (सीडब्ल्यूआईपी) का पहले ही अनुकूलन हो चुका है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर नकदी प्रवाह प्रबंधन हुआ है। पूंजीगत और प्रचालनात्मक दक्षताओं के साथ–साथ प्रक्रिया में नवोन्मेष हमारी प्राथमिकता रहेंगे।

इसके अलावा, खरीद की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए आपकी कंपनी

हेलीकॉप्टर द्वारा पारेषण परिसंपत्ति की निगरानी

ने **ई–प्रापण** को अपना लिया है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी कंपनी द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक खरीद ई–प्रापण के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा, प्रणाली आधारित मूल्यांकन और प्रणाली से संचालित **ई–रिवर्स ऑक्शन (ई–आरए)** भी शुरू किया गया है ताकि उचित कीमत मिले और खरीद की प्रक्रिया का तेजी से निपटान हो सके। इसके अलावा, 1 करोड़ रू0 और उससे अधिक की अनुमानित सभी संविदाओं के लिए 'इंटिग्रिटी पैक्ट प्रोग्राम' का अनुसरण किया जा रहा है। आपकी कंपनी की खरीद प्रणाली की एडीबी और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा समय–समय पर सराहना की जा रही है।

साथियो, हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा पारेषण नेटवर्क है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जटिल होता जा रहा है। इतने बड़े पारेषण नेटवर्क के **प्रचालन एवं रखरखाव** के लिए आपकी कंपनी ने प्रणालियों और प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ आर्ट) राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केन्द्र एक केन्द्रीकृत स्थान से देश भर में फैले उप केन्द्रों तक दूरस्थ पहुंच और मॉनीटरिंग प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग कर रही है जैसे हैलीकॉप्टरों, मानवरहित हवाई वाहनों (ड्रोन), ट्रेवलिंग वेव फाल्ट लोकेटर आदि का प्रयोग करके अपनी पारेषण प्रणाली की निगरानी के लिए हवाई पैट्रोलिंग करना।

इसके अतिरिक्त, पारेषण में स्मार्ट ग्रिड के लिए आपकी कंपनी ने रीयल टाइम मापन, निगरानी तथा अनुमान लगाने के लिए पैन–इंडिया आधार पर उप केन्द्रों पर अत्याधुनिक फेजर मेजरमेंट यूनिट (पीएमयू) लगाकर व्यापक क्षेत्र मापन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएस) क्रियान्वित करने में एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई है।

प्रिय शेयरधारको, सार्वजनिक सेवाओं समुचित सुपुर्दगी करने के लिए **स्मार्ट शहरों और स्मार्ट ग्रिडों** को विकसित करना आज की जरूरत है । आपकी कंपनी के पास स्मार्ट प्रौद्योगिकियों में अग्रगामी होने का प्रतिस्पर्द्धात्मक फायदा है और इससे आपके जैसी कंपनी के लिए परामर्शी कारोबार में काफी अवसर मिलते हैं। फील्ड में कार्यान्वयन से प्राप्त विशेषज्ञता के आधार पर आपकी कंपनी पहले से ही विभिन्न राज्यों में ऐसी 10 परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रही है और साथ ही भारत सरकार द्वारा घोषित स्मार्ट सिटी मिशन से और भी अधिक अवसर तलाश रही है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी हाई वोल्टेज पावर सिस्टम उपकरणों के विदेशी विनिर्माताओं से संपर्क कर रही है, जिसने संविदात्मक प्रावधानों के माध्यम से भारत में टेस्टिंग सुविधाएं और अपना विनिर्माण आधार रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत अपने उत्पादों की आपूर्ति के लिए संपर्क किया है। **'मेक इन इंडिया'** के लिए इस महत्वपूर्ण प्रयास के कारण प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और 765 केवी विद्युत उपस्करों, ट्रांसफार्मरों, रिएक्टरों, एफएसीटी (फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम) उपकरणों इत्यादि के लिए देश में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना हुई है।

क्षितिज का विस्तार

आपकी कंपनी ने परामर्शी सेवाएं प्रदान करके 465 करोड़ रू0 का राजस्व और दूर संचार सेवाएं प्रदान करके 392 करोड़ रू0 का राजस्व प्राप्त किया है, इस प्रकार से हर वर्ष क्रमशः 22 प्रतिशत और 43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। **आपकी कंपनी इन उच्च संभावना वाले क्षेत्रों में अपना विकास जारी रखने के लिए प्रयासरत है।**

प्रिय शेयरधारको, बड़ी उपलब्धियां बड़ी आशाएं लेकर आती हैं । यह आपकी कंपनी के वाणिज्यिक प्रचालन का 25वां वर्ष है । मैं दृढ़तापूर्वक यह महसूस करता हूं कि अब समय आ गया है कि हम अपना विस्तार करें और अपनी ताकत को विश्व भर में पूंजी के रूप में बदलने के लिए पूरी ताकत से कारोबार करें। अतः हमारी परामर्शी सेवाओं और दूरसंचार सेवाओं का आगे विस्तार करने के लिए रणनीतिक गठजोड़ स्थापित किए गए हैं और नए कारोबार के अवसर तलाशे जा रहे हैं ।

- परामर्शी सेवाएं

आपकी कंपनी **अंतर–राज्य पारेषण** क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित कर रही है, जिनमें कि आने वाले वर्षों में भारी निवेश की संभावना है । ये कार्य या तो राज्य की सेवा इकाइयों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके या उनकी बोली प्रक्रिया में भाग लेकर या निक्षेप कार्य आधार पर कार्य प्राप्त करके शुरू की जा सकती है। एक ओर तो इससे राज्यों में विद्युत के वितरण में सुविधा होगी और दूसरी ओर आपकी कंपनी के लिए इससे अतिरिक्त कारोबारी अवसर भी प्राप्त होंगे । बिहार राज्य के साथ आपकी कंपनी का संयुक्त उद्यम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । आपकी कंपनी राज्यों में निक्षेप कार्य आधार पर अनेक पारेषण परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जैसे:

- यूपीपीटीसीएल के लिए ललितपुर पावर प्रोजेक्ट से विद्युत प्राप्त करने के लिए पारेषण प्रणाली ।
- असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में 'पूर्वोत्तर विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना'
- अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण एवं वितरण के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक योजना
- जम्मू व कश्मीर में लेह–कारगिल–श्रीनगर पारेषण परियोजना ।

वितरण के क्षेत्र में भी आपकी कंपनी भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है । इसके अलावा, एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत आपकी कंपनी उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यान्वित कर रही है।

इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी विशेषकर **बिजली कर्षण परियोजनाओं** के क्षेत्र में रेल मंत्रालय के साथ मिलकर एक दीर्घ अवधि कारोबार देख रही है। कर्षण उपकेन्द्रों के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु समर्पित पारेषण प्रणाली के लिए अध्ययन करने हेतु रेलवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (डीएफसीसीआईएल) के साथ एक त्रि–पक्षीय समझौता ज्ञापन किया गया है । इसके अलावा, 35,000 कि.मी. बिजली रहित लाइनों को बिजली प्रदान करने के लिए अपनी योजना के एक भाग के रूप में भारतीय रेल के लिए प्रायोगिक आधार पर 1000 कि.मी. के रेल ट्रैक का विद्युतीकरण करने के लिए परामर्श प्रगति की अवस्था में है।

आपकी कंपनी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कार्य सौंपने पर भी समान रूप से बल दे रही है। 18 देशों में अपनी उपस्थिति के साथ और 25 से अधिक ग्राहकों को विशेषज्ञता प्रदान करके आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश कर रही है । इसके लिए आपकी कंपनी **ईपीसी** अवसरों की तलाश कर रही है और साथ ही देश से बाहर पारेषण नेटवर्क को हासिल करने और/अथवा प्रबंधन के लिए प्रयास कर रही है ।

हमारी कंपनी रणनीतिक तौर पर **सार्क क्षेत्र** में स्थित होते हुए क्षेत्रीय विद्युत

विद्युत एक्सचेंज के लिए भारत–बंगला तथा भारत–नेपाल सहयोग

उत्पादन संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश पड़ोसी देशों के साथ काफी परस्पर संबंध पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और नई पारेषण लाइनों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार के स्तर पर अन्य पड़ोसी देशों के साथ परस्पर संबंधों पर विचार–विमर्श किया जा रहा है ।

- **दूर संचार सेवाओं को प्रोत्साहन**

साथियो, आप जानते ही हैं कि आपकी कंपनी दूरसंचार के कारोबार में भी है, देश भर में अपने मौजूदा पारेषण नेटवर्क को जुटाकर आपकी कंपनी आप्टिकल फाइबर ग्राउंड वॉयर (ओपीजीडब्ल्यू) बिछाने में वृद्धिशील निवेश कर रही है और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका उपयोग कर रही है। वर्तमान में आपकी कंपनी के पास स्वामित्व और प्रचालन के लिए 36,500 कि.मी. से अधिक का दूर संचार नेटवर्क है, जो देश के सभी मैट्रो, प्रमुख शहरों व कस्बों को जोड़ता है। दूरसंचार नेटवर्क की उपलब्धता डिजिटल स्तर पर विगत वर्ष में 99.97 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 2016 के दौरान लगभग 100 प्रतिशत पर बरकरार रही।

जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, दूरसंचार सेवाओं से हमारा राजस्व वर्ष दर वर्ष 43 प्रतिशत तक बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि आप इस क्षेत्र में एक वास्तविक प्रतियोगी वातावरण में इतना असाधारण काम करने के लिए अपनी कंपनी के समन्वित प्रयासों की सराहना करेंगे।

सेवा प्रदाताओं द्वारा 4जी मोबाइल सेवा की भावी मांग और सरकार द्वारा अनेक 'ई–गवर्नेंस' प्रयासों को देखते हुए आपकी कंपनी ने पहले ही पारेषण लाइनों पर नए ओपीजीडब्ल्यू लिंक शुरू करके पैन इंडिया आधार पर बैकबोन नेटवर्क में क्षमता बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया है। अनेक अग्रणी घरेलू और वैश्विक आईटी और दूरसंचार कंपनियों के साथ उन्हें बल्क बैंडविड्थ/एमपीएलएस वीपीएन सेवाएं प्रदान करने के लिए करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आपकी कंपनी भारत सरकार के अग्रगामी **'डिजिटल इंडिया'** कार्यक्रम के लिए भी योगदान कर रही है। विश्वविद्यालयों, आईआईटी तथा अन्य ज्ञान केन्द्रों को जोड़ने के लिए 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन)' का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के अलावा, आपकी कंपनी ने इंक्रीमेंटल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना के कार्यान्वयन में हाथ मिलाया है।

प्रौद्योगिकी विकास

मार्गाधिकार की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जो अपनी कंपनी के समक्ष परियोजना के कार्यान्वयन में आती रही है। कार्यान्वयन के लिए नवोन्मेषी तरीके व नई प्रौद्योगिकी को अपनाना, आज की मांग है ताकि मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की बढ़ती चुनौतियों का सामना कर सकें। इसके लिए, आपकी कंपनी ने देश में अपनी विद्युत हस्तांतरण क्षमता को अपग्रेड और अपरेट करने के लिए मल्टी टर्मिनल ±800 के.वी. एचवीडीसी प्रणालियां (विश्व में अपने प्रकार की पहली) 1200 केवी यूएचवीएसी प्रणाली, मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, मौजूदा लाइनों की रीकंडक्टरिंग करने जैसी नई प्रौद्योगिकियां शुरू की हैं। नए उप केंद्रों में एआईएस की जगह जीआईएस प्रौद्योगिकियों को अपनाकर भूमि की मांग, जिसके अभाव में वृद्धि होती जा रही है, में भी कमी आई है।

एनटीएएमसी नियंत्रण कक्ष

मैं दृढ़तापूर्वक यह विश्वास करता हूं कि अनुसंधान आधारित विकास और नवोन्मेष सतत प्रतियोगी लाभ और भावी कारोबार के लिए महत्वपूर्ण घटक है । इस संबंध में मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मानेसर परिसर में **"पावरग्रिड विज़डम पार्क"** विकसित किया गया है, जिसमें अनुसंधान और प्रशिक्षण की सुविधा के लिए एक प्रचालनात्मक जीआईएस/एसआईएस के अलावा पावरग्रिड अकादमी ऑफ लीडरशिप(पीएएल), पावरग्रिड एडवांस्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेन्टर (पीएआरटी), नेशनल ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर (एनटीएएमसी) स्थित है। अपनी कारोबारी गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को निरंतर बढ़ाने की कोशिश में हाल ही में गुड़गांव द्वारा सेंटर में इंटरप्राइज क्लाउड एन्वायरमेंट की शुरूआत की गई है। इस नए सेटअप से कर्मचारियों की क्षमता बढ़ने और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होने की संभावना है।

आपदा प्रबंधन

आपकी कंपनी **देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित क्षेत्रों में** विद्युत की बहाली में सहायता प्रदान करने में आगे रही है । आपदा प्रबंधन में आपकी कंपनी के प्रयासों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा सराहना की गई है । नवंबर–दिसंबर, 2015 में तमिलनाडु राज्य में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें वहां की ईएचवी पारेषण लाइनें प्रभावित हुई थी । आपकी कंपनी की तीव्र कार्रवाई के परिणामस्वरूप 400 केवी और 230 केवी लाइनों की तेजी से बहाली की गई जिसमें कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट और नार्थ चेन्नै टीपीएस से लाइनें प्रदान करना शामिल है । मणिपुर में जनवरी, 2016 में भूकंप के बाद कुछ ही घंटों में स्थानीय ग्रिड को ठीक कर दिया गया । आपकी कंपनी में तीव्र बहाली करने में अनुभवी एक समर्पित समूह की पहचान कर ली गई है जो किसी भी आपदा के समय तीव्र कार्रवाई करने में सक्षम है ।

सामाजिक प्रतिबद्धता और स्थिरता

सीएसआर को आपकी कंपनी की महत्वपूर्ण प्रणालियों में गहराई से स्थापित किया गया है। आपकी कंपनी की सीएसआर पहलों ने देश भर में फैली इसकी विभिन्न संस्थापनाओं के आसपास हजारों के जीवन को छुआ है। वर्ष के दौरान, समुदाय केन्द्रों का निर्माण, सड़कों, स्थानीय स्कूलों में क्लासरूम्स, पेयजल सुविधाओं का प्रावधान और सौर स्ट्रीट लगाने जैसे अनेक अवसंरचना विकास कार्य पूरे किए ।

टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन

वित्त वर्ष 2016 के दौरान आपकी कंपनी ने 115.78 करोड़ रु0 का सीएसआर व्यय अर्थात विगत वर्ष के सीएसआर व्यय 47.42 करोड़ रु0 की तुलना में 2.4 गुणा अधिक किया है । आपकी कंपनी द्वारा की गई कुछ सीएसआर पहलें इस प्रकार हैं–

- एम्स, नई दिल्ली में एक 10 मंजिला धर्मशाला – जिसका निर्माण चल रहा है।
- कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) और कुडगी (कर्नाटक) क्षेत्र में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केन्द्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन; और
- कैंसर के उपचार के लिए नवी मुंबई में टाटा मेमोरियल की एक इकाई का निर्माण, जिसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- विभिन्न अस्पतालों के लिए करीब 100 एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरण डोनेट किए गए हैं ।

कौशल विकास

पावरग्रिड केंद्रीय कार्यालय में विश्व योग दिवस का आयोजन

कुशल मानवशक्ति तैयार करने के लिए भारत सरकार की पहल में सहायता प्रदान करने हेतु आपकी कंपनी देश भर में 5000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निधि और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी कर रही है।

उपरोक्त को कार्यान्वित करने के लिए प्रथमतः हमारी संस्थापनाओं और प्रचालन क्षेत्रों के समीप रह रहे समाज के करीब 1200 वंचित/बेरोजगार युवाओं को निवास आधार पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए'' सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी(सीआईपीईटी)'' सहित प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपकी कंपनी ग्रामीण पुरुषों व महिलाओं को उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, टेलरिंग, पशुपालन इत्यादि के क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है।

पारेषण लाइनों के निर्माण के क्षेत्र में आपकी कंपनी विभिन्न पारेषण लाइन कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान

"सृष्टि"–पावरग्रिड महिला समाज द्वारा सिलाई मशीनों का वितरण

कर रही है। अब तक 2400 से अधिक युवाओं को उपरोक्त प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो विभिन्न पारेषण लाइन कार्य निष्पादन एजेंसियों से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

स्वच्छ भारत अभियान

राष्ट्रव्यापी 'स्वच्छ भारत अभियान' में मदद करते हुए, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और सफाई में सुधार लाना है, आपकी कंपनी ने अग्रणी भूमिका निभाई है । 'स्वच्छ भारत अभियान' के लिए आपकी कंपनी ने बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों में सरकारी स्कूलों में 9500 शौचालयों का निर्माण किया है। इसके अलावा, कर्मचारियों और उनके परिवारों ने स्वच्छ परिवेश के लिए 60,000 श्रम घंटों का योगदान दिया है। आपकी कंपनी भारत सरकार के 'गंगा सफाई' कार्यक्रम में भी भाग ले रही है।

विश्व को जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा बनें 'स्वच्छ भारत'

स्वच्छ पर्यावरण के लिए आपकी कंपनी द्वारा दूसरे उप–केन्द्रों में वर्षा जल संचयन, एलईडी बल्ब लगाने तथा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने, डी जी सैट के लिए फ्यूल कैटलिस्ट उपकरण लगाने जैसी विभिन्न **हरित पहलें** भी की जा रही हैं।

साथियो, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी सितंबर, 2015 में प्रकाशित तीसरी द्विवार्षिक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में इंडियन पावर सेक्टर में **सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग** के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में शामिल की गई है।

कर्मचारी–हमारी प्रतिस्पर्धा की धार

प्रेरित और प्रतिबद्ध कर्मचारी सभी उपलब्धियों की रीढ़ हैं। आपकी कंपनी ने अर्हता प्राप्त विद्युत इंजीनियरों और प्रबंधन पेशेवरों का सबसे बड़ा समूह विकसित किया है जो प्रतिस्पर्धा को बढ़त प्रदान करते हैं। निरंतर सीखते रहना आपकी कंपनी का मूल मंत्र है।

यद्यपि, आपकी कंपनी के निष्पादन की कंपनी के बाहर अन्यों द्वारा सराहना की गई है, लेकिन आपकी कंपनी के कर्मचारियों ने **2016 के लिए भारत की बेहतर कार्य वाली कंपनी'** के रूप में सहयोग प्रदान किया है।

कॉरपोरेट शासन पारदर्शिता और कारपोरेट शासन के उच्चतम मानकों को अपनाना आपकी कंपनी का हॉलमार्क रहा है । सेबी और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के साथ निरंतर अनुपालन करते हुए आपकी कंपनी की पारदर्शी कार्य संस्कृति को नियमित रूप से प्रबंधन द्वारा विश्लेषकों और प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ आपकी कंपनी द्वारा की गई ''प्रेस एवं विश्लेषण बैठकों'' में आमने–सामने रखकर चर्चा की जाती है।

मान्यताएं और सम्मान

आपकी कंपनी के निष्पादन और योगदान की विभिन्न शेयरधारकों द्वारा समय–समय

को मान्यता और सराहना की गई है। **''शीर्ष 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज रैंकिंग 2015''** के अनुसार आपकी कंपनी ही केवल एक ऐसी भारतीय पीएसयू है जिसे विश्व की **''शीर्ष 50 तेजी से विकसित होने वाली ऊर्जा कंपनियों''** की सूची में रखा गया है और लगातार दूसरे वर्ष **एशिया में तीव्र गति से विकसित हो रही विद्युत सेवा इकाई** के रूप में भी पहचानी गई है।

आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2016 में विभिन्न अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, विशेषकर :–

- समग्र गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए सेवा इकाई के क्षेत्र में बड़े सेवा उद्योगों में 'राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी पुरस्कार' का सम्मानित प्रशंसनीय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।
- वर्ष 2016 में ''विद्युत क्षेत्र में सर्वोत्तम निष्पादन वाली सेवा इकाई के लिए केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) पुरस्कार'' प्रदान किया गया तथा आपकी कंपनी के सीएमडी को 'सीबीआईपी अवार्ड 2016' से नवाजा गया।
- ''इंडिया टुडे पीएसयू पुरस्कार 2015'' में नवरत्न श्रेणी में ''मोस्ट वेल्युएबल कंपनी अवार्ड'' और ''बेस्ट परफोर्मिंग कंपनी अवार्ड''
- भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र द्वारा प्रदत्त वर्ष 2015–16 के लिए ''राजभाषा नवरत्न'' पुरस्कार।

आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल की ओर से हमारे सम्मानित ग्राहकों, राज्य विद्युत पारेषण इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों, हमारी प्रगति में भागीदार हमारे विक्रेताओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों वित्तपोषण एजेंसियों, घरेलू और वैश्विक निवेशकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, बैंकर्स, भारत सरकार के प्राधिकरणों, विशेषकर विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेबी, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की एजेंसियों और विभिन्न देशों की सरकारों, जहां हमारी कंपनी ने प्रचालन किया है, के प्रति अपना आभार और गहन प्रशंसा व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से हमारे कर्मचारियों और उनके परिवारों को उनके हार्दिक समर्थन, समर्पण, प्रतिबद्धता और योगदान के लिए विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं विशेष रूप से अपने पूर्ववर्तियों तथा अन्य साथियों, जो अब आपकी कंपनी में कार्यरत नहीं हैं, को भी उनके सतत् समर्थन के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा, जिन्होंने आपकी कंपनी के निष्पादन के लिए योगदान दिया है।

मैं एक बार पुनः आपके सतत समर्थन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हितधारकों को सतत और अधिक महत्व प्रदान करने के लिए आपकी कंपनी के प्रयास जारी रहेंगे और आपसे आशा करता हूं कि आप हमारी मेहनत और दृढ़ता का फल पाने के लिए हमारे साथ रहेंगे ।

प्रिय शेयरधारको, ''टीम पावरग्रिड'' हर संभव तरीके से इस उद्योग और राष्ट्र की सेवा में प्रतिबद्ध है और इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

धन्यवाद,

(आई.एस.झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
नई दिल्ली,
16 सितंबर, 2016

इंडिया टुडे पीएसयू पुरस्कार, 2015

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

प्रिय शेयरधारकगण,

देवियों और सज्जनों,

आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन पर 27वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्त वर्ष 2015–16 आपकी कंपनी के लिए उपलब्धियों का एक और वर्ष रहा। परियोजना चालू करने के क्षेत्र में आपकी कंपनी ने 31,788 करोड़ रुपए में का रिकॉर्ड पूंजीकरण किया है जो इसके इतिहास में किसी अकेले वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है।

नई पारेषण परिसंपत्तियों जिसमें 13,717 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनें, 15 नए उपकेंद्र और 23,139 मेगावाट वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) अंतरण क्षमता शामिल है, को चालू करने के साथ आपकी कंपनी की कुल पारेषण परिसंपत्तियाँ बढ़कर 1,29,354 सीकेएम तथा 2,54,848 एमवीए की अंतरण क्षमता के साथ 207 उपकेंद्र हो गए हैं।

वर्ष के दौरान विभिन्न मोर्चों पर आपकी कंपनी की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

- **22,584 करोड़ रुपए** का पूंजीगत निवेश
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भारत सरकार द्वारा 'उत्कृष्ट' एमओयू रेटिंग अधिसूचित की गई।
- 13,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 23 नई पारेषण परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया।
- वर्ष के लिए 0.66 पर सीमित रहते हुए प्रति लाइन ट्रिपिंग की संख्या के साथ पारेषण प्रणाली उपलब्धता 99.72 प्रतिशत बनाए रखी गई।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में 17,780 करोड़ रुपए की तुलना में प्रचालनों से कुल आय लगभग 21,181 करोड़ रुपए है। इस वित्तीय वर्ष में आपकी कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 4,979 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 6,027 करोड़ रुपए का रिकार्ड पीएटी अर्जित किया है।

  0.80 रु. प्रति शेयर अंतरिम लाभांश (अंकित मूल्य प्रत्येक 10/–रु) का भुगतान किया गया है और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 1.51 रुपए प्रति शेयर की सिफारिश की गई है।
- विश्वनाथ चारियली (असम) से आगरा (उत्तर प्रदेश) तक विश्व की प्रथम और सबसे लंबी (1750 किमी) 800 केवी एचवीडीसी मल्टी टर्मिनल पारेषण लाइन (पोल–I, 1500 मेगावाट) नवंबर, 2015 में चालू की गई।
- कंपनी द्वारा 13,200 मेगावाट की अंतर क्षेत्रीय विद्युत अंतरण मात्रा जोड़ी गई।
- भारत और नेपाल के बीच प्रथम उच्च क्षमता सिंक्रोनस लिंक 400 केवी मुज्जफरपुर (भारत)–ढालकेबर (नेपाल) डबल सर्किट पारेषण लाइन फरवरी, 2016 में चालू की गई।
- मार्च, 2016 में चालू की गई 400 केवी सूर्यमणिनगर (त्रिपुरा–भारत) कोमिला (बांग्लादेश) डबल सर्किट पारेषण लाइन के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच ग्रिड इंटरकनेक्शन को सुदृढ़ किया गया।
- प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत आपकी कंपनी द्वारा 400 केवी खम्मम–नागार्जुनसागर डबल सर्किट पारेषण लाइन– प्रथम लाइन चालू की गई।
- 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में दूरसंचार राजस्व बढ़कर 392 करोड़ रुपए हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 275 करोड़ रुपए था जो लगभग 43: की वृद्धि है।
- 1200 केवी (विश्व में सबसे अधिक पारेषण वोल्टेज) नेशनल टेस्ट स्टेशन फेज–II सफलतापूर्वक चार्ज किया गया।

वित्तीय कार्य निष्पादन

पिछले वर्ष 2014–15 की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी के वित्तीय कार्यनिष्पादन का सार नीचे दिया गया है–

(शेयर डाटा को छोड़कर आंकड़े करोड़ रुपए में)

विवरण	2015.16	2014.15	वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि
राजस्व			
पारेषण प्रभार	19,945	16,521	20.7 %
परामर्श–सेवाओं की बिक्री	465	381	22.0%
दूरसंचार	392	275	42.5%
अन्य आय	479	603	(20.6%)
कुल आय	**21,281**	**17,780**	**19.7%**
कर–पश्चात लाभ (पीएटी)	6,027	4,979	21.0%
प्रति शेयर अर्जन (रुपए)	11.52	9.52	21.0%
प्रति शेयर बही मूल्य (रुपए)	81.43	72.71	12.0%
सकल अचल परिसंपत्तियां	1,50,052	1,18,264	26.9%
दीर्घावधि ऋण*	1,06,321	93,845	13.3%
निवल मूल्य	42,998	38,037	12.0%
ऋण साम्यानुपात	71:29	71:29	–
निवल मूल्य पर प्रतिफल	14.15%	13.09%	–

* - दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वताओं सहित

विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

लाभांश का भुगतान

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए आपकी कंपनी ने 2.31 रुपए प्रति शेयर के कुल लाभांश को शामिल करते हुए फरवरी, 2016 में भुगतान किए गए 0.80 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त 1.51 रुपए प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। इस प्रकार वर्ष के लिए भुगतान किए गए कुल लाभांश की राशि 1209 करोड़ रुपए है। (इसमें 419 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश शामिल है।)

प्रचालनात्मक उत्कृष्टता

परिसंपत्ति प्रबंधन

01 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के स्वामित्वाधीन तथा प्रशासनाधीन पारेषण परिसंपत्तियों में 129,354 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) लाइनें तथा 207 ईएचवीएसी तथा हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) उपकेंद्र थे जिनकी रूपांतरण क्षमता 2,54,848 एमवीए है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता को 99.72 पर कायम रखा जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय है। वर्ष के दौरान प्रति लाइन ट्रिपिंग (अनियोजित) 0.66 थी जो पावरग्रिड की पारेषण प्रणाली की उच्च विश्वसनीयता को निर्दिष्ट करती है।

इस प्रकार के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए अनुवीक्षण कार्यकलाप अग्रिम रूप से नियोजित किए जाते हैं और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार लीव लाइन अथवा बंदी अनुवीक्षण के जरिए प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए वार्षिक अनुवीक्षण योजना बनाई जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं अथवा अन्यथा के कारण टावर ध्वस्त होने की स्थिति में ध्वस्त टावरों की शीघ्र बहाली के लिए आपातकालीन बहाली प्रणाली नियोजित की जा रही है। हैलीकाप्टरों और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी/ड्रोन)का प्रयोग करके अब तक का सबसे पहले हवाई पैट्रोलिंग एवं अनुरक्षण शुरू किया गया है। पारेषण लाइन फाल्ट का सही–सही पता लगाने के लिए अत्याधुनिक ट्रेवलिंग वेव फाल्ट लोकेटर का प्रयोग करने के लिए प्रापण प्रक्रिया चल रही है। उपस्कर कंडीशनिंग अनुवीक्षण तकनीकों जैसी रिले की डायनामिक टेस्टिंग, ऑनलाइन मानिटरिंग, थर्मोविजन–स्कैनिंग ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अनालायसिस आदि परिसंपत्तियों की स्वस्थता के निर्धारण के लिए प्रयोग कर रही है।

दिनांक 29 अप्रैल, 2015 को मानेसर हरियाणा में अत्याधुनिक नेशनल ट्रांसमिशन एसेट मैनेजमेंट सेंटर (एनटीएएमसी) राष्ट्र को समर्पित किया गया और मार्च, 2016 तक 104 उपकेंद्र दूरस्थ प्रचालन के लिए एनटीएएमसी से जोड़ दिए गए हैं।

आपदा प्रबंधन

आपकी कंपनी पड़ोसी देशों सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत की बहाली में योगदान दे रही है। ईएचवी लाइनों, जो नवम्बर–दिसम्बर, 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, की बहाली के लिए तमिलनाडु को भी शीघ्र सहायता दी गई। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र और उत्तरी चेन्नई टीपीएस से निकासी सहित 400 केवी एवं 230 केवी लाइनों की बहाली में पावरग्रिड ने योगदान दिया। तत्काल संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 200 एमबीपीएस समर्पित बैंडविड्थ की भार प्रेषण केंद्र के लिए व्यवस्था की गई।

दिनांक 4 जनवरी, 2016 को मणिपुर में भूकंप के पश्चात् इसकी विद्युत आपूर्ति की बहाली में मणिपुर सरकार को सहायता दी गई। विद्युत बहाली कार्य तत्काल शुरू कर दिया गया और कुछ घंटे के भीतर ही स्थानीय ग्रिड बहाल कर दिया गया।

अप्रैल, 2015 में विध्वंसकारी भूकंप के पश्चात् उनके विद्युत की बहाली के लिए आपकी कंपनी ने अतिविशिष्ट इंजीनियर नेपाल भेजे। भूकंप के पश्चात् पहले 3–4 घंटों में ही घाटी में लगभग 85 प्रतिशत विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए इसने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के साथ मिलकर काम किया।

परियोजना कार्यान्वयन

पारेषण परियोजनाओं का कार्यान्वयन एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि ये परियोजनाएं कठिन क्षेत्र से होते हुए सैकड़ों किलोमीटर लंबी होती है और इनमें भिन्न–भिन्न तरह के सामाजिक–आर्थिक मुद्दे शामिल होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत निकासी और प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं प्रणाली की आवश्यकता के अनुरूप पूरी की जा रही है, कार्यान्वयन के दौरान विस्तृत आयोजना की जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रगति की समीक्षा की जाती है।

परियोजना कार्यान्वयन मोर्चे पर आपकी कंपनी ने लगभग 13,717 सर्किट किलोमीटर (अतिरिक्त उच्च वोल्टेज) पारेषण लाइनें और 15 नए उप–केंद्रों के साथ 23,139 एमवीए अंतरण क्षमता चालू की है जिससे इस वर्ष में 13,788 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड पूंजीकरण हुआ।

वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पारेषण परियोजनाएं चालू की गई अर्थात् + 800 केवी विश्वनाथ चरियाली–आगरा एचवीडीसी बाई–पोल, 765 केवी जबलपुर–धरमजयगढ़ I एवं II, 765 केवी मेरठ–मोगा, 765 केवी डी/सी औरंगाबाद–शोलापुर लाइन, 400 केवी डी/सी बाढ़–II, टीपीएस–गोरखपुर लाइन (क्वाड) एवं 765 केवी ग्वालियर–जयपुर I एवं II।

इसके अतिरिक्त, 10,000 किलोमीटर ओपीजीडब्ल्यू संस्थापित की गई है और लगभग 26,000 किलोमीटर ओपीजीडब्ल्यू संस्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय प्रबंधन

वित्त वर्ष 2015–16 में आपकी कंपनी ने अपने सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में

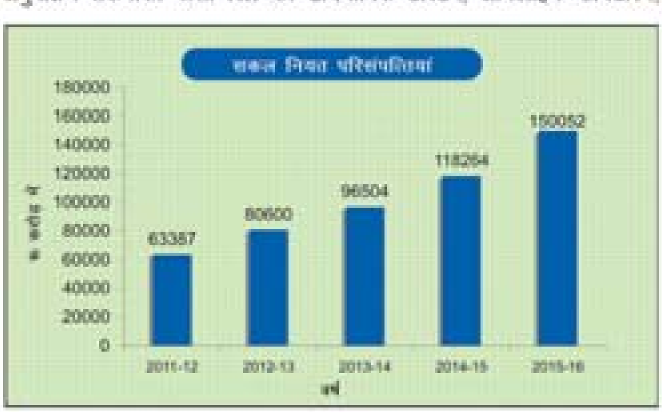

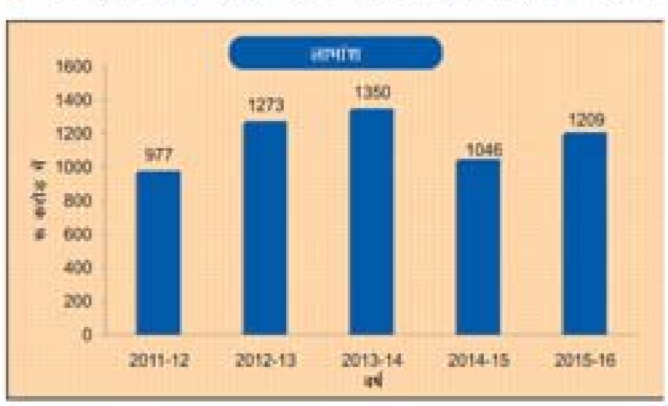

असाधारण निष्पादन प्रदर्शित करना जारी रखा जिससे शेयरधारकों के लिए मूल्यवर्द्धन हुआ। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 21,281 करोड़ रुपये का कारोबार और 6,027 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान यह क्रमशः 17,780 करोड़ रुपये और 4,979 करोड़ रुपये था। इसमें इसने क्रमशः 19.7 प्रतिशत और 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

पूंजीगत व्यय और निधि संग्रहण

12वीं योजना (वित्त वर्ष 2012–17) के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय लक्ष्य की तुलना में पावरग्रिड ने वर्ष 2015–16 के दौरान 22,584 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) किया। वित्त वर्ष 2015–16 के कैपेक्स के लिए बॉण्ड और मियादी ऋण के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 12,743 करोड़ रुपये जुटाए गए और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/आपूर्तिकर्ता ऋण के लिए 2,980 करोड़ रुपये जुटाए गए और 6,861 करोड़ रुपये आंतरिक संसाधनों से उपयोग किए गए।

बारहवीं योजना कार्यक्रम

12वीं योजना के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये के कैपेक्स की तुलना में आपकी कंपनी योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों में पहले ही 88,235 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय कर चुकी है।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर आपकी कंपनी को संसाधन जुटाने में कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती। पूंजीगत व्यय के लिए निधियन घरेलू बाजार और बॉण्ड के प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ऋणों के अतिरिक्त बॉण्ड/नोटों के जरिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, आपूर्तिकर्ता ऋण,विदेशी वाणिज्यिक ऋण जैसे बहुपक्षीय संस्थापनों से ऋणों के जरिए किए जाने की योजना बनाई गई है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान भारत सरकार ने आपकी कंपनी को कुछ महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण परियोजनाएं सौंपी है जिनमें हरित ऊर्जा कॉरिडोर आईएसटीएस भाग शामिल है। ये परियोजनाएं घटाई गई निर्धारित समय में कार्यान्वित की जानी है। इन परियोजनाओं को 12वीं योजना के अंत तक/13वीं योजना के प्रारंभ में चालू किए जाने की संभावना है।

वाणिज्यिक निष्पादन

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय पारेषण प्रभारों तथा हानियों की साझेदारी) विनियम, 2010 के अनुसार देश की केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) के रूप में आपकी कंपनी को सभी अंतर राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) लाइसेंसधारकों की ओर से पारेषण प्रभार बिल तैयार करने, राशि का संग्रहण करने तथा उन्हें उसका संवितरण करने जैसे

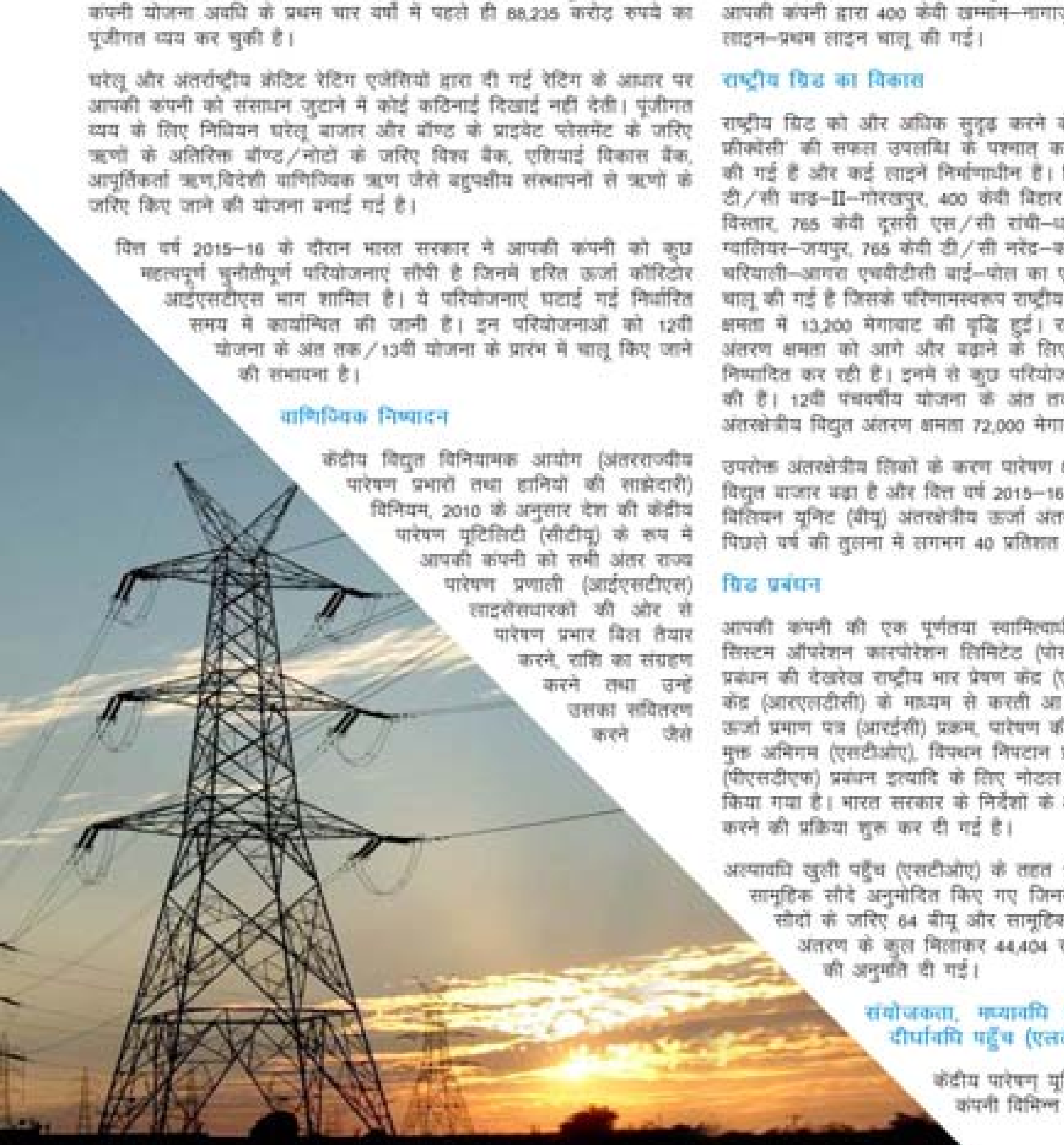

क्रियाकलाप करने का उत्तरदायित्व समनुदेशित किया गया है। इस संबंध में, पारेषण प्रभारों के बिल तैयार किए जाते हैं, जुटाए जाते हैं तथा ग्राहकों द्वारा भुगतान ब्यौरों सहित नाम निर्दिष्ट आईएसटीएस ग्राहकों (टीआईसी) के लिए वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

आपकी कंपनी समनुदेशित उत्तरदायित्वों को प्रभावी रूप से पूरा कर रही है तथा इसने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए 97 प्रतिशत से अधिक संग्रहण दक्षता प्रदर्शित की।

प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली के अंतर्गत निष्पादन (टीबीसीबी)

आपकी कंपनी प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) के अंतर्गत प्रतिस्पर्द्धी परिवेश में अच्छा निष्पादन कर रही है। वित्त वर्ष 2015–16 में आपकी कंपनी ने 'वेमागिरि के बाद पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण' परियोजना के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई और बीपीसी से एसपीवी, 'वेमागिरि–II ट्रांसमिशन लिमिटेड' अधिग्रहित की। एसपीवी का नाम बदलकर पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड कर दिया गया है। इससे आपकी कंपनी ने टीबीसीबी के जरिए कुल नौ (9) परियोजनाएं प्राप्त की है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली के अंतर्गत आपकी कंपनी द्वारा 400 केवी खम्माम–नागार्जुन सागर डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन–प्रथम लाइन चालू की गई।

राष्ट्रीय ग्रिड का विकास

राष्ट्रीय ग्रिड को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 'एक राष्ट्र–एक ग्रिड–एक फ्रीक्वेंसी' की सफल उपलब्धि के पश्चात् कई अंतरक्षेत्रीय पारेषण लाइनें चालू की गई है और कई लाइनें निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 400 केवी डी/सी बाढ़–II–गोरखपुर, 400 केवी बिहार शरीफ–सासाराम से वाराणसी का विस्तार, 765 केवी दूसरी एस/सी रांची–धरमजयगढ़, 765 केवी 2xएस/सी ग्वालियर–जयपुर, 765 केवी डी/सी नरेंद्र–कोल्हापुर एवं ± 800 केवी विश्वनाथ चरियाली–आगरा एचवीडीसी बाई–पोल का एक पोल अंतरक्षेत्रीय पारेषण लाइनें चालू की गई है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ग्रिड की अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता में 13,200 मेगावाट की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय ग्रिड की अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता को आगे और बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी कई परियोजनाएं निष्पादित कर रही है। इनमें से कुछ परियोजनाएं उच्च क्षमता एचवीडीसी लिंक की है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आशा है कि राष्ट्रीय ग्रिड की अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता 72,000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी।

उपरोक्त अंतरक्षेत्रीय लिंकों के कारण पारेषण क्षमता की वृद्धि से अखिल भारतीय विद्युत बाजार बढ़ा है और वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पूरे देश में लगभग 117 बिलियन यूनिट (बीयू) अंतरक्षेत्रीय ऊर्जा अंतरण की सुविधा प्रदान की गई जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि है।

ग्रिड प्रबंधन

आपकी कंपनी की एक पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी अर्थात् पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) सफलतापूर्वक देश के ग्रिड प्रबंधन की देखरेख राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) तथा क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) के माध्यम से करती आ रही है। पोसोको को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आरईसी) प्रक्रम, पारेषण कीमत निर्धारण, पारेषण में अल्पावधि मुक्त अभिगम (एसटीओए), विचलन निपटान प्रक्रम, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) प्रबंधन इत्यादि के लिए नोडल अभिकरण के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार पावरग्रिड से इसको पृथक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अल्पावधि खुली पहुँच (एसटीओए) के तहत 13,467 द्विपक्षीय सौदे और 30,967 सामूहिक सौदे अनुमोदित किए गए जिनसे वित्त वर्ष 2015–16 में द्विपक्षीय सौदों के जरिए 64 बीयू और सामूहिक सौदों के लिए 34 बीयू के ऊर्जा अंतरण के कुल मिलाकर 44,404 सौदे और 98 बीयू अनुमोदित करने की अनुमति दी गई।

संयोजकता, मध्यावधि खुली पहुँच (एमटीओए) और दीर्घावधि पहुँच (एलटीए)

केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) के रूप में आपकी कंपनी विभिन्न आवेदकों को संयोजकता, दीर्घावधि

पहुँच (एलटीए) और मध्यावधि खुली पहुँच (एमटीओए) की कार्रवाई करने और प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है। संयोजकता, एमटीओए तथा एलटीए आवेदनों के लिए संबंधित विनियम, प्रक्रिया, दिशा–निर्देश और संबंधित दस्तावेज और उनकी स्थिति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी ने 81,860 मेगावाट के लिए 98 पात्र आवेदकों को संयोजकता और 94,200 मेगावाट के लिए 192 पात्र आवेदकों को एलटीओए/एलटीए प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, पारेषण मार्जिन उपलब्धता के आधार पर 10,450 मेगावाट क्षमता के लिए 92 आवेदकों को एमटीओए भी प्रदान किया गया है।

गुणवत्ता प्रबंधन

हमारी कंपनी में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पता लगाने की अपेक्षा पहले ही निवारण के सिद्धांत पर बनाई गई है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर सामान खरीदते समय गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में काफी प्रयास किया गया है और बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद प्राप्त करने के लिए विभिन्न गुणवत्ता सुधार उपाय शुरू किए गए हैं और कार्यान्वित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आईएसओ 50001 अपेक्षाओं के अनुसार बंगलौर में दक्षिण क्षेत्र–II मुख्यालय भवन और मानेसर में राष्ट्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र (एनटीएएमसी) ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों के लिए प्रमाणित किए गए। आपकी कंपनी आईएसओ 27001 अपेक्षाओं के अनुसार सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए भी प्रमाणित है।

आपकी कंपनी ने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली, जिसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001 तथा पर्यावरण प्रणाली के लिए आईएसओ 14001 तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ओएचएसएएस 18001 शामिल है, के अनुरूप प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं विकसित की है और बनाए रखी है। प्रमाणन को बीएसआई प्रबंधन प्रणालियों द्वारा कड़ी लेखापरीक्षा के पश्चात् बनाए रखा गया है।

भारी पूंजीगत कार्य के निरीक्षण की सुविधा के लिए आपकी कंपनी ने विभिन्न उपाय, स्मार्ट निरीक्षण (प्रक्रिया में और स्वीकार करने के पश्चात्), विनिर्माताओं के साथ सतत् अनुवर्तन, विनिर्माता के कारखाने में गुणवत्ता प्रणाली सुधार आदि, जैसे विभिन्न सकारात्मक कदम उठाए हैं।

आपकी कंपनी की गुणवत्ता नीति के अनुसार शून्य उत्पाद निरीक्षण की ओर बढ़ने के लक्ष्य से टावरों, कंडक्टर, केबलों, ट्रांसफार्मर ऑयल आदि की कुछ विनिर्माता इकाइयों में मानकीकृत दिशा–निर्देशों के अनुसार इनके कारखानों में गहन प्रक्रिया लेखापरीक्षा के पश्चात् निरीक्षण कम किए गए।

समय पर विनिर्माण के लिए विनिर्माताओं के साथ निरंतर विचार–विमर्श, स्मार्ट निरीक्षण, विभिन्न महत्वपूर्ण मदों की जाँच तथा बाद में समय पर प्रेषण अनुमतियां जारी करने से इस वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड परिसंपत्ति पूंजीकरण किया गया। पारेषण प्रणालियों में गुणवत्ता के महत्व पर विचार–विमर्श करने के लिए पारेषण लाइन ईपीसी संविदाकार और उनके सीईओ के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

"मेक इन इण्डिया" के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। इस समय अधिकांश 765 केवी श्रेणी के ट्रांसफार्मर/रिएक्टर/अन्य उपस्कर और यहाँ तक कि कुछ गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) भी भारतीय कारखानों से आपूर्ति किए जा रहे हैं। इसे नई फैक्ट्रियों की स्थापना अथवा मौजूदा फैक्ट्रियों के विस्तार, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, कर्मचारियों की भर्ती, कौशल विकास और अनुषंगियों के विकास के लिए भी विभिन्न संविदा करारों में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों से सुकर बनाया गया है। देश में रोजगार सृजन को सुकर बनाने के लिए विभिन्न उपस्करों के अवयवों की आपूर्ति के लिए भारत में कई उप–विक्रेता विकसित और अनुमोदित किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी विकास

आपकी कंपनी विद्युत पारेषण प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता के अनुसरण में अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) कार्यकलापों को अपनाती है और प्रोत्साहित करती है। बीना, मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन परियोजना तथा सब–स्टेशन ऑटोमेशन प्रणाली में प्रोसेस बस आर्किटेक्चर इनमें से कुछ प्रमुख है।

नेशनल टेस्ट स्टेशन, बीना

1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन

आपकी कंपनी ने मार्च, 2016 माह में प्रतिष्ठित 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन का फेज–II सफलता पूर्वक टेस्ट चार्ज किया है। इससे टेस्ट स्टेशन में सभी 1200 केवी उपस्कर 1200 केवी वोल्टेज स्तर पर सफलतापूर्वक चार्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के लिए आपकी कंपनी ने 1200 केवी विकसित उपस्कर प्राप्त करने के लिए भारतीय उपस्कर विनिर्माताओं के साथ सहयोग किया है। ये उपस्कर इस समय दीर्घकालीन फील्ड प्रचालन और निष्पादन निगरानी के लिए बीना में टेस्ट स्टेशन में संस्थापित किए गए हैं।

प्रोसेस–बस आर्किटेक्चर

400 केवी भिवाडी उप केंद्र में सफलतापूर्वक चालू किया गया आईईसी 61,850 प्रोटोकॉल बेस्ड प्रोसेस बस आर्किटेक्चर संबंधी आपकी कंपनी की पायलट पहल पूर्णतः डिजिटाइज्ड उप केंद्रों में इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपकी कंपनी ने 400/220 केवी नीमराना उप केंद्र में ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त नियंत्रण और सुरक्षा केबल के इष्टतमीकरण के लिए पायलट परियोजना के रूप में शुरू की है और सफलतापूर्वक पूरी की है। इस उप केंद्र में नई स्कीम के कार्यान्वयन के पश्चात् ट्रांसफार्मर मार्शलिंग बॉक्स और सुरक्षा पैनल के बीच कोर की संख्या में काफी कमी की गई। इस स्कीम से भविष्य में अनुरक्षण और समस्या समाधान सुगम होने और किसी विपत्ति की स्थिति में बहाली समय में भी कमी होने की संभावना है। इन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी परंपरागत सुरक्षा वाले पुराने उप केंद्रों की रेट्रोफिटिंग और उन्नत ऑटोमेशन सिस्टमयुक्त नियंत्रण योजनाओं के लिए एक और पायलट परियोजना शुरू करने की योजना बना रही है।

पावरग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप, मानेसर

पावरग्रिड उन्नत अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र

आपकी कंपनी विद्युत पारेषण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने के लिए मानेसर, गुड़गांव में विश्व स्तरीय प्रयोगशाला और टेस्ट सुविधाएं स्थापित कर रही है। यह अनुसंधान एवं विकास केंद्र विद्युत प्रणाली विश्लेषण, उन्नत उपस्कर डायग्नोस्टिक्स, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा दक्षता, नियंत्रण एवं ऑटोमेशन, सामग्री विज्ञान, इंजीनियरी डिजाइन आदि के लिए अत्याधुनिक सेवाओं सहित काफी सीमा तक पावरग्रिड और देश की अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

स्मार्ट ग्रिड एवं ऊर्जा दक्षता

आपकी कंपनी स्मार्ट ग्रिड के लिए इंटेलीजेंट प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के जरिए अपने पणधारकों को मूल्य सुपुर्दगी की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। आपकी कंपनी स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में आंतरिक अनुसंधान एवं प्रदर्शन परियोजनाओं के जरिए अपनी सक्षमताएं निरंतर बढ़ा रही है। यह उपरोक्त क्षेत्र सफलता की कहानी के लिए यूटिलिटी परियोजनाओं के लिए निरंतर उन्नत एट्रिब्यूट्स की वृद्धि कर रही है। स्मार्ट ग्रिड वर्टिकल अपना ग्राहक आधार बढ़ा रही है और भविष्य में स्मार्ट ग्रिड को एक संभावना से भरपूर कारोबार क्षेत्र बनाने के लिए नई परियोजनाओं में वृद्धि कर रही है।

पिछले कुछ वर्षों में आपकी कंपनी ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में मूल्यवान अनुभव हासिल किया है और इस समय वितरण अवसंरचना, उन्नत मीटरिंग अवसंरचना, इंटेलीजेंट आउटेज मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक व्हिकल चार्जिंग स्टेशन, विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन, वितरित उत्पादन, नेट मीटरिंग आदि को शामिल करते हुए दस (10) परियोजनाओं के लिए परामर्श दे रही है। स्मार्ट शहर विकास के लिए भारत सरकार के प्रयास के भाग के रूप में आपकी कंपनी वाराणसी और गुड़गांव में स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन से निकटता से जुड़ी हुई है।

स्मार्ट पारेषण के लिए आपकी कंपनी वाइड एरिया मेजरमेंट्स (डब्ल्यूएएमएस) के लिए सभी राज्यों और केंद्रीय ग्रिडों को एकीकृत करते हुए फेजर मेजरमेंट (यूआरटीडीएसएम) परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, आईआईटी, मुंबई के सहयोग से पीएमयू डाटा का प्रयोग करते हुए एनालिटिक्स विकसित की जा रही है। हाई एंड एनालिटिक्स सहित एकीकृत सिंक्रोनाइज्ड मेजरमेंट्स उन्नत निगरानी, विजुएलाइजेशन और ग्रिड विश्वसनीयता सुधार के लिए रियल टाइम संबंधी ग्रिड घटनाओं की वर्द्धित स्थिति जागरूकता को सुकर बनाएगी।

नवीकरणीय का एकीकरण

आपकी कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ग्रिड में एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आपकी कंपनी द्वारा हरित ऊर्जा कॉरिडोर कार्यान्वयनाधीन है जो नवीकरणीय उतार–चढ़ाव का समाधान करने के लिए नवीकरणीय के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ग्रिड में इंटरकनेक्शन के साथ–साथ संतुलन क्षेत्र को बढ़ाने की सुविधा का दोहरा प्रयोजन पूरा करेगी। इसके अतिरिक्त, हरित ऊर्जा कॉरिडोर–II के भाग के रूप में विभिन्न राज्यों में 7200 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्कों के लिए पारेषण योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं। हरित ऊर्जा कॉरिडोर कार्यान्वयन और अल्ट्रा मेगावाट सोलर पार्कों के ग्रिड एकीकरण के अतिरिक्त यह विभिन्न बैटरी प्रौद्योगिकियों से प्रथम ग्रिड इंटरएक्टिव एनर्जी स्टोरेज पायलट परियोजनाएं स्थापित कर रहा है। इन एनर्जी स्टोरेज परियोजनाओं के अनुसंधान परिणाम नवीकरणीय ऊर्जा की इंटरमीटेंसी, परिवर्तनीयता और अनिश्चितता के समाधान और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने नियोजन के लिए रोड मैप तैयार करने में महत्वपूर्ण होगा।

आपकी कंपनी एसआर, डब्ल्यूआर, एनआर के साथ–साथ राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र में क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों सहित 7 नवीकरणीय समृद्ध राज्यों में नए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) स्थापित करने के चुनौतीपूर्ण और पथेनशिप दायित्व को भी पूरा कर रही है। इससे स्रोतों के दक्ष उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय स्रोतों का पूर्वानुमान और वितरित एवं इंटरमिटेंट नवीकरणीय उत्पादन हो सकेगा।

ऊर्जा दक्षता

आपकी कंपनी ने विभिन्न उद्योगों, संस्थानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापना की ऊर्जा लेखापरीक्षा करके ऊर्जा दक्षता अवसरों को अभिचिह्नित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। आपकी कंपनी द्वारा डिजाइन की गई और विकसित की गई स्टील री–रोलिंग मिलों के लिए अपशिष्ट ताप प्राप्ति प्रणालियां इस्पात उद्योग में सफलतापूर्वक संस्थापित की गई है। वर्ष के दौरान 6 संस्थापनाओं में ऊर्जा लेखापरीक्षा की गई। की गई ऊर्जा लेखापरीक्षा और आपकी कंपनी द्वारा सुझाए गए दक्षता उपायों से वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन की रोकथाम लगभग 1197 टन हुई तथा 300 मेगावाट से अधिक की अस्थापित क्षमता अभिवृद्धि हुई।

विभिन्न उद्योगों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं शुरू करने के लिए आपकी कंपनी एक बीईई ग्रेड–I ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) भी है।

भारतीय विद्युत उद्योग क्रांतिकारी परिवर्तन और विस्तृत एडवांसमेंट के युग में है। 90 ऊर्जा लेखापरीक्षकों से सुसज्जित आपकी कंपनी एक स्टार निष्पादक बनने

के लिए अच्छी तरह से तैयार है और ऊर्जा दक्षता समाधान का प्रस्ताव देकर चुनौतीपूर्ण परिवेश में अच्छी तरह से सक्षम है।

पावरटेल – दूरसंचार पारेषण अवसंरचना संबंधी सेवाएं

आपकी कंपनी ब्रांड नाम 'पावरटेल' के तहत अपनी देशव्यापी पारेषण अवसंरचना से अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजित कर रही है। दूर संचार बैंडविड्थ और अन्य संचार सेवाएं उपलब्ध कराने में इसने अपने आपको एक महत्वपूर्ण प्लेयर स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई है।

प्राचल	वित्त वर्ष 2014–15	वित्त वर्ष 2015–16	% परिवर्तन
कुल नेटवर्क कवरेज	33,241 कि.मी	36,563 कि.मी	10 प्रतिशत
प्वाइंट्स प्रजेंट की संख्या (पीओपी)	352	596	70 प्रतिशत
ग्राहक	187	270	45 प्रतिशत

वित्त वर्ष 2015–16 के लिए टेलीकॉम बैकबान उपलब्धता 100 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष में यह 99.97 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन)

भारत सरकार द्वारा तैयार एनकेएन परियोजना जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) आदि जैसे ज्ञान केंद्रों को संपूर्ण देश को, 10 जीबीपीएस प्रत्येक के 33 लिंकों, एक जीबीपीएस/100 एमबीपीएस के 105 लिंकों और 440 लिंक 100 एमपीबीएस/जीबीपीएस को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय आप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)

बीएसएनएल, रेलटेल तथा पावरग्रिड ने विद्यमान फाइबरों का प्रयोग कर तथा ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए यथावश्यक फाईबर बिछाकर देश में 250,000 ग्राम पंचायतों (जीपी) को संयोजित करने की भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की योजना के भाग के रूप में, आपकी कंपनी को भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लि. (बीबीएनएल) द्वारा तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड तथा ओडिशा के राज्यों में एनओएफएन नेटवर्क के विकास और अनुरक्षण का कार्य समनुदेशित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 तक लगभग 36000 जीपीएस को शामिल करते हुए इंक्रीमेंटल फाइबर के जरिए 4120 जीपी संयोजित किए गए हैं जिसमें से 1940 जीपी के लिए स्वीकृति टेस्टिंग पूरी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 917 जीपी एंड–टू–एंड उद्यम खण्ड ग्राहकों को संयोजकता पावरग्रिड के एमपीएलएस क्लाउड पर उपलब्ध कराई गई है। पावर ग्रिड 2 एमबीपीएस से 10 जीबीपीएस की रेंज में पोर्ट क्षमताओं से युक्त लेयर–2 और लेयर–3 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएनएस) दोनो उपलब्ध कराता है। पावरग्रिड 2 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस की रेंज में विभिन्न क्षमताओं के अपने इंटरनेट क्लाउड पर विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी सोल्यूशन भी उपलब्ध कराता है। पावरग्रिड आईएसपी को आईपी ट्रांजिट सर्विस उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल कंटेंट प्रदाताओं के साथ समूह बना रहा है। आईपी ट्रांजिट सर्विस लागत कम करती है और आईएसपी के लिए होस्ट किए गए कंटेंट की सर्विस क्वालिटी बढ़ाती है और इससे अपने प्रयोक्ताओं को कम कीमत पर बेहतर इंटरनेट सेवाएं ऑफर कर सकता है। अपने लोकल असेस पार्टनरों के साथ पावरग्रिड के एक्सटेंसिव बैकबोन टेलीकॉम नेटवर्क ने हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच और वहनीयता के लिए छोटे शहरों के स्थान नुकसान को समाप्त किया है। इसमें तथाकथित 'डिजिटल डिवाइड' को कम करने की संभाव्यता है और 'डिजिटल इंडिया'' के विजन का मूर्त रूप देने के

अफगानिस्तान के दोशी में 220 केवी सब–स्टेशन

लिए परिवर्तनकारी तत्व हो सकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण घरेलू ग्राहकों के साथ एमपीएलएसवीपीएन/इंटरनेट सौदे हस्ताक्षरित किए गए हैं।

कारोबार विकास और परामर्श सेवाएं

आपकी कंपनी ने विद्युत पारेषण, उप पारेषण, भार प्रेषण और संचार आदि के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित की है। अपनी क्षमता और अनुभव का लाभ उठाते हुए भारत में और विश्वव्यापी काफी ग्राहकों को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर दोशी में 220/200 केवी उपकेंद्रों (1x16 एमवीए) और चारीकर (2x16 एमवीए) प्रत्येक उपकेंद्र में 220 केवी टी/सी पुल–ए–खुमरी से काबुल पारेषण लाइन सहित पूरे किए गए हैं और प्रचालन हेतु अफगानिस्तान प्राधिकारियों को सौंपे गए हैं।

रेलवे को उनके कर्षण उप केंद्रों के लिए रेलवे को विद्युत आपूर्ति के लिए समर्पित पारेषण प्रणाली की संभावना का पता लगाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु नवंबर, 2015 में रेलवे, डेडिकेटिड फ्रेट कारिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) और पावरग्रिड के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी ने 465 करोड़ रुपए का परामर्श राजस्व अर्जित किया जो पिछले वर्ष के 381 करोड़ रुपए की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण के सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तृत योजना के कार्यान्वयन के लिए और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एनईआर विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य पावरग्रिड को सौंपा गया है। कंपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में ग्रिड कनेक्टिविटी और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जम्मू एवं कश्मीर में पारेषण परियोजना भी कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण परामर्शी कार्यों में दिल्ली में पारेषण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और उत्तर प्रदेश के ललितपुर विद्युत संयंत्र से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली का निष्पादन शामिल है।

यह गर्व की बात है कि संघ के प्रमुख सदस्य के रूप में पावरग्रिड ने इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर सर्विस कारपोरेशन की प्रबंधन संविदा सफलतापूर्वक पूरी की है। संविदा के कार्यक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ग्राहक केंद्रित, बाजारोन्मुखी, अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक पावर यूटिलिटी और अवसंरचना सहित विश्व स्तरीय नए इलेक्ट्रिक पावर सर्विस प्रदाता की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए इथोपिया (उत्पादन, पारेषण और वितरण) में इलेक्ट्रिक पावर सर्विस की क्वालिटी और निष्पादन में सुधार करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विद्युत के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ मौजूदा इंटरकनेक्शनों को और सुदृढ़ किया जा रहा है। हाल ही में चालू किए गए कुछ इंटरकनेक्शनों में नीचे दिए अनुसार ओपीजीडब्ल्यू के जरिए संचार लिंक शामिल है।

भारत और नेपाल के बीच पारेषण इंटरकनेक्शन

- 400 केवी टी/सी मुजफ्फरपुर (भारत)–धालकेबार (नेपाल)–फरवरी, 2016

भारत और बांग्लादेश के बीच पारेषण इंटरकनेक्शन

- 400 केवी टी/सी सुरज्यामनिनगर (भारत)–कोमिला (बांग्लादेश)–मार्च, 2016

इसके अतिरिक्त भूटान में स्थापित होने वाली विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी से विद्युत की निकासी के लिए भूटान और भारत के बीच कार्यान्वयनाधीन हैं और 2017 तक तैयार होने की संभावना है।

वितरण सुधारों में योगदान

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा घरेलू विद्युतीकरण के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति येजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत आपकी कंपनी देश के नौ (9) राज्यों के सत्तर (70) जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अवसंरचना कार्य कर रही है जिसकी लागत लगभग 9000 करोड़ रुपए है।

X/XIवीं योजना स्कीमों की लगभग सभी स्कीमें पूर्ण हो चुकी हैं। XIवीं योजनाचरण–II तथा XIवीं योजना के तहत पावरग्रिड समनुदेशित उत्तर प्रदेश, ओडिशा में कार्य क्रियान्वयनाधीन है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 2960 अंततः विद्युतीकृत ग्रामों/गैर–विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु अवसंरचना का सृजन किया गया। साथ ही ग्रामों को ऊर्जित भी किया गया। मार्च 2016 तक संचयी रूप से 74,500 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु अवसंरचना का सृजन किया गया है इसके अतिरिक्त लगभग 36.7 लाख बीपीएल परिवारों को सेवा कनेक्शन दिए गए हैं।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस)

वाराणसी शहर के पुरानी काशी क्षेत्र में आईपीडीएस कार्य का कार्यान्वयन सितंबर, 2015 में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) को सौंपा गया है और कार्यान्वयन के लिए शुरू कर दिया गया है और कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है।

ईआरपी कार्यान्वयन

आपकी कंपनी की परियोजना 'रूपांतर' उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है और आपकी कंपनी सभी क्षेत्रों में स्थिर हो गई है। इस समय कारोबार से संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं ईआरपी पर चल रही हैं। पायलट आधार पर घरेलू बोलियों के लिए ई–निविदा भी ईआरपी प्रणाली में शुरू की गई है। ईआरपी प्रणाली को स्थिरता और विश्वसनीयता उपलब्ध कराने के लिए बैंगलुरू में आपदा सुधार केंद्र स्थापित किया गया है।

मानव संसाधन– हमारी शक्ति

योग्य व्यक्तियों को आकृष्ट करना और विकास

आपकी कंपनी अपने विकास के लिए मानव संसाधनों को आधार स्तंभ मानती है। वर्ष 2015–16 के दौरान प्रति कर्मचारी आय और प्रति कर्मचारी लाभ बढ़कर क्रमशः 247 लाख रुपए और 70 लाख रुपए हो गया जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 208 लाख रुपए और 58 लाख रुपए था। वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी सर्किट किलोमीटर और प्रति कर्मचारी भी बढ़कर क्रमशः 15 सर्किट किलोमीटर और 29.7 एमवीए हो गया जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 13.5 सर्किट किलोमीटर और 27.1 एमवीए था।

नई प्रौद्योगिकियों के साथ चलने के लिए बदलते कारोबार परिवेश और चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए उन्हें उन्नत एवं अद्यतन करने के लिए विशिष्ट कौशल/कार्यों के क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

वर्ष 2015–16 के लिए आपकी कंपनी की मानव संसाधन विकास (एचआरडी) कार्य योजना दो पक्षीय नीति नामतः संगठनात्मक आवश्यकता विश्लेषण (ओएनए) और प्रशिक्षण आवश्यकता आंकन (टीएनए) के निष्कर्षों पर आधारित है। कंपनी कारोबार आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को वैयक्तिक विकास योजना (आईडीपी) को लिंक कर सकी जो चालू और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की सक्षमता को अद्यतन रखने के लिए संगठन की सहायता करता है।

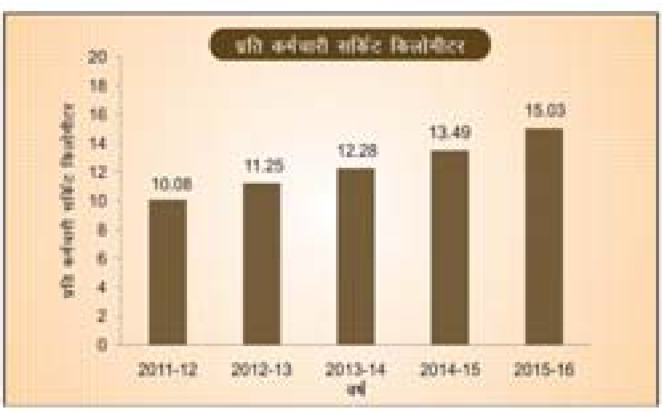

मानेसर में पावरग्रिड अकेडमी ऑफ लीडरशिप (पीएएल) एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय संस्थान में चोटी पर पहुंचने हेतु विजन बनाया गया है। पीएएल पूरी तरह से कार्यात्मक हो गया है और कार्यपालक प्रशिक्षुओं (ईटी) को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त विभिन्न एचआरडी कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

पीएएल के नेतृत्व में यूके और फ्रांस में दो सप्ताह का पावर सेक्टर ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम विद्युत क्षेत्र के पीएसयू के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इनके अतिरिक्त कंपनी ने इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (ईईपीसीओ) और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित विभिन्न राज्य यूटिलिटियों को क्षमता निर्माण के लिए परामर्श उपलब्ध कराया है।

कर्मचारी कल्याण

वर्ष के दौरान कंपनी में अधिकारी कर्मचारी संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और श्रम दिवस की

अंतर–क्षेत्रीय सांस्कृतिक समारोह

कोई हानि नहीं हुई। अधिकारिता, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण और भागीदारी प्रबंधन की प्रक्रिया के जरिए कंपनी में एक प्रभावी कार्य संस्कृति स्थापित की गई है।

बदलती जरूरतों और कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी समय–समय पर विभिन्न नीतियों में अनिवार्य परिवर्तन करती है। संयुक्त परामर्श मंच जिसमें प्रबंधन और कामगारों के प्रतिनिधि होते हैं, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय द्विपक्षीय समिति (पीएनबीसी/पीआरबीसी) के जरिए कामगारों से संबंधित मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किया जाता है। आपकी कंपनी ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य के लिए अपनी स्थापनाओं के समीप विभिन्न अस्पतालों का पैनल बनाया है। केंद्रीय कार्यालय कैफेटेरिया और गुड़गांव में मल्टीपर्पज हाल के फूड लाउंज, का आईएसओ 22000:2005 में कर्मचारियों को क्वालिटी फूड उपलब्ध कराया जाता है। कंपनी की स्थापनाओं में स्वस्थ समुदायिक रहन–सहन को बढ़ावा देने के लिए आवधिक रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न त्यौहार जैसे दीवाली मिलन समारोह, होली मिलन, नववर्ष, स्थापना दिवस आदि मनाए जाते हैं।

आपकी कंपनी खेलों में कर्मचारियों की रुचि बढ़ाने के लिए कबड्डी, क्रिकेट, वालीबॉल, कैरम, शतरंज और बैडमिंटन आदि के लिए अंतरा और अंतर क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित करती है और इंटर पीएसयू स्पोर्ट्स मीट में भी नियमित रूप से भाग लेता है। आपकी कंपनी की टीम अखिल भारतीय प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा आयोजित कारोबार प्रबंधन सिम्युलेशन खेलों के लिए प्रतिष्ठित 24वीं राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में प्रथम रनरअप रही और एशिया मैनेजमेंट गेम्स के साथ–साथ ग्लोबल मैनेजमेंट चैलेंज में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निवारण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षा के अनुसार आपकी कंपनी ने आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया है।

नागरिक चार्टर

कंपनी ने अपनी संकल्पना, उद्देश्यों, लक्ष्यों, प्रतिबद्धताओं, सेवा शर्तों और विभिन्न हितधारकों के प्रति अपने दायित्वों का स्पष्ट दृश्य प्रदान करते हुए अपना एक नागरिक चार्टर तैयार किया है। कंपनी की योजनाओं, नीतियों, निगम की परियोजना योजनाओं और हितधारकों के सामान्य हित से जुड़े मुद्दों के बारे में संपूर्ण जानकारी इस नागरिक चार्टर में उपलब्ध है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध करना जारी रखा। राजभाषा को बढ़ावा देने और इसके प्रचार–प्रसार के लिए अनेक पहल की गई।

आपकी कंपनी निगम के सभी स्तरों में प्रबंधन के सभी पहलुओं में 'हिंदी' के प्रयोग के संवर्धन को प्रोत्साहन देती रही है तथा अपने संपूर्ण प्रयास करती रही है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने राजभाषा के वर्धित प्रयोग के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण तथा हिंदी कक्षाओं इत्यादि के आयोजन के माध्यम से कार्यसाधक ज्ञान का वर्धन करने, अनुवाद में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, कवि सम्मेलन (कविता सत्र), कविता प्रतियोगिता, हिंदी नाटक तथा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं समारोहों का आयोजन किया जाता है। हिंदी पठन तथा लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और सभी विभागों में हिंदी समाचार पत्रों का परिचालन भी किया जा रहा है। आगे और प्रेरणा प्रदान करने के लिए, कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है जिससे कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए आगे और शिक्षा तथा प्रोत्साहन मिलता है।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए एक अनूठा पुस्तकालय भी बनाया गया है जहां लगभग 14500 पुस्तकें, विभिन्न विषयों पर 53 हिंदी पत्रिकाएं तथा 16 हिंदी समाचार –पत्र पाठकों हेतु उपलब्ध है। हिंदी पुस्तकों की सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

विभिन्न मंचों, जैसे संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा परामर्शदात्री समिति और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) ने राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की है और कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

नैगम छवि बढ़ावा

विद्युत क्षेत्र में उभर रही चुनौतियों का सामना करने के लिए पावरग्रिड लगातार एक सुदृढ़ ब्राण्ड पहचान बनाने पर निवेश कर रही है। आपकी कंपनी की पारदर्शी कार्य संस्कृति नियमित रूप से विश्लेषकों और प्रेस और प्रेस मीट में प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ प्रबंधन के आमने–सामने बातचीत से लाई जाती है।

आपकी कंपनी जनसाधारण के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए प्रचालनात्मक और वित्तीय मोर्चों पर उपलब्धियों, विकास और हाल की घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियां जारी करती है। आपकी कंपनी समय–समय अत्यधिक चुनौतिपूर्ण स्थितियों में अपनी परियोजनाएं निष्पादित करती है और प्रचालन करती है। उपयुक्त और समय पर सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए एक उचित मीडिया प्रबंधन नीति के जरिए उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है जिसने मीडिया के लोगों, आम आदमी, पणधारकों और संपूर्ण देश में निवेशकों की प्रशंसा प्राप्त करने में सहायता की है। स्वच्छ भारत के राष्ट्रीय अभियान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पावरग्रिड ने वर्ष 2016 में 55,000 श्रम घंटे की शपथ लेकर पहल की है। कंपनी ने न केवल यह शपथ ली है बल्कि इस पहल में आम आदमी को शामिल करने के लिए विभिन्न मीडिया अभियान शुरू किए हैं और इस उल्लेखनीय पहल के बारे में जागरूकता लाई है।

कंपनी के मिशन, उद्देश्य और कार्यनीतियों को समझने में कंपनी के सभी कर्मचारियों को सक्षम बनाने में आंतरिक संचार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस उद्देश्य के लिए आपकी कंपनी परिवर्तनों, उपलब्धियों और घटनाओं और प्रबंधन के मत से कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए ई–ट्रांसमिट, वाल–मैगजीन, सीज और नियमित मीडिया अपडेट जैसे कम्यूनिकेशन टूल्स का प्रयोग करती है और इनमें भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्लेटफार्म उपलब्ध करा रही है और पावरग्रिड के साथ जुड़ने में गर्व महसूस करती है। आंतरिक संचार कर्मचारियों के उत्साह को बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है।

इन्नोप्रोम–2016 में पावरग्रिड स्टाल में रूस के माननीय प्रधानमंत्री श्री दिमित्री मेदवेदेव

दर्शकों को लक्षित करते हुए संवर्धित मीडिया के जरिए निगम के प्रमुख संदेश को प्रभावी ढंग से सुपुर्द करने की दृष्टि से आपकी कंपनी ने निगम ब्रांड प्रयोजन के लिए कम्युनिकेशन इक्विटिज के अंतर्वेशन से सभी मीडिया के साथ अपने संबंध सुदृढ़ किए हैं। अग्रणी राष्ट्रीय मीडिया हाउसों ने संचार प्रबंधन के नए तंत्र की सराहना की है।

ग्रिडटेक, 2015– अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन

पावरग्रिड ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता से और सीबीआईपी तथा आईईईएमए के सहयोग से दिनांक 8–10 अप्रैल, 2015 तक 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन–ग्रिडटेक 2015'' आयोजित की जिसका उद्घाटन माननीय विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने किया। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, उभरते रुख, स्मार्ट ग्रिड पर ध्यान केंद्रित करते हुए दो समानांतर सम्मेलनों में 75 से अधिक तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए गए। 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और 70 राष्ट्रीय विनिर्माताओं ने विभिन्न नई प्रौद्योगिकी उत्पाद प्रदर्शित किए। थीम पैवेलियन पावरग्रिड द्वारा स्थापित किया गया और स्टूडेंट पैवेलियन ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और प्रसिद्ध व्यक्तियों और दर्शकों ने इसका विशेष उल्लेख किया।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को संवर्धित करने के उद्देश्य से 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के समनुरूप आपकी संपूर्ण कंपनी में एक समुचित प्रक्रम स्थापित किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने कारपोरेट कार्यालय में तथा देश भर में क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सीपीआईओ/अपील प्राधिकारी नामित किए हैं।

पारदर्शिता तथा सतर्कता कार्य के प्रति प्रतिबद्धता

आपकी कंपनी अपने प्रबंधन कार्यकरण में अभिशासन, पारदर्शिता और सिद्धांतों का समर्थन करती है। सतर्कता विभाग प्रबंधन के अनुरूप कार्य करता है ताकि ये संगठन के दिन–प्रतिदिन के कार्यकरण में शामिल हो सके।

निवारक पहलुओं पर बल

कंपनी मुख्य रूप से निवारक सतर्कता पर बल देती है। इसलिए यह इस बात पर बल देती है कि व्यवस्था सही है अथवा प्रणालियों की सही किस्म विद्यमान है अथवा इसे पुन: तैयार किए जाने की आवश्यकता है। समर्पित व्यावसायिकों के एक दल फाइलों का वास्तविक कार्य और संवीक्षा सहित चालू कार्यकलापों की

जांच और स्पेक्ट्रम के लिए विभिन्न आंतरिक पद्धतियां जैसे प्रोसेस (ऑनलाइन) निरीक्षण, औचक निरीक्षण, सीटीई टाइप निरीक्षण किए जाते हैं। जांच के दौरान यदि कोई कमी/चूक पाई जाती है तो सुधार हेतु प्रबंधन के ध्यान में लाई जाती है। वर्ष 2015–16 के दौरान 55 औचक निरीक्षण और 66 प्रोसेस ऑनलाइन निरीक्षण/सीटीई टाइप निरीक्षण किए गए और जहां आवश्यक हुआ पर्याप्त लागत क्षतिपूर्ति भी की गई है।

सतत प्रक्रिया के रूप में प्रणाली सुधार

इस समय आपकी कंपनी विकास के गतिशील चरण से गुजर रही है क्योंकि कई परियोजनाएं/कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं। इसलिए कार्य आवश्यकताओं को व्यवस्थित रखने के लिए सुदृढ़ प्रणाली एवं प्रक्रियाएं बनाई जा रही हैं। इस प्रकार का एक प्रयास इस अवधि के दौरान निगम की कार्य एवं प्रापण नीति और

सतर्कता पत्रिका का विमोचन

प्रक्रिया मैनुअल को अद्यतन करना है। इसके अतिरिक्त प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे निर्माण कार्यकलाप, भर्ती प्रक्रिया, छुपे हुए कार्यों की फोटोग्राफी आदि के संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा महत्वपूर्ण प्रणाली सुधार सुझाव (40) कार्यान्वित किए गए हैं। चूंकि प्रणाली सुधार एक सतत् प्रक्रिया है इसलिए उनकी निगरानी रखने के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की एक संचालन समिति बनाई गई है।

निवारक सतर्कता/आरटीआई कार्यशाला

सकारात्मक उपाय के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को परियोजना के सही निष्पादन के लिए कंपनी सीटीए नियमावली और विभिन्न निवारक उपायों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के दौरान केंद्रीय कार्यालय में तथा क्षेत्रों में क्रमशः 613 और 235 कर्मचारियों के लिए 21 निवारक कार्यशालाएं और 06 आरटीआई कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

नैतिकता और मूल्यों पर कार्यशाला

इस वर्ष लगभग 70 कर्मचारियों के लिए क्षेत्रीय सतर्कता विभाग के साथ–साथ केंद्रीय कार्यालय द्वारा नैतिकता और मूल्यों पर 03 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। मूल्य आधारित नैतिक निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तर के कार्यपालकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

एसएमएस आधारित चौकसी प्रणाली: सीटीए नियमावली के साथ–साथ अन्य सतर्कता कार्यकलापों के बारे में सभी कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से बल्क एसएमएस भेजे गए हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2015: आपकी कंपनी में 26 अक्तूबर से 30 अक्तूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवधि के दौरान इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के थीम अर्थात निवारक सतर्कता–अच्छे अभिशासन की एक युक्ति के अनुरूप विभिन्न कार्यकलाप जैसे निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, वाद–विवाद आदि आयोजित किए गए।

भागीदारी सतर्कता के एक उपाय के रूप में विभिन्न इंटर कालेज और इंटर स्कूल वाद–विवाद प्रतियोगिताएं और पैनल विचार–विमर्श आयोजित किया गया जिनमें स्कूलों और कालेजों की 116 टीमों ने भाग लिया था और प्रतियोगिताओं में 5386 छात्रों ने भाग लिया था। 2100 भागीदारों के लिए 8 स्कूलों द्वारा निवारक सतर्कता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रोडशो भी आयोजित किए गए। इस सप्ताह के दौरान सतर्कता आंतरिक पत्रिका "कैंडोर" प्रकाशित की गई और इसका विमोचन श्री बलविन्द सिंह, पूर्व विशेष निदेशक (सीबीआई) द्वारा किया गया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि जेएनयू नई दिल्ली के सेवानिवृत्त प्रो. डॉ. अरुण कुमार थे।

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम 'आज सवेरा' में दिनांक 29.10.2015 को प्रातः 8.00 से 8.30 बजे तक डीडी नेशनल पर पावरग्रिड सतर्कता संबंधी फिल्म प्रदर्शित की गई थी और केंद्रीय कार्यालय में आयोजित विभिन्न समारोहों के दौरान भी दिखाई गई।

पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन

एक उत्तरदायी निगमित निकाय होने के नाते पावरग्रिड शुरूआत से प्रचालन चरण तक अपने कार्यकलापों के क्षेत्रों में सदैव पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रयास करता है। इसने 1998 में एक विस्तृत पर्यावरणात्मक और सामाजिक नीति एवं प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) विकसित की है और संभव पर्यावरणात्मक और सामाजिक मुद्दों के लिए उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप इसका दो बार उन्नयन किया गया है। विश्व बैंक द्वारा इसकी यूज ऑफ कंट्री सिस्टम (यूसीएस) के अंतर्गत ईएसपीपी को स्वीकृत किया गया है और विभिन्न बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा इसकी काफी सराहना की गई है।

भारतीय विद्युत क्षेत्र में धारणीयता रिपोर्टिंग के क्षेत्र में अग्रणी पावरग्रिड ने सितंबर, 2015 में अपनी तीसरी द्विवार्षिक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित की है। सतत सुधारों के सिद्धांतों का पालन करते हुए यह रिपोर्ट आंतरिक और बाह्य पणधारकों के मतों को शामिल करते हुए बेहतर और विस्तृत प्रकटीकरण के रूप में अधिक पारदर्शिता लाई है। यह रिपोर्ट विशेष महत्व रखती है क्योंकि निष्पादन सूचकों के कई प्रकटीकरण 39 से बढ़कर 96 हो गए हैं। इससे उच्चतम संभव ए+ रेटिंग भी प्राप्त कर ली है। यह रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई–जी3) दिशा निर्देशों पर आधारित प्रत्ययन आश्वासन प्रदाता मैसर्स इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बाह्य रूप से आश्वस्त है। इसमें इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज सप्लीमेंट (ईयूएसएस) और अंतर्राष्ट्रीय मानक जैसे जवाबदेही, यूके मानक एए 1000 एपीएस (2008) एए 1000 एसईएस (2011) शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपकी कंपनी ने धारणीय विकास के उद्देश्य और अपनी कारोबार प्रक्रियाओं से संबद्ध ऋणात्मक बाह्यताओं के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इस संबंध में प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

- मूल्यवान मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) का संरक्षण करने के लिए विशेष डिजाइन, विभिन्न प्रौद्योगिकीय पहलों के जरिए मौजूदा लाइनों की वहन क्षमता बढ़ाना।
- वर्षा जल संचय को उप केंद्र डिजाइन का प्रमुख भाग बनाया गया।
- उप केंद्रों में एलईडी बल्ब और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना।
- डीजी सैट आदि के लिए फ्यूल कैटालिस्ट उपकरण।

इसके अतिरिक्त अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता के भाग को पूरा करने के लिए अपने गुड़गांव ऑफिस काम्प्लैक्स में 50 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी सिस्टम लगाया गया है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी। पावरग्रिड प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत के प्रति पूर्णतः जागरूक है और वनों, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों से रूट अलाइमेंट के इष्टतमीकरण के जरिए जहां तक संभव है, वन्य अभयारण्यों/राष्ट्रीय पार्कों/बायोस्फीयर रिजर्व और तटीय विनियम जोन क्षेत्रों को बचाता है। पावरग्रिड ने क्रमशः 765 केवी एस/सी इंदौर वडोदरा लाइन और 765 डी/सी धर्मजयगढ़–जबलपुर लाइन के निर्माण के लिए लाइनों की लंबाई बढ़ाकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्यों और अचनाकमर–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व को बचाया। बचने के सिद्धांत का पालन करके वन भूमि का शामिल करने में 1998 में 6 प्रतिशत से 2015 में 2.8 प्रतिशत तक प्रगामी रूप से कमी की गई है। तथापि उन कुछ मामलों में जिनमें वन भूमि शामिल करना अपरिहार्य हो जाता है, लागू एनपीवी तथा प्रतिपूर्ति वनारोपण (सीए) की लागत का भुगतान करने सहित अधिनियम से संबद्ध मानदण्डों/विनियमों का पालन करते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिदेशित वन स्वीकृति प्राप्त की जाती है। वित्त वर्ष 2015–16 में कुल 30 वन स्वीकृतियां प्राप्त की गईं जिनमें लगभग 1000 हैक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन शामिल है।

नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व

नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एक पारदर्शी तथा नैतिक स्वरूप के आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय सम्पोषणीय तरीके से व्यवसाय का संचालन करने के लिए अपने पणधारकों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। यह प्रमुखतः अपने प्रचालन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समाज के सीमांतीकृत और अल्पसुविधा प्राप्त वर्गों के विकास के लिए समावेशी सामाजिक–आर्थिक संवृद्धि पर संकेंद्रण करती है। इस दृष्टिकोण के साथ, आपकी कंपनी ग्रामीण विकास/अवसंरचना विकास, आजीविका सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वृक्षारोपण, पर्यावरण राष्ट्रीय आपदाओं

इत्यादि के दौरान राहत/बहाली पर जोर के साथ विभिन्न सीएसआर क्रियाकलापों का संचालन करती है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने देश के कई राज्यों में लगभग 4250 सरकारी स्कूलों में लगभग 9500 शौचालयों का निर्माण करके 'स्वच्छ भारत अभियान' में भाग लिया।

परियोजनाएं जैसे एम्स ट्रॉमा सेंटर, नई दिल्ली में 10 मंजिला 325 बिस्तरों वाली धर्मशाला का निर्माण के जरिए करनूल (आंध्र प्रदेश) और कुडगी (कर्नाटक) में 10000 हैक्टेयर भूमि पर कृषक केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन तथा के जरिए ग्रामीण आजीविका में सुधार भी कार्यान्वयनाधीन है।

प्रशंसा एवं पुरस्कार

आपकी कंपनी के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन को भारत सरकार तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थाओं द्वारा समय–समय पर विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न अवार्डों/पुरस्कारों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

कार्यान्वयनाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुरस्कार अवार्ड प्राप्त हुए हैं :

बड़े पैमाने पर सर्विस यूटिलिटी श्रेणी के अंतर्गत बीआईएस द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए **विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में स्वर्ण पदक 'राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार'**

केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) द्वारा '**सर्वोत्तम पारेषण यूटिलिटी के लिए सीबीआईपी पुरस्कार'**

श्री पीयूष गोयल माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान मंत्रालय द्वारा पावरग्रिड को इकनॉमिक्स टाइम्स फोकस एनुअल समिट में सम्मानित करते हुए

विद्युत पारेषण एवं वितरण श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत 'डन एंड ब्रेडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड 2015' विद्युत पारेषण श्रेणी के अंतर्गत **'डन एंड ब्रेडस्ट्रीट इंफ्रा अवार्ड 2015'**

नवरत्न (पीएसयू) श्रेणी में इंडिया टूडे से **'मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी'** और **'बेस्ट परफारमिंग कंपनी' पुरस्कार**

विद्युत क्षेत्र में सराहनीय पहलों और उत्कृष्ट योगदान के लिए 'द इकोनोमिक टाइम्स पावर फोकस थर्ड **एनुअल समिट' में 'अभिनंदन'।**

दैनिक भास्कर द्वारा ऊर्जा और विद्युत में उत्कृष्टता की श्रेणी में **'इंडिया प्राइड अवार्ड 2014–15'**

ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट एसेसमेंट (जीआरआईएचए) के अंतर्गत बैंगलुरू स्थित पावरग्रिड क्षेत्रीय मुख्यालय बिल्डिंग को **ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार** दिया गया।

भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र द्वारा 'राजभाषा नवरत्न पुरस्कार, 2015–16'

वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा **'मोस्ट इन्नोवेटिव यूज ऑफ ट्रेनिंग एंड डवलपमेंट एज एन एचआर इनिसिएटिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन डवलपमेंट'** पुरस्कार पांचवें वार्षिक ग्रीनटेक एचआर अवार्ड 2015 में

प्रशिक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए **'ट्रेनिंग एक्सीलेंस इन एचआर –सिल्वर अवार्ड'**

वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा **'ट्रेनिंग एक्सिलेंस अवार्ड'** और **'नोलेज मैनेजमेंट लीडरशिप अवार्ड'**

लगातार दूसरे वर्ष के लिए **'फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिक यूटिलिटी इन एशिया'** तथा विश्व में **'प्लैट्स टॉप 50 फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी कंपनीज 2015'** में एक मात्र भारतीय पीएसयू।

एशिया के संस्थागत निवेशक सर्वे में **'एशियाज बेस्ट एनालिस्ट डेज'** की श्रेणी के अंतर्गत चुनी गई 49 कंपनियों की सूची में तीसरे स्थान पर रही।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

निदेशकों की रिपोर्ट में मुद्दों के अतिरिक्त कुछ मुद्दे प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण संबंधी रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए हैं और अनुबंध–I में दिए गए हैं।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(2) के अंतर्गत निर्धारित व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट अनुबंध–II में दी गई है और वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गम

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ड) के अंतर्गत प्रकटन की अपेक्षाओं के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बहिर्गम से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध–III में दिए गए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत कंपनी को 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से 'शून्य टिप्पणियां प्राप्त हुई है। उसकी प्रति इस रिपोर्ट के अनुबंध–IV में संलग्न है।

निगमित अभिशासन

प्रमाण पत्र सहित इस रिपोर्ट के भाग के रूप में निगमित अभिशासन (अनुबंध–VII) तथा इसाप रिपोर्ट अनुबंध–VIII में दी गई है।

आपकी कंपनी को मैसर्स चंद्रशेखरन एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए की गई सचिवालयी अनुपालन लेखापरीक्षा प्राप्त हो गई है। उनकी रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में है अनुबंध–V।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(x) तथा 134(5) के अंतर्गत अपेक्षितानुसार आपके निदेशक निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री प्रस्थानों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

(ख) निदेशकों ने इसी प्रकार की लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उनको निरंतर लागू किया था और निर्णय लिए थे और अनुमान लगाया है कि वे औचित्यपूर्ण है और विवेकपूर्ण है ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों को और उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ सच्चा और निष्पक्ष मत देता है;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने और धोखे और अन्य अनियमितताओं के निवारण और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा था;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू संबंध आधार पर तैयार किए थे;

(ङ.) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु निर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पालन किया था और इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से प्रचालनरत थे; और

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थी और इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त और प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत थी।

कंपनी बोर्ड

वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के संघटन में कुछ परिवर्तन हुए। वर्ष के दौरान श्री आई.एस. झा, निदेशक (परियोजनाएं) ने दिनांक 01 अक्तूबर, 2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया और दिनांक 10 नवंबर, 2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक का नियमित कार्यभार ग्रहण किया। अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री आर.एन. नायक ने 30 सितम्बर, 2015 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद छोड़ा। बोर्ड पावरग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्री आर.एन. नायक द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए मूल्यवान योगदान, निर्णय लेने की प्रक्रिया और कंपनी के कार्यों में समर्थन और सलाह के लिए उनके प्रति अपनी हार्दिक सराहना और आभार प्रकट करता है।

श्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल को दिनांक 17 नवंबर, 2015 से गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री आर.के. गुप्ता, श्री ए.के. मित्तल, श्री आर. कृष्णामूर्ति, डॉ. के. रामालिंगम और श्री महेश शाह गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) दिनांक 16 जनवरी, 2016 से कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहे।

कंपनी की अंतर नियमावली के अनुच्छेद 31 (पपप) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के उपबंधों के अनुसार डॉ. प्रदीप कुमार और श्रीमति ज्योति अरोरा, निदेशक आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होते हुए उन्होंने स्वयं की पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव किया है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड/समिति की बैठकों की संख्या के ब्यौरे निगम अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट का भाग है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने 'स्वतंत्र निदेशक' का पद धारण करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं पूर्ण की हैं तथा धारा 149 (7) के तहत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हो गई है।

निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के तहत निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन की आवश्यकता को कंपनी कार्य मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों के लिए समाप्त कर दिया गया है। स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी पृथक बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV के तहत उन्हें समुदेशित कार्य की समीक्षा की है।

इसके अतिरिक्त, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा प्रकार्यात्मक निदेशक को प्रदत्त परिलब्धियां भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुसार हैं। स्वतंत्र निदेशकों को केवल भाग ली गई प्रत्येक बोर्ड/समिति बैठक के लिए उपस्थिति शुल्क ही दिया जाता है। पावरग्रिड प्रत्येक वर्ष विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन करता है जिसमें कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय और गैर–वित्तीय प्राचलों पर किया जाता है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षा व्यवसायरत कंपनी सचिव, चंद्रशेखरन एण्ड एसोसिएट्स ने किया है। अनुबंध–V पर यह रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है। सचिवालयी लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निम्न टिप्पणियां की हैं:

"समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्न अवलोकनों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों मानकों इत्यादि के उपबंधों का सामान्यतः अनुपालन किया है:

1. कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के संबंध में सेबी (सूचीयन बाध्यता प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधान का पालन नहीं किया है।
2. कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के गठन के संबंध में सेबी (सूचीयन बाध्यता प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 177 के प्रावधान का पालन नहीं किया है।
3. कंपनी ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में सेबी (सूचीयन बाध्यता प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 178 के प्रावधान का पालन नहीं किया है।
4. कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रभारों के सृजन संबंधी कतिपय ई–प्रपत्र दायर नहीं किए हैं जहाँ उधारदाताओं का स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है जोकि अनिवार्य है।"

इसके अतिरिक्त, सचिवालयी लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकन पर बोर्ड द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अर्थ के अंतर्गत पावरग्रिड के एक सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में विहित है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी में केवल एक स्वतंत्र निदेशक थे और इस प्रकार कंपनी सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 177 तथा 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी। कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की छह रिक्तियों को भरने के लिए यह मामला पहले ही प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया जा चुका है।
2. एमसीए–21 में प्रभारों से संबंधित कतिपय ई–प्रपत्र पावरग्रिड दायर नहीं कर सकी जिनमें उधारदाता बहुपक्षीय अभिकरण–विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा आईएफसी है क्योंकि इन अभिकरणों के पैन उपलब्ध नहीं थे। एमसीए–21 में ई–फाइलिंग के तहत पैन भरना अनिवार्य है।

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (क) के अनुसरण में एमजीटी–9 में निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रिपोर्ट का उद्धरण इस रिपोर्ट के अनुबंध–VI के रूप में दिया गया है।

बोर्ड की समितियां

कंपनी में लेखापरीक्षा समिति, पणधारक संबंध समिति तथा अन्य समितियां हैं। समितियों का संघटन और कार्य क्षेत्र, निगम अभिशासन संबंधी रिपोर्ट में दिया गया है। निगम अभिशासन संबंधी रिपोर्ट (अनुबंध–VII), जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, एवं उस पर प्रमाण पत्र रिपोर्ट में अनुबंध–VIII पर है।

जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम के प्रमुख तत्वों सहित कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का विकास और क्रियान्वयन निर्दिष्ट करने वाला विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध–I में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए संयुक्त

सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स एस.के. मित्तल एण्ड कंपनी, मैसर्स आर. जी.एन. प्राईस एण्ड कंपनी, मैसर्स कोठारी एण्ड कंपनी एवं मैसर्स परख एण्ड कंपनी की नियुक्ति की गई थी।

कंपनी के लागत लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स के.जी. गोयल एण्ड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार और मैसर्स आर. एम. बंसल एण्ड कंपनी को लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लागत लेखा परीक्षा को निर्धारित तारीख तथा 27 सितम्बर, 2013 से पूर्व लागत लेखा परीक्षा शाखा, कंपनी कार्य मंत्रालय के पास दर्ज की जाएगी।

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार विशेषकर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कारपोरेट मामले मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अपीलीय अधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नीति आयोग, लोक उद्यम विभाग, क्षेत्रीय विद्युत समितियों और केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों के साथ–साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड, मुंबई से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है जिनके सक्रिय सहयोग के बिना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कारपोरेशन द्वारा हासिल उपलब्धियों को प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं होता।

निदेशक मंडल अपने मूल्यवान ग्राहकों, राज्य सरकारों और राज्य विद्युत संगठनों और अन्य ग्राहकों, जिन्होंने कई परामर्शी सेवा आधार पर विभिन्न कार्य दिए और उन्हें निपटाने के लिए कंपनी की दक्षता पर विश्वास व्यक्त किया, की भी विशेष सराहना करता है और उन्हें धन्यवाद देता है। निदेशक मंडल कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए संविदाकारों, विक्रेताओं और परामर्शदाताओं की भी सराहना करता है।

निदेशकगण समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों और मार्गदर्शन को भी अभिस्वीकृत करते हैं। निदेशक मंडल विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं (विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक) बैंकों/राष्ट्रीय (सीएआरई, आईसीआरए एवं क्रिसिल) और अंतर्राष्ट्रीय (स्टैंडर्ड एण्ड पुअर एण्ड फिच रेटिंग्स) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भी उनकी सहायता, पावरग्रिड में उनके द्वारा व्यक्त निरंतर आस्था और विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है।

मैं निदेशक मंडल की ओर से वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी की उपलब्धियों में पावरग्रिड परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सेवाओं तथा समर्पित प्रयासों की हार्दिक सराहना करता हूँ। मैं कार्यपालक दल को भी उनकी सुदृढ़ नेतृत्वशीलता के लिए, विभिन्न कर्मचारी संघों को उनके सहयोग के लिए तथा हमारे सभी कर्मचारियों को विश्व का अग्रणी पारेषण नेटवर्क संगठन बनने के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आई.एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08.08.2016

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध–I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

आर्थिक दृष्टिकोण

राजकोषीय वर्ष 2016 में भारतीय अर्थव्यवस्था गति से उभरी है और अगले पाँच वर्षों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। प्रतिकूल बाह्य परिवेश के बावजूद अच्छी ग्रामीण खपत और सार्वजनिक निवेश ने विकास को बढ़ावा दिया है। 2015–16 के दौरान भारत की जीडीपी पिछले वर्ष 7.2 प्रतिशत की तुलना में 7.6 प्रतिशत रही। देश में विद्युत की मांग तेजी से बढ़ी है और आगामी वर्षों में इसके और बढ़ने की संभावना है। देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संस्थापित उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि अपेक्षित है। वर्ष 2015–16 के दौरान विद्युत उत्पादन 1,107.385 बीयू है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है।

क्षेत्रीय दृष्टिकोण

12वीं योजना अवधि अर्थात् 2012–17 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि 88,537 मेगावाट अनुमानित है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र में 26,182 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 15,530 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 46,825 मेगावाट शामिल है। 12वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का सार नीचे दिया गया है:

(मेगावाट)

किस्म/क्षेत्र	केंद्र	राज्य	निजी	कुल
ताप	14,878.00	13,922.00	43,540.00	**72,340.00**
जलविद्युत	6,004.00	1,608.00	3,285.00	**10,897.00**
नाभिकीय	5,300.00	0.00	0.00	**5,300.00**
कुल	**26,182.00**	**15,530.00**	**46,825.00**	**88,537.00**

स्रोत: सीईए वेबसाइट: www.cea.nic.in

88,537 मेगावाट के उपरोक्त लक्ष्य के लिए मार्च, 2016 तक लगभग 85,000 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है, जो 12वीं योजना में परिकल्पित लक्ष्य का लगभग 96 प्रतिशत बैठता है। इस अवधि के दौरान केंद्र, राज्यों और निजी क्षेत्र द्वारा प्राप्त किए गए व्यक्तिगत लक्ष्य क्रमश: 61.65 प्रतिशत, 124.22 प्रतिशत और 105.84 प्रतिशत हैं। 12वीं योजना के दौरान मार्च, 2016 तक उपलब्धि निम्नानुसार है:

किस्म/क्षेत्र	केंद्र	राज्य	निजी	कुल
ताप	12,638.10	18,579.10	48,962.50	**80,179.70**
जलविद्युत	2,504.02	712.00	595.00	**3,811.02**
नाभिकीय	1,000.00	0.00	0.00	**1,000.00**
कुल	**16,142.12**	**19,291.10**	**49,557.50**	**84,990.72**
उपलब्धि प्रतिशत	**61.65**	**124.22**	**105.84**	**95.99**

स्रोत: सीईए वेबसाइट: www.cea.nic.in

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान क्षमता जोड़ने के लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैं:

वर्ष 2015–16 के दौरान उत्पादन क्षमता में वृद्धि 23,976.6 मेगावाट थी जबकि लक्ष्य 16,894.1 मेगावाट था। वर्ष 2015–16 के दौरान जोड़े गए 23,976.6 मेगावाट में से तापीय क्षेत्र का अंशदान उल्लेखनीय था अर्थात् 22,460.6 मेगावाट (कुल का 93.68 प्रतिशत), जल विद्युत क्षेत्र 1516 मेगावाट था।

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार अखिल भारत संस्थापित (मेगावाट) (क्षेत्रवार) निम्नानुसार है:

क्षेत्र	ताप विद्युत				नाभिकीय	जल विद्युत	आरईएस	कुल जोड़
	कोयला	गैस	डीजल	कुल				
केंद्र	51,390.00	7,555.33	0.00	58,945.33	5,780	11,571.42	0.00	76,296.75
राज्य	64,320.50	6,975.30	438.57	71,734.37	0.00	28,092.00	1,934.22	1,01,760.59
निजी	69,462.38	9,978.00	554.96	79,995.34	0.00	3,120.00	36,887.29	1,20,002.63
अखिल भारत	**1,85,172.88**	**24,508.63**	**993.53**	**2,10,675.04**	**5,780.00**	**42,783.42**	**38,821.51**	**2,98,059.97**

स्रोत: सीईए वेबसाइट: www.cea.nic.in

2015–16 के दौरान विद्युत उत्पादन

2014–15 के दौरान देश में समग्र उत्पादन 1048.673 बीयू से वर्ष 2015–16 के दौरान बढ़कर 1107.386 बीयू हो गया है। श्रेणीवार उत्पादन निष्पादन निम्नानुसार हैः

ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि	7.45%
जल विद्युत	6.09%
नाभिकीय	3.63%
भूटान से आयात में वृद्धि	4.72%
रिकॉर्डेड समग्र वृद्धि दर	**5.64%**

2015–16 के लिए विद्युत उत्पादन (एमयू) का लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार दी गई हैः

क्षेत्र	अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016		प्रतिशत उपलब्धि
	लक्ष्य	उपलब्धि	
ताप			
केंद्रीय क्षेत्र	3,19,878.00	3,15,075.33	98.50
राज्य क्षेत्र	3,35,320.00	2,91,758.65	87.01
निजी आईपीपी क्षेत्र	2,90,273.00	3,15,608.62	108.73
निजी यूटीएल क्षेत्र	21,229.00	20,964.82	98.76
कुल	**9,66,700.00**	**9,43,407.42**	**97.59**
जल विद्युत			
केंद्रीय क्षेत्र	48,925.00	56,695.85	115.88
राज्य क्षेत्र	66,505.00	53,123.60	79.88
निजी आईपीपी क्षेत्र	11,120.00	10,424.20	93.74
निजी यूटीएल क्षेत्र	1,450.00	1,097.51	75.69
कुल	**1,28,000.00**	**1,21,341.16**	**94.80**
नाभिकीय			
केंद्रीय क्षेत्र	38,000.00	37,392.47	98.40
कुल	**38,000.00**	**37,392.47**	**98.40**
भूटान आयात	**4,800.00**	**5,244.74**	**109.27**
सकल योग	**11,37,500.00**	**11,07,385.79**	**97.35**

स्रोतः सीईए वेबसाइटः www.cea.nic.in

पारेषण क्षेत्रः

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 28,114 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें और 62,849 एमवीए अंतरण क्षमता जोड़ी गई जो 2015–16 के लिए निर्धारित 23,712 सर्किट किलोमीटर के वार्षिक लक्ष्य का 118.56 प्रतिशत और 50,542 एमवीए के लक्ष्य का लगभग 124 प्रतिशत है। इसमें एक 800 केवी एचवीडीसी लाइन 19 नं. 765 केवी लाइनें और 66 नं. 400 केवी लाइनें शामिल हैं। इन पारेषण लाइनों के चालू होने से देश में विद्युत अंतरण की अंतर–राज्य तथा अंतरा–राज्य क्षमता काफी बढ़ गई है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार पारेषण क्षेत्र की वृद्धि निम्नानुसार हैः

वोल्टेज स्तर/क्षेत्र	अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016			
	पारेषण लाइन (आंकड़े सीकेएम में)		सब–स्टेशन (आंकड़े एमवीए में)	
	कार्यक्रम	उपलब्धि	कार्यक्रम	उपलब्धि
+ 800 केवी				
केंद्रीय क्षेत्र	0	3,506	1,500	1,500
राज्य क्षेत्र	0	0	0	0
जेवी/निजी क्षेत्र	-	-	0	0
कुल	**0**	**3,506**	**1,500**	**1,500**
765 केवी				
केंद्रीय क्षेत्र	4,204	4,324	16,500	18,000
राज्य क्षेत्र	0	0	1,500	1,500
जेवी/निजी क्षेत्र	1,257	1,277	0	0
कुल	**5,461**	**5601**	**18,000**	**19,500**
400 केवी				
केंद्रीय क्षेत्र	3,943	6,009	7,830	5,560
राज्य क्षेत्र	3,759	4,047	11,560	9,855
जेवी/निजी क्षेत्र	1,466	1,125	0	1,630
कुल	**9,168**	**11,181**	**19,390**	**17,045**

वोल्टेज स्तर/क्षेत्र	अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016			
	पारेषण लाइन (आंकड़े सीकेएम में)		सब–स्टेशन (आंकड़े एमवीए में)	
	कार्यक्रम	उपलब्धि	कार्यक्रम	उपलब्धि
उत्तरी	867	399	0	870
पश्चिमी	8,216	7,427	11,652	23,934
दक्षिणी	0	0	0	0
पूर्वी	**9,083**	**7,826**	**11,652**	**24,804**
उत्तर–पूर्वी	**23,712**	**28,114**	**50,542**	**62,849**

स्रोत: सीईए वेबसाइट: www.cea.nic.in

2015–16 के दौरान अखिल भारत वास्तविक विद्युत आपूर्ति

वर्ष 2015–16 के दौरान कुल एक्स–बस ऊर्जा उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 5.8 प्रतिशत बढ़ गई और व्यस्ततम पूर्ति 5.2 प्रतिशत बढ़ गई। ऊर्जा मांग में 8.7 प्रतिशत की प्रक्षेपित वृद्धि की तुलना में वर्ष के दौरान 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और व्यस्ततम मांग 5.9 प्रतिशत की प्रक्षेपित मांग की तुलना में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिला कर ऊर्जा और व्यस्ततम उपलब्धता की दृष्टि से देश में विद्यमान कमी की स्थितियां नीचे दी गई हैं :

	ऊर्जा (एमयू)	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)
आवश्यकता	11,14,408	1,53,366
उपलब्धता	10,90,851	1,48,463
कमी	-23,557	-4,903
(प्रतिशत)	-2.1	-3.2

स्रोत: सीईए वेबसाइट: www.cea.nic.in

ऊर्जा और व्यस्ततम की दृष्टि से वर्ष 2015–16 के दौरान देश में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति के संबंध में क्षेत्रवार चित्र नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम मांग			
	आवश्यकता	उपलब्धता	आधिक्य/कमी(–)		मांग	पूर्ति	आधिक्य/कमी (–)	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
उत्तरी	3,40,475	3,24,009	-16,466	-4.8	54,474	50,622	-3,852	-7.0
पश्चिमी	3,46,767	3,45,967	-800	-0.2	48,640	48,199	-441	-0.9
दक्षिणी	2,88,025	2,83,494	-4,531	-1.6	40,030	39,875	-155	-0.4
पूर्वी	1,24,653	1,23,646	-1,007	-0.8	18,169	18,056	-113	-0.6
उत्तर–पूर्वी	14,488	13,735	-753	-5.2	2,573	2,367	-206	-8.0

स्रोत: सीईए वेबसाइट - www.cea.nic.in

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अखिल भारत ग्रामीण विद्युतीकरण निम्नानुसार है:

गाँवों की कुल संख्या	31.03.2016 की स्थिति अनुसार विद्युतीकृत गाँव (सं.)	विद्युतीकृत गाँवों का प्रतिशत
5,97,464	5,86,065	98.10

स्रोत: सीईए वेबसाइट - www.cea.nic.in

पावरग्रिड – देश की केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी' और एक 'नवरत्न' सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

पावरग्रिड देश की केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) और एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जो अंतर–राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रचालन और अनुरक्षण तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों के प्रचालन के दायित्व से विद्युत पारेषण करोबार में लगा हुआ है। पावरग्रिड ईएचवी एसी तथा एचवीडीसी उप केंद्रों के साथ संपूर्ण देश में फैली अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनों का स्वामित्व और प्रचालन करता है। इसका विस्तृत पारेषण नेटवर्क देश में उत्पादित कुल विद्युत का लगभग 45 प्रतिशत का वील करता है। अत्याधुनिक प्रचालन और अनुरक्षण तकनीकों के नियोजन के जरिए इस विस्तृत पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता निरंतर 99 प्रतिशत से अधिक पर बनाए रखी जा रही है। पावरग्रिड ने देश में राष्ट्रीय ग्रिड विकसित किया है जो इसके सभी पाँच इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्टेड क्षेत्रों के साथ विश्व के सबसे बड़े सिंक्रोन्स प्रचालनरत इलेक्ट्रिकल ग्रिडों में से एक है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार पावरग्रिड:

- पावरग्रिड पारेषण नेटवर्क के स्वामित्व तथा प्रचालनाधीन 1,29,354 सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों का पारेषण नेटवर्क 2,54,848 एमवीए की कुल रूपांतरण क्षमता वाले 207 ईएचवीएसी और उच्च वोल्टेज प्रत्यक्ष करंट (एचवीडीसी) उप केंद्र हैं।
- इसने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पारेषण प्रणाली उपलब्धता 99.72 प्रतिशत बनाए रखी है।

सुदृढ़ और विश्वसनीय राष्ट्रीय ग्रिड के लिए पावरग्रिड की प्रतिबद्धता

आपकी कंपनी ने 13,717 सर्किट किलोमीटर पारेषण नेटवर्क और 23,139 एमवीए की अंतरण क्षमता के साथ 15 उप केंद्र जोड़े हैं। मार्च, 2016 तक लगभग 59,650 मेगावाट अंतःक्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमताओं का राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित किया गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन में पावरग्रिड का लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्नानुसार रही है:

निर्माण कार्य	लक्ष्य (उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग के लिए)	उपलब्धि
फाउंडेशन (संख्या)	12,000	12,036
टावर निर्माण (संख्या)	15,000	15,554
स्ट्रिंगिंग (सर्किट किलोमीटर)	8,500	11,114
कमीशनिंग के लिए तैयार पारेषण लाइनें (सीटब्ल्यू–सर्किट किलोमीटर में)	11,200	14,970
रूपांतरण क्षमता/कमीशनिंग के लिए तैयार (एमवीए)	27,500	27,845
अंतःक्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता वर्द्धन/कमीशनिंग के लिए तैयार	5,800	13,200

वित्तीय समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के साथ वास्तविक की तुलना नीचे दी गई है:

(रुपये करोड़ में)

समझौता ज्ञापन प्राचल	वास्तविक 2015–16	एमओयू 2015–16 (उत्कृष्ट)
बिक्री कारोबार (करोड़ रुपये में)	20,802	20,200
सकल प्रचालन मार्जिन (करोड़ रुपये में)	18,329	17,396
पीएटी/निवल मूल्य (प्रतिशत)	14.15	12.33
पीएटी प्रति कर्मचारी (लाख रुपये में)	68.07	56.58

अंतर–राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के निर्माण और प्रचालन एवं अनुरक्षण में प्रमुख कठिनाइयां/सामना की गई चुनौतियां और उनका शमन करना:

तीव्र शहरीकरण, आबादी घनत्व में वृद्धि, वासस्थलों तथा अवसंरचना की विकास आदि से पिछली कुछ अवधि में अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए उपयोग करने योग्य भूमि की उपलब्धता में कमी हुई है। इनका समाधान करने के लिए पारेषण अवसंरचना के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण में प्रमुख कठिनाइयां और चिंताएं तथा आपकी कंपनी की पहल/प्रयास नीचे दिए गए है:

आगरा में एचवीडीसी वाल्व हॉल

(i) मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के मुद्दे

(ii) जनता का विरोध और पारेषण लाइन बिछाने के लिए अधिक मुआवजे की मांग

(iii) वन स्वीकृतियां प्राप्त करना

(iv) कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता

(v) आपूर्तिकर्ता विकास

(vi) प्रौद्योगिकी विकास एवं उन्नयन

(vii) प्रचालनात्मक और अनुरक्षण में कुशलता का विकास

आपकी कंपनी ने भारतीय विद्युत प्रणाली में नई प्रौद्योगिकियां शामिल करने के साथ–साथ विकसित करने के जरिए उपरोक्त चिंताओं का समाधान करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। 765 केवी ईएचवीएसी प्रणाली अपनाना, हाई टेम्परेचर लो सैग (एचटीएलएस) कंडक्टर, हाई सर्ज इंपीडेंस लोडिंग लाइन, मल्टी सर्किट, कॉम्पैक्ट एण्ड टॉल टावर, फिक्स एण्ड थिरिस्टर कंट्रोल्ड सीरिज कंपेनसेशन, डिजिटल उप केंद्र आदि प्रमुख पहल हैं। नई प्रौद्योगिकी विकास मोर्चे पर 1200 केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज (यूएचवी) एसी तथा ± 800 केवी एचवीडीसी बहु टर्मिनल प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। सतत् सुधार के उद्देश्य से आपकी कंपनी विद्युत प्रणाली विश्लेषण के लिए आधुनिक प्रयोगशाला, एडवांस्ड इक्विपमेंट डायग्नोस्टिक्स, पारेषण और वितरण के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी, आईईसी 61,850 प्रोटोकॉल बेस्ड कंट्रोल और ऑटोमेशन, सामग्री विज्ञान और इंजीनियरी डिजाइन सहित पावरग्रिड एडवांस्ड रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्थापित कर रहा है। यह सेंटर सूचना के प्रचार प्रसार, वृद्धि एवं विस्तार के साथ–साथ विद्युत क्षेत्र में अभिन्न प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता करेगा।

कुछ प्रमुख पहलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) बाधाओं का समाधान

आरओडब्ल्यू आवश्यकता को इष्टतम करने के लिए पारेषण लाइनों की वहन क्षमता तेजी से बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी उच्च वोल्टेज स्तर, विशेष रूप से डिजाइन किए गए टावरों और नई प्रौद्योगिकियों को अपना रही है। कंपनी द्वारा शुरू की गई कुछ प्रौद्योगिकीय पहल नीचे दी गई है:

- **बल्क विद्युत अंतरण के लिए उच्च वोल्टेज अपनाना**

  आपकी कंपनी ने 1200 केवी अल्ट्रा हाई वोल्टेज (यूएचवी) एसी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विश्व में सबसे बड़ी पारेषण वोल्टेज स्तर बीना में एक 1200 केवी यूएचवीएसी नेशनल टेस्ट स्टेशन सफलतापूर्वक किया है और स्वदेशी रूप से विकसित उपस्कर का प्रयोग करके पायलट परियोजना के रूप में 1200 केवी बे से संबद्ध 1200 केवी सिंगल और डबल पारेषण लाइन सेक्शन चालू किए हैं। फील्ड परीक्षण किए जा रहे हैं। 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन के जरिए मई, 2016 में विद्युत प्रवाह सफलतापूर्वक शुरू किया गया है।

  देश में 765 केवी डबल सर्किट पारेषण लाइनें ± 800 केवी एचवीडीसी जैसी उच्च क्षमता की पारेषण प्रणालियां शुरू करने से प्रति मेगावाट विद्युत अंतरण के लिए आरओडब्ल्यू आवश्यकता में काफी कमी की जा सकेगी। 765 केवी डबल सर्किट की कई लाइनें पहले ही चालू की जा चुकी हैं और कई लाइनें निर्माणाधीन हैं। विश्वनाथ चरियाली (असम) से आगरा (उत्तर प्रदेश) वाया अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल) (लगभग 1750 किमी) ± 800 केवी, 6000

मेगावाट एचवीडीसी लिंक के एक पोल से कंस्ट्रेक्टेड चिकन नेक एरिया के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र और विलोमत: से बल्क विद्युत का अंतरण सफलतापूर्वक चालू किया गया है और यह विश्व में सबसे बड़े एचवीडीसी मल्टी टर्मिनल लाइनों में से एक है। विश्वनाथ चरियाली (असम) से आगरा (उत्तर प्रदेश) के लिए के लिए ± 800 केवी 6000 मेगावाट एचवीडीसी प्रणाली का विद्युत प्रवाह और वाणिज्यिक प्रचालन दिनांक 01.11.2015 से शुरू हो गया है। लगभग 1,300 किमी लंबी चंपा (पश्चिमी क्षेत्र) और कुरूक्षेत्र (उत्तरी क्षेत्र) के बीच दूसरी ± 800 केवी एचवीडीसी प्रणाली का निर्माण कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। दक्षिणी क्षेत्र से भी विद्युत के अंतरण के लिए रायगढ़ और पुगालर के बीच दूसरी ± 800 केवी एचवीडीसी लाइन भी शुरू की जा रही है। ± 320 केवी पुगालर–त्रिचूर एचवीडीसी वीएससी के लिंक के जरिए केरल को 2,000 मेगावाट विद्युत के अंतरण के लिए आपकी कंपनी 320 केवी डीसी एक्सएलपीई केबल के साथ ± 320 केवी एचवीडीसी वीएससी प्रौद्योगिकी कार्यान्वित करेगी जो आंशिक रूप से ओवरहेड और आंशिक रूप से अंडरग्राउंड आरओडब्ल्यू मुद्दों का समाधान करेगी।

- **वर्तमान और नई लाइनों में उच्च निष्पादन के कंडक्टरों का प्रयोग**

उसी पारेषण कॉरिडोर में अधिक विद्युत ले जाने की क्षमता वाले विभिन्न कांफिग्रेशन के उच्च निष्पादन कंडक्टर, जो नए समानांतर और कम भूमि के संरक्षण, आरओडब्ल्यू और वन संसाधनों आदि को, सुकर बनाता है। (i) उसी टावर और लाइन कॉरिडोर का प्रयोग करते हुए अधिक विद्युत अंतरण तथा (ii) उच्च प्रचालन तापमान पर परंपरागत कंडक्टर के लिए लोअर सैग प्रमुख लाभ हैं।

उपरोक्त लाभों को ध्यान में रखते हुए अपनी विद्युत वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए हाई टेम्प्रेचर लो सैग (एचटीएलएस) कंडक्टरों सहित फरक्का–मालदा 400 केवी डी/सी लाइनों की रीकंडक्टिंग सिलीगुड़ी–पूर्णिया जैसी कुछ विद्यमान लाइनों की रीकंडीशनिंग के लिए आपकी कंपनी ने पहल की है। संसाधनों की आवश्यकता, प्रयास और लागत को इष्टतम करने के लिए आपकी कंपनी ने गया–कोडरमा, गया–मैथन, जालंधर–कुरूक्षेत्र और कुरूक्षेत्र 400 केवी डी/सी लाइनों पर अब्दुल्लापुर–सोनीपत का एलआईएलओ जैसी लाइनों के कुछ मल्टी सर्किट टुकड़ों में क्वाड/ट्रिपल बंडल एसीएसआर कंडक्टरों के स्थान पर ट्विन एचटीएलएस कंडक्टरों का प्रयोग करने का विकल्प चुना है। उच्च विद्युत अंतरण आवश्यकता के लिए 400 केवी डी/सी सागरदीघी–बहरामपुर लाइन में भी एचटीएलएस कंडक्टर प्रयोग किए गए हैं।

आशावादी भविष्य प्रौद्योगिकी के रूप में सुपरकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर विचार करते हुए आपकी कंपनी में व्यवहार्यता और प्रचालनात्मक मुद्दों का आंकलन करने के लिए हाई टेम्प्रेचर सुपर कंडक्टर (एचटीएस) केबल प्रणाली संबंधी एक प्रदर्शन परियोजना की कार्रवाई चल रही है। सफल एचटीएसएस केबल प्रणाली टावर लगाए बिना उच्च विद्युत पारेषण करेगा।

- **उपयुक्त टाइप के टावर का चयन**

आरओडब्ल्यू कठिनाइयों का समाधान करने और वन क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए अपकी कंपनी भूमि की स्थिति, कंपैक्ट, पोल टाइप, मल्टी सर्किट टावरों पर निर्भर करते हुए विभिन्न टाइप के टावरों का डिजाइन और प्रयोग कर रही है।

(ii) जनता का विरोध और पारेषण लाइनें बिछाने के लिए अधिक मुआवजे की मांग

आपकी कंपनी टावर बेस और पारेषण कॉरिडोर लाइन के भीतर की भूमि ह्रास मूल्य और लागत सहित अधिक मुआवजे के लिए भू–स्वामियों और किसानों द्वारा कड़े विरोध का सामना कर रही है। क्षति के रूप में टावर बेस और कॉरिडोर के संबंध में मुआवजे की गणना करने/भुगतान करने के लिए एक समान पद्धति सुझाते हुए विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 15 अक्तूबर, 2015 को दिशा–निर्देश जारी किए हैं। आपकी कंपनी ने नवम्बर, 2015 में उक्त दिशा–निर्देश शीघ्र अपना लिए हैं और इन्हें शीघ्र अपनाने/अधिसूचना के लिए राज्यों के साथ कार्रवाई कर रही है। संपूर्ण देश में उक्त दिशा–निर्देश कार्यान्वित किए जाने पर भू–स्वामियों को मुआवजे के सही संवितरण और परियोजना के समय पर कार्यान्वयन को सुकर बनाएगी।

(iii) वन स्वीकृति प्राप्त करना

लंबी और कठिन प्रक्रिया के कारण परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए वन और वन्य जीव स्वीकृति एक बड़ी चुनौती है। तथापि, आपकी कंपनी के अथक प्रयासों और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समर्थन से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), जिसने हाल के वर्षों में शीघ्र वन स्वीकृति की सुविधा प्रदान की है, द्वारा पारेषण लाइनों सहित विभिन्न स्वीकृति प्रक्रिया, विशेष रूप से लाइन परियोजना आसान हो गई है। इसी प्रकार केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा इसे संदर्भित विशिष्ट मामलों के लिए ही लागू करने के स्थान पर संरक्षित क्षेत्रों सहित सभी मामलों के लिए इसकी अनुमति के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय से इस प्रकार की अनुमति समय आवश्यकता काफी कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, इसकी बैठक की बारंबारता बढ़ने

सहित इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की अधिकारिता से वन्य जीव स्वीकृति की प्रक्रिया और आसान हो गई है। प्रक्रिया में यह सुधार होने से पावरग्रिड को गुजरात में वन्य गदर्भ अभयारण्य के जरिए 765 केवी टी/सी बनासकांठ–भुज लाइन की अनुमति रिकॉर्ड समय में प्राप्त करने में सहायता मिली है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पावरग्रिड ने 1500 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि, जिसमें ± 800 केवी चम्पा–कुरुक्षेत्र, 400 केवी टी/सी कालाकुट्टुर, 765 केवी टी/सी अंगुल–श्रीकाकुलम, 400 केवी टी/सी बैतूल–खण्डवा जैसी 29 लाइनें शामिल है, के लिए सिद्धांततः (स्टेज–I) वन स्वीकृति और 1,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि, जिसमें 765 केवी एस/सी रांची–धरमजयगढ़, 765 केवी टी/सी रायपुर–चंद्रपुर, 400 केवी टी/सी आरएपीपी–कोटा आदि जैसी 30 लाइनें शामिल है, के लिए अंतिम (स्टेज–II) स्वीकृति प्राप्त की है।

(iv) कुशल जन शक्ति उपलब्ध नहीं होना

विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों में कई प्रौद्योगिकीय उन्नयन हो गए हैं। आधुनिक उत्पादन परियोजनाएं, उच्च क्षमता पारेषण प्रणालियां, गैस इंसुलेटेड उप केंद्र (जीआईएस) ± 800 केवी पारेषण लाइनें, सेल्फ हीलिंग प्रापर्टीज सहित स्मार्ट पारेषण ग्रिड अब वास्तविकता में परिणत हो गए हैं और पावरग्रिड तेज गति से विकास कर रहा है और अपने कारोबार को चहुंमुखी बढ़ाने के लिए नए संयुक्त उद्यम बना रहा है।

तदनुसार, बढ़ते प्रतिस्पर्द्धी कारोबार परिवेश के अनुरूप आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों का प्रौद्योगिकी उन्नयन करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में निरंतर प्रशिक्षण दे रही है।

वर्ष के दौरान 132 कार्यकलापों को परियोजना प्रबंधन के लिए प्रमाणित किया गया है।

देश में समग्र कौशल विकास विशेष रूप से विद्युत पारेषण लाइन निर्माण के विक्रेताओं की सहायता से क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 900 से अधिक युवकों को प्रशिक्षित किया गया। इस पहल के अंतर्गत 31 मार्च, 2016 तक संचयी रूप से लगभग 2,500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(v) आपूर्तिकर्ता विकास

क्षमता निर्माण विशेष रूप से नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग और पावरग्रिड द्वारा विकसित किए जा रहे बड़े नेटवर्क 765 केवी स्तर को ध्यान में रखते हुए 765 केवी जीआईएस उपकरण के निष्पादन और आपूर्ति में परियोजना अपेक्षाओं को पूरा करने, अन्य महत्वपूर्ण उपकरण और उनकी सहायक उपकरण/उपस्कर के लिए प्राथमिकता के आधार पर विक्रेता विकास किया गया है। पावरग्रिड ने निष्पादित परियोजनाओं के परेशानी मुक्त अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास, कौशल विकास और आपूर्ति चेन प्रबंधन के लिए "मेक इन इण्डिया" अवधारणा के लिए विभिन्न पहल भी की हैं।

(vi) प्रचालनात्मक और अनुरक्षण दक्षता का विकास

प्रणाली में 765 केवी पारेषण लाइनों की संख्या में काफी वृद्धि होने से कंपनी की परिसंपत्तियों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। संपूर्ण देश में परिसंपत्तियों के भौगोलिक फैलाव, खुले विद्युत बाजार, मात्रा और दिशा की दृष्टि से विद्युत प्रवाह में काफी अंतर, नवीकरणीय उत्पादन में वृद्धि, मौजूदा परिसंपत्तियों के प्रभावी प्रयोग के लिए जरूरत आदि ने उच्च विश्वसनीयता, सुरक्षा और संरक्षा के साथ रियल टाइम आधार पर इस तरह की बड़ी विद्युत प्रणाली बनाए रखने के काम को इसने चुनौतीपूर्ण बना दिया है। रियल टाइम आधार पर प्रभावी नियंत्रण और संपूर्ण रूप में विद्युत प्रणाली की आयोजना और प्रचालनों में सुधार करने की जरूरत को पहचानते हुए आपकी कंपनी नीचे दिए अनुसार विभिन्न उपाय अपना रही है:

- **डिजिटल उप केंद्रः** आईईसी 61850 प्रोटोकॉल बेस्ड प्रोसेस बस आर्किटेक्चर, जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 400 केवी भिवाड़ी उप केंद्र में सफलतापूर्वक चालू की गई थी, के संबंध में आपकी कंपनी की पायलट पहल पूर्णतः डिजिटाइज्ड उप केंद्रों की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने नियंत्रण को इष्टतम करने और ट्रांसफार्मरों में प्रयोग किए गए सुरक्षा केबल के लिए एक पायलट परियोजना भी शुरू की है और वित्त वर्ष 2015–16 में 400/220 केवी नीमराना उप केंद्र में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस उप केंद्र में नई योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ट्रांसफार्मर मार्शलिंग बॉक्स और सुरक्षा पैनल के बीच केबलों की संख्या में काफी कमी हुई है। इस योजना से भविष्य में अनुरक्षण और समस्याओं को दूर करने में आसानी होने की संभावना है तथा किसी दुर्घटना की स्थिति बहाली समय भी बहुत कम हो जाएगा। इन परियोजनाओं से अनुभव का लाभ उठाते हुए आपकी कंपनी परम्परागत सुरक्षा और नियंत्रण योजनाओं वाले पुराने सब स्टेशनों की उन्नत ऑटोमेशन प्रणालियों से रेट्रोफिट करने के लिए एक और परियोजना भी शुरू करने की योजना बना रही है।
- **उप–केंद्रों का रिमोट प्रचालनः** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है आपकी कंपनी संपूर्ण देश में काफी संख्या में ईएचवी उप केंद्रों और पारेषण लाइनों का प्रचालन और अनुरक्षण करती है। विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली की चौबीसों घंटे निगरानी अनिवार्य है। सभी परिसंपत्तियों की स्थानीय रूप से और दूर से कड़ी निगरानी रखी जाती है।
- टीएएमसी/आरटीएएमसी से रिमोट प्रचालन तथा निगरानी के अंतर्गत 104 उप केंद्र हैं।
- उनके शुरुआती चरण में ही त्रुटियों का पता लगाने के लिए आपकी कंपनी ने आधुनिक कंडीशन मॉनिटरिंग तकनीकें अपनाई हैं। इनमें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइसिस (एफआरए), फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिजॉल्व्ड गैस एनालाइसिस (डीजीए), बुशिंग और कन्वर्टर ट्रांसफार्मर की डीजीए, ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों के लिए पिजो–अकोस्टिक ऑफ ऑन लोड टैप चार्जर आदि, सर्किट ब्रेकरों के लिए डायनामिक कांटेक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, सर्ज अरेस्टरों के लिए थर्ड हार्मोनिक रेजिस्टिव करंट मेजरमेंट, उनके उपयोगी सेवा काल के दौरान उच्च विश्वसनीयता और उपलब्धता के साथ व्यवस्थित प्रचालन के लिए थर्मो–विजन स्कैनिंग आदि शामिल है। पावरग्रिड ने बुशिंग की ऑनलाइन कैपेसिटेंस एण्ड टैन डेल्टा मॉनिटरिंग, ट्रांसफार्मरों और रिएक्टरों में फाइबर ऑप्टिक सेंसरों के जरिए डायनामिक टेम्परेचर रिकॉर्ड तथा मल्टी गैस मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है और उपस्करों में कंडीशन में डायनामिक परिवर्तन के बारे में सूचना प्राप्त करने के साथ रिमोट मॉनिटरिंग के लिए स्काडा के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
- हॉटलाइन अनुरक्षण, आपकी कंपनी द्वारा अत्यधिक विशिष्ट अनुरक्षण कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों में चालू लाइनों पर इंसुलेटर, वाइब्रेशन डेंपर, हार्डवेयर आदि प्रतिस्थापित करना शामिल है और इससे पारेषण लाइनों की बंदी से बचा जा सका और अधिक उपलब्धता प्राप्त हुई।
- अंतर्राष्ट्रीय ओ एण्ड एम प्रक्रियाओं के अनुरूप आपकी कंपनी ने डीजीसीए और एमएचए से अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 06 अप्रैल, 2016 से मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का

चालू लाइन का हॉटलाइन अनुरक्षण

प्रयोग करके ± 500 केवी एचवीडीसी बलिया भिवाड़ी लाइन की टावर टॉप पेट्रोलिंग शुरू की है। यूएवी में गिम्बल माउंटेड अल्ट्रा एचडी वीडियो कैमरे लगे हुए हैं जो चूक/त्रुटियों का पता लगाने के लिए टावरों और इसके अवयवों के हाई रिजोल्यूशन क्लोज फोटोग्राफ और वीडियो ले सकते हैं। इस प्रकार के निरीक्षणों के लिए टावर टॉप पेट्रोलिंग (टावरों पर चढ़कर) की जरूरत यूएवी का प्रयोग करके टावरों की पेट्रोलिंग समाप्त होगी जिससे पारेषण लाइनों के अनुरक्षण में समय और लागत दक्षता में सुधार हुआ।

गुरूत्वाकर्षण से परे पारेषण लाइन का अनुरक्षण

- आपकी कंपनी ने घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों, बर्फीले क्षेत्रों, जहाँ ग्राउंड पेट्रोलिंग भारत में पहली बार हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करके हवाई पेट्रोलिंग भी शुरू की है। मनुष्यों द्वारा पैदल लाइनों की पेट्रोलिंग की तुलना में कम अवधि के भीतर त्रुटियों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टरों पर गिम्बल माउंटेड एलआईडीएआर (लाइट रेंजिंग एण्ड डिटेक्शन), थर्मो विजन कैमरा, हाई रिजोल्यूशन वीडियो और डिजिटल कैमरा लगाया गया है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- देश के पूर्वोत्तर राज्यों, जो आकाशीय बिजली संभावित क्षेत्र हैं, में विशेष रूप से आकाशीय बिजली के कारण ट्रिपिंग को न्यूनतम करने के लिए पारेषण लाइनों में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए गए हैं।
- **यूआरटीडीएसएम परियोजना:** स्मार्ट ग्रिड विकास प्रयासों के लिए आपकी कंपनी ने "यूनिफाइड रियल टाइम डायनेमिक स्टेट मेजरमेंट सिस्टम (यूआरटीडीएसएम)" परियोजना के अंतर्गत अखिल भारत के आधार पर डब्ल्यूएएमएस (वाइड एरिया मेजरमेंट सिस्टम) प्रौद्योगिकी का पूरे पैमाने पर कार्यान्वयन किया है जिससे समग्र ग्रिड प्रबंधन में दक्षता में वृद्धि होने की संभावना है। परियोजना से रियल टाइम आधार पर विस्तृत रूप से फैले ग्रिड के ग्रिड प्राचलों का सिंक्रोफेज मेजरमेंट हो सकेगा। सिंक्रोनाइज्ड पीएमयू मॉनिटरिंग और विजुएलाइजेशन में सुधार करेगा और रियल टाइम पर ग्रिड घटनाओं की स्थिति जागरूकता बढ़ाएगा जिससे ग्रिड की विश्वसनीयता में सुधार होगा।

इस परियोजना के अंतर्गत 220 केवी के स्तर सहित सभी एचवीडीसी, 400 केवी और उससे अधिक के उप केंद्रों और उत्पादन केंद्रों में फेजर मेजरमेंट यूनिट (पीएमयू) लगाई जाएगी। डब्ल्यूएएमएस पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त लाभ के जरिए आपकी कंपनी ने अब यूआरटीडीएसएम के भाग के रूप में 400 से अधिक पीएमयू संस्थापित कर लिए हैं। यूआरटीडीएसएम में चरण–I में 34 नियंत्रण केंद्रों में लगभग 1200 पीएमयू और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर संस्थापित करना शामिल है।

पावरग्रिड डायग्नोसिस, वैलिडेशन और नियंत्रण प्रयोजन के लिए पीएमयू मेजरमेंट का प्रयोग करके विभिन्न एनालिटिक्स भी विकसित कर रहा है। ये एनालिटिक्स वाइड एरिया प्रोटेक्शन एण्ड कंट्रोल सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए सक्षम करेंगे जो ग्रिड की स्थिरता में सुधार करेगा।

आपकी कंपनी ने एचवीडीसी के लिए रियल टाइम डिजिटल सिम्यूलेटर (आरटीडीएस) के जरिए विद्युत प्रणाली अध्ययन भी किए हैं। आरटीडीएस विशेष रूप से डायनामिक्स निष्पादन के अध्ययन के लिए एचवीडीसी, एफएसीटीएस और प्रोटेक्टिव रिले आदि सहित विद्युत प्रणालियों का रियल टाइम सिम्यूलेशन प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया विशिष्ट कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जिससे प्रचालन में दक्षता में सुधार होने की संभावना है।

यूआरटीडीएसएम और स्काडा उन्नयन की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पावरग्रिड के सभी उप केंद्र, केंद्रीय उत्पादन केंद्र और राज्यों के महत्वपूर्ण केंद्र फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जोड़े जा रहे हैं। 2015–16 के दौरान उप केंद्रों, विद्युत केंद्रों को जोड़ने के लिए 10,421 किमी ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क स्थापित किया गया है और पर्याप्त पाथ भी उपलब्ध कराया गया है। ग्रिड प्रचालनों के लिए एसएलडीसी, आरएलडीसी और एनएलडीसी में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अपेक्षित बैंडविथ की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। फाइबर बिछाना नेशनल ट्रांसमिशन एंड असेट्स मैनेजमेंट सेंटर (एनटीएएमसी) के विश्वसनीय प्रचालन को सुविधा प्रदान करेगा और दूरसंचार कारोबार के विस्तार में सहायता करेगा। इस वित्तीय वर्ष के दौरान स्वदेशी विनिर्माताओं से ओपीजीडब्ल्यू की आपूर्ति भी की गई है जो 'मेक इन इण्डिया' के भाग के रूप में भावी घरेलू बाजार विकास को सुनिश्चित करता है।

प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली की चुनौतियां

उपरोक्त चिंताओं का शमन करने के अपने प्रयासों के अतिरिक्त आपकी कंपनी ने प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्द्धी बोली (टीबीसीबी) में सफलता प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं।

दिनांक 28 जनवरी, 2016 की प्रशुल्क नीति में उल्लेख किया गया है कि सभी भावी अंतर–राज्य पारेषण परियोजनाएं साधारणतः प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के जरिए विकसित की जाएंगी। इसलिए केंद्र सरकार (क) रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं की विशिष्ट श्रेणी, तकनीकी उन्नयन आदि अथवा (ख) मामला दर मामला आधार पर तात्कालिक स्थिति से निपटने हेतु अपेक्षित कार्यों के लिए प्रतिस्पर्द्धी बोली से छूट दे सकती है।

पावरग्रिड एक सफल बोलीदाता के रूप में उभरकर आया है और नौ पारेषण परियोजनाएं प्राप्त की हैं और बोली प्रक्रिया समन्वयक (समन्वयकों) से स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) अधिग्रहित किया है। एसपीवी परियोजना हैं अर्थात् पावरग्रिड वाइज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड पाली ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड एवं पावरग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये सभी परियोजनाएं निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) आधार पर हैं और वेमागिरि क्षेत्र (पावरग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड), जिसे सीईआरसी के दिनांक 27.09.2013 तथा 06.04.2015 के आदेश के अनुसरण में शुरू किया गया है, से संबद्ध पारेषण प्रणाली को छोड़कर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। पावरग्रिड के अंतर्गत पावरग्रिड वाइज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड अर्थात 400 केवी डी/सी खम्माम–नागार्जुन सागर, 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत अवयवों में से एक वित्त वर्ष 2015–16 में सफलतापूर्वक चालू किया गया है और उसके लिए पारेषण प्रभार वसूले जा रहे हैं।

आपकी कंपनी ने दूरसंचार कारोबार परामर्शी और स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है

पावरग्रिड का दूरसंचार का कारोबार

एक सुदृढ़ आधुनिक उच्च क्षमता नेटवर्क स्थापित करके आपकी कंपनी को एक प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाता बनने का विजन है।

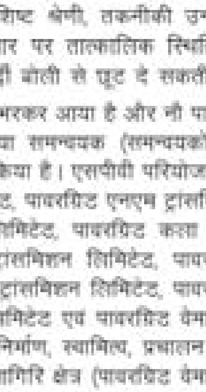

दूरसंचार कारोबार दिन–प्रति–दिन काफी प्रतिस्पर्द्धी होता जा रहा है और कीमतों में कमी करने के लिए सदैव दबाव बन रहा है। तथापि, आपकी कंपनी नए कारोबार

खण्डों का पता लगा रही है और मूल घटक सुपुर्दगी नेटवर्क आदि सहित एमपीएलएस वीपीएन पीयरिंग जैसे नोवल सॉल्यूशन ऑफर कर रही है। इसके अतिरिक्त, प्रक्षेपित मांग के लिए नेटवर्क विस्तार में समय पर निवेश करके पावरग्रिड मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण राजस्व में हानि को न्यूनतम कर रहा है। पावरग्रिड अपनी नेटवर्क पहुँच और उपस्थिति बढ़ाने के लिए आरओडब्ल्यू, फाइबर लीजिंग आदि के लिए अंतिम माइल कनेक्टिविटी प्रदाताओं और राज्य विद्युत बोर्डों के साथ भागीदारी भी कर रहा है। अपने स्थानविषयक पहुँच भागीदारों के साथ पावरग्रिड के एक्सटेंसिव बैकबोन दूरसंचार नेटवर्क ने यह प्रदर्शित किया है कि हाई स्पीड इंटरनेट की पहुँच और वहनीयता के लिए छोटे शहरों के, स्थानीय नुकसान को दूर किया जा सकेगा। इसमें डिजिटल डिवाइड को कम करने की क्षमता है और 'डिजिटल इण्डिया' के विजन को मूर्त रूप देने में एक चेंज एजेंट हो सकता है।

पावरग्रिड का परामर्श कारोबार

हमारा परामर्शी कारोबार विभिन्न प्रतिस्पर्द्धियों से प्रतिस्पर्द्धा के अधीन है जिनमें हमारी परामर्शी परियोजनाओं के लिए सामान/सेवाओं के आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। कम लागत प्रतिस्पर्द्धियों की भी जरूरत है। तथापि, राज्य उपयोगिताओं और भारत सरकार ने पावरग्रिड में विश्वास दिखाया है और हम काफी परामर्शी कारोबार सृजित कर सके हैं। इसके फलस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में हमारा परामर्शी राजस्व 20 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया है।

स्मार्ट ग्रिड और नवीकरणीय एकीकरण के क्षेत्र में पावरग्रिड की पहल

भारत सरकार ने 2022 तक लगभग 1,75,000 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा

भावी स्मार्ट शहर का मॉडल

स्रोतों के जरिए ऊर्जा उत्पादन क्षमता लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 1,00,000 मेगावाट सौर विद्युत क्षमता और 60,000 मेगावाट पवन विद्युत क्षमता शामिल है।

आपकी कंपनी ने संपूर्ण देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना में नवीकरणीय उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के ग्रिड एकीकरण को सुकर बनाने के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर के कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका अदा की है। कार्यान्वयन में अंतर–राज्य पारेषण प्रणालियां और उन्नत नियंत्रण अवसंरचना, जैसे नवीकरणीय उत्पादन के लिए पूर्वानुमान युक्ति, नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना आदि का निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटियों (एसटीयू) द्वारा अंतराराज्य पारेषण सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

पावरग्रिड ने भी विभिन्न राज्यों में विकसित किए जा रहे विभिन्न अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्कों से हरित ऊर्जा कॉरिडोर–II (जीईसी–II) के तहत विद्युत की निकासी के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की है। जीईसी–II के प्रथम चरण में इक्कीस (21) राज्यों में 20,000 मेगावाट से अधिक के सोलर पावर पार्कों की पारेषण योजनाएं तैयार की है। पावरग्रिड 5 राज्यों में लगभग 7,200 मेगावाट के आठ सोलर पार्कों के लिए अंतर–राज्य पारेषण पारेषण प्रणाली कार्यान्वित कर रहा है।

स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी पूरे देश में अपने कार्यालय परिसरों में उपलब्ध स्थान का किफायती प्रयोग करके प्रगामी रूप में ऑन ग्रिड सोलर पीवी प्रणालियां स्थापित कर रही है।

पावरग्रिड ने भारत में ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा स्टोरेज प्रणालियों संबंधी प्रथम पायलट परियोजना कार्यान्वित की है जिसमें भारतीय संदर्भ में अवधारणा प्रमाणित करने के साक्ष्य, आवेदन (आवेदनों), नीतिगत समर्थन आदि के लिए तीन विभिन्न प्रौद्योगिकियों के आधार पर पुद्दुचेरी में बैटरी, विद्युत कंडीशनिंग प्रणाली, बैटरी प्रबंधन प्रणाली आदि शामिल है। इन ऊर्जा स्टोरेज प्रणालियों के अनुसंधान परिणाम ग्रिड स्थिरता के लिए नवीकरणीय विद्युत की मध्यवर्ती, परिवर्तनीयता, अनिश्चितता आदि का समाधान करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा स्टोरेज प्रणालियों के लिए रोडमैप प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण होंगे।

पावरग्रिड ने विभिन्न उद्योगों, संस्थानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की ऊर्जा लेखापरीक्षा करके ऊर्जा दक्षता अवसरों को अभिचिह्नित करने के प्रयास किए हैं। इसने विभिन्न एकीकृत इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा लेखापरीक्षा की है और स्टील रि–रोलिंग मिलों के लिए अपशिष्ट हीट प्राप्ति प्रणालियां डिजाइन, विकसित और सफलतापूर्वक संस्थापित की हैं। पावरग्रिड विभिन्न उद्योगों में ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए बीईई ग्रेड–I एनर्जी सर्विस कंपनी (ईएससीओ) है और एनर्जी एफिसिएंसी सॉल्यूशन ऑफर करके बदलते परिवेश में एक स्टार परफार्मर और एक महत्वपूर्ण इनेब्लर के रूप में पूरी तरह से तैयार है।

जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए अपने प्रयासों में पावरग्रिड अत्याधुनिक स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कार्यान्वित कर रहा है। यह सुविधा इस क्षेत्र में यूटिलिटियों, पणधारकों आदि के क्षमता निर्माण में सहायता करेगी।

आपकी कंपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध करा रही है जिसमें वितरण अवसंरचना, उन्नत मीटरिंग अवसंरचना इंटेलीजेंट आउटेज प्रबंधन, विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन, नेट मीटरिंग आदि शामिल है। आपकी कंपनी स्मार्ट शहर के लिए सरकार के प्रयास के भाग के रूप में वाराणसी और गुड़गांव में स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन से निकटता से जुड़ी हुई है।

संधारणीय विकास पर बल

संधारणीय विकास हमारे कारोबार प्रचालनों के लिए महत्वपूर्ण है जो केंद्रीय चरण पर लोगों और पर्यावरण की हमारी चिंताओं के लिए हमें अनुमति देता है। यह हमारे सूत्रवाक्य "जहाँ कम कम कर सकते हैं, कम करिए" और "जहाँ कम नहीं कर सकते वहाँ धीमा करें" उद्देश्य में प्रदर्शित होता है। हमारे धारणीयता प्रयासों के प्रमुख बल में कारोबार आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखना, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव कम करना, व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देते समय सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना शामिल है। धारणीय विकास के लिए पावरग्रिड द्वारा की गई प्रमुख पहलों में मूल्यवान मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के संरक्षण, वर्षा जल संचय प्रणाली, जो अब प्रत्येक नए उप केंद्र डिजाइन का अनिवार्य भाग है, उप केंद्रों में एलईडी बल्ब और सोलर लाइटें लगाना, डीजी सेट के लिए ईंधन उत्प्रेरक उपकरण आदि के लिए प्रौद्योगिकी पहलें शामिल हैं। हरित पहलों के लिए हमारे गुड़गांव कार्यालय परिसर में एक 50 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी सिस्टम संस्थापित किया गया है जो कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 40 प्रतिशत पूरा करेगी और लगभग 40 टन कार्बन डायऑक्साइड में वार्षिक कमी भी होगी। कार्बन फुट प्रिंट में आगे और कमी करने के लिए हम अपने केंद्रीय कार्यालय में रद्दी कागजों के पुनःचक्रण के लिए "रद्दी कागज पुनःचक्रण संयंत्र" प्रचालित कर रहे हैं जिससे न केवल वृक्षों, जल आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा बल्कि खुले बाजार से कंपनी ने मानेसर और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू में भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (जीआरआईएचए) अपनाया है। यह गर्व की बात है कि बेंगलुरू भवन को 2015 में "ग्रीन बिल्डिंग" श्रेणी के अंतर्गत हुडको द्वारा वित्तीय पुरस्कार दिया गया है।

इक्विटी लाभ एवं वित्तीय नियम–पत्र का अनुपालन

पावरग्रिड में इक्विटी लाभ सामान्यतः निम्नलिखित के संदर्भ में है:

i. दीर्घावधि ऋण और निवल मूल्य के आधार ऋण लेने की क्षमता को और बढ़ाना

ii. कैपेक्स जरूरतों के अनुरूप आगे उत्तोलन के लिए लाभ को रोके रखना

ब्लॉक वर्ष 2014–19 के लिए प्रशुल्क निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियमों में 15.5 प्रतिशत की इक्विटी पर प्रतिफल सहित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के अनुसार 70:30 के अनुपात में अधिकतम ऋण इक्विटी निवेशन और इक्विटी अंशदान के रूप में कुल निवेशन के 30 प्रतिशत तक शामिल करने को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है।

पावरग्रिड ने अधिकतम संभव सीमा तक अपने मौजूदा निवल मूल्य का उत्तोलन किया है और 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात 17:29 है जो प्रमुख अवसंरचना कंपनियों में सबसे अधिक है। आज की तारीख के अनुसार प्रशुल्क के अवयव के रूप में इक्विटी पर प्रतिफल आंतरिक संसाधन (आईआर) सृजन का प्रमुख स्रोत है और अधिकतम आईआर सृजन के लिए कुल नियोजित निधियों के 30 प्रतिशत का इक्विटी आधार अपेक्षित है। ऋण नियम–पत्र के अनुसार विभिन्न ऋणदाताओं, जैसे एडीबी, विश्व बैंक, आईएफसी, एसबीआई, द्वारा इक्विटी अनुपात के लिए अधिकतम सीमा 72:25 रखी गई है।

पावरग्रिड को दीर्घावधि ऋणों के संबंध में निम्नलिखित मुख्य वित्तीय नियम पत्रों का पालन सुनिश्चित करना अपेक्षित है:

i. अतिरिक्त राहत सहित सभी दीर्घावधि ऋणों पर किसी वर्ष में ऋण सेवा कवरेज अनुपात 1.20 गुणा से कम नहीं होना चाहिए जोकि तीन वर्षों का औसत सभी दीर्घावधि ऋणों पर 1.30 गुणा से कम नहीं आना चाहिए।

ii. अचल परिसंपत्ति कवरेज अनुपात 1.00 गुणा से कम नहीं आना चाहिए।

iii. हमारी कंपनी भारत सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं आनी चाहिए।

iv. दीर्घावधि ऋणों के दौरान 'एएए' रेटिंग बनी रही।

v. 75:25 का समग्र ऋण इक्विटी अनुपात बनाए रखा।

vi. प्राप्य निगम खाता पिछले 3 माह के बीजक की राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

vii. पिछले वित्तीय वर्ष की मासिक औसत बिलिंग के 105 प्रतिशत के बराबर सकल राशि में सभी ग्राहकों से प्रतिसंहरणीय साख–पत्र।

पावरग्रिड ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान संदर्भित वित्तीय नियम पत्रों का पालन किया है।

पावरग्रिड बहुत ही आकर्षक ब्याज दर पर दीर्घावधि ऋण जुटा सका। मौद्रिक वर्ष के दौरान दीर्घकालीन ऋण (घरेलू तथा बाह्य स्रोत) की भारित औसत लागत लगभग 7.07 प्रतिशत है।

कार्यपालक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण

कंपनी की परिसंपत्तियों/लाभ की हानि आदि के लिए कंपनी का बीमा

आपकी कंपनी में (i) नियंत्रण कक्ष भवन सहित स्विचयार्ड क्षेत्र में एसी उप केंद्र उपस्कर (ii) सभी एचवीडीसी केंद्र (बैक टु बैक और बाइपोल सहित) (iii) आपकी कंपनी के स्वामित्व में ट्रांसफार्मर और रिएक्टर तथा संबद्ध जैसी परिसंपत्तियां परंतु एसईबी, एसटीयू और विद्युत उत्पादन सुविधाओं में संस्थापित तथा (iv) हमारे स्वामित्व में सभी कार्यालय भवन और उनकी परिसंपत्तियों के लिए बाह्य बीमा कंपनी से मेगा बीमा नीति है।

इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड उस पारेषण लाइन और अन्य सभी परिसंपत्तियों, जिनको मेगा बीमा नीति में शामिल नहीं किया गया है, को शामिल करने के लिए स्वबीमा योजना भी बनाए रखता है। स्वबीमा योजना के अंतर्गत आग, प्राकृतिक आपदा/भूकंप, आतंक के कारण काफी क्षति/हानि को शामिल किया जाता है, जिसके लिए अचल परिसंपत्तियों (मेगा बीमा नीति के अंतर्गत शामिल परिसंपत्तियों के मूल्य को छोड़कर) के हमारे सकल ब्लॉक के 0.1 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान किया जाता है।

खरीद प्रक्रिया के लिए ई–रिवर्स नीलामी

अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उत्तोलन प्रयोग के अग्रणी के रूप में पावरग्रिड ने अपनी खरीद प्रक्रिया के लिए ई–रिवर्स नीलामी (ईआरए) अपनाई है। एक गतिशील ऑनलाइन रीयल टाइम प्रक्रिया ईआरएई सोर्सिंग नीति युक्ति में एक रणनीतिक युक्ति है जिसे एक उचित और पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्द्धी कीमतों का पता लगाने के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह सभी आपूर्तिकर्ताओं और स्थानों पर साधारण, शीघ्र परिणाम और प्रतिस्पर्द्धी मूल्यन की व्यवस्था करता है। खर्च में कमी करके, आपूर्ति बाजार आसूचना में सुधार करके और प्रक्रिया पारदर्शिता उपलब्ध कराकर ईआरए प्रक्रिया आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के लिए लाभदायक है। इसके अतिरिक्त, यह किसी बोली की प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संबंध में रीयल टाइम फीडबैक उपलब्ध कराती है।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

उद्यम द्वारा सामना की जा रही अनिश्चितताओं के मूल्यांकन और प्रबंधन के प्रयोजनार्थ पावरग्रिड में उद्यम जोखिम प्रबंध ढांचा क्रियान्वित किया गया है। यह ढांचा जोखिमों की पहचान करने, निर्धारण, जोखिमों के प्रबंध और मॉनिटरिंग के लिए संरचित, अनुकूल और सतत कार्यरत है। इस ढांचे के अनुसार उल्लेखनीय व्यवसाय प्रोसेस/जोखिमों को विभिन्न महत्वपूर्ण निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के निरीक्षित से मॉनिटर और नियंत्रित किया जाता है।

पावरग्रिड में जोखिम प्रबंधन समिति विधिवत रूप से गठित की गई है। जोखिम प्रबंध समिति इन केपीआई की नियमित आधार पर समीक्षा करती

है और लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड को अद्यतन करती है।

उपर्युक्त जोखिम तथा चुनौतियों के अलावा, हमारी परियोजनाओं के निष्पादन में शामिल कुछ जोखिम तथा उनका प्रशमन निम्नवत् हैः

- **उत्पादन परियोजनाओं के साथ सहचालन का जोखिम**

  उत्पादन इकाइयों के आरंभण का सहबद्ध पारेषण प्रणाली के आरंभण के साथ सदैव अंतराल हो सकता है तथा कुछ उत्पादन परियोजनाओं के साकार होने में विलंब हो सकता है।

  ऐसे जोखिम को प्रशमित करने के लिए उत्पादक आपकी कंपनी के साथ करार पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और लागू सीईआरसी दिशा–निर्देशों के अनुसार पारेषण प्रभार वहन करते हैं।

- **राजस्व जोखिम**

  केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्य पारेषण प्रभारों तथा हानियों की साझेदारी) विनियम, 2010, जो 01.07.2011 से प्रभावी हुए हैं, में पारेषण प्रभारों की साझेदारी के लिए नई प्रविधि शुरू कर प्वाइंट ऑफ कनेक्शन (पीओसी) प्रभारों तथा हानियों के परिकलन की व्यवस्था है। तथापि, कतिपय राज्य जैसे बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड तथा महाराष्ट्र ने उपर्युक्त साझेदारी प्रविधि को न्यायालय में चुनौती दी थी तथा उसका अंतिम निर्णय प्रतीक्षित है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार सभी उपर्युक्त राज्य उक्त विनियम के अनुसार भुगतान कर रहे हैं। इसी बीच सीईआरसी ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को उक्त साझेदारी विनियमों का तीसरा संशोधन अधिसूचित किया है जिससे साझेदारी पैटर्न में परिवर्तन और बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा झारखण्ड के लिए पारेषण प्रशुल्क कम हुआ है।

  संबंधित राज्य पारेषण यूटिलिटियों (एसटीयू) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाले डाउन स्ट्रीम/ अप स्ट्रीम नेटवर्क के साथ–साथ आईएसटीएस पारेषण प्रणाली के चालू होने में सदैव अंतर हो सकता है। भारतीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 के चौथे संशोधन में अनुरूपता को कवर करने के लिए लागत आधिक्य के अंतर्गत डाउन स्ट्रीम/अप स्ट्रीम नेटवर्क कार्यान्वित करने वाले पारेषण लाइसेंसियों के साथ कार्यान्वयन करार हस्ताक्षरित करने का प्रावधान किया गया है।

  सीईआरसी प्रशुल्क विनियम बिलों की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर पारेषण प्रभारों के लिए मासिक बिलों का भुगतान करने और 60 दिनों के बाद विलंबित भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से सरचार्ज लगाने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त, 60 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है तो रिबेट छूट का प्रावधान भी किया गया है। अधिकांश यूटिलिटियां अपने बकाया का भुगतान करने के लिए 60 दिनों की अनुमेय अवधि का लाभ उठाती हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान संग्रहण दक्षता बहुत अच्छी रही है और चूक करने वाली यूटिलिटियों के विरुद्ध कंपनी द्वारा बकाया की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई।

- **एकीकृत प्रबंधन नीतिः**

  - समय, लागत, प्रौद्योगिकी तथा मूल्यवर्द्धन पर यथेष्ठ ध्यान देते हुए एक दक्ष तथा प्रभावी 'राष्ट्रीय ग्रिड' की स्थापना तथा अनुरक्षण करना,
  - प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के जरिए तथा परिहार्य, न्यूनीकरण तथा प्रशमन के सिद्धांतों पर पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाकर स्थायी संधारणीय विकास,
  - सुरक्षित, पेशेवर खतरा मुक्त तथा स्वस्थ कार्य माहौल को सुनिश्चित करना,
  - अपने क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में पणधारकों को संतुष्ट करना तथा अपनी प्रबंधन प्रणालियों तथा पद्धतियों में कानूनी तथा विनियामक प्रावधानों के समानुरूप निरंतर सुधार करने का प्रयास करना।

- **आंतरिक नियंत्रण**

  पावरग्रिड के पास लेखाकरण तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, नियंत्रणों की पर्याप्तता, वास्तविक जाँच, वित्तीय औचित्य पहलुओं तथा अनुपालन क्रियान्वयन प्रक्रम का सत्यापन करने के लिए व्यापक आंतरिक नियंत्रण प्रक्रम है। एकसमान अनुपालन के लिए लेखों की तैयारी हेतु विस्तृत दिशा–निर्देशों का निरंतर अनुसरण किया जाता है। कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित धारा 179 के प्रावधानों के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षकों को निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के सन्निकट समन्वय में अनुभवी लागत/सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा नियमित तथा व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा का अर्द्धवार्षिक आधार पर संचालन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी जाँच तथा संतुलन सुस्थापित है तथा सभी आंतरिक नियंत्रण/प्रणालियां सुव्यवस्थित हैं। कारपोरेट लेखापरीक्षा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रक्रम की प्रभावात्मकता को पुनः आश्वस्त करने के लिए प्रणाली लेखापरीक्षा तथा प्रबंधन लेखापरीक्षा का संचालन भी करता है। आंतरिक लेखापरीक्षक का कार्यक्षेत्र तथा प्राधिकार बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षा योजना से प्राप्त होता है।

  लेखापरीक्षा समिति नियमित अंतराल पर बैठक करती है और इसे आंतरिक नियंत्रण तंत्र से अनुपालन को सूचित किया जाता है। उल्लेखनीय/महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समीक्षा, चर्चा और परवर्ती कार्रवाई के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

वित्तीय चर्चा तथा विश्लेषण

राजकोषीय वर्ष 2016 की राजकोषीय वर्ष 2015 से तुलना

राजकोषीय वर्ष 2016 में आपकी कंपनी की कुल आय 21,281.18 करोड़ रुपये थी जो राजकोषीय वर्ष 2015 में 17,780.04 करोड़ की कुल आय की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है। राजकोषीय वर्ष 2016 में पारेषण तथा पारेषण संबंधित क्रियाकलापों ने हमारी कुल आय के 93.72 प्रतिशत का संघटन किया जबकि शेष राशि हमें अपने परामर्शी, दूरसंचार व्यवसाय तथा अन्य आयों से प्राप्त हुई।

आय

प्रचालनों से राजस्व

(रु. करोड़ में)

प्रचालनों से राजस्व	राजकोषीय वर्ष 2016	राजकोषीय वर्ष 2015
पारेषण प्रभारों से राजस्व	19,944.51	16,521.74
परामर्शी परियोजना प्रबंध और पर्यवेक्षण–सेवाओं की बिक्री	465.46	380.60
दूरसंचार से राजस्व	392.25	274.89
कुल	**20,802.22**	**17,177.23**

हमारे प्रचालन परिणामों को प्रभावित करने वाले कारक

प्रशुल्क मानदंड

पारेषण ग्राहकों के लिए हमारे प्रभार केंद्र सरकार की प्रशुल्क नीति तथा विधान के अनुसरण में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ('सीईआरसी') द्वारा निर्धारित प्रशुल्क मानदंडों द्वारा अभिशासित किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 06 जनवरी, 2006 को जारी टैरिफ नीति के अनुसार केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधनों एवं शर्तों को निर्दिष्ट करते समय टैरिफ नीति द्वारा मार्गदर्शित होगा। सीईआरसी ने अपनी दिनांक 21 फरवरी, 2014 की अधिसूचना द्वारा टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए विद्युत के अंतरराज्यीय पारेषण के लिए प्रयुक्त संचार सहित पारेषण प्रणाली के लिए प्रयोज्य टैरिफ विनियमों को अधिसूचित किया है जो 01.04.2014 से 31.03.2019 तक लागू रहेंगे। प्रशुल्क ब्लॉक वर्ष 2014–16 के लिए प्रयोज्य विनियमों के तहत हमें अपने ग्राहकों से वार्षिक नियत लागत ('एएफसी') की वसूली हेतु पारेषण प्रभार प्रभारित करने की अनुमति है जिसमें शामिल संघटक हैं–इक्विटी पर प्रतिफल,

बकाया ऋण पर ब्याज, मूल्य ह्रास, प्रचालन और अनुरक्षण व्यय तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज।

इक्विटी पर प्रतिफल का परिकलन संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी दर पर इक्विटी पर प्रतिफल की 15.5 प्रतिशत की आधार दर सकलित करके पूर्व कर आधार पर किया जाता है। पहली अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् चालू की गई परियोजनाओं के मामले में इक्विटी पर 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रतिफल अनुमत किया जाएगा यदि ऐसी परियोजनाएं ब्लॉक वर्ष 2014–19 के लिए सीईआरसी प्रशुल्क विनियम के तहत विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर पूर्ण हो जाती हैं। तथापि, 50 किलोमीटर से कम लंबाई वाली पारेषण लाइन के लिए 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त आरओई अनुमत्य होगा। आरओई की दर ऐसी अवधियों के लिए 1 प्रतिशत तक घटाई जाती है जैसा कि सीईआरसी द्वारा निर्णय लिया जाता है यदि किसी पारेषण प्रणाली का डाटा टैलीमीटरी, भार प्रेषण केंद्र या संरक्षण प्रणाली तक संचारप्रणाली को चालू किए बिना वाणिज्यिक प्रचालन के तहत घोषित किया जाता है।

प्रशुल्क अवधि 2014–19 के वर्ष के लिए ऋण पूंजी की वापसी अदायगी को उस वर्ष के लिए अनुमत मूल्यह्रास के समतुल्य माना जाता है। आपकी कंपनी द्वारा उपभोग की गई किसी स्थगन अवधि के बावजूद, ऋण की वापसी अदायगी परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रशुल्क हेतु विचार में ली जाती है तथा यह अनुमत वार्षिक मूल्य ह्रास के समतुल्य होगी।

कार्यशील पूंजी पर ब्याज के लिए, कार्यशील पूंजी परिकलन में निम्न को शामिल किया जाता है: (i) दो माह की नियत लागत के समतुल्य प्राप्य राशि; (ii) प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय के 15 प्रतिशत की दर पर अनुरक्षण के अतिरिक्त पुर्जे, तथा (iii) एक माह के लिए प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय। कार्यशील पूंजी पर वर्ष के लिए ब्याज दर मानदंडात्मक आधार पर है तथा 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार अथवा उस वर्ष की पहली अप्रैल की स्थिति के अनुसार, जिसमें पारेषण प्रणाली को वाणिज्यिक प्रचालन में घोषित किया जाता है तथा 2014–15 से 2018–19 तक की टैरिफ अवधि के लिए 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पारेषण प्रणाली को वाणिज्यिक प्रचालन में घोषित किए जाने वाले वर्ष की पहली अप्रैल को जो भी बाद में हो, एसबीआई आधार दर जमा 350 आधार बिंदु (बैंक दर) है।

प्रशुल्क ब्लॉक वर्ष 2014–19 के लिए सीईआरसी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क मानदंडों के तहत आपकी कंपनी को प्रचालनात्मक मानदंड हासिल करने पर पारेषण प्रभार की वसूली अनुमत है। प्रोत्साहन भी दिया जाता है यदि हमारे पारेषण प्रभार की वसूली अनुमत है। प्रोत्साहन भी दिया जाता है यदि हमारे पारेषण नेटवर्क की उपलब्धता वैकल्पिक करंट प्रणालियों के संबंध में 98.5 प्रतिशत से ऊपर है, एचवीडीसी प्रणालियों के संबंध में 96 प्रतिशत से ऊपर और 99.75 प्रतिशत तक है तथा दंडित किया जाता है यदि हमारे नेटवर्क की उपलब्धता क्रमश: 98 प्रतिशत, 95 प्रतिशत से कम है। उपलब्धता प्रोत्साहन मासिक पारेषण प्रभारों के साथ संबद्ध हैं।

लाभभोगियों द्वारा पारेषण प्रभारों को साझा करना सीईआरसी द्वारा जारी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय पारेषण में पारेषण प्रभारों और हानियों को साझा करना) विनियम, 2010 द्वारा शासित होते हैं।

प्रशुल्क ब्लॉक वर्ष 2014–19 के लिए प्रयोज्य प्रशुल्क विनियम में प्रावधान है कि:

– सीईआरसी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए परियोजना के पूरा होने की विनिर्दिष्ट समय सीमा को 06 महीने तक बढ़ाया गया है।
– टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए वर्ष दर वर्ष ओ एण्ड एम प्रभारों में वृद्धि की दर 5.72 प्रतिशत थी और इसे पहली बार चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) की अवधारणा को लागू करके 3.32 प्रतिशत के रूप में माना गया है।

अंतर–राज्य पारेषण प्रभार एवं हानि संबंधी विनियम, 2010 जो दिनांक 01.07.2011 से प्रवृत्त हुआ, सीटीयू के रूप में पावरग्रिड सभी आईएसटीएस लाइसेंसी और कुछ गैर–आईएसटीएस लाइसेंसियों, जिनकी लाइनें आईएसटीएस के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु आरपीसी द्वारा प्रमाणित की गई हैं, की ओर से बिलिंग, संग्रहण और संवितरण (बीसीडी) के कार्यकलाप निष्पादित कर रहा है।

विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर

ब्लॉक वर्ष 2014–19 के लिए प्रशुल्क विनियमों के तहत आपकी कंपनी के पास विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और पारेषण प्रणाली के लिए अधिगृहीत विदेशी ऋण की आंशिक या पूर्ण वापसी अदायगी के संबंध में विदेशी मुद्रा देनदारी की संरक्षा करने तथा संगत वर्ष में मानदंडात्मक विदेशी ऋण के सदृश विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर संरक्षा की लागत वसूल करने का विकल्प है। यदि विदेशी मुद्रा देनदारी की संरक्षा नहीं की जाती तो संगत वर्ष में मानदंडात्मक विदेशी मुद्रा ऋण के सदृश ब्याज भुगतान तथा ऋण पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त रुपया देयता अनुमत है बशर्ते कि यह उत्पादन कंपनी या पारेषण लाइसेंसधारक या इसके आपूर्तिकर्ताओं या संविदाकारों पर आरोप्य न हो। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा देनदारी की कोई संरक्षा नहीं ली गई है।

अन्य सेवाओं से राजस्व

आपकी कंपनी परामर्श से (जिसमें परियोजना प्रबंधन तथा पर्यवेक्षी सेवाओं के लिए परामर्श शामिल है) तथा हमारे दूरसंचार व्यवसाय से भी राजस्व अर्जन करती है। हमारी परामर्शी आय में मुख्यत: ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों, संचार प्रणाली संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन तथा भारतीय राज्य यूटिलिटियों, अन्य देशों में संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा सहायक कंपनियों के लिए तकनीकी परामर्शी समनुदेशनों से शुल्क शामिल है। परामर्शी राजस्व से आय राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 465.46 करोड़ है जबकि राजकोषीय वर्ष 2015 में यह रु. 380.60 करोड़ थी जो 22.30 प्रतिशत की वृद्धि है।

हमारे दूरसंचार व्यवसाय से राजस्व मुख्यत: हमारी फाइबर आप्टिक लाइनों की बैंडविड्थ को लीज पर देने के कारण है। दूरसंचार राजस्व में राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 392.25 करोड़ थी जो राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 274.89 करोड़ थी अर्थात 42.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अन्य आय

आपकी कंपनी की अन्य आय राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 478.96 करोड़ थी जो राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 602.81 करोड़ की अन्य आय की तुलना में 20.55 प्रतिशत कम है।

(रु. करोड़ में)

अन्य आय	राजकोषीय वर्ष 2016	राजकोषीय वर्ष 2015
लाभांश – सहायक तथा अन्य	84.77	97.77
ब्याज आय – बांड तथा दीर्घावधिक अग्रिम	14.03	31.06
ब्याज आय – बैंक	60.52	229.22
ब्याज आय – अन्य	22.96	15.30
सहायक कंपनियों को ऋण पर ब्याज	49.23	-
नियत आस्तियों की बिक्री पर लाभ	1.59	1.90
अस्थगित आय (सहायतानुदान से अंतरण)	21.96	21.95
नियत आस्तियों की हानि के कारण बीमा प्रारक्षित राशि से अंतरण	5.29	20.21
राज्य क्षेत्रीय यू एल डी सी से लीज आय	34.76	37.18
ग्राहकों से विलंबित भुगतान पर अधिभार	92.91	65.95
एफ ई आर वी लाभ	0.05	12.46
विविध आय	86.99	64.31
पुनरांकित प्रावधान	3.90	5.50
कुल अन्य आय	**478.96**	**602.81**

अन्य आय में कमी मुख्यत: ब्याज में कमी संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्त लाभांश में कमी के कारण थी।

व्यय को निम्न प्रकार श्रेणीकृत किया गया है : – (i) कर्मचारी लाभ व्यय, (ii) वित्तपोषण लागतें, (iii) मूल्यह्रास व ऋणमुक्ति व्यय, (iv) पारेषण, प्रशासन तथा अन्य व्यय तथा (v) अवधि पूर्व मदें।

आपकी कंपनी का कुल व्यय राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 13,662.45 करोड़ था जो राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 11,490.66 करोड़ के कुल व्यय से 21.50 प्रतिशत अधिक है। कुल आय के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय राजकोषीय वर्ष 2015 में 64.63 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में 64.20 प्रतिशत था।

(i) कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ व्ययों में वेतन तथा मजदूरी, प्रोत्साहन, भत्ते, भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान तथा कर्मचारी कल्याण व्यय शामिल हैं।

आपकी कंपनी की वेतन नामावली में कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 8,575 कर्मचारी की तुलना में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 8,606 थी। कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 1023.65 करोड़ से राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 980.54 करोड़ हो गया जो 4.21 प्रतिशत की कमी है।

(ii) वित्तपोषण लागत

वित्तपोषण लागत राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 3,979.32 करोड़ से 26.23 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2016 से रु. 5022.97 करोड़ हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः भुनाए जाने वाले प्रतिभूत/ अप्रतिभूत बाण्डों से ऋण पर ब्याज के कारण था।

इन प्रभारों में रु. 194.22 करोड़ (पिछले वर्ष रु 167.43 करोड़ का) (आई ई डी सी को घटाकर) गारंटी शुल्क शामिल है जो हमारे विदेशी मुद्रा ऋणों के उधारदाताओं को गारंटियां देने के लिए भारत सरकार को संदेय है।

(iii)मूल्यह्रास तथा ऋण आस्थगन व्यय

आपकी कंपनी का मूल्यह्रास राजकोषीय वर्ष 2015 में 5085.41 करोड़ से लगभग 21.58 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 6182.76 करोड़ हो गया। यह वृद्धि मुख्यतः रु. 31,787.66 करोड़ मूल्य की नई पारेषण आस्तियों के चालू किए जाने के कारण तथा राजकोषीय वर्ष 2015 के दौरान चालू की गई रु. 21,761 करोड़ मूल्य की पारेषण आस्तियों का राजकोषीय वर्ष 2016 में पूर्ण प्रभाव पड़ने के कारण हुई।

प्रत्येक मूल्यह्रास योग्य आस्ति श्रेणी की सीईआरसी द्वारा यथानिर्धारित तकनीकी जीवनावधि को विचार में रखकर मूल्यह्रास प्रयोज्य किया गया है नामतः पारेषण लाइन 35 वर्ष और सब–स्टेशन – सीधी रेखा पद्धति पर 25 वर्ष ए सी और डीसी उप केंद्र तथा जीआईएस, जिसके निविदा आमंत्रित करने हेतु सूचना 01/04/2014 को या उससे पूर्व जारी की गई है, का उपयोगी जीवनकाल 35 वर्ष माना जाएगा।

परामर्शी तथा दूरसंचार व्यवसायों की आस्तियों की मूल्यह्रास दरें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची– II में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार लाभदायक जीवन के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रदान की गई है। 01 अप्रैल, 2014 से पूर्व चालू की गई यूएलडीसी आस्तियां 6.67 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रासित है।

(iv) पारेषण, प्रशासन तथा अन्य व्यय

पारेषण, प्रशासन तथा अन्य व्यय में मुख्यतः भवनों, संयंत्र तथा मशीनरी के मरम्मत तथा अनुरक्षण की लागतें तथा विद्युत प्रभार शामिल है। इस श्रेणी में अन्य मदों में यात्रा, सुरक्षा, वाहन किराया प्रभारों, हमारी संपत्तियों पर बीमा, किराया, महसूल तथा कर के लिए व्यय शामिल है।

पारेषण, प्रशासन तथा अन्य व्यय राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 1355.16 करोड़ से 13.70 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 1540.87 करोड़ हो गया। यह वृद्धि राजकोषीय वर्ष 2016 के दौरान विभिन्न समय बिंदुओं पर वर्धित रु0 31,787.66 करोड़ मूल्य के सकल ब्लॉक (मूर्त तथा अमूर्त आस्तियां) की वृद्धि के कारण है तथा राजकोषीय वर्ष 2015 के दौरान सकल ब्लॉक में वर्धित आस्तियों के पूर्ण वर्ष के प्रभाव के कारण है क्योंकि परियोजना के निर्माण के दौरान पहले पूंजीकृत किए जा रहे कतिपय व्ययों को अब परियोजना के चालू होने के उपरांत प्रचालनात्मक व्यय माना जाता है।

कर पूर्व लाभ

आपकी कंपनी का कर पूर्व लाभ राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 7618.73 करोड़ रुपए था जो राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 6289.38 करोड़ था। यह कर पूर्व लाभ पहले की तुलना में 21.14 प्रतिशत की वृद्धि है।

कर के लिए प्रावधान

राजकोषीय वर्ष 2016 में आपकी कंपनी ने रु. 1574.79 करोड़ के न्यूनतम वैकल्पिक कर के लिए प्रावधान किया जबकि इसकी तुलना में राजकोषीय वर्ष 2015 में यह न्यूनतम वैकल्पिक कर रु. 1280.99 करोड़ था। इस वृद्धि का मुख्य कारण राजकोषीय वर्ष 2016 में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में संवृद्धि का होना था।

अस्थगित कर के लिए प्रावधान मुख्यतः आयकर प्रावधानों के तहत उपलब्ध उच्चतर मूल्यह्रास दरों के कारण समय अंतर के संबंध में किया जाता है।

सीईआरसी द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2014–19 के लिए टैरिफ मानदंड पारेषण आय पर वर्ष के दौरान अदा किए गए वास्तविक कर पर आधारित वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर पर आधारित इक्विटी पर प्रतिफल को सकल बनाने का प्रावधान करते हैं। तद्नुसार, पारेषण आय पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्रदान किए गए अस्थगित कर को अस्थगित कर देनदारी के विरुद्ध अस्थगित आस्तियों के रूप में हिसाब में लिया गया है। वर्ष के लिए अस्थगित कर देनदारी के विरुद्ध अस्थगित आस्ति को भविष्य के वर्षों में उलट दिया जाएगा जब संबंधित अस्थगित कर देनदारी चालू कर का भाग बनती है।

कर पश्च लाभ

आपकी कंपनी का कर पश्च लाभ राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 6026.72 करोड़ था जो राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 4979.17 करोड़ के कर पश्च लाभ की तुलना में 21.04 प्रतिशत की वृद्धि है।

नकदी तथा पूंजी संसाधन

आपकी कंपनी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने तथा पूंजी आवश्यकताओं का निधियन करने के लिए नकदी के आंतरिक तथा बाह्य संसाधन, दोनों पर निर्भर है। पूंजीगत व्ययों का निधियन आंतरिक रूप से सृजित निधियों, एवं ऋण वित्तपोषण द्वारा किया गया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के पास रु. 2453.72 करोड़ की नकदी तथा नकदी समतुल्य मदें थी। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार हमारे पास पूंजी आवश्यकताओं के लिए लगभग रु. 149.18 करोड़ की अनप्रयुक्त बैंक गारंटियां भी थीं तथा हमारी कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए लगभग रु. 300 करोड़ की प्रतिबद्ध तथा अनाहरित नकद ऋण सुविधाएं ('नकद क्रेडिट') थी।

नकदी प्रवाह

(रु. करोड़ में)

	31 मार्च को समाप्त वर्ष	
	2016	2015
प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी	16,151.11	15,041.77
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी (प्रयुक्त)	(21,147.61)	(23,843.45)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी	5,387.24	6,447.14
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी समतुल्य	2,453.72	2,062.98

प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी

आपकी कंपनी के प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाहों का प्रयोग मुख्य रूप से पूंजीगत व्ययों के लिए दीर्घावधिक ऋण के शोधन के लिए, निवेशों के लिए तथा लाभांशों के लिए किया जाता है।

प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से निवल नकदी राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 15,041.77 करोड़ की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 16,151.11 करोड़ थी।

निवेश क्रियाकलापों में निवल नकदी (प्रयुक्त)

आपकी कंपनी की निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी की राशि राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 23,843.45 करोड़ की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 21,147.61 करोड़ थी। यह राशि नियत आस्तियों तथा चल रहे पूंजीगत कार्य के साथ–साथ निर्माणाधीन भंडारों पर रु. 20,487.78 करोड़ के व्यय को तथा रु. 167.69 करोड़ के ब्याज तथा लाभांश आय की प्राप्ति और सहायक कंपनियों को दिए गए रु. 930.02 करोड़ के ऋण को प्रतिबिम्बित करती है।

वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी

राजकोषीय वर्ष 2016 में, आपकी कंपनी को वित्तीय क्रियाकलापों से रु. 5,387.24 करोड़ रुपए का निवल नकद प्रवाह प्राप्त हुआ जबकि राजकोषीय वर्ष 2015 में यह राशि रु. 6,467.14 करोड़ थी। आपकी कंपनी ने रु. 17,199.23 करोड़ के नए उधार जुटाए। इन उधारों में मुख्यतः मूल्यवर्ग के बाण्ड और विदेशी करेंसी बाण्ड शामिल थे।कंपनी ने 5,772.15 करोड़ के उधारों की वापसी अदायगी कर दी तथा रु. 4,714.84 करोड़ के ब्याज तथा वित्त प्रभार अदा किए। राजकोषीय वर्ष 2016 में हमने रु. 1,103.87 करोड़ के लाभांश अदा किए जिनमें राजकोषीय वर्ष 2015 के लिए अंतिम लाभांश तथा राजकोषीय वर्ष 2016 के लिए अंतरिम लाभांश शामिल हैं। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए लाभांश (15.10 प्रतिशत की दर से प्रस्तावित अंतिम लाभांश सहित) रु. 1208.50 करोड़ है। लाभांश भुगतान कर पश्च लाभ का 20.25 प्रतिशत बैठता है।

पूंजीगत व्यय

आपकी कंपनी के पूंजीगत व्यय प्रमुखतः नई पारेषण क्षमता की संस्थापना तथा विद्यमान क्षमता के विस्तार के लिए है। राजकोषीय वर्ष 2016 तथा राजकोषीय वर्ष 2015 में हमारा पूंजीगत व्यय क्रमशः रु. 22,584 करोड़ तथा रु. 22,456 करोड़ था।

इक्विटी पर प्रतिफल

राजकोषीय वर्ष 2016 में हमें हमारे प्रशुल्कों के तहत पारेषण आस्तियों पर अनुमत इक्विटी पर प्रतिफल 15.5 प्रतिशत रहा है। हमारे संपूर्ण व्यवसाय में विभिन्न अवधियों में इक्विटी पर वास्तविक प्रतिफल राजकोषीय वर्ष 2015 में 13.09 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में 14.15 प्रतिशत है।

नियत आस्तियां

आपकी कंपनी की कुल नियत आस्तियां 31 मार्च, 2016 तथा 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमशः रु. 1,49,108.59 करोड़ तथा रु. 1,29,568. 40 करोड़ थी। नियत आस्तियों को निम्न प्रकार श्रेणीकृत किया गया है – (i) मूर्त आस्तियां, (ii) अमूर्त आस्तियां (iii) चालू पूंजीगत कार्य तथा (iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां।

निरीक्षण

(i) मूर्त आस्तियां

हमारी नियत आस्तियों में संयंत्र तथा मशीनरी जैसे पारेषण लाइनें, उप केंद्र, एचवीडीसी तथा यूएलडीसी उपकरण तथा अन्य पारेषण उपकरण, भवन, भूमि, कार्यालय उपकरण, फिक्सचर तथा मोटर वाहन शामिल हैं। मूर्त आस्ति मूल्य (निवल ब्लॉक) में राजकोषीय वर्ष 2015 की रु. 88,902.51 करोड़ की मूर्त आस्तियां 28.46 प्रतिशत बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 1,14,207.36 करोड़ हो गई है। यह वृद्धि मुख्यतः नई पारेषण आस्तियों की कमीशनिंग के कारण है।

(ii) अमूर्त आस्तियां

हमारी अमूर्त आस्तियों में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तथा मार्गाधिकार–वानिकीकरण व्यय शामिल हैं। अपरिशोधित अमूर्त आस्तियों (निवल ब्लॉक) का मूल्य राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 783.70 करोड़ से बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 950.54 करोड़ हो गया जो 21.29 प्रतिशत की वृद्धि है।

(iii) चालू पूंजीगत कार्य

आपकी कंपनी का चालू पूंजीगत कार्य 31 मार्च, 2016 तथा 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमशः रु. 33,778.58 करोड़ तथा रु. 39,670.90 करोड़ था जो 14.85 प्रतिशत की कमी है। खपत की गई सामग्री की लागत, उन्निर्माण प्रभार तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपगत अन्य व्यय पूर्ण हुई परियोजना के पूंजीकरण किए जाने तक तुलनपत्र में चालू पंजीगत कार्य के रूप में दर्शाए गए हैं। इस राशि में परिवर्तन अनेक पारेषण परियोजनाओं की कमीशनिंग पर उन परियोजनाओं के पूंजीकरण के कारण तथा नई पारेषण परियोजनाएं शुरू करने के कारण हैं।

(iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां

परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उपगत वानिकीकरण व्यय (पूंजीकरण होने तक) तुलन पत्र में विकासाधीन अमूर्त आस्तियों के रूप में दर्शाए गए हैं। विकासाधीन अमूर्त आस्तियों का मूल्य 31 मार्च, 2016 तथा 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमशः रु. 172.11 करोड़ तथा रु. 211.29 करोड़ था।

निर्माण भंडार

निर्माण भंडार 31 मार्च, 2016 तथा 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमशः रु. 9,859.87 करोड़ तथा रु. 13,041.96 करोड़ के थे। ये राशियां नई तथा चल रही पारेषण परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री की अधिप्राप्ति पर पूंजीगत व्यय को दर्शाती हैं। इन राशियों में कमी मुख्यतः नई पारेषण परियोजनाएं शुरू करने के कारण है।

निवेश

निवेशों को चालू तथा गैर–चालू श्रेणियों में श्रेणीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, गैर–चालू निवेश तथा चालू निवेश क्रमशः रु. 771.28 करोड़ तथा रु. 35.64 करोड़ के थे जबकि 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ये क्रमशः रु. 740.99 करोड़ और रु. 185.43 करोड़ के थे। "चालू" श्रेणी के तहत निवेश वे हैं जो वसूलनीय हैं या रिपोर्टिंग तिथि के पश्चात 12 महीनों के भीतर वसूली योग्य होने आशयित हैं। आपकी कंपनी के राजकोषीय वर्ष 2016 के लिए निवेशों में मुख्य रूप से बाण्ड शामिल हैं।

ऋण तथा अग्रिम

ऋणों तथा अग्रिमों को दीर्घावधिक तथा अल्पावधि श्रेणियों में श्रेणीकृत किया गया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम तथा अलपावधि ऋण तथा अग्रिम 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमशः रु. 4838.56 करोड़ तथा 794 करोड़ की तुलना में रु. 4177.89 करोड़ तथा रु. 566.42 करोड़ के थे। ऋणों तथा अग्रिमों में पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, कर्मचारियों को ऋण, लीज प्राप्त राशि (जो सभी पांच क्षेत्रों के राज्य क्षेत्र यूएलडीसी, जिनके संबंध में उन क्षेत्रों के संघटक कंपनी को वित्त पट्टा आधार पर प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, के संबंध में कंपनी द्वारा किए गए कतिपय पूंजीगत व्यय की द्योतक है), संविदाकारों को ऋण तथा अग्रिम, अग्रिम आयकर तथा स्रोत पर कर कटौती और कर प्राधिकरणों के पास अन्य जमाराशियां, सहायक कंपनियों को ऋण, संबंधित पक्षकारों को अग्रिम तथा सभी अन्य ऋण शामिल हैं तथा इनमें वे अग्रिम शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि से अगले 12 माह के भीतर या सामान्य प्रचालन चक्र में, जो भी लंबा हो, वसूल किए जाने की आशा नहीं है। राजकोषीय वर्ष 2015 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में ऋणों तथा अग्रिमों में हुई वृद्धि मुख्यतः सहायक कंपनियों को ऋण में वृद्धि के कारण थी।

वस्तु सूचियां

वस्तु सूचियों का मूल्य निर्धारण भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत तथा निवल वसूलनीय मूल्य में से निम्नतर पर किया जाता है। वस्तु सूचियों की लागत 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार रु. 823.68 करोड़ की थी जबकि 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार वस्तु सूचियों की लागत रु. 717.75 करोड़ थी। हमारी वस्तु सूचियों में पारेषण लाइन मदें यथा टावर पुर्जे, कंडक्टर, इंसुलेटर तथा अन्य मदें एवं उप केंद्र मदें यथा ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आईसीटी तथा अन्य मदें शामिल हैं। हमारी वस्तु सूचियों की लागत राजकोषीय वर्ष 2015 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में आपकी कंपनी द्वारा पारेषण नेटवर्क का विस्तार करना तथा नई परियोजनाओं का पूंजीकरण किया जाना जारी रखने के कारण बढ़ गई।

व्यापार से प्राप्य राशि

व्यापार से प्राप्य राशि में मुख्यतः पारेषण सेवाओं से जुड़ी प्राप्य राशि तथा साथ ही परामर्शी सेवाओं तथा दूरसंचार सेवाओं से प्राप्य राशि भी शामिल हैं। हमारी व्यापार प्राप्य राशियां 31 मार्च, 2016 तथा 2015 की स्थिति के अनुसार क्रमशः रु. 2,737.97 करोड़ तथा रु. 2,118.65 करोड़ थी। व्यापार प्राप्य राशियों में राजकोषीय वर्ष 2015 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में 29.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

महत्वपूर्ण रूप से हमारी सभी प्राप्य राशि एकबारगी निपटान योजना के अनुसरण में साख पत्रों द्वारा संरक्षित हैं, जिसके अनुसरण में हमारी कोई महत्वपूर्ण ऋण संग्रहण समस्याएं नहीं हैं।

अन्य वर्तमान आस्तियां

31 मार्च, 2016 तथा 2015 की स्थिति के अनुसार हमारी अन्य वर्तमान आस्तियां क्रमशः रु. 3,136.79 करोड़ तथा रु. 2,278.87 करोड़ थी। अन्य वर्तमान आस्तियों में राजकोषीय वर्ष 2015 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में 37.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः मासिक बिल में वृद्धि और राजकोषीय वर्ष 2016 के दौरान चालू की गई कुछ आस्तियों के लिए सीईआरसी टैरिफ आदेश की अनुपलब्धता के कारण है।

ऋणग्रस्तता

हम रुपया तथा विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित उधारों, दोनों पर निर्भर हैं। हमारे विदेशी निधियन का एक महत्वपूर्ण भाग बहुपक्षीय अभिकरणों जैसे विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से दीर्घावधिक विदेशी मुद्रा ऋणों के जरिए है, जहां ऐसे ऋणों के तहत हमारे निष्पादन की गारंटी भारत सरकार देती है।

निम्न सारणी में मुद्रा के अनुसार हमारा बकाया कर्ज तथा अवधियां दी गई हैं जिनके दौरान ऋण राशियां परिपक्व होंगी या भुगतान अन्यथा देय है। मुद्रा रूपांतरण 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार है :

(रु. करोड़ में)

ऋण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 से आगे	31.03.2016 को शेष
घरेलू बाण्ड	3,446.00	3,812.47	5,211.98	6,742.98	43,174.51	62,387.94
घरेलू ऋण	454.23	454.00	454.00	1,454.00	9,669.00	12,485.23
विदेशी मुद्रा ऋण						
अमरीकी डालर	1,793.50	1,579.11	1,659.46	1,906.65	20,950.15	27,888.87
यूरो	48.60	57.10	57.10	57.10	628.32	848.22
एस ई के	328.47	367.90	367.90	367.90	1159.51	2,591.68
जे पी वाई	10.86	10.86	10.86	10.86	76.03	119.47
सकल योग	**6,081.66**	**6,281.44**	**7,761.30**	**10,539.49**	**75,657.52**	**10,6321.41**

दीर्घावधिक उधार

31 मार्च, 2016 तथा 2015 की स्थिति के अनुसार आपकी कंपनी के दीर्घावधिक उधार क्रमशः रु. 1,00,239.75 करोड़ तथा रु. 89,375.84 करोड़ के थे। दीर्घावधिक उधारों में बाण्डों के हमारे निजी व्यवस्थापन से जुटाई गई राशियां, बैंकों से सावधिक ऋण, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, के एफ डब्ल्यू जर्मनी और अन्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं से जुटाए गए ऋण शामिल हैं। विगत वर्ष के दौरान नई परियोजनाओं में वर्धित निवेश के कारण हमारे उधार बढ़ गए हैं।

प्रतिभूत ऋण

31 मार्च, 2016 तथा 2015 की स्थिति के अनुसार हमारे प्रतिभूत ऋण (दीर्घावधिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वताओं को छोड़कर) क्रमशः रु. 94,176.18 करोड़ तथा रु. 84,554.04 करोड़ के थे। इनमें से अधिकांश ऋण कंपनी की चल तथ अचल संपत्तियों पर अस्थिर प्रभारों द्वारा प्रतिभूत किए गए हैं। निम्न सारणी में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूत ऋण को दर्शाया गया है :

	राशि (रु. करोड़ में)	कुल प्रतिभूत ऋण का प्रतिशत
रुपयों में मूल्यवर्गित बाण्ड	58,941.94	62.59
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अन्य ऋण तथा अग्रिम :		
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित *	23,203.24	24.64
रुपए में मूल्यवर्गित	12,031	12.77
जोड़	**94,176.18**	**100**

अप्रतिभूत ऋण

31 मार्च, 2016 तथा 2015 की स्थिति के अनुसार हमारे अप्रतिभूत ऋण (वर्तमान परिपक्वताओं को छोड़कर) क्रमशः रु. 6,063.57 करोड़ तथा रु. 4,821.80 करोड़ के थे, जिनमें विदेशी वित्तीय संस्थाओं जैसे फ्रांस में नैटिक्सिस (भूतपूर्व क्रेडिट नेशनल), जापान में जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेंसी (भूतपूर्व जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक) स्वीडन में स्कांडीनेविस्का बैंकन (पब्ल) तथा ए बी स्वेन्स्क एक्सपोर्ट क्रेडिट, स्वीडन से ऋण, शामिल हैं।

निम्न सारणी 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार हमारे अप्रतिभूत ऋण दर्शाती है :

	राशि (रु. करोड़ में)	कुल प्रतिभूत ऋण का प्रतिशत
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बाण्ड	3,345.00	55.17
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अन्य ऋण तथा अग्रिम :		
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित	2,718.57	44.83
रुपयों में मूल्यवर्गित	-	-
जोड़	**6,063.57**	**100**

मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम (एएडी)

मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम प्रशुल्क का ऐसा घटक है, जिसको परिसंपत्तियों पर किसी वर्ष में मूल्यह्रास के संदर्भ में हुई हानि को पूरा करने और ऋणों की वापसी–अदायगी के लिए प्रभारित करने के लिए हमें ब्लॉक वर्ष 2004–09 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी किए गए विनियमों के तहत अनुमति प्रदान की गई थी। एएडी को 2009–14 के प्रशुल्क ब्लॉक में ही समाप्त कर दिया गया तथा मूल्यह्रास को पुनः परिकलित किया गया। इन प्रशुल्क मानदंडों और मूल्यह्रास की दरों में 1.4.2009 से परिवर्तन के कारण बकाया एएडी को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 12 वर्ष के पश्चात पारेषण आय के रूप में उस सीमा तक माना गया है जहां तक पारेषण प्रणाली के संबंध में प्रभारित मूल्यह्रास प्रशुल्काधीन मूल्यह्रास वसूली से अधिक है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, हमारा एएडी राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 1938.57 करोड़ से 7.38 प्रतिशत घटकर राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 1,795.57 करोड़ हो गया।

चालू देयताएं

आपकी कंपनी की चालू देयताएं दिनांक 21 मार्च, 2016 को रु. 25,253.57 करोड़ की थी (पिछले वर्ष रु. 21,864.52 करोड़)। चालू देयताओं में अल्पावधि उधार, दीर्घावधिक उधारों की वर्तमान परिपक्वताएं, व्यापार संदेय, अल्पावधि प्रावधान तथा अन्य चालू देयताएं शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च, 2015 की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2016 को चालू देयताएं 15.50 प्रतिशत अधिक थी। यह वृद्धि मुख्यतः राजकोषीय वर्ष 2015 में रु. 1,200 करोड़ से बढ़कर राजकोषीय वर्ष 2016 में रु. 2,000 करोड़ तथा दीर्घावधि उधारों की वर्तमान परिपक्वताओं के होने के कारण हुई है।

आकस्मिक देयताएं

निम्नलिखित सारणी में दिनांक 31 मार्च, 2016 और दिनांक 31 मार्च, 2015 को हमारी कंपनी की आकस्मिक देयताओं के मूल घटक दिए गए हैं :

आकस्मिक देयताएं		(रु. करोड़ में)
विवरण	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
निम्नलिखित के संदर्भ में ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए कंपनी के विरुद्ध दावे		
पूंजीगत कार्य	1,666.86	219.14
भूमि की क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले	4,041.30	2,253.11
अन्य दावे	28.66	44.09
विवादित कर मामले–आय कर/ बिक्री कर/ उत्पाद शुल्क	359.03	391.22
अन्य	342.33	303.56
पावरग्रिड की निम्न पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनियों की ओर से प्रदत्त कार्य के निष्पादन के लिए दी गई बैंक गारंटियां		
– पावरग्रिड एन एम ट्रांसमिशन लिमिटेड	45.00	45.00
– पावरग्रिड वाइज़ाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	45.00	45.00
– पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.40	5.40
– पावरग्रिड काला एम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.96	5.96
– पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.50	31.50
– पावरग्रिड वरोरा पारेषण लिमिटेड	62.10	-
– पावरग्रिड परली पारेषण लिमिटेड	63.90	-
– पावरग्रिड दक्षिण अंतर्संयोजक पारेषण प्रणाली लिमिटेड	110.04	-
– पावरग्रिड वाइज़ाग पारेषण लिमिटेड द्वारा जारी बाण्ड के निमित्त दायित्वों के निर्वाह एवं देय एवं समयबद्ध भुगतान के लिए गारंटी	290.00	-
उपयोग	658.90	132.86
जोड़	**7,097.08**	**3,343.98**

राजकोषीय वर्ष 2015 की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2016 में आकस्मिक देयताओं में 112.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः निम्न कारणों से हुई है –(i) पूंजीगत कार्य; (ii) भूमि मुआवजे के मामले और (iii) पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों की ओर से दी गई बैंक गारंटी।

संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों का व्यवसाय और वित्तीय समीक्षा

संयुक्त उद्यम कंपनियां

क) पावरलिंक्स पारेषण लिमिटेड (पावरलिंक्स)

पावरग्रिड और टाटा पावर इस संयुक्त उद्यम कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और क्रमशः 49 प्रतिशत और 51 प्रतिशत की इक्विटी पर इन दोनों कंपनियों का स्वामित्व है। कंपनी का गठन ताला एचईपी से संबद्ध पारेषण लाइनों, पूर्वोत्तर परस्पर–संपर्क और पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश तक उत्तर क्षेत्र पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए किया गया था तथा यह विद्युत पारेषण के क्षेत्र में पावरग्रिड की पहली सरकारी निजी भागीदारी थी। पावरलिंक्स ने प्रगामी रूप से अगस्त, 2006 में परियोजना को सफलतापूर्वक शुरू किया और यह पहली सितंबर, 2006 से वाणिज्यिक प्रचालन कर रही है। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पावरलिंक्स के रु. 483.60 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और रु. 468 करोड़ की चुकता पूंजी है जिसमें से पावरग्रिड की हिस्सेदारी रु. 229.32 करोड़ रुपए है। पावरलिंक्स ने राजकोषीय वर्ष, 2016 के लिए 19 प्रतिशत के कुल लाभांश का भुगतान किया है जो रु. 43.57 करोड़ की राशि का है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2016	राजकोषीय वर्ष 2015
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	229.32	229.32
सकल आय	248.24	257.98
कर पश्चात लाभ	108.96	112.11
प्रति शेयर अर्जन*	2.33	2.40

*प्रति शेयर अंकित मूल्य रु. 10/– प्रत्येक है।

ख) जेपी पावरग्रिड लिमिटेड (जेपीएल)

कंपनी का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित 1000 मेगावाट करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन वांगटू से अब्दुल्लापुर तक किया जाना था। दिनांक 31.02.2015 की स्थिति के अनुसार जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड और पावरग्रिड की इक्विटी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार जेपीएल की अधिकृत एवं प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 300 करोड़ है, इसमें पावरग्रिड की इक्विटी रु. 78 करोड़ है। परियोजना को प्रगामी रूप से अप्रैल 2012 में शुरू किया गया। जेपीएल ने राजकोषीय वर्ष 2016 के लिए 12.5 प्रतिशत के कुल लाभांश का भुगतान किया है, जिसकी राशि रु. 9.75 करोड़ की है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2016	राजकोषीय वर्ष 2015
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	78.00	78.00
सकल आय	50.37	68.31
कर पश्चात लाभ/ (हानि)	50.37	68.31
प्रति शेयर अर्जन*	1.68	2.28

*प्रति शेयर अंकित मूल्य रु. 10/– प्रत्येक है।

ग) टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड (टीपीएल)

कंपनी का मुख्य उद्देश्य गुजरात के सूरत जिले में अखाखोल स्थित टोरेंट पावर लिमिटेड (टीपीएल) के उत्पादन केंद्र की 1100 मेगावाट की गैस आधारित परियोजना (सुजेन) से संबद्ध पारेषण प्रणाली की स्थापना करना था। इस कंपनी में पावरग्रिड और टोरेंट पावर लिमिटेड की क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी है। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार टीपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 125 करोड़ और चुकता पूंजी रु. 90 करोड़ है जिसमें से पावरग्रिड का शेयर रु. 23.40 करोड़ है। परियोजना को प्रगामी रूप से मार्च, 2011 में शुरू किया गया और यह प्रचालन में है।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2016	राजकोषीय वर्ष 2015
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	23.40	23.40
सकल आय	56.25	60.15
कर पश्चात लाभ/ (हानि)	7.72	13.90
प्रति शेयर अर्जन*	0.86	1.55

*प्रति शेयर अंकित मूल्य रु. 10/– प्रत्येक है।

घ) नॉर्थ ईस्ट पारेषण कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी)

पावरग्रिड ने त्रिपुरा राज्य में स्थापित 726.6 मेगावाट पालाताना गैस–आधारित विद्युत परियोजना से संबद्ध 400 केवी डी/सी पालाताना–सिल्चर बोंगई गांव पारेषण परियोजना की पारेषण लाइन स्थापित करने के लिए ओएनजीसी त्रिपुरा पावर प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (ओटीपीसी), त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम सरकार, असम विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड, मेघालय तथा नागालैंड के साथ फरवरी, 2009 में एक संयुक्त उद्यम करार निष्पादित किया। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम "नॉर्थ ईस्ट पारेषण लिमिटेड" रखा गया है। उत्पादक कंपनी ओटीपीसीएल, ओएनजीसी लिमिटेड, त्रिपुरा सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एण्ड एफएस लिमिटेड) का एक संयुक्त उद्यम है। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार एनईटीसीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 600 करोड़ और चुकता शेयर पूंजी रु. 411.4 करोड़ है, इसमें पावरग्रिड की इक्विटी रु. 106.96 करोड़ है। परियोजना को क्रमिक रूप से फरवरी, 2015 में चालू किया गया।

कंपनी की वित्तीय विशेषताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2016	राजकोषीय वर्ष 2015
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	106.96	106.96
सकल आय	439.43	373.16
कर पश्चात लाभ/ (हानि)	(135.05)	124.68
प्रति शेयर अर्जन*	(3.28)	3.03

*प्रति शेयर अंकित मूल्य रु. 10/– प्रत्येक है।

ङ) पार्बती कोलडैम पारेषण कंपनी लिमिटेड (पीकेटीसीएल)

पावरग्रिड ने पार्बती–II (800 मेगावाट) एचईपी और कोलडैम (800 मेगावाट) एचईपी से संबद्ध पारेषण लाइनों के कार्यान्वयन हेतु रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (आरईएल) अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ 23 नवंबर, 2007 को एक संयुक्त उद्यम करार किया था। संयुक्त उद्यम मार्ग के जरिए पार्बती तथा कोलडैम पारेषण प्रणालियों का क्रियान्वयन पार्बती कोलडैम पारेषण कंपनी लिमिटेड नामक कंपनी ने शुरू किया तथा सितंबर, 2008 में पारेषण लाइसेंस प्राप्त किया। दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार पीकेटीसीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 331 करोड़ और चुकता पूंजी रु. 272.82 करोड़ है, इसमें पावरग्रिड की इक्विटी रु. 70.94 करोड़ है। परियोजना क्रमिक रूप से नवम्बर 2015 में शुरू की गई और इसमें रु. 15.16 करोड़ का लाभ है।

च) तीस्तावैली पॉवर पारेषण लिमिटेड (टीपीटीएल)

पावरग्रिड ने तीस्ता–III की पारेषण लाइनों अर्थात किशनगंज उप केंद्र (करणीडिगी) तक 1200 मेगावाट तीस्ता–III जल विद्युत पावर परियोजना से संबद्ध 400 केवी डी/सी लाइन के कार्यान्वयन हेतु तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) के साथ 23 नवंबर, 2007 को एक संयुक्त उद्यम करार किया, इस संयुक्त उद्यम में पावरग्रिड की इक्विटी शेयरधारिता 26 प्रतिशत और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) की इक्विटी शेयरधारिता 74 प्रतिशत की है तथा कंपनी को राजकोषीय वर्ष 2009 में पारेषण लाइसेंस प्राप्त हुआ है। परियोजना 75:25 के ऋण : इक्विटी के अनुपात पर क्रियान्वित की गई है। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार टीपीटीएल की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 275 करोड़ और प्रदत्त पूंजी रु. 258.14 करोड़ है, जिसमें पावरग्रिड की इक्विटी रु. 67.11 करोड़ की है। चूंकि परियोजना क्रियान्वयनाधीन है, इसे कोई प्रचालन लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

छ) नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा. लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

एनएचपीटीएल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रिड, डीवीसी और सीपीआरआई की प्रत्येक की 20 प्रतिशत समान इक्विटी प्रतिभागिता वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। एनएचपीटीएल का मुख्य उद्देश्य देश में एक ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट सुविधा स्थापित करना है। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र, स्वशासित, अत्याधुनिक, व्यावसायिक रूप से प्रबंधित, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी की ऑन लाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट सुविधा होगी जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विद्युत उपस्करों के लिए पूर्ण शॉर्ट सर्किट परीक्षण प्रदान करने के लिए बीना (मध्य प्रदेश) में देश

मे पहली बार स्थापित की जा रही है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार एनएचपीटीएल की रु. 153 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी और रु. 110.48 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी है, जिसमे से पावरग्रिड के रु. 23.90 करोड़ के शयेर हैं। यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और इसलिए कोई प्रचालन लाभ नही है।

ज) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

पावरग्रिड ने नंवर, 2009 मे एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ समान भागीदारी (प्रत्येक 25 प्रतिशत इक्विटी) मे एक संयुक्त उद्यम करार किया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के संबंध मे किए जाने वाले उपायो को बढ़ावा देगी, और यह सरकारी भवनो, परामर्शदायी समनुदेशनो आदि की ऊर्जा लेखापरीक्षा से संबंधित कारोबारो कर रही है। दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 500 करोड़ और चुकता पूंजी रु. 165 करोड़ है, इसमे पावरग्रिड की इक्विटी रु. 22.5 करोड़ है अर्थात (13.6 प्रतिशत)।

झ) बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल)

पावरग्रिड ने 50:50 इक्विटी प्रतिभागिता के आधार पर बिहार राज्य मे अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य विद्युत (नियंत्रक) कंपनी लिमिटेड [बीएसपी(एच)सीएल] के साथ 29.12.2012 को शेयरधारक करार निष्पादित किया है। कंपनी चरण–IV, भाग– I, मे रु. 1699 करोड़ मूल्य की बिहार पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। कंपनी को बी ई आर सी द्वारा जून, 2013 मे पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार बीजीसीएल की प्राधिकृत पूंजी रु. 200 करोड़ है और प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 80.61 करोड़ है, जिसमे से पावरग्रिड के रु. 40.30 करोड़ के शेयर हैं। परियोजना कार्यान्वित की जा रही है अतः कोई प्रचालन लाभ नही है।

ञ) कलिंग विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड (केबीपीएनएल)

पावरग्रिड ने 50:50 इक्विटी प्रतिभागिता के आधार पर ओडिशा राज्य मे अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए ओपीटीसीएल के साथ 04.01.2013 को शेयरधारक करार निष्पादित किया गया। चरण– I परियोजनाओ (मूल्य रु. 599.50 करोड़) के लिए पारेषण लाइसेंस ओईआरसी द्वारा प्रदान किया गया है।

ट) आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमि. (आरपीटीपीएल)

पावरग्रिड और आरआईएनएल ने भारत और विदेश मे पारेषण लाइन टावर विनिर्माण व्यापार मे उभरते हुए अवसर का उपयोग करने की दृष्टि से विशाखापत्तनम मे पारेषण लाइन टावर (टीएलटी) विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए 50:50 की इक्विटी प्रतिभागिता पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी 'आर आई एन एल पावरग्रिड टी एल टी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल)" बनाई है।

आरआईएनएल पारेषण लाइन टावर और टावर के हिस्से पुर्जों के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी को री–रोलेबल स्टील/ काले एंगल के रूप मे गुणवत्ता की कच्ची सामग्री की आपूर्ति करेगा। इस टीएलटी विनिर्माण संयंत्र की वार्षिक क्षमता 120,000 टन होगी।

यह संयुक्त उद्यम कंपनी 20 लाख रु. की आरंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी से 19.08.2015 को निगमित की गई थी। बाद मे प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाई गई थी और 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार आरपीटीपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 2.00 करोड़ है। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

ठ) क्रॉस बार्डर पावर पारेषण कंपनी लिमिटेड (सीपीटीसीएल)

पावरग्रिड ने पारेषण लाइन के भारतीय भाग अर्थात 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर–ढलकेबार भारत–नेपाल क्रॉस बार्डर पारेषण लाइन के भारतीय पक्ष पर मुजफ्फरपुर–सुरसांद भाग के क्रियान्वयन के लिए आईएलएण्ड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमि. (आईईडीसीएल), सतलुज जल विद्युत निगम लिमि. (एसजेवीएनएल) तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एन ई ए) के साथ जुलाई, 2012 मे एक संयुक्त करार निष्पादित किया है। जे वी सी मे पावरग्रिड, एस जे वी एन एल, आई ई डी सी एल तथा एनईए, का इक्विटी योगदान क्रमशः 26 प्रतिशत, 26 प्रतिशत, 38 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत है। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 252.83 करोड़ है। परियोजना को 80:20 ऋण प्रतिशत इक्विटी अनुपात पर क्रियान्वित किया जा रहा है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सीपीटीसीएल की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 75 करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी रु. 39.69 करोड़ की है, जिसमे पावरग्रिड के शेयर रु. 10.32 करोड़ के हैं। यह लाइन 19 फरवरी, 2016 से वाणिज्यिक प्रचालन मे है।

ड) पावर पारेषण कंपनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन)

पावरग्रिड ने 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर ढलकेबार भारत नेपाल क्रॉस बॉर्डर पारेषण लाइन के नेपाली भाग अर्थात पारेषण लाइन के ढलकेबार– भिटामोड संभाग के क्रियान्वयन के लिए आई ई डी सी एल तथा एन ई ए हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवपलमेंट कंपनी लिमि. (एचआईडीसीएल) के साथ अप्रैल, 2014 मे एक संयुक्त करार निष्पादित किया है। पीटीसीएन मे पावरग्रिड, एन ई ए तथा एच आई डी सी एल तथा आईईडीसीएल का क्रमशः 26 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 14 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत इक्विटी का हिस्सा है। परियोजना की अनुमानित लागत रु. 101 करोड़ है तथा परियोजना को 70:30 ऋण प्रतिशत इक्विटी अनुपात पर क्रियान्वित किया जा रहा है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पीटीसीएन की प्राधिकृत पूंजी रु. 300 मिलियन नेपाल रुपए है तथा चुकता पूंजी रु. 300 मिलियन नेपाली रुपए है। वर्तमान मे पावरग्रिड की इक्विटी 78 मिलियन नेपाली रुपए (रु. 4.88 करोड़) है। लाइन का नेपाली तथा भारतीय भाग दोनो देशो के बीच विद्युत के आदान–प्रदान को सुकर बनाएगा। यह लाइन 19 फरवरी, 2016 से वाणिज्यिक प्रचालन मे है।

सहायक कंपनियां

क) पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको)

पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको) की स्थापना दिनांक 20.03.2009 को पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप मे की गई थी। पोसोको स्वतंत्र प्रणाली प्रचालन के लिए जिम्मेदार है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पोसोको की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 200 करोड़ और चुकता पूंजी रु. 30.64 करोड़ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए रु. 4.75 करोड़ का अंतरिम लाभांश दिया है।

(रु. करोड़ मे)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2016	राजकोषीय वर्ष 2015
सकल आय	231.65	250.02
कर पश्चात लाभ	55.55	48.04
प्रति शेयर अर्जन*	17.90	14.97

*प्रति शेयर अंकित मूल्य रु. 10/– प्रत्येक है।

ख) पावरग्रिड एन एम ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड एन एम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरग्रिड एन एम टी एल), जो पहले नागापट्टिनम मधुगिरी ट्रांसमिशन के नाम से ज्ञात थी, का अधिग्रहण पावर ग्रिड द्वारा पीएफसी कंसल्टिंग लिमि. (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से नागापट्टिनम/ कुड्डलोर क्षेत्र (पैकेज ए) के आईपीपी से संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम को स्थापित करने के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 29 मार्च, 2012 को किया गया था। इस अधिग्रहण के पश्चात, पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमि. पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई है। ट्रांसमिशन सिस्टम मे 765 केवी डी/सी और 765 केवी एस/सी लाइनें शामिल हैं जो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यो से गुजरेंगी। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पावरग्रिड एनएमटीएल की प्राधिकृत पूंजी रु. 65 करोड़ तथा प्रदत्त अंश पूंजी रु. 24 करोड़ है। सीईआरसी द्वारा जून, 2013 मे कंपनी को लाइसेंस प्रदान किया गया है। परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

ग) पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमि. (वीटीएल) का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 30 अगस्त, 2013 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के आयात के लिए दक्षिणी क्षेत्र मे प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी

लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात, वीटीएल पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई है। यह पारेषण प्रणाली श्रीकाकुलम–वेमागिरि 765 केवी टी/सी लाइन और खम्मम–नागार्जुन सागर 400 केवी टी/सी वाली यह पारेषण प्रणाली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्य से गुजरेगी। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, वीटीएल की प्राधिकृत तथा प्रदत्त अंश पूंजी रु. 54.73 करोड़ है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा जनवरी, 2014 में पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है। पावरग्रिड विजाग पारेषण लिमिटेड ने 8.90 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बाण्ड निर्गम, ब्याज 5 वर्ष के पश्चात देय होगा, के माध्यम से घरेलू स्रोतों से रु. 290 करोड़ की राशि सफलतापूर्वक जुटाई है। खम्मम–नागार्जुन सागर 400 केवी टी/सी लाइन वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान शुरू कर दी गई है। श्रीकाकुलम–वेमागिरी 765 के वी टी/सी लाइन निर्माणाधीन है और 30 अगस्त, 2016 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है।

(रु. करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2016	राजकोषीय वर्ष 2015
सकल आय	7.91	शून्य
कर पश्चात लाभ	2.97	शून्य
प्रति शेयर अर्जन*	0.54	शून्य

घ) पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड पूर्व में ऊंचाहार पारेषण लिमिटेड का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 24 मार्च, 2014 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत बनाओ, आधार पर ऊंचाहार टीपीएस के एटीएस के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात, पीयूटीएल, पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई है। 400 केवी टी/सी वाली यह पारेषण प्रणाली उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरेगी। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, पीयूटीएल की प्राधिकृत तथा प्रदत्त अंश पूंजी रु. 5 करोड़ है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस जुलाई, 2014 में प्रदान किया गया है। इस परियोजना में ऊंचाहार–फतेहपुर 400 केवी पारेषण लाइन है जो निर्माणाधीन है और इसके सितंबर 2016 तक पूरा होने की उम्मीद है।

ङ) पावरग्रिड काला अम्ब पारेषण लिमिटेड

पावरग्रिड काला अम्ब पारेषण लिमिटेड (पीकेएटीएल) (जो पहले एनआरएसएस XXXI ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से ज्ञात थी) का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 12 मई, 2014 को उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना, एनआरएसएस-XXXI (भाग–क) के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना करने के लिए आरईसी पारेषण प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात पीकेएटीएल पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। 400/200 केवी जीआईएस सब–स्टेशन, 400 केवी टी/सी एलआईएलओ तथा श्रृंखला क्षतिपूर्ति को समाहित करने वाली यह पारेषण प्रणाली हिमाचल प्रदेश के राज्य में परिकल्पित की गई है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, पीकेएटीएल की प्राधिकृत तथा प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 5 लाख है। कंपनी को सितंबर, 2014 में सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है।

च) पावरग्रिड जबलपुर पारेषण लिमिटेड

पावरग्रिड जबलपुर पारेषण लिमिटेड (पीजेटीएल), जो पहले विन्ध्याचल जबलपुर पारेषण लिमिटेड के नाम से ज्ञात थी, का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 26 मई, 2015 को विन्ध्याचल–V से संबद्ध पारेषण प्रणाली की स्थापना करने के लिए आरईसी पारेषण प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात पीजेटीएल पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। पारेषण प्रणाली में 765 केवी टी/सी लाइन शामिल है जो मध्य प्रदेश से गुजरेगी। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पीजेटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 20 करोड़ और चुकता शेयर पूंजी रु. 5 लाख है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा जून, 2015 में पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है।

छ) पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीडब्ल्यूटीएल) (पहले गदरवारा (ए) ट्रांसको लिमिटेड) का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 24 अप्रैल, 2015 को एनटीपीसी (भाग–क) के गदरवारा एसटीपीएस (2×800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली की स्थापना करने के लिए आरईसी पारेषण प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात पीडब्ल्यूटीएल पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। पारेषण प्रणाली के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राज्यों में परिकल्पना की गई है और पारेषण प्रणाली में 765 केवी टी/सी, 400 केवी टी/सी पारेषण लाइन और वरोरा में 2×1500 एमवीए 765/400 केवी के नए

सब–स्टेशन की स्थापना शामिल है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पीडब्ल्यूटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 20 करोड़ और चुकता शेयर पूंजी रु. 5 लाख है। कंपनी को सीईआरसी द्वारा अगस्त 2015 में पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया है।

ज) पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले गदरवारा (ब) पारेषण लिमिटेड) का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 24 अप्रैल, 2015 को एनटीपीसी (भाग–ख) के गदरवारा एसटीपीएस (2×800 मेगावाट) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली की स्थापना करने के लिए आरईसी पारेषण प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से किया गया था। ऐसे अधिग्रहण के पश्चात पीपीटीएल पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी बन गई। पारेषण प्रणाली के महाराष्ट्र राज्य में परिकल्पना की गई है और पारेषण प्रणाली में 765 केवी डी/सी, 400 केवी डी/सी और पार्ली में 2×1500 एमवीए 765/400 केवी के नए सब–स्टेशन की स्थापना शामिल है। 31.03.2016 को पीपीटीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 20 करोड़ और चुकता पूंजी रु. 5 लाख है। सीईआरसी द्वारा कंपनी को जुलाई, 2015 में पारेषण लाइसेंस दे दिया गया है।

झ) पावरग्रिड दक्षिण अंतर्संयोजक पारेषण प्रणाली लिमिटेड

पावरग्रिड दक्षिण अंतर्संयोजन पारेषण प्रणाली लिमिटेड (पीएसआईटीएसएल) (पूर्व में वेमागिरि–II पारेषण लिमिटेड) को पावरग्रिड द्वारा "वेमागिरि से आगे पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण" परियोजना के लिए आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत 4 दिसंबर, 2015 को अधिग्रहीत किया गया था। इस अधिग्रहण के परिणामस्वरूप पीएसआईटीएसएल पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। इस पारेषण परियोजना में 765 केवी एवं 400 केवी, डी/सी पारेषण लाइनें शामिल हैं, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं कर्नाटक राज्यों से गुजरेंगी और इसमें आंध्र प्रदेश राज्य में दो मौजूदा उप केंद्रों पर 400 केवी मार्ग विस्तार तथा एक 765/400 केवी उप केंद्र की स्थापना शामिल है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार पीएसआईटीएसएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 1 करोड़ है और प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 5 लाख है। इसको सीईआरसी ने मार्च 2016 में पारेषण लाइसेंस दे दिया है।

ञ) ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड (जीसीएल)

ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड (जीसीएल), पावरग्रिड की एक 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे अल्युमिनियम पार्क अंगुल, उड़ीसा में 30,000 कि.मी. प्रति वर्ष (लगभग 60,000 टीपीए) क्षमता का अल्युमिनियम कंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 15.09.2015 को इस उद्देश्य से निगमित किया गया था कि अपनी विनिर्माण सुविधा होने से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) परियोजना के तहत प्रतिस्पर्धा करने, विश्वसनीयता में सुधार करने, समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पावरग्रिड को लाभ मिलेगा।

ट) पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड

पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरग्रिड वीटीएल), जो पहले वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के नाम से ज्ञात थी, का अधिग्रहण पावरग्रिड द्वारा 18 अप्रैल, 2012 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमि. (बोली प्रक्रिया समन्वयक) से वेमागिरी क्षेत्र (पैकेज ए) के आईपीपी से संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम को स्थापित करने के लिए किया गया था। इस अधिग्रहण के पश्चात, पावरग्रिड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन कंपनी बन गई है। ट्रांसमिशन सिस्टम में 765 केवी डी/सी लाइन निहित है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से गुजरेगी। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, पावरग्रिड वीटीएल की प्राधिकृत तथा प्रदत्त अंश पूंजी रु. 5 लाख की है सीईआरसी ने दिनांक 06.04.2015 के आदेश के तहत कहा है कि परियोजना के तहत वेमागिरि–खम्माम–हैदराबाद 765 केवी डी/सी लाइनें न तो रिक्ति लाइन के रूप में अपेक्षित हैं और न ही प्रणाली सुदृढ़ीकरण लाइन के रूप में अपेक्षित हैं, इसलिए उक्त पारेषण लाइन के लिए याचिकाकर्ता को पारेषण प्रभार अपनाने और लाइसेंस प्रदान करने से कोई लाभदायक प्रयोजन पूरा नहीं होगा और पारेषण परियोजना के लिए विनियामक अनुमोदन वापस ले लिया है।

पावरग्रिड का समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण लेखाकरण मानक (ए एस–21) "समेकित वित्तीय विवरण" तथा लेखाकरण मानक (ए एस–27) "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं।

समेकित आधार पर परिणामों का संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	राजकोषीय वर्ष 2015–16	राजकोषीय वर्ष 2014–15
सकल आय	21,780.76	18,233.04
कर–पूर्व लाभ	7,644.95	6,404.11
कर–पश्च लाभ	6,014.56	5,046.25
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी	16,900.00	15,800.08

सचेतक बयान

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण तथा निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्यों, संभावनाओं और अनुमानों का विवरण देने वाले वक्तव्य लागू विधियों और विनियमों के अर्थ में भविष्योन्मुखी (फारवर्ड लुकिंग) और प्रगामी हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर व्यक्त किए गए परिणामों अथवा निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को इस बात के लिए सचेत किया जाता है कि इन भविष्योन्मुखी विवरणों पर अनावश्यक रूप से निर्भर न रहें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.08.2016

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

भाग क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	एल40101डीएल 1989जीओआई 038121
2	कंपनी का नाम	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया, कटावारिया सराय, नई दिल्ली –110016
4	वेबसाइट	www.powergridindia.com
5	ई–मेल पता	sustainability.report@powergrid.co.in
6	सूचित वित्तीय वर्ष	2015-16
7	क्षेत्र (त्रों) जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक गतिविधि कोड–वाईज)	क्षेत्र — आईटीसी कोड संख्या अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) देश की केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) — 99691110 दूरसंचार — 99841100 परामर्श और परियोजना प्रबंधन — 99833244
8	कंपनी के तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/ सेवाएं जिनका निर्माण/ प्रदान करती है (जैसा तुलनपत्र में है)	i) पारेषण ii) दूरसंचार iii) परामर्श सेवाएं (घरेलु/ अंतर्राष्ट्रीय)
9	स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी की व्यवसाय गतिविधियां की जाती हैं। i) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 प्रमुख के ब्यौरे दें) ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	**(i) अंतर्राष्ट्रीय** : पावरग्रिड की अठारह देशों में परामर्शी व्यवसाय में सुदृढ़ उपस्थिति है। प्रमुख पांच में इथोपिया, कीनिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हैं। **(ii) राष्ट्रीय** : कुल 217 जिसमें 207 उपकेंद्र, 9 क्षेत्रीय मुख्यालय और गुड़गांव में एक कारपोरेट कार्यालय। दूरसंचार विभाग की पूरे देश में फैले 500 शहरों/ नगरों से अधिक स्थानों में उपस्थिति है। उपर्युक्त के अलावा, वर्तमान में बहुत से उपकेंद्र और पारेषण लाइनें निर्माणाधीन है और इन स्थल (स्थलों) में कार्मिक अवस्थित हैं।
10	कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/ राज्य/राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय	पावरग्रिड की सभी बाजारों–स्थानीय/ राज्य/ राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय में उपस्थिति है।

भाग ख : कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1	चुकता पूंजी (भारतीय रुपए)	5231,589,6480
2	कुल कारोबार (भारतीय रुपए)	21281.13 करोड़
3	कर के पश्चात कुल लाभ (भारतीय रुपए)	6026.72 करोड़
4	कर पश्चात लाभ (प्रतिशत) के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर कुल खर्च	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर [कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत] रु. 121.79 करोड़ खर्च किए हैं
5	गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 पर व्यय किया गया है	ग्रामीण विकास कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संधारणीयता आदि के लिए अवसंरचना सृजन।

भाग ग : अन्य ब्यौरे

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/ कंपनियां हैं?

हाँ, 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार पावरग्रिड की ग्यारह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं नामतः पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको), पावरग्रिड एनएम पारेषण लिमिटेड, पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड, (पहले वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड), पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड), पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड), पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले एनआरएसएस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड), पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड), पावरग्रिड वरोरा पारेषण लिमिटेड (पूर्व में गदरवाडा (ए) ट्रांसको लिमि.), पावरग्रिड पार्ली पारेषण लिमि. (पूर्व में गडवारा (बी) पारेषण लिमि.), पावरग्रिड दक्षिण अंतर्संयोजक पारेषण प्रणाली लिमि. (पूर्व में वेमागिर–II पारेषण लिमि.) और ग्रिड कंडक्टर्स लिमि.।

2. क्या सहायक कंपनी/ कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) के संख्या निर्दिष्ट करें।

हाँ। पावरग्रिड की सहायक कंपनियां सामान्यतः अपने बी.आर. पहलों में योगदान करती है और पोसोको भी स्वतंत्र रूप से अतिरिक्त क्रियाकलाप करता है।

3. क्या कोई अन्य हस्ती/ हस्तियां (उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जो कंपनी के साथ व्यवसाय करती हैं, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी हस्ती/ हस्तियों का प्रतिशत निर्दिष्ट करें? [30 प्रतिशत से कम, 30–60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक]

हाँ। पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) कंपनी, इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी – पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, सामान्यतः सहायक कंपनियां और विक्रेता/ आपूर्तिकर्ता/ संविदा की शर्तों के माध्यम से संविदाकारों को सम्मिलित करती है। विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों को संविदा की शर्तों में प्रतिबंध–शर्तों के माध्यम से श्रम कानूनों, पर्यावरणीय कानूनों और अमोघ सुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। ऐसे विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाओं का प्रतिशत 60 प्रतिशत से अधिक है।

भाग घ : बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/ निदेशकों के ब्यौरें

क) बीआर नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/ निदेशकों के ब्यौरे

बीआर नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- डीआईएन संख्या : 02319702
- नाम : श्री आर. पी. ससमल
- पदनाम : निदेशक (प्रचालन एवं परियोजना)

ख) बीआर मुखिया के ब्यौरे

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरे
1.	डी आई एन संख्या (यदि लागू हो)	लागू नहीं
2.	नाम	श्री अतुल त्रिवेदी
3.	पदनाम	कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन सीएसआर एवं एलए कार्यपालक विभाग)
4.	दूरभाष संख्या	0124-2571980
5.	ई–मेल आईडी	atul.trivedi@powergridindia.com

2. बीआर नीति/नीतियां सिद्धांत–वार (एन वी जी के अनुसार) (उत्तर हां/नहीं में दें)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों में से व्यवसाय जिम्मेदारी के क्षेत्र में निम्नलिखित नौ क्षेत्रों को अपनाया गया है :

पी1	व्यवसाय को नीतिशास्त्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और स्वयं को शासित करना चाहिए।
पी2	व्यवसाय को ऐसा माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो उनके पूरे जीवन चक्र के दौरान सुरक्षित और सतता में योगदान देती हों।
पी3	व्यवसाय को सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए।
पी4	व्यवसाय को हितों का सम्मान और सभी हिस्सेदारी, विशेष रूप से वो जो अलाभकारी, संवेदनशील और उपेक्षित हैं, के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए।
पी5	व्यवसाय को मानव अधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।
पी6	व्यवसाय को पर्यावरण की बहाली के लिए सम्मान, संरक्षा और प्रयास करना चाहिए।
पी7	व्यवसाय जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित कर रहे हो तो इसे जिम्मेदारी से करना चाहिए।
पी8	व्यवसायों को समावेशी विकास और एकसमान विकास को समर्थन देना चाहिए।
पी9	व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी से मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास ____ लिए नीति/ नीतियां है	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2.	क्या नीति संबंधित हिस्सेदारों के साथ परामर्श से बनाई जा रही है?*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो निर्दिष्ट करें (50 शब्द) ?*	हां	हां	हां	हां	हां	हां#	लागू नहीं	हां	हां
4.	क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है? यदि हां, तो क्या इस पर एमडी/ स्वामी/ सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
5.	क्या कंपनी की नीति के कार्यान्वयन को देखने के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	www.powergridindia.com								
7.	क्या नीति को संबद्ध सभी आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारों को औपचारिक रूप से संसूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
8.	क्या कंपनी की नीति/ नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
9.	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों से संबंधित हिस्सेदारों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/ नीतियों से संबंधित कोई शिकायत समाधान तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां
10.	क्या कंपनी द्वारा किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्य की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन करवाया गया है?*	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां

*भारत सरकार/सीवीसी/डीपीई दिशानिर्देशों, प्रयोज्य कानूनों आदि सहित राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुरूपता/अद्यतन बनाया गया/समीक्षा की गई।

पावरग्रिड की ईएसपीपी इसकी 'देश प्रणाली के उपयोग (यूसीएस)' के तहत विश्व बैंक द्वारा व्यापक रूप से विश्लेषित है, जिसके पास बैंक की पर्यावरणीय और सामाजिक रक्षोपाय प्रबंध में प्रमाणित विशेषज्ञता है।

2क. यदि किसी सिद्धांत के विरुद्ध क्रम संख्या 1 के लिए सही उत्तर नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें क्यों : (2 विकल्प तक टिक करें)

क्र.सं.	प्रश्न	सिद्धांत 7 – जिम्मेदार सार्वजनिक नीति की वकालत
1.	कंपनी ने सिद्धांतों को समझा नहीं	-
2.	कंपनी ऐसी अवस्था में नहीं है जिसमें यह पाती है कि स्वयं विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं	-
3.	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानवशक्ति के संसाधन नहीं हैं	-
4.	ऐसा करने की अगले 6 महीनों में योजना बनाई हुई है	-
5.	ऐसा करने की अगले 1 वर्ष में योजना बनाई हुई है।	-
6.	कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	पावरग्रिड विभिन्न औद्योगिक और व्यापार निकायों का सदस्य है और इन मंचों पर ऐसे मुद्दों और नीति संबंधी मामलों में भाग लेता है जो हिस्सेदारों के हित पर प्रभाव डालते हैं। पावरग्रिड के पारेषण क्षेत्र में उल्लेखनीय हित को देखते हुए एक अलग विनियामक कक्ष बनाया गया है जो हिस्सेदारों और सीईआरसी के साथ नीति की वकालत के एक भाग के रूप में पावरग्रिड के सक्रिय दृष्टिकोण का प्रयास करता है। जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है हम सीईआरसी, ट्राई अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी विभिन्न दृष्टिकोण प्रपत्रों, परामर्शी प्रपत्रों, मसौदा विनियमनों आदि पर अपनी टिप्पणी देते हैं।

3. अभिशासन से संबंधित बीआर

- कंपनी के बीआर निष्पादन के मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ की बारंबारता निर्दिष्ट करें। 3 महीने, 3–6 महीने में, वार्षिक रूप से, एक वर्ष से अधिक में।
  3–6 महीने
- क्या कंपनी बीआर या सतत्ता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? कितनी बार यह प्रकाशित की जाती है?
  पावरग्रिड अलग से सतत्ता रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित करता है। पावरग्रिड ने वर्ष 2011–13 के लिए अपनी तीसरी "सतत्ता रिपोर्ट" सितंबर, 2015 में प्रकाशित की थी। सतत्ता रिपोर्ट पावरग्रिड की वेबसाइट http://www.powergridindia.com/_layouts/PowerGrid/User/QuickLinksDetail.aspx?LangID=English&Category=Documents पर उपलब्ध है।

भाग ढ : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1 – व्यवसायों को स्वयं को नीतिशास्त्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आचरण और शासन करना चाहिए।

1. क्या नीतिशास्त्र, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हां/ नहीं। क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्यों तक विस्तारित होती है?

   पावरग्रिड अपने सभी प्रचालनों में पारदर्शिता और सामंजस्य अनुपालन के लिए वचनबद्ध है। चूंकि पावरग्रिड एक मानित सार्वजनिक कारपोरेट है इसलिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान भी हमारे पर प्रयोज्य हैं। कारपोरेट और क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) समयबद्ध ढंग से सूचना के लिए निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

   पावरग्रिड विभिन्न नीतियों/ नियमों का निम्नलिखित के सहित सभी स्तरों पर नीतिपरक आचरण को सुदृढ़ करने का पालन करता है :

   क) **व्यवसाय, नीतिशास्त्र और आचरण कोड:** पावरग्रिड ने व्यवसाय, नीतिशास्त्र और आचरण के दो अलग–अलग कोड निर्धारित किए हैं – कंपनी के विजन और मिशन की सीध में एक बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्ति सहित) के लिए और उनका लक्ष्य कंपनी के कार्यों के प्रबंध में नीतिपरक और पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ाना है।

   ख) **आचरण और अनुशासन अपील नियम (सीडीए नियम):** पावरग्रिड के सीडीए नियम कर्मचारियों के लिए वांछनीय और अवांछनीय कृत्यों और आचरणों को परिभाषित करते हैं और इसके साथ कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों (सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्ति सहित) पर लागू होते हैं। घूसखोरी और भ्रष्टाचार के पहलू भी सीडीए नियमों के तहत कवर होते हैं। परिभाषित शब्दों के साथ गैर–अनुपालन के मामले के साथ–साथ किसी दुराचार के लिए कार्रवाई हेतु निर्धारित प्रक्रियाएं हैं।

   ग) **विसल ब्लोअर एवं धोखाधड़ी निरोध नीति:** विसल ब्लोअर एवं धोखाधड़ी निरोध नीति में पावरग्रिड के कर्मचारियों (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक, तदर्थ/ अस्थाई/ संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों) तथा विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, सेवा प्रदाताओं या पावरग्रिड में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली किसी बाहरी एजेंसी के प्रतिनिधि के संबंध में कर्मचारियों द्वारा प्रकट किए गए अथवा किसी धोखाधड़ी की शिकायत अथवा संदिग्ध धोखाधड़ी के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था है।

   इसके अलावा, पावरग्रिड ने अपनी व्यवसाय प्रथाओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सी पहलें की हैं/ या की जा रही हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

   (i) सुपरिभाषित "शक्तियों का प्रत्यायोजन" किया गया है और क्रमबद्ध ढंग से कार्य करने के लिए उच्च कार्यकारियों और नीचे के कर्मचारियों की शक्तियों का वर्णन किया गया है।

   (ii) पावरग्रिड ने जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ शीघ्रता से और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने पर प्रमुख बल के साथ अपने व्यवसाय प्रचालनों में नीतियों और प्रक्रियाओं को अधिक क्रमबद्ध, पारदर्शी और पूर्णतया एकसमान रूप से प्रशासित करने में सुगम "कार्य देने से पहले और कार्य देने के पश्चात की अवस्थाओं के लिए" निर्माण कार्य और खरीद नीति और प्रक्रिया (डब्ल्यू पी पी पी)" तैयार की है और क्रियान्वित की है।

   (iii) पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय के साथ "सत्यनिष्ठा समझौता" पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसे संविदा देने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभदायक साधन माना जाता है। 100 करोड़ रुपए के मूल्य से ऊपर की संविदाओं को "स्वतंत्र बाह्य मानीटरों (आईईएम)" के पैनल द्वारा भी मानीटर किया जाता है।

   (iv) निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नियम पुस्तिका और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं।

   (v) अधिकांश परियोजना खरीद के लिए ई–प्रापण तंत्र को क्रियान्वित किया गया है।

   (vi) ई–विपरीत नीलामी तंत्र भी है।

   (vii) "रूपांतर" परियोजना हमारी कंपनी की उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) पहल को क्रियान्वित किया गया है और वर्तमान में व्यवसाय से संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण प्रोसेस ईआरपी पर चल रहे हैं।

   (viii) दस्तावेज फीस में ऑनलाइन भुगतान और बोली की सापट प्रति को प्रस्तुत करने की प्रणाली मौजूद है।

   (ix) कार्य देने के पश्चात, मूल्यांकन का सारांश वेबसाइट पर डाला जाता है।

   (x) पावरग्रिड निवारक और सक्रिय सतर्कता के साथ–साथ दंडात्मक सतर्कता पर प्रमुख जोर देता है। बेहतर पारदर्शिता पर लक्ष्य और संगठन के भीतर सुशासन मन में बिठाने के लिए पावरग्रिड ने बहुत सी पहलें की हैं। अधिक ब्यौरे के लिए निदेशकों की रिपोर्ट में "पारदर्शिता और सतर्कता कार्य के प्रति वचनबद्धता" पर भाग देखें।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में हिस्सेदारों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत को प्रबंध द्वारा संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया? यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे लगभग 50 या इतने शब्दों में दें।**

   वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न हिस्सेदारों से सतर्कता विभाग द्वारा 56 शिकायतें प्राप्त की गईं जिसमें से लगभग 79 प्रतिशत शिकायतों को निपटा दिया गया है जबकि शेष प्रक्रियाधीन हैं।

सिद्धांत 2 – व्यवसाय को ऐसी वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र में सतता को योगदान दें।

1. अपने उत्पादों या सेवाओं की 3 की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/ या अवसरों को शामिल किया गया है।

   - इलेक्ट्रिक और मेग्नेटिक फील्ड (ईएमएफ) के संबंध में टावर डिजाइन और आरओडब्ल्यू को कम करने और प्राकृतिक संसाधन जैसे वन/ भूमि के संरक्षण के लिए ठोस टावर।
   - कीमती भू–संसाधन के संरक्षण और पर्यावरणीय एवं समाज से संबंधित कठिनाइयों को कम करने के लिए पारंपरिक एयर इंसुलेटिड स्विचयार्ड (एआईएस) उप केंद्र के स्थान पर आवास क्षेत्र में और उसके आस–पास गैर इंसुलेटिड स्विचयार्ड (जीआईएस) उप केंद्र में ले जाने के लिए पारेषण। जीआईएस के लिए एआईएस की तुलना में बहुत कम भूक्षेत्र की आवश्यकता होती है।
   - जल संरक्षण के लिए सभी स्थापनाओं/ उप केंद्रों में वर्षा के पानी को जमा करने के कार्य को अनिवार्य किया गया।

सभी पारेषण लाइनों और उप–स्टेशनों को सांविधिक कानूनों का अनुपालन करके और राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लगातार डिजाइन तैयार किया जा रहा है और क्रियान्वित किया जा रहा है।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति यूनिट संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, पानी, कच्ची सामग्री आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें (वैकल्पिक) :

   i. पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से लेने/ उत्पादन/ वितरण के दौरान प्राप्त की गई कटौती?

   ii. पूर्ववर्ती वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा प्रयोग के दौरान प्राप्त की गई कटौती?

ये गतिविधियां विभिन्न नीतियों/ दिशानिर्देशों के तहत की जा रही हैं और समय–समय पर क्रियान्वित की जाती हैं।

3. **क्या कंपनी के पास सतत रूप से लेने (परिवहन सहित) की प्रक्रियाएं हैं? यदि हां, तो आपकी निविष्टियों को कितना प्रतिशत सतत आधार पर लिया गया? उसके ब्यौरे भी लगभग 50 शब्दों या इतने में प्रदान करें।**

   लेने में सतता पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) के

माध्यम से लागू की जाती है जो संविदा शर्तों के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ विक्रेताओं तक विस्तारित होती हैं। विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ता/ संविदाकारों को संविदा की शर्तों में अनुबंध शर्तों के माध्यम से ईएसपीपी, श्रम कानूनों, पर्यावरणीय कानूनों और अमोघ सुरक्षा का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। संविदाओं में उक्त प्रावधानों को भंग करने की दशा में विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों पर अर्थदंड लगाने का प्रावधान है।

4. **क्या कंपनी ने अपने कार्य के स्थान के आस–पास समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तु और सेवाएं खरीदने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

हम स्थानीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से हमारे प्रतिष्ठानों के आस–पास और कतिपय कार्यों के लिए स्थानीय विक्रेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।

5. **क्या कंपनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुनःचक्रण के लिए कोई तंत्र है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के पुनःचक्रण का क्या प्रतिशत है? (अलग–अलग जैसे <5 प्रतिशत, 5–10 प्रतिशत, <10 प्रतिशत)। उसके ब्यौरे भी लगभग 50 शब्दों या इतने में प्रदान करें।**

पावरग्रिड ने पुनः प्रयोग और री–साइक्लिंग के लिए धातु के कचरे, पैकेजिंग मदों, प्रयुक्त बैटरियों, प्रयुक्त तेल आदि जैसी अपशिष्ट सामग्री के पृथक्करण/ निपटान के लिए प्रणालियां स्थापित की हैं। धातु के कचरे और पैकेजिंग मदों को नीलामी के माध्यम से री–साइकल किया जाता है जबकि उत्पन्न प्रयुक्त तेल तथा प्रयुक्त बैटरियों को निर्धारित कानूनों/ विनियमों के अनुसार री–साइकलिंग के लिए पंजीकृत री–साइकलरों या नव–निर्माताओं को वापस दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पावरग्रिड ने गुड़गांव में 400/220 केवी जीआईएस सब स्टेशन को परिसर में 'अपशिष्ट कागज पुनःचक्रण' संयंत्र स्थापित किया है, जिसकी पुनःचक्रण क्षमता 40–60 किलोग्राम अपशिष्ट कागज प्रतिदिन है। प्रचालन के चालू वर्ष के दौरान अपशिष्ट/ प्रयुक्त कागज के पुनःचक्रण की प्रतिशतता लगभग 5–10 प्रतिशत थी।

सिद्धांत 3 – व्यवसायों को अपने कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए

1. **कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 8606 थी।

2. **कृपया अस्थायी/ संविदात्मक/ आकस्मिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार संविदात्मक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या 308 थी।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 589 थी।

4. **कृपया अशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या 166 थी।

5. **क्या आपके पास कोई कर्मचारी संघ है, जिसे प्रबंध द्वारा मान्यता दी गई है?**

'कामगार' श्रेणी के तहत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व व्यापार संघों द्वारा किया जाता है और संगठन का मान्यता प्राप्त कामगार प्रबंध संघ है।

6. **आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?**

'कामगार' श्रेणी के तहत सभी कर्मचारी व्यापार संघ के सदस्य हैं। कामगार पावरग्रिड में लगभग 29 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाते हैं।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रमिकों, बाध्य किए गए श्रमिकों, अनैच्छिक श्रमिकों, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित की संख्या बताएं।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष के दौरान दाखिल की गई शिकायतें	वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रमिक/ बाध्य श्रमिक/ अनैच्छिक श्रमिक	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3.	भेदमूलक रोजगार	शून्य	शून्य

8. **पिछले वर्ष में नीचे बताए गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया?**

कर्मचारी	पिछले वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2015–16 में सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिए गए कर्मचारियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी	89.36%
स्थायी महिला कर्मचारी	85.30%
अनियत/ अस्थायी/ सं विदात्मक कर्मचारी	67.80%
अशक्त कर्मचारी	80.23%

सिद्धांत 4 – व्यवसायों को सभी हिस्सेदारों, विशेष रूप से उनका जो प्रतिकूल परिस्थिति, संवेदनशील और उपेक्षित हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति संवेदी होना चाहिए!

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारों का मानचित्रण किया है? हां/नहीं।**

पावरग्रिड ने अपने आंतरिक और बाह्य हिस्सेदारों का मानचित्रण किया है। हम शेयरधारकों, विनियामक प्राधिकारियों (जीओआई), आपूर्तिकर्ताओं, परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी)/ समुदायों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकारों, अनुसंधान और विकास संस्थाओं, निधियन एजेंसियों और मीडिया को आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक आयामों में अपने महत्वपूर्ण हिस्सेदारों के रूप में मानते हैं।

पावरग्रिड अपने पहचान किए गए हिस्सेदारों को जारी के आधार पर लेता है और ऐसी नियुक्ति प्राथमिकता कारकों जैसे निर्भरता, प्रभाव, जिम्मेदारी और निकटता पर विचार करते हुए दी गई है। संरचित हिस्सेधारक नियुक्ति मेट्रिक्स है जो प्रत्येक हिस्सेधारक श्रेणी के लिए नियुक्ति की विधि और आवर्तिता सहित विशिष्ट नियुक्ति तंत्रों के ब्यौरे देती है।

2. **उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने प्रतिकूल प्रतिस्थिति वाले, संवदेनशील और उपेक्षित हिस्सेदारी की पहचान की है?**

हां, कंपनी ने प्रतिकूल प्रतिस्थिति वाले, संवेदनशील और उपेक्षित हिस्सेदारों की पहचान की है और मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा है नामतः आंतरिक हिस्सेदारी (कर्मचारी – अशक्त व्यक्ति (पी डब्ल्यू डी)/ एससी/ एसटी/ महिलाएं) और बाह्य हिस्सेदार (परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्ति/ परिवार (पीएपी/ पीएएफ): विधवा महिला मुखिया वाले परिवार, एससी/ एसटी/ असशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)।

3. **क्या कंपनी द्वारा प्रतिकूल प्रतिस्थिति, संवेदनशील और उपेक्षित हिस्सेदारों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है। यदि ऐसा है, तो उसके ब्यौरे 50 या इतने शब्दों में प्रदान करें!**

पावरग्रिड ने प्रतिकूल प्रतिस्थिति, संवेदनशील और उपेक्षित हिस्सेदारों के साथ जुड़ने में निम्नलिखित पहलें की हैं :

- आंतरिक हिस्सेदार (कर्मचारी – अशक्त व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी)/ एससी/ एसटी/ महिलाएं) – पावरग्रिड आरक्षण मामलों में भारत सरकार के निदेशों के अनुसार एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पूर्व–सैनिक/ अशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवारों के पूल से अत्यधिक प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती, विकास और प्रतिधारण के लिए प्रयासों के माध्यम से कार्यस्थल पर विविधता को सुनिश्चित करता है। इस संबंध में की गई विशेष पहलों में निम्न शामिल हैं –

 शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध तंत्र निम्नानुसार है :

क) एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पूर्व सैनिकों/ अशशक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण मामलों से संबंधित भारत सरकार के निदेशों का पालन करने के लिए कारपोरेट के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण कक्ष का गठन किया गया है। यह कक्ष नामित संपर्क अधिकारी के नियंत्रणाधीन है। संपर्क अधिकारी सप्ताह में एक बार परस्पर संपर्क के लिए पूर्व–निश्चित दिन और समय पर उपलब्ध होते हैं। संपर्क अधिकारी की उपलब्धता के संबंध में व्यापक प्रचार को एससी/ एसटी कर्मचारियों में सुनिश्चित किया जाता है। एससी/ एसटी/ ओबीसी संघों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। एससी/ एसटी/ ओबीसी/ पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को सरकारी निदेशों के तहत उनके लिए उपलब्ध छूटों और रियायतों के बारे में परिचित कराने के लिए "जागरूकता कार्यक्रम" आयोजित किए जाते हैं।

ख) कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीडन (रोक, प्रतिबंध समाधान) अधिनियम 2013 के तहत महिलाओं के यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए कंपनी में आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) हैं।

महिला कर्मचारियों को कतिपय छूट जैसे सुगम स्थानों में तैनाती, उपस्थिति में छूट आदि देता है। अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं जैसे ढलान आदि प्रदान की जाती है।

- बाह्य हिस्सेदार {परियोजना प्रभावित व्यक्ति/ परिवार (पीएपी/ पीएएफ) – विधवा महिला मुखिया के परिवार, एससी/ एसटी/ शारीरिक रूप से विकलांग } . की गई विशेष पहलों में निम्न शामिल हैं –

क) पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) उपाय : संवेदनशील समूह जैसे विधवा महिला मुखिया के परिवार/ एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी/ शारीरिक रूप से विकलांग/ अशक्त परिवार जिन्होंने भूमि की हानि/ संरचना की हानि/ जीवन निर्वाह की हानि (मजदूरी या व्यवसाय) उठाई है, को अतिरिक्त जरूरत आधारित लाभों के लिए विचार किया जाता है।

ख) सीएसआर पहल : हमारी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) सामुदायिक विकास के मुद्दे (जिसमें कौशल विकास से आजीविका सृजन, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय संधारणीयता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं) मुख्यतः हमारे प्रचालनों के क्षेत्रों के आस–पास समाधान करती है। पावरग्रिड के सीएसआर हस्तक्षेप का मुख्य ध्यान समाज के शोषित, संवेदनशील और वंचित वर्ग के समावेशी विकास पर है। सीएसआर पहलों के फलस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाओं, सामान्यतः सहायक कंपनियों, एससी/ एसटी/ अल्पसंख्यक जनसंख्या के गरीब सीमांत वर्ग को लाभ हुआ। विभिन्न सीएसआर पहलें जैसे सरकारी स्कूलों में प्रसाधनों का निर्माण, सामुदायिक केंद्रों, कक्षा के कमरों, सार्वजनिक प्रसाधन स्कूलों में जल आपूर्ति व्यवस्था, स्वास्थ्य जांच कैम्प, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास, जलाशयों का विकास और संरक्षण आदि शुरू किया गया था। इसके अलावा, प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि पारेषण लाइन टावर लगाना, आईटी समर्थित सेवाएं आदि आयोजित करके बहुत सी कौशल विकास पहलें भी शुरू की गई हैं ताकि आय का सृजन किया जा सके।

सिद्धांत 5 – व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान और संवर्धन करना चाहिए।

1. **क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्यों तक विस्तारित होती है।**

पावरग्रिड ने संबंधित नीति और प्रथाओं के तहत मानव अधिकारों के मुद्दों को शामिल किया है जो सभी कर्मचारियों, जिसमें वे भी शामिल हैं जो सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, तक विस्तारित होता है और संविदा शर्तों के माध्यम से विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों से संबंधित सापेक्षित पहलुओं तक विस्तारित होता है।

आचरण और अनुशासन अपील नियम ("सीडीए नियम") कर्मचारियों (इसमें सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्त व्यक्ति शामिल हैं) के लिए वांछनीय और अवांछनीय कृत्य और आचरण को परिभाषित करते हैं। परिभाषित शर्तों के साथ–साथ कोई अनुपयुक्त या यौन रूप से निर्धारित अप्रिय व्यवहार के गैर अनुपालन के मामले में कार्रवाई के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं। उचित और बराबर के रोजगार संबंधों को संवर्धित करने के लिए कर्मचारियों की शिकायत का समाधान करने के लिए स्कीम है, जो शिकायतों के समाधान के लिए समयबद्ध तंत्र को सुनिश्चित करती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत 'आंतरिक शिकायत समितियां' गठित की गई हैं।

पावरग्रिड ने स्वयं को अपने मानव संसाधनों और श्रमिक प्रबंध नीतियों और प्रथाओं के लिए सामाजिक जवाबदेही मानक एसएस – 8000:2008 के लिए प्रमाणीकृत करवाया है। विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों को संविदा की शर्तों में अनुबंध शर्तों के माध्यम से श्रम कानूनों/ मानव अधिकारों आदि के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है। संविदा करार के अनुसार संविदाकारों को अपने कामगारों से बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम करवाना निषिद्ध है। सभी संविदाकारों को विभिन्न मुआवजा और विनियामक अधिनियमों का पालन करना अपेक्षित है। पावरग्रिड के सभी आपूर्तिकर्ताओं को संविदा की शर्तों और एसए 8000 के खंडों की पुष्टि करनी होती है। पावरग्रिड सामाजिक जवाबदेही मानक अर्थात एसए 8000 (नवीनतम मानक www.sa-inte.org पर उपलब्ध) की सभी अपेक्षाओं के पालन के लिए बोलीदाताओं/ संविदाओं से सामाजिक जवाबदेही के संबंध में घोषणा लेता है, यह घोषणा संविदा दस्तावेजों का भाग बनती है। इसके गैर–अनुपालन के लिए अर्थदंडों का प्रावधान भी संविदा शर्तों में शामिल किया गया है।

पावरग्रिड अपनी मूल्य श्रृंखला में मानव अधिकारों के सम्मान के महत्व की जागरूकता का संवर्धन करता है और दुरुपयोग की घटनाओं को हतोत्साहित करता है। तकनीकी और व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण के अलावा, महिलाओं, अशक्त व्यक्तियों और समाज के सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति लोगों को सुग्राही बनाने के मुद्दों पर भी मानव अधिकारों पर प्रशिक्षण भी दिया गया है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में हिस्सेदारों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंध द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया?**

सूचित अवधि (2015–16) के दौरान मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6 – व्यवसाय को पर्यावरण के सम्मान, सुरक्षा और बहाली के लिए प्रयास करने चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्यों तक विस्तारित होती है।**

पावरग्रिड की पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाएं (ईएसपीपी) कंपनी, इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी – पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड सामान्यतः सहायक कंपनियों और संविदा शर्तों के माध्यम से विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों को संबंधित सापेक्षिक पहलुओं को सम्मिलित करती है।

2. **क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक गर्मी आदि के समाधान के लिए रणनीतियां/ पहलें हैं? यदि हां, तो वेब पृष्ठ आदि के लिए हाइपर लिंक दें।**

पावरग्रिड ने पर्यावरण सतता के क्षेत्र में विभिन्न पहलें की हैं। हमारी परियोजना गतिविधियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों (जैसे वन और भूमि) पर प्रभाव पर विचार करते हुए हमने वनों की कटाई कम करने और वन रोपण में वृद्धि करने के साथ–साथ रास्ते का अधिकार (आरओडब्ल्यू) अपेक्षाओं को कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां और उपाय अपनाने के लिए उपाय किए

है। पर्यावरण संरक्षण, जिसमें ऊर्जा प्रबंध, जल प्रबंध, निस्सारण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंध, सामग्री संरक्षण और अन्य प्रौद्योगिकीय पहलें शामिल हैं, निम्नानुसार हैं :

क) **ऊर्जा प्रबंध** : ऊर्जा संरक्षण के प्रति हमारा दृष्टिकोण विशिष्ट ऊर्जा खपत में कटौती और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने के माध्यम से निम्न कार्बन विकास रास्ते को अपनाने पर आधारित है। चूंकि हमारा विद्युत की खपत का प्रमुख स्रोत उप–स्टेशन कालोनी और कार्यालय भवनों में प्रकाश के प्रयोजन के लिए है, इसलिए विशेष ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विभिन्न पहलें जैसे कि एलईडी बल्ब की संस्थापना, डीजी सेटों के लिए ईंधन उत्प्रेरक युक्तियां आदि शुरू की गई हैं। हम आंतरिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यालय भवनों में सौर फोटोवोल्टिक भी संस्थापित कर रहे हैं।

ख) **जल प्रबंध** : उचित उपयोग एवं प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से जल प्रबंधन पर हमारा प्रमुख ध्यान है। जल के प्रयोग की कुशलता में सुधार लाने और शून्य निर्मुक्ति हासिल करने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं। यद्यपि हमारे प्रचालनों में कोई औद्योगिक बहिस्राव नहीं होता तथापि, सभी स्टेशनों ने वर्षा के जल को संचित करने की प्रणाली पर केंद्रित एकीकृत जल प्रबंध दृष्टिकोण को क्रियान्वित किया है, जो अब प्रत्येक नए सब–स्टेशन के डिजाइन का अभिन्न अंग है।

ग) **उत्सर्जन नियंत्रण** : हमारे प्रचालनों में प्रदूषकों जैसे SOx, NOx, CO_2 आदि का निस्सारण सीधे वायुमंडल में नहीं करते हैं। तथापि, डीजी सेट, जो उत्सर्जन का प्रत्यक्ष स्रोत है, का प्रयोग सब–स्टेशनों में और कारपोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में बैकअप, आपातकालीन विद्युत और निर्माण गतिविधियों में किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विनिर्धारित उत्सर्जन मानदंडों के अनुपालन के लिए अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है। एसएफ 6, जिसका प्रयोग सर्किट ब्रेकरों में किया जाता है, को इसकी वैश्विक उष्णता क्षमता को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक प्राथमिकता एवं महत्व दिया जाता है। एसएफ 6 गैस सिलिंडरों के भंडारण, सार–संभाल और पुनर्भरण के लिए प्रणालियां मौजूद हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्स्टैंसेज (ओडीएस) से युक्त हमारे अधिकतर पुराने उपस्करों को बदल दिया गया है और हमारे सभी नए उपस्कर तथा शीतलन सीएफसी (क्लोरोफ्लूरोकार्बन) मुक्त प्रमाणित हैं।

घ) **अपशिष्ट प्रबंध** : हमारा अपशिष्ट प्रबंध कार्यक्रम कम करो, पुनः प्रयोग करो और पुनःचक्रण करने के सिद्धांत पर आधारित है। हमारी गतिविधियों के कारण धातु स्क्रैप, प्रयोग की गई बैटरियां और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को छोड़कर कोई बड़ा ठोस या तरल अपशिष्ट पैदा नहीं होता। तथापि पुनः प्रयोग और पुनः चक्रण के लिए अपशिष्ट सामग्री को अलग करने/ निपटान हेतु प्रणालियां हैं। प्रयुक्त बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग के लिए या तो पंजीकृत रिसाइकलरों या विनिर्माताओं को वापस दिया जाता है। संधारणीय विकास पहलों के भाग के रूप में हमने अपशिष्ट कागज के पुनःचक्रण के लिए कागज के 40–60 किलोग्राम को संभालने की क्षमता से कारपोरेट कार्यालय पुनःचक्रित अपशिष्ट कागज के उत्पादन के लिए गुड़गांव उप–स्टेशन में 'अपशिष्ट पेपर पुनःचक्रित करने' का संयंत्र स्थापित किया है। पुनःचक्रित पेपर का प्रयोग कंपनी के पत्रशीर्ष, विजटिंग कार्ड, लिफाफे, फाइल/ फोल्डर, डी.ओ. पैड आदि बनाने के लिए किया जा रहा है। इस पहल से हमने कार्बन पादचिन्ह और कम किया है क्योंकि बेदाग प्रिंटिंग पेपर के 1 टन के लिए 17 वृक्षों, 4 किलोलीटर पानी, 1350 किलोवाट ऊर्जा और 400 किग्रा. खनिज ईंधन की आवश्यकता होती है।

ड) **सामग्री संरक्षण** : प्राकृतिक संसाधन आधार के संरक्षण को हमारा योगदान और सामग्री गहनता को कम करने के प्रयास कंपनी की सतत कार्यनीति का अनिवार्य अंग है। हम पारेषण लाइन और उपकेंद्र के कुशल डिजाइनों के माध्यम से प्रमुख कच्ची सामग्रियों जैसे इस्पात, अल्युमीनियम आदि की खपत को कम करने पर ध्यान देते हैं। इन सामग्रियों की विशिष्ट खपत में पिछले वर्षों के दौरान थोक विद्युत के पारेषण के लिए उच्च क्षमता वाली लाइनों अर्थात 765 केवी, ± 800 एचवीडीसी की नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कमी हुई है।

च) **प्रौद्योगिकी पहल** : अपनी परियोजनाओं में – योजना बनाने की अवस्था से लेकर निष्पादन अवस्था तक और संपूर्ण ओ एंड एम अवधि में ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं। हम मार्गाधिकार और पर्यावरणीय समस्याओं को कम से कम करने के लिए ± 800 केवी एचवीडीसी प्रणालियां और 765 केवी डी/सी लाइनें क्रियान्वित कर रहे हैं। हमने देशी रूप से देशी निर्माताओं के साथ सहयोगात्मक प्रयासों से 1200 केवी अल्ट्रा उच्च वोल्टेज (यूएचवी) एसी प्रौद्योगिकी, विश्व में उच्चतम पारेषण वोल्टेज स्तर, भी विकसित की है। यह एकल गलियारे में 6000–8000 मेगावाट विद्युत के अंतरण में समर्थ बनाएगा। इसके अलावा, मौजूदा और नई लाइनों में उच्च निष्पादन कंडक्टरों को बदलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें उच्च प्रचालन तापमानों पर पारम्परिक कंडक्टरों के विरुद्ध निम्न सैग अंतर्ग्रस्त होता है, जिससे टावर का भार कम होता है और अवधि बढ़ती है तथा इसके फलस्वरूप इस्पात की कम आवश्यकता होने से निम्न कार्बन पदचिन्ह होते हैं। सुपर कंडक्टर प्रौद्योगिकी को एक आशाजनक भावी प्रौद्योगिकी मानते हुए हम व्यवहार्यता एवं प्रचालनात्मक मुद्दों के मूल्यांकन के लिए उच्च तापमान सुपर कंडक्टर (एचटीएस) पर एक प्रदर्शन परियोजना की योजना बना रहे हैं। इन नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उच्च वोल्टेज पारेषण का पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को न्यूनतम करने में व्यापक प्रभाव है और इन पहलों से मार्गाधिकार और इससे संबद्ध पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव को इष्टतम करने में व्यापक प्रभाव होगा। पावरग्रिड भूमि की भौगोलिक और स्थितियों पर निर्भर रहते हुए सुगठित टावर/पोल की किस्म के टावर/ बहु–सर्किट टावर का डिजाइन बनाता रहा है और प्रयोग करता रहा है। भूमि का उपयोग कम करने के लिए पावरग्रिड गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) भी स्थापित कर रहा है। पावरग्रिड, सबस्टेशन में केबल का प्रयोग कम करने के लिए प्रोसेस बस आर्किटेक्चर के साथ सबस्टेशन आटोमेशन सिस्टम कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है। उपर्युक्त के अलावा, वितरण में कुशलता लाने के प्रति भारत में स्मार्ट ग्रिड के विकास के लिए पहलें शुरू की हैं और विभिन्न राज्यों में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

इसके अलावा, पावरग्रिड 'कारपोरेट अभिशासन में हरित पहल' के तहत शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्टें/ पोस्टल बैलेट नोटिस और अन्य संप्रेषणों को इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रेषित करने सहित बहुत सी अन्य पहलें करता रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी कम हुई है। अधिक ब्यौरे के लिए पावरग्रिड की वेबसाइट पर निम्नलिखित हाइपरलिंक पर संधारणीयता रिपोर्टें देखी जा सकती हैं :

http://www.powergridindia.com/_layouts/PowerGrid/User/QuickLinksDetail.aspx?LangID=English&Category=Documents.

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है? हां/नहीं।**

जी हां। समग्र परियोजना विश्लेषणों के भाग के रूप में संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन के लिए विस्तृत जोखिम निर्धारण और प्रबंध प्रक्रियाएं हैं। पावरग्रिड की ईएसपीपी जो बचने, न्यूनतम करने और मंद करने के सिद्धांतों पर आधारित है, पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम/ मुद्दों से निपटने और इसे कम करने के लिए प्रबंधन की प्रक्रियाओं और प्रोटोकोल के लिए पावरग्रिड के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह पहचान करने, निर्धारण और संगठनात्मक और परियोजना स्तर पर पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं के प्रबंध के लिए ढांचा प्रदान करती है ईएसपीपी ढांचे में निम्नलिखित के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं : (क) जोखिमों की जांच और पहचान करना (पर्यावरण अभिग्राहकों, सामाजिक अभिग्राहकों और अन्य हिस्सेदारों); (ख) जोखिमों से बचना, (जिसमें वैकल्पिक रूट के लिए पद्धति और प्रक्रियाएं शामिल हैं; (ग) प्रभाव प्रबंध, अच्छी अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रथाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से प्रभावित हिस्सेदारों को पर्याप्त मुआवजा, लोक परामर्श और प्रकटन और शिकायत समाधान के माध्यम से जोखिम को कम करना; (घ) मॉनीटरिंग, रिपोर्टिंग, मूल्यांकन, फीडबैक, प्रबंध समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई; और (ड) सामाजिक और पर्यावरणीय जोखिम के प्रबंध के लिए एक संगठन ढांचे सहित जिम्मेदारी और संसाधन आवंटन।

पावरग्रिड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विनिर्देशनों के अनुसार एकीकृत प्रबंध प्रणाली के साथ प्रमाणीकृत है, गुणवत्ता के लिए आईएसओ 9001:2008 का एकीकरण अपेक्षा पीएएस 99:2006, पर्यावरण प्रबंध के लिए आईएसओ14001:2004, सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंध प्रणाली के लिए ओएचएसएएस18001:2007।

4. **क्या कंपनी के पास साफ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है, तो 50 शब्द या इतने में उसके ब्यौरे प्रदान करें। यह भी कि यदि हां है तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है?**

नहीं।

5. **क्या कंपनी ने साफ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हां/नहीं/ यदि हां तो कृपया वेब पृष्ठ आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

जी हां। पावरग्रिड ऊर्जा दक्षता संबंधी पहलें निरंतर करता आ रहा है जिसमें विभिन्न उद्योगों/ संस्थाओं/ अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं की ऊर्जा जांच शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप कार्बनडाई आक्साइड के उत्सर्जन पर रोक लगी है, विभिन्न इस्पात निर्माता उद्योगों में इस्पात री–रौलिंग मिलों के लिए भीतर ही डिजाइन की गई अपशिष्ट ताप रिकवरी प्रणालियों की संस्थापना, आदि हुई है। हम ऊर्जा दक्षता समाधान लागू करने के लिए बीईई ग्रेड–। ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) भी हैं।

राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के एकीकरण तथा नवीकरणीय अस्थिरता का समाधान करने के लिए शेष क्षेत्र को बढ़ा करने के निमित्त पावरग्रिड ग्रीन एनर्जी कोरिडोर कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में 7200 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्कों की पारेषण योजनाएं भी कार्यान्वयनाधीन हैं। ग्रीन एनर्जी कोरिडोर कार्यान्वयन और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्कों के ग्रिड एकीकरण के अलावा हम विभिन्न बैटरी प्रौद्योगिकियों वाली पहली ग्रिड इंटरएक्टिव एनर्जी स्टोरेज पायलट परियोजनाओं की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं।

अधिक विवरण के लिए 'निदेशकों' की रिपोर्ट के अंतर्गत 'ऊर्जा दक्षता' एवं 'नवीकरणीय का एकीकरण' संबंधी खंडों के अलावा, कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित हाइपरलिंक पर उपलब्ध सूचना देखी जा सकती है :

http://www.powergridindia.com/_layouts/PowerGrid/User/ContentPage.aspx?PId=154&LangID=English

6. **क्या कंपनी द्वारा निस्सारण/ उत्पादित अपशिष्ट रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष के लिए सी पी सी बी/ एस पी सी बी द्वारा दी गई अनुमत्य सीमाओं के अंदर है?**

पावरग्रिड विद्युत पारेषण क्रियाकलापों द्वारा कोई निस्सारण या अपशिष्ट पैदा नहीं किया जाता है। मात्र निस्सारण जो विद्युत एचजी के लिए डीजी सेटों का उपयोग है, जिसे अनुमत्य सीमाओं के अंदर रखा जाता है।

7. **सी पी सी बी/एस पी सी बी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित हैं (अर्थात संतुष्टि तक समाधान नहीं किया गया)।**

शून्य

पावरग्रिड को सीपीसीबी/एस पी सी बी से कोई कारण बताओ/ कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

सिद्धांत 7 – जब जनता और विनियामक नीति को प्रभावित कर रहे हों तो इसे जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर या संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख का नाम बताएं जिससे आपका व्यवसाय संबंध रखता है :**

पावरग्रिड निम्नलिखित सहित विभिन्न उद्योग निकायों का सदस्य है :

1. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
2. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
3. सीआईआईसीपीएसई परिषद
4. सतत् विकास के लिए टीईआरआई व्यवसाय परिषद
5. दि एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचेम)
6. पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)
7. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर (सीबीआईपी)
8. डब्ल्यूईसी इंडिया (पहले वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल – इंडिया मेम्बर कमेटी के रूप में ज्ञात)
9. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंजीनियर्स (आईआईपीई)
10. लोक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)
11. इंडिया एनर्जी फोरम (आईईएफ)
12. ग्लोबल काम्पेक्ट नेटवर्क (जीसीएन)
13. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन इंडिया (आईएसपीएआई)
14. एसोसिएशन ऑफ कॉम्पेटेटीव टेलिकॉम ऑपरेटर्स (एसीटीओ)
15. इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एवं लाजिस्टिक्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया (आईएलएफआई)

2. **क्या आपने लोक कल्याण को बढ़ाने या सुधार करने के लिए उपर्युक्त संघों के माध्यम से वकालत/ समर्थन जुटाया है? हां/नहीं, यदि हां तो वृहत क्षेत्रों को निर्दिष्ट करें। (ड्राप बॉक्स : अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)**

पावरग्रिड उपर्युक्त (1) में संघों के माध्यम से उन मुद्दों और नीति संबंधी मामलों में भागीदारी करता है जो इसके हितधारकों के हित को प्रभावित करते हैं।

पारेषण क्षेत्र में पावरग्रिड के उल्लेखनीय हितों को देखते हुए पावरग्रिड के हिस्सेदारों और सीईआरसी के साथ नीति संबंधी वकालत के भाग के रूप में सक्रिय दृष्टिकोण के प्रयास को करने के लिए एक अलग विनियामक कक्ष है। जहां कहीं भी आवश्यक महसूस किया जाता है, हम सीईआरसी/ टीआरएआई/ अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न दृष्टिकोण प्रपत्रों, परामर्श प्रपत्रों, मसौदा विनियमनों आदि पर अपनी टिप्पणी देते हैं। इसके अलावा, पावरग्रिड, अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियों, ऊर्जा सुरक्षा, जल, संधारणीय व्यवसाय सिद्धांतों आदि पर अपनी टिप्पणी देता है, जब भी भारत सरकार द्वारा मांगी जाती है।

सिद्धांत 8 – व्यवसायों को समावेशी विकास और एक समान विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति का अनुसरण करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहलें/ परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो उसके ब्यौरे दें।**

हमारे व्यवसाय के स्वरूप द्वारा और केंद्रीय पारेषण उपयोगिता होने से हम प्रतिदिन लाखों की जिंदगियों को स्पर्श करते हैं और समझते हैं कि वास्तविक सफलता अंतर्ग्रस्त हस्तियों और हिस्सेदारों के समावेशी विकास के परिणाम हैं। कंपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों के साथ–साथ अपने कोर व्यवसाय के माध्यम से समावेशी विकास और एक समान विकास के सिद्धांतों का समर्थन करती है।

सामाजिक जिम्मेदारी (श्रमिक, कर्मचारी, समुदाय, कर्मचारियों के परिवार) के प्रति हमारी वचनबद्धता को प्रचुर मात्रा में हमारी पहले से अपनाई गई एकीकृत प्रबंध नीति, पर्यावरणीय और सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाएं (ई एस पी पी), पुनर्वास कार्रवाई योजना (आर ए पी), विजन और मिशन, ओ एस एच ए एस – 18001 और सामाजिक जवाबदेही एसए 8000 में दर्शाया गया है। कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी मुख्यतः हमारी अनुपालनीय वचनबद्धता और अब तक कमाए गए लाभों के लिए समाज और पर्यावरण को वापस अदा करने के लिए चिंता दर्शाती है। सी एस आर सदैव हमारे विजन का अनिवार्य अंग रहा है और अच्छी कारपोरेट नागरिकता के कोर

मूल्यों का महत्व रहा है। हम समाज पर इसके प्रभाव, हालांकि स्वरूप में यह बहुत कम है, के लिए जिम्मेदारी लेने के प्रति वचनबद्ध हैं और प्रकृति माता के निवासियों के प्रति जवाबदेह रहेंगे। हम विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, पहलों, जैसे कि आजीविका पैदा करना, कौशल विकास, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, रोपण, स्वच्छता, पीने का पानी, सड़कें, जल निकासी प्रणाली, सामुदायिक केंद्रों, जलाशयों का विकास और संरक्षण आदि के माध्यम से हमारे प्रचालनों के आस–पास के क्षेत्रों और समुदायों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास पर बल देते हैं।

2. **क्या कार्यक्रम/ परियोजनाएं आंतरिक टीम/ स्वयं के फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संरचना/ किसी अन्य संगठन के माध्यम से की जाती है?**

कार्यक्रम/ परियोजनाएं मुख्यतः आंतरिक टीमों द्वारा की जाती हैं, तथापि ऐसी परियोजनाओं को करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति की सरकारी/ अर्ध–सरकारी एजेंसियों/ एजेंसियों आदि को भी लिया जाता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**

प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं। पावरग्रिड आंतरिक रूप से अपनी पहलों का निम्न के लिए प्रभाव मूल्यांकन करता है। (i) की गई सामुदायिक विकास गतिविधियों को समझना/ मूल्यांकन, समुदायों को हुए लाभ और (ii) भविष्य में सामुदायिक विकास की गतिविधियों को तैयार करने और सुधारने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए।

4. **आपकी कंपनी का सामुदायिक विकास परियोजनाओं में प्रत्यक्ष योगदान क्या है – भारतीय रुपयों में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे?**

सी एस आर गतिविधियों के तहत रु. 121.79 करोड़ की राशि खर्च की गई और वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एंड आर) उपायों के तहत पुनर्वास सहायता (आर ए) के रूप में लगभग रु. 5.85 करोड़ का प्रावधान किया गया। आर एंड आर के लिए किए गए उपायों के अलावा, आस–पास के गांवों और समुदाय के समग्र सुधार के लिए सामुदायिक विकास निर्माण कार्य भी किए गए। सामाजिक मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर हम स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से जरूरत आधारित विकास निर्माण कार्य जैसे सड़कों का निर्माण, पीने के पानी की सुविधा, स्कूल की इमारत, सामुदायिक केंद्र आदि क्रियान्वित करते हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान रु. 4.28 करोड़ सामुदायिक विकास कार्यों पर खर्च किए गए।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया 50 या इतने शब्दों में स्पष्ट करें।**

पर्यावरण एवं सामाजिक नीति तथा प्रक्रिया (ईएसपीपी) के अनुसार प्रत्येक कदम पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम एवं समग्र सार्वजनिक परामर्श किए गए हैं। इस उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर विभिन्न उपाय अपनाए गए जिनमें सार्वजनिक बैठकें, अनौपचारिक लघु समूह बैठकें, सूचना पत्र एवं पैम्फलेट, प्रचालन फील्ड अधिकारी, स्थानीय योजना दौरे तथा स्थल दौरे, जनता की पूछताछ का उत्तर, टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए प्रेस सूचना परियोजना समन्वय समितियां, निगरानीकर्ता या प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक प्रदर्श शामिल हैं।

सिद्धांत 9 – व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करने चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहकों की शिकायतों/ उपभोक्ताओं मामलों का कितने प्रतिशत बकाया है।**

शून्य

2. **क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर, स्थानीय मामलों के अनुसार क्या अधिदेशित है के अलावा, उत्पाद सूचना प्रदर्शित करती है हां/ नहीं/ लागू नहीं होता/ टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)**

लागू नहीं होता।

3. **क्या कंपनी के विरुद्ध किसी हिस्सेदार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथा, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा रोधी व्यापार के संबंध में कोई मामला दाखिल किया है? यदि ऐसा है, तो उसका 50 या इतने शब्दों मे ब्यौरा दें!**

नहीं

4. **क्या आपकी कंपनी कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियां करती है?**

हम अपने ग्राहकों के साथ नियमित आधार पर मिलते हैं और सामान्यतः उनके साथ नियमित रूप से बैठकें करते हैं। उक्त बैठकों के उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ–साथ, प्रोसेस सुधार क्षेत्रों की पहचान करना, ग्राहकों की चिंताओं और व्यवहारों को समझना शामिल है। फीडबैक के आधार पर कंपनी जहां कहीं भी आवश्यक होता है, प्रणाली सुधार के लिए उपाय करती है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.08.2016

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के साथ पठित कंपनी नियम, 2014 के नियम 8 (3) के तहत अपेक्षित विवरण

क. ऊर्जा का संरक्षण

(क) किए गए और जारी ऊर्जा संरक्षण उपाय :

हम योजना के शुरू से निष्पादन की अवस्था तक हमारे ऊर्जा संरक्षण प्रयासों को सुदृढ़ करना जारी रखते हैं। पारेषण कारकों/ उपस्करों को अंतिम रूप देते समय कम हानि के कारकों/ प्रणाली को प्राथमिकता दी जाती है। हमने इसके पारेषण विकास में उच्च वोल्टेज स्तरों जैसे 765 केवी एसी, +500 केवी एचवीडीसी, +800 केवी एचडीवीसी को अपनाया है जो प्रणाली में कम हानियों में परिणत होता है। हम प्रदर्शन परियोजना के रूप में पारेषण के लिए उच्च तापमान सुपरकंडक्टर केबल प्रणाली विकसित कर रहे हैं जो लगभग हानि रहित पारेषण सुविधा है।

पारेषन प्रणाली के डिजाइन स्तर में ही विभिन्न पैरामीटरों को इष्टतन बनाया जाता है ताकि पारेषन प्रणाली में होने वाली हानियों का भी इष्टतमीकरण किया जा सके। कंडक्टरों का चयन विस्तृत इष्टतमीकरण अध्ययनों के बाद किया जाता है जो एक प्राथमिक मानदंड के रूप में लाइन हानियों में कमी पर विचार करने का आधार होते हैं, बस बार सामग्री और क्लैंप तथा कंडक्टर ऐसे चुने जाते हैं जो सख्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करें ताकि हानियां कम से कम की जा सकें। ट्रांसफार्मर और शंट रिएक्टर पैकेजों के मूल्यांकन के दौरान न्यूनतम हानियों वाले उपस्कर को भार दिया जाता है। एचडीवीसी प्रणाली के मामले में भी फिल्टर कंपोनेंट, थायरिस्टर, वाल्व कनवर्टर, ट्रांसफार्मर आदि के चयन हेतु पैरामीटरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि समग्र हानियां विभिन्न प्रणाली प्रचालन स्थिति में भी न्यूनतम की जाए। साथ ही, पारेषण हार्डवेयर के मामले में कम हानियों वाली सामग्री निर्धारित की जाती है। विभिन्न अन्य उपस्करों के मानक और किस्म भी इस तरीके से चुने जाते हैं कि हानियां कम से कम हों। इस प्रकार पावरग्रिड द्वारा प्रत्येक कदम पर ऊर्जा संरक्षण उपाय किए जाते हैं ताकि एक दक्ष एवं कम हानि का पारेषण नेटवर्क विकसित किया जा सके। पावरग्रिड ने ऊर्जा के संरक्षण में मार्ग बनाने तथा औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक समर्पित ऊर्जा दक्षता सेल की स्थापना भी की है। ऊर्जा बचत के लिए अवसरों का पता लगाने हेतु ऊर्जा जांच कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं और उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में ऊर्जा खपत कम करने के लिए कुछ कार्यान्वयन भी सफलतापूर्वक किए गए हैं। पावरग्रिड ने एकीकृत इस्पात संयंत्रों की ऊर्जा जांच की है।

(ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है :

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि पावरग्रिड अपनी पारेषण योजनाओं में आयोजना से कार्यान्वयन तक हानियों को कम करके ऊर्जा संरक्षण उपाय करता है।

अनुसंधान एवं विकास

पावरग्रिड का प्रयास पारेषण प्रणाली में नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयत्नों को आगे बढ़ाना रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर बना रह सके। ठीक ढंग से संरक्षण की जरूरत और भविष्य में विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च क्षमता वाली पारेषण प्रणाली के विकास की आवश्यकता को मानते हुए पावरग्रिड पर्यावरण के अनुकूल पारेषण प्रणाली के सृजन के लिए भारतीय पावरग्रिड में नई और दक्ष प्रौद्योगिकियों के सीमलेस एकीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। पावरग्रिड विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, हानियों की कटौती, उपलब्ध पारेषण आस्तियों का इष्टतम उपयोग, पर्यावरण का संरक्षण और वितरित विद्युत की लागत को इष्टतम करने के लिए ग्लोब के आसपास नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर विशेष बल देता रहा है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय अनुसंधान/ शैक्षणिक संस्थाओं और विनिर्माताओं के सहयोग से कार्य कर रही है और इस प्रकार अत्याधुनिक पारेषण प्रणालियों के डिजाइन और इंजीनियरी के लिए आंतरिक सक्षमताएं बढ़ा रही है।

विशेष क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा आर एंड डी किया गया है और उससे प्राप्त लाभ नीचे दिए गए हैं :

पावरग्रिड उन्नत अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र

पावरग्रिड विद्युत पारेषण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने के लिए मानेसर, गुड़गांव में विश्वस्तरीय प्रयोगशालाएं एवं परीक्षण सुविधाएं स्थापित कर रहा है। ये अनुसंधान एवं विकास केंद्र विद्युत प्रणाली विश्लेषण, उन्नत उपस्कर नैदानिकी, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा दक्षता, नियंत्रण एवं स्वचालन, सामग्री विज्ञान, इंजीनियरी डिजाइन आदि के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं के साथ भारी मात्रा में पावरग्रिड और देश की अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

ख. प्रौद्योगिकी विकास

पावरग्रिड विद्युत पारेषण में प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता की दृष्टि से अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप अपनाता एवं प्रोत्साहित करता है। उनमें से बीना, मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन तथा सब स्टेशन ऑटोमेशन प्रणाली में प्रोसेस बस उल्लेखनीय हैं।

कंपनी द्वारा किए गए अनुसंधान एवं विकास कार्य तथा उनसे होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं :

1. **12000 केवी यूएचवीएसी प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास –**

   पावरग्रिड ने माह मार्च 2016 में 1200 केवी नेशनल टेस्ट स्टेशन की प्रतिष्ठित परियोजना का चरण–II सफलतापूर्वक चार्ज करके परीक्षण कर लिया है। इससे 1200 केवी वोल्टता स्तर पर टेस्ट स्टेशन में सभी 1200 केवी उपस्करों को सफलतापूर्वक चार्ज कर लिया गया है। इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के लिए आपकी कंपनी ने 1200 केवी उपस्कर विकसित करने के लिए भारतीय उपस्कर विनिर्माताओं के साथ सहयोग किया है, जिन्हें इस समय दीर्घावधि फील्ड ऑपरेशन तथा निष्पादन मानीटरिंग के लिए बीना में परीक्षण स्थल पर संस्थापित किया गया है। ग्रिड के साथ मिलाने और 1200 केवी उपस्कर को लोड करने का कार्य मई 2016 में कर दिया गया है।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र को 1700 किमी. में लंबी दूरी तक विद्युत अंतरण के लिए उच्च क्षमता की +800 केवी, 6000 मे.वा. एचवीडीसी मल्टी टर्मिनल प्रणाली।

3. पश्चिमी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र को 1300 किमी० में लंबी दूरी तक विद्युत अंतरण

के लिए उच्च क्षमता के ± 800 केवी, 6000 मे.वा. एचवीडीसी

4. उच्च क्षमता के ± 800 केवी, 6000 मे.वा. एचवीडीसी बाई पोल संपर्क – पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगालुर, तमिलनाडु) और पुगालुर (तमिलनाडु) – उत्तरी त्रिचुर (केरल) के बीच 2000 मे.वा. वीएससी आधारित एचवीडीसी बाईपोल लाइन। केरल में भारी मार्गाधिकार के मुद्दों के कारण लाइन के एक भाग को भूमिगत केबल के रूप में विचार किया गया है।

5. पारेषण कोरिडोर की क्षमता लगभग दुगुनी तक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित लाइनों की उच्च तापमान सहनशीलता कंडक्टर के साथ री–कंडक्टरिंग करना :

- मैथन – मैथन आरबी 400 केवी डी/सी (ट्विन मूज)
- अगरतला – अगरतला जे.बी.पी.पी. 132 केवी डी/सी
- इंफाल (पीजी) – युरेम्बम 132 केवी एस/सी
- नेवेली टीएस–II नेवेली टीएस–I विस्तार 400 केवी एस/सी

6. **दोष करंट के सीमित करने वाले** : नेटवर्क में बढ़ते हुए शार्ट सर्किट करंट स्तरों को नियंत्रित करने के लिए ग्रिड में दोष करंट को सीमित करने वाले रिएक्टरों का अनुप्रयोग शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में रिंग मेन में 2 सीरीज बस रिएक्टरों और 13 सीरीज लाइन रिएक्टरों की पहचान की गई है। शुरू में पहले चरण में मंडोला और बल्लभगढ़ में 2 सीरीज बस रिऐक्टरयुक्त 4 सीरीज रिऐक्टर और मंडोला में दादरी–मंडोला 400 केवी डी/सी पर 2 सीरीज लाइन रिऐक्टर शुरू किए जाएंगे और बाद में प्राप्त किए गए प्रचालनात्मक अनुभव से अतिरिक्त सीरीज रिऐक्टरों पर कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

7. **गतिशील प्रतिपूर्ति** : वोल्टेज को बनाए रखने और ग्रिड की स्थिरता में सुधार के उद्देश्य से रिऐक्टिव विद्युत के गतिशील नियंत्रण के लिए एनआर ग्रिड में 3 स्थानों पर स्टेटिक वीएआर प्रतिपूरक और अखिल भारतीय ग्रिड पर 13 स्थानों में स्टेटकोम (पश्चिमी क्षेत्र में 4, पूर्वी क्षेत्र में 4, दक्षिणी क्षेत्र में 3 और उत्तरी क्षेत्र में 2) क्रियान्वित किए जा रहे हैं। ये गतिशील प्रतिपूरक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित होंगे और ग्रिड को ऑनलाइन गतिशील समर्थन प्रदान करेंगे।

8. जारी पारेषण लाइन परियोजनाओं में प्रयोग के लिए 66केवी, 132केवी, 220केवी, ± 320केवी एचवीडीसी ± 800केवी एचवीडीसी और 765केवी डी/सी बहु सर्किट टावरों सहित आंतरिक टावर और नींव डिजाइन का विकास।

9. एचटीएलएस कंडक्टरों के लिए स्वदेशी विक्रेताओं का विकास।

10. विशेष संकीर्ण आधार पर टावर का डिजाइन ताकि 765केवी डी/सी पारेषण लाइन पार न हो सके।

11. भारत में 765 केवी जीआईएस के लिए विक्रेता विकास।

12. **हरित ऊर्जा कोरिडोर** : व्यापक पैमाने पर नवीकरणीय उत्पादन का एकीकरण सुकर करने के लिए पावरग्रिड ने देश में आठ नवीकरणीय संसाधन समृद्ध राज्यों में हरित ऊर्जा कोरिडोरों (जीईएस) का कार्यान्वयन शुरू किया है। इन कोरिडोरों में पूलिंग उप केंद्रों की स्थापना, प्रतिक्रियात्मक प्रतिपूर्ति सहित 765 केवी एवं 400 केवी स्तर पर अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनें शामिल हैं। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की विविधता और अनिरंतरता से निपटने के लिए हम विभिन्न एसएलडीसी/ आरएलडीसी/ एनएलडीसी में नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) स्थापित कर रहे हैं। आरईएमसी से नवीकरणीय संसाधनों और अनिरंतर नवीकरणीय उत्पादन के दक्ष प्रबंधन का पूर्वानुमान हो पाएगा।

हम पूरे राष्ट्र में सौर संसाधनों के माध्यम से नवीकरणीय उत्पादन निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पादन कर रहे हैं और हमने अंतर्राज्यीय पारेषण नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न अल्ट्रा मेगा सौर पार्कों से विद्युत निकालने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। साथ ही आपकी कंपनी देश में आईएसटीएस नेटवर्क के साथ एकीकृत विभिन्न सौर पार्कों के लिए निकास प्रणाली भी कार्यान्वित कर रही है।

13. 400 केवी पारेषण लाइनों के लिए सर्किट ब्रेकर की नियंत्रित स्विचिंग स्कीमों का कार्यान्वयन।

14. जीआईएस प्लेटफार्म पर इंजीनियरी डाटा का एकीकरण।

15. **प्रोसेस बस प्रौद्योगिकी** : आईसीसी 61850 प्रोटोकॉल आधारित प्रोसेस बस शिल्पकला जो 400 केवी भिवाड़ी उपकेंद्र में वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान सफलतापूर्वक चालू की गई थी, पर आपकी कंपनी की अग्रणी पहल, उपकेंद्रों को पूर्णतः डिजीटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने ट्रांसफार्मर में प्रयोग नियंत्रण एवं संरक्षण केबल अनुकूल बनाने के लिए भी एक अग्रणी परियोजना शुरू की है तथा इसे वित्त वर्ष 2015–16 में 400/220 केवी नीमराना उपकेंद्र में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस उपकेंद्र में नई योजना के कार्यान्वयन के बाद ट्रांसफार्मर मार्शलिंग बाक्स तथा संरक्षण पैनल के बीच कोरों की संख्या में काफी कमी लाई गई थी। भविष्य में रखरखाव को आसान बनाने तथा कठिनाइयों को दूर करने में भी इस योजना से उम्मीद है तथा किसी भी स्थिति में ठीक करने में लगने वाला समय भी अत्यधिक कम होगा। इन परियोजनाओं से अनुभव लेकर आपकी कंपनी रेट्रोफिटिंग पुराने उपकेंद्रों के लिए दूसरी अग्रणी परियोजना शुरू करने हेतु योजना बना रही है जिससे पारंपरिक संरक्षण होगा और उन्नत संचालन प्रणाली नियंत्रण स्कीमें भी बनेंगी।

16. **सुपर कंडक्टिंग पारेषण प्रौद्योगिकी** : पावरग्रिड में 220 केवी उच्च तापमान वाली सुपरकंडक्टर (एचटीसी) केबल प्रणाली पर प्रदर्शन परियोजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एचटीसी केबल कम हानियों के साथ विद्युत अंतरण सक्षमता के अलावा आरओडब्ल्यू आवश्यकता में पर्याप्त बचत प्रस्तुत कर सकते हैं।

17. **पारेषण लाइन अरेस्टर** : लाइन इंसुलेटरों के प्रकाश निष्पादन में सुधार के लिए परीक्षण के आधार पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में 220 केवी लाइन पर पारेषण लाइन अरेस्टर संस्थापित किए गए हैं।

18. **प्रदूषण मानचित्रण** : पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) और उत्तरी क्षेत्र के संघटक एसटीयू के साथ सहयोग से उत्तरी क्षेत्र में प्रदूषण मानचित्रण गतिविधि कर रहा है। इसी किस्म की गतिविधि दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में भी शुरू की गई है।

19. 765 केवी आईसोलेटरों और हिलोरे रोकन के लिए देशी विक्रेताओं का विकास।

20. 765 केवी क्लेम्प, कनेक्टर और इंसुलेटर स्ट्रिंग हार्डवेयर का देशी विकास।

21. आउटेज/ बंद होने की अवधि को न्यूनतम करने के लिए 765 केवी ट्रांसफार्मर और रिएक्टर के लिए फालतू फेज स्विचिंग व्यवस्था को अपनाया जा रहा है।

22. व्यापक क्षेत्र में मापनों और ग्रिड पैरामीटरों की वास्तविक समय पर मानीटरिंग के लिए नियंत्रण केंद्रों के साथ पैन भारत आधार पर एकीकृत ईएचवी उप–स्टेशनों में फेजर मापन यूनिट (पीएमयू) की संस्थापना के माध्यम से विद्युत प्रणाली में स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

23. वितरण अवसंरचना, उन्नत मीटरिंग अवसंरचना, कुशाग्र बंदी प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, विद्युत गुणवत्ता प्रबंधन, वितरित उत्पादन, नेट मीटरिंग आदि को शामिल करते हुए नौ (9) परियोजनाओं के लिए स्मार्ट ग्रिड परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

प्रौद्योगिकी आमेलन :

1. रूट चयन के लिए, लंबाई को इष्टतम करने और पारेषण लाइनों के लिए बीओक्यू का अनुमान लगाने के लिए पावरग्रिड ने आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों का प्रयोग किया है।

2. आईईसी 61850 प्रोटोकोल के साथ सब–स्टेशन स्वचालन को पावरग्रिड के सभी नए सब–स्टेशनों के लिए अपनाया जा रहा है। इसके फलस्वरूप प्रचालनात्मक लागत में बचत होगी और प्रचालनात्मक और अनुरक्षण कुशलता बढ़ेगी।

3. राष्ट्रीय ग्रिड की दिशा में कदम के रूप में हमारे देश में 765 केवी एसी डी/सी और ±500 केवी एच वी डी सी प्रौद्योगिकी क्रियान्वित की गई है। अब देश में थोक विद्युत अंतरण के लिए +800 केवी एचवीडीसी और 12 केवी यूएचएवीसी प्रौद्योगिकियां क्रियान्वित की जा रही हैं।

4. विशेष क्षेत्रों में, सघन टावर जैसे पोल टावर, डेल्टा संरूपण टावर और संकीर्ण आधारित टावर जो टावर आधार द्वारा घेरे गए स्थान को कम करते हैं, का प्रयोग किया जा रहा है। लंबे टावरों और बहु सर्किट टावरों का भी

प्रयोग दुर्लभ रास्ते के आधार के संरक्षण के लिए किया जा रहा है।

5. एचवीडीसी प्रणाली में धात्विक रिटर्न के प्रयोग को अपनाया गया है।
6. प्रदूषित क्षेत्रों में पारेषण लाइनों में विशेष इंसुलेटरों जैसे पालिमर निश्रित इंसुलेटरों को अपनाया गया है।
7. पारेषण गलियारों की अंतरण क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च तापक्रम वाले निम्न सेग कंडक्टरों को अपनाया गया है।
8. जगह की तंगी वाले सब–स्टेशनों में 400 केवी और 765 केवी स्तर पर जीआईएस प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है।
9. सब–स्टेशन के निकट लाइन गलियारा क्षेत्रों को इष्टतम करने के लिए बहु–सीकेटी लाइनों के साथ जीआईएस और एआईएस सब–स्टेशनों में बहुल–स्तरीय बीम का प्रयोग किया गया है।
10. विद्युत ट्रांसफार्मरों के महत्वपूर्ण पैरामीटरों की मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन ट्रांसफार्मर तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।
11. वोल्टता बनाए रखने तथा ग्रिड की स्थिरता में सुधार लाने के लिए प्रतिक्रियात्मक विद्युत के प्रभावी नियंत्रण के लिए एसवीसी और स्टेटकॉमों के रूप में प्रभावी प्रतिपूर्ति कार्यान्वित की जा रही है। प्रणाली में शार्ट सर्किट करंट को नियंत्रित करने के लिए ग्रिड में फाल्ट करंट लिमिटरों की योजना बनाई गई है।

भूमि का संरक्षण और पर्यावरणीय चिंताएं :

एच वी डी सी बिपोलर पारेषण प्रणाली के प्रचालन के ग्राउंड रिटर्न मोड के लिए अब इलेक्ट्रोड स्टेशनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिनके लिए इलेक्ट्रोड स्थल लगभग 150 एकड़ भूमि (बिपोलर प्रणाली के प्रत्येक टर्मिनल के लिए 75 एकड़) की जरूरत होती है। इन इलेक्ट्रोड स्टेशनों के लिए भूमि का चयन, अर्थ इलेक्ट्रोड स्टेशन के प्रस्तावित स्थल के केंद्र से लगभग 8 से 10 किलोमीटर के घेरे में कोई दबी हुई धात्विक वस्तु अर्थात धात्विक तेल और गैस पाइप लाइन, धात्विक पाइपें, रेलवे लाइन, धात्विक तारों का प्रयोग करके टेलिफोन लाइनें, बिजली से चलने वाली पानी के पम्प सेट आदि को ध्यान में रखकर किया जाना होता है। चूंकि इनवर्टर टर्मिनल सामान्यतः लोड केंद्रों के निकट स्थित होते हैं, इसलिए भूमि अधिग्रहण की लागत काफी ऊंची होती है।

इसके अलावा, एच वी डी सी टर्मिनल की इलेक्ट्रोड लाइन के लिए इसके रास्ते का अधिकार भी अपेक्षित होता है जो भूमि प्रयोग की बाधा का सृजन करता है। इसलिए, भविष्य की ±800 केवी/ ±600 केवी परियोजनाओं के लए रिटर्न पाथ के रूप में ग्राउंड इलेक्ट्रोड रखने की बजाए लाइन/ पोल कंडक्टर को ले जाने वाले उसी टावर में तीसरे रिटर्न कंडक्टर के प्रयोग को अपनाया गया है। अर्थ इलेक्ट्रोड स्टेशन के उचित रूप से कार्य करने के बारे में अनिश्चितता के कारक को समाप्त करने के अलावा, रिटर्न पाथ के रूप में तीसरे कंडक्टर का प्रयोग पारंपरिक इलेक्ट्रोड स्टेशन के लिए अपेक्षित भूमि के संरक्षण में परिणत होगा। यह अलग इलेक्ट्रोड लाइन और इलेक्ट्रोड लाइन से संबंधित तदनुरूपी रास्ते के अधिकार से बचेगा जिससे और भूमि संरक्षण होगा।

पावरग्रिड प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में बहुत सी पहलें की गई हैं। भूमि जो अब दुर्लभ संसाधन बन गया है, अतः सब–स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मुद्दों का आधिक्य उठता है। पावरग्रिड ने नई प्रौद्योगिकी (उदाहरण के लए वायु इंसुलेटिड सब–स्टेशन से गैस इंसुलेटिड सब–स्टेशन) का उपयोग करके भूमि की आवश्यकता को काफी कम किया है। आजकल नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधिनियमित होने से भूमि अधिग्रहण प्रमुख मुद्दा है। पावरग्रिड ने भूमि अधिग्रहण के दौरान आने वाले जनता के प्रतिरोध और न्यायालय हस्तक्षेप से बचने के लिए बाजार/ बातचीत की गई दर पर इच्छुक खरीदार इच्छुक विक्रेता पर समिति के माध्यम से भूमि की प्रत्यक्ष खरीद के लिए नीति संबंधी निर्णय लिया है। पटये, वाराणसी, आरोए, अलीगढ़ आदि के लिए भूमि उपर्युक्त विधि से खरीदी गई है।

पावरग्रिड इस तथ्य के प्रति जागरूक है कि उनकी परियोजनाएं कुल मिलाकर पारेषण लाइनों के रूट के साथ–साथ उप–स्टेशनों की स्थापना में उपलब्ध निहित लोचशीलता के कारण पर्यावरणीय हितैषी हैं। परंतु पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारियां समझते हुए पावरग्रिड ने सदैव अपनी गतिविधियों के क्षेत्र में योजना से लेकर पूरा होने तक और बाद में परियोजनाओं के प्रचालन में पर्यावरण के परिरक्षण का प्रयास किया है। पावरग्रिड स्वयं को संधारणीय विकास के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करता है जो हमारी सुपरिभाषित पर्यावरणीय सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं सहित हमारे आदर्श वाक्य "कम करें जहां आप कर सकते हैं और मंद करें जहां आप नहीं सकते", के माध्यम से दर्शाया गया है।

वर्तमान में हमारे द्वारा सामना की जा रही सबसे महत्वपूर्ण चिंता पारेषण लाइनों के लिए रास्ते के अधिकार की पहुंच है। विभिन्न कारक जैसे कि जनसंख्या का उच्च घनत्व, अन्य जारी अवसंरचनात्मक विकास के साथ–साथ पर्यावरणीय परिरक्षण के लिए हमारा कर्तव्य आरओडब्ल्यू मुद्दों के विहीन सबसे इष्टतम मार्ग का चयन करने की स्वतंत्रता को सीमित करता है। संभव सीमा तक ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से पावरग्रिड ने आरओडब्ल्यू की चौड़ाई कम करने के लिए नवीन टावर डिजाइन अपनाया है और वन और अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदी क्षेत्रों में केवल दोहरे सर्किट (डी/सी) या बहु–सर्किट टावर संस्थापित करने का नीति संबंधी निर्णय भी लिया है। अतिरिक्त उच्च वोल्टेज जैसे 765/800 केवी के व्यापक उपयोग, वह भी डी/सी लाइनों पर, ने भी ले जाने की क्षमता का 6000 मेगावाट तक विस्तार किया है, जिसने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों और आरओडब्ल्यू को भी संरक्षित करने में सहायता दी है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

		₹ in Crore
	विदेशी मुद्रा अर्जन	
(i)	ब्याज	0.19
(ii)	परामर्श फीस	37.85
(iii)	माल का निर्यात	0.00
	कुल	**38.04**
	विदेशी मुद्रा व्यय	
(i)	पूंजीगत माल और अतिरिक्त पुर्जे	3,731.84
(ii)	ब्याज	341.71
(iii)	अन्य	82.93
	कुल	**4,156.48**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.08.2016

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध .IV

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखाकरण संबंधी मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। दिनांक 26 मई, 2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की ओर से पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों की उपलब्धता के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ तथा कुछ चुनिंदा लेखाकरण रिकार्डों की जांच तक ही सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जो सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में की गई किसी टिप्पणी को तूल देती हो अथवा उसके पूरक के रूप में कही जानी हो।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/–
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड– III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 जुलाई, 2016

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत कारण के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित हो। दिनांक 26 मई, 2016 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा ऐसा किया हुआ कहा गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत एक पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड, पावरग्रिड सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी लिमिटेड पावरग्रिड एनएन पारेषण लिमिटेड और पूर्वोत्तर पारेषण कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है परंतु हमने उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुबंध –। में सूचीबद्ध सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रुप से नियंत्रित कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) (ख) संबंधित कानूनों के तहत निजी कंपनियां होने के नाते पावरलिंक पारेषण लिमिटेड, टोरंट पावरग्रिड लिमिटेड, जेपी पावरग्रिड लिमिटेड और पार्बती कोलडाम पारेषण कंपनी लिमिटेड तथा विदेश में निगमित होने के नाते विद्युत पारेषण कंपनी नेपाल लिमिटेड पर उनके सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने या पूरक लेखा–परीक्षा करने के लिए लागू नहीं हैं। तदनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने न तो इन कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है और न ही इन कंपनियों की पूरक लेखापरीक्षा की है। पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों को कार्यकारी कागजात उपलब्ध कराए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसी कुछ भी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है, जिससे कोई टिप्पणी बने या सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का पूरक बने।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/–
(रितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड– III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 जुलाई, 2016

अनुबंध 1

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां जिनके वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किए गए हैं

क. भारत में निगमित सहायक कंपनियां

1. पावरग्रिड वेमगिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
2. पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड
3. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
4. पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड
5. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
6. पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड
7. पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड
8. पावरग्रिड दक्षिण अंतर्संयोजक पारेषण प्रणाली लिमिटेड
9. ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड

ख) भारत में निगमित संयुक्त उद्यम

1. एनर्जी एफिशेंसी सर्विसज लिमिटेड
2. बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
3. कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड
4. क्रॉस बॉर्डर पावर पारेषण कंपनी लिमिटेड
5. आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड
6. तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध –V

अनुबंध – क

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया

कटवारिया सराय,

नई दिल्ली – 110 016

1. सचिवीय रिकार्डों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा प्रथाएं और प्रोसेस अपनाए हैं जो सचिवीय रिकार्डों की सामग्री की शुद्धता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन यादृच्छिक आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और खाता बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित था हमने, कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधान के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और न ही कंपनी के कार्यों को करने में प्रबंध की प्रभाविता है।

रूपेश अग्रवाल

साझीदार

हस्ता/–

कृते चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. ए16302

प्रेक्टिस प्रमाणपत्र सं.: 5673

दिनांक : 04.08.2016

स्थान : नई दिल्ली।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सदस्य,
पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
कटवारिया सराय,
नई दिल्ली – 110 016.

हमने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा और पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अच्छी कारपोरेट प्रथाओं के अनुपालन का संचालन किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई थी कि इसने कारपोरेट आचरण/ सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए समुचित आधार पर उन पर हमारी राय व्यक्त करने का प्रावधान किया।

कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और दाखिल की गई विवरणियों और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखापरीक्षा को करने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने यह सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों को संकलित करते हुए 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान और यह भी कि कंपनी के उचित बोर्ड–प्रोसेस और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक है और उस ढंग से और इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन है :

हमने निम्न के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बहियों, प्रपत्रों पुस्तकों, फार्म और दाखिल की गई विवरणियों और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकार्डों की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपाजिटरी अधिनियम, 1956 और विनियम 55क की सीमा तक उसके तहत बनाए गए विनियम और उप–विधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके तहत बनाए गए नियम और विनियमय

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत विनिर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश :

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध), विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; लागू नहीं

(ड) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियां जारी करना और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम के संबंध में और जारी प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहक से डीलिंग;

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना), विनियम, 2009; लागू नहीं और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 1998; लागू नहीं।

(vi) निम्नलिखित कानून, जैसा कि कंपनी के प्रबंध द्वारा सूचित और प्रमाणित किया गया है जो उनके क्षेत्र/ उद्योग के आधार पर कंपनी पर विशेष रूप से लागू हैं :

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 तथा बनाए गए नियम एवं विनियम :

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों/ विनियमों के साथ अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक 01.07.2015 से प्रभावी।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एनएसई), बीएसई लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करार सेबी (दायित्व एवं प्रकटन) विनियम, 2015, 1.12.2015 से प्रभावी।

आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी ने सामान्यतः निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

1. कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रावधान का पालन नहीं किया है।

2. कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के गठन के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियन 2015 के विनियम 18 और कंपनी अधिनियन, 2013 की धारा 177 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।

3. कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।

4. कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रभार तैयार करने से संबंधित कतिपय ई–फार्म दायर नहीं किए हैं जिनमें ऋणदाताओं के स्थायी लेखा संख्या (पैन) उपलब्ध नहीं है, जो कि अनिवार्य है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

उपर्युक्त प्रेक्षणों के अध्यधीन कंपनी का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ यथोचित रूप से गठित है। निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन जो आलोच्य अवधि के दौरान हुए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों को आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट अग्रिम रूप से भेजे गए थे और बैठक से पहले और बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए एजेंडा मदों और सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है।

यदि असहमत सदस्यों का कोई विचार लिया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकार्ड किया जाता है तो बहुमत से निर्णय लिया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को मानीटर और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रोसेस हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निजी प्लेसमेंट के माध्यम से रु. 7326 करोड़ के बॉण्ड जारी किए हैं, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

क्र. सं.	बाण्ड के प्रकार	राशि (रु. करोड़ में)
1	प्रतिभूत, गैर संचयी, प्राप्य, करयोग्य पावरग्रिड बान्ड एल इशु	2928.00
2	प्रतिभूत, गैर संचयी, प्राप्य, करयोग्य पावरग्रिड बान्ड एल I इशु	3000.00
3	प्रतिभूत, गैर संचयी, प्राप्य, करयोग्य पावरग्रिड बान्ड एल II इशु	1398.00

रुपेश अग्रवाल
साझीदार

हस्ता./–
कृते चन्द्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. :16302
प्रेक्टिस प्रमाणपत्र सं.: 5673

दिनांक : 04.08.2016
स्थान : नई दिल्ली।

टिप्पणी : इस रिपोर्ट को हमारे उसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो अनुबंध–क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

निदेशकों की रिपोर्ट अनुबंध–**VI**

फार्म संख्या एमजीटी – 9

वार्षिक विवरण का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसरण में दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

I पंजीकरण और अन्य ब्यौरे :

i	सीआईएन	एल40101डीएल1989जीओआई038121
ii	पंजीकरण की तिथि	23.10.1989
iii	कंपनी का नाम	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
iv	कंपनी की श्रेणी/ उप–श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/ केंद्र सरकार की कंपनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे	बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016 दूरभाष : 011–26560112, 26560121, 26564812, 26564892 फैक्स : 011.26601081
vi	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	हां
vii	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे	कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट संख्या 31 और 32, गाचीबोली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलिंगामपल्ली, हैदराबाद – 500 032, दूरभाष +91–40–67162222, फैक्स +91.40.23420814, टोल फ्री सं. 1800–345–4001

II कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियां :

कंपनी के कुल कारोबार के 10 प्रतिशत या अधिक योगदान देने वाले सभी व्यवसाय गतिविधियों को बताया जाना चाहिए।

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल करोबार का प्रति %
1	पारेषण	35107	95.72%

III धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियों के ब्यौरे :

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारक/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1	पावर सिस्टम आपरेशन कोरपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016	यू40105डीएल2009 जी ओआई188682	सहायक	100	धारा 2 (87)
2	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016	यू40300डीएल2011 जी ओआई217975	सहायक	100	धारा 2 (87)
3	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016.	यू40106डीएल2011 जीओआई219642	सहायक	100	धारा 2 (87)
4	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय :, बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016	यू40300डीएल2011 जी ओआई228136	सहायक	100	धारा 2 (87)
5	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016	यू40300डीएल2012 जीओआई246341	सहायक	100	धारा2 (87)
6	पावरग्रिड काला एम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016.	यू40106डीएल2013 जी ओआई256048	सहायक	100	धारा 2 (87)
7	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016	यू40300डीएल2014 जीओआई270433	सहायक	100	धारा 2 (87)

क्र. सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारक/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
8	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016	यू40300डीएल2014 जीओआई269918	सहायक	100	धारा 2 (87)
9	पावरग्रिड पाली ट्रांसमिशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016.	यू40109डीएल2014 जीओआई269652	सहायक	100	धारा 2 (87)
10	पावरग्रिड दक्षिण अंतर्संयोजक पारेषण प्रणाली प्रणाली लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016.	यू40106डीएल2015 जीओआई278746	सहायक	100	धारा 2 (87)
11	ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 8वीं मंजिल, 'ए' विंग, सौदामिनी प्लॉट नं. 2, सेक्टर–29, गुड़गांव – 122001, हरियाणा	यू31909एचआर2015 जीओआई056647	सहायक	100	धारा 2 (87)
12	पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड, 10वां तल, डीएलएफ टावर ए, जिला केंद्र जसोला, नई दिल्ली – 110 025.	यू40105डीएल2001 पीएलसी110714	संयुक्त उद्यम	49	धारा 2 (6)
13	टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड, टोरेंट हाउस, आश्रम रोड के पीछे अहमदाबाद – 380009	यू40104जीजे2006 पीएलसी046660	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2 (6)
14	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड, जेए हाउस, 63 वसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली – 110 057.	यू40101डीएल2006 पीएलसी154627	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2 (6)
15	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पहला तल, हाउस नं. 061358 टालेश्वर रोड नं. 3, पो. ओ. टालेश्वर, अगरतला – 799 007	यू40101टीआर2008 पीएलसी008249	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2 (6)
16	पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बी–9, कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016	यू40108डीएल2002 पीएलसी116786	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2 (6)
17	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, द्वितीय तल, विजय भवन, 17 बाराखंभा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110 001.	यू40109डीएल2006 एसजीसी151871	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2 (6)
18	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटी प्रा. लिमि., कोर 7, स्कोप काम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003.	यू73100डीएल2009 पीटीसी190541	संयुक्त उद्यम	20	धारा 2 (6)
19	एनर्जी एफीशेंसी सर्विसेज लिमिटेड चौथा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली – 110 066	यू40200डीएल2009 पीएलसी196789	संयुक्त उद्यम	13.63	धारा 2 (6)
20	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड, दूसरा तल, बोरिंग रोड, अलंकार प्लेस, पटना, बिहार – 800 001.	यू40100बीआर2013 पीएलसी019722	संयुक्त उद्यम	50	धारा 2 (6)
21	कालिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमि. 27 शहीद नगर, भुवनेश्वर, खोरदा – 751 007	यू40102ओआर2012 पीटीसी016411	संयुक्त उद्यम	50	धारा 2 (6)
22	क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. मार्फत आईएल एंड एफएस सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, 10, कम्युनिटी सेंटर, दूसरा तल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली – 110 065.	यू40102डीएल2006 पीएलसी156738	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2 (6)
23	आर.आई.एन.एल. पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड, कमरा सं. 31, बी ब्लॉक परियोजना कार्यालय, विशाखापटनम, इस्पात संयंत्र, विशाखापटनम – 530 031, आंध्र प्रदेश, भारत।	यू28121एपी2015 पीटीसी097211	संयुक्त उद्यम	50	धारा 2 (6)
24	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड, मार्फत नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, दरबार मार्ग, काठमांडू, नेपाल।	-	संयुक्त उद्यम	26	धारा 2 (6)

IV शेयर धारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रति प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विभाजन)

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	01.04.2015 को वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				31.03.2016 को वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान : परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का :	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का :	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(क)	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह									
(1)	भारतीय									
(क)	व्यक्ति / एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	केंद्र सरकार / राज्य सरकार (रें)	3028835198	0	3028835198	57.90	3028835198	0	3028835198	57.90	0.00
(ग)	निकाय कारपोरेट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	वित्तीय संस्थान / बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड.)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप– योग क(1) :	**3028835198**	**0**	**3028835198**	**57.90**	**3028835198**	**0**	**3028835198**	**57.90**	**0.00**
(2)	विदेशी									
(क)	व्यक्ति (एनआरआई / विदेशी)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ख)	निकाय कारपोरेट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ग)	संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	अर्हता–प्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड.)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–योग क(2) :	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	जोड़ क=क(1) क (2)	**3028835198**	**0**	**3028835198**	**57.90**	**3028835198**	**0**	**3028835198**	**57.90**	**0.00**
(ख)	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
(1)	संस्थान									
(क)	म्युचुअल फंड / यूटीआई	200458699	0	200458699	3.83	249258323	0	249258323	4.76	-0.93
(ख)	वित्तीय संस्थान / बैंक	47821764	0	47821764	0.91	41222176	0	41222176	0.79	0.13
(ग)	केंद्र सरकार / राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(घ)	वेंचरी पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ड.)	बीमा कंपनियां	167205460	0	167205460	3.20	144088169	0	144088169	2.75	0.44
(च)	विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक	1441236452	0	1441236452	27.55	1374862451	0	1374862451	26.28	1.27
(छ)	अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ज)	योग्य विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(झ)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–योग ख (1) :	1856722375	0	1856722375	35.49	1809431119	0	1809431119	34.59	0.90

श्रेणी कोड	शेयरधारक की श्रेणी	01.04.2015 को वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				31.03.2016 को वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान : परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का :	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का :	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(2)	**गैर–संस्थाएं**									
(क)	निकाय कारपोरेट	136331571	0	136331571	2.61	185247255	0	185247255	3.54	-0.94
(ख)	व्यक्ति									
	(i) व्यक्तिगत धारिता रु. 1 लाख तक सांकेतिक शेयर पूंजी	172196699	34475	172231174	3.29	162306620	35059	162341679	3.10	0.19
	(ii) व्यक्तिगत धारिता रु. 1 लाख से अधिक में सांकेतिक शेयर पूंजी	12460801	10500	12471301	0.24	11737618	10500	11748118	0.22	0.01
(ग)	अन्य									
	क्लीयरिंग सदस्य	2565088	0	2565088	0.05	2547387	0	2547387	0.05	0.00
	विदेशी निकाय	11123476	0	11123476	0.21	11123476	0	11123476	0.21	0.00
	अनिवासी भारतीय	3234151	0	3234151	0.06	3403231	0	3403231	0.07	0.00
	ट्रस्ट	8075314	0	8075314	0.15	15427911	0	15427911	0.29	-0.14
(घ)	अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–योग ख (2) :	**345987100**	**44975**	**346032075**	**6.61**	**391793498**	**45559**	**391839057**	**7.49**	**-0.88**
	जोड ख= ख(1) ख(2):	**2202709475**	**44975**	**2202754450**	**42.10**	**2201224617**	**45559**	**2201270176**	**42.08**	**0.03**
	कुल (क) + (ख) :	**5231544673**	**44975**	**5231589648**	**100.00**	**5230059815**	**45559**	**5230105374**	**99.97**	**0.03**
(ग)	अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर, जिसके विरुद्ध									
	डिपाजिटरी रसीद जारी की गई है।									
(1)	प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह									
(2)	जनता	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	कुल योग (क + ख + ग) :	**5231544673**	**44975**	**5231589648**	**100.00**	**5230059815**	**45559**	**5230105374**	**99.97**	

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के शुरू में शेयरधारिता 01.04.2015			वर्ष के अंत में शेयरधारिता 31.03.2016			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति भारित गिरवी शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति भारित गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति	2927565398	55.9593851	0	2927565398	55.9593851	0	0
2	भारत के राष्ट्रपति	101269800	1.935736685	0	101269800	1.935736685	0	0
	कुल	3028835198	57.89512178	0	3028835198	57.89512178	0	0

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (विनिर्दिष्ट करें यदि कोई परिवर्तन हो)

क्र. सं.		वर्ष के शुरू में शेयरधारित 01.04.2015		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता 31.03.2016	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के शुरू में				
	वृद्धि / कमी (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) के लिए कारण निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि / कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में				

(iv) शीर्ष दस शेयर धारकों की शेयरधारणा अभिरचना (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर को छोड़कर)

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
1	आदि शेष	यूरोपेसिफिक ग्रोथ फण्ड	296023422	5.66	31/03/2015			296023422	5.66
	बिक्री				15/05/2015	-1427235	हस्तांतरण	294596187	5.63
	बिक्री				22/05/2015	-19022244	हस्तांतरण	275573943	5.27
	बिक्री				29/05/2015	-5702278	हस्तांतरण	269871665	5.16
	बिक्री				05/06/2015	-8659600	हस्तांतरण	261212065	4.99
	बिक्री				12/06/2015	-10638274	हस्तांतरण	250573791	4.79
	बिक्री				03/07/2015	-714055	हस्तांतरण	249859736	4.78
	बिक्री				24/07/2015	-2404058	हस्तांतरण	247455678	4.73
	बिक्री				31/07/2015	-2815976	हस्तांतरण	244639702	4.68
	बिक्री				07/08/2015	-2722774	हस्तांतरण	241916928	4.62
	बिक्री				14/08/2015	-633410	हस्तांतरण	241283518	4.61
	बिक्री				21/08/2015	-342439	हस्तांतरण	240941079	4.61
	बिक्री				04/09/2015	-266276	हस्तांतरण	240674803	4.60
	बिक्री				11/09/2015	-7410493	हस्तांतरण	233264310	4.46
	बिक्री				18/09/2015	-2131638	हस्तांतरण	231132672	4.42
	बिक्री				25/09/2015	-5478556	हस्तांतरण	225654116	4.31
	बिक्री				09/10/2015	-339338	हस्तांतरण	225314778	4.31
	बिक्री				16/10/2015	-40228	हस्तांतरण	225274550	4.31
	बिक्री				23/10/2015	-4367655	हस्तांतरण	220906895	4.22
	बिक्री				30/10/2015	-140294	हस्तांतरण	220766601	4.22
	बिक्री				06/11/2015	-11504102	हस्तांतरण	209262499	4.00
	बिक्री				26/02/2016	-258805	हस्तांतरण	209003694	4.00
	बिक्री				04/03/2016	-3191913	हस्तांतरण	205811781	3.93
	बिक्री				11/03/2016	-2061067	हस्तांतरण	203750714	3.89
	बिक्री				18/03/2016	-1196349	हस्तांतरण	202554365	3.87
	बिक्री				31/03/2016	-706643	हस्तांतरण	201847722	3.86
	इति शेष				31/03/2016			201847722	3.86
2	आदि शेष	भारतीय जीवन बीमा निगम कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया – यूएलआईएफ 00220091	199107827	3.81	31/03/2015			199107827	3.81
	बिक्री				10/04/2015	-4782644	हस्तांतरण	194325183	3.71
	बिक्री				17/04/2015	-300000	हस्तांतरण	194025183	3.71

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	बिक्री				24/04/2015	-2001086	हस्तांतरण	192024097	3.67
	बिक्री				01/05/2015	-941166	हस्तांतरण	191082931	3.65
	बिक्री				08/05/2015	-1363520	हस्तांतरण	189719411	3.63
	बिक्री				15/05/2015	-2360000	हस्तांतरण	187359411	3.58
	बिक्री				22/05/2015	-1562898	हस्तांतरण	185796513	3.55
	बिक्री				09/10/2015	-295000	हस्तांतरण	185501513	3.55
	बिक्री				16/10/2015	-313009	हस्तांतरण	185188504	3.54
	बिक्री				23/10/2015	-465929	हस्तांतरण	184722575	3.53
	बिक्री				30/10/2015	-883569	हस्तांतरण	183839006	3.51
	बिक्री				06/11/2015	-74193	हस्तांतरण	183764813	3.51
	बिक्री				20/11/2015	-40000	हस्तांतरण	183724813	3.51
	बिक्री				27/11/2015	-20000	हस्तांतरण	183704813	3.51
	बिक्री				04/12/2015	-1692	हस्तांतरण	183703121	3.51
	बिक्री				08/01/2016	-10000	हस्तांतरण	183693121	3.51
	बिक्री				15/01/2016	-10000	हस्तांतरण	183683121	3.51
	बिक्री				29/01/2016	-10000	हस्तांतरण	183673121	3.51
	बिक्री				05/02/2016	-30000	हस्तांतरण	183643121	3.51
	बिक्री				12/02/2016	-2807299	हस्तांतरण	180835822	3.46
	बिक्री				19/02/2016	-235907	हस्तांतरण	180599915	3.45
	बिक्री				26/02/2016	-499650	हस्तांतरण	180100265	3.44
	बिक्री				18/03/2016	-1983413	हस्तांतरण	178116852	3.40
	बिक्री				25/03/2016	-3510749	हस्तांतरण	174606103	3.34
	बिक्री				31/03/2016	-5132809	हस्तांतरण	169473294	3.24
	इति शेष				31/03/2016			169473294	3.24
3	आदि शेष	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल वैल्यू फण्ड सीरीज 2	113493562	2.17	31/03/2015			113493562	2.17
	क्रय				10/04/2015	3401943	हस्तांतरण	116895505	2.23
	बिक्री				10/04/2015	-3553	हस्तांतरण	116891952	2.23
	क्रय				17/04/2015	437697	हस्तांतरण	117329649	2.24
	बिक्री				17/04/2015	-342169	हस्तांतरण	116987480	2.24
	क्रय				24/04/2015	1286547	हस्तांतरण	118274027	2.26
	क्रय				01/05/2015	2281961	हस्तांतरण	120555988	2.30
	बिक्री				01/05/2015	-645	हस्तांतरण	120555343	2.30
	क्रय				08/05/2015	31447	हस्तांतरण	120586790	2.30
	बिक्री				08/05/2015	-1123	हस्तांतरण	120585667	2.30

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	क्रय				15/05/2015	1174310	हस्तांतरण	121759977	2.33
	क्रय				22/05/2015	2901772	हस्तांतरण	124661749	2.38
	बिक्री				22/05/2015	-808000	हस्तांतरण	123853749	2.37
	क्रय				29/05/2015	788849	हस्तांतरण	124642598	2.38
	क्रय				05/06/2015	4070961	हस्तांतरण	128713559	2.46
	बिक्री				05/06/2015	-301631	हस्तांतरण	128411928	2.45
	क्रय				12/06/2015	389419	हस्तांतरण	128801347	2.46
	बिक्री				12/06/2015	-1668000	हस्तांतरण	127133347	2.43
	क्रय				19/06/2015	390310	हस्तांतरण	127523657	2.44
	बिक्री				19/06/2015	-62000	हस्तांतरण	127461657	2.44
	क्रय				26/06/2015	1293027	हस्तांतरण	128754684	2.46
	क्रय				30/06/2015	566000	हस्तांतरण	129320684	2.47
	बिक्री				30/06/2015	-652125	हस्तांतरण	128668559	2.46
	बिक्री				03/07/2015	-421202	हस्तांतरण	128247357	2.45
	बिक्री				10/07/2015	-764738	हस्तांतरण	127482619	2.44
	क्रय				17/07/2015	600000	हस्तांतरण	128082619	2.45
	बिक्री				17/07/2015	-319	हस्तांतरण	128082300	2.45
	क्रय				24/07/2015	457215	हस्तांतरण	128539515	2.46
	क्रय				31/07/2015	532489	हस्तांतरण	129072004	2.47
	बिक्री				31/07/2015	-309196	हस्तांतरण	128762808	2.46
	क्रय				07/08/2015	21032	हस्तांतरण	128783840	2.46
	बिक्री				07/08/2015	-607135	हस्तांतरण	128176705	2.45
	बिक्री				14/08/2015	-50	हस्तांतरण	128176655	2.45
	क्रय				21/08/2015	845862	हस्तांतरण	129022517	2.47
	क्रय				28/08/2015	1811146	हस्तांतरण	130833663	2.50
	क्रय				04/09/2015	231461	हस्तांतरण	131065124	2.51
	क्रय				11/09/2015	12819	हस्तांतरण	131077943	2.51
	क्रय				18/09/2015	330072	हस्तांतरण	131408015	2.51
	क्रय				25/09/2015	1920	हस्तांतरण	131409935	2.51
	क्रय				30/09/2015	402425	हस्तांतरण	131812360	2.52
	बिक्री				30/09/2015	-824740	हस्तांतरण	130987620	2.50
	क्रय				09/10/2015	2862	हस्तांतरण	130990482	2.50
	बिक्री				09/10/2015	-324713	हस्तांतरण	130665769	2.50
	बिक्री				16/10/2015	-1147264	हस्तांतरण	129518505	2.48

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
			शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	क्रय				23/10/2015	6659	हस्तांतरण	129525164	2.48
	बिक्री				23/10/2015	-566696	हस्तांतरण	128958468	2.46
	बिक्री				30/10/2015	-5998	हस्तांतरण	128952470	2.46
	क्रय				06/11/2015	7314	हस्तांतरण	128959784	2.47
	क्रय				13/11/2015	958241	हस्तांतरण	129918025	2.48
	क्रय				20/11/2015	10812	हस्तांतरण	129928837	2.48
	क्रय				27/11/2015	1423	हस्तांतरण	129930260	2.48
	बिक्री				27/11/2015	-2000	हस्तांतरण	129928260	2.48
	क्रय				04/12/2015	1330647	हस्तांतरण	131258907	2.51
	बिक्री				04/12/2015	-296000	हस्तांतरण	130962907	2.50
	क्रय				11/12/2015	664185	हस्तांतरण	131627092	2.52
	बिक्री				11/12/2015	-448000	हस्तांतरण	131179092	2.51
	क्रय				18/12/2015	370884	हस्तांतरण	131549976	2.51
	क्रय				25/12/2015	2409811	हस्तांतरण	133959787	2.56
	बिक्री				25/12/2015	-223504	हस्तांतरण	133736283	2.56
	क्रय				31/12/2015	636	हस्तांतरण	133736919	2.56
	बिक्री				31/12/2015	-3214235	हस्तांतरण	130522684	2.49
	बिक्री				01/01/2016	-1132387	हस्तांतरण	129390297	2.47
	क्रय				08/01/2016	1070914	हस्तांतरण	130461211	2.49
	बिक्री				08/01/2016	-2475166	हस्तांतरण	127986045	2.45
	क्रय				15/01/2016	2027479	हस्तांतरण	130013524	2.49
	बिक्री				15/01/2016	-8302653	हस्तांतरण	121710871	2.33
	क्रय				22/01/2016	13240	हस्तांतरण	121724111	2.33
	बिक्री				22/01/2016	-693789	हस्तांतरण	121030322	2.31
	क्रय				29/01/2016	5088	हस्तांतरण	121035410	2.31
	बिक्री				29/01/2016	-217595	हस्तांतरण	120817815	2.31
	क्रय				05/02/2016	510478	हस्तांतरण	121328293	2.32
	बिक्री				05/02/2016	-2582630	हस्तांतरण	118745663	2.27
	क्रय				12/02/2016	490048	हस्तांतरण	119235711	2.28
	बिक्री				12/02/2016	-764624	हस्तांतरण	118471087	2.26
	क्रय				19/02/2016	1254482	हस्तांतरण	119725569	2.29
	बिक्री				19/02/2016	-1215938	हस्तांतरण	118509631	2.27
	क्रय				26/02/2016	8879	हस्तांतरण	118518510	2.27
	बिक्री				26/02/2016	-2294015	हस्तांतरण	116224495	2.22

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	क्रय				04/03/2016	1135173	हस्तांतरण	117359668	2.24
	बिक्री				04/03/2016	-705197	हस्तांतरण	116654471	2.23
	क्रय				11/03/2016	21840	हस्तांतरण	116676311	2.23
	बिक्री				11/03/2016	-600000	हस्तांतरण	116076311	2.22
	क्रय				18/03/2016	1456850	हस्तांतरण	117533161	2.25
	बिक्री				18/03/2016	-106	हस्तांतरण	117533055	2.25
	क्रय				25/03/2016	57150	हस्तांतरण	117590205	2.25
	बिक्री				25/03/2016	-16770	हस्तांतरण	117573435	2.25
	क्रय				31/03/2016	1223065	हस्तांतरण	118796500	2.27
	बिक्री				31/03/2016	-200000	हस्तांतरण	118596500	2.27
	इति शेष				31/03/2016			118596500	2.27
4	आदि शेष	न्यू वर्ल्ड फण्ड इंक	97858870	1.87	31/03/2015			97858870	1.87
	बिक्री				15/05/2015	-307317	हस्तांतरण	97551553	1.86
	बिक्री				22/05/2015	-4095922	हस्तांतरण	93455631	1.79
	बिक्री				29/05/2015	-1227832	हस्तांतरण	92227799	1.76
	बिक्री				05/06/2015	-1864608	हस्तांतरण	90363191	1.73
	बिक्री				12/06/2015	-2290662	हस्तांतरण	88072529	1.68
	बिक्री				03/07/2015	-153752	हस्तांतरण	87918777	1.68
	बिक्री				24/07/2015	-517649	हस्तांतरण	87401128	1.67
	बिक्री				31/07/2015	-606344	हस्तांतरण	86794784	1.66
	बिक्री				07/08/2015	-586274	हस्तांतरण	86208510	1.65
	बिक्री				14/08/2015	-136388	हस्तांतरण	86072122	1.65
	बिक्री				21/08/2015	-73734	हस्तांतरण	85998388	1.64
	बिक्री				04/09/2015	-71007	हस्तांतरण	85927381	1.64
	बिक्री				11/09/2015	-1976133	हस्तांतरण	83951248	1.60
	बिक्री				18/09/2015	-566760	हस्तांतरण	83384488	1.59
	बिक्री				25/09/2015	-1376441	हस्तांतरण	82008047	1.57
	बिक्री				09/10/2015	-90490	हस्तांतरण	81917557	1.57
	बिक्री				16/10/2015	-10727	हस्तांतरण	81906830	1.57
	बिक्री				23/10/2015	-1164708	हस्तांतरण	80742122	1.54
	बिक्री				30/10/2015	-37412	हस्तांतरण	80704710	1.54
	बिक्री				06/11/2015	-3067760	हस्तांतरण	77636950	1.48
	बिक्री				25/12/2015	-5450000	हस्तांतरण	72186950	1.38
	बिक्री				26/02/2016	-161692	हस्तांतरण	72025258	1.38

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	बिक्री				04/03/2016	-1994185	हस्तांतरण	70031073	1.34
	बिक्री				11/03/2016	-1321052	हस्तांतरण	68710021	1.31
	बिक्री				18/03/2016	-1281702	हस्तांतरण	67428319	1.29
	बिक्री				31/03/2016	-757058	हस्तांतरण	66671261	1.27
	इति शेष				31/03/2016			66671261	1.27
5	आदि शेष	कामगेस्ट ग्रोथ पीएलसी एकाउंट कामगेस्ट ग्रोथ इमर्जिंग मार	65881497	1.26	31/03/2015			65881497	1.26
	क्रय				15/05/2015	900000	हस्तांतरण	66781497	1.28
	क्रय				30/10/2015	7500000	हस्तांतरण	74281497	1.42
	इति शेष				31/03/2016			74281497	1.42
6	आदि शेष	कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड इनकम फण्ड	64038000	1.22	31/03/2015			64038000	1.22
	इति शेष				31/03/2016			64038000	1.22
7	आदि शेष	अमरिकन फण्ड इंश्योरेंस सीरिज इंटरनेशनल फण्ड	62539040	1.20	31/03/2015			62539040	1.20
	बिक्री				25/09/2015	-194666	हस्तांतरण	62344374	1.19
	बिक्री				30/09/2015	-14707	हस्तांतरण	62329667	1.19
	बिक्री				02/10/2015	-1230478	हस्तांतरण	61099189	1.17
	बिक्री				09/10/2015	-1508001	हस्तांतरण	59591188	1.14
	बिक्री				16/10/2015	-432148	हस्तांतरण	59159040	1.13
	बिक्री				19/02/2016	-1465000	हस्तांतरण	57694040	1.10
	बिक्री				26/02/2016	-34015	हस्तांतरण	57660025	1.10
	बिक्री				04/03/2016	-419507	हस्तांतरण	57240518	1.09
	बिक्री				11/03/2016	-339372	हस्तांतरण	56901146	1.09
	बिक्री				18/03/2016	-1253592	हस्तांतरण	55647554	1.06
	बिक्री				31/03/2016	-740457	हस्तांतरण	54907097	1.05
	इति शेष				31/03/2016			54907097	1.05
8	आदि शेष	मैगाल्लन	61276308	1.17	31/03/2015			61276308	1.17
	बिक्री				17/04/2015	-600000	हस्तांतरण	60676308	1.16
	बिक्री				24/04/2015	-731557	हस्तांतरण	59944751	1.15
	बिक्री				04/09/2015	-350000	हस्तांतरण	59594751	1.14
	बिक्री				11/09/2015	-1539199	हस्तांतरण	58055552	1.11
	क्रय				30/10/2015	4165430	हस्तांतरण	62220982	1.19

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	बिक्री				25/12/2015	-1953212	हस्तांतरण	60267770	1.15
	इति शेष				31/03/2016			60267770	1.15
9	आदि शेष	आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एन आर	60781048	1.16	31/03/2015			60781048	1.16
	क्रय				10/04/2015	259883	हस्तांतरण	61040931	1.17
	क्रय				17/04/2015	338073	हस्तांतरण	61379004	1.17
	क्रय				24/04/2015	223861	हस्तांतरण	61602865	1.18
	बिक्री				01/05/2015	-220873	हस्तांतरण	61381992	1.17
	क्रय				08/05/2015	195266	हस्तांतरण	61577258	1.18
	क्रय				15/05/2015	1332252	हस्तांतरण	62909510	1.20
	क्रय				22/05/2015	15171533	हस्तांतरण	78081043	1.49
	बिक्री				29/05/2015	-93496	हस्तांतरण	77987547	1.49
	बिक्री				05/06/2015	-508105	हस्तांतरण	77479442	1.48
	बिक्री				12/06/2015	-185665	हस्तांतरण	77293777	1.48
	क्रय				19/06/2015	135228	हस्तांतरण	77429005	1.48
	बिक्री				26/06/2015	-6570	हस्तांतरण	77422435	1.48
	क्रय				30/06/2015	15844	हस्तांतरण	77438279	1.48
	क्रय				03/07/2015	796877	हस्तांतरण	78235156	1.50
	क्रय				10/07/2015	370424	हस्तांतरण	78605580	1.50
	क्रय				17/07/2015	399476	हस्तांतरण	79005056	1.51
	क्रय				24/07/2015	340111	हस्तांतरण	79345167	1.52
	क्रय				31/07/2015	106400	हस्तांतरण	79451567	1.52
	क्रय				07/08/2015	484990	हस्तांतरण	79936557	1.53
	क्रय				14/08/2015	85982	हस्तांतरण	80022539	1.53
	बिक्री				21/08/2015	-419803	हस्तांतरण	79602736	1.52
	क्रय				28/08/2015	2923805	हस्तांतरण	82526541	1.58
	क्रय				04/09/2015	2590210	हस्तांतरण	85116751	1.63
	क्रय				11/09/2015	789295	हस्तांतरण	85906046	1.64
	बिक्री				18/09/2015	-1525500	हस्तांतरण	84380546	1.61
	बिक्री				25/09/2015	-617172	हस्तांतरण	83763374	1.60
	क्रय				30/09/2015	56464	हस्तांतरण	83819838	1.60
	क्रय				02/10/2015	1157681	हस्तांतरण	84977519	1.62
	क्रय				09/10/2015	672342	हस्तांतरण	85649861	1.64
	बिक्री				16/10/2015	-268484	हस्तांतरण	85381377	1.63

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	बिक्री				23/10/2015	-21166	हस्तांतरण	85360211	1.63
	बिक्री				30/10/2015	-210845	हस्तांतरण	85149366	1.63
	क्रय				06/11/2015	2833929	हस्तांतरण	87983295	1.68
	क्रय				13/11/2015	199732	हस्तांतरण	88183027	1.69
	बिक्री				20/11/2015	-42990	हस्तांतरण	88140037	1.68
	क्रय				27/11/2015	396531	हस्तांतरण	88536568	1.69
	क्रय				04/12/2015	921173	हस्तांतरण	89457741	1.71
	बिक्री				11/12/2015	-796523	हस्तांतरण	88661218	1.69
	क्रय				18/12/2015	149231	हस्तांतरण	88810449	1.70
	बिक्री				25/12/2015	-21616	हस्तांतरण	88788833	1.70
	क्रय				31/12/2015	191739	हस्तांतरण	88980572	1.70
	बिक्री				08/01/2016	-127116	हस्तांतरण	88853456	1.70
	बिक्री				15/01/2016	-989132	हस्तांतरण	87864324	1.68
	क्रय				22/01/2016	170517	हस्तांतरण	88034841	1.68
	बिक्री				29/01/2016	-1689280	हस्तांतरण	86345561	1.65
	क्रय				05/02/2016	80015	हस्तांतरण	86425576	1.65
	बिक्री				12/02/2016	-102120	हस्तांतरण	86323456	1.65
	क्रय				19/02/2016	676077	हस्तांतरण	86999533	1.66
	क्रय				26/02/2016	394114	हस्तांतरण	87393647	1.67
	क्रय				04/03/2016	22550	हस्तांतरण	87416197	1.67
	क्रय				11/03/2016	119067	हस्तांतरण	87535264	1.67
	क्रय				18/03/2016	14779	हस्तांतरण	87550043	1.67
	क्रय				25/03/2016	340191	हस्तांतरण	87890234	1.68
	क्रय				31/03/2016	115317	हस्तांतरण	88005551	1.68
	इति शेष				31/03/2016			88005551	1.68
10	आदि शेष	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एकाउंट एचडीएफसी बैलेंस्ड फण्ड	25178770	0.48	31/03/2015			25178770	0.48
	क्रय				24/04/2015	5832	हस्तांतरण	25184602	0.48
	क्रय				01/05/2015	1548	हस्तांतरण	25186150	0.48
	बिक्री				01/05/2015	-325000	हस्तांतरण	24861150	0.48
	क्रय				08/05/2015	450000	हस्तांतरण	25311150	0.48
	बिक्री				08/05/2015	-1750000	हस्तांतरण	23561150	0.45
	क्रय				15/05/2015	100000	हस्तांतरण	23661150	0.45
	क्रय				22/05/2015	1741	हस्तांतरण	23662891	0.45

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता					वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत	दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	क्रय				29/05/2015	4111	हस्तांतरण	23667002	0.45
	क्रय				05/06/2015	74	हस्तांतरण	23667076	0.45
	क्रय				12/06/2015	77330	हस्तांतरण	23744406	0.45
	क्रय				19/06/2015	576927	हस्तांतरण	24321333	0.46
	बिक्री				19/06/2015	-300000	हस्तांतरण	24021333	0.46
	क्रय				26/06/2015	1707649	हस्तांतरण	25728982	0.49
	बिक्री				10/07/2015	-1072	हस्तांतरण	25727910	0.49
	क्रय				17/07/2015	325000	हस्तांतरण	26052910	0.50
	क्रय				24/07/2015	361	हस्तांतरण	26053271	0.50
	क्रय				07/08/2015	253	हस्तांतरण	26053524	0.50
	बिक्री				07/08/2015	-80000	हस्तांतरण	25973524	0.50
	बिक्री				14/08/2015	-200000	हस्तांतरण	25773524	0.49
	क्रय				28/08/2015	2373	हस्तांतरण	25775897	0.49
	क्रय				04/09/2015	2345	हस्तांतरण	25778242	0.49
	बिक्री				04/09/2015	-75000	हस्तांतरण	25703242	0.49
	क्रय				11/09/2015	6472012	हस्तांतरण	32175254	0.62
	क्रय				18/09/2015	6800	हस्तांतरण	32182054	0.62
	क्रय				30/09/2015	35000	हस्तांतरण	32217054	0.62
	बिक्री				09/10/2015	-31	हस्तांतरण	32217023	0.62
	क्रय				16/10/2015	2878980	हस्तांतरण	35096003	0.67
	क्रय				23/10/2015	2200378	हस्तांतरण	37296381	0.71
	बिक्री				30/10/2015	-32218	हस्तांतरण	37264163	0.71
	क्रय				06/11/2015	7000000	हस्तांतरण	44264163	0.85
	क्रय				13/11/2015	248884	हस्तांतरण	44513047	0.85
	क्रय				20/11/2015	2773	हस्तांतरण	44515820	0.85
	क्रय				27/11/2015	985	हस्तांतरण	44516805	0.85
	बिक्री				27/11/2015	-271796	हस्तांतरण	44245009	0.85
	क्रय				04/12/2015	469750	हस्तांतरण	44714759	0.85
	क्रय				11/12/2015	970432	हस्तांतरण	45685191	0.87
	क्रय				18/12/2015	1361	हस्तांतरण	45686552	0.87
	क्रय				25/12/2015	2214	हस्तांतरण	45688766	0.87
	क्रय				31/12/2015	246	हस्तांतरण	45689012	0.87
	क्रय				08/01/2016	500000	हस्तांतरण	46189012	0.88
	क्रय				15/01/2016	3136590	हस्तांतरण	49325602	0.94

01.04.2015 और 31.03.2016 के बीच शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारण अभिरचना

क्र. सं.	प्रकार	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		दिनांक	शेयरधारिता में वृद्धि / कमी	कारण	वर्ष के दौरान शेयरधारिता संचयी	
			शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत				शेयरों की संख्या	कंपनी का कुल शेयर प्रतिशत
	बिक्री				15/01/2016	-575000	हस्तांतरण	48750602	0.93
	क्रय				22/01/2016	2221415	हस्तांतरण	50972017	0.97
	क्रय				29/01/2016	2931	हस्तांतरण	50974948	0.97
	क्रय				05/02/2016	732083	हस्तांतरण	51707031	0.99
	क्रय				12/02/2016	1239703	हस्तांतरण	52946734	1.01
	क्रय				19/02/2016	1204843	हस्तांतरण	54151577	1.04
	क्रय				26/02/2016	1024	हस्तांतरण	54152601	1.04
	क्रय				04/03/2016	82880	हस्तांतरण	54235481	1.04
	बिक्री				04/03/2016	-48000	हस्तांतरण	54187481	1.04
	क्रय				11/03/2016	5317	हस्तांतरण	54192798	1.04
	क्रय				18/03/2016	1798	हस्तांतरण	54194596	1.04
	बिक्री				18/03/2016	-965245	हस्तांतरण	53229351	1.02
	बिक्री				25/03/2016	-209122	हस्तांतरण	53020229	1.01
	क्रय				31/03/2016	4165	हस्तांतरण	53024394	1.01
	बिक्री				31/03/2016	-403	हस्तांतरण	53023991	1.01
	इति शेष				31/03/2016		हस्तांतरण	53023991	1.01

(iv) निदेशकों और के एम पी की शेयरधारिता

1. श्री आई. एस. झा, निदेशक (10.11.2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) 09.11.2015 तक निदेशक (परियोजना) थे।

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	2,998	0	2,998	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	2,998	0	2,998	0

2. श्री आर. टी. अग्रवाल, निदेशक (वित्त)

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	3,056	0	3,056	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	3,056	0	3,056	0

3. श्री रवि पी. सिंह, निदेशक (कार्मिक)

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	9,016	0	9,016	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	9,016	0	9,016	0

4. श्री आर. पी. ससमाल, निदेशक (प्रचालन एवं परियोजना)

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	1,798	0	1,798	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	1,798	0	1,798	0

5. डॉ. प्रदीप कुमार, सरकारी निदेशक

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

6. श्रीमती ज्योति अरोड़ा, सरकारी निदेशक

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

7. श्री जगदीश, आई. पटेल, स्वतंत्र निदेशक (17.11.2015 से)

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

8. श्रीमती दिव्या टण्डन, कंपनी सचिव

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	15,337	0	15,337	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	15,337	0	15,337	0

9. श्री आर. एन. नायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2015 को सेवानिवृत्ति)

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	11,721	0	11,721	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	11,721	0	11,721	0

10. श्री महेश शाह, स्वतंत्र निदेशक*

	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

11. श्री आर. के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक*

	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

12. डॉ. के. रामलिंगम, स्वतंत्र निदेशक*

	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	0	0	0	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	0	0	0	0

13. श्री आर. कृष्णामूर्ति, स्वतंत्र निदेशक*

	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	286	0	286	0
वृद्धि / कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / कमी (उदा. आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	286	0	286	0

14. श्री अजय कुमार मित्तल, स्वतंत्र निदेशक*

प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए	वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का प्रतिशत
वर्ष 01.04.2015 के आरंभ में	879	0	879	0
वृद्धि/ कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी (उदा. आवंटन/ अंतरण/ बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि)	0	0	0	0
31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अंत में	879	0	879	0

*श्री आर. के. गुप्ता, डी. के. रामालिंगम, श्री आर. कृष्णमूर्ति, श्री अजय कुमार मित्तल और श्री महेश शाह अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने पर द्वारा 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

V. ऋण (31.03.2016 को)

(रु. करोड़ में)

बकाया/ लगाए गए ब्याज, जो भुगतान के लिए देय नहीं है, सहित कंपनी का ऋण भार				
	जमाराशि को अलग कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूति ऋण	जमा	कुल ऋण भार
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋण भार			लागू नहीं	
i) मूल धन	88,936.63	6,107.91		95,044.54
ii) दिया न गया देय ब्याज	-	-		
iii) ब्याज लगाया गया परंतु देय नहीं	2330.73	30.34		2,361.07
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋण भार में परिवर्तन				
वृद्धि	15,500.90	3,548.11		19,049.01
कमी	4,454.42	1,317.73		5,772.15
विशुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋण भार				
i) मूल धन	99,983.11	8,338.29		108,321.40
ii) दिया न गया देय ब्याज				-
iii) ब्याज लगाया गया परंतु देय नहीं	2636.71	32.49		2,669.20
कुल (i+ii+iii)	102,619.82	8,370.78		110,990.60

VI निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक (2015–16)

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/ अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम					कुल राशि
		श्री आई. एस. झा, अ. एवं प्र. नि. (10.11.2015 से) और 09.05.2015 तक निदेशक (परि.) थे	श्री आर. टी. अग्रवाल, निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ	श्री रवि पी. सिंह, निदेशक (कार्मिक)	श्री आर पी. ससमाल निदेशक (प्रचालन एवं परियोजना)	श्री आर. पी. ससमाल, अ. एवं. प्र. नि. (सेवानिवृत्ति 30.09.2015 को)	
1	कुल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	4349555.00	4591451.00	4300296.00	4063196.00	4848676.00	22153174.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत प्राप्तियों का मूल्य	795983.00	830314.00	780170.00	712435.00	732395.00	3851297.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्टाक विकल्प	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	स्वीट इक्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य (उल्लेख करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	**अन्य, कृपया बताएं**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क)	**5145538.00**	**5421765.00**	**5080466.00**	**4775631.00**	**5581071.00**	**26004471.00**
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/ डब्ल्यूटीडी/ मैनेजर का नाम						कुल राशि
		श्री जे. आई पटेल (17.11.2015 से)	श्री आर. के. गुप्ता*	डॉ. के. रामालिंगम*	श्री आर. कृष्णामूर्ति*	श्री अजय कुमार मित्तल*	श्री महेश शाह*	
1	स्वतंत्र निदेशक							
	(क) बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	108,000.00	468,000.00	324,000.00	630,000.00	756,000.00	486,000.00	2772000.00
	(ख) कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (1)	**108,000.00**	**468,000.00**	**324,000.00**	**630,000.00**	**756,000.00**	**486,000.00**	**2,772,000.00**
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक							
	(क) बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ख) कमीशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ख)=(1+2)	**108000.00**	**468000.00**	**324000.00**	**630000.00**	**756000.00**	**486000.00**	**2772000.00**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**108000.00**	**468000.00**	**324000.00**	**630000.00**	**756000.00**	**486000.00**	**2772000.00**
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा	प्रति बोर्ड बैठक या कमेटी बैठक 100,000/– रु						

*श्री आर. के. गुप्ता, डॉ. के. रामालिंगम, श्री आर. कृष्णामूर्ति, श्री अजय कुमार मित्तल और श्री महेश शाह अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने पर द्वारा 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

ग. प्रबंधक निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक (2015–16)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	
1	कुल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	0	3048804.00	0.00	3048804.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत प्राप्तियों का मूल्य	0	103916.00	0.00	103916.00
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	0	0.00	0.00	0.00
2	स्टॉक विकल्प	0	0.00	0.00	0.00
3	स्वीट इक्विटी	0	0.00	0.00	0.00
4	कमीशन	0	0.00	0.00	0.00
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	0	0.00	0.00	0.00
	अन्य (उल्लेख करें)	0	0.00	0.00	0.00
5	**अन्य, कृपया बताएं**	0	0.00	0.00	0.00
	कुल (क)	**0**	**3152720.00**	**0.00**	**3152720.00**

VII शास्तियां/ दंड/ अपराधों का योग

लागू नहीं

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/ दंड/ लगाए गए कुल शुल्क का विवरण	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	यदि कोई अपील की हो (का विवरण)
क) कंपनी					
शास्ति					
दंड					
योग					
ख) निदेशक					
शास्ति					
दंड					
योग					
ग) अन्य अधिकारी चूक में					
शास्ति					
दंड					
योग					

निगम अभिशासन पर रिपोर्ट

कंपनी के निदेशक निगम अभिशासन पर कंपनी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

1. कंपनी का अभिशासन दर्शन :

निगम अभिशासन कंपनी में विभिन्न हितधारकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निगमित निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह एक प्रणाली है, जिसके द्वारा व्यावसायिक निगम निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। पावरग्रिड का यह मानना है कि अच्छे अभिशासन में सरकारी नीतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के साथ–साथ प्रबंधन की विश्वसनीयता, सशक्तीकरण और जवाबदेही निहित होनी चाहिए। अभिशासन प्रक्रिया, **"उभरते पावर बाजारों में विश्वसनीयता, सुरक्षा और मितव्ययिता को सुनिश्चित करते हुए, प्रमुख नेतृत्व के साथ विश्व स्तर, एकीकृत, वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी के इसके लक्ष्य के संबंध में ध्यान केंद्रित करती है," और इसके मिशन अर्थात "हम निम्न के द्वारा विश्वस्तरीय क्षमताओं के साथ उभरते पावर बाजारों में प्रमुख अग्रता के साथ एक वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी बनेंगे :"**

1. **विश्वस्तरीय : उद्योग और स्वयं के लिए बड़ी परियोजना प्रबंधन एवं प्रचालनों में उत्कृष्ट मानकों का व्यवस्थापन।**
2. **वैश्विक : भारत में तथा उभरती एवं विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में सभी पणधारियों के लिए सुसंगत रूप से अधिकतम मूल्य तैयार करने की उत्तोलनकारी क्षमताएं।**
3. **अगली पीढ़ी के व्यावसायिकों को प्रेरित करना, परिपोषण करना और सशक्त बनाना।**
4. **नवीनीकरण एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए निरंतर सुधार हासिल करना।**
5. **स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में उच्च मानकों की प्रतिबद्धता।**

पावरग्रिड के निगम अभिशासन को निम्नलिखित के माध्यम से अभिप्रेरित किया जाता है :

(i) भारत सरकार और कंपनी के कार्यकलापों को देखने में अहम भूमिका अदा करने वाले प्रमुख व्यक्ति अर्थात निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए गए अल्पावधिक, माध्यावधिक और दीर्घावधिक उद्देश्यों और विशिष्ट लक्ष्यों को हर वर्ष पूरा करना और इसके लिए जॉब प्रोफाइल/कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक उपयुक्त स्तरों पर लोगों का सशक्तीकरण करना।

(ii) चुनौतियों और उभरते हुए अवसरों के प्रति उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करना तथा देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका अदा करना।

निगम अभिशासन संरचना के अंतर्गत निगम में विभिन्न भागीदारों के बीच अधिकारों, उत्तरदायित्वों और शक्तियों के वितरण को विनिर्दिष्ट किया जाता है। निवेश, विविधीकरण से संबंधित सभी कार्यनीतिक निर्णयों, अधिप्राप्ति, वाणिज्यिक और वित्त से संबंधित बड़े प्रमुख निर्णयों पर कार्रवाई निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात ही की जाती है।

पावरग्रिड मई, 2008 से एक "नवरत्न पीएसई" है। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को निवेश करने और प्रचालनात्मक निर्णय करने के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता मिली है। अब पावरग्रिड का निदेशक मंडल नई मदों की खरीद अथवा किसी धन संबंधी सीमा के बिना पुरानी मदों के प्रतिस्थापन पर पूंजीगत व्यय करने के लिए अनुमोदन प्रदानकर्ता प्राधिकारी है। भारत अथवा विदेश में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश पर कंपनी के निवल मूल्य की 15 प्रतिशत राशि की सीमा अवत की गई है। तथापि, किसी एक परियोजना के लिए यह सीमा रु. 1000 करोड़ तक सीमित है। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश पर संपूर्ण उच्चतम सीमा को समेकित करने पर यह पावरग्रिड के निवल मूल्य का 30 प्रतिशत है।

पावरग्रिड के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक शामिल हैं। कर्मचारियों के अधिकारों और बाध्यताओं का उल्लेख प्रकाशित की जाने वाली नीतिगत नियम पुस्तिकाओं में किया जाता है और उनमें समय–समय पर किए संशोधनों को अधिसूचित किया जाता है। आंतरिक भागीदारों अर्थात शीर्षस्थ कार्यपालकों और उनसे नीचे वाले अधिकारियों की शक्तियां सुस्थापित और परंपरागत ढंग से किए गए "शक्तियों का प्रत्यायोजन" में दी जाती है। पावरग्रिड ने "कार्य और

अधिप्राप्ति नीति और अधिनिर्णय से पूर्व तथा अधिनिर्णय के पश्चात वाले चरणों के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया इस उद्देश्य से तैयार और कार्यान्वित की है कि नीतियों और प्रक्रियाओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेही तथा जिम्मेदारी के साथ शीघ्र और विकेंद्रीकृत ढंग से निर्णय करने पर विशेष जोर देते हुए उन्हें आसानी से लागू किया जा सके। बोर्ड ने कई समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति, शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायत निवारण समिति, परियोजनाओं में निवेश संबंधी समिति, संविदाओं के अधिनिर्णय की समिति, बांडों के लिए समिति, ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) से संबंधित संविदाओं के अधिनिर्णय के लिए समिति, त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) और अन्य डिपॉजिट कार्य, सीएसआर और सतत् विकास समिति, सतर्कता अनुशासनिक मामलों की समिति आदि का बेहतर ध्यान देने के लिए गठन किया है। पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा कार्यविधियों तथा अनुसंधान एवं विकास और दूरसंचार व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों और इन क्षेत्रों में मतैक्य स्थापित करने के लिए पावरग्रिड को सलाह एवं सुझाव देने के उद्देश्य से प्रख्यात व्यक्तियों का एक सलाहकार मंडल भी बनाया गया है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, जो 01.12.2015 से प्रभावी हुआ, के अनुसरण में कंपनी ने एनएसई और बीएसई के साथ नए सूचीकरण करार किए हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व के सूचीकरण करारों/ सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के खण्ड 49 के प्रावधानों का पालन करते हुए पावरग्रिड लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगम अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देशों का भी पालन करता है।

निगम अभिशासन की शर्तों तथा वर्ष 2015–16 के लिए प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में कंपनी का अनुपालन नीचे दिया गया है :–

2. निदेशक मंडल :

2.1 निदेशक मंडल का आकार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के आशय की परिधि में पावरग्रिड एक सरकारी कंपनी है और भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में इनकी प्रदत्त शेयर पूंजी का 57.89 प्रतिशत धारित करते हैं। अंतर्नियमावली के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार और शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं।

कंपनी की अंतर्नियमावली के संदर्भ में पावरग्रिड के निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या चार से कम अथवा अट्ठारह से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक निदेशक या फिर अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

2.2 निदेशक मंडल की संरचना

दिनांक 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में सात निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो सरकार द्वारा नामित निदेशक और एक स्वतंत्र निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक थे। बोर्ड की संरचना में एक महिला निदेशक भी शामिल है।

बोर्ड की संरचना में एक महिला निदेशक भी शामिल होती है। कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप धारा 4, में यह शर्त है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी में कुल निदेशकों में कम से कम एक तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में होने चाहिए।

स्वतंत्र निदेशक का पद धारण करने के लिए सभी स्वतंत्र निदेशक कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरी करते हैं।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 में यह शर्त है कि कम्पनी के मण्डल के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। वित्तीय वर्ष 2015–16 की पिछली तिमाही (अर्थात् चौथी तिमाही) के लिए इस वाक्यांश के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षाएं पूर्णतः पूरी नहीं होती थी।

2.3 निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष अथवा उनकी अधिवर्षिता की आयु की तारीख तक अथवा भारत सरकार द्वारा आगामी आदेश जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामिती निदेशक कंपनी के निदेशक मंडल से है, जो अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद सेवा निवृत्त होंगे, जब तक भारत सरकार उनकी अवधि नहीं बढ़ाती है।

स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा सामान्य तौर पर तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु नियुक्त किया गया है।

पावरग्रिड के संगम अनुच्छेदों के उपबंधों के अनुरूप निदेशक(वित्त), जिसे सीएफओ कहा गया है, सहित कंपनी के पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के माध्यम से प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की गई है।

दिनांक 31 मार्च 2016 को निदेशकों का कार्यकाल निम्नानुसार था :

निदेशकों का विवरण		नाम	निदेशक मंडल में शामिल होने की तारीख	अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने/कार्यकाल पूरा होने की तारीख
श्रेणी (कार्यात्मक/सरकारी/ गैर– सरकारी)	पदनाम			
1. पूर्णकालिक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री आई. एस. झा	10.11.2015	अधिवर्षिता की तारीख 30.06.2019
	निदेशक(वित्त)	श्री आर. टी. अग्रवाल	29.07.2011	अधिवर्षिता की तारीख 31.08.2016
	निदेशक(कार्मिक)	श्री रवि पी. सिंह	01.04.2012	कार्यकाल पूरा होने की तारीख 31.03.2017 अधिवर्षिता की तारीख 31.01.2020
	निदेशक (प्रचालन और परियोजनाएं)*	श्री आर. पी. ससमल	01.08.2012	कार्यकाल पूरा होने की तारीख 31.07.2017 अधिवर्षिता की तारीख 28.02.2018
2. सरकारी नामिती –अंशकालिक निदेशक	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय	डॉ. प्रदीप कुमार	10.09.2013	भारत सरकार के राष्ट्रपति जब तक चाहें
	संयुक्त सचिव (ट्रांस) विद्युत मंत्रालय	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	20.03.2014	भारत सरकार के राष्ट्रपति जब तक चाहें
3. गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)	श्री जगदीश ईश्वर पटेल	17.11.2015	कार्यकाल पूरा होने की तारीख 16.11.2018

निदेशक के रूप में वर्ष 2013 में आयोजित वार्षिक आम बैठक में यद्यपि नियुक्त श्री आर. के. गुप्ता, डॉ. के. रामालिंगम, श्री आर. कृष्णामूर्ति, श्री अजय कुमार मित्तल और श्री महेश शाह ने 16 जनवरी, 2013 के सरकारी पत्र सं. 1/38/96–पी.जी. के अनुसार 3 वर्षों के उनका कार्यकलाप पूरा होने पर 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में पद त्याग दिया। चूंकि उस तारीख से बोर्ड की संरचना कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के उपबंध और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार नहीं है, इसलिए 'श्री आर.पी. ससमल, निदेशक (प्रचालन) ने 24.11.2015 से 22.11.2016 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त पदभार संभाल लिया है।

2.4 निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। बैठकों की समय–अनुसूची सामान्यतः अग्रिम तौर पर तैयार कर ली जाती है और निदेशकों को नोटिस, मंडल की बैठक के लिए विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधकीय रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां परिचालित की जाती है। मंडल के सदस्यों को निगम से संबंधित सभी सूचना तक उनकी पूर्ण पहुंच रहती है। निदेशक मंडल द्वारा चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निदेशक मंडल की बैठकों में वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाता है। अत्यावश्यकता की स्थिति में परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मण्डल की 14 बैठकें दिनांक 17 अप्रैल, 11 मई, 28 मई, 30 मई, 2 जुलाई, 23 और 24 जुलाई, 10 अगस्त, 15 सितम्बर, 28 सितम्बर, 3 नवम्बर और 30 नवम्बर 2015 को तथा 12 जनवरी, 27 जनवरी और 9 मार्च 2016 को आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान किन्हीं भी दो बैठकों के बीच अधिकतम अन्तराल 42 दिन रहा। निदेशकों के द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया गया, उनकी संख्या, पिछली आम बैठक में उपस्थिति, वर्ष 2015–16 के दौरान उनके द्वारा अन्य अवसरों पर निदेशक के रूप में/समितियों की सदस्यता की संख्या यानि सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार लेखा–परीक्षा समिति और शेयरधारकों की संबंध समिति के विवरण नीचे सारणी में दिए गए हैं।

निदेशकों का नाम	निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित की गई बैठकें	भाग ली गई बैठकों की संख्या	दिनांक 18.09.2015 को आयोजित की गई वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति	दिनांक 31.3.2016 को अन्य आयोजित बैठक में निदेशक के रूप में उपस्थिति की संख्या	दिनांक 31.3.2016 का आयोजित अन्य समिति की सदस्यता की संख्या*	
					अध्यक्ष	सदस्य
पूर्णकालिक निदेशक						
आई. एस. झा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (10.11.2015 से)	05	05	हां	09	शून्य	शून्य
आई. एस. झा, निदेशक (परियोजना) (01.09.2009 से)	09	09	हां	09	शून्य	शून्य
श्री आर. टी. अग्रवाल निदेशक (वित्त) (29.07.2011 से)	14	14	हां	शून्य	शून्य	01
श्री रवि पी. सिंह निदेशक (कार्मिक) (01.04.2012 से)	14	13	हां	08	शून्य	02
श्री आर. पी. ससमल, निदेशक (प्रचालन) (24.11.2015 से) निदेशक (परियोजना) के रूप में अतिरिक्त प्रभार सहित	14	12	हां	11	01	01
श्री आर. एन. नायक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2015 को सेवा–निवृत्त)	09	09	हां	10	शून्य	शून्य
गैर–कार्यपालक निदेशक (सरकारी नामिती)						
डॉ. प्रदीप कुमार, संयुक्त एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय	14	12	हां	01	शून्य	3
श्रीमती ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव (टी) विद्युत मंत्रालय	14	08	हां	02	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						
जगदीश आई पटेल** (17.11.2015 से)	04	04	लागू नहीं	02	02	शून्य
श्री आर.के.गुप्ता#	12	12	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. के. रामालिंगम#	12	11	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री आर. कृष्णामूर्ति#	12	10	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री अजय कुमार मित्तल #	12	12	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री महेश शाह#	12	12	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

लागू नहीं निर्दिष्ट करता है कि संबंधित व्यक्ति संगत तारीख को पावरग्रिड में निदेशक नहीं था।

* सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुरूप पावरग्रिड में समिति स्थिति सहित अध्यक्ष के रूप में और सदस्य के रूप में समिति सदस्यता की गणना में केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति को हिसाब में लिया गया है।
कंपनी का कोई भी निदेशक एक दूसरे का संबंधी नहीं है।

**17.11.2015 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त

#श्री आर.के. गुप्ता, डॉ. के. रामालिंगम, श्री आर. कृष्णामूर्ति, श्री अजय कुमार मित्तल और श्री महेश शाह ने पहले उल्लिखित सरकारी पत्र के अनुसार 3 वर्षों की कार्यकाल अवधि समाप्त होने पर 15.1.2016 से स्वतंत्र निदेशक का कार्य काल समाप्त हुआ है।

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित बातें शामिल हैं ।

निदेशक मंडल कंपनी से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। निदेशक मंडल को नियमित रूप से दी जाने वाली सूचना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा उनमें किए जाने वाले अद्यतन संशोधन।
2. वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
3. कंपनी के तिमाही परिणाम।
4. लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त जिनमें सहायक कंपनियों के कार्यवृत्त शामिल हैं।
5. किए गए प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के गठन, कार्यनीतिक सहयोग आदि।
6. बड़ी संविदाएं प्रदान करना।
7. अन्य कंपनियों में उनके द्वारा निदेश के रूप में और समितियों में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में अधिमुक्त पदों संबंधी हितों का प्रकटन।
8. कंपनी की वाणिज्यिक स्थिति पर मासिक रिपोर्ट।
9. विभिन्न चालू परियोजनाओं/योजनाओं की स्थिति और बजट के उपयोग संबंधी रिपोर्ट।
10. प्रचालन और रख–रखाव समीक्षा संबंधी रिपोर्ट।
11. मानव संसाधनों/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण घटना जैसे मजदूरी करार पर हस्ताक्षर आदि।
12. किसी भी सांविधिक, विनियामक अथवा सूचीबद्ध करार की अपेक्षाओं और शेयरधारक सेवा का अनुपालन जैसे लाभांश का भुगतान न किया जाना, शेयर हस्तांतरण में विलंब आदि।
13. अधिशेष निधियों का अल्पावधिक निवेश।
14. अन्य सारगर्भित महत्वपूर्ण सूचना।

बैठक पश्च अनुवर्तन प्रणाली

15. कंपनी की अभिशासन प्रक्रिया में एक प्रभावी बैठक–पश्च अनुवर्तन, बोर्ड तथा बोर्ड की समिति(यों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई/लंबित कार्रवाई की समीक्षा तथा प्रक्रिया सूचित करना शामिल है।

3. निदेशक मंडल की समितियां :

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है :

i) लेखापरीक्षा समिति
ii) शेयरधारकों की संबंध समिति
iii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति
iv) परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समिति
v) संविदाएं देने के लिए समिति
vi) शेयरों के स्थानांतरण/विभाजन/पुनः भौतिकीकरण इत्यादि के लिए समिति
vii) बॉण्डों के लिए समिति
viii) आरई और अन्य निक्षेप कार्यों से संबंधित संविदाएं देने के लिए समिति
ix) सीएसआर समिति
x) जोखिम प्रबंधन समिति

3.1 लेखापरीक्षा समिति :

दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

(i)	श्री जगदीश आई. पटेल	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	–	समिति के अध्यक्ष
(ii)	डॉ. प्रदीप कुमार	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार	–	सदस्य
(iii)	श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन और परियोजना)	–	सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

लेखापरीक्षा समिति का स्वरूप, गणपूर्ति और सीमा क्षेत्र आदि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगम अभिशासन विषयक दिशानिर्देश, 2010, कंपनी अधिनियम 2013 सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार 15 जनवरी 2016 तक है और उसके बाद समिति का गठन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम, 2010 के लिए निगम अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों, कम्पनी अधिनियम 2013 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के उपबंधों के अनुसार नहीं है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

लेखापरीक्षा समिति वर्ष में कम से चार बार अपनी बैठक आयोजित करती है और वर्ष के दौरान दो बैठकों के बीच में 120 दिनों से अधिक का अन्तराल नहीं हुआ है। बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति या तो 2 सदस्य अथवा लेखापरीक्षा समिति के एक–तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, स्वीकार्य है, परन्तु बैठक में कम से कम दो स्वतंत्र सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं :

1. इसके विचारार्थ विषयों की परिधि में आने वाले किसी भी कार्यकलाप की जांच करना।

2. किसी भी कर्मचारी के बारे में तथा उससे सूचना प्राप्त करना।
3. बाह्य विधिक अथवा अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. आवश्यक समझे जाने पर संगत विशेषज्ञता वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
5. जानकारी देने वालों की संरक्षा करना।
6. निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित किए गए अन्य मामलों पर विचार करना।

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर और इसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन पर नजर रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को अदा किए जाने वाले लेखापरीक्षा शुल्क का निर्धारण और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई किन्हीं अन्य सेवाओं के संबंध में भुगतान का अनुमोदन।
3. निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में निदेशक मंडल को अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना :
   क. कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उप खंड 3 के अनुसार निदेशक मंडल की रिपोर्ट खंड ग में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले।
   ख. लेखाकरण नीतियों एवं चलनों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उनके कारण।
   ग. प्रबंधन द्वारा अधिनिर्णय के प्रयोग पर आधारित अनुमानों वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।
   घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से प्रत्युत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता एवं अन्य विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।
   च. किन्हीं संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को प्रकट करना।
   छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हता।
4. निदेशक मंडल को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।
5. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, राईट्स निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि) के जरिए जुटाई गई निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग के विवरण, पेशकश दस्तावेज/विवरणियां/सूचना में उल्लिखित से अन्यथा प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण तथा किसी सार्वजनिक या राईट्स निर्गम की आय के उपयोग का अनुवीक्षण करने वाली अनुवीक्षण एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना तथा इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की समुचित अनुशंसा बोर्ड को करना।
6. प्रबंधन के साथ सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों को निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग एवं विभाग के प्रमुख की वरिष्ठता, आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज एवं बारंबारता सहित आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, यदि कोई हो, करना।
8. आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा/अथवा लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
9. आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखापरीक्षकों/अभिकरणों द्वारा किसी आंतरिक जाँच के निष्कर्षों की समीक्षा उन मामलों में करना जहाँ किसी धोखाधड़ी या अनियमितता का संदेह या वास्तविक स्वरूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता हो तथा मामले की सूचना बोर्ड को देना।
10. सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले लेखापरीक्षा के स्वरूप तथा कार्यक्षेत्र के बारे में एवं साथ ही लेखापरीक्षा के बाद परिचर्चा करना ताकि सरोकार के किसी क्षेत्र का पता लगाया जा सके।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयर धारकों (घोषित लाभांश की अदायगी न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूक के कारणों का पता लगाना।
12. जानकारी प्रदाता तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।
13. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अवलोकनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
14. संसदीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
15. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा बोर्ड के बीच संचार का मुक्त मार्ग व्यवस्थित करना।
16. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन के अनुवर्ती संशोधन का अनुमोदन करना।
17. हमारी कंपनी में सभी संबंधित पक्षकार लेन–देनों की समीक्षा की। इस प्रयोजनार्थ, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नमोदिष्ट करेगी जो संबंधित पक्षकार लेन–देनों की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

   स्पष्टीकरण (i) पद समूह संबंधित पक्षकार लेनदेन का वही अर्थ होगा जो सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 में दिया गया है।
18. कार्यक्षेत्र की पूर्णता, बेकार प्रयासों का अपचयन तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा प्रयासों के समन्वयन की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना।
19. स्वतंत्र लेखा/परीक्षक तथा प्रबंधन के साथ निम्न पर विचार करना तथा उसकी समीक्षा करना :
   (क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता; तथा
   (ख) स्वतंत्र लेखापरीक्षा तथा आंतरिक लेखापरीक्षक के संबंधित निष्कर्षों तथा अनुशंसाएं प्रबंधकों की अनुक्रिया सहित।
20. प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्न पर विचार तथा समीक्षा करना :
   क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्षों जिसमें विगत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं की प्रस्थिति शामिल है।
   ख. क्रियाकलापों के कार्यक्षेत्र या अपेक्षित सूचना तक अभिगम पर किन्हीं प्रतिबंधों सहित लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामना की गई कोई कठिनाइयां।

21. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता तथा निष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की कारगरता की समीक्षा और निगरानी करना।
22. अंतर–कारपोरेट ऋणों तथा निवेशों की जांच करना।
23. जहां कहीं आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों तथा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।
24. आंतरिक वित्त नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
25. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथाउल्लिखित अन्य कोई कार्य करना तथा समय–समय पर यथासंशोधित आवश्यकताओं / डीपीई दिशानिर्देशों को सूचीबद्ध करना।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा जानकारी की समीक्षा

लेखापरीक्षा समिति अनिवार्यतः निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करती है

1. वित्तीय स्थिति एवं प्रचालनों के परिणामों पर प्रबंधन, परिचर्चा एवं विश्लेषण।
2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार संव्यवहार विवरण।
3. प्रबंधकों के पत्र / सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों संबंधी पत्र।
4. आंतरिक नियंत्रण की कमियों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
5. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, उसे हटाना और पारिश्रमिक की शर्तें।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन / घोषणा

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना :

वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रारम्भ में लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

श्री आर. कृष्णामूर्ति**	अध्यक्ष	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
डॉ प्रदीप कुमार	सदस्य	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सरकारी नामिति निदेशक
श्री महेश शाह**	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
श्री अजय कुमार मित्तल**	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक

उपर्युक्त निर्दिष्ट सरकार के पत्र के अनुसार 15.1.2016 से पावरग्रिड के निदेशक मण्डल में 5 स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकलाप समाप्त होने पर लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था जिसमें निम्नलिखित निदेशक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष सदस्य थे :–

(i)	श्री जगदीश आई पटेल	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष*
(ii)	डॉ प्रदीप कुमार	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार सरकारी नामिती निदेशक	:	सदस्य
(iii)	श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन और परियोजनाएं)	:	सदस्य

* दिनांक 12.1.2016 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सहयोजित।

उपस्थिति:

31 मार्च 2016 तक वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 10बैठकें 11 मई, 28 मई, 30 मई, 22 जुलाई, 10 अगस्त, 15 सितंबर, 28 सितंबर, 3 नवम्बर और 30 नवंबर 2015 को तथा 27 जनवरी, 2016 को आयोजित की गई थी।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति :–

नाम	पदावधि के दौरान अयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक	
श्री आर. कृष्णामूर्ति, निदेशक**	09	09
डॉ प्रदीप कुमार, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एमओपी	10	05
श्री जगदीश आई पटेल	01	01
श्री आर.पी. ससमल	01	01
श्री अजय कुमार मित्तल**	09	09
श्री महेश शाह**	09	09

** श्री आर.कृष्णामूर्ति, श्री महेश शाह, और श्री अजय कुमार मित्तल की 3 वर्षों के कार्यकाल अवधि पूरी होने पर स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 15 जनवरी 2016 से समाप्त हुआ।

3.2 पण्धारक संबंध समिति :

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के उपबंधों और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुरूप पण्धारक संबंध समिति लागू की है।

समिति का कार्यक्षेत्र

समिति का कार्यक्षेत्र, शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायत / व्यवस्था जैसे कि शेयरों का अन्तरण तुलन पत्र का न मिलना, घोषित लाभांश का न मिलना आदि को दूर करना है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पणधारक संबंध समिति की संरचना :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पणधारक संबंध समिति की संरचना निम्नानुसार थी :–

श्री महेश शाह*	अध्यक्ष	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
टी. के. रामालिंगम*	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
श्री रवि पी. सिंह	सदस्य	निदेशक(कार्मिक)
श्री आर. टी. अग्रवाल	सदस्य	निदेशक(वित्त)

* 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा दिनांक 15 जनवरी 2015 को 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक सेवा–निवृत हुए।

उपर्युक्त निर्दिष्ट सरकारी के पत्र के अनुसार 15.1.2016 से पावरग्रिड के निदेशक मण्डल में 5 स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकलाप समाप्त होने पर लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था जिसमें निम्नलिखित निदेशक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष सदस्य थे :–

(i)	जगदीश आई पटेल,	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष*
(ii)	श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक(वित्त)	:	सदस्य
(iii)	श्री रवि पी. सिंह	निदेशक(कार्मिक)	:	सदस्य

* दिनांक 12.1.2016 से समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में सहयोजित।

कंपनी सचिव समिति का सचिव है।

पणधारक संबंध समिति की दो बैठक वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 30 नवंबर 2015 और 30 मार्च 2016 को आयोजित की गई थी।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पणधारी संबंध समिति की बैठकों में उपस्थिति

नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित पणधारियों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठकें	
	आयोजित	उपस्थिति
श्री महेश शाह*	01	01
टी. के. रामलिंगम*	01	01
श्री आर. टी. अग्रवाल	02	01
श्री रवि पी. सिंह	02	01
जगदीश आई पटेल	01	01

* 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रह गए।

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

श्रीमति दिव्या टंडन, कंपनी सचिव, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार अनुपालन अधिकारी हैं।

निवेशकों की शिकायतें

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष में विवादों और विधिक कारणों द्वारा बाधित मामलों को छोड़कर कंपनी के निवेशकों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया है। वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	विवरण	आदि शेष	प्राप्त	निपटाई गई	लंबित
1	वापसी आदेशों का न मिलना	0	44	44	0
2	लाभांश वारंटों का न मिलना	0	993	993	0
3	शेयर प्रमाणपत्र न मिलना	0	3	3	0
4	सेबी	0	9	9	0
5	स्टॉक एक्सचेंज	0	3	3	0
6	वकीलों के नोटिस	0	0	0	0
7	उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	0	0	0	0
	कुल	**0**	**1052**	**1052**	**0**

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार लंबित निवेशक शिकायतों का तदनंतर निपटान कर दिया गया है।

शेयर एस्क्रो खाते में लंबित शेयर :

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 की अनुसूची 5(च) के अनुसरण में यह प्रकटन किया गया है कि :

i) आपकी कंपनी के आईपीओ के संबंध में 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार उचंत खाते में पड़े बकाया शेयरों की संख्या 35698 थी, जिसमें 185 शेयरधारकों के शेष थे।

ii) एफपीओ के संबंध में दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार 19 शेयरधारकों द्वारा उचत खाते में धारित शेयरों की संख्या 3735 थी।

iii) द्वितीय एफपीओ के संबंध में दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार 01 शेयरधारकों द्वारा उचंत खाते में धारित संख्या 526 थी।
iv) वर्ष 2015–16 के दौरान 4 शेयरधारकों ने एफपीओ के संबंध में उचंत खाते से 603 शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क किया और पावरग्रिड ने वर्ष के दौरान 4 शेयरधारकों से संबंधित 603 शेयर अंतरित किया है।
v) वर्ष 2015–16 के दौरान 1 शेयरधारक ने एफपीओ के संबंध में उचंत खाते में 296 शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क किया और पावरग्रिड ने वर्ष के दौरान 1 शेयरधारक से संबंधित 296 शेयर अंतरित किया है।
vi) वर्ष 2015–16 के दौरान 1 शेयरधारक ने द्वितीय एफओ के संबंध में उचंत खाते में 526 शेयरों के अंतरण के लिए पावरग्रिड से संपर्क किया तथा पावरग्रिड ने एक शेयर होल्डर के संबंध में 526 शेयर अंतरित किया है।
vii) आईपीओ के संबंध में 31.03.2016 को शेयरधारकों की कुल संख्या 181 थी और 31.03.2016 को उचंत खाते में पड़े बकाया शेयरों की संख्या 35095 थी।
viii) एफपीओ के संबंध में 31.03.2016 को शेयरधारकों की कुल संख्या 18 थी तथा 31.03.3016 को उचंत खाते में पड़े बकाया शेयरों की संख्या 3439 थी।
ix) द्वितीय एफपीओ के संबंध में 31.03.2016 के कुल शेयरधारकों की संख्या शून्य थी तथा 31.03.2016 को उचंत खाते में पड़े बकाया शेयरों की संख्या शून्य थी।

ऐसे शेयरों के वास्तविक मालिक द्वारा शेयरों के संबंध में दावा किए जाने तक डिमैट उचंत खाते में शेयरों के संबंध में मताधिकार अवरुद्ध रहेगा। ये शेयर पूल एकाउंट में डिमैट रूप में रजिस्ट्रार अर्थात मैसर्स कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास है और उन पर प्राप्त लाभ का उचित लेखा जोखा रखा जा रहा है।

केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली–स्कोर्स

सेबी की केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली अर्थात स्कोरस (सेबी की शिकायत समाधान प्रणाली) जून, 2011 से लागू है। इस्कोर्स के माध्यम से शेयरधारक कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। जब शिकायत दर्ज की जाती है तो यूनीक शिकायत पंजीकरण संख्या भविष्य में संदर्भ और ट्रैकिंग के लिए आवंटित की जाती है। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाईन भी देखी जा सकती है और शेयरधारक अपनी शिकायत के लिए अनुस्मारक भेज सकते हैं। संबंधित हस्ती(कंपनी या मध्यवर्ती) शिकायत के समाधान के लिए कार्रवाई करती है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करती है। सेबी शिकायतों का निपटान करता है यदि यह समझता है कि शिकायत का पर्याप्त रूप से समाधान हो गया है। कोई शेयरधारक जो इस्कोर्स से शिकायत नहीं करता है तो वह अपनी शिकायत को लिखित रूप से भी कर सकता है।

3.3 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

पावरग्रिड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19 की आवश्यकताओं के अनुरूप और डी.पी.ई. के द्वारा जारी सी.पी.एस.ई. के लिए निगम शासन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुरूप एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया था जिसमें समिति के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :

श्री आर. कृष्णामूर्ति*	अध्यक्ष	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
श्री आर.एन. नायक**	सदस्य	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डॉ. प्रदीप कुमार	सदस्य	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार, विद्युत मंत्रालय
श्रीमती ज्योति अरोड़ा	सदस्य	संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
श्री आर.के. गुप्ता*	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
श्री अजय कुमार मित्तल*	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक

* वर्षों की उनकी कार्यकाल अवधि पूरी होने पर 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।
** 30.09.2015 को सेवा–निवृत्त हुए।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति वार्षिक बोनस/विभेदक के पूल तथा निर्धारित सीमा सहित कर्मचारियों में इसके वितरण के बारे में निर्णय लेती है।
वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की दिनांक 23.4.2015 को एक बैठक आयोजित की गई।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में उपस्थिति

नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित पणधारियों/निवेशकों की शिकायत समिति की बैठकें	
	आयोजित	उपस्थिति
श्री आर. कृष्णामूर्ति*	01	01
श्री आर.एन. नायक	01	01
डॉ. प्रदीप कुमार	01	01
श्रीमती ज्योति अरोड़ा	01	शून्य
श्री आर.के. गुप्ता*	01	01
श्री अजय कुमार मित्तल*	01	01

* 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रह गए।

15.01.2016 से पावरग्रिड के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में रिक्ति होने के कारण नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था और कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 की चौथी तिमाही में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2013 का विनियम 19 का पालन नहीं किया था।

निदेशकों का निष्पादन संबंधी मूल्यांकन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अधीन निदेशकों के निष्पादन संबंधी मूल्यांकन के कार्य को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के द्वारा सरकारी कंपनियों के साथ उठाया गया था। स्वतंत्र निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के तहत उन्हें सौंपे गए कार्य के बारे में अपनी अलग बैठकों में समीक्षा की गई है।

इसके अलावा, निदेशकों की नियुक्ति, पदावधि और पारिश्रमिक के बारे में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुसार होता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति के प्रत्येक बैठक में शामिल होने पर भुगतान किया जाता है। पावरग्रिड हर वर्ष विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है, जिसमें कंपनी का विभिन्न वित्तीय और गैर–वित्तीय मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

निदेशकों का पारिश्रमिक :–

पावरग्रिड कंपनी, सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों को वर्ष 2015–16 के दौरान दिया गया पारिश्रमिक, उनकी नियुक्ति की शर्तों और निबंधनों के अनुरूप था। स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक में शामिल होने के लिए और समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए भाग ली गई प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल सिटिंग शुल्क (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अंतर्गत सरकार के अनुमोदन के बिना निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा नियत दर) अदा किया जाता है।

वर्ष 2015–16 में पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किया गया पारिश्रमिक निम्नलिखित है :

क्र. सं.	निदेशक	पदनाम	वेतन (रु.)	लाभ (रु.)	बोनस/कमीशन (रु.)	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (रु.)	कुल (रु.)
1.	श्री आई.एस.झा (10.11.2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में) और 09.11.2015 तक निदेशक (परियोजना)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2798603.00	1486280.00	-	1603556.00	5888439.00
2.	श्री आर.टी. अग्रवाल	निदेशक(वित्त)	2702715.00	1802660.20	-	1502191.00	6007566.20
3.	श्री रवि पी. सिंह	निदेशक(कार्मिक)	2675286.00	991658.20	-	1500007.00	5166951.20
4.	श्री आर.पी. ससमल	निदेशक(प्रचालन और परियोजना)	2648285.00	810702.70	-	1460005.00	4918992.70
5.	श्री आर.एन. नायक 30.09.2015 को सेवानिवृत्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1314296.00	1959878.40	-	1716437.00	4990611.40

पावरग्रिड के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक/सिटिंग शुल्क नहीं लेते। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए रु. 20,000/– प्रति बैठक सिटिंग शुल्क अदा किया गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग शुल्क के लिए किए गए भुगतान के ब्यौरे नीचे दिए गए है :

(रु. लाख में)

गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		कुल (रु.)
	बोर्ड की बैठक (रु.)	निदेशक मंडल की समिति की बैठकें (रु.)	
श्री आर.के. गुप्ता*	2.16	2.52	4.68
डॉ. के. रामालिंगम*	1.98	1.26	3.24
श्री आर. कृष्णामूर्ति*	1.98	4.32	6.30
श्री अजय कुमार मित्तल*	2.34	5.22	7.56
श्री महेश शाह*	2.34	2.52	4.86
श्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल	0.72	0.36	1.08

*ऊपर निर्दिष्ट सरकारी पत्र के अनुसार 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने पर श्री आर.के. गुप्ता, डॉ. के. रामालिंगम, श्री आर. कृष्णामूर्ति, श्री अजय कुमार मित्तल और श्री महेश शाह 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक सेवा–निवृत्त हुए।

दिनांक 31.03.2016 को निदेशकों की शेयरधारिता निम्नलिखित है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
1.	श्री आई.एस. झा	2998
2.	श्री आर. टी. अग्रवाल	3056
3.	श्री रवि पी. सिंह	9016
4.	श्री आर. पी. ससमल	1798
5.	डॉ. प्रदीप कुमार	शून्य
6.	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	शून्य
7.	श्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल	शून्य

3.4 परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समिति

बोर्ड ने नई परियोजनाओ की स्वीकृति और जारी परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों के प्रस्तावों, जैसा बोर्ड से अपेक्षित होता है, पर विचार करने के लिए निदेशकों की यह समिति गठित की है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

(i)	श्री आर. एन. नायक*	अध्यक्ष	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii)	श्री आई. एस. झा	सदस्य	निदेशक(परियोजना)
(iii)	श्री आर. टी. अग्रवाल	सदस्य	निदेशक(वित्त)
(iv)	डॉ. प्रदीप कुमार	सदस्य	जे.एस. एण्ड एफ.ए. सरकारी नामिती निदेशक
(v)	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	सदस्य	संयुक्त सचिव (पारेषण) सरकारी नामिती निदेशक
(vi)	श्री आर. कृष्णामूर्ति**	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
(vii)	श्री अजय कुमार मित्तल**	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक

* 30.09.2015 को सेवा–निवृत्त हुए।

** 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर 15.01.2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

उपर्युक्त निर्दिष्ट सरकारी पत्र के अनुसार 15.1.2016 से पावर ग्रिड के निदेशक मण्डल में 5 स्वतंत्र निदेशक न रहने पर परियोजनाओ पर निवेश संबंधी समिति का पुर्नगठन किया गया और इस समिति में निम्नलिखित निदेशक अध्यक्ष/सदस्य हैं :–

(i)	श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष
(ii)	श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (परियोजना और प्रचालन)	:	सदस्य
(iii)	श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	:	सदस्य
(iv)	डॉ. प्रदीप कुमार	जे.एस. एण्ड एफ.ए. सरकारी नामिती निदेशक	:	सदस्य
(v)	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	संयुक्त सचिव (पारेषण) सरकारी नामिती निदेशक	:	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना पर निवेश संबंधी समिति की 8 बैठकें आयोजित की गई थी।

3.5 संविदा अधिनिर्णय पर समिति

निदेशकों की यह समिति 30 करोड़ रुपए से अधिक किंतु 100 करोड रु. तक की संविदाओं के अधिनिर्णय के अनुमोदन के लिए गठित की गई है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार निम्नलिखित निदेशक समिति के सदस्य थे :–

(i)	श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष
(ii)	श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	:	सदस्य
(iii)	श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (परियोजना और प्रचालन)*	:	सदस्य
(iv)	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	संयुक्त सचिव (पारेषण) सरकारी नामिती निदेशक	:	सदस्य

*श्री आर. पी. ससमल, निदेशक (प्रचालन) ने 24.11.2015 से 22.11.2016 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने पर अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार लिया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान संविदा अधिनिर्णय समिति की संरचना इस प्रकार थी :–

(i)	श्री आर. एन. नायक*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष
(ii)	श्री आई. एस. झा	निदेशक(परियोजना)	:	सदस्य
(iii)	श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक(वित्त)	:	सदस्य
(iv)	श्री आर. पी. ससमल	निदेशक(प्रचालन)	:	सदस्य
(v)	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	संयुक्त सचिव (पारेषण) सरकारी नामिती निदेशक	:	सदस्य
(vi)	श्री आर. के. गुप्ता**	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	सदस्य
(vii)	श्री अजय कुमार मित्तल**	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	सदस्य

*30.09.2015 को सेवा–निवृत्त हुए।

*3 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर 15.1.2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

संविदा अधिनिर्णय समिति की वित्तीय वर्ष के दौरान 12 बैठकें आयोजित की गई।

3.6 शेयरों के अंतरण/विभाजन/रिमोटियरलाइजेशन आदि की समिति :

कम्पनी ने शेयरो के अंतरण/विभाजन/रिमोटियरलाइजेशन आदि के लिए निदेशको की एक समिति पुनर्गठित की है। इस समिति ने कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर श्री आई. एस. झा, निदेशक (परियोजना) की पदोन्नति होने पर निम्नलिखित निदेशक, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में शामिल थे :–

(i)	श्री रवि पी. सिंह – निदेशक(कार्मिक)	–अध्यक्ष
(ii)	श्री आर. पी. ससमल – निदेशक (प्रचालन और परियोजना)*	–सदस्य
(iii)	श्री आर. टी. अग्रवाल – निदेशक (वित्त)	–सदस्य

*श्री आर. पी. ससमल, निदेशक (प्रचालन) ने 24.11.2015 से 22.11.2016 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार लिया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान शेयरों के अंतरण/विभाजन/रिमेटियरलाइजेशन आदि की समिति की संरचना निम्नलिखित थी :–

(i)	श्री रवि. पी. सिंह – निदेशक (कार्मिक)	–अध्यक्ष
(ii)	श्री आई.एस. झा – निदेशक (परियोजना)*	–सदस्य
(iii)	श्री आर. टी. अग्रवाल – निदेशक (वित्त)	–सदस्य

*अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर 10.11.2015 से पदोन्नत होने पर उनके स्थान पर श्री आर. पी. ससमल, निदेशक (प्रचालन और परियोजना) को इस समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया था।

वर्ष के दौरान शेयरों का अन्तरण सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के द्वारा निर्धारित समय में ही ठीक प्रकार किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान शेयरों के अंतरण/विभाजन/रिमेटियरलाइजेशन आदि की समिति की 18 बैठकें आयोजित की गई थी।

3.7 बाण्ड समिति

कंपनी के निदेशक मण्डल ने मर्चेंट बैंकरों, निर्गम के पंजीयक, आदि की नियुक्ति करने सहित पावर ग्रिड के बाण्डों के आवंटन, अंतरण, पारेषण स्प्लिटिंग एवं समेकन/आवेदन पत्रों तथा बाण्डों से जुड़े अन्य मामलों पर विचार करने और उनहें अनुमोदित करने के लिए निदेशकों की एक समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार बान्ड समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :–

(i)	श्री आई. एस. झा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	–अध्यक्ष
(ii)	श्री आर. टी. अग्रवाल – निदेशक (वित्त)	–सदस्य
iii)	श्री आर. पी. ससमल – निदेशक (प्रचालन और परियोजना)*	–सदस्य

* श्री आर. पी. ससमल ने 24.11.2015 से 22.11.2016 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार ले लिया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बॉण्ड समिति की 23 बैठकें आयोजित की गई।

3.8 आर.ई एवं अन्य निक्षेप कार्यों के लिए संविदाओं के अधिनिर्णय के संबंध में समिति :–

भारत सरकार के आरजीजीवीवाई कार्यक्रम को संचालित करने के लिए निदेशकों की एक समिति बनायी गई थी। इस समिति को आरई और अन्य निक्षेप कार्यों के लिए 30 करोड़ रु. से अधिक और 100 करोड़ रु. तक की संविदाएं अधिनिर्णित करने की शक्ति प्रदान की गई है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :–

i)	श्री आई.एस. झा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	–अध्यक्ष
ii)	श्री आर. टी. अग्रवाल – निदेशक (वित्त)	–सदस्य
iii)	श्री रवि पी. सिंह – निदेशक (कार्मिक)	–सदस्य
iv)	श्री आर. पी. ससमल – निदेशक (प्रचालन और परियोजना)*	–सदस्य

* श्री आर. पी. ससमल ने 24.11.2015 से 22.11.2016 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो। निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार ले लिया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आर.ई एवं अन्य निक्षेप कार्यों के लिए संविदाओं के अधिनिर्णय के संबंध मे समिति की 05 बैठकें आयोजित की गई थी।

3.9 सी. एस. आर. समिति :

पावरग्रिड ने कंपनी अधिनियम, 2013 और केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता पर लोक उद्यम विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप सीएसआर समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार सीएसआर समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे :–

(i)	श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष
(ii)	श्री रवि पी. सिंह	निदेशक(कार्मिक)	:	सदस्य
(iii)	श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक(वित्त)	:	सदस्य
(iv)	श्री आर. पी. ससमल	निदेशक(परियोजना एवं प्रचालन)*	:	सदस्य
(v)	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	संयुक्त सचिव (पारेषण) सरकारी नामिती निदेशक	:	सदस्य
(vi)	श्री जगदीश आई पटेल	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	सदस्य**

* श्री आर. पी. ससमल ने 24.11.2015 से 22.11.2016 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो। निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार ले लिया है।
**दिनांक 12.1.2016 से समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्व सीएसआर समिति की संरचना निम्नानुसार थी :–

(i)	श्री आर. एन. नायक*	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष
(ii)	श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	:	सदस्य
(iii)	श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	:	सदस्य
(iv)	श्री आई. एस. झा	निदेशक (परियोजना)	:	सदस्य
(v)	श्री महेश शाह**	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	सदस्य
(vi)	डॉ. के रामालिंगम**	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	सदस्य
(vii)	श्री आर. के. गुप्ता**	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	सदस्य
(viii)	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	संयुक्त सचिव (पारेषण) सरकारी नामिती निदेशक	:	सदस्य

*30.09.2015 को सेवा–निवृत्त

**3 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने पर 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सीएसआर समिति की 02 बैठकें आयोजित की गई थी।

3.10 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 की आवश्यकताओं के अनुरूप पावरग्रिड ने जोखिम प्रबंधन समिति गठित की थी और इस समिति में निम्नलिखित निदेशक सदस्य थे :–

श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन और परियोजना)*	अध्यक्ष
श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री आर. पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

*श्री आर. पी. ससमल, निदेशक (प्रचालन) ने 24.11.2015 से 22.11.2016 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) का अतिरिक्त प्रभार ले लिया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्व जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार थी :–

श्री आर. कृष्णामूर्ति*	अध्यक्ष	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
श्री महेश शाह*	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक
श्री आई. एस. झा	सदस्य	निदेशक (परियोजना)
श्री आर. पी. ससमल	सदस्य	निदेशक (प्रचालन)

*3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने पर 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई।

पावरग्रिड में "उद्यम जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क" (ईआरएम फ्रेमवर्क) को कार्यान्वित किया गया है। इसका ब्यौरा प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण में दिया गया है।

3.11 सतर्कता अनुशासनिक मामलों की समिति

पावरग्रिड के निदेशक मण्डल से 5 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा कार्यालय से 15.1.2016 से पदभार त्यागने के कारण वित्तीय वर्ष 2015–16 की चौथी तिमाही के सतर्कता अनुशासनिक मामलों की समिति का गठन नहीं किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्व सतर्कता अनुशासनिक मामलों की समिति की संरचना निम्नानुसार थी :

(i)	डॉ. के रामालिंगम*	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष
(ii)	श्री आर. कृष्णामूर्ति*	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	:	सदस्य
(iii)	श्री रवि पी. सिंह	निदेशक(कार्मिक)	:	सदस्य

*3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने पर 15 जनवरी, 2016 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सतर्कता अनुशासनिक मामलों की समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई।

4. सहायक कंपनियों की मानीटरिंग :

कंपनी की लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के तहत यथा परिभाषित सहायक कंपनियों सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार कोई मैटिरियल अनुसूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं। तथापि, सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त आवधिक रूप से कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त विनियम 16 (सी) तथा 43 सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसरण में पावरग्रिड मैटेरियल सब्सिडी के निर्धारण के लिए एक नीति तैयार की है और यह नीति कंपनी के वेबसाइट पर प्रकट की गई है तथा उसका एक वेब लिंक नीचे दिया गया है।

http://www.powergridindia.com/_layouts/PowerGrid/WriteReadData/file/Investors/Code%20of%20conduct/06_Policy%20on%20Subsidiaries.pdf

5. आम सभी की बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों की तारीख, समय और स्थान जहां बैठकें हुई, का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2012–13	19 सितम्बर 2013	11.00 पूर्वाहन	एअर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली– 110 010	3
2013–14	18 सितम्बर 2014	11.00 पूर्वाहन	एअर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली– 110 010	1
2014–15	15 सितम्बर 2015	11.00 पूर्वाहन	एअर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली– 110 010	2

डाक मतदान के जरिए पारित संकल्पः

कंपनी के शेयरधारकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन निम्न के लिए अपेक्षित बहुमत से विशेष संकल्प पारित किए–

(1) वित्त वर्ष 2015–16 आईएनआर अथवा किसी अन्य स्वीकार्य विदेशी मुद्रा में आठ ट्रांचेज/पेशकशों में रु. 13,000 करोड तक जुटाने के लिए जिसमें प्रत्येक ट्रांच/पेशकश रु. 2000 करोड के बांड की होगी जिसमें ग्रीन शू विकल्प होंगे और यह सुरक्षित/असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, गैर संचयी, मोच्य, कर योग्य/करमुक्त बांडों के रूप में होगा।

(2) ऋण/ऋणों या ईसीबी सहित किसी प्रकार के ऋण के संबंध में प्रतिभूति/प्रतिभूतियां/गारंटी/गारंटियां देना और/या लागत से लागत आधार या वापसी से वापसी सर्विसिंग आधार पर रु. 1400 करोड (एक हजार चार सौ करोड रु. तक) की राशि तक अंतर–कारपोरेट ऋण या उसका समुच्चय देना या प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत पावरग्रिड के द्वारा प्राप्त/प्राप्त की जाने वाली एसपीवी विंध्यांचल जबलपुर ट्रांसमिशन लि., गदरवाडा (ए), ट्रास्को लि. और गदरवाडा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसरण में डाक मतपत्र के आधार पर पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित एसपीवी के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली अर्थात विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लि., गदरवाडा (ए) ट्रास्को लि., और गदरवाडा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड लागत से लागत आधार पर जैसा कि 8 अप्रैल 2015 के नोटिस में दिया गया है।

दिनांक 8 अप्रैल 2015 के नोटिस द्वारा कंपनी प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार डाक के जरिए मतदान करने के लिए सभी शेयरहोल्डरों को नोटिस जारी किए गए थे। श्रीमति सविता ज्योति, कार्यरत कंपनी सचिव को डाक के जरिए मतदान में जांचकर्ता नियुक्त किया गया था। मतदान के ब्यौरे इस प्रकार हैः–

(1) वित्त वर्ष 2015–16 में एनआरआई अथवा आरबीआई द्वारा यथा अनुमत किसी अन्य स्वीकार्य विदेशी मुद्रा में घरेलू बाजार से आठ ट्रांचेज पेशकशों में रु. 13,000 करोड़ तक जुटाने के लिए जिसमें प्रत्येक ट्रांच/पेशकश रु. 2000 करोड़ के बांड की होगी जिसमें ग्रीन शू विकल्प सहित/बिना इसके होंगे और यह सुरक्षित/असुरक्षित, अपरिवर्तनीय, गैर संचयी, मोच्य, कर योग्य/करमुक्त बांडों के रूप में होगा।

कुल 2407 मतपत्र प्राप्त किए गए

प्रवर्तक/जनता	धारित शेयरों की संख्या (1)	डाले गए मतों की संख्या (2)	बकाया शेयरों पर डाले गए मतों का प्रतिशत (3)=(2/1)*100	पक्ष में मतों की संख्या (4)	विपक्ष में डाले गए मतों संख्या (5)	डाले गए मतों का प्रतिशत (6)=(2/1)*100	डाले गए मतों के विपक्ष में मतों का प्रतिशत (7)=(2/1)*100
प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह	3028835198	3028835198	100.000	3028835198	0	100.000	0.000
जनता – संस्थागत धारक	1856722375	1576146436	84.889	1574810895	1335541	99.915	0.085
जनता – अन्य	346032075	20501001	5.925	20478434	22567	99.890	0.110
कुल	5231589648	4625482635	88.414	4624124527	1358108	99.971	0.029

(2) ऋण/ऋणों और या ईसीबी सहित किसी प्रकार के ऋण के संबंध में प्रतिभूति/प्रतिभूतियां/गारंटी/गारंटियां देना और/या लागत से लागत आधार या वापसी से वापसी सर्विसिंग आधार पर रु. 1400 हजार (एक हजार चार सौ रु. तक) की राशि तक अंतर–कारपोरेट ऋण या उसका समुच्चय देना या प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत पावरग्रिड के द्वारा प्राप्त/प्राप्त की जाने वाली एसपीवी विंध्यांचल जबलपुर ट्रांसमिशन लि., गदरवाड़ा (ए), ट्रांस्को लि. और गदरवाड़ा ट्रांसमिशन लिमिटेड और एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड ।

कुल 2407 मतपत्र प्राप्त किए गए

प्रवर्तक/जनता	धारित शेयरों की संख्या (1)	डाले गए मतों की संख्या (2)	बकाया शेयरों पर डाले गए मतों का प्रतिशत (3)=(2/1)*100	पक्ष में मतों की संख्या (4)	विपक्ष में डाले गए मतों संख्या (5)	डाले गए मतों का प्रतिशत (6)=(2/1)*100	डाले गए मतों के विपक्ष में मतों का प्रतिशत (7)=(2/1)*100
प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह	3028835198	3028835198	100.000	3028835198	0	100.000	0.000
जनता – संस्थागत धारक	1856722375	1576146436	84.889	1574810895	1335541	99.915	0.085
जनता – अन्य	346032075	20497804	5.924	20468114	29690	99.855	0.145
कुल	5231589648	4625479438	88.414	4624114207	1365231	99.970	0.030

(3) ऋण/ऋणों और या ईसीबी सहित किसी प्रकार के ऋण के संबंध में प्रतिभूति/प्रतिभूतियां/गारंटी/गारंटियां देना और/या लागत से लागत आधार या वापसी से वापसी सर्विसिंग आधार पर रु. 1400 हजार (एक हजार चार सौ रु. तक) की राशि तक अंतर–कारपोरेट ऋण या उसका समुच्चय देना या प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत पावरग्रिड के द्वारा प्राप्त/प्राप्त की जाने वाली एसपीवी विन्ध्यांचल जबलपुर ट्रांसमिशन लि., गदरवाड़ा (ए), ट्रास्को लि. और गदरवाड़ा ट्रांसमिशन लिमिटेड और एनआरएसएस **XXXI** (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड ।

कुल 2407 मतपत्र प्राप्त किए गए

प्रवर्तक/जनता	धारित शेयरों की संख्या (1)	डाले गए मतों की संख्या (2)	बकाया शेयरों पर डाले गए मतों का प्रतिशत (3)= (2/1)*100	पक्ष में मतों की संख्या (4)	विपक्ष में डाले गए मतों संख्या (5)	डाले गए मतों का प्रतिशत (6)= (2/1)*100	डाले गए मतों के विपक्ष में मतों का प्रतिशत (7)= (2/1)*100
प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह	3028835198	3028835198	100.000	3028835198	0	100.000	0.000
जनता – संस्थागत धारक	1856722375	1576101314	84.886	1576101314	0	100.000	0.000
जनता – अन्य	346032075	20493543	5.922	20465293	28250	99.862	0.138
कुल	5231589648	4625430055	88.413	4625401805	28250	99.999	0.001

8 अप्रैल, 2015 के डाक मतपत्र के नोटिस में यथासंदर्भित विशेष संकल्प अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किये गए हैं।

6. प्रकटन

(I) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार में ये शामिल हैं। (i) संयुक्त उपक्रम करार के अंतर्गत कार्य/सेवाओं के लिए संविदाओं हेतु कंपनियों को भुगतान प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक (ii) संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों को इक्विटी अंशदान जो कुल मिलाकर कम्पनी के हित के प्रतिकूल नहीं है। संबंधित पक्षकार के संव्यवहारों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी और लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानक 18 के अनुसार लेखा की टिप्पणियों में शामिल किया गया है।

(II) कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यकारी निदेशक (वित्त) ने सूचीबद्धता करार के सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 17(8) की अनुसूची (ii) के भाग ख के अंतर्गत यथापेक्षित विनिर्दिष्ट मामलों को निदेशक मंडल के लिए प्रमाणित किया है।

(III) पावरग्रिड के पास कोई वस्तुपरक कंपनी नहीं है।

(IV) पावरग्रिड ने सीईओ/सीएफओ अधिप्रमाणन के लिए उद्यम जोखिम प्रबंध ढांचा फ्रेमवर्क और आंतरिक नियंत्रण ढांचा गठित कर लिया है। महाप्रबंधक (कारपोरेट आयोजना) को कंपनी का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(V) संबंधित पार्टियों के साथ कोई भी वास्तविक व्यक्तिगत संव्यवहार ऐसे नहीं है जो कारोबार के सामान्य स्वरूप के न हों।

(VI) संबंधित पार्टियों या अन्य के साथ कोई भी वास्तविक व्यक्तिगत संव्यवहार ऐसे नहीं है जो निकट रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 23 के अनुसरण में पावरग्रिड ने संबंधित पक्षों के साथ नैतिकता संबंधी नीति तैयार कर उसे पावरग्रिड की वेबसाइट पर प्रकट करने की नीति तैयार की है और एक वेब लिंक इस प्रकार दिया गया है।
http://www.powergridindia.com/_layouts/PowerGrid/WriteReadData/file/Investors/Code%20of%20conduct/11_Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions.pdf

(VII) कंपनी ने पूर्व सूचीबद्धता करार/सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 और भारी उद्योग मंत्रालय लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट अभिशासन के निर्देशों के साथ–साथ सेबी के द्वारा विनिर्धारित विनियमों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया है। पावरग्रिड (i) निदेशक मण्डल (ii) लेखा–परीक्षा समिति और (III) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में एक नॉन–कम्पलाइंट कंपनी है, इसकी वजह से पावरग्रिड के निदेशक मण्डल में छः स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं। वर्ष के दौरान पूंजी बाजार संबंधी किसी मामले में अनुपालन न करने के लिए किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है या कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(VIII) कंपनी का अलग से सतर्कता विभाग है जो कर्मचारियों/आपूर्तिकर्ताओं के प्रतिनिधियों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवाप्रदाताओं या पावरग्रिड से व्यापार करने वाले अन्य पार्टी की धोखाधड़ी के बारे में कार्रवाई करता है। निदेशक मंडल द्वारा व्हीसल ब्लोअर और जालसाजी निवारण पॉलिसी अनुमोदित कर जुलाई, 2011 से लागू की गई है तथा उसे पावरग्रिड के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। व्हीसल ब्लोअर और जालसाजी निवारण पॉलिसी का वेबलिंक इस प्रकार है:
http://www.powergridindia.com/_layouts/PowerGrid/WriteReadData/file/Investors/Code%20of%20conduct/10_Whistle%20Blower%20and%20Fraud%20Preventation%20Policy-Estt(Nish).pdf

(IX) वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखे एवं नकद प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 133 में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(X) कंपनी ने निगम अभिशासन रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सभी सुझाए गए मदों को अपनाया है। अपनाए गए (और अनुपालन किए गए)/गैर आवश्यक अपेक्षाओं को न अपनाए जाने की सूचना निगम अभिशासन रिपोर्ट के अनुबंध–1 में दी गई है।

(XI) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 46 के उप विनियम (2) के खण्ड (ख) से (झ) और विनियम 17 से 27 में विनिर्दिष्ट कारपोरेट शासन की अपेक्षाओं के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया है, सिवाय पावरग्रिड के निदेशक मण्डल के 6 स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त होने की वजह से (I) निदेशक मण्डल (II) लेखा–परीक्षा समिति और (III) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के और इन पदों को भारत सरकार के द्वारा भरना होगा।

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) में यथा अपेक्षित श्री आई.एस. झा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री आर. टी. अग्रवाल, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उक्त विनियम की अनुसूची II के भाग 'ख' में यथा विनिर्दिष्ट अनुपालन प्रमाणपत्र 26.05.2016 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

7. संप्रेषण के साधन

कंपनी अपने शेयरधारकों से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्र और वेबसाइट के जरिए प्रकटन के माध्यम से संप्रेषण स्थापित करती है।

कंपनी अपने विश्लेषकों और निवेशकों की बैठकों के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों से संप्रेषण करती है और प्रत्येक तिमाही के अंत में निवेशक बैठक की जाती है जिसमें कंपनी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी निवेश करने वाले समुदाय से परस्पर संपर्क करते हैं।

सूचना और अद्यतन अपडेट तथा कंपनी द्वारा की गई घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट www.powergridindia.com पर देखी जा सकती है जिसमें निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है।

- तिमाही / अर्द्धवार्षिक / वार्षिक वित्तीय परिणाम
- तिमाही शेयरधारिता पैटर्न
- तिमाही कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट
- स्टॉक एक्सचेंजों को समय–समय पर किए गए नैगमिक प्रकटन

वृक्षों और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से महंगे कागज की आदतें कम करके हमारी कंपनी एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2010–11 से और उसके बाद ई–मेल के जरिए बड़ी संख्या में शेयर धारकों को वार्षिक रिपोर्ट और अन्य पत्र भेजती रही है तथा ई–मेल के जरिए वार्षिक रिपोर्ट भेजने के संबंध में उनकी सहमति प्राप्त करती रही है। ऐसा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के 'ग्रीन इनिशिएटिव इन दि कारपोरेट गवर्नेंस' का अनुपालन करते हुए किया गया तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 और 136 के अंतर्गत कंपनी द्वारा अंशधारकों को कागज रहित पत्राचार की अनुमति दी गई।

तिमाही परिणाम

समाचार पत्रों में वित्तीय परिणामों का प्रकाशन

क्र.सं.	समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	प्रकाशन की तारीख / तारीखें	समाचार पत्र
1.	30/06/2015	12/08/2015 और 13/08/2015	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनामिक टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, मिन्ट, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, दिव्य भास्कर, हिन्दुस्तान हिन्दी
2.	30/09/2015	05/11/2015 और 06/11/2015	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनामिक टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, मिन्ट, बिजनेस लाइन, पाईनीर, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण , राजस्थान पत्रिका, आज
3.	31/12/2015	29/01/2016 और 30/01/2016	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनामिक टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, मिन्ट, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, अमर उजाला, दिव्य भास्कर, हिन्दुस्तान
4.	31/03/2016	25/05/2016 और 30/05/2016	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनामिक टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स, मिन्ट, बिजनेस स्टैण्डर्ड, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, बिजनेस लाईन

इन परिणामों को कंपनी की वेबसाइट www.powergridindia.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।

सरकारी रिलीज और प्रस्तुतियां

कंपनी के सरकारी समाचार रिलीज, अन्य प्रेस कवरेज–संस्थागत निवेशकों या विश्लेषण को किए गए प्रस्तुतीकरण को भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

8. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने दो अलग अलग संहिता बनाई हैं – पहली कंपनी के मिशन एवं उद्देश्यों के अनुरूप और कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक एवं पारदर्शी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए और दूसरी वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए। मंडल सदस्यों के लिए व्यवसाय आचार एवं नैतिकशास्त्र संहिता तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए व्यवसाय एवं नैतिकशास्त्र संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटन अपेक्षाएं)
विनियम 2015 के विनियम 26(3) के अंतर्गत अपेक्षित घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए व्यवसाय आचार एवं नीतिशास्त्र संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ताक्षर
(आई.एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक : 20.07.2016

9. इनसाइडर ट्रेडिंग कोड

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी कारोबार निषेध) विनियम 2016 के अनुसरण में पावरग्रिड बोर्ड ने "पावरग्रिड ऑफ इण्डिया लि. के भीतरी कारोबार को विनियमित, मानीटरिंग और रिपोर्टिंग करने की आचार संहिता एवं अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को स्पष्ट रूप से प्रकट करने की पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं की संहिता" निर्धारित की है, जिसका उद्देश्य यह है कि "मनोनीत व्यक्ति कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना तक पहुंच करके अथवा कब्जे से कोई लाभ नहीं लेगा अथवा कोई लाभ लेने के लिए दूसरों की सहायता नहीं करेगा, जो जनता के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इससे भीतरी सूचना बनती है। कम्पनी सचिव को इस संहिता का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया है।

10. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

पावरग्रिड के बोर्ड में 15 जनवरी, 2016 तक 5 स्वतंत्र निदेशक थे। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की 10 अगस्त, 2015 को कार्यात्मक निदेशकों और सरकारी निदेशकों तथा प्रबंध के सदस्यों की उपस्थिति के बिना एक बैठक आयोजित की गई थी।

11. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचित करवाने का कार्यक्रम

कंपनी विभिन्न कार्यक्रमों/प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से निदेशकों को कंपनी उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, कंपनी में उनकी जिम्मेदारी, जिस उद्योग में कंपनी प्रचालन करती है उसकी प्रकृति, कंपनी के व्यापारिक मॉडल की जानकारी देती है। इस प्रकार परिचित करवाने का ब्यौरा कंपनी के वेबसाइट पर प्रकट किया जाता है उससे संबंधित एक वेबलिंक नीचे दिया गया है।

http://www.powergridindia.com/_layouts/PowerGrid/User/ContentPage.aspx?PId=336&LangID=English

12. सामान्य शेयरधारक सूचना

i) वार्षिक आम बैठक

दिनांक : 16 सितंबर, 2016

समय : प्रातः 11:00

स्थान : मानेकशा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली – 110010

ii) वित्त वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

iii) बही का समापन

सदस्यों की पंजिका और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां 10 सितंबर, 2016 से 16 सितंबर, 2016 तक (दोनों दिन समावेशित) बंद रहेंगी।

iv) लाभांश का भुगतान

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने 15.10 प्रतिशत के अंतिम लाभांश (रु. 1.50 प्रतिशेयर) भुगतान की संस्तुति की है। इसके अलावा 8 प्रतिशत की दर से अंतरिम लाभांश (रु. 0.80 प्रति शेयर) 16 फरवरी 2016 को अदा किया है। (गत वर्ष में अदा किया गया लाभांश रु. 1046.32 करोड़) अर्थात 20 प्रतिशत लाभांश का भुगतान (अंतरिम लाभांश 6.90 प्रतिशत और अंतिम लाभांश 13.10 प्रतिशत)।

लाभांश के भुगतान के लिए रिकार्ड तारीख 9 सितम्बर, 2016 है।

iv) लाभांश का इतिहास

वर्ष	वर्ष के 31 मार्च को कुल अभिदत्त पूंजी (करोड़ रु. में)	वित्तीय वर्ष के दौरान अदा किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक आम सभा की तारीख जिसमें लाभांश घोषित किया गया	अंतिम लाभांश के भुगतान की तारीख
2009-10	4208.84	631.34	24.09.2010	19.10.2010
2010-11	4629.73	810.23	19.09.2011	07.10.2011
2011-12	4629.73	976.87	19.09.2012	08.10.2012
2012-13	4629.73	1,273.17	19.09.2013	10.10.2013
2013-14	5231.59	1,349.75	18.09.2014	09.10.2014
2014-15	5231.59	1,046.32	15.09.2015	06.10.2015
2015-16	5231.59	418.53*	27.01.2016**	16.02.2016#

* अंतरिम लाभांश की राशि

** अंतरिम लाभांश घोषित करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक की तारीख

अंतरिम लाभांश की अदायगी की तारीख

vi) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण

पावरग्रिड के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051	बीएसई लि. फीरोज जीजीभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001
स्क्रिप कोड : पावरग्रिड ईक्यू	**स्क्रिप कोड : 532898**
स्टॉक कोड : आईएसआईएन–आईएनई 752ई01010	

वित्तीय वर्ष 2016–17 का वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. और बीएसई लि. को किया गया है ।

vii) पॉवर ग्रिड का शेयर बाजार मूल्य डाटा–एनएसई

	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	मास के दौरान कारोबार की राशि लाख रु. में
अप्रैल, 2015	156	140.4	47472.43
मई, 2015	146.65	137.4	78893.68
जून, 2015	148.2	137.65	89557.66
जुलाई, 2015	143.3	136.4	37486.87
अगस्त, 2015	142.9	125.15	47032.45
सितंबर, 2015	137	120.55	50488.51
अक्तूबर, 2015	137.55	126.2	36745.95
नवंबर, 2015	136.9	126.65	42162.97
दिसंबर, 2015	142.75	126.75	77661.72
जनवरी, 2016	148.4	130.55	143715.86
फरवरी, 2016	150.35	129.2	156998.41
मार्च, 2016	141	130.25	157827.78

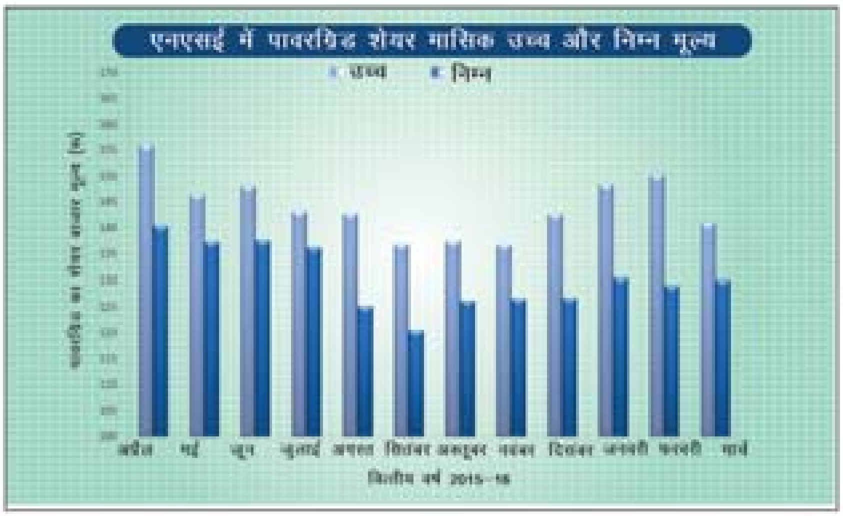

viii) पावरग्रिड का शेयर बाजार मूल्य डाटा – बीएसई

	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	मास के दौरान कारोबार की राशि लाख रु. में
अप्रैल, 2015	155.7	140.5	4727.91
मई, 2015	146.55	137.5	28751.88
जून, 2015	148	135.55	3337.85
जुलाई, 2015	144	136.4	2779.47
अगस्त, 2015	142.9	125.4	5274.30
सितंबर, 2015	137	120.75	3230.28
अक्तूबर, 2015	137.7	126.25	2238.60
नवंबर, 2015	136.5	126.7	3453.06
दिसंबर, 2015	142.3	127	2625.99
जनवरी, 2016	148.2	130.55	8417.23
फरवरी, 2016	150.2	129.25	7765.01
मार्च, 2016	141	130.2	11366.39

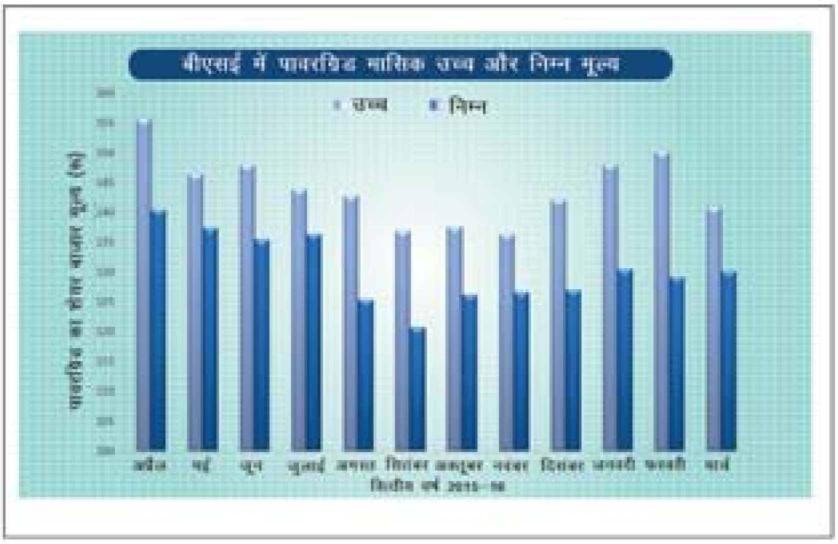

ix) एनएसई निफ्टी, बीएसई के सूचकांकों की तुलना में पावरग्रिड का निष्पादन

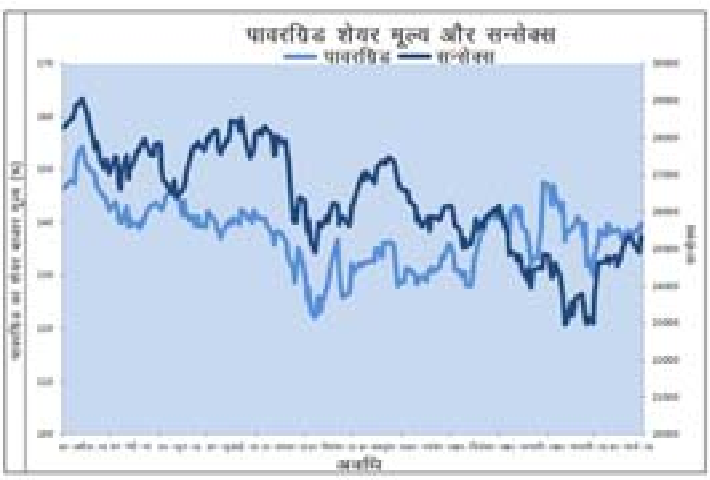

x) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयर	बांड्स
कार्वी कंप्यूटर शेयर कंप्यूटर लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 और 32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानाक्रामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500012 फोन : +91 040–67165222 फैक्स नं. +91 4023420814 टोल फ्री नं. : 1800–345–40001 ई–मेल : einward.ris@karvy.com	एमसीएस लिमिटेड एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली – 110020 फोन : + 011–41406148/49/51 टेलीफैक्स : 011–41406148 ई–मेल : admin@mcsregistarars.com

xi) शेयर अंतरण प्रणाली

शेयर अंतरण की संपूर्ण गतिविधियां वास्तविक प्रखंड के अंतर्गत कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्रा. लि. द्वारा की जा रही है। शेयर अंतरण प्रणाली में अंतरण करने वाले व्यक्तियों से अंतरण विलेख के साथ शेयरों की प्राप्ति, इसकी जांच, अंतरण ज्ञापन तैयार करना आदि जैसे क्रियाकलाप शामिल हैं। शेयरों का अंतरण/विभाजन/रिपोटिरलाइजेशन आदि पावरग्रिड के निदेशक मंडल की समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

सेबी (दायित्वों का सूचीकरण और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसरण में विहित समय के भीतर कार्यरत कंपनी सचिव के माध्यम से कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर अंतरण की औपचारिकताओं के अनुपालन की संपुष्टि के लिए छमाही आधार पर प्रमाण–पत्र स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए हैं।

xii) 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार शेयरधारण

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणी के शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा धारिता के आकार के अनुसार नीचे दी गई है।

आकार के अनुसार

क. दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आकार के अनुसार शेयरधारिता का वितरण तथा प्रतिशत शेयरधारिता :

श्रेणी	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	राशि	राशि का प्रतिशत
1 – 5000	638277	90.41	968775670.00	1.85
5001 - 10000	42591	6.03	292764160.00	0.56
10001 - 20000	19547	2.77	249218210.00	0.48
20001 - 30000	2059	0.29	50828470.00	0.10
30001 - 40000	855	0.12	30232740.00	0.06
40001 - 50000	542	0.08	25173180.00	0.05
50001 - 100000	863	0.12	61300350.00	0.12
100001 से अधिक	1276	0.18	50637603700.00	0.12
कुल	**706010**	**100.00**	**52315896480.00**	**100.00**

ख. दिनांक 31 मार्च, 2016 को शेयरधारिता पैटर्न

क्र.सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1	भारत के राष्ट्रपति	3028835198	57.90
2	प्रवर्तक	0	0.00
3	भारतीय जनता	174089797	3.33
4	एफआईआई/एफसीबी/एफपीआई	1385985927	26.49
5	निगम निकाय	185247255	3.54
6	म्यूच्युअल फंड	249258323	4.76
7	बैंक एवं वित्तीय संस्थान	41222176	0.79
8	अप्रवासी भारतीय/ओसीबी	3403231	0.07
9	अन्य	163547741	3.13
	कुल	**5231589648**	**100**

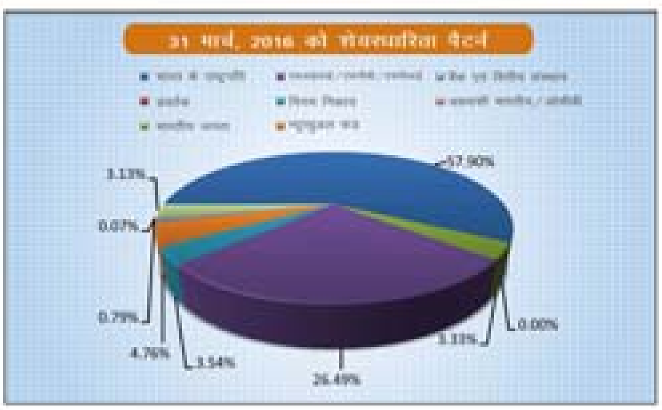

ग. प्रमुख शेयरधारक

दिनांक 31 मार्च, 2016 को कंपनी की अभिदत्त पूँजी के प्रतिशत से अधिक शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	इक्विटी का प्रतिशत	श्रेणी
1	भारत के राष्ट्रपति*	2927565398	55.96	पीओआई
2	यूरो पैसीफिक ग्रोथ फंड	201847722	3.86	एफआईआई
3	भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड	131741859	2.52	आईएनएस
4	भारत के राष्ट्रपति**	101269800	1.94	पीओआई
5	आई सी आई सी आई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंश कंपनी लि0	87236431	1.67	एलटीडी
6	कॉमगेस्ट ग्रोथ पीएलसी कॉमगेस्ट ग्रोथ एमर्जिंग मार्केट्स	74281497	1.42	एफपीआई
7	न्यु वर्ल्ड फंड इंक	66671261	1.27	एफआईआई
8	कैपिटल वर्ल्ड ग्रोथ एंड इन्कम फंड	64038000	1.22	एफआईआई
9	मैगेलन	60267770	1.15	एफपीआई
10	अमेरिकन फंड्स इंश्योरेंश सिरीज इंटरनेशनल फंड	54907097	1.05	एफआईआई

* विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व

** उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) के मंत्रालय द्वारा प्रतिनिधित्व

xiii) शेयरों का डिमेटिराइलेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमैटिरलाइज्ड खंड में है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों कारोबारी प्रणालियों पर उपलब्ध है।

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त कंपनी के शेयर पूंजी के मिलान के लिए सचिवीय अर्ध–वार्षिक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट विहित समय में स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की गई है।

डिमैटिरलाइज्ड और वास्तविक खंड में धारित शेयरों की संख्या :

क्र.सं		शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल पूंजी का प्रतिशत
1	वास्तविक	27352	45559	0.00
2	एनएसडीएल में डिमैटिरलाइज्ड रूप में धारित	477364	5181478180	99.04
3	सीडीएसएल में डिमैटिरलाइज्ड रूप में धारित	201294	50065909	0.96
	जोड़	**706010**	**5231589648**	**100.00**

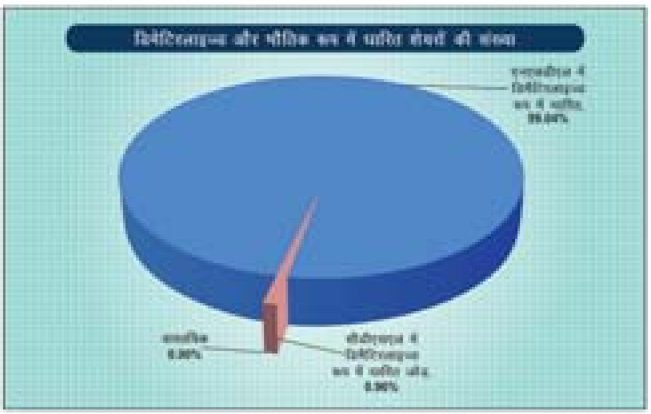

डिपॉजिटरी का नाम और पता नीचे दिया गया है :

1. **नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड,**
   ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल,
   कमला मिल्स कम्पाउन्ड, सेनापति बापट मार्ग,
   लोअर परेल, मुंबई – 400013
2. **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड,**
   फिरोज जीजीभोई टॉवर्स,
   17वी मंजिल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई– 400023

xiv) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख एवं इक्विटी पर उसका संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय जारी नही की गई है।

xv) पावरग्रिड संयंत्रों की अवस्थिति

पावरग्रिड का कोई संयंत्र नहीं है क्योंकि यह विद्युत के पारेषण का कारोबार करता है।

xvi) पत्राचार का पता :

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
बी–9 कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110016

	दूरभाष संख्या	फैक्स संख्या
पंजीकृत कार्यालय	011-26560112, 26560121, 26564812, 26564892	011-26601081
ई–मेल पता	investors@powergridindia.com	
जनता के प्रवक्ता (21.05.2012 से) श्री रवि पी. सिंह, निदेशक (कार्मिक)	0124-2571901-02	0124-2571903
ई–मेल पता	ravipsingh@powergridindia.com	
कंपनी सचिव : श्रीमति दिव्या टंडन	0124-2571968	0124-2571969
ई–मेल पता	dtandon@powergridindia.com	

इलैक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों का प्रेषण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 101 और 136 के अनुसार और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 सूचीबद्ध कंपनियों के उन सभी शेयरधारकों को उक्त दस्तावेजों की साफ्ट प्रति भेजना अपेक्षित है, जिन्होंने इस प्रयोजन हेतु अपना ई–मेल पता(ते) पंजीकृत किए हैं।

तदनुसार, उक्त दस्तावेजों को उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजा जाएगा जिन्होंने उक्त खंड के अनुसार अपने डीपी/कंपनी में अपना ई–मेल पता (ते) पंजीकृत किए हैं ।

अनुबंध – क

गैर–अनिवार्य अपेक्षाएं

1. **निदेशक मंडल** : एक कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी का प्रमुख होता है।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** : 30 सितंबर, 2015 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय परिणाम टाइम्स ऑफ इंडिया और इकानॉमिक टाइम्स में 25 नवंबर, 2015 को प्रकाशित किए गए और वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए गए। तथापि, शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को अलग से छमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट : www.powergridindia.com पर उपलब्ध कराया गया है।
3. **लेखापरीक्षा अर्हता** : वर्ष 2015–16 के वित्तीय विवरण की कोई लेखापरीक्षा अर्हता नहीं है।
4. **अध्यक्ष और सीईओ का पृथक पद** : पावरग्रिड एक सरकारी कंपनी है इसलिए इसमें अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक होता है और सीईओ का अलग से कोई पद नहीं है।
5. **आंतरिक लेखा–परीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग करना** :– आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे ही लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है ।

निगम अधिशासन पर प्रमाणपत्र :

निगम अधिशासन पर प्रमाणपत्र को निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध VIII के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,

(आई.एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 08.08.2016

कॉरपोरेट अभिशासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मैंने 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों और डीपीई दिशानिर्देशों के साथ उक्त निगम के इक्विटी शेयरों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में विनिर्धारित है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच उसकी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी जो कंपनी द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए हैं। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कारपोरेशन के वित्तीय विवरण पर राय को व्यक्त करना है।

मेरी राय और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कारपोरेशन रिपोर्ट में यथा निर्दिष्ट अंतिम तिमाही में कम्पनी अधिनियम 2013 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 में यथा निर्दिष्ट कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि कारपोरेशन ने वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना एवं लेखा परीक्षा समिति की संरचना की अपेक्षा का पालन नहीं किया था।

मैं और आगे बताना चाहता हूं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के प्रति और न ही प्रबंधन ने जिस दक्षता या प्रभाविता से कंपनी के कार्यों को संचालित किया है के प्रति आश्वासन है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 04.08.2016

(टी. वी. नारायणस्वामी)
कंपनी सचिव

फार्म संख्या एओसी – 2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा के खंड (ज) तथा कंपनी (खाता) नियम, 2014 के अनुसरण में।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (i) तथा उसके तृतीय परंतुक के तहत कुछ सामीप्य लेनदेन में संदर्भित पक्षकारों और कंपनी के बीच हुई संविदा और प्रबंधन के विवरणों का प्रकटन करने के लिए फार्म

1	**ऐसी संविदाओं का प्रबंधों या लेन–देनों का ब्यौरा जो सामीप्य के आधार पर नहीं हैं।**		
	क)	संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध की प्रकृति	-
	ख)	संविदाओं/प्रबंधों/लेन–देनों की प्रकृति	-
	ग)	संविदाओं/प्रबंधों/लेन–देनों की अवधि	-
	घ)	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या प्रबंधों या लेन–देनों की मुख्य विशेषताएं	-
	ड.)	ऐसी संविदायें या प्रबंधों या लेन–देनों का औचित्य	-
	च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	-
	छ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो :	-
	ज)	किस तारीख को आम सभा में संकल्प पारित किया गया जैसा कि धारा 188 प्रथम परंतुक के तहत आवश्यक है।	-
2	**ऐसी सामग्री संविदाओं या प्रबंधों या लेन–देनों का ब्यौरा जो सामीप्य के आधार पर है।**		
क)	**क)**	**संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध**	1. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड 2. पावरग्रिड वाइजैग ट्रांसमिशन लिमिटेड 3. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड 4. पावरग्रिड कालाआम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड 5. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड 6. पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड 7. पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड 8. पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लि0 उपरोक्त परियोजना एसपीवी पावरग्रिड के 100 स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां है जिन्हें पावरग्रिड ने प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली टीबीसीबी के तहत अधिग्रहित किया है।
	ख)	**संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति**	भाग (क) पावरग्रिड, ईसीबी सहित किसी भी प्रकार के ऋण या ऋणों के संबंध में जमानत/गारंटी या लागत से लागत के आधार और बैंक टू बैंक आधार पर सर्विसिंग या उनके समुच्चय के लिए रु. 7324 करोड़ (सात हजार तीन सौ चौबीस करोड़ रुपये मात्र) तक ऋण पूर्वोक्त परियोजनाओं/एसपीवी के लिए देगा। तथापि, किए गए करार वर्तमान में निम्नलिखित राशियों के अनुसार रु. 6714 करोड़ तक सीमित है: 1. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड ___ रु. 800 करोड़ 2. पावरग्रिड वाइजैग ट्रांसमिशन लिमिटेड___ रु. 1200 करोड़ 3. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड ___ रु. 90 करोड़ 4. पावरग्रिड कालाआम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड ___ रु. 300 करोड़ 5. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड ___ रु. 400 करोड़ 6. पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड ___ रु. 500 करोड़ 7. पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड___ रु. 500 करोड़ 8. पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड... रु. 2924करोड़ भाग (ख) पावरग्रिड क्र.सं. 1 और 2 पूर्वोक्त परियोजनाओं को लागत आधार पर तथा क्र.सं. 3 से 8 पर परियोजना एस.पी.वी के लिए वास्तविक परियोजना लागत के यथा व्यवहार्य सेवा कर सहित (और आईटीसी एवं परामर्शी शुल्क छोड़कर) 5 प्रतिशत की दर से आवश्यक निविष्टियां और सेवायें उपलब्ध करवाएगा।
	ग)	**संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि**	भाग (क) परस्पर सहमति के अनुसार भाग (ख) टीबीसीबी परियोजना का प्रारंभण जिसमें जुटी हुई समायोजन गतिविधियां शामिल हैं।

	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देन की विशेष शर्तें	संदर्भ (ख)
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	29 मई, 2014, 04 मार्च, 2015 और 27 जनवरी, 2016
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य
(ख)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	पावर ट्रांसमिशन कम्पनी नेपाल लि. संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	400केवी टी/सी मुज्जफ्फरपुर (भारत) – धालकेबार (नेपाल पारेषण लाइन के 400 केवी टी/सी धालकेबार बिहानोट (41.5 केएम) सेक्शन (नेपाल का भाग) के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंध परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	13 अगस्त, 2012 से 24 माह (करार के अनुसार स्कोप पूरा होने तक विलम्ब के मामले में अपने आप विस्तारणीय)
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें	परियोजना प्रबंध परामर्श सेवाएं अर्थात मास्टर एन/डब्ल्यू डिजाइन तैयार करना और इंजीनियरी कार्य, बीओक्यू सहित तकनीकी विशिष्टियां तैयार करना तथा लागत अनुमान; तकनीकी और वाणिज्यिक बोली दस्तावेज तैयार करना, मसौदा एनआईटी तैयार करना, बोली मसौदा एलओए तैयार करना, ठेके के बाद इंजीनियरी और परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप, तथा स्थल कार्य का पर्यवेक्षण, स्थल कार्यालयों को खोलना तथा कार्य के निष्पादन संबंधी अन्य प्रासंगिक कार्य। मूल्य: भारत/नेपाल में लागू करों/शुल्कों सहित परियोजना की अंतिम रूप से निष्पादित लागत का परामर्श शुल्क 10 प्रतिशत होगा।
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	06 जनवरी, 2010
	च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	25 जुलाई, 2014 को प्राप्त 52,60,000 रुपए
ग)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	क्रास–बार्डर पावर ट्रांसमिशन कं. लि., संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	400केवी टी/सी मुज्जफ्फरपुर (भारत) – धालकेबार (नेपाल) ट्रांसमिशन लाइन के 400केवी टी/सी मुजफ्फरपुर– सुरसेण्ड (86के.एम) सेक्शन (भारत का भाग) के निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंध परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना।
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	10 अगस्त, 2012 से 30 माह (करार के अनुसार स्कोप पूरा होने तक विलम्ब के मामले में अपने आप विस्तारणीय)
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें	परियोजना प्रबंध परामर्श सेवाएं अर्थात मास्टर एन/डब्ल्यू डिजाइन तैयार करना और इंजीनियरी कार्य, बीओक्यू सहित तकनीकी विशिष्टियां तैयार करना तथा लागत अनुमान; तकनीकी और वाणिज्यिक बोली दस्तावेज तैयार करना, मसौदा एनआईटी तैयार करना, बोली मसौदा एलओए तैयार करना, ठेके के बाद इंजीनियरी और परियोजना प्रबंधन कार्यकलाप, तथा स्थल कार्य का पर्यवेक्षण, स्थल कार्यालयों को खोलना तथा कार्य के निष्पादन संबंधी अन्य प्रासंगिक कार्य। मूल्य: भारत/नेपाल में लागू करों/शुल्कों सहित परियोजना की अंतिम रूप से निष्पादित लागत का परामर्श शुल्क 12 प्रतिशत होगा।
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	24 अगस्त, 2009
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	19 अप्रैल, 2013 को प्राप्त 1,31,30,000 रुपए
घ)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	बिहार ग्रिड कंपनी लि. (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	बिहार चरण IV (भाग–I) में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अवार्ड दिए जाने से पूर्व तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं के लिए परामर्श
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	जनवरी, 2015 से 9 माह (करार के अनुसार स्कोप पूरा होने तक विलम्ब के मामले में अपने आप विस्तारित)
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें	बिहार–चरण IV (भाग–I) में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु बीजीसीएल के द्वारा एजेंसी/ठेकेदार की नियुक्ति तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए समस्त सेवाएं उपलब्ध कराना। 14.0 करोड़ रु. के एक मुश्त सेवा प्रभारों के लिए 21 नवंबर 2013 को करार पर हस्ताक्षर किए गए।
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	जनवरी, 2015 में बीजीसीएल से प्रथम किस्त के लिए 1.4 करोड़ रु. सहित 11.24 करोड़ रु. प्राप्त किए। तथापि, इस ठेके के लिए अग्रिम के रूप में बीजीसीएल को कोई राशि नहीं दी गई थी।

ङ.)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	बिहार ग्रिड कंपनी लि. (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	बिहार–चरण IV (भाग–I) में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए अवार्ड देने के बाद तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं (अवार्ड के बाद केवल इंजीनियरी – क्यू ए और आई) के लिए परामर्श
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	मार्च, 2015 से 24 माह (करार के अनुसार स्कोप पूरा होने तक विलंब के मामले में अपने आप विस्तारित)
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें	बिहार–चरण IV (भाग–I) में पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने के तहत बीजीसीएल को दिए पैकेजों हेतु अवार्ड के बाद इंजीनियरी गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना। जनवरी 2015 को करार पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना की अनुमानित लागत 1700 करोड़ रु. है और परियोजना के लिए वास्तविक अनुमानित लागत के 2 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार है।
	ङ.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	24 दिसंबर, 2014 (पावरग्रिड के बोर्ड की 308वीं बैठक)
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	मार्च 2015 में बीजीसीएल से अग्रिम के रूप में 3.43 करोड़ रु. प्राप्त हुए। तथापि, इस ठेके के लिए अग्रिम के रूप में बीजीसीएल को कोई राशि नहीं दी गई थी।
च)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि. (टीपीटीएल) संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	किशनगंज पावर ग्रिड एस/एस में 400केवी के 2 एआईएस बेज और 2X63 एमवीएआर रिएक्टरों के निष्पादन हेतु परामर्श (बाद में आईएएस से जीआईएस में संशोधित स्कोप)
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	मार्च 2010 से 26 महीने (करार के अनुसार स्कोप के पूरा होने तक विलंब के मामले में अपने आप विस्तारित)
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें	किशनगंज में 400 के.वी. के दो जीआईएस बेज और 2X63 एमवीएआर रिएक्टरों के परीक्षण और चालू करने सहित सभी सेवाएं अर्थात् प्राप्ति, इंजीनियरी, क्रियान्वयन सेवा प्रदान करना। 26.78 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत और परियोजना की वास्तविक अनुमानित लागत की 15 प्रतिशत की दर से परामर्श फीस संबंधी करार पर 1 सितंबर, 2009 को हस्ताक्षर किए गए।
	ङ.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	टीपीटीएल से मार्च/अप्रैल 2010 में अग्रिम के रूप में 4.68 करोड़ रु.प्राप्त किए। तथापि इस ठेके के लिए अग्रिम के रूप में टीपीटीएल को कोई राशि नहीं दी गई थी।
छ)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीपीटीएल) संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	सिक्किम में तीस्ता–III जलविद्युत (1200 मेगावाट) से जुड़ी 400 किलोवाट टीसी तीस्ता–III किशनगंज लाइन (211 कि.मी.) के कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरी सेवाओं के लिए परामर्श।
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	परस्पर सहमत। (पारेषण लाइन के प्रारंभ से मेल खाते हुए)
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें	सिक्किम में तीस्ता–III जलविद्युत (1200 मेगावाट) से जुड़ी 400केवी टी/सी तीस्ता–III किशनगंज लाइन (211 कि.मी.) से जुड़ी टीपीसी एल द्वारा एजेंसी/संविदाकार की नियुक्ति और एवार्ड से पूर्व अंतिम रूप देने तथा एवार्ड के बाद की इंजीनियरिंग, गुणवत्ता आश्वासन तथा निरीक्षण से जुड़ी सेवाओं एनआईटी जारी करने, एवार्ड के पोस्टमेंट ठेकेदार को परियोजना लागत के लिए भुगतान, उत्थापन के पर्यवेक्षण परीक्षण और प्रारंभण को छोड़कर के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करना। दिनांक 21 अप्रैल, 09 का कार्य आदेश तथा एकमुश्त परामर्श शुल्क रु. 16.00 करोड़ है।
	ङ.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं ।
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	अग्रिम के तौर पर टीपीटीएल से 1.56 करोड़ की राशि प्राप्त की गई। हालांकि टीपीटीएल को इस संविदा के अग्रिम के तौर पर किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया।

ज)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी) संयुक्त उद्यम कंपनी ।
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	त्रिपुरा में 726.6 मेगावाट पालाटाना जीबीपीपी से जुटी 400 केवी टी/सी पालाटाना सिलचर बार्नीहाट, बोगईगांव लाइन (661 कि.मी.) के कार्यान्वयन के लिए परामर्श।
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	मई, 07 से 36 माह (देर होने के मामले के करार के अनुसार स्कोप के पूरा होने तक स्वतः विस्तारणीय)
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें, यदि कोई हो	त्रिपुरा में पालातना जीबीपीपी से जुटी 400केवी टी/सी पालातना–सिल्चर बाइर्नीहाट, बोगईगांव लाइन (66 कि.मी.) के लिए सभी सेवायें अर्थात् प्रापण इंजीनियरिंग परीक्षण और प्रारंभण सहित कार्यान्वयन (एवार्ड के प्लेसमेंट तथा ठेकेदार को परियोजना लागत के भुगतान को छोड़कर) करार पर 16 मार्च, 07 को हस्ताक्षर किए गए थे जिसने परियोजना की अनुमानित लागत रु. 1195.2 करोड़ तथा परामर्श शुल्क परियोजना के वास्तविक निष्पादित लागत का 10 प्रतिशत था।
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	मई, 07/अगस्त, 08 में एनटीसी से अग्रिम के तौर रु. 11.95 करोड़ प्राप्त किया। तथापि, इस संविदा के लिए एनईटीसी को कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
झ)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी) संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	400 केवी टी/सी पालाटाना सिलचर बार्नीहाट, बोगईगांव लाइन (661 कि.मी.) के प्रचालन और रख–रखाव के लिए परामर्शी सेवा।
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	फरवरी, 13 से 3 वर्ष
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें	सिलचर बार्नीहाट, बोगईगांव लाइन (661 कि.मी.) 400 केवी टी/सी पालाटाना के प्रचालन और रख–रखाव के लिए सभी सेवायें प्रदान करना। करार पर 16 जनवरी 16 को हस्ताक्षर किए गए थे। परामर्शदात्री शुल्क सीईआरसी मानदंडों के अनुसार है जिसमें 10 प्रतिशत शिरोपरि खर्च शामिल है।
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	फरवरी, 13 में एनईटीसी में अग्रिम के रूप में रु. 2.77 करोड़ प्राप्त किए गए। तथापि, इस संविदा के लिए अग्रिम के तौर पर एनईटीसी को किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
ञ)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी–प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) संयुक्त उद्यम कंपनी
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	बीना सब स्टेशन में आन लाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट फैसिलिटी की स्थापना के लिए परामर्श।
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	परस्पर सहमति के अनुसार
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें	बीना सब–स्टेशन पर आन–लाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट फैसिलिटी स्थापित करने के लिए सभी सेवाएं अर्थात् इंजीनियरिंग परीक्षण और प्रारंभन सहित कार्यान्वयन की सभी सेवाएं उपलब्ध करवाना। 25 नवंबर, 10 को करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिसमें परियोजना की अनुमानित लागत रु. 247.06 करोड़ ६ तथा परामर्श शुल्क कार्यान्वित की गई परियोजना के वास्तविक लागत की 10 प्रतिशत दर से था।
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं।
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	दिसंबर, 10 में एनएचपीटीएल से रु. 2.45 करोड़ प्राप्त किए गए थे। इस संविदा के लिए एनएचपीटीएल को अग्रिम के तौर पर किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

ट)	क)	संबंधित पक्षकार का नाम/के नाम तथा संबंध	पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोस्को), सहायक कंपनी 100 प्रतिशत
	ख)	संबंधित संविदाओं/प्रबंधनों/ लेन–देनों की प्रकृति	5–आरएलडीसी और एनएलडीसी में एससीडीए/ईएमएस प्रणाली और संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विस्तार/प्रतिस्थापन के लिए परामर्श।
	ग)	संविदा/प्रबंधन/लेन–देन की अवधि	अप्रैल, 11 से 5 वर्ष (देर होने के मामले में करार के दायरे के अनुसार स्कोप के पूरा होने तक स्वत: विस्तारणीय)
	घ)	संविदाओं या प्रबंधनों या मूल्य सहित लेन–देनों की विशेष शर्तें	5–आरएलडीसी और एनएलडीसी में एससीडीए/ईएमएस प्रणाली और संबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विस्तार /प्रतिस्थापन के लिए सभी सेवाएं अर्थात् प्रापण, इंजिनियरिंग और परीक्षण तथा प्रारंभण सहित सभी सेवाएं उपलब्ध करवाना (ठेकेदारों का परियोजना लागत का भुगतान करने छोड़कर) 31 मार्च, 11 के करार पर हस्ताक्षर किए गए और 2 मई, 12 को इसमें संशोधन किए गए। करार के प्रावधान के अनुसार करार पर हस्ताक्षर करने के लिए परियोजना की परिकलित अनुमानित लागत रु. 65.16 करोड़ है तथा परामर्श शुल्क परियोजना की वास्तविक लागत का 12 प्रतिशत है।
	ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख/तारीखें, यदि कोई हो	लागू नहीं ।
	(च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	सितंबर, 11/मार्च, 12 में पोस्को से पहली किश्त के तौर पर रु. 1.53 करोड़ प्राप्त हुए। तथापि इस संविदा के लिए पोस्को को किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

फार्म सं. एओसी – 1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम–5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा 3 के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)
सहायक कंपनियों/एसोसिएट कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं सहित विवरण
भाग – 'क' सहायक कंपनियां

क्र. सं.		सहायक कंपनियों के नाम										(रु. करोड़ में)
		पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	पावर ग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावर ग्रिड वाइजैग ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावर ग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावर ग्रिड काला आम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावर ग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावर ग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावर ग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	ग्रिड कन्डेक्टर्स लिमिटेड
1	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न होने पर संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनियम दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	शेयर पूंजी	30.64	24.00	54.73	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00*
4	आरक्षिती और अधिशेष	258.84	(0.00)	2.97	(19.42)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.07)
5	कुल परिसंपत्तियां	1360.18	729.68	1108.69	0.00	42.53	32.65	21.30	33.92	24.65	36.35	0.02
6	कुल देयताएं	1070.70	705.68	1050.99	19.37	42.48	32.60	21.25	33.87	24.60	36.30	0.09
7	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	कारोबार	231.65	शून्य	7.90	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	कराधान से पूर्व लाभ	81.40	शून्य	5.30	(0.01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(0.07)
10	कराधान के लिए प्रावधान	25.68	शून्य	2.33	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	कराधान के बाद लाभ	55.72	शून्य	2.97	(0.01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(0.07)
12	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	शेयर धारण का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0.00%*

- ग्रिड कंडेक्टर लिमिटेड में 0.05 करोड़ रु. की शेयर पूंजी का अप्रैल 2016 में भुगतान कर दिया गया है। तथापि, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा निदेशक मण्डल की संरचना करने के नियंत्रण के आधार पर कंपनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में माना गया है।

1. **उन सहायक कंपनियों के नाम, जिनका प्रचालन अभी शुरू करना है।**
   निम्नलिखित सहायक कंपनियों का प्रचालन अभी शुरू करना है।
   I. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
   II. पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
   III. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
   IV. पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड
   V. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
   VI. पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड
   VII. पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड
   VIII. पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
   IX. ग्रिड कन्डेक्टर्स लिमिटेड
2. **उन सहायक कर्मचारियों के नाम जो वर्ष के दौरान समाप्त हो चुकी है या बिक चुकी हैं।**
   शून्य

भाग–ख सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से जुड़े कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

(रु. करोड़ में)

एसोसिएटों/संयुक्त उद्यमों के नाम	पावर लिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	जायपी पावरग्रिड लिमिटेड	पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन लिमिटेड	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	नेशनल हाइपावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	कलिंग विद्युत प्रासरण निगम प्राइवेट लिमिटेड	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	आर आई एन एल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड
1. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	5 मई, 2016	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं	लेखा परीक्षित नहीं
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों के शेयर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संख्या	229320000	23400000	78000000	70937620	67115620	106964000	23900000	22500000	5000	40309000	10322000	100000	780000
एसोसिएटों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	229.32	23.40	78.00	70.94	67.12	106.96	23.90	22.50	0.01	40.31	10.32	0.10	4.88
धारण की सीमा प्रतिशत	49%	26%	26%	26%	26%	26%	21.64%	13.63%	50%	50%	26%	50%	26%
3. उल्लेखनीय प्रभाव का विवरण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	निदेशक मंडल में नियंत्रण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण	20 प्रतिशत से अधिक शेयरधारण
4. एसोसिएट / संयुक्त उद्यम के संगठित न होने के कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5. अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरधारक की निवल पूंजी	268.13	28.87	97.34	75.54	66.10	91.78	23.41	55.90	0.01	40.31	10.78	0.10	4.88
6.वर्ष की लाभ/हानि													
i. समेकन में विचारित	53.39	2.01	13.10	3.94	(0.07)	(35.08)	शून्य	3.65	शून्य	शून्य	0.55	शून्य	शून्य
ii. समेकन में न विचारित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

1. ऐसे एसोशिएट या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका अभी प्रचालन शुरू किया जाना है।
   I. तीस्तावैली पावरग्रिड ट्रांसमिशन लिमिटेड
   II. नेशनल हाईपावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
   III. कलिंग विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड
   IV. बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
   V. क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
   VI. पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड
   VII. आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राईवेट लिमिटेड
2. उन सहायक कर्मचारियों के नाम जो वर्ष के दौरान समाप्त हो चुकी है या बिक चुकी हैं।
   शून्य

निदेशक मंडल के लिए उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(दिव्या टंडण)	(आर.टी. अग्रवाल)	(आई.एस.झा)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के.मित्तल एण्ड कंपनी	कृते आर.जी.एन. प्राईज एण्ड कंपनी	कृते कोठारी एण्ड कंपनी	कृते पारेख एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135एन	फर्म पंजीकरण सं. 002785एस	फर्म पंजीकरण सं. 301178ई	फर्म पंजीकरण सं. 001475सी
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(सी.ए. गौरव मित्तल)	(सी.ए. आर. रंगराजन)	(सी.ए. मानस्वी कोठारी)	(सी.ए. इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. : 099387	सदस्यता सं. : 041883	सदस्यता सं. : 064601	सदस्यता सं. : 410433

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट

1 कंपनी की सीएसआर नीति को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11.11.2014 को हुई अपनी 307वीं बैठक में अनुमोदित किया था और दिनांक 30 नवंबर, 2015 को आयोजित की गई 323वीं बैठक में इसमें संशोधन किया था। नीति का नाम, विजन और मिशन विवरणों को शामिल करना, स्थानीय क्षेत्रों और संचार रणनीति को परिभाषित करते हुए बड़े–बड़े परिवर्तन किए गए थे। यह नीति कंपनी की वेबसाइट **www.powergridindia.com/administrator/ Lists/Menu/ Attachments/172/CSR_Policy_2015.pdf** पर उपलब्ध है।

नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है :–

नीति का नया नाम पावरग्रिड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत नीति है।

विजन

ऐसी कारपोरेट कम्पनी बनना जो ग्रामीण विकास, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में पहल करने के माध्यम से समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास की एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करती है और निरन्तर विकासात्मक पद्धतियों का पालन करती है।

मिशन

पर्यावरण संबंधी एवं सामाजिक मुद्दों के बारे में बचाव, न्यूनीकरण और कमी के सिद्धांत का पालन करते हुए सतत रूप से तैयार करने के लिए कारोबार नीति सहित सीएसआर और सतत नीति बनाना तथा पणधारकों के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व की उच्च प्रभाव समुदाय परियोजनाओं को शुरू करना।

सीएसआर के अंतर्गत गतिविधियां

सीएसआर के तहत शुरू की जाने के लिए प्रस्तावित गतिविधियों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3)क में उल्लिखित अनुसूची– VII में उल्लिखित गतिविधियां शामिल होंगी।

निगम, सीएसआर में उन पणधारियों को प्राथमिकता देगा जो इसके प्रचालनों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हों। चूंकि ऐसे पणधारी आमतौर पर निगम के वाणिज्यिक प्रचालनों की परिधि में स्थित होते है, इसलिए पावरग्रिड अपने प्रचालनों के स्थानीय क्षेत्रों और पड़ोसी क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों में प्राथमिकता देगा।

जहां पर पावरग्रिड है, ऐसे जिले को भौगोलिक सीमाओं सीएसआर और एस कार्यकलापों के लिए "स्थानीय क्षेत्र" के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड इससे बाहर के सी.एस.आर. कार्यकलाप भी करेगा। स्थानीय क्षेत्र और बाहर के बीच सीएसआर खर्चों का अनुपात लगभग 75:25 होगा। तथापि, भारत सरकार के निर्देशों के तहत अथवा राष्ट्रीय विकास के एजेण्डा में सबसे अधिक चिन्ता के तहत निष्पादित परियोजनाओं/कार्यकलापों को इस अनुपात में नहीं रखा जाएगा। सीएसआर समिति किसी भी परियोजना को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत है, चाहे निहित राशि अनुपात से अधिक हो।

निगम के प्रचालनों से सीधे प्रभावित होने वाले पणधारियों की सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

केवल भारत में शुरू की गई सीएसआर व्यय परियोजनाएं या कार्यक्रम गतिविधियां ही सीएसआर व्यय मानी जाएगी।

कारोबार करने के लिए पहलों, के माध्यम से निरंतर विकास को बढ़ावा देने के इस प्रकार प्रयास किए जाएंगे कि यह कारोबार और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हो।

सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की रीति :

सीएसआर गतिविधियों को वरीयत: परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन आमतौर पर निगम की कार्य और प्रापण नीति द्वारा एवार्ड देकर किया जाएगा। केन्द्र/राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं आदि की सेवाएं भी निक्षेप कार्यों के रूप में सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध हो सकती है। सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं/कार्यक्रम किसी पंजीकृत न्यास या पंजीकृत सोसाइटी या निगम द्वारा स्थापित किसी कंपनी इसकी धारक, सहायक या एसोसिएट कंपनी जो कंपनी अधिनियम में उल्लिखित शर्तें पूरी करती हो, के साथ मिलकर शुरू किए जा सकते हैं।

संचार रणनीति :

इलेक्ट्रानिक मीडिया का पणधारकों के साथ विस्तृत पत्र व्यवहार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वेबसाइट ई–मेल, वार्षिक सीएसआर पुस्तिका, वार्षिक रिपोर्ट आदि में प्रदर्शन पावरग्रिड के सीएसआर पहलों का अर्थ निकालने के लिए मुख्य साधन होंगे।

सीएसआर गतिविधियों की वित व्यवस्था :

निगम को पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रतिवर्ष सीएसआर नीति पर खर्च करना होगा।

श्री आई. एस. झा	*	अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेश, 1.10.2015 से समिति के अध्यक्ष	
श्री आर. टी. अग्रवाल	-	निदेशक	
श्री रवि पी सिंह	-	निदेशक	
श्रीमति ज्योति अरोड़ा	-	निदेशक (सरकारी प्रतिनिधि)	
प्रो. आर. के. गुप्ता	-	स्वतंत्र निदेशक	15.01.2016 को पदावधि पूरी
डॉ. आर. रामालिंगम	-	स्वतंत्र निदेशक	
श्री महेश शाह	-	स्वतंत्र निदेशक	
श्री जगदीश ईश्वर भाई पटेल	-	स्वतंत्र निदेशक	17.11.2015 से

* पूर्ववर्ती सीएमडी श्री आर. एन. नायक 30.09.2015 तक समिति कि अध्यक्ष थे।

2 **सीएसआर समिति की संरचना।**

3 पिछले 3 वित्तीय वर्षों का कंपनी का औसत निवल लाभ : 60,897,086,200 रु.

4 **वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर का ब्यौरा (उपरोक्त मद 3 में दर्शायी राशि का 2 प्रतिशत)**

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर 2 प्रतिशत : 1,217,941,724

5 **वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर का ब्यौरा**

क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली पूरी राशि :

1,217,941,724

ख. खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो

6.01 करोड़

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान किस रीति से राशि खर्च की गई

वर्ष के दौरान की गई राशि अनुबंध–I में दी गई है।

6 **6.01 करोड़ रु. की कमी (121.79 करोड़ रु. – 115.78 करोड़ रु.) निम्नलिखित कारणों की वजह से हैं :–**

क. अधिकांश परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित थी जिनके कार्यान्वयन में लंबा समय लगता है।

ख. कार्यान्वयन एजेंसियों को साधन जुटाने और कार्यान्वयन में लंबा समय लगा।

7 यह उल्लेख किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मानीटरिंग, सीएसआर लक्ष्यों तथा कंपनी की नीति के अनुरूप है।

हस्ता / –	हस्ता / –	हस्ता / –
(मुख्य कार्यपालक, अधिकारी अथवा प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक)	(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)	(अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत विनिर्दिष्ट व्यक्ति)

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट का अनुबंध– I

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	67 सबमर्सिबल पम्पों की आपूर्ति और स्थापना	पेय जल	स्थानीय	आगरा	यू.पी.	99.24	**31.63**	31.63	उ.प्र. राज्य एग्रो
2	200 हैण्डपम्पों की आपूर्ति और स्थापना	पेय जल	स्थानीय	फुलपुर, इलाहबाद	यू.पी.	82.60	**41.60**	41.60	उ.प्र. जल निगम
3	वाराणसी शहर में स्वच्छता अभियान	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	वाराणसी	यू.पी.	190.80	**190.80**	190.80	उ.प्र. सरकार
4	पारम्परिक कला, हस्तशिल्प और संस्कृति का संवर्धन	कला और संस्कृति	स्थानीय	आगरा	यू.पी.	4.58	**4.58**	4.58	पावरग्रिड
5	100 सोलर लाइटों की आपूर्ति और स्थापना	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	बागपत	यू.पी.	23.65	**23.65**	23.65	यूपीएनईडीए
6	40 गावों में 40 हैण्डपम्पों की सप्लाई और स्थापना	पेय जल	स्थानीय	कानपुर	यू.पी.	18.67	**18.64**	18.64	उ.प्र. जल निगम
7	12 हैण्डपम्पों की आपूर्ति और स्थापना	पेय जल	स्थानीय	बिलसारायन	यू.पी.	5.60	**4.20**	4.20	उ.प्र. जल निगम
8	समुदाय विकास कार्य	ग्रामीण विकास	स्थानीय	मानेसर	हरियाणा	259.25	**194.43**	194.43	आईआरसीओएनआईएसएल
9	प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में सीलिंग पंखे, मेज, कुर्सियां और बैंच सहित डेस्कों की आपूर्ति	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	कानपुर	यू.पी.	8.81	**8.81**	8.81	पावरग्रिड
10	स्कूलों में क्लास रूमों का निर्माण और नवीकरण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	बस्ती	यू.पी.	23.63	**1.47**	22.56	पावरग्रिड
11	आरसीसी पुलिया का निर्माण	ग्रामीण विकास	अन्य	कबीर नगर	यू.पी.	115.91	**81.13**	115.91	उ.प्र. सरकार
12	मेधावी छात्रों के लिए 300 साइकिलों का वितरण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	लखनऊ	यू.पी.	10.00	**10.00**	10.00	पावरग्रिड
13	गांव में आरसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	बरेली	यू.पी.	33.19	**6.46**	31.81	पावरग्रिड
14	ड्राई स्टोन पिचिंग पगडंडी और सी.सी. पगडंडी का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	कोटेश्वर	उत्तराखण्ड	10.42	**6.69**	9.51	पावरग्रिड
15	सी.सी. ओपन ड्रेन का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	देहरादून	यू.पी.	97.13	**6.42**	93.83	पावरग्रिड

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
16	स्कूल में बेंच, कुर्सियों और स्टाफ के लिए मेजों की आपूर्ति	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	कोटपुतली	राजस्थान	5.80	**4.73**	4.73	पावरग्रिड
17	समुदाय रेडियो स्टेशन की स्थापना	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	ग्रेटर नोएडा	यू.पी.	30.76	**2.50**	30.76	नोएडा लोक मंच
18	गांव में लिंक रोड और भीतर की सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	समबा	जे. एण्ड के.	124.75	**78.88**	101.53	जम्मू व कश्मीर सरकार
19	गांव धाना नारसान के लिए जल आपूर्ति सिस्टम का संवर्धन	पेय जल	स्थानीय	भिवानी	हरियाणा	197.50	**0.00**	144.75	हरियाणा सरकार
20	अबदलपुर में पक्के नाले/ड्रेन का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	यमुना नगर	हरियाणा	28.50	**14.32**	22.19	पावरग्रिड
21	नालागढ़ के आस–पास के 23 गावों में एमएमयू का प्रचालन	स्वास्थ्य	स्थानीय	आगरा/नालागढ़	हिमाचल प्रदेश	9.25	**2.00**	7.09	लागत हिस्सेदारी आधार पर अंबुजा फाउंडेशन
22	मेडिकल कैम्प	स्वास्थ्य	स्थानीय	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	1.10	**1.10**	1.10	पावरग्रिड
23	परियोजना से प्रभावित गांव की अ.जा./अ.ज.जाति की आबादी के लिए 5 रिंग बोरिंग हैंडपम्पों की आपूर्ति और स्थापना	पेय जल	स्थानीय	बारा/गया	बिहार	3.62	**2.58**	3.62	पावरग्रिड
24	खेमनबीगा/सुलतान पुर के दो सरकारी स्कूलों में 2 शौचालय ब्लाकों तथा 80 अलग–अलग घरों में शौचालयों का निर्माण	सफाई	स्थानीय	ईकानगर सराय	बिहार	34.01	**6.98**	23.82	सुलभ सेनेटरी मिशन फाउंडेशन
25	फतेहपुर गांव में समुदाय केन्द्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	फतेहपुर गांव	बिहार	6.84	**0.56**	4.00	पावरग्रिड
26	समुदाय केन्द्र का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	बगोदर	झारखण्ड	43.40	**43.40**	43.40	झारखंड सरकार
27	8 सरकारी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराना	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	पटना	बिहार	56.07	**53.47**	53.47	पावरग्रिड
28	विभिन्न गांवों में 50 हैंडपम्पों की स्थापना	पेय जल	स्थानीय	धनबाद	झारखण्ड	34.80	**34.80**	34.80	पावरग्रिड

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
29	25 हैंडपम्पों की स्थापना	पेय जल	स्थानीय	बनका	बिहार	12.00	**5.67**	7.61	पावरग्रिड
30	पटना के चिड़ियाघर में पर्यावरण अनुकूल हैंडबैग और राजधानी वाटिका पार्क, पटना में खेल उपकरणों की आपूर्ति	पर्यावरण पोषणीयता और खेल	स्थानीय	पटना	बिहार	38.85	**27.02**	27.02	पावरग्रिड
31	स्वास्थ्य जांच कैम्प	स्वास्थ्य	स्थानीय	पुरनिया	बिहार	1.90	**1.90**	1.90	पावरग्रिड
32	पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	पटना	बिहार	45.00	**3.11**	21.76	पावरग्रिड
33	ब्रिक सोलिंग रोड का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	पुरनिया	बिहार	14.13	**13.31**	13.31	पावरग्रिड
34	खेल का मैदान, स्टेडियम का निर्माण	खेल	स्थानीय	पटना	बिहार	50.00	**25.00**	25.00	बी एस एच पी सी एल
35	रामाना मैदान की बाउंड्री –वॉल (दिवार) का सौंदर्यीकरण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	अरा	बिहार	0.00	**-15.79**	-15.79	डीएम आरा द्वारा रिफंड की गई
36	360 युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देना	कौशल विकास	स्थानीय	जमशेदपुर	बिहार और झारखण्ड	199.92	**99.96**	99.96	इंडो दानिश टूल रूम
37	500 सोलर लाइटों की आपूर्ति और स्थापना	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	कौशाई	यू.पी.	126.90	**125.10**	125.10	रेनिल
38	जनरल अस्पताल, बीरपाडा में 1 अल्ट्रासाउन्ड मशीन की आपूर्ति और स्थापना	स्वास्थ्य	स्थानीय	जलपाईगुडी	वेस्ट बंगाल	6.82	**6.81**	6.81	पावरग्रिड
39	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 1 डिजीटल एक्सरे मशीन की आपूर्ति और स्थापना	स्वास्थ्य	स्थानीय	जलपाईगुडी	वेस्ट बंगाल	1.99	**1.80**	1.80	पावरग्रिड
40	गवर्नमेंट अस्पताल में रोगियों के लिए अतिरिक्त रोगी वार्ड, प्रयोगशाला कक्ष एक्सरे रूम, ड्रेसिंग रूम नर्सों के लिए कमरे का निर्माण	स्वास्थ्य	स्थानीय	जलपाईगुडी	वेस्ट बंगाल	23.43	**2.82**	2.82	पावरग्रिड
41	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की आपूर्ति और स्थापना	पेय जल	स्थानीय	जलपाईगुडी	वेस्ट बंगाल	6.49	**6.49**	6.49	पावरग्रिड
42	बच्चों के लिए 2 खेल के मैदानों का निर्माण	खेल	स्थानीय	बर्धमान	वेस्ट बंगाल	13.62	**4.60**	13.60	पश्चिम बंगाल सरकार

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
43	कम्युनिटी हॉल का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	जलपाईगुड़ी	वेस्ट बंगाल	29.54	**12.27**	12.27	पावरग्रिड
44	पेय जल सुविधा उपलब्ध कराना	पेय जल	स्थानीय	मालदा	वेस्ट बंगाल	3.20	**3.20**	3.20	पावरग्रिड
45	गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण के लिए उनको अपनाना	स्वास्थ्य	स्थानीय	साउथ 24 पीजीएन	वेस्ट बंगाल	15.00	**1.65**	10.65	सी आई एन आई
46	स्कूल के लिए फर्नीचर, और बॉयलाजी प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराना	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	साउथ 24 पीजीएन	वेस्ट बंगाल	11.03	**5.98**	5.98	पावरग्रिड
47	बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन	खेल	स्थानीय	साउथ सिक्किम	सिक्किम	1.00	**1.00**	1.00	पावरग्रिड
48	एक पुस्तकालय–सह–क्लासरूम एवं दो क्लासरूमों का निर्माण करना	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	नागोन जिला	असम	20.40	**12.34**	12.34	पावरग्रिड
49	विद्यार्थियों के लिए टोल–फ्री हैल्पलाइन और एक वेबसाइट की स्थापना करना	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	एनटायर असम	असम	50.00	**32.00**	32.00	असम सरकार
50	ओपेन स्टेज का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	सोनीतपुर	असम	6.93	**6.92**	6.92	पावरग्रिड
51	स्कूल परिसर में जल आपूर्ति उपलब्ध कराना	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	उनाकोट	त्रिपुरा	9.75	**9.69**	9.69	पावरग्रिड
52	गांवों में बस यात्रियों के लिए 4 वेटिंग शेडों का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	सेनापति और तेमेनगलोंग जिला	मणिपुर	6.64	**6.64**	6.64	पावरग्रिड
53	मौगकासेन में निवारक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा कैम्प	स्वास्थ्य	स्थानीय	वेस्ट खासी हील	मेघालय	2.75	**2.74**	2.74	पावरग्रिड
54	कब्रिस्तान में वेटिंग शेड–सह–स्टोर का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	आईजोल	मिजोरम	3.42	**3.42**	3.42	पावरग्रिड
55	182 मीटर खुले नाले का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	लोअर दीबन्ग वेल्ली	अरुणाचल प्रदेश	12.70	**6.76**	11.84	अरुणाचल प्रदेश सरकार
56	ओवरहेड वाटर टैंक का निर्माण और साइकिल स्टैण्ड का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	लोअर दीबन्ग वेल्ली	अरुणाचल प्रदेश	12.00	**4.21**	9.20	अरुणाचल प्रदेश सरकार

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
57	मार्किट शैड का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	सेनापति	मणीपुर	7.68	**7.68**	7.68	पावरग्रिड
58	हाई–स्कूल में कम्पाउन्ड वॉल (दीवार) चाहरदीवारी का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	जीरीबम	असम	9.97	**0.82**	9.62	पावरग्रिड
59	50,000 पौधों का रोपण और रखरखाव	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	कोकराजहर	असम	40.27	**8.04**	40.27	इको टॉस्क फोर्स (भारतीय सेना)
60	ह्यूम पाइप कुलवर्ट ब्रिज (पुल) का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	दीमापुर	नागालैंड	9.04	**2.38**	9.04	पावरग्रिड
61	कब्रिस्तान की चाहरदीवारी और उसके पास वैटिंग शैड का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	कचार	असम	7.51	**7.51**	7.51	पावरग्रिड
62	कोकाकुली स्कूल में ओपन स्टेज का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	सोनीतपुर	असम	7.78	**2.87**	2.87	पावरग्रिड
63	खेती के सिस्टम ऑफ राइस इंटेसिफिकेशन मैथड के बारे में प्रशिक्षण	कौशल विकास	स्थानीय	कामरूप	असम	14.70	**5.46**	14.70	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि
64	नाले और पुलिया का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	दीमापुर	नागालैंड	12.00	**2.57**	9.51	पावरग्रिड
65	स्कूल भवन का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	नगोन	असम	20.40	**2.63**	11.79	पावरग्रिड
66	एकीकृत वाटरशैड प्रबंधन	ग्रामीण विकास	स्थानीय	कुरनोल	आंध्र प्रदेश	901.00	**98.07**	433.20	आई सी आर आई एस ए टी
67	फल और सब्जी प्रसंस्करण के बारे में 500 ग्रामीण महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण	कौशल विकास	स्थानीय	कादापा	आंध्र प्रदेश	19.66	**6.84**	6.84	कृषि विज्ञान केन्द्र
68	साइड ड्रैनों का निर्माण	स्वच्छता	स्थानीय	नेल्लोरी	आंध्र प्रदेश	6.00	**6.00**	6.00	आ.प्र.सरकार
69	सी.सी. सड़कों का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	नेल्लोरी	आंध्र प्रदेश	10.00	**9.99**	9.99	आ.प्र.सरकार
70	आवेरहैड वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण	पेय जल	स्थानीय	नेल्लोरी	आंध्र प्रदेश	23.00	**23.00**	23.00	आ.प्र.सरकार
71	आवेरहैड वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण	पेय जल	स्थानीय	नेल्लोरी	आंध्र प्रदेश	23.00	**21.16**	21.16	आ.प्र.सरकार
72	स्कूलों में डुअल डैस्क उपलब्ध कराना	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	61.36	**61.35**	61.35	पावरग्रिड

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
73	ओवरहैड वाटर टैंक का निर्माण	पेय जल	स्थानीय	कुरनोल	आंध्र प्रदेश	16.00	**15.12**	15.20	पावरग्रिड
74	हाई मास्ट लाइट की आपूर्ति और स्थापना	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	अलापुझा	केरल	6.20	**5.70**	5.70	पावरग्रिड
75	स्कूल भवन का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	धर्मापुरी	तमिलनाडु	39.50	**19.75**	39.50	तमिलनाडु सरकार
79	कम्यूनिटी हॉल का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	येलाहंका	कर्नाटक	75.00	**15.00**	30.00	बंगलौर निरमिति केन्द्र
80	सरकारी स्कूल में कम्पाउन्ड दीवार का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	श्रीपेरुम्बुदूर	तमिलनाडु	75.00	**2.30**	4.23	पावरग्रिड
81	युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल विकास	स्थानीय	वेरियस जिला	तमिलनाडु और कर्नाटक	64.76	**12.98**	64.76	मै0 आईटीसीओटी, चेन्नई
82	25 केवीए डीजी सैट की आपूर्ति और स्थापना	स्वास्थ्य	स्थानीय	अनगुल	ओडिसा	7.80	**5.60**	5.60	पावरग्रिड
83	बच्चों के एकीकृत विकास के लिए छात्रावास का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	नागपुर	महाराष्ट्र	48.00	**14.40**	14.40	नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट
84	पेवर ब्लाकों (खंडजे) वाली 3 मीटर चौड़ी 1400 मीटर की आन्तरिक ड्रेन सड़क का विकास	ग्रामीण विकास	स्थानीय	पदघी, थाने	महाराष्ट्र	54.50	**37.54**	37.54	पावरग्रिड
85	काढेगांव में विकास निर्माण कार्य	ग्रामीण विकास	स्थानीय	संगली और पुणे	महाराष्ट्र	50.97	**27.34**	27.34	पावरग्रिड
86	बुरंजेवाडी / सिकरापुर गांव में 2.85 कि. एम. की सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	पुणे	महाराष्ट्र	92.80	**63.67**	63.67	पावरग्रिड
87	सड़कों का विकास	ग्रामीण विकास	स्थानीय	संगली और पुणे	महाराष्ट्र	74.81	**7.90**	7.90	पावरग्रिड
88	ओडिटोरियम का निर्माण	कला और संस्कृति	स्थानीय	सोलापुर	महाराष्ट्र	207.01	**25.60**	199.15	पावरग्रिड
89	कम्युनिटी हॉल का निर्माण –शेष कार्य को पूरा करना	ग्रामीण विकास	स्थानीय	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	3.00	**3.00**	3.00	पावरग्रिड
90	शमशानघाट में शैड और अन्य विकास कार्यों का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	पुणे	महाराष्ट्र	19.36	**5.81**	5.81	पावरग्रिड
91	सड़कों का निर्माण और बोरवैल की खुदाई	ग्रामीण विकास	स्थानीय	गोंदिया	महाराष्ट्र	45.00	**5.70**	41.48	पावरग्रिड

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
92	भेन्दा और बारपाली गांव में कम्युनिटी विकास कार्य	ग्रामीण विकास	स्थानीय	रायगढ़	छत्तीसगढ़	33.00	**1.46**	1.46	पावरग्रिड
93	लड़कों के लिए छात्रावास का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	रायपुर	छत्तीसगढ़	354.94	**327.20**	335.00	पावरग्रिड
94	शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए स्कूल भवन एवं छात्रावास भवन का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	राजनन्द गांव	छत्तीसगढ़	350.00	**35.00**	35.00	पावरग्रिड
95	3 वाटर ए.टी.एम. की आपूर्ति और स्थापना	पेय जल	स्थानीय	जशपुर	छत्तीसगढ़	22.50	**11.25**	11.25	पावरग्रिड
96	बैटरी से चलने वाली 2 साइकिलों की आपूर्ति	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	रायपुर	छत्तीसगढ़	13.00	**13.00**	13.00	पावरग्रिड
97	कम्युनिटी सेंटर का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	दुर्ग	छत्तीसगढ़	30.00	**22.02**	22.02	पावरग्रिड
98	"रिंगी चिंगी समर कैम्प" का आयोजन	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	रायपुर	छत्तीसगढ़	2.00	**2.00**	2.00	पावरग्रिड
99	कम्युनिटी सेंटर का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	सिओनी	मध्य प्रदेश	4.05	**4.03**	4.03	पावरग्रिड
100	कम्युनिटी सेंटर का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	पलघर	महाराष्ट्र	143.27	**88.56**	133.56	जिला परिषद, पालघर
101	परियोजना संजीविनी – 250 कुपोषित बच्चों का चिकित्सा उपचार	स्वास्थ्य	स्थानीय	बीना	मध्य प्रदेश	7.85	**3.85**	7.85	पावरग्रिड
102	100 केडब्ल्यूपी एसपीवी विद्युत संयंत्र की आपूर्ति और स्थापना	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	भोपाल	मध्य प्रदेश	58.00	**29.00**	29.00	पावरग्रिड
103	ग्रामीण विकास कार्य	ग्रामीण विकास	स्थानीय	बेतुल	मध्य प्रदेश	134.19	**14.32**	14.32	पावरग्रिड
104	कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास	स्थानीय	एम.पी और गुजरात	एम.पी और गुजरात	145.63	**43.69**	43.69	इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर
105	शैड की संरचना और स्थापना	ग्रामीण विकास	स्थानीय	वापी	गुजरात	3.59	**3.59**	3.59	पावरग्रिड
106	2 आर.सी.सी ओवरहैड वाटर टैंकों का निर्माण	पेय जल	स्थानीय	अंजार, कुटच	गुजरात	11.74	**6.75**	6.75	पावरग्रिड
107	बहुप्रयोजनीय कम्युनिटी भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	26.23	**25.47**	25.47	पावरग्रिड

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
108	पंचायत भवन के लिए पार्किंग पार्क और चाहरदीवारी का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	सूरत	गुजरात	18.20	**16.07**	16.07	पावरग्रिड
109	स्कूल के लिए मिड–डे–मिल भवन का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	गांधीनगर	गुजरात	8.55	**1.93**	6.18	पावरग्रिड
110	आर.सी.सी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	गांधीनगर	गुजरात	51.28	**32.86**	32.86	पावरग्रिड
111	गांवों के लिए 10 पहिए वाले ट्रैक्टर पुल–एवल 4 केएल क्षमता के वाटर टैंक की आपूर्ति	पेय जल	स्थानीय	खण्डवा	मध्य प्रदेश	14.74	**14.74**	14.74	पावरग्रिड
112	प्राथमिक स्कूल के भवन की चाहरदीवारी का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	दमोह	गुजरात	13.54	**0.80**	13.54	पावरग्रिड
113	क्रिमेटोरियम (शमशान) का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	एनकालस	गुजरात	4.53	**4.21**	4.21	पावरग्रिड
114	चल डेंटल वैन की आपूर्ति	स्वास्थ्य	स्थानीय	दमन एण्ड द्विप	दादर नागर हवेली (यूटी)	21.89	**21.89**	21.89	पावरग्रिड
115	स्कूल के लिए कहा (तालाब) का नवीनीकरण, चाहरदीवारी और पहुंच सड़कों का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	झारसुगुडा	ओडिशा	11.00	**11.00**	11.00	ओडिशा सरकार
116	सब–डिवीजनल अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना	स्वास्थ्य	स्थानीय	जेयपोरे	ओडिशा	12.65	**3.28**	3.28	पावरग्रिड
117	कॉमन पीड के लिए लिए पथारी (सीढ़ियों) का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	सुंदेरगढ़	ओडिशा	4.27	**1.43**	1.43	पावरग्रिड
118	सुदाम चरण डिग्री कॉलेज की चाहरदीवारी का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	बोलनगीर	ओडिशा	9.17	**2.01**	2.01	पावरग्रिड
119	वाटर सप्लाई सिस्टम का निर्माण	पेय जल	स्थानीय	रंगाली	ओडिशा	1.63	**1.43**	1.43	पावरग्रिड
120	4 स्कूलों में 2–2 क्लासरूमों का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	बी. चारीअली	असम	40.00	**2.13**	11.36	पावरग्रिड
121	3 रेस्टिंग शैडो का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	सोनीतपुर	असम	7.50	**0.19**	5.60	पावरग्रिड
122	क्रीमिटोरियम की चाहरदीवारी और कमरे का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	बी. चारीअली	असम	10.00	**3.00**	9.50	पावरग्रिड

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
123	गांव हॉट का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	बी. चारीअली	असम	10.00	**6.03**	9.04	नीटको
124	सरकारी अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना	स्वास्थ्य	स्थानीय	अलीपुरद्वार	वेस्ट बंगाल	29.50	**15.49**	27.99	पावरग्रिड
125	2 बहुप्रयोजनीय कमरों का निर्माण	ग्रामीण विकास	स्थानीय	बी. चारीअली	असम	13.45	**0.39**	13.16	पावरग्रिड
126	"शोषित बच्चों के लिए टेलरिंग में 5 महीने के प्रमाण पत्र कार्यक्रम चलाना"	कौशल विकास	स्थानीय	गुड़गांव	हरियाणा	4.28	**2.36**	2.36	पावरग्रिड
127	ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना–छात्रों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग	139.65	**48.77**	48.77	पावरग्रिड
128	तौरू में स्मारक का पुनरुद्धार	राष्ट्रीय विरासत	स्थानीय	नूंह–मेवात	हरियाणा	21.17	**3.70**	21.17	इन्टैक
129	एक एकीकृत नदी संरक्षण मिशन– "नमामि गंगे" में भाग लेना	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	विभिन्न जिले	नदी प्रवाह से जुड़े विभिन्न जिले	200.00	**200.00**	200.00	भारत सरकार
130	1315 बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	असम और मणिपुर	असम और मणिपुर	166.50	**166.50**	166.50	एन एफ सी एच
131	33 स्थापना–स्थलों में 5000 युवकों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास	स्थानीय	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग	653.00	**56.84**	56.84	एन एस डी सी
132	सशस्त्र बलों के सिपाहियों और युद्ध में हुई विधवाओं के 4166 बच्चों को शिक्षा देने हेतु छात्रवृत्ति	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग	499.92	**499.92**	499.92	केन्द्रीय सैनिक बोर्ड
133	समुदाय विकास पहल	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	लखनऊ	यू.पी.	18.21	**1.08**	16.91	समर्पण ट्रस्ट
134	जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर एम्स में धर्मशाला का निर्माण	स्वास्थ्य	स्थानीय	दिल्ली	दिल्ली	2,900.00	**1,714.66**	2,000.00	एम्स
135	विकलांग लोगों के लिए सहायक यंत्र और उपकरण का वितरण	स्वास्थ्य	स्थानीय	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग	198.00	**165.83**	185.63	एलिम्को

क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	सेक्टर जिसके दायरे में परियोजना आती है	स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य	राशि परिव्यय (लाख रु. में)	वर्ष 2015–16 के दौरान परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
136	पारेषण लाइन टावर की स्थापना के बारे में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल विकास	स्थानीय	वर्धमान, जलपेयगुड़ी, मालदा, नागोन, कोकराजहर, इंफाल, जोरहट, नागपुर और कांचीपुरम	वेस्ट बंगाल, असम, मणीपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु	576.37	**146.03**	240.71	पावरग्रिड
137	30 स्थापना स्थलों पर स्वास्थ्य कैम्प	स्वास्थ्य	स्थानीय	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग	86.00	**58.86**	66.45	एचएलएल लाइफकेयर लि0
138	देश भर के विभिन्न स्थलों पर शौचालय ब्लाकों का निर्माण	शिक्षा का संवर्धन	स्थानीय	देश के विभिन्न भाग	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छतीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिसा, उत्तर प्रदेश	10,800.00	**5,228.57**	5,246.17	एचपीएल / इरकॉनआईएसएल / जीबीटी
139	सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 10,000 सोलर लालटेनों का वितरण	पर्यावरण पोषणीयता	स्थानीय	विभिन्न जिले	बिहार, झारखण्ड और ओडिसा	195.8	**154.86**	174.44	टेरी
140	स्वच्छ भारत अभियान	स्वास्थ्य	स्थानीय	देश के विभिन्न भाग	देश के विभिन्न भाग	10.36	**7.20**	7.20	पावरग्रिड
141	सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 55 एम्बुलेंसों की आपूर्ति	स्वास्थ्य	स्थानीय	देश के विभिन्न भाग	असम, बिहार, छतीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल	452.72	**345.71**	345.71	पावरग्रिड
142	ओवरहैड्स (क्षमता निर्माण, प्रशासन आदि)	ओवरहैड्स					**181.05**	181.05	पावरग्रिड
कुल							**11,578.24**		

* * *

भारत का विद्युत मानचित्र

पावरग्रिड लाइनें

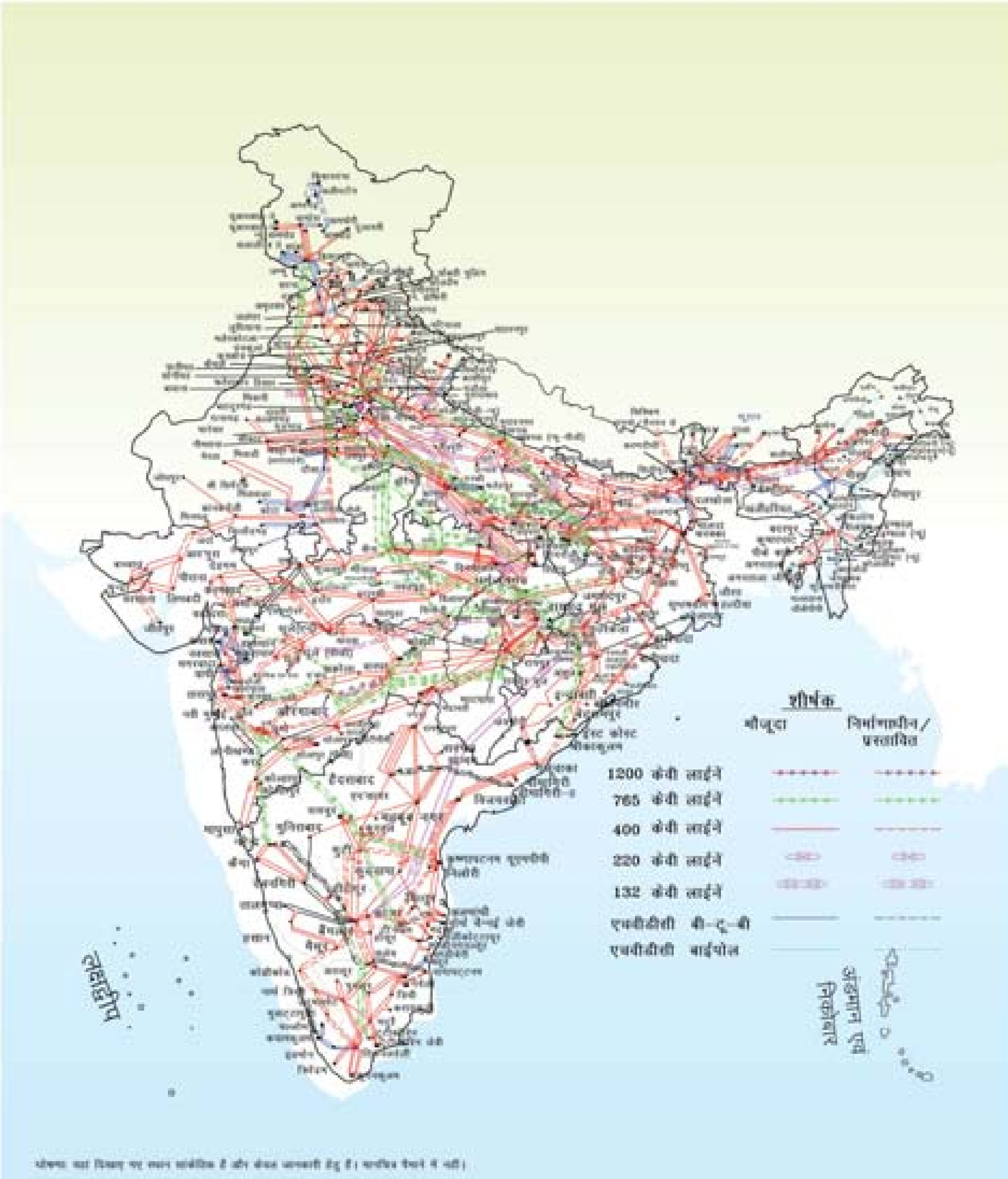

पावरग्रिड

टेलीकॉम बैकबोन नेटवर्क

लेखा

दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

(रु. करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी एवं देयताएं				
शेयर धारकों की निधियां				
(क) शेयर पूंजी	2.1	5231.59		5231.59
(ख) प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष	2.2	37502.38		32935.00
			42733.97	38166.59
आस्थगित राजस्व	2.3		**5723.85**	4762.91
गैर–वर्तमान देयताएं				
(क) दीर्घ अवधि उधारियां	2.4	100239.75		89375.84
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2.5	2489.37		2472.15
(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	2.6	1337.96		1078.64
(घ) दीर्घ अवधि प्रावधान	2.7	650.45		580.23
			104717.53	93506.86
वर्तमान देयताएं				
(क) अल्प अवधि उधारी	2.8	2000.00		1200.00
(ख) ट्रेड देय	2.9	313.89		392.97
(ग) अन्य चालू देयताएं	2.10	21391.30		19059.60
(घ) अल्प अवधि प्रावधान	2.11	1548.38		1211.95
			25253.57	21864.52
कुल			**178428.92**	158300.88
II. परिसम्पत्तियां				
गैर चालू परिसम्पत्तियां				
(क) अचल सम्पत्तियां				
(i) मूर्त परिसम्पत्तियां	2.12	114207.36		88902.51
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियां	2.13	950.54		783.70
(iii) चल रहा पूंजी कार्य	2.14	33778.58		39670.90
(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	2.15	172.11		211.29
			149108.59	129568.40
(ख) निर्माण स्टोर	2.16		**9859.27**	13041.96
(ग) गैर–वर्तमान निवेश	2.17	771.28		740.99
(घ) आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ संपत्ति		3831.75		2803.82
(ड) विनियामक परिसंपत्तियां		37.67		37.72
(च) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	2.18	4838.56		4177.89
			9479.26	7760.42
वर्तमान परिसम्पत्तियां				
(क) वर्तमान निवेश	2.19	35.64		185.43
(ख) माल सूचियां	2.20	823.68		717.75
(ग) व्यापार से प्राप्य	2.21	2737.97		2118.65
(घ) नकद और बैंक शेष	2.22	2453.72		2062.98
(ड) अल्प अवधि ऋण और अग्रिम	2.23	794.00		566.42
(च) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	2.24	3136.79		2278.87
			9981.80	7930.10
कुल			**178428.92**	158300.88
लेखाकरण नीतियां	1			
लेखों पर टिप्पणियां	2			

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए उनकी ओर से

हस्ता./–
(दिव्या टंडन)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(आर.टी. अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

हस्ता./–
(आई.एस.झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के.मित्तल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135एन
हस्ता./–
(सी.ए. एम.के.जुनेजा)
साझेदार
सदस्यता सं. : 013117

कृते आर.जी.एन. प्राईज एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002785एस
हस्ता./–
(सी.ए. आर. रंगराजन)
साझेदार
सदस्यता सं. : 041883

कृते कोठारी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 301178ई
हस्ता./–
(सी.ए. मानसी कोठारी)
साझेदार
सदस्यता सं. : 064601

कृते पारेख एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001475सी
हस्ता./–
(सी.ए. इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. : 410433

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
I. प्रचालनों से राजस्व	2.25			**20802.22**	17177.23
II. अन्य आय	2.26			**478.96**	602.81
III. कुल राजस्व (I + II)				**21281.18**	17780.04
IV. व्यय :					
कर्मचारी लाभ व्यय	2.27			**980.54**	1023.65
वित्त लाभ	2.28			**5022.97**	3979.32
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2.29			**6182.76**	5085.41
पारेषण, प्रशासन और अन्य खर्चे	2.30			**1540.87**	1355.16
पूर्व अवधि मदें (निवल)	2.31			**(64.74)**	47.12
कुल खर्च				**13662.40**	11490.66
V. कर से पूर्व लाभ और दर विनियमित कार्य कलाप (III-IV)				**7618.78**	6289.38
VI. जोड़े : विनियामक आय/(व्यय)				**(0.05)**	-
VII. कर से पूर्व लाभ (V+VI)				**7618.73**	6289.38
VIII. कर व्यय :					
(1) वर्तमान कर – वर्तमान वर्ष		1574.81			1281.25
– पूर्ववर्ती वर्ष		(0.02)			(0.26)
			1574.79		1280.99
(2) आस्थगित कर –		1827.26			824.25
घटाएं – आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति	2.5	1810.04			795.03
			17.22		29.22
				1592.01	1310.21
IX. वर्ष हेतु लाभ (VII-VIII)				**6026.72**	4979.17
X. प्रति इक्विटी शेयर आय (रु. 10/– प्रत्येक सम मूल्य) :	2.46				
मूल और तनुकृत (रु.)				**11.52**	9.52
लेखाकरण नीतियां	1				
लेखाओं पर टिप्पणियां	2				

ऊपर उल्लिखित टिप्पणियां लाभ और हानि के विवरण का अभिन्न अंग हैं।
उपरोक्त अवधियों में कोई अपवादात्मक अथवा असाधारण मदें नहीं है।

निदेशक मंडल के लिए उनकी ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(दिव्या टंडण)	(आर.टी. अग्रवाल)	(आई.एस.झा)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के.मित्तल एण्ड कंपनी	कृते आर.जी.एन. प्राईज एण्ड कंपनी	कृते कोठारी एण्ड कंपनी	कृते पारेख एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135एन	फर्म पंजीकरण सं. 002785एस	फर्म पंजीकरण सं. 301178ई	फर्म पंजीकरण सं. 001475सी
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
(सी.ए. एम.के.जुनेजा)	(सी.ए. आर. रंगराजन)	(सी.ए. मानस्वी कोठारी)	(सी.ए. इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. : 013117	सदस्यता सं. : 041883	सदस्यता सं. : 064601	सदस्यता सं. : 410433

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2016

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
क. चालू कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		**7618.73**	6289.38
घटाएं : दर विनियमित आय/(व्यय)		**(0.05)**	-
		7618.78	6289.38
निम्न हेतु समायोजन :			
मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित)	6122.69		5085.41
सहायता अनुदानों से अंतरण	(21.96)		(21.95)
अनुदान की प्राप्ति	58.00		-
आस्थगित राजस्व–मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	(143.00)		(79.50)
प्रावधान	7.50		43.95
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरण	(5.29)		(20.21)
अचल परिसंपत्तियों के निपटान/ बट्टे खाते में डालने पर निवल हानि	(1.10)		(1.64)
ब्याज एवं वित्त प्रभार	5022.97		3979.32
वापसी प्रावधान	(3.90)		(5.50)
एफ ई आर वी हानि/(लाभ)	4.56		-
जमा पर अर्जित ब्याज और राज्य सरकारों को बांड और ऋण	(74.55)		(260.28)
प्राप्त लाभांश	(84.77)		(97.77)
		10881.15	8621.83
चालू पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनकारी लाभ		**18499.93**	14911.21
निम्न हेतु समायोजन :			
सम्पत्ति सूचियों में (वृद्धि/कमी)	(105.93)		(25.24)
प्राप्य ट्रेड में (वृद्धि/कमी)	(621.61)		(560.27)
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि/कमी)	(279.93)		(84.50)
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि/कमी)	(866.29)		(619.50)
देयताओं और प्रावधानों में (वृद्धि/कमी)	703.60		2392.87
आस्थगित विदेशी मुद्रा में (वृद्धि/कमी) (निवल)			
परिसंपत्ति/देयता (निवल) में घट–बढ़	236.93		153.68
दर विनियमित परिसंपत्तियों में (वृद्धि/कमी)	(0.00)		-
		(933.23)	1257.04
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी		**17566.70**	16168.25
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		**(1415.59)**	(1126.48)
प्रचालनकारी कार्यकलापों से निवल नकद		**16151.11**	15041.77
ख. निवेशकारी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
अचल परिसंपत्तियां (निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय सहित)	(443.96)		(1153.45)
चालू पूंजी कार्य	(23573.75)		(28156.76)
निर्माण भंडार और पूंजीव्यय के लिए अग्रिम	3529.93		5067.73
निवेशों में (वृद्धि/कमी)	119.50		72.26
प्रतिभूतिकरण योजना के तहत दीर्घ अवधि ऋणों में (वृद्धि/कमी)	15.43		23.14
सहायक कम्पनियों को ऋण एवं अग्रिम	(930.02)		(229.70)
प्राप्य पट्टे	(32.43)		97.93
बान्डों पर अर्जित ब्याज और राज्य सरकारों को ऋण	82.92		337.63
प्राप्त लाभांश	84.77		97.77
निवेशकारी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(21147.61)**	(23843.45)

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(ग) वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह			
वर्ष के दौरान लिए गए ऋण	17199.23		17756.54
वर्ष के दौरान चुकता किए गए ऋण	(5772.15)		(6398.68)
प्रदत्त ब्याज एवं वित्त प्रभार	(4714.84)		(3678.70)
प्रदत्त लाभांश	(1103.87)		(1046.32)
प्रदत्त लाभांश कर	(221.13)		(185.70)
वित्तीय कार्यकलापों से निवल नकदी		**5387.24**	6447.14
(घ) नकदी एवं नकदी सदृशों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		**390.74**	(2354.54)
(ड.) नकदी एवं नकदी सदृश (आदि शेष)		**2062.98**	4417.52
(च) नकदी एवं नकदी सदृश (अन्त शेष)		**2453.72**	2062.98

टिप्पणियां :

नकदी एवं सदृश राशियों में हस्तगत नकदी एवं बैंकों में शेष शामिल है। नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी एवं नकदी सदृश राशियों में टिप्पणी 2.22 के अनुसार निम्नलिखित तुलन पत्र राशियां शामिल हैं ।

नकदी एवं नकदी सदृश राशियाँ	**1,540.64**	2,052.59
अन्य बैंक शेष (*)	**913.08**	10.39
	2,453.72	2,062.98
(*) अन्य बैंक शेष के ब्यौरे		
1. बैंक के पास निर्धारित शेष#	**10.29**	10.39
2. 3 महीने से अधिक परिपक्वता वाली सावधिक जमा राशि	**902.79**	-
	913.08	10.39

#बैंक के पास नियत शेष में भुगतान न किया गया लाभांश और एफपीओ प्राप्तियों का रिफण्ड शामिल है।

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं भी आवश्यक हो पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए उनकी ओर से

हस्ता./–
(दिव्या टंडण)
कंपनी सचिव

हस्ता./–
(आर.टी. अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

हस्ता./–
(आई.एस.झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समतारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के.मित्तल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135एन

हस्ता./–
(सी.ए. एम.के.जुनेजा)
साझेदार
सदस्यता सं. : 013117

कृते आर.जी.एन. प्राईज एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002785एस

हस्ता./–
(सी.ए. आर. रंगराजन)
साझेदार
सदस्यता सं. : 041883

कृते कोठारी एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 301178ई

हस्ता./–
(सी.ए. मानस्वी कोठारी)
साझेदार
सदस्यता सं. : 064601

कृते पारेख एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001475सी

हस्ता./–
(सी.ए. इन्द्रपाल सिंह)
साझेदार
सदस्यता सं. : 410433

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

टिप्पणी 1 – वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लेखाकरण नीतियां

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा सामान्य स्वीकार्य सिद्धांतो के अनुरूप और भारत मे कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक अधिसूचित) कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत उपबंधो (जिस सीमा तक लागू) जिससे उसके तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक शामिल है, लागू लेखाकरण मानको के अंतर्गत प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते है।

1.2 अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने मे अनुमानो एवं पूर्वानुमानो की अपेक्षा होती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसम्पत्तियो, देयताओं, राजस्व और खर्चों की उल्लिखित राशि को प्रभावित करते है। यद्यपि ऐसे अनुमान एवं पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान मे रखते हुए उचित एवं तर्कसंगत आधार पर तैयार किए जाते है, वास्तविक परिणाम इन अनुमानो एवं पूर्वानुमानो से भिन्न हो सकते है और ऐसे अन्तरों की उस अवधि मे पहचान की जाती है जिस अवधि में परिणामों को निश्चित रूप दिया जाता है।

1.3 प्रारक्षित निधि और अधिशेष

वर्ष के अंत में स्व–बीमा प्रारक्षित अचल परिसंपत्तियो के सकल ब्लॉक पर (मेगा बीमा नीति के अंतर्गत आने वाली सम्पत्तियों को छोड़कर) 0.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष सृजित किया जाता है जैसा कि भावी हानि के लिए वर्तमान वर्ष के लाभ के विनियोजन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर है, जो अबीमित जोखिमों के रूप मे उत्पन्न हो सकता है। इसे 'प्रारक्षित एवं अधिशेष के अंतर्गत' स्व–बीमा आरक्षित और अधिशेष के रूप में दिखाया जाता है।

1.4 सहायता – अनुदान

1.4.1 परियोजनाओं, पारेषण प्रणालियों को बेहतर बनाने और विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए पूंजी व्यय हेतु केंद्र सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त सहायता–अनुदान के उपयोग होने तक उसे सहायता–अनुदान के रूप में दिखाया गया है।

1.4.2 संबंधित परिसंपत्तियों के पूंजीकरण पर विशिष्ट मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप मे माना गया है और उपयोगी जीवन की अवधि मे और उस अनुपात मे जिस पर ये परिसंपत्तियां उपलब्ध कराई गई है, लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दी गई है।

1.5 दर विनियमित परिसंपत्तियां और देयताएं

भविष्य मे लाभग्राहियों द्वारा/को प्रतिपूर्ति/पारित किए जाने वाले सीईआरसी विनियमों के अधीन स्वीकृत कुछ व्यय और आय को लेखाकरण मानकों के प्रावधानों तथा कार्यों के अनुसार लाभ और हानि विवरण मे लेखाबद्ध करना होगा। सीईआरसी विनियमनों के तहत अनुमत/देय सीमा तक ऐसे व्यय और हानि को विनियमित परिसंपत्तियों और देयताओं के रूप में माना जाता है।

1.6 विभाजित रिपोर्टिंग

विभाजित रिपोर्टिंग के लिए अपनायी गई नीतियां कंपनी के लेखाकरण नीतियों के अनुरूप है। विभाजित राजस्व, विभाजित व्यय, विभाजित परिसम्पत्ति और देयताओं, की सैगमेंट के प्रचालन कार्यकलापों के लिए उनके संबंध के आधार पर पहचान की जाती है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देयताओं को, जो पूर्णत: कंपनी से संबंधित है और उचित आधार पर सैगमेंट के लिए आवंटनीय नहीं है, अनावंटित राजस्व/व्यय/परिसंपत्तियों/देयताओं के तहत शामिल किया जाता है।

1.7 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण प्रासंगिक लेखाकरण मानकों मे नियत अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.8 अचल परिसंपत्तियां

1.8.1 अचल परिसंपत्तिया ऐतिहासिक लागत पर दिखाई गई है जिसमे खरीद मूल्य और परिसंपत्तियों को कार्य की स्थिति मे लाने के लिए लगने वाली लागत शामिल है।

1.8.2 चालू परिसंपत्तियों, निक्षेप कार्य/लागत सहित संविदाएं, जिनमे संविदाकारों के अंतिम बिल का भुगतान होना बाकी है, के मामले मे अंतिम निपटान वर्ष मे आवश्यक समायोजन के अधीन पूंजीकरण अंतिम आधार पर किया गया है।

1.8.3 एक से अधिक पारेषण प्रणाली के लिए साझा परिसंपत्तियों एवं प्रणालियां तकनीकी अनुमानो/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की गई है।

1.8.4 पारेषण प्रणाली परिसंपत्तियां परीक्षण चार्जिंग/प्रणालियों/परिसंपत्तियो सफलतापूर्वक चालू करने के बाद और जहाँ कहीं तकनीकी रूप से आवश्यक स्थिरीकरण अवधि के पूरा होने पर अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार मानी गई है।

1.8.5 भूमि की लागत मे अंतिम जमा, प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान/देयताएं, पुनर्वास और अन्य व्यय, जहां कहीं भूमि का कब्जा लिया गया हो, शामिल है।

1.8.6 भूमि को समतल करने, क्लियर करने और ग्रेडिंग पर हुए खर्च को संबंधित भवन के लागत के भाग के रूप मे पूंजीकृत किया जाता है।

1.8.7 अतिरिक्त पुर्जों का बीमा, जो केवल अचल परिसंपत्तियों के मद के संबंध मे प्रयुक्त हो सकता है और जिसका उपयोग अनियमित अंतराल पर होता है, और सब–स्टेशन उपस्कर/पूंजीगत फालतू पुर्जे अर्थात एचजी/सेवा/रोटेशनल उपस्कर और यूनिट सज्जीकरण के स्वरूप मे अनिवार्य पुर्जों को उसे संबंधित संयंत्र एवं मशीनरी के शेष उपयोगी अवधि मे पूंजीकृत एवं मूल्यह्रासित किया गया है। यदि खरीद और खपत वर्ष एक ही हो, तो अतिरिक्त पुर्जों की बीमा राशि राजस्व हेतु प्रभारित होती है।

1.9 चल रहा पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

1.9.1 खपत की गई सामग्री की लागत, परियोजनाओं के लिए किए गए अन्य संबद्ध व्यय के साथ उस पर उत्थापन प्रभारों को पूंजीकरण की तारीख तक चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में दिखाया जाता है।

1.9.2 सब स्टेशन (एचवीडीसी सहित) के निर्माण के लिए सामग्री की लागत उत्थापन कार्य की प्रगति के दौरान चल रहे पूंजी कार्य को हस्तांतरित किया जा रहा है।

1.9.3 निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा परियोजनाओं का व्यय, जिसे अचल परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाना है, की पहचान और आबंटन सुव्यवस्थित आधार पर संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से किया जाता है।

1.9.4 उपर्युक्त नीति संख्या 1.9.3 के अनुसार निर्माण के दौरान और निर्माण को आबंटित व्यय (निवल) (परियोजनाओं को उनके पूंजीगत व्यय को यथानुपात आधार पर आबंटित) का ब्याज विशिष्ट परिसंपत्ति अथवा पूंजीकृत किए जा रहे परिसंपत्ति के भाग के इतिशेष पर चालू पूंजीगत कार्य को विभाजित किया जाता है। ऐसे पूंजीकरण के बाद बचा शेष, अगर कोई हो, को चालू पूंजीगत कार्य की अनुसूची के अधीन पृथक मद के रूप में रखा जाता है।

1.9.5 निक्षेप कार्य/लागत सहित संविदाओं को, संविदाकारों या पूरे हुए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन से प्राप्त विवरण के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.9.6 संविदाओं के मामले में हिसाब मूल्य भिन्नता/विनिमय दर भिन्नता के लिए निपटाई नहीं गई देयता पर संविदा की शर्तों के अनुसार अनुमानित आधार पर लिया गया है।

1.10 अमूर्त आस्ति

1.10.1 आंतरिक प्रयोग के लिए अधिग्रहित और महत्वपूर्ण भावी आर्थिक लाभों के परिणामी सॉफ्टवेयर (जो संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) की लागत को उसके प्रयोग हेतु तैयार होने पर लेखा बहियों में अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.10.2 पारेषण लाइनें बिछाने के मार्गाधिकार के अधिग्रहण के लिए अदा किए गए वनरोपण प्रभार का अमूर्त आस्ति के रूप में हिसाब लिया जाता है और उसे केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमन द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का पालन करते हुए 35 वर्ष की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

1.10.3 किया गया व्यय जो शीर्ष अमूर्त आस्तियों के तहत पंजीकरण हेतु पात्र है को विकासधीन अमूर्त आस्ति के रूप में लिया जाता है, जहां ऐसी आस्ति अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार नहीं है।

1.10.4 नई प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए किया गया व्यय इसके पूरा होने तक "विकासाधीन अमूर्त आस्ति" के तहत रखा जाता है। विकास अवस्था के संतोषजनक रूप से पूरा होने के पश्चात व्यय को नई आस्तियों को परियोजना लागत में शामिल किए जाने के लिए "अमूर्त आस्ति" का नाम दिया जाता है।

1.11 निर्माण भण्डार

निर्माण भण्डारों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

1.12 उधार लागत

1.12.1 ऋण ली गई सभी निधियों (कार्यशील पूंजी के लिए अल्पावधिक निधियों को छोड़कर) को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है। ऋण लागत (बांड निर्गम व्यय, ब्याज, बांडों पर बट्टा, फ्रंट एंड शुल्क, प्रबंधन शुल्क आदि सहित) को इस तरह निर्धारित निधि के अनुपात में परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है।

1.12.2 निर्माणाधीन परियोजना या प्रचालनरत परियोजना के आधार पर इस तरह आबंटित उधार लागतों को पूंजीकृत या राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

1.13 विदेशी मुद्रा में लेन–देन

1.13.1 विदेशी मुद्राओं में लेन–देन प्रारंभिक रूप से लेन–देन की तारीख को अभिभावी विनियम दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें तुलनपत्र की तारीख को मौजूद विनियम दरों के संदर्भ में परिवर्तित होती है। विदेशी मुद्रा में अभिनामित गैर–मौद्रिक मदें संव्यवहार की तारीख को चालू विनिमय दर पर सूचित की जाती है।

1.13.2 अचल आस्तियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्य से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटान/स्थानांतरण पर होने वाले विदेशी विनिमय दर परिवर्तन (एफईआरवी) को संबंधित आस्तियों की वहन लागत के लिए समायोजित किया जाता है।

1.13.3 नीति सं 1.13.2 के अनुसार हिसाब में लिया गया एफईआरवी के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) मानदंडों के अनुसार 1 अप्रैल, 2004 से या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (टीओसीडी) से जो भी बाद में हो, वास्तविक भुगतान के आधार पर लाभार्थियों से वसूलनीय/भुगतान देय होता है।

उपर्युक्त एफईआरवी जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मानदंडों के अनुसार वसूली योग्य या देय है, को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है:

क) वसूली योग्य/देय एफईआरवी को अचल परिसंपत्तियों की वहन लागत में समायोजित किया गया है जिसे 'विदेशी मुद्रा घट–बढ़ लेखे से आस्थगित आय/व्यय' में तदनुरूपी जमा/नामे के साथ 'आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते में' समायोजित किया जाता है।

ख) 'विदेशी मुद्रा घट–बढ़ लेखे से आस्थगित आय/व्यय' उसी अनुपात में परिशोधित किया गया है जिसने ऐसे एफईआरवी पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

ग)केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मानदंडों के अनुसार वसूली योग्य/देय राशि को तदनुरूपी जमा/नामे के साथ 'आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता लेखे' में वर्षानुवर्ष आधार पर समायोजित किया जाता है।

1.13.4 टैरिफ के प्रयोजनार्थ पूंजी लागत में शामिल किए गए लाभ एवं हानि खाते के विवरण पर पहले प्रभारित एफईआरवी को निम्नलिखित ढंग से 'आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ सम्पत्ति/देयता खाते' के रूप में समायोजित किया जाता है :

i.) पारेषण प्रभारों के मूल्यह्रास संघटक (जो एफईआरवी का 90 प्रतिशत है), आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ सम्पत्ति/देयता खाते के लिए समायोजित किया जाता है।

ii.) आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसम्पत्ति/देयता खाते की शेष 10 प्रतिशत को संबंधित ऋणों की अवधि की तुलना में पारेषण प्रभारों के प्रति समायोजित किया जाता है।

1.13.5 अचल सम्पत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों (विदेशी मुद्रण ऋण से भिन्न) के निपटान/स्थानांतरण से उद्भूत एफईआरवी को संबंधित सम्पत्तियों की वाहक लागत में समायोजित किया जाता है।

1.13.6 सीईआरसी टैरिफ विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों से वसूलनीय/देय सीमा में विदेशी मुद्रा (दीर्घ अवधि से भिन्न) में अभिनामित मौद्रिक मदों के निपटान/स्थानांतरण से निर्माण अवधि के दौरान उद्भूत एफईआरवी को 'आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ सम्पत्ति/देयता खाते' के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऐसी राशि पर ट्रांसमिशन प्रभारों को उपर्युक्त खाते के प्रति समायोजित किया जाता है।

1.13.7 अन्य विनिमय अन्तरों की उस अवधि में, जिस अवधि में वे उद्भूत होते हैं, आय अथवा व्यय के रूप में पहचान की जाती है।

1.14 निवेश

1.14.1 चालू निवेश को निम्न लागत और पृथक निवेश आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

1.14.2 दीर्घावधिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में अस्थायी को छोड़कर कमी के लिए प्रावधान किया जाता है।

1.15 मालसूची

1.15.1 मालसूची निम्नतर स्तर पर लागत पर मूल्यांकित की जाती है जिसका निर्धारण भारित औसत आधार पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

1.15.2 इस्पात के स्क्रैप और कंडक्टर के स्क्रैप अनुमानित प्राप्ति मूल्य या बही मूल्य, जो भी कम हो पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

1.15.3 खपत–योग्य अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जे और पारेषण लाइन की मदें प्रणाली के चालू होने के बाद मालसूची के रूप में मानी जाती हैं।

1.15.4 प्रबंधन द्वारा यथा निर्धारित अधिशेष सामग्री अभिप्रेत प्रयोग के लिए धारित की जाती है और माल सूची में शामिल की जाती है।

1.15.5 अप्रचलित, अनुप्रयोज्य और अतिरिक्त सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य में कमी का पुनरीक्षण कर पता लगाया जाता है।

1.16 राजस्व को मान्यता

1.16.1 पारेषण आय का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेश के आधार पर लिया जाता है, जिन पारेषण परियोजनाओं के बारे में टैरिफ की दरें अभी अधिसूचित की जानी हैं, पारेषण आय का हिसाब टैरिफ मानदंडों के अनुसार और ऐसे समान मामलों के केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य संशोधनों के अनुसार लिया जाता है। ऐसे समान मामलों में कमियाँ/अधिकता, यदि कोई हो, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ की अंतिम अधिसूचना के आधार पर समायोजित की जाती है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद अतिरिक्त पूंजी व्यय के संबंध में पारेषण आय का हिसाब सीईआरसी के टैरिफ मानदण्डों के अनुसार वर्ष–दर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर लिया जाता है।

1.16.2 पारेषण प्रणाली प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन का हिसाब संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों के प्रमाणन की उपलब्धता और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मानदंडों के अनुसार लिया जाता है।

1.16.3.1 मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम (एएडी), जो ब्लॉक अवधि 2004–09 से संबंधित टैरिफ का भाग निर्मित करता है, को ऋण की वापसी–अदायगी सुविधाजनक बनाने के लिए पारेषण आय से घटा दिया जाता है और अगले वर्षों में पारेषण आय में शामिल किए जाने के लिए आस्थगित आय के रूप में माना जाता है।

1.16.3.2 जिस वित्त वर्ष में परिसंपत्ति चालू की गई थी उसके अंत से बारह वर्ष बाद एएडी के संबंध में बकाया आस्थगित आय पारेषण आय के रूप में मानी जाती है, जो वर्ष के दौरान टैरिफ में वसूल किए गए मूल्यह्रास की सीमा तक खातों में प्रभारित मूल्यह्रास की तुलना में कम होती है।

1.16.4 व्यापार प्राप्यों से वसूली किया जाने वाला अधिभार और निर्णीत हर्जाने/वारंटी दावे/ आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों पर ब्याज को तब माना जाता है जब मापनीयता और संग्रहणीयता की कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती।

1.16.5 दूरसंचार सेवाओं से आय का हिसाब ग्राहकों से करार की शर्तों/क्रय आदेशों के शर्तों के आधार पर लिया जाता है

1.16.6 एकमात्र परामर्शी संविदाओं से आय का हिसाब दी गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी आकलन पर लिया जाता है।

1.16.7 "लागत सहित परामर्शी संविदा", जिसका ग्राहक की ओर से निष्पादन किया जाना शामिल होता है, के संबंध में निम्नलिखित तरह से (जब भी शुरूआती अग्रिम प्राप्त किए जाते हैं) आय का हिसाब चरणबद्ध ढंग से लिया जाता है :

क. निष्पादन के लिए निविदा आमंत्रण के लिए नोटिस जारी करने पर 10 प्रतिशत

ख. निष्पादन के लिए संविदाएं देने पर 5 प्रतिशत

ग. आपूर्ति सहित कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर शेष 85 प्रतिशत

1.16.8 खरीददार को स्वामित्व के उल्लेखनीय जोखिम और पुरस्कार के अंतरण पर माल की बिक्री से आय माना जाता है।

1.16.9 दीर्घ अवधि खुली पहुंच (एलटीओए) प्रभारों के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क का हिसाब जब भी प्राप्त होता है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार लिया जाता है।

1.16.10 इस्पात के स्क्रैप और कंडक्टर के स्क्रैप को छोड़कर अन्य तरह के स्क्रैप के हिसाब से बेचे जाने पर लिया जाता है।

1.16.11 लाभांश आय तभी मानी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

1.17 पट्टे की परिसंपत्तियां

1.17.1 राज्य क्षेत्र एकीकृत भार प्रेषण केंद्र (यूएलडीसी) से लाभग्राहियों को पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को वित्त पट्टा के रूप में माना जाता है। ऐसे पट्टे की परिसंपत्तियों में निवल निवेश अगले वर्षों में वृद्धि के साथ दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत पट्टे की प्राप्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। जहां भी राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के निर्माण के लिए सहायता –अनुदान मिलता है तो प्राप्तव्य पट्टे का हिसाब ऐसे अनुदान को घटाकर लिया जाता है।

1.17.2 पट्टा परिसंपत्तियों पर वित्त आय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अधिसूचित किए जाने वाले टैरिफ के अनुसार निवल निवेश पर स्थिर आवधिक अभिलाभ दर प्रतिबिंबित करने वाले पैटर्न के आधार पर मानी जाती है।

1.17.3 पट्टे की परिसंपत्तियों से संबधित विदेशी मुद्रा ऋण पर एफईआरवी प्राप्तव्य पट्टे की राशि में समायोजित होता है और पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित होता है। संघटकों से एफईआरवी की वसूली (केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मानदंडों के अनुसार) ऐसी परिशोधित राशि को घटाकर मानी जाती है।

1.18 मूल्यह्रास/परिशोधन

1.18.1 पारेषण व्यापार से जुड़ी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित मानदंडों में विनिर्दिष्ट दरों पर टैरिफ की वसूली के लिए सीधी रेखा विधि से उपलब्ध कराया जाता है।

1.18.2 01 अप्रैल, 2014 से पूर्व प्रारंभ की गई यूएलडीसी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रति वर्ष 6.67 प्रतिशत की दर से सीधी रेखा विधि से किया जाता है। 01 अप्रैल, 2014 को उसके बाद आरंभ की गई ऐसी परिसंपत्तियां टैरिफ की वसूली के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित दरों और विधि के अनुरूप सीधी रेखा पद्धति से उपलब्ध करायी जाती है।

1.18.3 दूरसंचार और परामर्शी व्यापार की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा विधि से किया जाता है।

1.18.4 प्रबंधन द्वारा यथापरिकल्पित अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास दिया जाता है।

क) कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	3 वर्ष
ख) सर्वर और नेटवर्क उपकरण	3 वर्ष

उपर्युक्त परिसंपत्तियों के बारे में अवशिष्ट मूल्य "शून्य" माना जाता है ।

1.18.5 मूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में पूंजी में परिणत सॉफ्टवेयरों की लागत का शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित उपयोग करने के विधिक अधिकार की अवधि अथवा 5 वर्ष में, जो भी कम हो, चुकता किया जाता है।

1.18.6 मोबाइल फोन को खरीद के वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

1.18.7 वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास यथा अनुपात आधार पर उस तारीख से/तक प्रभारित किया जाता है जिस तारीख को परिसम्पत्ति उपयोग/निपटान के लिए उपलब्ध होती है।

1.18.8 जब मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्ति की लागत विनिमय दर घट–बढ़, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन अथवा समान कारकों के कारण दीर्घावधिक देयताओं में वृद्धि/कमी से परिवर्तित होती है तब ऐसी परिसंपत्तियों का अपरिशोधित शेष दूरसंचार, परिसंपत्तियों, जहां अवशिष्ट अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में यथानिर्दिष्ट मूल्यह्रास की दरों के आधार पर निर्धारित की जाती है, को छोड़कर, केंद्रीय विनियामक आयोग द्वारा यथा निर्दिष्ट मूल्यह्रास की दर के आधार पर निर्धारित अवशिष्ट अवधि में पूर्वानुमानिक रूप से मूल्यह्रासित किया जाता है।

1.18.9 अचल परिसंपत्तियों के विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत शामिल संयंत्र एवं मशीनरी, खुले तैयार एवं वैज्ञानिक उपकरणों की मदें जिनका मूल्य, 5,000 हजार रुपये या उससे कम है या जिनका अंकित मूल्य वर्ष के शुरू में 5,000 रुपये कम है, राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

1.18.10 वे परिसंपत्तियां जिनकी लागत 5,000 रुपये या कम है, को प्राप्त करने के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

1.18.11 निरंतर आधार पर अधिग्रहित को छोड़कर पट्टाधारित भूमि को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ विनियम में विनिर्दिष्ट दरों और विधि के अनुसार पट्टे की अवधि अथवा 25 वर्षों इनमें से जो भी कम हो, में मूल्यह्रासित किया जाता है।

1.18.12 नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ–ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको), नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) की परिसंपत्तियों के मामले में 1 अप्रैल, 1992; जम्मू और कश्मीर लाइन, 01 अप्रैल, 1993 से ही टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 01 अगस्त, 1993 से मूल्यह्रास आवश्यक समायोजनों के साथ स्थानांतरणकर्ता की बहियों में यथाविहित सकल ब्लॉक के आधार पर प्रभारित किया गया है ताकि परिसंपत्तियों की अवधि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अधिसूचना में यथानिर्धारित टैरिफ के लिए अनुरक्षित किया जा सके।

1.19 पूर्व अवधि मदें

100,000/– रुपए तक की मदों के पूर्व–दत्त/पूर्वावधि व्यय/आय का हिसाब लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्शाया जाता है।

1.20 परिसंपत्तियों की क्षति

"परिसंपत्तियों की क्षति" पर लेखाकरण मानक एएस–28 में यथा परिभाषित नकद सृजनकर्ता इकाइयों को इसकी वसूली योग्य राशि की तुलना में वहन राशि के संबंध में तुलनपत्र की तारीख को अभिज्ञात किया जाता है और बाधा से हानि, यदि कोई हो, को लाभ और हानि लेखे में माना जाता है। अगर बाद में बाधा से हानि को विलोमित: करना आवश्यक होता है तो उसे विलोमित: करना आवश्यक होता है तो उसे विलोमित करने के वर्ष में लेखाकृत किया जाता है।

1.21 कर्मचारी लाभ

1.21.1 परिभाषित पेंशन अंशदान स्कीम और भविष्य निधि स्कीम को वर्ष के दौरान अदा/देय कंपनी अंशदान को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। इसे अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि को अदा किया जाता है।

1.21.2 कर्मचारियों को उपदान के बारे में सेवानिवृत्ति के लिए देयता, जिसे वर्ष के अंत में वार्षिक मूल्यांकन पर वार्षिक आधार पर अभिनिश्चित किया जाता है, को अलग से उपलब्ध एवं वित्तपोषित किया जाता है।

1.21.3 अनुपस्थिति मुआवजे की देयताओं, अवकाश नकदीकरण, अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ एवं कर्मचारियों को निपटान भत्ता एवं विदाई उपहार वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन द्वारा प्रोद्भवन आधार पर वार्षिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

1.21.4 अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को लाभ और हानि विवरण में दी गई संबंधित सेवाओं के वर्ष में अबट्टाकृत राशि पर माना जाता है।

1.21.5 बीमांकन लाभों/हानियों की पहचान तुरन्त लाभ एवं हानि खाते के विवरण में की जाती है।

1.22 प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

जब कंपनी का पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है तो प्रावधान को मान्यता दी जाती है और यह संभव है कि दायित्वों के निपटान के लिए संसाधनों का खर्च आवश्यक होगा, जिसके संबंध में तकनीकी मूल्यांकन एवं पिछले अनुभव के आधार पर विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधान अपने वर्तमान मूल्य में कम नहीं किए जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित प्रबंधन के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उन दायित्वों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है जिनका भावी अनुमान युक्तिसंगत निश्चितताओं के साथ नहीं किया जा सकता। ऐसी देयताओं के लिए मान्यता नहीं दी गई है किंतु प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयता की अनुसूची में प्रकट की गई है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को समीक्षा की गई है और चालू प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

1.23 आय पर कर

आय कर में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होता है। वर्तमान आय करों को आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय कर प्राधिकारियों को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि पर लिया जाता है। आस्थगित कर, जो लेखाकरण एवं कराधेय लाभ के बीच समय अन्तराल के कारण है, कर दरों का प्रयोग करते हुए और तुलन पत्र की तारीख में पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर कानूनों द्वारा हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर संपत्तियां केवल इस सीमा में अभिज्ञात होती हैं कि इसमें उचित निश्चितता है कि पर्याप्त भावी कराधेय कर योग्य आय प्राप्त होगी जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है।

1.24 अन्य

1.24.1 पूंजीगत व्यय के अलावा अनुसंधान और विकास के व्यय को व्यय करने के वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

1.24.2 कंपनी के स्वामित्व में जो परिसंपत्तियां नहीं है, उन पर पूंजीगत व्यय, जब कभी किया जाता है, राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

टिप्पणी 2.1 शेयर पूंजी

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
इक्विटी शेयर पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी		
10/– रुपए समतुल्य प्रत्येक के 10000000000 (पूर्ववर्ती वर्ष 10000000000) इक्विटी शेयर	**10000.00**	10000.00
जारी अभिदत्त और प्रदत्त		
पूर्ण रूप से प्रदत्त 10/– रुपए समतुल्य प्रत्येक के 5,23,15,89,648 (पूर्ववर्ती वर्ष 5,23,15,89,648) इक्विटी शेयर	**5231.59**	5231.59
कुल	**5231.59**	5231.59

आगे टिप्पणी :

1) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में और अन्त में बकाया और शेयर पूंजी की संख्या और राशि का लेखा समाधान

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि (रु. करोड़ में)	शेयरों की सं.	राशि (रु. करोड़ में)
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	**5231589648**	**5231.59**	5231589648	5231.59
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस लाए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर	**5231589648**	**5231.59**	5231589648	5231.59

2) इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर यथा–घोषित लाभांशों को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में वोट करने के लिए हकदार हैं।

3) कंपनी की शेयर पूंजी में 5 प्रतिशत से अधिक धारण करने वाले शेयरधारक

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च, 2015 को	
	शेयरों की सं.	धारणा का प्रतिशत	शेयरों की सं.	धारणा का प्रतिशत
i) भारत सरकार	**3028835198**	**57.90**	3028835198	57.90
ii) यूरोपेसेफिक ग्रोथ फंड	-	-	296023422	5.66

टिप्पणी 2.2–प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	9578.29		9578.29
अन्त शेष		**9578.29**	9578.29
बॉण्ड विमोचन प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	5870.47		4886.61
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1719.88		1600.44
वर्ष के दौरान कटौतियां	697.93		616.58
अन्त शेष		**6892.42**	5870.47
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि			
विनियोजन के माध्यम से			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	348.18		268.40
वर्ष के दौरान परिवर्धन	102.43		79.78
वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-
अन्त शेष	450.61		348.18
लाभ के प्रभार के जरिए			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	39.00		59.21
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-
वर्ष के दौरान कटौतियां	5.29		20.21
अन्त शेष	33.71		39.00
		484.32	387.18

टिप्पणी 2.2–प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलाप प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	129.52		46.74
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6.01		82.78
वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-
अन्त शेष		**135.53**	129.52
सामान्य प्रारक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	16773.12		14373.17
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3500.00		2400.00
वर्ष के दौरान कटौतियां	-		0.05
अन्त शेष		**20273.12**	16773.12
		37363.68	32738.58
अधिशेष (लाभ एवं हानि के विवरण में शेष)			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	196.42		15.62
जमा : परिवर्धन			
लाभ एवं हानि के विवरण के अनुसार कर बाद लाभ	6026.72		4979.17
बॉण्ड विमोचन प्रारक्षित निधि से अन्तरण	697.93		616.58
समायोजित लाभांश कर	0.28		1.93
घटा : विनियोजन			
बॉण्ड विमोचन प्रारक्षित निधि	1719.88		1600.44
सीएसआर कार्यकलाप प्रारक्षित निधि	6.01		82.78
स्वःबीमा प्रारक्षित निधि	102.43		79.78
सामान्य प्रारक्षित निधि	3500.00		2400.00
भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	418.53		360.98
अंतरिम लाभांश पर कर	85.01		71.16
प्रस्तावित लाभांश	789.97		685.34
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर	160.82		136.40
अन्त शेष		**138.70**	196.42
कुल		**37502.38**	32935.00

टिप्पणी 2.3 – आस्थगित राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
क) मूल्यह्रास के लिए अग्रिम		**1795.57**	1938.57
ख) सहायता अनुदान			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	73.12		95.07
वर्ष के दौरान प्राप्त*	58.00		-
वर्ष के दौरान समायोजन	21.96		21.95
अन्त शेष		**109.16**	73.12
ग) विदेशी करेंसी घट–बढ़ से आस्थगित आय (निवल)		**3819.12**	2751.22
कुल		**5723.85**	4762.91

अतिरिक्त टिप्पणियां

*यूनिफाइड रीयल टाइम डायनामिक स्टेट माप की स्कीम के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान

टिप्पणी 2.4 / दीर्घ अवधि उधारियां

(रु. करोड़ में)

		विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
(क)		बॉण्ड		
(क1)		सुरक्षित (करयोग्य विमोच्य, गैर–संचयी, अपरिवर्तनीय)		
क 1.1	(1)	प्रत्येक 10 लाख रुपए के बॉण्ड		
		XXXIX निर्गम–29.03.2027 को सम मूल्य पर विमोच्य 9.40 प्रतिशत	1800.00	1800.00
		XXXVIII निर्गम –09.03.2027 को सम मूल्य पर विमोच्य 9.25 प्रतिशत	855.00	855.00
		XLII निर्गम–13.03.2023 को सम मूल्य पर विमोच्य 8.80 प्रतिशत	1990.00	1,990.00
	ii)	प्रत्येक 30 लाख के बॉण्ड जिसमें 10 लाख प्रत्येक के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 को 3 (तीन) बराबर वार्षिक किस्तों में सम मूल्य पर विमोच्य है।		
		LII निर्गम – 23.12.2020 से विमोच्य 8.32 प्रतिशत	1398.00	-
	iii)	प्रत्येक 30 लाख के बॉण्ड जिसमें 10 लाख प्रत्येक के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 09.03.2020, 09.03.2025 और 09.03.2030 को 3 (तीन) बराबर वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य है।		
		XLIX निर्गम – 09.03.2020 से विमोच्य 8.15 प्रतिशत	1305.00	1305.00
	iv)	प्रत्येक 1.20 करोड़ बाण्ड जिसमें 10 लाख प्रत्येक के 4 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 23.01.2020, 23.01.2022, 23.01.2025 और 23.01.2030 को प्रत्येक 4 (चार) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
		XLVIII निर्गम – 23.01.2020 से विमोच्य 8.20 प्रतिशत	2580.00	2580.00
	v)	प्रत्येक 1.20 करोड़ बाण्ड जिसमें 10 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो प्रत्येक 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
		LI निर्गम – 14.09.2019 से विमोच्य 8.40 प्रतिशत	3000.00	-
	vi)	प्रत्येक 30 लाख बाण्ड जिसमें 10 लाख प्रत्येक के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 04.09.2019, 04.09.2024 और 04.09.2029 को प्रत्येक 3 (तीन) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
		XLVI निर्गम – 04.09.2019 से विमोच्य 9.30 प्रतिशत	4362.00	4362.00
	vii)	प्रत्येक 1.20 करोड़ बाण्ड जिसमें 10 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
		L निर्गम – 27.05.2019 से विमोच्य 8.40 प्रतिशत	2928.00	-
	viii)	प्रत्येक 1.20 करोड़ बाण्ड जिसमें 10 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
		XLVII निर्गम – 20.10.2018 से विमोच्य 8.93 प्रतिशत	2640.00	2640.00
	ix)	प्रत्येक 10 लाख बॉण्ड जो 15.07.2018, 15.07.2023 और 15.07.2028 को प्रत्येक 3 (तीन) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
		XLIV निर्गम – 15.07.2018 से विमोच्य 8.70 प्रतिशत	3966.00	3,966.00
	x)	प्रत्येक 1.2 करोड़ बाण्ड जिसमें 10 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
		XLV निर्गम – 28.02.2018 से विमोच्य 9.65 प्रतिशत	1999.20	1,999.20
		XLIII निर्गम – 20.05.2017 से विमोच्य 7.93 प्रतिशत	3126.00	3,126.00
	xi)	प्रत्येक 1.5 करोड़ बॉण्ड जिसमें 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
		XLI निर्गम – 19.10.2016 से विमोच्य 8.85 प्रतिशत	2605.62	2,842.50

टिप्पणी 2.4 / दीर्घ अवधि उधारियां (जारी.)

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
xii)	प्रत्येक 1.50 करोड़ बाण्ड जिसमें 10.00 लाख प्रत्येक के 15 एसटीआरपीपी शामिल हैं 15 (पन्द्रह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
	XXXVI निर्गम – 29.08.2016 से विमोच्य 9.35 प्रतिशत	2884.00	3090.00
xiii)	प्रत्येक 1.5 करोड़ बॉण्ड जिसमें 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
	XL निर्गम – 28.06.2016 से विमोच्य 9.30 प्रतिशत	3664.37	3,997.50
	XXXVII निर्गम – 26.12.2015 से विमोच्य 9.25 प्रतिशत	1662.50	1828.75
	XXXV निर्गम – 31.05.2015 से विमोच्य 9.64 प्रतिशत	1631.25	1794.38
	XXXIV निर्गम – 21.10.2014 से विमोच्य 8.84 प्रतिशत	2615.62	2906.25
	XXXIII निर्गम – 08.07.2014 से विमोच्य 8.64 प्रतिशत	2160.00	2400.00
	XXXII निर्गम – 29.03.2014 से विमोच्य 8.84 प्रतिशत	690.00	776.25
	XXXI निर्गम – 25.02.2014 से विमोच्य 8.90 प्रतिशत	1365.00	1535.62
	XXX निर्गम – 29.09.2013 से विमोच्य 8.80 प्रतिशत	1555.00	1749.38
	XXIX निर्गम – 12.03.2013 से विमोच्य 9.20 प्रतिशत	756.88	865.00
	XXVIII निर्गम – 15.12.2012 से विमोच्य 9.33 प्रतिशत	1400.00	1600.00
	XXVII निर्गम – 31.03.2012 से विमोच्य 9.47 प्रतिशत	352.50	411.25
	XXVI निर्गम – 07.03.2012 से विमोच्य 9.30 प्रतिशत	499.50	582.75
	XXV निर्गम – 12.06.2011 से विमोच्य 10.10 प्रतिशत	532.50	621.25
	XXIV निर्गम – 26.03.2011 से विमोच्य 9.95 प्रतिशत	333.13	399.75
	XXIII निर्गम – 09.02.2011 से विमोच्य 9.25 प्रतिशत	128.12	153.75
	XXII निर्गम – 07.12.2010 से विमोच्य 8.68 प्रतिशत	287.50	345.00
	XXI निर्गम – 11.10.2010 से विमोच्य 8.73 प्रतिशत	212.50	255.00
	XX निर्गम – 07.09.2010 से विमोच्य 8.93 प्रतिशत	625.00	750.00
	XIX निर्गम – 24.07.2010 से विमोच्य 9.25 प्रतिशत	206.25	247.50
	XVIII निर्गम – 09.03.2010 से विमोच्य 8.15 प्रतिशत	333.00	416.25
xiv)	प्रत्येक 1.00 करोड़ बॉण्ड जिसमें 10.00 लाख प्रत्येक के 10 एसटीआरपीपी शामिल हैं 10 (दस) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
	XVII निर्गम – 22.09.2009 से विमोच्य 7.39 प्रतिशत	200.00	300.00
	XVI निर्गम – 18.02.2009 से विमोच्य 7.10 प्रतिशत	75.00	150.00
xv)	प्रत्येक 1.5 करोड़ बाण्ड जिसमें 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
	XV निर्गम – 23.02.2008 से विमोच्य 6.68 प्रतिशत	150.00	225.00
	जो गुजरात के जिला वलसाड मौजे अंमेटी, तालुका कपराडा स्थित अचल परिसम्पतियों पर पंजीकृत बॉण्ड न्यास विलेख रैंकिंग समरूप्य द्वारा रक्षित और कंपनी की परिसम्पत्तियों पर चल पूंजी प्रभार है।		
क 1.2	प्रत्येक 1.5 करोड़ बाण्ड जिसमें 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।		
	XIII निर्गम – 31.07.2006 से विमोच्य 8.63 प्रतिशत	67.50	135.00

टिप्पणी 2.4 / दीर्घ अवधि उधारियां (जारी.)

(रु. करोड़ में)

	विवरण			31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
	जो गुजरात के जिला बलसाड मौजे अमेटी, तालुका कापराडा स्थित अचल परिसम्पतियों पर पंजीकृत बाण्ड न्यास विलेख रैंकिंग समभूल्य द्वारा रक्षित और किशनगंज मौजे दुलहसती आकस्मिक पारेषण प्रणाली की सम्पतियों पर गिरवी और दृष्टिबंधक रखा गया है।				
क 1.3	प्रत्येक 1.5 करोड बाण्ड जिसमें 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तो में विमोच्य है।				
	XII निर्गम – 28.03.2006 से विमोच्य 9.70 प्रतिशत		-		15.38
	जिन्हें पंजीकृत बॉण्ड न्यास विलेख के श्रेणीकरण के साथ–साथ गुजरात के जिला बलसाड मौजे अमेटी, तालुका कापराडा स्थित अचल परिसम्पतियों द्वारा रक्षित और कायमकुलम और रामागुंडम हैदराबाद पारेषण प्रणाली की सम्पतियों पर गिरवी और दृष्टिबंधक रखा गया है।				
क 1.4	प्रत्येक 3 करोड बॉण्ड जिसमें 25 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में विमोच्य है।				
	XI निर्गम – 07.12.2005 से विमोच्य 9.80 प्रतिशत		-		45.25
	जिन्हें पंजीकृत बॉण्ड न्यास विलेख के श्रेणीकरण के साथ–साथ गुजरात के जिला बलसाड मौजे अमेटी, तालुका कापराडा स्थित अचल परिसम्पतियों द्वारा रक्षित और अंता, औरैया, मोगा–भिवानी, चमेरा–किशनगंज, सासाराम–इलाहाबाद, सिंगरौली–कानपुर के एलआईएलओ और इलाहाबाद सब–स्टेशन की सम्पतियों पर गिरवी और दृष्टिबंधक रखा गया है।				
क 2)	असुरक्षित			**58941.94**	55061.96
क 2.1	विमोच्य विदेशी मुद्रा बांड				
	17.01.2023 को समभूल्य पर विमोच्य किए जाने वाले विदेशी मुद्रा बांड – 3.875 प्रतिशत			**3345.00**	3,159.50
	जोड़ (क)			**62286.94**	58221.46
ख)	**बैंकों से आवधिक ऋण**				
ख1)	**रूपयों में ऋण (सुरक्षित)**				
ख 1.1	**भारतीय स्टेट बैंक–1 से स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा (एलओसी)**	4546.00			5000.00
	भारतीय स्टेट बैंक –2 से स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा (एलओसी)	7485.00			2600.00
	निवेशों, भूमि और भवनों रोडों और ब्रिजों, जल आपूर्ति, नालियों और सीवेज तथा वर्तमान सम्पतियों को छोड कर कंपनियों की सम्पतियों पर समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित				
जोड़ (ख 1)			12031.00		7600.00
ख 2	**विदेशी मुद्रा ऋण (सुरक्षित)**				
ख 2.1	**बैंक ऑफ इंडिया केमैन द्वीपसमूह**	211.26			232.80
	कंपनी की अचल संपतियों पर चल पूंजी द्वारा सुरक्षित				
ख 2.2	i) **नौरडिक निवेश बैंक (पीआईएल 5120)**	452.86			505.71
	ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में परिसंपतियों पर सृजित ग्रहणाधिकारों में समरूप ब्याज द्वारा सुरक्षित				
	ii) **एडीबी– VIII (2728–आईएनडी)**	1080.42			530.35
	iii) **अंतराष्ट्रीय वित्त निगम**	669.00			1,011.04
	iv) **आईसीएफ डेब्ट पूल एलएलपी**	334.50			315.95
	निवेशों, भूमि और भवनों रोडों और ब्रिजों, जल आपूर्ति, नालियों और सीवेज तथा वर्तमान सम्पतियों को छोड कर कंपनियों की सम्पतियों पर समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित				

टिप्पणी 2.4/दीर्घ अवधि उधारियां (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
ख 2.3 भारत सरकार से गारंटी युक्त				
एशियन विकास बैंक (एडीबी) से				
एडीबी–**II** (1764–आईएनडी)	710.32			801.43
एडीबी–**III** (2152–आईएनडी)	1822.66			1869.95
एडीबी–**IV** (2415–आईएनडी)	2475.75			2387.71
एडीबी–**V** (2510–आईएनडी)	786.59			668.94
एडीबी–**VI** (2823–आईएनडी)	341.19			307.94
एडीबी–**VII** (2787–आईएनडी)	1125.28			903.18
पुनर्निर्माण तथा विकास (आईबीआरडी) हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक से				
पीएसडीपी–**II** (4603–आईएन)	1188.86			1332.41
पीएसडीपी–**III** (4813–आईएन)	1804.63			1856.74
पीएसडीपी–**IV** (4890–आईएन)	3201.64			3202.56
पीएसडीपी–**IV** (अतिरिक्त) (7593–आईएन)	2290.86			2253.74
पीएसडीपी–**V** (7787–आईएन)	4707.42			3711.41
ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में परिसंपत्तियों पर सृजित ग्रहणाधिकारों में समरूप ब्याज द्वारा सुरक्षित				
जोड़ (ख 2)		23203.24		21891.86
ख 3 विदेशी मुद्रा ऋण (असुरक्षित)				
ख3.1 स्कंदीनाविस्का एनकिल्डा बैंकन एबी (पी यू बी एल)	-			19.42
स्वीडन एबी सर्वेस्क एक्सपोर्ट क्रेडिट, स्वीडन	2120.84			1458.64
ख3.2 भारत सरकार से गारंटी युक्त				
नाटिक्सिस बैंक्यू (पूर्ववर्ती क्रेडिट नेशनल) फ्रांस	78.05			78.79
जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी (पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक), जापान	108.61			105.45
के एफ डब्ल्यू	411.07			-
जोड़ (ख 3)		2718.57		1662.30
जोड़ ख			**37952.81**	31154.16
ग अन्य से आवधिक ऋण				
रूपयों में ऋण (सुरक्षित)				
ग1 भारतीय बीमा निगम से ऋण–**III**		-		0.22
कंपनी की अचल परिसंपत्तियां पर चलायमान प्रभार द्वारा सुरक्षित			-	0.22
जोड़ (क से ग)			**100239.75**	89375.84

और टिप्पणियां :–

सावधि ऋण 3 से 5 वर्षों की ऋण स्थगन अवधि के बाद 10 से 20 वर्षों तक की अवधि पर सामान्यतः संबंधित करार की शर्तों के अनुसार किस्तों से चुकौती योग्य होते हैं।

टिप्पणी 2.5/आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(रु. करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में (निवल) (क)	**8556.83**	6779.74
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां		
निर्माण अवधि के दौरान आय	**92.34**	110.25
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	**11.67**	13.49
भुगतान आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	**135.58**	113.07
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**621.41**	670.90
अन्य	**3.38**	6.84
उप–जोड (ख)	**864.38**	914.55
आस्थगित कर देयता (निवल) (क–ख)	**7692.45**	5865.19
घटाएं :– आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित सम्पत्तियां	**5203.08**	3393.04
निवल आस्थगित कर देयता	**2489.37**	2472.15

और टिप्पणियां :–

(क) 17.22 करोड रुपए (जो कि पूववर्ती वर्ष 29.22 करोड रुपए था) का प्रभार का प्रावधान वृद्धि लाभ और हानि के विवरण में किया गया है।

(ख) सीईआरसी द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2014–2019 के टैरिफ मानक ट्रांसमिशन आय पर वर्ष के दौरान अथवा अदा किए गए वास्तविक कर के आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी दर के आधार पर इक्विटी पर प्रतिफल को संचालित करने की व्यवस्था करता है। तदनुसार, ट्रांसमिशन आय पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान उपलब्ध आस्थगित कर को ''आस्थगित कर के संबंध में आस्थगित कर सम्पति'' के रूप में हिसाब में लिया जाता है। वर्ष के लिए आस्थगित देयता के संबंध में आस्थगित करार परिसम्पतियों को उन भावी वर्षों में लौटाया जाएगा (करावधि सहित) जब संबंधित आस्थगित कर देयता चालू कर भाग को निरूपित करती हो। यह आईसीएआई द्वारा जारी किए गए दर विनियमित संबंधी क्रियाकलापों पर मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार है।

टिप्पणी 2.6/अन्य दीर्घ अवधि देयताएं

(रु. करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
अन्य देयताएं		
i) संविदाकारों और अन्यों से जमा राशियां/प्रतिधारण धन राशि	**906.33**	654.69
ii) ग्राहकों से अग्रिम परामर्शदायी संविदाएं (परामर्शदायी सेवाएं)	**431.21**	401.03
iii) पूंजीगत व्यय के लिए देयताएं	**0.04**	22.88
iv) अन्य*	**0.38**	0.04
जोड	**1337.96**	1078.64

और टिप्पणियां :–

"माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत यथा–अपेक्षित माइक्रो छोटे और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 2.43 में दिया गया है।

*अन्य में प्रतिपूर्ति, पीएफ उधार और देय ब्याज वसूली आदि पर संविदाकारों से वसूल की जाने वाली राशि शामिल है।

टिप्पणी 2.7/अन्य दीर्घ अवधि देयताएं

(रु. करोड में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
कर्मचारी लाभ			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	580.23		524.37
वर्ष के दौरान परिवर्तन (समायोजन)	70.22		55.86
अन्य शेष		**650.45**	580.23
जोड		**650.45**	580.23

टिप्पणी 2.8/ अल्पकालीन उधारियां

(रु. करोड में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
अल्प अवधि (असुरक्षित)		
बैंकों से	**2000.00**	1200.00
जोड	**2000.00**	1200.00

टिप्पणी 2.9/कारोबार देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
वस्तुओं और सेवाओं के लिए	**313.89**	392.97
जोड़	**313.89**	392.97

और टिप्पणियां :–

"माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत यथा–अपेक्षित माइक्रो छोटे और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 2.43 में दिया गया है।

टिप्पणी 2.10/अन्य चालू देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
(क) दीर्घ अवधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वताएं				
सुरक्षित				
बांड	3446.00			2791.71
रुपया सावधि ऋण	454.23			101.72
विदेशी मुद्रा ऋण	1906.71			1489.18
		5806.94		4382.61
असुरक्षित				
विदेशी मुद्रा ऋण		274.72		86.10
			6081.66	4468.71
(ख) सामान्य ब्याज परन्तु निम्न से उधारियों पर देय नहीं				
भारतीय बैंक, वित्तीय संस्थान और कारपोरेशन		-		5.78
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थाएं		69.18		39.30
सुरक्षित/असुरक्षित विमोच्य बाण्ड		2600.02		2315.99
			2669.20	2361.07
(ग) अन्य				
i) पूंजीगत व्यय के लिए देयताएं		4173.00		4647.30
ii) कर्मचारियों से संबंधित देयताएं		84.96		116.09
iii) अदत्त लाभांश*		9.31		10.39
iv) संविदाकारों और अन्यों से जमा राशि/प्रतिधारण धन		4501.90		4814.79
v) ग्राहकों से अग्रिम		3431.49		2229.62
vi) सांविधिक देयताएं		101.08		188.47
vii) संबंधित पक्ष**		56.25		51.84
viii) अन्य#		282.45		171.32
			12640.44	12229.82
जोड़			**21391.30**	19059.60

और टिप्पणियां :–

"माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत यथा–अपेक्षित माइक्रो छोटे और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 2.43 में दिया गया है।

* निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है।

**संबंधित पक्षों का ब्यौरा टिप्पणी 2.47 (ख) में दिया गया है।

इनमें निष्क्रिय चैक, कीमत में परिवर्तन, एलटीए आदि शामिल है।

टिप्पणी 2.11/अल्प अवधि प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
(क) कर्मचारी लाभ				
(1) ट्रांसमिशन प्रोत्साहन/विशेष प्रोत्साहन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	198.87			121.13
वर्ष के दौरान परिवर्धन	160.31			106.45
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित निधि	176.66			28.71
अन्त शेष		182.52		198.87
(2) अन्य कर्मचारी लाभ (छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता और दीर्घ सेवा पुरस्कार आदि)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	40.71			37.78
वर्ष के दौरान परिवर्धन (समायोजन)	5.85			2.93
अन्त शेष		46.56		40.71
जोड़ (क)			**229.08**	239.58
(ख) अन्य				
(1) कराधान (कर पर ब्याज सहित)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	140.47			-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1574.81			1281.25
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(2417.69)			(3221.97)
अदा किए गए करों के संबंध में निवल (टिप्पणी 2.18)	3833.30			4362.75
अंत शेष		299.67		140.47
(2) प्रस्तावित लाभांश				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	685.34			685.34
वर्ष के दौरान परिवर्धन	789.97			685.34
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	685.34			685.34
अंत शेष		789.97		685.34
(3) प्रस्तावित लाभांश पर कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	136.40			116.47
वर्ष के दौरान परिवर्धन	160.82			136.40
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	136.40			116.47
अंत शेष		160.82		136.40
(4) कम समय सेवा क्रेडिट–टेलीकॉम				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6.78			5.23
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4.06			2.15
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित राशि	0.75			0.60
अंत शेष		10.09		6.78
(5) अन्य प्रावधान				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.38			2.07
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	55.37			1.31
अंत शेष		58.75		3.38
जोड़ (ख)			**1319.30**	972.37
जोड़ (क+ख)			**1548.38**	1211.95

टिप्पणी 2.12/अल्प अवधि प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल राशि					मूल्य ह्रास/परिशोधन					निवल स्टॉक	
	1 अप्रैल, 2015	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री/निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री/निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
भूमि												
(क) फ्रीहोल्ड	1809.52	191.32	-	(3.80)	**2004.64**	-	-	-	-	**-**	**2004.64**	1809.52
(ख) पट्टाधारित	277.98	5.31	0.36	0.74	**282.19**	46.74	9.53	-	2.03	**54.24**	**227.95**	231.24
भवन												
(क) सब–स्टेशन और कार्यालय	721.74	195.72	-	3.18	**914.28**	217.74	26.28	-	1.18	**242.84**	**671.44**	504.00
(ख) टाउनशिप	525.12	38.10	-	(0.06)	**563.28**	155.11	20.70	-	1.63	**174.18**	**389.10**	370.01
अस्थाई उत्थापन	10.43	0.39	-	-	**10.82**	10.41	0.40	-	-	**10.81**	**0.01**	0.02
सड़कें और पुल	179.19	16.94	-	-	**196.13**	54.34	7.42	-	1.57	**60.19**	**135.94**	124.85
जल पूर्ति, जल और मल निकासी	110.58	5.52	-	(0.10)	**116.20**	34.88	4.21	-	0.49	**38.60**	**77.60**	75.70
संयंत्र और मशीनरी												
(क) पारेषण	72501.33	22333.35	36.93	(1014.86)	**95812.61**	16495.33	4054.07	8.26	34.49	**20506.65**	**75305.96**	56006.00
(ख) सब–स्टेशन	38313.35	7036.99	21.91	(358.83)	**45687.26**	10048.19	2008.75	4.21	15.65	**12037.08**	**33650.18**	28265.16
(ग) यूएलडीसी	646.38	215.71	-	(0.11)	**862.20**	376.77	39.83	-	-	**416.60**	**445.60**	269.61
(घ) दूरसंचार	1431.22	40.81	-	(0.16)	**1472.19**	636.57	96.39	-	-	**732.96**	**739.23**	794.65
फर्नीचर जुड़नार	96.50	27.30	0.08	0.11	**123.61**	45.34	5.39	0.03	0.12	**50.58**	**73.03**	51.16
कार्यालय उपस्कर	111.48	35.65	4.86	0.23	**142.04**	48.74	6.45	4.32	0.03	**50.84**	**91.20**	62.74
इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसिंग मशीन लाईन	117.05	11.20	0.05	0.04	**128.16**	86.49	20.31	0.38	0.46	**105.96**	**22.20**	30.56
वाहन	4.60	0.01	0.03	0.22	**4.36**	2.60	0.34	0.10	-	**2.84**	**1.52**	2.00
निर्माण और कर्मशाला	216.61	43.57	-	-	**260.18**	49.07	12.09	-	0.24	**60.92**	**199.26**	167.54
उपस्कर विद्युतीय संचालन	127.31	2.27	-	0.14	**129.44**	49.06	5.91	-	0.09	**54.88**	**74.56**	78.25
प्रयोगशाला उपकरण	75.59	0.04	0.03	(0.09)	**75.69**	37.20	3.24	0.24	0.23	**39.97**	**35.72**	38.39
कार्यशाला और जांच उपकरण	39.47	43.37	-	-	**82.84**	16.68	2.27	-	0.02	**18.93**	**63.91**	22.79
विविध परिसम्पत्तियां/उपकरण	0.11	-	-	(0.01)	**0.12**	0.07	-	-	-	**0.07**	**0.05**	0.04
जोड़	117315.56	30243.57	64.25	(1373.36)	**148868.24**	28411.33	6323.58	17.54	58.23	**34659.14**	**114209.10**	88904.23
घटाएं :– हटाई गई परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	10.33	0.07	-	-	**10.40**	8.61	0.05	-	-	**8.66**	**1.74**	1.72
सकल जोड़	117305.23	30243.50	64.25	(1373.36)	**148857.84**	28402.72	6323.53	17.54	58.23	**34650.48**	**114207.36**	88902.51
पूर्ववर्ती वर्ष का जोड़	95740.51	20949.10	9.63	(635.58)	117315.56	23236.82	5208.00	1.32	32.17	28411.33	88904.23	
घटाएं :– हटाई गई परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	10.40	-	-	0.07	10.33	8.66	-	-	0.05	8.61	1.72	
पूर्ववर्ती वर्ष का सकल जोड़	95730.11	20949.10	9.63	(635.65)	117305.23	23228.16	5208.00	1.32	32.12	28402.72	88902.51	

टिप्पणी 2.12 / अल्प अवधि प्रावधान (जारी.)

और टिप्पणियां :–

(क) कंपनी के स्वामित्वाधीन 2286.83 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2087.50 करोड़ रुपए) मूल्य की 7003 हेक्टेयर (पूर्ववर्ती वर्ष हेक्टेयर 6647 हेक्टेयर भूमि) है, जिसे उपलब्धता के आधार पर 2286.83 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 2087.50 करोड़ रुपए) फ्रीहोल्ड में और 282.19 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 277.98 करोड़ रुपए) पट्टाधारित में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) (1) 68.53 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 68.53 करोड़ रुपए) की राशि की जम्मू और कश्मीर राज्य में पट्टाधारण भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि को राज्य सरकार द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इस प्रकार अधिग्रहीत भूमि का प्रचलित कानून के अनुसार राज्य सरकार भूमि की स्वामी बनी रहती है और कंपनी को केवल विशेष प्रयोग लिए स्वामित्व दिया जाता है।

(2) जम्मू और कश्मीर में स्थित ट्रांसमिशन सिस्टम को कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से राष्ट्रीय जल विद्युत पॉवर कारपोरेशन लिमिटिड (एनएचपीसी) से कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अपने अधिकार में लिया है।

(ग) फ्रीहोल्ड भूमि कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि, जिसके लिए कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को अभी निष्पादित किया जाना है, के संबंध में 191.39 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 33.71 करोड़ रुपए) और 305.74 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 192.08 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

(घ) पट्टाधारी भूमि में स्थाई पट्टा आधार पर कटवारिया सराय, नई दिल्ली में असीमित उपयोग के साथ कार्यालय परिसर के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में 7.64 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 7.64 करोड़ रुपए) शामिल हैं और इसलिए परिशोधित नहीं है।

(ड.) पट्टाधारित भूमि में कंपनी द्वारा एनएचपीसी से अधिग्रहीत चम्बा (हिमाचल प्रदेश) के संबंध में पट्टाधारी भूमि में 13.97 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 13.97 करोड़ रुपए) शामिल है, जिसके लिए कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

(च) टाउनशिप बिल्डिंगों में मुंबई में 28 फ्लैटों के लिए 7.27 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 7.27 करोड़ रुपए) शामिल हैं, जिसके लिए कंपनी के पक्ष में पंजीकरण लंबित है।

(छ) बीना सब–स्टेशन में जिसका माप रुपए 13.90 एकड़ (पूर्ववर्ती वर्ष में 13.90 एकड़) के आकार की भूमि को जिसका मूल्य 0.04 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 0.04 करोड़ रुपए) शामिल हैं, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटिड को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किए बगैर स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ज) फ्रीहोल्ड भूमि में कंपनी द्वारा पट्टा–सह–बिक्री संबंधी करार के माध्यम से अर्जित टुमकुर (मधुगिरि 55 एसएस) में स्थित अधिग्रहीत भूमि के संबंध में अदा किए गए 21.21 करोड़ रुपए शामिल है, जिसके लिए केआईएडीबी से हकदारी का हस्तांतरण से संबंधित सभी शर्तों को पूरा कर लिया गया है और कन्वेंस डीड/कंपनी के पक्ष में हकदारी और राजस्व के रिकार्ड में म्युटेशन अभी लंबित है।

टिप्पणी 2.13 / अमूर्त परिसम्पतियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल राशि					मूल्य ह्रास/परिशोधन					निवल स्टॉक	
	1 अप्रैल, 2015	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री/निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री/निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	49.05	2.00	-		**51.05**	14.08	14.71	-	0.04	**28.75**	**22.30**	34.97
मार्गाधिकार वनरोपण खर्च	909.98	98.16	-	(134.89)	**1143.03**	161.25	53.54	-	-	**214.79**	**928.24**	748.73
जोड़	959.03	100.16	-	(134.89)	**1194.08**	175.33	68.25	-	0.04	**243.54**	**950.54**	783.70
पूर्ववर्ती वर्ष का जोड़	773.55	184.95	-	(0.53)	**959.03**	121.43	47.80	-	(6.10)	**175.33**	**783.70**	

टिप्पणी 2.14 / चालू पूंजीगत कार्य

(रु. करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पंजीकृत	31 मार्च, 2016 को
भूमि					
भूमि का विकास	4.34	58.41	-	54.96	**7.79**
भवन					
(क) सब–स्टेशन और कार्यालय	303.75	306.22	75.50	195.92	**338.55**
(ख) टाउनशिप	62.54	44.06	(19.30)	37.85	**88.05**
अस्थाई उत्थापन	0.02	-	-	0.02	**-**
सड़कें और पुल	5.94	10.45	-	0.78	**15.61**
जलपूर्ति, जल और मल निकासी	2.26	0.04	-	-	**2.30**
संयंत्र और उपकरण (संबद्ध सिविल निर्माण कार्य सहित)					
(क) पारेषण	26446.78	12648.93	-	18974.83	**20120.88**
(ख) सब–स्टेशन	6225.24	7367.55	-	5981.82	**7610.97**
(ग) यूएलडीसी	352.30	143.81	17.44	202.26	**276.41**
(घ) दूरसंचार	47.67	12.90	-	20.61	**39.96**
फर्नीचर और जुड़नार	0.15	-	0.15	-	**0.00**
अन्य कार्यालय उपस्कर	5.04	17.56	-	6.50	16.10

टिप्पणी 2.14 / चालू पूंजीगत कार्य (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पंजीकृत	31 मार्च, 2016 को
आबंटन होने तक व्यय			-		
(1) सर्वेक्षण, जांच, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	25.79	6.32	-	11.20	**20.91**
(2) विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय में अंतर	817.05	525.95	-	702.05	**640.95**
(3) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल)	5375.67	2825.29	(146.74)	3,743.96	**4603.74**
(टिप्पणी 2.32)	39674.54	23967.49	(72.95)	29932.76	**33782.22**
(4) दूरसंचार	3.64	-	-	-	**3.64**
(5) परेषण	39670.90	23967.49	(72.95)	29932.76	**33778.58**
जोड़	31502.41	30088.33	2053.11	19863.09	**39674.54**
घटाएं :– अनुपयोगी छोड़ी गई परिसम्पत्तियों के	-	-	-	-	**3.64**
लिए प्रावधान	31502.41	30088.33	2053.11	19863.09	**39670.90**
कुल जोड़					
पूर्ववर्ती वर्ष का जोड़					
घटाएं :– निकाली गई संपत्तियों के लिए प्रावधान					
जोड़					

टिप्पणी 2.15 / विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पंजीकृत	31 मार्च, 2016 को
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	0.09	1.67	-	0.30	**1.46**
मार्गाधिकारी वनरोपण खर्च	137.45	52.88	-	98.14	**92.19**
विकास व्यय	73.75	10.97	6.26	-	**78.46**
जोड़	211.29	65.52	6.26	98.44	**172.11**
पूर्ववर्ती वर्ष का जोड़	349.00	33.17	(12.12)	183.00	**211.29**

टिप्पणी 2.16 / निर्माण भण्डार

(मूल्यन विधि के लिए टिप्पणी 1.11 देखें)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
टावर्स	1811.68		2461.98
कण्डक्टर्स	1770.88		3386.47
अन्य लाईन सामग्री	1183.60		1576.19
सब–स्टेशन उपस्कर	2182.43		2523.66
हाई वॉल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी उपकरण)	2650.37		2850.07
यूएलडीसी सामग्री	186.98		200.78
दूरसंचार सामग्री	15.54		8.39
अन्य	57.81		34.44
		9859.29	13041.98
घटाएं :– कमियों और पुरानी सामग्री के लिए प्रावधान		**0.02**	0.02
जोड़		**9859.27**	13041.96
निर्माण भण्डार में शामिल हैं :–			
(1) मार्गस्थ सामग्री			
टावर्स		**13.42**	6.39
कण्डक्टर्स		**2.23**	13.35
अन्य लाईन सामग्री		**82.53**	62.93
सब–स्टेशन उपस्कर		**94.74**	794.03
हाई वॉल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी उपकरण)		**267.35**	413.54
यूएलडीसी सामग्री		-	11.68
अन्य		-	12.05
जोड़		**460.27**	1313.97

टिप्पणी 2.16 / निर्माण भण्डार (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
(2) मार्गस्थ सामग्री		
टावर्स	**1798.26**	2455.59
कन्टक्टर्स	**1768.65**	3373.12
अन्य लाईन सामग्री	**1101.07**	1513.26
सब–स्टेशन उपस्कर	**2087.69**	1729.63
हाई वॉल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी उपकरण)	**2383.02**	2436.53
यूनीफाईड लोड डिस्पेच एंड कम्युनिकेशन (यूएलडीसी) सामग्री	**186.98**	189.10
दूरसंचार सामग्री	**15.54**	8.39
अन्य	**57.81**	-
जोड़	**9399.02**	11705.62
कुल जोड़	**9859.29**	13019.59

अतिरिक्त टिप्पणियां :–

लेखा समाधान होने तक, चालू लाईनों में 199.55 करोड़ रुपए (जो कि पूर्ववर्ती वर्ष में 112.34 करोड़ रुपए थे) की राशि की सामग्रियों को संविदाकारों के पास पड़े निर्माण भण्डारों के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी 2.17 / गैर–चालू निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
दीर्घ अवधि			
क. व्यापार में निवेश (लागत पर)			
1. इक्विटी में निवेश – पूर्णतः प्रदत्त :–			
उधृत			
पीटीसी इंडिया लिमिटेड			
रू 10 प्रत्येक के 12000006 (पूर्ववर्ती वर्ष 12000006) शेयर (बाजार मूल्य 76.80 करोड़ रूपए, 64.00 (एनएसई) प्रति शेयर की दर पर (पूर्ववर्ती वर्ष 97.08 करोड़ रूपए, जो कि 80.90 (एनएसई) प्रति शेयर की दर पर) प्रति शेयर की दर पर है।		12.00	12.00
अनुधृत			
सहायक कंपनियां			
पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड			
रू 10 प्रत्येक के 3064000 (पूर्वर्ती वर्ष 3064000) शेयर (टिप्पणी संख्या 2.39 का संदर्भ ग्रहण करें) शेयर		-	30.64
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 2400000 (पूर्ववर्ती वर्ष 2400000) शेयर		24.00	24.00
पावरग्रिड वेमागिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 50000 (पूर्ववर्ती वर्ष 50000) शेयर	0.05		0.05
घटाएं : निवेश मूल्य में न्यूनता हेतु प्रावधान	0.05		0.05
		-	-
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 5473000 (पूर्ववर्ती वर्ष 5473000) शेयर		54.73	54.73
पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 50000 (पूर्ववर्ती वर्ष 50000) शेयर		0.05	0.05
पावरग्रिड काल अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 50000 (पूर्ववर्ती वर्ष 50000) शेयर		0.05	0.05
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 50000 (पूर्ववर्ती वर्ष 50000) शेयर		0.05	0.05
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 50000 (पूर्ववर्ती वर्ष 50000) शेयर		0.05	-
पावरग्रिड पारिल ट्रांसमिशन लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 50000 (पूर्ववर्ती वर्ष 50000) शेयर		0.05	-
पावरग्रिड सकूदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 50000 (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) शेयर		0.05	-

टिप्पणी 2.17 / गैर–चालू निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
संयुक्त उद्यम कंपनियां			
टौरेन्ट पावर ग्रिड लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 30640000 (पूर्ववर्ती वर्ष 30640000) शेयर	23.40		23.40
जयपी पावर ग्रिड लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 78000000 (पूर्ववर्ती वर्ष 78000000) शेयर	78.00		78.00
परबती कोलदाम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 70937620 (पूर्ववर्ती वर्ष 70937620) शेयर	70.94		70.94
टीस्टावेली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 67115620 (पूर्ववर्ती वर्ष 41011762) शेयर	67.11		41.01
ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 229320000 (पूर्ववर्ती वर्ष 229320000) शेयर	229.32		229.32
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 106964000 (पूर्ववर्ती वर्ष 106964000) शेयर	106.96		106.96
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 22500000 (पूर्ववर्ती वर्ष 22500000) शेयर	22.50		22.50
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 23900000 (पूर्ववर्ती वर्ष 23900000) शेयर	23.90		23.90
क्रोस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 10322000 (पूर्ववर्ती वर्ष 4940000) शेयर	10.32		4.94
कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राईवेट लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 5000 (पूर्ववर्ती वर्ष 5000) शेयर	0.01		0.01
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 40309000 (पूर्ववर्ती वर्ष 10025000) शेयर	40.31		10.02
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड			
रूपए 100 प्रत्येक के 780000 (पूर्ववर्ती वर्ष 156000) शेयर	4.88		0.98
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राईवेट लिमिटेड			
रूपए 10 प्रत्येक के 100000 (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) शेयर	0.10		-
		768.78	733.50
II. सरकारी प्रतिभूतियां (अनुद्धृत)			
1.10.2006 से 20 अर्धवार्षिक किस्तों में विमोच्य 8.50 प्रतिशत बांड		**2.50**	7.49
जोड़ (क)		**771.28**	740.99
ख. गैर–व्यापारिक निवेश (अनुद्धृत)			
पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर			
इम्पलाईज कोआपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड, इटारसी में प्रत्येक 10 रूपए के 500 (पूर्ववर्ती वर्ष 500) शेयर (5,000 रूपए)		**0.00**	0.00
इम्पलाईज कोआपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड, नागपुर में प्रत्येक 10 रूपए के 500 (पूर्ववर्ती वर्ष 500) शेयर (5,000 रूपए)		**0.00**	0.00
इम्पलाईज कोआपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड, जबलपुर में प्रत्येक 10 रूपए के 500 (पूर्ववर्ती वर्ष 500) शेयर (5,000 रूपए)		**0.00**	0.00
भारत ब्रोडबैंड नेटवर्क लिमिटेड में प्रत्येक 10 रूपए के 1 (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) शेयर (10 रूपए)		**0.00**	0.00
जोड़ (ख)			
सकल जोड़ (क+ख)		**771.28**	740.99
और टिप्पणियां :–			
(1) उद्धृत निवेशों की समग्र राशि			
खाता मूल्य		**12.00**	12.00
बाजार मूल्य		**76.80**	97.08
अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि		-	-
खाता मूल्य		**759.28**	728.99

(2) कंपनी द्वारा धारित पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के 22,93,19,997 (पूर्ववर्ती वर्ष 22,93,19,997) शेयर को पावरलिंक्स लिमिटेड द्वारा ली गई वित्त सहायता के संबंध में वित्तीय संस्थानों के संघ के पास सतत प्रतिभूति के रूप में बंधक रखा गया है।

(3) निवेशों को लेखाकरण नीति संख्या 1.14 के अनुसार मूल्यांकित किया गया है।

टिप्पणी 2.18 / दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम

(असुरक्षित समझा गया, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(रु. करोड़ में)

विवरण				31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
(क) पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम					
i) सुरक्षित				-	0.26
ii) असुरक्षित					
(क) बैंक गारंटियों के प्रति		2824.61			2783.94
(ख) अन्य		195.59			583.24
iii) असुरक्षित, संदिग्ध समझे गए		2.95			3.00
			3023.15		3370.18
घटाएं :– अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			2.95		3.00
				3020.20	3367.18
				3020.20	3367.44
(ख) ऋण					
i) कर्मचारी (उपगत ब्याज सहित)					
सुरक्षित		174.98			169.74
असुरक्षित		13.40			7.82
			188.38		177.56
ii) स्वीकार्य पट्टे			400.00		376.61
iii) सहायक कंपनियों के ऋण			1159.72		229.70
				1748.10	783.87
(ग) प्रतिभूति जमा राशियां				**4.89**	9.58
(घ) संबंधित फर्मों को अग्रिम*					
i) लाभकर समझे गए			0.05		-
ii) संदिग्ध समझे गए**			19.39		19.37
			19.44		19.37
घटाएं :– अग्रिमों के लिए प्रावधान**			19.39		19.37
				0.05	-
(ङ) नकदी में अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य					
संविदाकार और आपूर्तिकर्ता (ऋण पर जारी सामग्री सहित)		0.33			1.05
कर्मचारी		10.00			12.75
सीमाशुल्क पत्तन न्यास और अन्य प्राधिकरणों में शेष		20.82			-
अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती	3833.30				4362.75
घटाएं :– कराधान के लिए प्रावधान	3833.30				4362.75
		-			-
अन्य		34.17			3.20
		65.32			17.00
संदिग्ध समझे गए		3.59			3.59
			68.91		20.59
घटाएं :– संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			3.59		3.59
				65.32	17.00
जोड़				**4838.56**	4177.89
से देय					
निदेशक				**0.10**	0.11
अधिकारी				**7.64**	6.31

और टिप्पणी :–

*संबंधित पक्षों को अग्रिमों का ब्यौरे टिप्पणी 2.47 (ख) में उपलब्ध है।

**सीईआरसी ने याचिका संख्या 127/2012, 128/टीएल/2012 और 156/एमपी/2012 में दिनांक 06.04.2015 के अपने आदेश में यह आदेश दिया है कि पीजीसीआईएल द्वारा वीमागिरि ट्रांसमिशन लिमिटेड (वीएसटीएल) के लिए खर्च की गई 80 प्रतिशत अधिग्रहण कीमत की कंपनी को प्रतिपूर्ति एलटीए के दो लाभार्थियों नामत: एसपीएल और एसपीसीएल द्वारा की जाएगी और कंपनी के परिसमापन तक अधिग्रहण की तारीख से वीएसटीएल द्वारा किए गए खर्च और अतिशेष 20 प्रतिशत की राशि का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा। कंपनी ने दिनांक 28.05.2015 को एक पुनरीक्षा याचिका दायर करके दिनांक 06.04.2015 के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया है ।

टिप्पणी 2.19 / चालू निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
दीर्घ अवधि निवेशों की वर्तमान भुगतान निधियां (लागत पर)		
कारोबार निवेश		
I. ईक्विटी इंस्ट्रूमेंट – पूर्णतया अभिदत्त		
अनुधृत		
सहायक कंपनी		
पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड		
रुपए 10 प्रत्येक के 30640000 शेयर (विगत वर्ष 30640000) (टिप्पणी संख्या 2.39 को देखें)	**30.64**	-
सरकारी प्रतिभूतियां (अनुधृत):–		
दिनांक 1.10.2006 से 20 छमाही किस्तों में विमोच्य 8.5 प्रतिशत बाण्ड	**5.00**	185.43
सकल जोड़	**35.64**	185.43
और टिप्पणियां :–		
(1) अनुधृत निवेशों की समग्र राशि का खाता मूल्य	**35.64**	185.43

(2) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति संख्या 1.14 (टिप्पणी संख्या 1) के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी 2.20 / माल सूची

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
(प्रबंधन द्वारा यथा–मूल्यांकित और प्रमाणित) (मूल्यांकन की विधि के लिए टिप्पणी 1.15 को देखें)		
खुले औजार	**11.19**	10.64
उपभोज्य सामान	**5.99**	5.06
संघटक, अतिरिक्त पुर्जे और अन्य अतिरिक्त पुर्जे :		
टावर्स	**185.03**	167.46
कन्डक्टर्स	**67.00**	51.08
अन्य लाईन सामग्री	**250.02**	212.70
सब–स्टेशन उपस्कर / अतिरिक्त पुर्जे	**214.90**	187.32
एचवीडीसी उपस्कर / अतिरिक्त पुर्जे	**71.84**	82.13
यूएलडीसी अतिरिक्त पुर्जे	**5.59**	3.79
दूरसंचार के अतिरिक्त पुर्जे	**20.47**	5.70
अन्य भण्डार	**11.81**	12.03
	843.84	737.91
घटाएं :– कमी / नुकसान आदि के लिए प्रावधान	**20.16**	20.16
जोड़	**823.68**	717.75
सम्पत्ति सूची जिसमें मार्गस्थ सामग्री शामिल हैं :		
टावर्स	-	0.01
अन्य लाईन सामग्री	**1.96**	0.01
जोड़	**1.96**	0.02

टिप्पणी 2.21 / व्यापार प्राप्य राशियां

(असुरक्षित समझा गया, जब तक कि अन्य अन्यथा उल्लेख न हो)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
i) उस तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण जिस तारीख से वे भुगतान के लिए देय हैं			
सही माने गए	290.90		194.64
संदिग्ध माने गए	29.62		27.33
		320.52	221.97
ii) अन्य		**2447.07**	1924.01
		2767.59	2145.98
घटाएं :– अशोध्य और संदिग्ध व्यापार प्रयासों के लिए प्रावधान		**29.62**	27.33
जोड़ :		**2737.97**	2118.65

***संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्यों का ब्यौरा टिप्पणी 2.47 (ख) में उपलब्ध है**

टिप्पणी 2.22 / नकदी और बैंक में शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
(1) नकदी और नकदी समतुल्य राशि			
बैंको में शेष			
- चालू खातों में	866.06		1067.53
- नामोदिष्ट चालू खातों में (परामर्शदाती आबंटनों के लिए उपयोग किया जाए)	674.56		984.90
हस्तगत ड्राफ्ट्स / चैक	-		-
हस्तगत नकदी	0.01		0.01
स्टाम्प और अदाय	0.01		0.15
		1540.64	2052.59
(2) अन्य बैंक शेष राशियां			
- चालू खातों में उद्दिष्ट लाभांश*		**10.29**	10.39
- सावधि जमाओं में, जिनमें भुगतान की तारीख 3 महीने के बाद है (परामर्शी कार्यों के लिए उपयोग करने के लिए)		**902.79**	-
जोड़ :		**2453.72**	2062.98

और टिप्पणियां :–

उपर्युक्त नकद और नकद समतुल्यों के तहत चालू खातों और नामित चालू खातों में बैंक के पास शेष में क्रमशः 182.32 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 442.62 करोड़ रुपए) और 449.43 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 982 करोड़ रुपए) शामिल हैं। नकदी फ्लेक्सी सावधि जमा में ब्याज विनिर्दिष्ट पक्षों के खातों में जमा कर दिया जाता है।

*बैंक के पास चिन्हित शेष में अदा नहीं किया गया लाभांश और एफपीओ की आय की वापसी शामिल है।

टिप्पणी 2.23 / अल्प अवधि ऋण और अग्रिम

(असुरक्षित समझा गया, जब तक कि अन्यथा बताया न गया हो)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
(क) ऋण				
(क) उपगत ब्याज सहित कर्मचारी				
(1) सुरक्षित	18.06			15.06
(2) असुरक्षित	6.87			5.68
		24.93		20.74
(ख) अन्य				
दीर्घ अवधि अग्रिमों की वर्तमान भुगतान तिथियां (प्रतिभूतीकरण योजना के अधीन)	7.71			23.14
स्वीकार्य पट्टे की वर्तमान भुगतान तिथियां	82.72			73.68
अन्य	-			0.03
		90.43		96.85
जोड़ (क)			**115.36**	117.59
(ख) संबंधित पक्षकारों को अग्रिम*			**173.58**	151.63
(ग) नकदी में अथवा किस्त में प्राप्त किए जाने वाले अथवा मूल्य के लिए वसूलीयोग्य अग्रिम				
(क) कर्मचारी		13.74		14.95
(ख) अन्य				
संविदाकार और आपूर्तिकर्ता (ऋण पर जारी की गई सामग्री सहित)	158.84			27.78
सीमाशुल्क, पत्तन न्यास और अन्य प्राधिकरणों के पास शेष	88.17			31.98
अन्य#	244.34			222.49
		491.35		282.25
जोड़ (ग)			**505.09**	297.20
जोड़ (क)+(ख)+(ग)			**794.03**	566.42
घटाएं :– संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			**0.03**	-
जोड़			**794.00**	566.42
निदेशक			**0.08**	0.08
अधिकारी			**2.40**	1.98

और टिप्पणियां :

*संबंधित पक्षों को अग्रिम के ब्यौरे टिप्पणी 2.47 (ख) में उपलब्ध हैं।

नकदी में अथवा किसी अन्य रुप में अथवा प्राप्य मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम / अन्य में उपदान, भविष्य निधि न्यास, पूर्वदत्त व्यय आदि से वसूलनीय राशि शामिल है।

टिप्पणी 2.24 / अन्य चालू परिसम्पतियां

(असुरक्षित, उपयुक्त समझे गए, जब तक अन्यथा बताया नहीं गया हो)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
(क) बिना बिल का राजस्व	3023.89		2232.34
(ख) प्रोद्भूत ब्याज, परन्तु देय नहीं –			
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज (बांड)	4.36		12.09
सावधि/मियादी जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज	0.22		0.86
अन्य पर अर्जित ब्याज*	2.38		-
सहायक कंपनियों के लिए ऋण पर अर्जित ब्याज	25.45		-
(ग) वसूली योग्य दावे	5.80		3.85
(घ) अन्य #	74.69		29.73
		3136.79	2278.87
घटाएं :– संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान		-	-
जोड़		**3136.79**	2278.87

और टिप्पणियां :–

1445.24 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 947.31 करोड़ रुपए) बिना बिल की राजस्व राशि को दर्शाते हैं, जिसके लिए कंपनी को अभी सीईआरसी टैरिफ मानकों के अनुसार राजस्व स्वीकरण की दृष्टि से बिलों को तैयार करना है और अप्रैल, 2016 (पूर्ववर्ती वर्ष में अप्रैल, 2015) के महीने में लाभभोगियों को दिए गए बिल में मार्च, 2016 के महीने के लिए पारेषण प्रभारों के 1578.65 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 1285.03 करोड़ रुपए) भी शामिल हैं।

*अन्य पर अग्रिम ब्याज में संविदाकारों को अग्रिम पर अग्रिम ब्याज शामिल है।

#अन्य में अन्य अग्रिम आय और ग्राहकों से वसूलनीय राशि शामिल है।

टिप्पणी 2.25 / प्रचालनों से राजस्व

(रु. करोड़ में

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
i) पारेषण व्यवसाय			
सेवाओं की बिक्री			
ट्रांसमिशन प्रभार	19734.16		16371.36
जोड़ें : मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम में से स्वीकृत राजस्व	142.92		79.50
	19877.08		16450.86
अन्य प्रचालन राजस्व			
सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ और अनंतिम के बीच अंतर होने पर ब्याज	67.43		70.88
		19944.51	16521.74
ii) दूरसंचार व्यवसाय			
सेवाओं की बिक्री			
एनएलडी	391.28		272.48
आईपी–1	8.28		8.44
आईएसपी	2.09		2.77
अन्य	33.27		15.59
	434.92		299.28
घटाएं :– अंतर मंडलीय अंतरण			
एनएलडी	37.27		18.97
आईपी–1	5.16		5.16
आईएसपी	0.24		0.26
	42.67		24.39
		392.25	274.89
iii) परामर्शी परियोजना प्रबंध और पर्यवेक्षण			
सेवाओं की बिक्री	465.46		380.60
		465.46	380.60
जोड़		**20802.22**	17177.23

टिप्पणी 2.25 / प्रचालनों से राजस्व (जारी.)

और टिप्पणियां :–

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने ब्लॉक अवधि 2014–19 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण दिनांक 21 फरवरी, 2014 के आदेश के तहत सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2014 को अधिसूचित किया है।

(ख) कंपनी निम्नानुसार इस वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन आय स्वीकार की है :–

(1) 3915.15 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 4272.76 करोड़ रुपए) जिसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनंतिम आदेश जारी किए गए है जिससे किए गए टैरिफ के दावों में से 90 प्रतिशत तक के अनंतिम बिल बनाने की अनुमति दी गई है।

(2) 12767.92 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य रुपए) के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अंतिम टैरिफ आदेश जारी किए गए है।

(3) 3194.01 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 12178.10 करोड़ रुपए) टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए लागू केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के टैरिफ मानदंड पर आधारित है, जिसके लिए सीईआरसी द्वारा अभी टैरिफ आदेश जारी किए जाने हैं। इनमें 31.03.2014 तक शुरू की गई परिसम्पत्तियों से राजस्व शामिल है।

टिप्पणी 2.26 / अन्य आय

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) गैर–चालू निवेशों से आय			
(1) लाभांश			
सहायक कंपनी	20.07		15.32
अन्य	64.70		82.45
(2) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	14.03		28.11
(ख) अन्य ब्याज			
देयताओं के व्यवस्थापन में सरकार को ऋण	-		2.95
भारतीय बैंक	82.51		262.30
संविदाकारों को अग्रिमों से ब्याज	57.06		150.99
सहायक कंपनियों के लिए ऋण पर ब्याज	49.23		-
अन्य*	11.90		12.90
		299.50	555.02
(ग) अन्य			
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ		**1.59**	1.90
आस्थगित आय (सहायता अनुदान से स्थानांतरित)		**21.96**	21.95
चल सम्पत्तियों की हानियों के कारण बीमता प्रारक्षित निधि से अंतरण		**5.29**	20.21
पट्टा आय – राज्य सेक्टर, यूएलटीसी		**34.76**	37.18
अधिभार		**92.91**	65.95
उपकरणों के लिए किराया प्रभार		**0.03**	0.22
एफईआरवी अभिलाभ		**0.05**	12.46
छूट		**0.32**	0.34
प्रावधान प्रतिलिखित		**3.90**	5.50
विविध आय		**90.32**	74.76
		550.63	795.49
घटाएं :– निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (नियत – टिप्पणी संख्या 2.32 देखें)		**71.67**	192.68
जोड़		**478.96**	602.81

और टिप्पणियां :–

* अन्य ब्याज आदेशों में कर्मचारियों के ऋणों पर ब्याज शामिल है।

टिप्पणी 2.27 / कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरियां, भत्ते और लाभ	1155.84		1185.87
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान	181.42		268.33
कर्मचारी कल्याण लाभ	146.63		145.56
		1483.89	1599.76
घटाएं :– निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (नियत – टिप्पणी संख्या 2.32 देखें)		**503.35**	576.11
जोड़		**980.54**	1023.65

और टिप्पणियां :–

(क) कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ, जिसमें पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख कार्मिकों, जिनमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों के लिए निम्नलिखित शामिल है, और जो पूर्व निदेशकों को प्रदत्त बकायों को छोड़ कर है:–

टिप्पणी 2.27 / कर्मचारी लाभ व्यय (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वेतन और भत्ते	**2.31**	1.95
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान, उपदान और सामूहिक बीमा	**0.35**	0.24
अन्य लाभ	**0.41**	0.71

(ख) उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशकों को 2000/–रुपए प्रति माह के भुगतान पर स्टाफ कार (प्राइवेट यात्राओं सहित) का प्रयोग अनुमत किया गया है, जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (23)/11–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–5/13, दिनांक 21.01.2013 में निहित है।

(ग) विद्युत मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग की मंजूरी मिलने तक कठिन और दूरदराज क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत तक विशेष वेतन, जिसकी राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 (31.03.2016 तक संचयी राशि 114.01 करोड़ रुपए) के लिए 17.67 करोड़ रुपए की राशि अदा की जा रही है। उपयुक्त भत्ता डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XVI/08, दिनांक 26 नवंबर, 2008 के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त हैं।

(घ) वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ व्यय में अवधि 01.01.2007 से 31.03.2012 के लिए पावरग्रिड इम्पलाईज कंट्रीब्यूशन सपर एन्यूऐशन बेनीफिट (पेंशन) योजना के संबंध में शेष अंशदान के रूप में 87.28 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(ड) वेतन, मजदूरियों और भत्तों में 14.10 करोड़ की ऐसी राशि शामिल है जो कि कार्य–निष्पादन से जुड़े वेतन के अतिरेक प्रावधान से संबंधित है।

टिप्पणी 2.28 / वित्त लागत

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) (1) निम्न से ऋण पर ब्याज			
भारतीय बैंक, वित्तीय संस्थान और कारपोरेशन	1092.82		1058.04
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	270.00		210.61
सुरक्षित/असुरक्षित विमोच्य बांड	5381.89		4755.96
विदेशी मुद्रा बांड	135.07		126.13
(2) ब्याज – अन्य	68.51		14.21
		6948.29	6164.95
(ख) अन्य उधारी लागतें			
वचनबद्धता प्रभार	12.07		14.40
गारंटी शुल्क	259.49		238.52
अन्य वित्त प्रभार	42.03		21.05
		313.59	273.97
		7261.88	6438.92
घटाएं :– निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल) – टिप्पणी संख्या 2.32 देखें।		**2238.91**	2459.60
जोड़		**5022.97**	3979.32

टिप्पणी 2.29 / मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
वास्तविक परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन	**6323.58**	5208.00
अवास्तविक परिसम्पत्तियों का परिशोधन	**68.25**	47.80
	6391.83	5255.80
घटाएं :– निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल) – टिप्पणी संख्या 2.32 देखें।	**12.11**	12.64
	6379.72	5243.16
घटाएं :– एफईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यह्रास	**196.96**	157.75
लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित	**6182.76**	5085.41

टिप्पणी 2.30/ट्रांसमिशन, प्रशासन और अन्य खर्चे

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव			
भवन		47.59	45.82
संयंत्र और मशीनरी			
सब–स्टेशन	266.93		226.27
ट्रांसमिशन लाईन	91.53		116.63
दूरसंचार उपस्कर	45.34		20.37
अन्य	25.32		12.95
		429.12	376.22
सिस्टम और बाजार प्रचालन प्रभार		11.13	17.57
विद्युत प्रभार	158.03		170.01
घटाएं :– ठेकेदारों से वसूली	0.74		1.25
		157.29	168.76
डीजल जेनरेटिंग सेटों के खर्चे		4.49	6.53
उपमुक्त सामान		4.59	1.02
जल प्रभार		3.24	1.22
मार्गाधिकार खर्चे (दूरसंचार)		4.88	4.41
पेट्रोलिंग खर्चे – दूरसंचार		1.92	1.99
अंतिम चरण की कनेक्टिविटी – दूरसंचार		6.61	2.21
प्रशिक्षण और भर्ती खर्चे	28.23		24.31
घटाएं :– प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए शुल्क	1.01		0.03
		27.22	24.28
कानूनी खर्चे		15.68	10.55
व्यावसायिक खर्चे (टीए/डीए सहित)		12.27	11.52
परामर्शदात्री खर्चे (टीए/डीए सहित)		1.60	4.59
संचार व्यय		15.96	14.68
यात्रा और वाहन भाड़ा व्यय (विदेश यात्रा सहित)	101.06		107.45
विदेश यात्रा	11.62		13.21
		112.68	120.66
निविदा व्यय	28.80		22.04
घटाएं :– निविदाओं की बिक्री	4.19		5.04
		24.61	17.00
सांविधिक लेखा–परीक्षकों को भुगतान			
लेखा–परीक्षा शुल्क	0.59		0.57
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.06		0.11
अन्य क्षमता में	0.72		1.13
बकाया राशियां	-		0.13
व्यक्तिगत खर्चे में से	0.94		0.78
		2.31	2.72
विज्ञापन और प्रचार		11.85	12.22
मुद्रण और लेखन सामग्री		6.90	6.36
पुस्तकें, पत्रिकाएं और जनरल		1.27	1.16
ईडीपी किराया और अन्य खर्चे		9.32	3.94
मनोरंजन संबंधी खर्चे		1.62	2.09
दलाली और कमीशन		0.41	0.36
अनुसंधान और विकास व्यय		5.40	3.40
लागत लेखा–परीक्षा और वास्तविक सत्यापन शुल्क		1.34	0.76
किराया		10.31	11.32
उन परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है		0.62	3.93
सीईआरसी याचिका और अन्य व्यय		48.85	37.88
विविध व्यय		61.50	59.81

टिप्पणी 2.30/ट्रांसमिशन, प्रशासन और अन्य खर्चे (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
बागवानी व्यय		14.04		12.23
सुरक्षा व्यय		119.87		103.28
वाहन को किराए पर लेना		107.41		124.12
बीमा		84.34		72.38
दरें और कर		6.35		7.85
डीओटी को लाईसेंस शुल्क		34.28		23.44
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा व्यय (दूरसंचार) आदि		22.14		22.35
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतत विकास व्यय		114.06		27.73
मार्गस्थ निवास व्यय	11.21			9.17
घटाएं :– मार्गस्थ निवास से आय	1.15			0.92
		10.06		8.25
ग्राहकों को छूट *		115.70		114.29
विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन (एफआरवी का निवल लाभ और वसूल करने योग्य राशि)		4.56		-
प्रावधान				
अन्य	7.50			43.95
		7.50		43.95
		1682.89		1534.85
घटाएं :–निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल – टिप्पणी संख्या 2.32 देखें)		142.51		179.95
			1540.38	1354.90
अचल परिसम्पतियों के निपटान/बट्टे खाते डालने पर हानि			**0.49**	0.26
जोड़			**1540.87**	1355.16
मरम्मत और रखरखाव में शामिल किए गए सामान की खपत			**178.78**	137.53

और टिप्पणियां :–

*कंपनी ने सुसंगता आधार पर राज्य विद्युत उपयोगिताओं से देयताओं की बेहतर और समयोचित रूप से वसूली करने के लिए एलसी/चेक/आरटीजीएस के जरिए प्राप्त भुगतान के लिए छूट की अनुमति दी है।

टिप्पणी 2.31/पूर्व अवधि मदें (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
ट्रांसमिशन प्रभार	**17.87**	1.74
मूल्यह्रास/परिशोधन अभिलिखित	**60.07**	-
अन्य	**0.79**	(0.66)
	78.73	1.08
व्यय		
विद्युत व्यय	**0.66**	37.77
दरें और कर	**0.25**	3.76
ब्याज	**11.92**	-
अन्य	**1.24**	5.96
	14.07	47.49
पूर्व अवधि व्यय/ (आय) (निवल)	**(64.66)**	46.41
घटाएं :– निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल – टिप्पणी संख्या 2.32 देखें)।	**0.08**	(0.71)
जोड़	**(64.74)**	47.12

टिप्पणी 2.32/निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		407.99		465.94
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		64.05		80.69
कल्याण व्यय		31.31		29.48
जोड़ (क)			**503.35**	576.11
(ख) अन्य व्यय				
मरम्मत और अनुरक्षण				
भवन	4.22			4.40
अन्य	17.81			3.81
		22.03		8.21
विद्युत खर्च	3.63			11.40
घटाएं :– ठेकेदारों से वसूली गई राशि	0.24			0.39
		3.39		11.01
डीजल जेनरेटिंग सेटों पर खर्च		0.35		0.88
जल प्रभार		0.80		0.50
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय		2.28		0.07
कानूनी खर्च		2.27		2.74
व्यावसायिक खर्च		4.89		2.59
परामर्शदायी खर्च		0.49		1.41
संचार व्यय		1.97		2.43
यात्रा और वाहन यात्रा व्यय (विदेश यात्रा सहित)		33.60		46.28
निविदा व्यय	6.95			8.28
घटाएं :– निविदाओं की बिक्री	4.03			4.49
		2.92		3.79
लेखापरीक्षकों को भुगतान		0.13		0.06
विज्ञापन और प्रचार		1.35		0.53
मुद्रण और लेखन सामग्री		0.62		0.78
पुस्तकें, पत्रिकाएं और जरनल		0.02		0.02
ईडीपी किराया और अन्य खर्च		0.28		1.07
मनोरंजन संबंधी खर्च		0.03		0.13
दलाली और कमीशन		0.07		0.07
किराया		3.11		4.91
विविध व्यय		12.99		15.51
बागवानी व्यय		0.59		0.42
सुरक्षा व्यय		16.77		19.47
वाहनों का किराए पर लेना		30.52		55.53
बीमा		0.04		0.61
दरें और कर		0.40		0.23
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा व्यय (दूरसंचार)		0.14		0.19
मार्गस्थ निवास व्यय	0.47			0.54
घटाएं :– मार्गस्थ निवास से आय	0.01			0.03
		0.46		0.51
उप–जोड़			**142.51**	179.95
पूर्वावधि समायोजन (निवल)			**0.08**	(0.71)
जोड़ (ख)			**142.59**	179.24
(ग) मूल्यह्रास/परिशोधन			**12.11**	12.64

टिप्पणी 2.32/निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(घ) वित्त लागत				
(क) निम्न से ऋणों पर ब्याज				
भारतीय बैंको, वित्तीय संस्थान और कारपोरेशन	541.73			557.31
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	94.23			107.15
सुरक्षित/असुरक्षित विमोच्य बांड	1449.31			1637.90
विदेशी मुद्रा बांड	60.05			70.72
		2145.32		2373.08
(ख) अन्य उधारी लागतें				
वचनबद्धता प्रभार	11.67			13.24
गारंटी शुल्क	65.27			71.09
अन्य वित्त प्रभार	16.65			2.19
		93.59		86.52
जोड़ (घ)			**2238.91**	2459.60
(ङ) घटाएं :– अन्य आय				
निम्न से ब्याज				
भारतीय बैंक	21.99			33.08
ठेकेदार	45.80			147.22
अन्य	0.20			1.37
		67.99		181.67
विविध आय		3.68		11.01
जोड़ (ङ)			**71.67**	192.68
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ)			**2825.29**	3034.91

अन्य टिप्पणियां

2.33 ईस्ट–साउथ–इंटरकनेक्टर– II पारेषण परियोजना (ईएसआई) और सासाराम पारेषण परियोजना (एसटीपी) के लिए प्रभावित आपूर्तियों के संबंध में 209.99 करोड़ रूपए के मानित निर्यात लाभ के समतुल्य नकदी वर्ष 2002–2003 के दौरान विद्युत मंत्रालय, (भारत सरकार) के निर्देशों पर विश्व बैंक से ईएसआई परियोजना के संबंध में संपूर्ण आपूर्ति तथा एसटीपी के संबंध में मार्च, 2000 से पूर्व की गई आपूर्ति के लिए ऋण प्राप्त नहीं होने के कारण सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को अदा की गई थी और इसे लेखा बहियों में पूंजीकृत किया गया था। उसके बाद, विश्व बैंक ने ईएसआई परियोजना और एसटीपी परियोजना, दोनों को वित्त पोषित किया, जैसा कि मूल रूप से संकल्पित है और वे मानित निर्यात लाभों के लिए पात्र हुए। परिणामगत कंपनी ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास दावे प्रस्तुत किए।

इस संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2016 तक प्राप्त हुई संचयी राशि और विपूंजीकृत राशि 12.12 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 12.12 करोड़ रूपए) है। कंपनी संबंधित संपत्तियों/परियोजनाओं के पूंजी मूल्य के रूप में 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार 197.87 करोड़ रूपए (विगत वर्ष 197.87 करोड़ रूपए) दर्शाती रही है।

2.34 (क) व्यापारिक प्राप्यों की अविशेष राशि और परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई वसूलनीय राशि तथा देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई व्यापारिक और अन्य राशि में ऐसी अविशेष राशि शामिल है, जो कि ऋण और अग्रिमों में और व्यापार देयताओं में कतिपय शेष पुष्टिकरण और परिणामी समायोजन, यदि कोई है, के अधीन है। तथापि, समायोजन सतत आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रबंधन की राय में, अचल सम्पत्तियों को छोड़कर किसी सम्पत्ति का मूल्य, निर्धारित परिसम्पत्तियों और व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली गैर–वर्तमान से भिन्न किसी भी परिसम्पत्तियों का मूल्य, जिन पर इन्हें तुलन पत्र में वर्णित किया जाता है, से कम नहीं होगा।

2.35 लागत जमा परामर्शदायी संविदाओं के संबंध में सूचना को उसी रूप में मानते हुए, जैसा कि लेखाकरण मानक (एएस–7) (संशोधित 2002) "निर्माण संविदाओं" को ध्यान में रखते हुए परामर्शदायी कारोबार को माना गया है, जो कि निम्नानुसार उपलब्ध है :–

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
i)	लागत जमा परामर्शदायी संविदा कार्यों पर मानी गई राजस्व की राशि	360.02	286.65
ii)	**स्वीकृत संविदा राजस्व को निर्धारित करने लिए प्रयुक्त प्रक्रिया :** निष्पादन एजेंसियों के लिए ठेका देने के चरण तक कुल परामर्श शुल्क का 15 प्रतिशत (जिसमें से निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करने तक 10 प्रतिशत आपूर्ति सहित कार्य की प्रगति पर 85 प्रतिशत (कार्य के प्रगति प्रभारी इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित मानी जाती है)	–1.16.7 लेखाकरण नीति	–1.16.7 लेखाकरण नीति
iii)	निर्माण संविदाओं पर उपगत लागतों की संचयी राशि	16057.72	13297.23
iv)	वर्ष के अंत में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की संचयी राशि	18167.29	15493.67
v)	वर्ष के अंत में ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	14.95	31.70
vi)	वर्ष के अंत में परिसम्पत्ति के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों के पास सकल राशि	25.97	44.28
vii)	वर्ष के अंत में देयता के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों को देय सकल राशि	2289.82	1312.14

2.36 कंपनी को 01 जुलाई, 2011 से लागू पीओसी (प्वाइंट ऑफ कनेक्शन) प्रभार तंत्र के माध्यम से सभी अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाईसेंस धारकों (आईएसटीएस) की ओर से, जो विद्युत मंत्रालय द्वारा मेगावाट पावर आबंटन पर आधारित पुराने तंत्र के स्थान में पावर स्वीकृत टायल अन्तःक्षेपण पर आधारित बिलिंग में शामिल हैं, ट्रांसमिशन खर्चों की बिलिंग वसूली और संवितरण (बीसीडी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तंत्र द्वारा कंपनी का राजस्व अप्रभावित रहेगा।

पीओसी तंत्र से व्यथित कुछ लाभार्थियों ने भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपीलें दायर की हैं। कंपनी द्वारा दायर अपील पर उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ऐसी सभी अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दी गई हैं और कंपनी ने मामले का निपटान होने तक नई तिथि के अनुसार सभी आंदोलनकारी राज्यों को पूरे पारेषण प्रभार अदा करने के निदेश देने का भी अनुरोध किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी लाभार्थियों को भुगतान जारी करने का निदेश दिया और तदनुसार लाभार्थियों ने उक्त निदेशों के अनुसार भुगतान करना शुरू कर दिया है।

2.37 सीईआरसी ने अपने विनियमन के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (टीओसीओ) 01.07.2010 को ध्यान में रखते हुए बारह–बालिया ट्रांसमिशन लाईन के संबंध में दिनांक 29.04.2011 को टैरिफ आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ लाभार्थियों में से एक लाभार्थी ने विद्युत संबंधी अपीलीय अधिकरण (एटीई) में अपील दायर की है, जिसमें कंपनी द्वारा दावेकित उपरोक्त टीओसीओ के आधार पर सीईआरसी द्वारा स्वीकृत टैरिफ को चुनौती दी गई है। एटीई ने दिनांक 02.07.2012 के अपने आदेश के तहत पाया कि 01.07.2010 का टीओसीओ उपयुक्त नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता ने उल्लेख किया था कि ट्रांसमिशन लाईन अगस्त, 2011 से नियमित सेवा में था अर्थात् यह तब नियमित सेवा में था जब जेनरेटिंग कंपनी अर्थात् एनटीपीसी के कार्यक्षेत्र में दूसरा सिरा पूरा हो गया था अर्थात् अगस्त, 2011 को यद्यपि कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र को 01.07.2010 से पूरा कर लिया था। तदनुसार, एटीई ने ट्रांसमिशन लाईन के टीओसीओ और टैरिफ का पुनर्निर्धारण करने के लिए इस मामले को सीईआरसी को लौटा दिया था। इस पर कंपनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि 01.07.2010 का टीओसीओ, सीईआरसी विनियमों के अनुसार था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15.03.2013 को कंपनी द्वारा दायर अपील के आधार पर उक्त ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए सीईआरसी के समक्ष सभी कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया था। कंपनी ने अपने निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत संशोधित लागत अनुमान के आधार पर संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष 28.02.2013 को दूसरी याचिका भी दायर की थी। बाद में 08.10.2013 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीईआरसी को टीओसीओ तारीख के निर्धारण के संबंध में अपील निपटान होने तक उक्त ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए टैरिफ के निर्धारण के साथ कार्रवाई करने का निदेश दिया है। सीईआरसी ने दिनांक 30.06.2015 के अपने आदेश के तहत 01.09.2011 से टीओसीओ का पुनर्निर्धारण कर दिया है और माननीय एटीई के निर्णय के अनुसार टैरिफ में संशोधन कर दिया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय दिनांक 03.03.2016 के अपने आदेश के तहत माननीय एटीई के निर्णय की संपुष्टि कर दी है। कंपनी द्वारा दिनांक 03.03.2016 के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत किए गए पुनरीक्षा आवेदनपत्र को माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 12.05.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसार दिनांक 01.07.2010 के पूर्व टीओसीओ के स्थान पर इस टीएल के लिए राजस्व को 01.09.2011 से स्वीकार कर लिया गया है। और 01.07.2010 से 31.08.2011 तक की अवधि के लिए 112.57 करोड़ रूपए (सीईआरसी के आदेश के अनुसार एनटीपीसी से वसूल किए गए 18.63 करोड़ रूपए की निवल राशि) मूल्य की ट्रांसमिशन आय को वर्ष के दौरान अपवर्तित कर दिया गया है।

2.38 कनेक्टिविटी की दीर्घावधि पहुंच, अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन में मध्यावधि पहुंच तथा समय–समय पर यथा संशोधित सीईआरसी के विनियमन, 2009 के अनुसार सभी ट्रांसमिशन घटक, 25 वर्ष तक के लिए दीर्घावधिक ग्राहकों (एलटीए) की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित हैं तथा ट्रांसमिशन शुल्क ऐसे दीर्घावधिक ग्राहकों से वसूलनीय है। मध्यावधि खुली पहुंच (एमटीओए) के लिए कोई अतिरिक्त ट्रांसमिशन घटक निर्मित नहीं है, बल्कि उनके लिए मौजूदा बेशी ट्रांसमिशन क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। बेशी क्षमता के उपयोग पर जो कि बहुत कम और अस्थाई प्रकृति का होता है, एमटीओए ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले शुल्क का उपयोग, एलटीए ग्राहकों के खर्चों को कम करने के लिए किया जाता है। इससे कंपनी का राजस्व निष्क्रिय होता है।

एक एमटीओए ग्राहक ने 16.06.2003 से 3 वर्ष की अवधि के लिए एमटीओए के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन क्षमता का उपयोग नहीं किया है। तथापि, कंपनी के करार के अनुसार ग्राहक को बिल दिया गया। लेकिन एमटीओए ग्राहक ने 16.06.2013 से 31.01.2014 तक की अवधि में 15.64 करोड़

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

रूपए की अपनी बिल देयताओं में धोखाधड़ी की है। बकाया राशि के वसूल नहीं होने के कारण कंपनी ने MTOA के आदेश के अनुसार 01.02.2014 से एसटीई को रद्द कर दिया है। तब से दूसरे ग्राहकों से कुल ट्रांसमिशन शुल्कों को वसूल किया जा रहा है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गया आवेदन अवधि के दौरान दूसरे ग्राहकों से 16.06.2013 से 31.01.2014 तक कर अवधि के लिए ऐसे MTOA ग्राहक की देयताओं की वसूली को स्वीकार करने के लिए सीईआरसी के पास लंबित है।

एलटीए के लिए कंपनी के साथ किए गए अपने करार में उसी ग्राहक द्वारा धोखाधड़ी किए जाने के कारण कंपनी ने वर्ष के दौरान 31.03.2016 तक 48.00 करोड़ रूपए मूल्य की निर्माण बैंक गारंटी की नकदी प्राप्त कर ली है और उससे प्राप्त हुई राशि को 31.03.2016 तक उसके 15.64 करोड़ रूपयों की बकाया राशि और 6.80 करोड़ रूपयों के बकाया अधिशुल्क के लिए समायोजित कर लिया है।

2.39 विद्युत मंत्रालय के दिनांक 25 मार्च, 2015 और 29 दिसंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/2/2015–पीजी में निहित निर्देश के अनुसरण में निदेशक मंडल ने 9 मार्च, 2016 को संपन्न हुई अपनी बैठक में कंपनी द्वारा पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटिड (पोसोको) द्वारा धारक 3064000 ईक्विटी शेयरों (जो कि 100 प्रतिशत धारक है) को भारत सरकार को बेचने और अंतरण करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने पोसको के शेयरों को भारत सरकार को अंतरित करने का अनुमोदन कर दिया है। इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल ने इसका भी अनुमोदन किया है कि खरीद की इस मद को अंतरण की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख से पोसोको के तुलन पत्र के आधार पर परिकलित किया जाए। ये शेयर अभी अंतरित किए जाने है।

2.40 (1) 1841.03 करोड़ रूपए के FERV की क्षति (जो कि विगत वर्ष 510.52 करोड़ रूपए थी) को अचल परिसम्पत्तियों/कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)/पट्टा प्राप्यों की संबंधित रखाव राशि में समायोजित कर दिया गया है।

(2) 4.56 करोड़ रूपए के FERV की हानि (जब कि विगत वर्ष 12.46 करोड़ रूपए का लाभ हुआ था) को लाभ और हानि के विवरण स्वीकृत किया गया है।

2.41 लेखाकरण नीति/लेखाकरण पद्धति में परिवर्तन

(क) मोबाईल फोनों की लागत जिसे अब तक पूंजीकृत किया गया था और परिसम्पत्ति की उपयोगी अवधि में जिसका मूल्यह्रास हो रहा है, अब उसे लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जा रहा है। ऐसा परिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप लाभ में 1.89 करोड़ रूपए का घाटा हुआ है, जिससे सकल ब्लॉक और संचित मूल्यह्रास में क्रमश: 7.13 करोड़ रूपए और 5.24 करोड़ रूपए की कमी हुई है।

(ख) जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में विनिश्चित किया गया है, कंप्यूटर और पेरीफेरेल तथा सर्वर और नेट वर्क के संघटकों के संबंध में दूरसंचार और परामर्शी खंड अधिशेष मूल्य को शून्य माना गया है। ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप लाभ में 0.30 करोड़ रूपए की कमी हुई है, जबकि उसके सदृश मूल्यह्रास में वृद्धि हुई है।

(ग) सर्वर की लागत जो कि अब तक की 3 वर्ष की उपयोगी अवधि में मूल्यह्रास हुआ था, अब 5 वर्ष की उपयोगी अवधि में उसका मूल्यह्रास हो रहा है। ऐसे परिवर्तन के फलस्वरूप लाभ में 1.10 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई है, जबकि उसके सदृश मूल्यह्रास में कमी हुई है।

2.42 एएस 16–''उधारी लागतों'' के अनुसार वर्ष के दौरान पूंजीगत उधार लागत 2238.91 करोड़ रूपए है (जब कि विगत वर्ष 2459.60 करोड़ रूपए थी)।

2.43 कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदायक ऐसे है जो माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा यथा अपेक्षित माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:–

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
1	प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त मूलधन और उस पर देय शेष ब्याज : मूलधन ब्याज	 शून्य शून्य	 0.02 0.06
2	प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के दौरान निश्चित दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमईडी अधिनियम, 2008 की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और अदायगी योग्य ब्याज की राशि (जिसे अदा किया गया है, लेकिन वर्ष के दौरान निश्चित दिन के बाद अदा किया गया) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2008 के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
4	प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और जो अदत्त रही राशि है।	शून्य	0.06
5	ऐसी तारीख तक उत्तरवर्ती वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य शेष और ब्याज की राशि जब उपरोक्त अनुसार देय ब्याज को वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम, 2008 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए छोटे उद्यम को देय ब्याज को जाता है।	शून्य	0.00

2.44 लेखाकरण मानक एएस 15 – ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार प्रकटन

परिभाषित कर्मचारी लाभ/अंशदान योजनाएं निम्नानुसार है:–

(क) भविष्य निधि

कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग न्यास को भविष्य निधि की निश्चित राशि अदा करती है, जो अनुमेय प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है। परिवार पेंशन योजना में अंशदान उपयुक्त प्राधिकारियों को अदा किया जाता है। निधि में अंशदान संबंधित अवधि के लिए 84.57 करोड़ रूपए है (जो कि विगत वर्ष 76.48 करोड़ रूपए था) को व्यय के रूप में माना जाता है तथा लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है और भारत सरकार द्वारा यथा–निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर सदस्यों के अंशदान पर ब्याज देना सुनिश्चित करना है। बीमांकिक की रिपोर्ट के अनुसार समग्र ब्याज अर्जन और संचयी अतिरेक सांविधिक ब्याज भुगतान अपेक्षा से अधिक होता है। अत: कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

(ख) **उपदान**

कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा इससे अधिक की निरंतर सेवा की है, वह 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) अधिवार्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अपंगता अथवा मृत्यु सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए के अधीन उपदान प्राप्त करने के लिए हकदार है। योजना का वित्त पोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उसके लिए देयता वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन पर तुलन पत्र की तारीख को मानी जाती है।

(ग) **पेंशन**

कंपनी की निर्धारित पेंशन अंशदान योजना है। कंपनी के अंशदान को एक पृथक न्यास को अदा किया जाता है। वर्ष के लिए अदा/देय अंशदान की राशि 102.19 करोड़ रुपए है (जो कि विगत वर्ष 73.11 करोड़ रुपए थी) जिसको व्यय माना गया है तथा लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

(घ) **सेवानिवृति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (PRMF)**

कंपनी में सेवा निवृति पश्चात चिकित्सा सुविधा (PRMF) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी और पति–पत्नी को सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बाह्य रोगी के रूप में उपचार करा सकते हैं। यह योजना निधिदित नहीं है और वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित तुलन पत्र की तारीख को मानी जाती है।

(ङ) **छुट्टी नकदीकरण**

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (क्षतिपूरित अनुपस्थिति सहित) और अर्धवेतन छुट्टी की सुविधा प्रदान करती है, जो वार्षिक रूप से क्रमश: 30 दिन और 20 दिन तक के लिए होती है। सेवा में रहने पर अर्जित छुट्टी नकदीकरणीय है। अर्धवेतन छुट्टी (एचपीएल) अधिकतम 300 (एचपीएल) तक 55 वर्ष की आयु के बाद केवल वियोजन पर नकदीकरणीय है। तथापि, छुट्टी की कुल राशि, जिसे अधिवर्षित पर नकदीकृत किया जा सकता है, 300 दिनों तक सीमित होगी और अर्धवेतन छुट्टी का सारांशीकरण अनुमत नहीं होगा। इसके लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर एकीकृत है।

(च) **अन्य निर्धारित सेवानिवृति लाभ (ODRB)**

कंपनी में सेवानिवृत कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए अपने गृह नगर में बसने के लिए एक योजना है। यह योजना निधिदत्त नहीं है और इसके लिए देयता वार्षिक आधार पर तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन पर मानी जाती है।

उपरोक्त योजनाओं (घ), (ङ) और (च) के लिए निधि की व्यवस्था नहीं की जाती है।

(छ) लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र में दर्शाए गए विभिन्न निर्धारित लाभों की संक्षिप्त स्थिति और निधिदत्त स्थिति निम्नानुसार है–

(क) लाभ और हानि लेखे में स्वीकृत किए गए व्यय :

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		छुट्टी		ओडीआरबी	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्तमान सेवा लागत	25.54	23.75	9.44	8.23	21.27	19.38	0.79	0.74
लाभ बाध्यता पर ब्याज लागत	37.51	36.48	20.55	18.64	26.62	25.06	1.21	1.21
योजना परिसंपतियों पर प्रत्याशित अभिलाभ	(37.37)	(33.84)	-	-	-	-	-	-
वर्ष में स्वीकृत में निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(28.04)	0.93	16.22	16.29	48.85	52.53	(0.26)	(0.38)
लाभ और हानि लेखे में माना गया	(2.36)	27.32	46.21	43.16	96.74	96.97	1.74	1.57

(ख) योजना परिसम्पतियों पर वास्तविक प्रतिफल 41.42 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 38.99 करोड़ रुपए)।

(ग) तुलन पत्र में स्वीकृत राशि :

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		छुट्टी		ओडीआरबी	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(1) वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	477.48	468.86	295.36	256.79	369.61	332.79	16.02	15.14
(2) वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	506.72	467.08	-	-	-	-	-	-
अंतर (2) – (1)	29.24	(1.78)	(295.36)	(256.79)	(369.61)	(332.79)	(16.02)	(15.14)
तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसम्पति (देयता)	29.24	(1.78)	(295.36)	(256.79)	(369.61)	(332.79)	(16.02)	(15.14)

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

(घ) परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : (रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		छुट्टी		ओडीआरबी	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष के शुरू में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	468.85	429.21	256.80	219.33	332.80	313.26	15.14	14.26
ब्याज लागत	37.51	36.48	20.54	18.64	26.62	25.06	1.21	1.21
वर्तमान सेवा लागत	25.54	23.75	9.44	8.23	21.27	19.38	0.78	0.74
अदा किया गया लाभ	(30.44)	(26.66)	(7.65)	(5.70)	(59.94)	(77.44)	(0.85)	(0.69)
बाध्यता पर निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(23.98)	6.07	16.23	16.29	48.86	52.53	(0.26)	(0.38)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	477.48	468.85	295.36	256.79	369.61	332.79	16.02	15.14

(ङ) योजना परिसम्पतियों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन : (रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष के शुरू में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	467.08	423.01
योजना परिसम्पतियों पर प्रत्याशित अभिलाभ	37.37	33.84
नियोक्ता द्वारा अंशदान	28.66	31.74
अदा किया गया लाभ	(30.44)	(26.65)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.05	5.14
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	506.72	467.08

(ज) अन्य कर्मचारी लाभ

वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए दीर्घ सेवा पुरस्कार के लिए 0.95 करोड़ रुपए की राशि (जो कि विगत वर्ष 1.24 करोड़ रुपए थी) का प्रावधान किया गया है।

(झ) योजना परिसम्पतियों के ब्यौरे (उपदान) :

लागत पर योजना परिसम्पतियों के ब्यौरे निम्नानुसार है :–

(रु. करोड़ में)

कमांक	विवरण	क्रय मूल्य पर	
		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
i)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	104.05	96.14
ii)	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	129.44	121.24
iii)	निगम बांड/डिबेंचर	279.58	254.32
iv)	भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष जमा राशि	5.13	5.13
v)	अन्य परिसम्पतियां	12.75	13.97
	जोड़:–	530.95	490.80
	घटाएं : योजना परिसम्पतियों में पीसीको के शेयर	24.23	23.72
	सकल जोड़	506.72	467.08

(ञ) बीमांकिक पूर्वानुमान

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रमुख पूर्वानुमान निम्नानुसार है:–

(1) प्रयुक्त विधि – पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) (पिछले वर्ष (पीयूसी))।

(2) छूट की दर – 8.00 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.00 प्रतिशत)।

(3) परिसम्पतियां (केवल उपदान) पर अभिलाभ की प्रत्याशित दर–8.00 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.00 प्रतिशत)।

(4) भावी वेतन वृद्धि – 6.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.50 प्रतिशत)।

भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में जो बीमांकिक मूल्यांकन में माने गए है, उनमें (1) मुद्रा स्फीति, (2) वरिष्ठता, (3) पदोन्नति और (4) अन्य संगत कारकों, जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग को ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, योजना परिसम्पतियों पर प्रत्याशित प्रतिफल को मुख्य रूप से योजना परिसम्पतियों, परिसम्पति प्रबंधन के निर्धारित जोखिम और योजना परिसम्पतियों के लिए मूल प्रतिफल के अनेक अनुप्रयोज्य कारकों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है।

(ट) कंपनी का वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उपदान के प्रति सर्वोत्तम अनुमान शून्य है (पिछले वर्ष 1.51 करोड़ रुपए था)।

(ठ) पीआरएमएफ की चिकित्सा लागत में वृद्धि/कमी प्रतिशत बिन्दु का प्रभाव निम्नवत होगा:–

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण	वृद्धि		कमी	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
सेवा और ब्याज लागत	8.30	5.26	(3.25)	(4.37)
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	68.68	60.24	(27.54)	(24.38)

ड. अनुभव समायोजन

(रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
उपदान (1) योजना परिसम्पतियां – हानि / (अभिलाभ) (2) बाध्यता – हानि / (अभिलाभ)	4.05 23.99	3.03 7.72
पीआरएमएफ बाध्यता – हानि / (अभिलाभ)	(16.22)	(10.44)
ओआरटीएम बाध्यता – हानि / (अभिलाभ)	0.26	0.90
छुट्टी बाध्यता – हानि / (अभिलाभ)	(48.85)	(50.97)

2.45 एएस–17 "खण्ड सूचना" के अनुसार प्रकटन :–

(क) व्यवसाय खण्ड

कंपनी का प्रमुख व्यवसाय भारत के विभिन्न राज्यों में थोक विद्युत पारेषण करना है। तथापि, एएस–17 "खण्ड रिपोर्टिंग" के एएस–17 पैरा 28 के अनुसार दूरसंचार और परामर्श व्यवसाय को भी रिपोर्ट योग्य खंड के रूप में माना गया है।

(ख) खण्ड राजस्व और व्यय

खंड में दिखाए गए प्रत्यक्ष राजस्व को खंड राजस्व के रूप में माना गया है। खंडों में दिखाए गए प्रत्यक्ष व्यय और युक्तिसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय खंड व्यय के रूप में माने गए हैं।

(ग) खण्ड परिसम्पतियां और देयताएं

खंड परिसम्पतियों में सभी प्रचालनात्मक परिसम्पतियां शामिल हैं जिनमें निवल अचल परिसम्पतियां चालू संपतियां तथा ऋण और अग्रिम शामिल हैं। चालू निर्माण कार्य, निर्माण भण्डार और अग्रिमों तथा निवेशों को अनाबंटित सम्पतियों में शामिल किया गया है। खंड देयताओं में ऋण देयताएं चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

खण्ड रिपोर्टिंग

(रु. करोड़ में)

	पारेषण		परामर्श		दूरसंचार		विलोपन		जोड़	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
राजस्व										
प्रचालनों में राजस्व (आबंटन योग्य अन्य आय सहित) व्यवसाय खण्ड	20183.10	16742.40	473.34	387.73	393.23	276.56			21049.67	17406.69
अंतर खंड राजस्व					42.67	24.39	(42.67)	(24.39)		
प्रचालनों में निवल राजस्व	20183.10	16742.40	473.34	387.73	435.90	300.95	(42.67)	(24.39)	21049.67	17406.69
खंड परिणाम	11919.00	9579.20	340.56	252.82	162.55	63.33			12422.11	9895.35
अनाबंटित ब्याज और अन्य आय									231.51	373.35
अनाबंटित वित्त लागत									5034.89	3979.32
कर पूर्व लाभ									7618.73	6289.38
करों के लिए प्रावधान									1592.01	1310.21
कर–पश्चात लाभ									6026.72	4979.17
अन्य सूचना :										
खंड परिसम्पतियां	126171.06	98916.96	1703.82	1099.30	816.71	800.82			129691.59	100817.08
अनाबंटित परिसम्पतियां									49737.33	57483.80
कुल परिसम्पतियां									179428.92	158300.88
खंड देयताएं	8272.46	6786.89	2776.46	1845.83	391.81	550.09			11440.73	9182.81
अनाबंटित अन्य देयताएं (ऋण सहित)									124254.22	110951.48

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

	पारेषण		परामर्श		दूरसंचार		विलोपन		जोड़	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
कुल देयताएं									135694.95	120134.29
मूल्यह्रास और परिशोधन	6091.26	4994.34	0.90	0.77	90.60	90.30			6182.76	5085.41
मूल्यह्रास को छोड़ कर गैर–नकदी व्यय	0.56	24.18	2.88	0.46	4.53	19.57			7.97	44.21
पूंजीगत व्यय	25826.80	29740.87	1.10	0.26	28.00	53.82			25855.90	29794.95

(घ) कंपनी का प्रचालन मुख्यतः देश के अंदर किया जाता है और इसलिए कोई भौगोलिक खंड विशेष उल्लेखनीय नहीं है।

2.46 एएस–20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रकटन

प्रति शेयर आय आय (बुनियादी और तनुकृत) के परिकलन में विचार किए गए घटक निम्नानुसार हैः–

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (रु. करोड़ रुपए)	6026.72	4979.17
हर के रूप में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5231589648	5231589648
प्रति शेयर (बुनियादी और तनुकृत) आय (रुपए में)	11.52	9.52
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए में)	10	10

2.47 एएस–18 ''संबंधित पार्टी प्रकटन'' के अनुसार प्रकटन

(क) **संबंधित पक्षकारों की सूची :–**

(1) **मुख्य प्रबंधन कार्मिक**

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक	(10 नवंबर, 2015 से)
श्री आर. एन. नायक	अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक	(30 सितंबर, 2015 से अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति)
श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)	
श्री आर. पी. ससमाल	निदेशक (प्रचालन)	
श्रीमती दिव्या टंडन	कंपनी सचिव	

(2) **पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां :–**

1. पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको)
2. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
3. पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
4. पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड
5. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
6. पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड
7. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटिड)
8. पावरग्रिड बरोड़ा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती गाडरवाडा (क) ट्रांसको लिमिटिड)
9. पावरग्रिड पारिल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती गाडरवाडा (ख) ट्रांसको लिमिटिड)
10. पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती वेमागिरी–2 ट्रांसमिशन लिमिटेड)
11. ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड*

* ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड में 0.05 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी का भुगतान अप्रैल, 2016 में कर दिया गया है। तथापि, पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटिड द्वारा निदेशक मंडल के गठन के नियंत्रण के आधार पर कंपनी ने इसे पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में स्वीकार कर लिया है।

(3) **संयुक्त उद्यम :–**

1. पावरलिंक्स ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
2. टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड
3. जेपी पावरग्रिड लिमिटेड
4. पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
5. तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
6. नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड
7. नैशनल हाई पावर टैस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड
8. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
9. बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
10. कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राईवेट लिमिटेड
11. क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
12. पावरग्रिड ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
13. आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राईवेट लिमिटेड

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

(ख) वर्ष के दौरान उपरोक्त 2.47 (क) में संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन निम्नवत है:– (रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए वर्ष के दौरान लेन–देन		**12.94**		17.57
पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	11.13		17.57	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड	1.81		-	
कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए लेन–देन		**102.79**		52.60
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	-		0.19	
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.18		18.39	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड	29.42		7.93	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.08		-	
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.15		0.24	
पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	7.07		4.90	
क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	3.94		3.94	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	30.38		16.76	
कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राईवेट लिमिटेड	-		0.25	
तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	16.93		-	
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	2.41		-	
पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	0.23		-	
वर्ष के अंत में वसूलनीय राशि		**193.00**		200.29
पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-		0.01	
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	21.50		22.21	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड	-		4.19	
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.13		0.25	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	9.19		7.08	
कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राईवेट लिमिटेड	0.85		0.84	
पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	57.15		47.12	
पावरग्रिड वेमागिरी प्रसारण निगम प्राईवेट लिमिटेड	19.37		19.37	
पावरग्रिड एन एम ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.30		23.26	
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.47		50.19	
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.42		2.95	
क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-		0.30	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.06		0.10	
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04		4.08	
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.71		18.34	
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	0.03		-	
ग्रिड कंडक्टर्स लिमिटेड	0.08		-	
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.57		-	
पावरग्रिड पारेल ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.87		-	

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
पावरग्रिड साऊदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	19.18		-	
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राईवेट लिमिटेड	0.08		-	
वर्ष के अंत में देय राशि		**56.25**		51.84
पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.09		0.09	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड	5.36		-	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2.78		2.78	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	-		3.28	
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	7.58		1.70	
पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	-		3.61	
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	40.44		40.38	
वर्ष के दौरान किया गया निवेश				
ईक्विटी		**65.92**		113.45
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	26.11		-	
पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-		14.71	
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	5.38		-	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	30.28		10.00	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड	-		9.03	
पावरग्रिड एन एम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-		23.95	
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	-		54.68	
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	-		0.05	
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-		0.05	
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	3.90		0.98	
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05		-	
पावरग्रिड पारिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05		-	
पावरग्रिड साऊदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.05		-	
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राईवेट लिमिटेड	0.10		-	
परामर्शी आय		**29.27**		-
पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.12		-	
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.26		-	
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.03		-	
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.48		-	
पावरग्रिड पारिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.52		-	
पावरग्रिड साऊदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	14.86		-	
दिए गए ऋण		**1159.72**		229.70
पावरग्रिड एनएन ट्रांसमिशन लिमिटेड	535.50		91.34	
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	532.36		138.36	
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	26.12		-	
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.31		-	

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.34		-	
पावरग्रिड बरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.17		-	
पावरग्रिड पारिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.28		-	
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	15.64		-	
ऋण पर ब्याज		**49.23**		3.41
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	24.09		1.17	
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	22.83		2.24	
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.70		-	
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.60		-	
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00		-	
पावरग्रिड बरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00		-	
पावरग्रिड पारिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00		-	
पावरग्रिड साऊदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.01		-	
ऋण पर दिया गया ब्याज		**25.45**		3.41
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	14.29		1.17	
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.08		2.24	
पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.63		-	
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.44		-	
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00		-	
पावरग्रिड बरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00		-	
पावरग्रिड पारिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00		-	
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.00		-	
प्राप्त लाभांश		**82.13**		95.36
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	44.72		44.14	
पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	20.07		15.32	
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	4.68		12.87	
टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	1.29		1.64	
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लमिटेड	10.69		21.39	
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.68		-	
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए वसूली		**0.35**		0.67
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-		0.02	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	-		0.35	
क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.35		0.30	

(ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक/आयोग (CERC) (अंतरराज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों को साझा करना) विनियमन, 2010 के अनुसार कंपनी, विनियमन के तहत केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता होने के कारण सभी अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) लाईसेंसों की ओर से बिलिंग, संग्रहण और पारेषण प्रभारों के संवितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तदनुसार, संबंधित पक्षों के लिए सीटीयू की क्षमता में किए गए संग्रहण के लिए कंपनी के लेन–देन निम्नानुसार है:–

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष		विगत वर्ष	
संबंधित पक्षों के साथ सीटीयू की क्षमता में कंपनी मे लेन–देन		1054.89		789.29
पार्वती कोलडेम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	163.13		21.73	
टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	57.62		55.70	
जेपी पावरग्रिड ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	170.69		190.37	
नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	401.29		261.91	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	260.98		259.58	
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.18		-	

(घ) पूर्ण कालिक निदेशकों, जिनमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं, का पारिश्रमिक 3.00 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष में 2.90 करोड़ रुपए था) है और 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी को बकाया देयताओं की राशि 0.18 करोड़ रुपए है (जो कि पूर्ववर्ती वर्ष मे 0.19 करोड़ रुपए थी)।

2.48 एएस–19 "पट्टे" के अनुसार प्रकटन

(क) वित्त पट्टे :–

दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों तथा अल्पावधि ऋण और अग्रिमों में पट्टा प्राप्य राशियां शामिल हैं, जो राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के संबंध में संघटकों के साथ कंपनी द्वारा किए गए वित्त पट्टा लेन–देनों पर प्राप्य राशियां का भविष्य भावी पट्टा किरायों के वर्तमान मूल्य को दर्शाते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक (एएस) 19 "पट्टे" के अनुसार अपेक्षाओं का प्रकटन नीचे दिया गया है:–

(1) पट्टा प्राप्य राशियों का समाधान (टैरिफ अधिनियम के लिए सीईआरसी को प्रस्तुत/इसके द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत डाटा के अनुसार) निम्नानुसार है:–

(रु. करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	वर्ष के प्रारंभ में अधिग्रहीत और पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों का सकल मूल्य	1154.08	1099.56
जोड़ें	वर्ष के प्रारंभ में पूर्व अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य के लिए समायोजन	(18.13)	21.92
	वर्ष के प्रारंभ में परिसम्पत्तियों का संशोधित सकल मूल्य	1135.95	1121.48
घटाएं	वर्ष के प्रारंभ तक उपलब्ध कराई गई पूंजी वसूली	782.26	706.45
जोड़ें	वर्ष के प्रारंभ से पूर्व अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों के लिए पूंजी वसूली	(1.30)	6.65
	वर्ष के प्रारंभ तक उपलब्ध कराई गई संशोधित पूंजी वसूली	780.96	713.10
	विगत वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को बकाया पूंजी वसूली	354.99	408.38
जोड़ें	चालू वित्तीय वर्ष में अधिग्रहीत और पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों का सकल मूल्य	75.95	32.60
घटाएं	वर्तमान वर्ष के लिए पूंजी वसूली	74.54	69.16
	वर्ष के अंत में पट्टे से प्राप्य राशियां	356.40	371.82

(2) वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का पट्टा विलेख मूल्य में सकल निवेश के ब्यौरे निम्नवत् हैं :–

(रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
पट्टे में सकल निवेश	466.75	529.24
अनार्जित वित्त आय	110.35	157.42
न्यूनतम पट्टे के भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	356.40	371.82

(3) 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार अनार्जित वित्तीय आय 110.35 करोड़ रुपए है (जो कि विगत वर्ष 157.42 करोड़ रुपए थी)।

(4) एएस–19 के अनुसार ऐसे पट्टों की संविदात्मक परिपक्वता का मूल्य निम्नवत् है:–

(रु. करोड़ में)

विवरण	पट्टे में सकल निवेश		एमएलपी का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
एक वर्ष के बाद नहीं	103.54	101.35	82.72	73.67
एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष के बाद नहीं	186.22	245.46	132.63	173.49
पांच वर्ष के बाद	176.98	182.43	141.05	124.66
जोड़	**466.74**	**529.24**	**356.40**	**371.82**

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

(5) निम्न के संबंध में लेखाओं और टैरिफ रिकार्डों के अनुसार वर्ष के अंत में शेष पट्टा प्राप्यों में अंतर है :–

(क) 68.52 करोड़ रुपए करोड़ रुपए (विगत वर्ष 17.33 करोड़ रुपए) की राशि की अमुक्त देयताएं। ऐसी लागत केवल ऐसी देयताओं के निर्वहन पर परियोजना लागत बन जाती है।

(ख) 57.79 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 61.14 करोड़ रुपए) की राशि की पट्टा प्राप्यों में शामिल ऋण पर अपरिशोधित FERV ऐसे ऋण पर अपरिशोधित एफईआरवी। ऐसी FERV को वास्तविक भुगतान के आधार पर भाग के रूप में वसूले जाने की अनुमति है।

(ख) प्रचालनरत पट्टे :–

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टे की व्यवस्था, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए कार्यालय और अतिथि गृह/मार्गस्थ शिविर के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संदर्भ में है। उन्हें प्राय: बातचीत कर इनका नवीनीकरण किया जाता है। लेकिन ये रद्द करने योग्य नहीं है। पट्टा के भुगतान, निवल वसूली, कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध में पारिश्रमिक और लाभ में 40.59 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष रु. 36.36 करोड़) शामिल है (जो कि विगत वर्ष 31.87 करोड़ रुपए थे)। कार्यालय के लिए परिसर और अतिथि गृह/मार्गस्थ शिविर के संबंध में 10.31 करोड़ रुपए का पट्टा भुगतान शामिल है (जो कि विगत वर्ष 10.52 करोड़ रुपए का था), जिसे किराया टिप्पणी 2.30 परिचालन, प्रशासन तथा अन्य व्यय में दर्शाया गया है।

2.49 एएस 27 –"संयुक्त उद्यमों" में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के अनुसार प्रकटन:–

	संयुक्त उद्यम कंपनी के नाम	को स्वामित्व का समानुपात (%)	
		31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
(क)	**भारत में निगमित संयुक्त उद्यम**		
1	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड*	49%	49%
2	टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	26%	26%
3	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	26%	26%
4	पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	26%	26%
5	तीस्तवैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	26%	26%
6	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड	26%	26%
7	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड	21.64%	20%
8	इनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	13.63%	25%
9	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	50%	50%
10	कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राईवेट लिमिटेड	50%	50%
11	क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	26%	26%
12	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राईवेट लिमिटेड	50%	-
(ख)	**भारत से बाहर निगमित संयुक्त उद्यम**		
1	पावरग्रिड ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	26%	26%

*टिप्पणी 2.52(1)(V)(ग) देखें।

31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं और पूंजीगत प्रतिबद्धता में कंपनी के शेयर और उनके लेखाओं के आधार पर उपरोक्त संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंध में वर्ष के लिए लाभ और व्यय नीचे दिए गए है :–

(रु करोड़ में)

		31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 तक की स्थिति के अनुसार
(क)	परिसम्पत्तियां		
	▪ गैर–चालू परिसम्पत्तियां		
	• अचल परिसम्पत्तियां	2064.52	1766.63
	• दीर्घावधि ऋण	119.04	85.77
	▪ चालू परिसम्पत्तियां	332.05	333.96
	जोड़	**2515.61**	**2186.36**
(ख)	देयताएं		
	• गैर–चालू देयताएं	1364.46	1232.61
	• चालू देयताएं	388.00	236.33
	जोड़	**1752.46**	**1468.94**
(ग)	आकस्मिक देयताएं	40.48	31.55
(घ)	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	493.84	579.59
		चालू वर्ष	**विगत वर्ष**
(ङ)	आय	435.02	328.36
(च)	व्यय (कर के लिए प्रावधान)	393.54	203.21

वित्तीय वर्ष 2015–16 से संबंधित उपरोक्त आंकड़ों का संकलन, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी को छोड़ कर, गैर–लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर किया गया है।

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

2.50 एएस 28 –''परिसम्पत्तियों की हानि'' के अनुसार प्रकटन:–

लेखाकरण मानक (एएस 28) ''परिसम्पत्तियों की हानि'' के अनुसार, कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख को ऐसा मूल्यांकित किया है कि किन्हीं सम्पत्तियों की हानि के संबंध में क्या कोई संकेत है। ऐसे निर्धारण के आधार पर यह पता लगाया गया है कि वर्तमान में कोई संभावित हानि नहीं है। तदनुसार लेखा बहियों में किसी हानिकारी हानि का प्रावधान नहीं किया गया है।

2.51 पूंजी और अन्य वचनबद्धताएं

(1) पूंजी लेखा पर निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है, 23502.87 करोड़ रुपए है (जो कि विगत वर्ष 24189.22 करोड़ रुपए थी)।

(2) 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनियों में 336.24 करोड़ रुपए की राशि का और निवेश किए जाने वचनबद्धता है (जब कि विगत वर्ष 427.61 करोड़ रुपए की थी)।

(3) 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनियों में 12260.25 करोड़ रुपए की राशि का और निवेश किए जाने की वचनबद्धता है (जब कि विगत वर्ष 4261.42 करोड़ रुपए की थी)।

2.52 आकस्मिक देयताएं

1. कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें निम्न के संबंध में ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(1) पूंजी कार्य

हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति और अधिष्ठापन तथा कार्य निष्पादन के लिए कुछ संविदाओं में संविदा मूल्य के संवर्धन, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची का संशोधन, विस्तारित कार्य अवधि के लिए क्षतिपूर्ति, निरर्थक खर्चे आदि की मांग करते हुए 1666.86 करोड़ रुपए (जब कि विगत वर्ष 219.14 करोड़ रुपए की मांग की गई थी) के लिए कंपनी पर दावे दर्ज किए हैं। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित संविदाओं के उपबंधों के संबंध में स्वीकार्य नहीं होने से अमान्य सिद्ध किया जा रहा है।

कंपनी इन दावों का निपटान करने के लिए संविदा में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। ऐसा समाधान होने तक ऐसे दावों के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्प्रवाह, यदि कोई हो, के यथार्थवादी अनुमान करने के लिए व्यवहार्य नहीं है।

(2) भूमि की क्षति पूर्ति करने के मामले

परियोजनाओं लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के संबंध में भूमि खोने वालों ने विभिन्न प्राधिकरणों और न्यायालयों में अत्यधिक क्षति पूर्ति किए जाने के दावे दायर किए हैं, जिन्हें अभी निपटाया जाना है। ऐसे मामलों में 4041.30 करोड़ रुपए (जब कि विगत वर्ष 2253.11 करोड़ रुपए की मांग की गई थी) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(3) अन्य दावे

विभिन्न राज्यों/केन्द्र सरकार के विभागों/प्राधिकरणों द्वारा भवन अनुमति शुल्क, कृषि भूमि से गैर–कृषीय भूमि में विपथन पर अर्थदंड, नाला कर, जल रायल्टी आदि पर और अन्य द्वारा किए गए दावों के संबंध में 28.66 करोड़ रुपए (जब कि विगत वर्ष 44.09 करोड़ रुपए की मांग की गई थी) की राशि आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(4) विवादित आयकर/बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका के कर के मामले

विवादित आय कर/बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर के मामले विभिन्न अपीलीय अधिकरणों में लंबित हैं, जिनमें 359.03 करोड़ रुपए (जब कि विगत वर्ष 391.22 करोड़ रुपए की मांग की गई थी) की राशि शामिल है और विभिन्न अपीलीय अधिकरणों में विवादित हैं। इनमें से अनेक मामलों को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा वे उच्च अधिकरणों में विवादित हैं।

(5) अन्य

(क) 342.23 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयताएं हैं (जो कि विगत वर्ष 303.65 करोड़ रुपए की थी)।

(ख) कुछ लाभार्थियों ने सीईआरसी के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध अपीलें दायर की हैं। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि अभिनिश्चेय नहीं है।

(ग) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ किए गए ट्रांसमिशन सेवा करार (टीएसए) के अंतर्गत कंपनी को टीएसए के अनुसार निर्धारित प्रफुल्ल कीमत पर जेवी कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) को खरीदने का दायित्व निहित है। यदि टीएसए के अंतर्गत जेवी कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) 'पावरग्रिड के दोषी होने पर' अथवा ''बाध्यकारी उपाय करने की स्थिति में'' कंपनी समाप्ति का नोटिस देती है, तो उसके फलस्वरूप ऐसे दायित्व को पूरा किया जाना होगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी स्थिति अनिश्चित है।

2. (क) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी, (जो पूर्णस्वामित्व की सहायक कंपनी है) नामतः पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (विगत में नागापट्टीनम मदुगिरि ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड), पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (विगत में वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड), विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड और उंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड और विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड को टैरिफ आधारित बोली के तहत अधिनिर्णित कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अधिकार में लिया गया है। कंपनी द्वारा एसपीवी कंपनियों की ओर से सौंपे गए कार्य के निष्पादन के लिए दी गई बैंक गारंटी के ब्यौरे निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	एसपीवी का नाम	31.03.2016	31.03.2015
1	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	45.00	45.00
2	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	45.00	45.00
3	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	5.40	5.40
4	पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.96	5.96
5	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.50	31.50
6	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	62.10	-
7	पावरग्रिड पारली ट्रांसमिशन लिमिटेड	63.90	-
8	पावरग्रिड साऊदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	110.04	-

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

(ख) कंपनी ने देयताओं और नियमित भुगतान के लिए गारंटी तथा पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किए गए बांड पर 290 करोड रूपए मूल्य की राशि की देयता और नियमित भुगतान करने के लिए और अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए गारंटी दी है।

2.53 विदेशी मुद्रा प्रकटन

व्युत्पन्न लिखित द्वारा प्रतिरक्षित नहीं अथवा अन्यथा

विवरण		विदेशी मुद्रा में राशि (करोड़ में)		राशि (करोड़ रूपए में)	
		31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
उधारियां	यूएसडी	416.87	412.01	27888.87	26034.82
	ईयूआरओ	11.17	4.33	848.22	297.12
	एसईके	314.14	250.27	2591.68	1841.97
	जेपीवाई	199.95	218.13	119.47	115.04
ब्याज उद्भूत परन्तु उस पर देय नहीं जिसमे एजेंसी फीस वचनबद्धता फीस और अन्य शुल्क शामिल है					
	यूएसडी	1.33	0.94	88.86	59.54
	ईयूआरओ	0.02	0.02	1.64	1.04
	एसईके	0.60	1.16	4.97	8.51
	जेपीवाई	0.52	0.55	0.31	0.29
व्यापार देयताएं/जमा राशियां और प्रतिधारण राशि	यूएसडी	8.50	10.79	568.85	679.18
	ईयूआरओ	1.70	7.92	128.85	543.53
	एसईके	19.81	114.61	163.40	843.58
	सीएचएफ	0.00	0.03	0.00	1.51
	जीबीपी	1.19	0.64	114.64	58.71
व्यापार से प्राप्त राशियां और बैंक शेष	यूएसडी	0.08	0.22	5.37	13.78
	एनपीआर	0.09	0.07	0.06	0.04
संविदाओं की अनिष्पादित राशि जिसे निष्पादित किया जाना है	यूएसडी	49.79	23.44	3331.02	1480.92
	ईयूआरओ	8.15	10.00	618.45	685.64
	एसईके	0.40	25.80	3.30	189.89
	सीएचएफ	0.12	0.90	8.62	54.14
	जीबीपी	15.38	18.66	1481.71	1709.07

2.54 आईसीएआई द्वारा जारी किए गए क्रियाकलापों पर दर विनियमित क्रियाकलापों पर दिशानिर्देशी टिप्पणी (जीएन) वित्तीय वर्ष 2015–16 से लागू

कंपनी मुख्यतया विद्युत का ट्रांसमिशन करने के कार्य मे लगी हुई है। अपने ग्राहकों को विद्युत का ट्रांसमिशन करने के लिए कंपनी द्वारा प्रभारित कीमत का निर्धारण, टैरिफ विनियमों के अनुसार सीईआरसी द्वारा किया जाता है। ऐसे टैरिफ का निर्धारण, मूल्यह्रास, ब्याज, ईक्विटी पर प्रतिलाभ, प्रचालन और अनुरक्षण व्यय आदि जैसी लागत के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के विनियम के इस रूप को सेवा विनियमन की लागत के रूप में जाना जाता है, जो कि कंपनी सेवाएं प्रदान करने के साथ निर्धारित आय प्रदान करने की उसकी लागत होती है। कंपनी ने सीईआरसी द्वारा जारी किए गए टैरिफ विनियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में जीएन प्रक्रिया को अपनाया है।

सीईआरसी के टैरिफ विनियमों मे ऐसी व्यवस्था है कि विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मौद्रिक मदों का निपटान करने/निरूपण करने से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर की राशि को परवर्ती अवधि में लाभार्थियों से वसूल किया जा सकता है। ऐसे विनिमय अंतर को निर्माण अवधि के दौरान "विनियामक आय/व्यय" में क्रेडिट या डेबिट से "विनियामक परिसम्पत्ति/देयता के रूप में स्वीकार किया गया है और उसे उस वर्ष से समायोजित किया जा सकता है, जिसमें वह लाभार्थियों से वसूल करने या अदा किए जाने योग्य बनती है।

भावी अवधि में लाभार्थियों से वसूल करने या अदा किए जाने योग्य राशि को बहियों में विनियमित परिसम्पत्तियों/देयता के रूप में स्वीकार किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:–

विवरण	विनियमित परिसम्पत्तियां (करोड़ रूपए में)
(क) 01.04.2015 की स्थिति अनुसार अथशेष *	37.72
(ख) वर्ष के दौरान संवर्धन/(कटौती)	(0.05)
(ग) वर्ष के दौरान प्राप्त हुई/लौटाई गई राशि	0.00
(घ) लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत विनियमित आय/ (व्यय) (ख–ग)	(0.05)
(ड.) 31.03.2016 की स्थिति अनुसार अंतशेष (क–घ)	37.67

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

*आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति के मत के अनुसार विनिमय के ऐसे अंतर को ''विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसम्पति / देयता'' के रूप में लेखाओं में शामिल किया गया है।

2.55 एसईबीआई (सूचीयन का दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुच्छेद 34 (3) द्वारा यथा–अपेक्षित प्रकटन :

(क) ऋण के स्वरूप में ऋण और अग्रिम :

1. सहायक कंपनियों को –

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	निम्नोक्त तारीख को बकाया		निम्नोक्त के दौरान अधिकतम बकाया राशि	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	535.50	91.34	535.50	91.34
पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	532.36	138.36	532.36	138.36
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	26.12	-	26.12	-
पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.31	-	30.31	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.34	-	2.34	-
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.17	-	12.17	-
पावरग्रिड पारिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.28	-	5.28	-
पावरग्रिड साऊदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	15.64	-	15.64	-

2. ऐसी फर्मों / कंपनियों को जिनमें निर्देशक इच्छुक हैं : शून्य
3. जहां सात वर्षों के बाद कोई चुकौती अनुसूची अथवा चुकौती नहीं है अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ब्याज अथवा ब्याज नहीं है : 1159.72 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 229.70 करोड़ रुपए) (चुकौती अनुसूची सात वर्ष के बाद है)।

(ख) पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि विस्तार में दिया गया है): शून्य

2.56 कोरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ–साथ कोरपोरेट सामाजिक दायित्व नियम, 2014 के साथ पठित डीपीई दिशानिर्देश संख्या एफ संख्या 15 (13) / 2013–डीपीई (GM) के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उसकी सीएसआर नीति के अनुसार तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा उपार्जित औसत निवल लाभ के न्यूनतम दो प्रतिशत भाग का उपयोग, सामाजिक दायित्वों को निभाने में करना अपेक्षित है। वर्ष के दौरान सीएसआर के व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार है–

(रु करोड़ में)

विवरण	राशि
(क) वर्ष 2015–16 के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	121.79
(ख) सीएसआर पर खर्च की गई राशि – राजस्व व्यय	88.17
– पूंजीगत व्यय	27.61
(ग) सीएसआर के रिजर्व में विनियोजित की गई कम हुई राशि	6.01
(घ) सीएसआर पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे –	
1. शिक्षा और कौशल विकास पर व्यय (टिप्पणी 2.30)	53.53
2. पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर व्यय (टिप्पणी 2.30)	4.44
3. स्वास्थ्य और स्वच्छता पर व्यय (टिप्पणी 2.30)	27.71
4. खेल, कला और संस्कृति पर व्यय (टिप्पणी 2.30)	0.46
5. विविध व्यय (टिप्पणी 2.30)	0.31
6. कंपनी के निजी सीएसआर कार्मिकों को वेतन, मजदूरियां और	1.72
अन्य लाभ जिन की सीमा सीएसआर पर खर्च की जाने वाली	27.61
कुल अपेक्षित राशि का 5 प्रतिशत तक सीमित होगी (टिप्पणी 2.27)	115.78
7. पूंजीगत व्यय	
जोड़	
सीएसआर पर खर्च की गई राशि	
(ड.) 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार 115.78 करोड़ रुपए और 115.26 करोड़ रुपए की	
कुल राशि नकद खर्च की गई है और 0.52 करोड़ रुपए का अभी नकद भुगतान किया जाना है।	

2.57 सामान्य कर का भुगतान किए जाने की अनिश्चितता पर विचार करते हुए व्यवसाय के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए एमएटी क्रेडिट को एक परिसम्पति के रूप में स्वीकृत नहीं किया जाता है।

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

2.58 (क) सीआईएफ के आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(1) पूंजीगत व्यय	2481.15	3718.56
(2) अतिरिक्त कलपुर्जे	16.23	13.28

(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय (संभूति आधार पर)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(1) ब्याज	410.66	341.71
(2) अन्य	58.21	82.93

(ग) प्रयुक्त किए गए संघटकों, भण्डार और अतिरिक्त कलपुर्जों का मूल्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	%	चालू वर्ष	%	विगत वर्ष
(1) आयातित	7.70%	13.77	9.91%	13.63
(2) देशीय (ईंधन सहित)	92.30%	165.01	90.09%	123.90

(घ) विदेशी मुद्रा में उपार्जन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(1) ब्याज	0.01	0.19
(2) परामर्शी शुल्क	20.27	37.85

2.59 (क) दो दशमलव के आंकड़ों को निकटस्थ करोड़ रुपयों में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/सुव्यवस्थित किया गया है।

कृते और निदेशक–मंडल की ओर से

(दिव्या टंडन)
कंपनी सचिव

(आर.टी. अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

(आई.एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के.मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001135 एन

कृते आर.जी. एन. प्राईस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002785S

कृते कोठारी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 301178ई

कृते पारख एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001475सी

(सीए. एम. के जुनेजा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 013117

(सीए. आर. रंगाराजन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 041883

(सीए. मनसवी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064601

(सीए. इन्द्र पाल सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या 410433

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक लेखाकरण शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाहों का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है, जिससे अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक शामिल हैं, जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसम्पतियों के रक्षोपाय के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकार्डों का रखरखाव शामिल है और ऐसी धोखाधड़ियों को रोकना और उनका पता लगाने के लिए तथा अन्य अनियमितताएं, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन और उनको लागू करना, राय और अनुमान लगाना शामिल है, जो उचित प्रासंगिक हैं तथा उपर्युक्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को लागू करना और रख–रखाव शामिल है, जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप में प्रचालन में थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनका प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत थे, जो सही और निष्पक्ष राय देते हैं तथा महत्वपूर्ण गलतबयानों से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा चूक के कारण हो।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है।

हमने लेखा परीक्षा करते समय अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखा परीक्षा मानकों तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि इस नीतिपरक अपेक्षाओं और प्लान का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों को समग्र गलतबयानी, चाहे धोखेधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती हैं। उन जोखिम मूल्यांकनों को बनाने में लेखापरीक्षक के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उनके उचित प्रस्तुतीकरण पर इन स्वामित्व वाली कंपनी के साथ संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, तैयार की जा सकें, लेकिन इस पर राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ कि स्वामित्व वाली कंपनी में वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्थित है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और स्वामित्व वाली कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी मान्य लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मान्य राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोच्च जानकारी एवं हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण, अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं:

(क) तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति।

(ख) लाभ और हानि के विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ की स्थिति।

(ग) उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के विवरण के मामले में नकदी प्रवाह की स्थिति।

महत्वपूर्ण मामला

हम वित्तीय विवरणों में उल्लिखित टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:–

(क) ट्रांसमिशन प्रभारों से प्राप्त राजस्व को अनंतिम रूप से स्वीकार करने के संबंध में टिप्पणी संख्या 2.25 (ख)।

(ख) व्यापारिक प्राप्य करने और वसूल करने योग्य राशियों और अन्य देयताओं, यदि कोई है, के तुलन की संपुष्टि, स्वीकृति और परिणामी समायोजन के संबंध में टिप्पणी संख्या 2.34 (क)।

इन मामलों के संबंध में हमारी रांशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के प्रावधान के तहत अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार अपेक्षित है, हम अनुप्रयोज्य सीमा में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण अनुलग्नक "1" में देते हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (5) के अनुसार हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पूर्वोक्त धारा के तहत जारी निर्देशों पर विवरण अनुलग्नक "2" में देते हैं।
3. धारा 143 की उप–धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित हम सूचित करते हैं कि–
   (क) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।
   (ख) हमारी राय में, जैसा कि बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है विधि द्वारा अपेक्षित कंपनी द्वारा समुचित लेखापरीक्षा बहियां रखी गई हैं।
   (ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।
   (घ) मान्य राय पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़ कर हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह के विवरण, कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।
   (ङ) 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा ऑन रिकार्ड लेने पर 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं है।
   (च) कंपनी की वित्तीय स्थिति सूचित करने पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और ऐसे नियंत्रण को प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाने की पर्याप्तता के संबंध में हमारी एक पृथक रिपोर्ट को अनुलग्नक "3" में देखें।
   (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारा यह मत है कि–
      (1) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणें में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुद्दों के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 2.38 और 2.52 को देखें।
      (2) कंपनी को व्युत्पन्नी संविदाओं सहित कोई दीर्घ अवधि संविदाएं नहीं है, जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित क्षतियां थी।
      (3) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षण और संरक्षण को स्थानान्तरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरणकारी लेखाओं में कोई देरी नहीं हुई है।

कृते एस.के.मित्तल एंड कंपनी	**कृते पारख एंड कंपनी**	**कृते कोठारी एंड कंपनी**	**कृते आर.जी. एन. प्राईस एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001135 एन	फर्म पंजीकरण संख्या 001475सी	फर्म पंजीकरण संख्या 301178ई	फर्म पंजीकरण संख्या 002785S
(सीए. एम. के जुनेजा)	**(सीए. इन्द्र पाल सिंह)**	**(सीए. मनस्वी कोठारी)**	**(सीए. आर. रंगाराजन)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता संख्या 013117	सदस्यता संख्या 410433	सदस्यता संख्या 064601	सदस्यता संख्या 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

अनुलग्नक "1"

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में जैसा उल्लिखित किया गया है, हम सूचित करते हैं कि–

(1) (क) कंपनी ने सामान्यतया रिकार्डों का रख–रखाव किया हुआ है, जिनमें मात्रात्मक ब्यौरे और अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति के संपूर्ण विवरण दर्शाए गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान बाह्य एजेंसियों द्वारा अचल परिसम्पत्तियों की वास्तविक रूप से जांच की गई है। हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी कारोबर की प्रकृति के संबंध में उनकी निरंतर जांच करना युक्तिसंगत है। ऐसी जांच में कोई आर्थिक कमी का पता नहीं चला है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर निम्नोक्त परिसम्पत्तियों को छोड़ कर कंपनी के नाम पर अचल परिसम्पत्तियों के हकदारी के विलेख हैं:–

	मामलों की संख्या	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	टिप्पणियां
पट्टे पर भूमि	12	49.57	42.39	---
फ्रीहोल्ड भूमि	36	212.60	212.60	---
भवन	28	7.27	2.64	मुंबई में फ्लेट

(2) वर्ष के दौरान बाहरी एजेंसियों द्वारा मालसूचियों की वास्तविक जांच की गई है। हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके कारोबर की प्रकृति के संबंध में उनकी निरंतर जांच करना युक्तिसंगत है। ऐसी जांच में कोई आर्थिक कमी का पता नहीं चला है।

(3) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 189 के अंतर्गत बना कर रखे गए रजिस्टर में शामिल उसके पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों को प्रतिभूति रहित ऋण स्वीकृत किए हैं।

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत शामिल की गई उधार लेने वाली कंपनियों को जिन शर्तों पर ऋण स्वीकृत किए गए हैं, उनसे प्रथम दृष्टया ऐसा पता चलता है कि ये कंपनी के हित प्रतिकूल हैं।

(ख) मूलधन और ब्याज का भुगतान करने की प्रतिदान की अनुसूची निर्धारित की गई है तथा की प्रतिदान और प्राप्तियां नियमित हैं।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बना कर रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों को स्वीकृत किए ऋणों के संबंध में 90 दिनों से अधिक कोई बकाया राशि नहीं है।

(4) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने हानियों, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(5) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 में उल्लिखित प्रावधानों तथा अन्य संबद्ध प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की है। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (5) कंपनी पर लागू होता है।

(6) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वार विनिश्चित और कंपनी द्वारा बना कर रखे गए लागत संबंधी रिकार्डों की कंपनी के ट्रांसमिशन और दूरसंचार प्रचालनों की मोटे तौर पर पुनरीक्षा की है तथा हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित रिकार्ड बनाए हुए हैं और उनको संभाल कर रखा हुआ है। तथापि, यह निर्धारित करने के विचार से कि क्या वे सही या पूरे हैं, हमने लागत संबंधी रिकार्डों की विस्तार से जांच नहीं की है।

(7) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यतया भविष्य निधि, आय कर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और कंपनी पर लागू होने वाले अन्य सांविधिक शुल्क सहित अविवादित सांविधिक देनदारियों को जमा करने में नियमित है और दिनांक 31 मार्च, 2016 को जिस दिन देय हो, उससे 6 महीने से अधिक की कोई सांविधिक देनदारी बकाया नहीं है। जैसा हमें सूचित किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निम्न विवादित बकाया सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क जिसे जमा नहीं किया गया है, विवादित देयताएं नहीं हैं। तथापि, आय कर अथवा बिक्री कर अथवा सेवा कर अथवा मूल्य वर्धित कर अथवा उपकर देयताओं की निम्नलिखित विवादित मांगों को जमा नहीं किया गया है :–

विधान का नाम	देयताओं का स्वरूप	राशि* (करोड़ रुपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	10.23	2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11	आईटीएटी, दिल्ली
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	10.86	2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13	सीआईटी (ए) दिल्ली
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	8.74	2007-08 to 2014-15	टीएएन के अधिकारिक मूल्यांकन अधिकारी
आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	1.15	2006-07, 2007-08, 2008-09, 2012-13, 2015-16	टीएएन के अधिकारिक मूल्यांकन अधिकारी
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1.57	2003-04	सीईएसटीएटी, कोलकाता
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1.89	2007-08, 2008-09	आयुक्त (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), भुवनेश्वर
जे एंड के जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	50.88	1995-96 to 2001-02	बिक्री कर अपीलीय अधिकरण, जम्मू और कश्मीर

विधान का नाम	देयताओं का स्वरूप	राशि* (करोड़ रूपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
जे एंड के जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	72.99	2002-03 to 2010-11	उप आयुक्त (बिक्री कर), जम्मू और कश्मीर
पंजाब वैट अधिनियम, 2005	प्रवेश कर	9.64	2011-12 to 2013-14	माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उप कर अधिनियम, 1996	उप कर	3.85	2007-08	माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला
कुल		**171.80**		

* मांग राशि जिसमें ब्याज, बचाव अधीन प्रदत्त निवल राशि शामिल है।

(8) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने वित्तीय संस्थानों, बैंकों को ऋण का प्रतिदान करने तथा बोंड धारकों को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है।

(9) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने आवधिक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है जिनमें उनके द्वारा इस प्रयोजनार्थ बोंड के माध्यम से प्राप्त की गई निधियां शामिल हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण संबंधी प्रपत्र (बोंड) जारी करके निधियां जुटाई हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक या आगे पब्लिक पेशकश करने के तरीके से धनराशि नहीं जुटाई है।

(10) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

(11) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित उसकी धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेश आवश्यक अनुमोदन के अनुसार कंपनी द्वारा प्रबंधकीय पारिश्रमिक अदा किया गया है अथवा अदा किया जा रहा है।

(12) अधिनियम की धारा 406 के तहत जैसा निर्धारित है, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(12) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(13) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार जहां कहीं भी लागू होता है, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी कारोबार अधिनियम की धारा 177 और 178 के अनुसार किए जाते हैं तथा इनके ब्यौरों के प्रकटीकरण, लागू लेखाकरण मानकों द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(14) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय ऋण पत्रों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से कोई प्राथमिक आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है।

(15) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने निदेशकों और उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी कारोबार नहीं किया है।

(16) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (16) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

कृते एस.के.मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 001135 एन	**कृते पारख एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 001475सी	**कृते कोठारी एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 301178ई	**कृते आर.जी. एन. प्राईस एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 002785एस
(सीए. एम. के जुनेजा) भागीदार सदस्यता संख्या 013117	**(सीए. इन्द्र पाल सिंह)** भागीदार सदस्यता संख्या 410433	**(सीए. मनसवी कोठारी)** भागीदार सदस्यता संख्या 064601	**(सीए. आर. रंगाराजन)** भागीदार सदस्यता संख्या 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

अनुलग्नक "2"

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा पर **पॉवारग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (कंपनी) के सदस्यों को प्रस्तुत की गई हमारी सम संख्यक दिनांक की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुलग्नक

क्रमांक	निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमश: स्पष्ट हकदारी/पट्टा विलेख हैं? यदि नहीं तो कृपया ऐसे फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए हकदारी/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास 212.60 करोड़ रुपए मूल्य की 452.04 हेक्टेयर तथा 49.57 करोड़ रुपए मूल्य की 323.56 हेक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़ कर फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट हकदारी/ पट्टा विलेख हैं।	कंपनी ऐसी फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि के लिए स्पष्ट हकदारी/पट्टा विलेख प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठा रही है।	शून्य
2.	क्या छूट/उधार /ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते डालने का कोई मामला है? यदि हां, तो उसके कारण और निहित राशि बताएं।	हमें प्रदत्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार छूट/उधार /ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते डालने का कोई मामला नहीं है।	लागू नहीं	शून्य
3.	क्या तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी मालसूचियों और सरकार या अन्यों से उपहार और अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसम्पत्तियों के कागजात संबंधी उचित रिकार्डो का रख–रखाव किया जाता है?	कंपनी ने तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी मालसूचियों और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार और अनुदान (अनुदानों) के रूप में प्राप्त परिसम्पत्तियों के पर्याप्त रिकार्डो का रख–रखाव किया हुआ है। कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई है।	उचित रिकार्ड का रख–रखाव किया जाता है।	शून्य

कृते एस.के.मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001135 एन

(सीए. एम. के जुनेजा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 013117

कृते पारख एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001475सी

(सीए. इन्द्र पाल सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या 410433

कृते कोठारी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 301178ई

(सीए. मनस्वी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064601

कृते आर.जी. एन. प्राईस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002785एस

(सीए. आर. रंगाराजन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

अनुलग्नक "3"

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** समेकित वित्तीय विवरणों पर के संबंध में उसी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न ("कंपनी") के सदस्यों के लिए

हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के अनुच्छेद (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन से की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)" द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित अत्यावश्यक आंतरिक नियंत्रण के संघटकों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजायन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है, जो कि कारोबार का सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहे थे, जिनमें अधिनियम में यथापेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और गलतियों की रोकथाम करना, लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता और संपूर्णता तथा जैसा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर रखे जाने वाले कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय प्रकट करना है। हम वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा का संचालन करते हैं, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माने गए हैं, जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा करने के लिए लागू होते हैं, ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और ये दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में हमसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करेंगे तथा ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करेंगे कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया था और उनको बना कर रखा गया था तथा क्या ऐसा नियंत्रण सभी वस्तुगत पहलुओं पर प्रभावशाली ढंग से रखा गया था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी प्रचालन की प्रभावकारिता की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का अनुपालन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना कि वस्तुगत कमजोरी विद्यमान है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजायन और प्रचालनात्मक प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की वस्तुगत गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा गलती से हो, का मूल्यांकन करना शामिल है।

हमारा विश्वास है कि लेखापरीक्षा के लिए जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखापरीक्षा करने और अपनी राय देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन दिया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी निम्नोक्त नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं:–

(1) जो कि रिकार्डों का रखरखाव करने से संबंधित हैं जिनमें से कंपनी की परिसम्पत्तियों के लेन–देन और निपटान से संबंधित उचित ब्यौरे, परिशुद्धता और सत्यता परिलक्षित होती है,

(2) जो ऐसा उचित आश्वासन देती है कि लेन–देन के रिकार्ड को उतना रखा गया है जो कि सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक है तथा कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की स्वीकृति से किए जाते हैं और

(3) जो कि कंपनी की परिसम्पत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा प्रबंधन की रोकथाम करने और उनका समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्भूत सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतरभूत सीमाओं के कारण जिनमें नियंत्रणों पर सांठ–गांठ अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना होना तथा ऐसी गलती या धोखाधड़ी होने के कारण जिसका पता नहीं चल सकता था, के बारे में वस्तुगत गलत बयानी करना शामिल है। साथ ही, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाने से भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपन अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की सीमाघट सकती है।

राय

हमारी राय में सभी वस्तुगत पहलुओं के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया है तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)" द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालन में थे।

कृते एस.के.मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 001135 एन	**कृते पारख एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 001475सी	**कृते कोठारी एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 301178ई	**कृते आर.जी. एन. प्राईस एंड कंपनी** चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 002785एस
(सीए. एम. के जुनेजा) भागीदार सदस्यता संख्या 013117	**(सीए. इन्द पाल सिंह)** भागीदार सदस्यता संख्या 410433	**(सीए. मनसवी कोठारी)** भागीदार सदस्यता संख्या 064601	**(सीए. आर. रंगाराजन)** भागीदार सदस्यता संख्या 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

समेकित वित्तीय विवरण

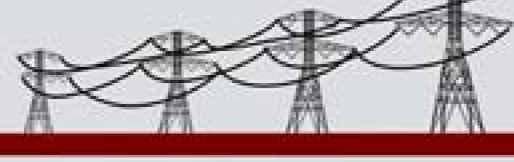

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
1. इक्विटी और देयताएं				
शेयरधारकों की निधियां				
(क) शेयर पूंजी	2.1	5231.59		5231.59
(ख) रिजर्व और बेशी	2.2	37736.09		33207.14
			42967.68	38438.73
आस्थगित राजस्व	2.3		5773.29	4812.59
गैर–वर्तमान देयताएं				
(क) दीर्घावधि उधार	2.4	101775.73		90492.47
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	2.5	2524.51		2490.45
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	2.6	1379.53		1110.15
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	2.7	686.45		610.50
			106366.22	94703.57
वर्तमान देयताएं				
(क) अल्पावधि उधार	2.8	2002.90		1206.49
(ख) व्यापारिक देय राशियां	2.9	344.00		430.19
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	2.10	23056.60		20016.60
(घ) अल्पावधि प्रावधान	2.11	1408.85		1156.11
			26812.35	22809.39
जोड़		181919.54	160764.28	
2. परिसम्पतियां				
गैर–वर्तमान परिसम्पतियां				
(क) अचल परिसम्पतियां				
(1) वास्तविक परिसम्पतियां	2.12	115876.14		90385.78
(2) अवास्तविक परिसम्पतियां	2.13	1011.09		805.28
(3) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	2.14	35610.74		40262.76
(4) विकासाधीन अवास्तविक परिसम्पतियां	2.15	172.11		213.28
			152670.08	131667.10
(ख) निर्माण भण्डार	2.16		10350.69	13205.24
(ग) गैर–वर्तमान निवेश	2.17	14.50		19.49
(घ) आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसम्पतियां		3831.75		2803.82
(ङ) विनियामक परिसम्पतियां		37.67		37.72
(च) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	2.18	3886.72		4147.11
(छ) अन्य गैर–वर्तमान परिसम्पतियां	2.18 A	1.55		0.02
			7772.19	7008.16
वर्तमान परिसम्पतियां				
(क) वर्तमान निवेश	2.19	25.27		200.10
(ख) मालसूचियां	2.20	848.23		718.84
(ग) व्यापारिक वसूलनीय राशि	2.21	2822.11		2206.96
(घ) नकदी और बैंक अधिशेष	2.22	3587.86		2988.55
(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	2.23	679.95		424.52
(च) अन्य वर्तमान परिसम्पतियां	2.24	3163.16		2344.81
			11126.58	8883.78
जोड़			181919.54	160764.28
लेखाकरण नीतियां	1			
लेखाओं पर टिप्पणियां		2		
उपरोक्त संदर्भित टिप्पणियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।				

कृते और निदेशक–मंडल की ओर से

(दिव्या टंडन) कंपनी सचिव	(आर.टी. अग्रवाल) निदेशक (वित्त)	(आई.एस. झा) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 001135 एन	कृते आर.जी. एन. प्राईस एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 002785S	कृते कोठारी एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 301178ई	कृते पारख एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म पंजीकरण संख्या 001475सी
(सीए. गौरव मित्तल) भागीदार सदस्यता संख्या 099387	(सीए. आर. रंगाराजन) भागीदार सदस्यता संख्या 041883	(सीए. मनस्वी कोठारी) भागीदार सदस्यता संख्या 064601	(सीए. इन्द्र पाल सिंह) भागीदार सदस्यता संख्या 410433

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी संख्या			31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
1. प्रचालनों से राजस्व	2.25			**21352.32**	17658.51
2. अन्य आय	2.26			**428.44**	574.53
3. **कुल राजस्व (I + II)**				**21780.76**	18233.04
4. **व्यय**					
व्यापार में स्टॉक की खरीद	2.27			**1084.61**	1124.41
वित्त लागत	2.28			**5085.95**	4081.23
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2.29			**6302.18**	5173.33
परेषण, प्रशासन और अन्य खर्चे	2.30			**1662.15**	1407.90
पूर्व अवधि मदें (निवल)	2.31			**0.87**	47.19
कुल खर्चे				**14135.76**	11834.06
5. **कर से पूर्व लाभ वस्तुएं, दर विनियमित क्रियाएं एवं कर (III - IV)**				**7645.00**	6398.98
6 **असाधारण मदें (आय/व्यय)**	2.37			**-**	(5.13)
7. **कर से पूर्व लाभ और दर विनियमित क्रिया कलाप (V-VI)**				**7645.00**	6404.11
8. जोड़ें: विनियामक आय/(व्यय)				**(0.05)**	-
9. **कर पूर्व लाभ (VII-VIII)**				**7644.95**	6404.11
10. **कर व्यय**					
(1) वर्तमान कर – वर्तमान वर्ष		1618.62			1345.90
– पूर्ववर्ती वर्ष		(20.41)			(0.82)
			1598.21		1345.08
(2) एमएटी हकदारी के लिए क्रेडिट			(11.12)		(24.21)
(3) आस्थगित कर –		1860.60			839.01
घटाएं :– आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसम्पत्तियां	2.5	1817.30			802.02
			43.30		36.99
				1630.39	1357.86
11. **वर्ष के लिए लाभ (V-VI)**				**6014.56**	5046.25
12. प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन (सममूल्य मूल्य 10 रुपए प्रति शेयर)	2.48				
असाधारण मद से पहले मूल और तनुकृत (रू.)				**11.50**	9.64
असाधारण मद के बाद मूल और तनुकृत (रू.)				**11.50**	9.65
लेखाकरण नीतियां	1				
लेखाओं पर टिप्पणियां	2				

उपरोक्त संदर्भित टिप्पणियां, लाभ और हानि के विवरण के अभिन्न भाग हैं।

उपरोक्त अवधि के दौरान कोई भी आपवादिक अथवा असाधारण मद नहीं है।

संयुक्त रूप से हकदारियों के लिए कुल राजस्व, कुल व्यय तथा लाभ और हानि में क्रमशः 435.02 करोड़ रुपए (विगत वर्ष में 328.36 करोड़ रुपए), 317.57 करोड़ रुपए (विगत वर्ष में 187.23 करोड़ रुपए) और 41.48 करोड़ रुपए (विगत वर्ष में 125.16 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

कृते और निदेशक–मंडल की ओर से

(दिव्या टंडन)
कंपनी सचिव

(आर.टी. अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

(आई.एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001135 एन

(सीए. गौरव मित्तल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 099387

कृते आर.जी. एन. प्राईस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002785S

(सीए. आर. रंगाराजन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 041883

कृते कोठारी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 301178ई

(सीए. मनस्वी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064601

कृते पारख एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001475सी

(सीए. इन्द्र पाल सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या 410433

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
(क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		**7644.95**	6404.11
घटाएं :– दर विनियमित आय/(व्यय)		**(0.05)**	-
		7645.00	6404.11
निम्नोक्त के लिए समायोजन :			
मूल्यह्रास (पूर्व अवधि सहित)	6242.11		5173.33
सहायता अनुदान से अंतरण	(22.20)		(21.86)
अनुदान की प्राप्ति	58.00		0.00
आस्थगित राजस्व – मूल्यह्रास के आधार पर अग्रिम	(143.00)		(79.50)
प्रावधान	7.50		43.95
लेखापरीक्षा के बाद संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के विगत लाभ में परिवर्तन	(47.56)		(20.98)
स्वयं बीमा रिजर्व में से अंतरण	(5.29)		(20.21)
अचल परिसम्पतियों के निपटान/बट्टे खाते डालने पर निवल हानि	(0.47)		(1.32)
ब्याज और वित्तीय प्रभार	5097.87		4081.23
वापस की जाने वाली राशि के लिए प्रावधान	(21.80)		(5.52)
एफईआरवी हानि/(लाभ)	4.80		0.00
जमा राशि, बांडों और राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों पर अर्जित ब्याज	(123.78)		(316.46)
प्राप्त लाभांश	(2.64)		(2.41)
		11043.54	8830.25
कार्यशील पूंजीगत परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		**18688.54**	15234.36
निम्नोक्त के लिए समायोजन			
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	(129.39)		(25.29)
व्यापारिक प्राप्त करने योग्य राशि में (वृद्धि)/कमी	(608.92)		(608.75)
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(333.00)		(30.82)
अन्य वर्तमान परिसम्पतियों में (वृद्धि)/कमी	(826.39)		(626.38)
देयताओं और प्रावधान राशि में (वृद्धि)/कमी	1397.01		2855.18
आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव वाली परिसम्पति/देयता में (निवल) (वृद्धि)/कमी	236.93		153.68
दर विनियमित परिसम्पतियों में (वृद्धि)/कमी	0.05		
		(263.71)	1717.62
प्रचालनों से सृजित नकदी		**18424.83**	16951.98
अदा किए गए प्रत्यक्ष कर		**(1524.83)**	(1151.90)
प्रचालन क्रियाकलापों से प्राप्त निवल नकदी		**16900.00**	15800.08
(ख) प्रचालन क्रिया–कलापों से नकदी प्रवाह			
अचल परिसम्पतियां (निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय सहित)	(541.67)		(1205.78)
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	(25066.98)		(28653.99)
निर्माण भण्डार और पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	3208.02		4881.71
निवेश में (वृद्धि)/कमी	179.82		203.85
प्रत्याभूतिकरण योजना के तहत दीर्घावधि ऋणों में (वृद्धि)/कमी	15.43		23.14
प्राप्त करने योग्य पट्टा	(32.43)		97.93
बांडों और राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों पर अर्जित ब्याज	131.80		386.03
संयुक्त उद्यम कंपनियों से लाभांश (बेशी खाते से समायोजन)	82.13		80.04
प्राप्त लाभांश	2.64		2.41
निवेश संबंधी क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(22021.24)**	(24184.66)

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
(ग) वित्तीय कियाकलापों से नकदी प्रवाह			
वर्ष के दौरान लिए गए ऋण	17969.23		17968.04
वर्ष के दौरान अदा किए गए ऋण	(6093.09)		(6461.05)
अदा किए गए ब्याज और वित्तीय प्रभार	(4767.67)		(3781.61)
अदा किया गया लाभांश	(1152.28)		(1123.64)
अदा किया गया कर	(235.64)		(202.98)
वित्तीय कियाकलापों से निवल नकदी		**5720.55**	6398.76
(घ) नकदी और नकदी सम तुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		**599.31**	(1985.82)
(ड) नकदी और नकदी सम तुल्य (अथशेष)		**2988.55**	4974.37
(च) नकदी और नकदी सम तुल्य (अंतशेष)		**3587.86**	2988.55

टिप्पणियां :–
नकदी और नकदी सम तुल्य में हस्तगत नकदी और बैंकों में पड़ी अधिशेष राशि शामिल है। टिप्पणी 2.22 के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण में शामिल की गई नकदी और नकदी सम तुल्य राशि में तुलन पत्र की निम्नोक्त राशि शामिल है:–

नकदी और नकदी समतुल्य	1940.68	2530.20
अन्य बैंको में अधिशेष (*)	1647.18	458.35
	3587.86	2988.55
(*) अन्य बैंको में अधिशेष राशि के ब्यौरे		
1. चालू खातों में अधिशेष (दावा नही किया गया लाभांश) #	10.29	10.39
2. चालू खातों/फ्लेक्सी जमाओं (जिन्हें सीईआरसी विनियमों के अनुसार प्रचालित और रखा जाता है)	646.88	319.43
3. आवधिक जमा में जिनकी परिपक्वता अवधि 3 महीनों से अधिक है।	990.01	128.53
	1647.18	458.35

#बैंक के पास उद्दिष्ट अधिशेष में अदा नही किया गया लाभांश और पीपीओ से प्राप्त आय की प्रतिपूर्ति शामिल है।
जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थीकृत किया गया है।

कृते और निदेशक–मंडल की ओर से

(दिव्या टंडन)
कंपनी सचिव

(आर.टी. अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

(आई.एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.के. मित्तल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001135 एन

कृते आर.जी. एन. प्राईस एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 002785S

कृते कोठारी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 301178ई

कृते पारख एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 001475सी

(सीए. गौरव मित्तल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 099387

(सीए. आर. रंगाराजन)
भागीदार
सदस्यता संख्या 041883

(सीए. मनसवी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 064601

(सीए. इन्द्र पाल सिंह)
भागीदार
सदस्यता संख्या 410433

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

टिप्पणी 1 – वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए समेकित लेखाकरण नीति

1.1 **वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार**

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा सामान्य स्वीकार्य सिद्धांतो के अनुरूप और भारत मे कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक अधिसूचित) कंपनी अधिनियम, 1956 के संगत उपबंधों (जिस सीमा तक लागू) जिसमें उनके तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक शामिल हैं और विद्युत अधिनियम, 2003 जिस सीमा तक प्रयोज्य है, के प्रावधानो, लागू लेखाकरण मानको के अंतर्गत प्रोद्भवन आधार तैयार किए जाते हैं।

1.2 **अनुमानों का प्रयोग**

वित्तीय विवरणो को तैयार करने में अनुमानों और पूर्वानुमानों की अपेक्षा होती है, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसम्पत्तियो, देयताओं, राजस्व और खर्चों की उल्लिखित राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए उचित और तर्कसंगत आधार पर तैयार किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों के भिन्न हो सकते हैं और ऐसे अन्तरों को उस अवधि मे पहचान की जाती है, जिस अवधि मे परिणामों को निश्चित रूप दिया जाता है।

1.3 **प्रारक्षित निधि और अधिशेष**

वर्ष के अंत में स्व–बीमा, प्रारक्षित अचल परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक पर (मेगा बीमा नीति के अंतर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों को छोड़ कर) 0.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से सजजित किया जाता है, जैसा कि भावी हानि के लिए वर्तमान वर्ष के लाभ के विनियोजन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर है, जो अबीमित जोखिमों के रूप मे उत्पन्न हो सकता है। इसे "प्रारक्षित और अधिशेश के अंतर्गत" स्व–बीमा आरक्षित और अधिशेष के रूप मे दिखाया जाता है।

1.4 **सहायता–अनुदान**

1.4.1 परियोजनाओं, पारेषण प्रणालियों को बेहतर बनाने और विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य परिसम्पत्तियों के लिए पूंजी व्यय के लिए केन्द्र सरकार या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त सहायता अनुदान का उपयोग होने तक उसे "सहायता–अनुदान" के रूप में दिखाया गया है।

1.4.2 संबधित परिसम्पत्तियों मे पूंजीकरण पर विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य परिसम्पत्तियों के लिए प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना गया है और उपयोगी जीवन की अवधि मे और उस अनुमान मे जिस पर ये परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराई गई है, लाभ और हानि लेखे मे मान्यता दी गई है।

1.5 **विनियमित परिसम्पतियों और देयताओं की दर**

सीईआरसी के विनियमों के अंतर्गत स्वीकरत कुछ ऐसे व्यय को जिनकी भविष्य मे लाभार्थियो को प्रतिपूर्ति/उनको अंतरित किया जाना है/उनसे अंतरित किया जाना है, लेखाकरण मानकों और पद्धतियों के प्रावधानों के अनुसार लाभ और हानि लेखा के विवरण में शामिल किया जाता है। ऐसे व्यय और आय को सीईआरसी के विनियमों के अंतर्गत जितना स्वीकार्य/देय होता है, को विनियमित परिसम्पतियों और देयताओं के रूप मे माना जाता है।

1.6 **खण्ड रिपोर्टिंग**

खण्ड रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखाकरण नीतियां, कंपनी की लेखाकरण नीतियों के समनुरूप हैं। खण्ड राजस्व, खण्ड व्यय, खण्ड परिसम्पतियों और देयताओं को खण्ड के प्रचालन क्रियाकलापों से उनके संबंध के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है। राजस्व, व्यय, परिसम्पतियों और देयताओं को जो कि समग्र रूप से कंपनी से संबधित होती है और जो उचित आधार पर खण्ड को आबंटित नहीं की जाती है, को अनाबंटित राजस्व/व्यय/परिसम्पतियों/देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

1.7 **नगदी प्रवाह विवरण**

नगदी प्रवाह विवरण संबद्ध लेखाकरण मानक मे निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

1.8 **अचल परिसम्पतियां**

1.8.1 अचल परिसम्पतियां ऐतिहासिक लागत पर दिखाई गई हैं, जिसमे खरीद मूल्य और परिसम्पतियो को कार्य की स्थिति मे लाने के लिए संचित मूल्यह्रास/शोधन को घटाकर लगने वाली लागत शामिल हैं।

1.8.2 चालू परिसम्पतियो, निक्षेप कार्य/लागत सहित संविदाएं, जिनमे संविदाकारों के अंतिम बिल का भुगतान होना बाकी है, के मामले मे अंतिम निपटान वर्ष मे आवश्यक समायोजन के अधीन पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया गया है।

1.8.3 एक से अधिक पारेषण प्रणाली के लिए साझा परिसम्पतियां और प्रणालियां तकनीकी अनुमानों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की गई हैं।

1.8.4 पारेषण प्रणाली परिसम्पतियां परीक्षण चार्जिंग/प्रणालियों/ परिसम्पतियों को सफलतापूर्वक चालू करने के बाद और जहां कहीं तकनीकी रूप से आवश्यक स्थिरीकरण अवधि के लिए पूरा होने पर अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार मानी गई है।

1.8.5 भूमि की लागत मे अनंतिम जमा, प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान/देयताएं, पुनर्वास और अन्य व्यय, जहां कहीं भूमि का कब्जा लिया गया हो, शामिल है।

1.8.6 भूमि को समतल करने, क्लियर करने और ग्रेडिंग पर हुए खर्च को संबंधित भवन की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

1.8.7 अतिरिक्त पुर्जों का बीमा, जो केवल अचल परिसम्पतियों की मद के संबंध मे प्रयुक्त हो सकता है और जिसका उपयोग अनियमित अंतराल पर होता है और सब–स्टेशन उपस्कर/पूंजीगत फालतू पुर्जों अर्थात् एचजी/सेवा/रोटेशन उपस्कर और यूनिट सज्जीकरण के स्वरूप मे अनिवार्य पुर्जों को उसे संबंधित संयंत्र और मशीनरी की शेश उपयोगी अवधि मे पूंजीकृत और मूल्यह्रासित किया गया है। यदि खरीद और खपत वर्ष एक ही हो, तो अतिरिक्त पुर्जों की बीमा राशि राजस्व के लिए प्रभारित होती है।

1.9 **चल रहे पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)**

1.9.1 खपत की गई सामग्री की लागत, परियोजनाओं के लिए किए गए अन्य संबद्ध व्यय के साथ उस पर उपगत प्रभारों को पूंजीकरण की तारीख तक चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप मे दिखाया जाता है।

1.9.2 सब–स्टेशन (एचवीडीसी सहित) के निर्माण के लिए सामग्री की लागत उत्थापन कार्य की प्रगति के दौरान चल रहे पूंजगत कार्य को अंतरित किया जा रहा है।

1.9.3 निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा परियोजनाओं का व्यय, जिसे अचल परिसम्पतियों के निर्माण के लिए किया जाना है, की पहचान और आबंटन सुव्यवस्थित आधार पर संबधित परिसम्पतियों की लागत से किया जाता है।

1.9.4 उपर्युक्त नीति संख्या 1.6.3 के अनुसार निर्माण के दौरान और निर्माण को आबंटित व्यय (निवल) (परियोजनाओं को उनके पूंजीगत व्यय को यथानुपात आधार पर आबंटित) का ब्याज विशिष्ट परिसम्पति अथवा पूंजीकृत किए जा रहे परिसम्पति के भाग के इतिशेष पर चालू पूंजीगत कार्य को विभाजित किया जाता है। ऐसे पूंजीकरण के बाद बचा शेष, यदि कोई हो, को चालू पूंजीगत कार्य की अनुसूची में एक पृथक मद के रूप मे रखा जाता है।

1.9.5 निक्षेप कार्य/लागत सहित संविदाओं को, संविदाकारों अथवा पूरे हुए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन से प्राप्त विवरण के आधार पर हिसाब मे लिया जाता है।

1.9.6 संविदाओं के मामले में हिसाब मूल्य भिन्नता/विनिमय दर भिन्नता के लिए निपटाई नहीं गई देयता पर संविदा की शर्तों के अनुसार अनुमानित आधार पर लिया जाता है।

1.10 **अमूर्त आस्ति**

1.10.1 आंतरिक प्रयोग के लिए अधिग्रहीत और महत्वपूर्ण भावी आर्थिक लाभों के परिणामी सॉफ्टवेयर (जो हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) की लागत को उसके प्रयोग के तैयार होने पर लेखा बहियों मे अमूर्त आस्ति के रूप मे मान्यता दी जाती है।

1.10.2 पारेषण लाईनें बिछाने में मार्गाधिकार के अधिग्रहण के लिए अदा किए गए वनरोपण प्रभार का अमूर्त आस्ति के रूप में हिसाब लिया जाता है और उसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीआरसी) टैरिफ विनियमन द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए 35 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

1.10.3 किया गया व्यय जो शीर्ष अमूर्त आस्ति के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है, को "विकासाधीन अमूर्त आस्ति" के रूप में लिया जाता है, जहां ऐसी आस्ति अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार नहीं है।

1.10.4 नई प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए किया गया व्यय इसके पूरा होने तक "विकासाधीन अमूर्त आस्ति" के तहत रखा है। विकास अवस्था के संतोषजनक ढंग से पूरा होने के पश्चात नई आस्तियों को परियोजना लागत में शामिल किए जाने के लिए "अमूर्त आस्ति" के रूप में लिया जाता है, का नाम दिया जाता है।

1.11 निर्माण भण्डार

निर्माण भण्डारों को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

1.12 उधार लागत

1.12.1 ऋण ली गई सभी निधियां (कार्यशील पूंजी के लिए अल्पावधिक निधियों को छोड़ कर) को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है। ऋण लागत (बांड निर्गम व्यय, ब्याज, बांडों पर पट्टा, फ्रंट एंड शुल्क, गारंटी शुल्क, प्रबंधन शुल्क आदि सहित) को इस तरह निर्धारित निधि के अनुपात में परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है।

1.12.2 निर्माणाधीन परियोजना या प्रचालनरत परियोजना के आधार पर इस तरह से आबंटित उधार लागतों को पूंजीकृत या राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

1.13 विदेशी मुद्रा में लेन–देन

1.13.1 विदेशी मुद्राओं में लेन–देन प्रारंभिक रूप से लेन–देन की तारीख को अभिभावी विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें तुलन पत्र की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों के संदर्भ में परिवर्तित होती है। विदेशी मुद्रा में अभिनामित गैर–मौद्रिक मदें संव्यवहार की तारीख को चालू विनिमय दर पर सूचित की जाती है।

1.13.2 अचल आस्तियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्य से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटान/स्थानांतरण पर होने वाले विदेशी विनिमय दर परिवर्तन दर (एफईआरवी) को संबंधित आस्तियों की वहन लागत के लिए समायोजि किया जाता है।

1.13.3 नीति संख्या 1.13.2 के अनुसार हिसाब में ली गई एफईआरवी में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीआरसी) के मानदंडों के अनुसार 1 अप्रैल, 2004 से या वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (टीसीटी) से जो भी बाद में हो, वास्तविक भुगतान के आधार पर लाभार्थियों से वसूलनीय/भुगतान करने योग्य होता है।

उपर्युक्त एफईआरवी जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मानदंडों के अनुसार वसूली योग्य या देय है, को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है:–

(क) वसूली योग्य/देय एफईआरवी को अचल परिसम्पत्तियों की वहन लागत में समायोजित किया गया है, जिसे "विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय/व्यय" में तदनुरूपी जमा/नामे के साथ "आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव परिसम्पति/देयता लेखे" में समायोजित किया जाता है।

(ख) "विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव लेखे से आस्थगित आय/व्यय" उसी अनुपात में परिशोधित किया गया है, जिसमें एफईआरवी पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

(ग) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के मानदंडों के अनुसार वसूली योग्य/देय राशि को तदनुरूपी जमा/नामे के साथ "आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव परिसम्पति/देयता लेखे" में वर्षानुवर्ष आधार पर समायोजित किया जाता है।

1.13.4 टैरिफ के प्रयोजनार्थ पूंजी लागत में शामिल किए गए लाभ और हानि लेखा के विवरण पर पहले प्रभारित एफईआरवी को निम्नलिखित ढंग से "आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव परिसम्पति/देयता लेखे" के रूप में समायोजित किया जाता है।

(1) पारेषण प्रभारों के मूल्यह्रास संघटक (जो एफईआरवी का 90 प्रतिशत है) को, "आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव परिसम्पति/देयता लेखे" में पारेषण प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है।

(2) शेष 10 प्रतिशत को संबंधित ऋणों की अवधि की तुलना में पारेशण प्रभारों के प्रति समायोजित किया जाता है।

1.13.5 अचल परिसम्पत्तियों /सीडब्ल्यूईपी से संबंधित दीर्घ अवधि मौद्रिक (विदेशी मुद्रा ऋण से भिन्न) के निपटान/स्थानान्तरण से उद्भूत एफईआरवी को संबंधित परिसम्पत्तियों की वाहक लागत में समायोजित किया जाता है।

1.13.6 सीईआरटीपी टैरिफ विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों से वसूलनीय/देय सीमा में विदेशी मुद्रा (दीर्घावधि से भिन्न) में अभिनामित मौद्रिक मदों के निपटान/स्थानान्तरण से निर्माण अवधि के दौरान उद्भूत एफईआरवी को "आस्थगित विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव परिसम्पति/देयता लेखे" के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऐसी राशि पर पारेषण प्रभारों को उपर्युक्त लेखे में समायोजित किया जाता है।

1.13.7 अन्य विनिमित अंतरों की उस अवधि में, जिस अवधि में वे उद्भूत होते हैं, आय अथवा व्यय के रूप में पहचान की जाती है।

1.14 निवेश

1.14.1 चालू निवेश को निम्न लागतों और पृथक निवेश के आधार पर निर्धारित उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

1.14.2 दीर्घावधिक निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में अस्थाई को छोड़ कर कमी के लिए प्रावधान किया जाता है।

1.15 मालसूचियां

1.15.1 मालसूची निम्नतर स्तर पर लागत पर मूल्यांकित की जाती है जिसका निर्धारण, भारित औसत आधार पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

1.15.2 इस्पात के स्क्रैप और कंडक्टर के स्क्रैप अनुमानित प्राप्ति मूल्य या बही मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

1.15.3 खपत–योग्य अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जे और पारेषण लाईन की मदें, प्रणाली के चालू होने के बाद मालसूची के रूप में मानी जाती है।

1.15.4 प्रबंधन द्वारा यथानिर्धारित अधिशेष सामग्री अभिप्रेत प्रयोग के लिए धारित की जाती है और मालसूची में शामिल की जाती है।

1.15.5 अप्रचलित, अनुप्रयोज्य और अतिरिक्त सामानों और अतिरिक्त पुर्जों में कमी होने का पता, उनकी पुनरीक्षा करके लगाया जाता है।

1.16 राजस्व को मान्यता

1.16.1 पारेषण आय का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेश के आधार पर लिया जाता है, जिन पारेषण परियोजनाओं के बारे में टैरिफ की दरें अभी अधिसूचित की जानी हैं, उनकी पारेषण आय का हिसाब, टैरिफ मानदंडों के अनुसार और ऐसे समान मामलों में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित अन्य संशोधनों के अनुसार किया जाता है। ऐसे समान मामलों में कमियां/अधिकताएं, यदि कोई हो, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा टैरिफ की अंतिम अधिसूचना के आधार पर समायोजित की जाती हैं। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद अतिरिक्त पूंजी व्यय के संबंध में पारेषण आय का हिसाब केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ मानदंडों में अनुसार अलग–अलग वर्ष में किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर लिया जाता है।

1.16.2 पारेषण प्रणाली प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन का हिसाब संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों के प्रमाणन की उपलब्धता और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मानदंडों के अनुसार लिया जाता है।

1.16.3 मूल्यह्रास पर अग्रिम (एएडी), जो नवीक अवधि 2004–09 से संबंधित टैरिफ का भाग निर्मित करता है, को ऋण की वापसी –अदायगी सुविधाजनक बनाने के लिए पारेषण आय से घटा दिया जाता है और अगले वर्ष मे पारेषण आय में शामिल किए जाने के लिए आस्थगित आय के रूप में माना जाता है।

1.16.4 व्यापार प्राप्यों से वसूल किया जाने वाला अधिभार और निर्णीत हर्जाने/वारंटी दावे/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों पर ब्याज को तब माना जाता है, जब मापनीयता और संग्रहणीयता की कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान नहीं होती है।

1.16.5 दूरसंचार सेवाओं से आय का हिसाब ग्राहकों से करार की शर्तों के आधार पर लिया जाता है।

1.16.6 एकमात्र परामर्शी संविदाओं से आय का हिसाब दी गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी आकलन पर लिया जाता है।

1.16.7 "लागत सहित परामर्शी संविदा", जिसमें ग्राहकों की ओर से निष्पादन किया जाना शामिल होता है, के संबंध में निम्नलिखित तरह से (जब भी शुरूआती अग्रिम प्राप्त किए जाते हैं), आय का हिसाब चरणबद्ध ढंग से लिया जाता है:–

(क) निष्पादन के लिए निविदा आमंत्रण के लिए नोटिस जारी करने पर 10 प्रतिशत।

(ख) निष्पादन के लिए संविदाएं देने पर 5 प्रतिशत।

(ग) आपूर्ति सहित कार्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर शेष 85 प्रतिशत।

1.16.8 खरीददार को स्वामित्व के उल्लेखनीय जोखिम और पुरस्कार के अंतरण पर माल की बिक्री से आय माना जाता है।

1.16.9 दीर्घावधि खुली पहुंच (एलटीओए) प्रभारों के लिए प्राप्त आवेदन शुल्क का हिसाब, जब भी प्राप्त होता है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार लिया जाता है।

1.16.10 इस्पात के स्क्रैप और कंडक्टर के स्क्रैप को छोड़ कर अन्य तरह से स्क्रैप का हिसाब, उनके बेचे जाने पर लिया जाता है।

1.16.11 लाभांश आय तभी मानी जाती है, जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

1.17 पट्टे की परिसम्पत्तियां

1.17.1 राज्य क्षेत्र एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र (यूएलडीसी/फाईबर ऑप्टिक संचार आस्तियों (एफसीओ) से लाभार्थियों को पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों को वित्त पट्टा के रूप में माना जाता है। ऐसे पट्टे की परिसम्पत्तियों में निवल निवेश अगले वर्षों में वृद्धि के साथ दीर्घावधिक ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। जहां भी राज्य क्षेत्र एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र के निर्माण के लिए सहायता–अनुदान मिलता है, तो प्राप्तव्य पट्टे का हिसाब, ऐसे अनुदान को घटा कर लिया जाता है।

1.17.2 पट्टा परिसम्पत्तियों पर वित्त पर आय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अधिसूचित किए जाने वाले टैरिफ के अनुसार निवल निवेश पर स्थिर आवधिक अभिलाभ दर प्रतिबिंबित करने वाले पेटर्न के आधार पर मानी जाती है।

1.17.3 पट्टे की परिसम्पत्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋण पर एफईआरवी, प्राप्तव्य पट्टे की राशि में समायोजित होती है और पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित होती है। संघटकों से एफईआरवी की वसूली (केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार) ऐसी परिशोधित राशि को घटा कर मानी जाती है।

1.18 मूल्यह्रास/परिशोधन

1.18.1 पारेषण व्यापार से जुड़ी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित मानदंडों में विनिर्दिष्ट दरों पर टैरिफ की वसूली के लिए सीधी रेखा विधि से उपलब्ध कराया जाता है।

1.18.2 01 अप्रैल, 2014 से पहले आरंभ की गई यूएलडीसी परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास, प्रति वर्ष 6.67 प्रतिशत की दर से सीधी रेखा विधि से किया जाता है। 01 अप्रैल, 2014 को या उसके बाद आरंभ की गई ऐसी परिसम्पत्तियों की व्यवस्था सीधी रेखा विधि से प्रदान की जाती है, जिसके लिए टैरिफ वसूल करने के प्रयोजनार्थ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और क्रियाप्रणाली का अनुसरण किया जाता है।

1.18.3 दूरसंचार और परामर्शी व्यापार की परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा विधि से किया जाता है।

1.18.4 प्रबंधन द्वारा यथापरिकल्पित अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर निम्नलिखित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास दिया जाता है:

(क) कम्प्यूटर और पेरिफेरल्स	– 3 वर्ष
(ख) सर्वर और नेटवर्क संघटक	– 3 वर्ष

उपरोक्त परिसम्पत्तियों का अवशेष मूल्य शून्य माना जाता है।

1.18.5 अमूर्त आस्ति के रूप में पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत को उसकी कानूनी उपयोगिता अवधि या 3 वर्ष, इसमें से जो भी कम हो, परिशोधित किया जाता है और उनका अवशेष मूल्य शून्य माना जाता है।

1.18.6 मोबाईल फोन उनकी खरीद के वर्ष से हिसाब में लिए जाते हैं।

1.18.7 वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों के संवर्धन पर/से विघटन पर मूल्यह्रास/परिशोधन, जिस तारीख से ऐसी परिसम्पत्तियां प्रयुक्त/निपटान किए जाने के लिए उपलब्ध होती हैं, तब से/तक तक समानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है।

1.18.8 जहां मूल्यह्रास होने वाली अचल परिसम्पत्तियों में, दर में उतार–चढ़ाव होने, कीमत के समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन होने अथवा सदृश कारकों के कारण दीर्घावधि मौद्रिक मदों में वृद्धि/कमी होने के कारण परिवर्तन हुआ है, वहां ऐसी परिसम्पत्तियों के परिशोधित अवशेष में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियमों द्वारा विनिश्चित दरों और कार्यप्रणाली से समान रूप से मूल्यह्रास हो जाता है। लेकिन ऐसी परिसम्पत्तियों में दूरसंचार की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिनकी अवशेष उपयोगिता अवधि का निर्धारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 में यथाविनिश्चित निर्धारित उपयोगिता अवधि के आधार पर किया जाता है।

1.18.9 ऐसे संयंत्र और मशीनरी, खुले कलपुर्जे और वैज्ञानिक उपकरणों की मदों जिन्हें अचल परिसम्पत्तियों के विभिन्न शीर्षों में शामिल किया जाता है, जिनकी लागत 5,000 रुपए या उससे कम है अथवा जिनका लिखित लागत मूल्य 5000 रुपए या उससे कम है, उनको प्रारंभिक वर्ष में उन्हें राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

1.18.10 5,000 रुपए तक के मूल्य की अन्य अचल परिसम्पत्तियों का पूर्ण मूल्यह्रास, उनके अधिग्रहण किए जाने के वर्ष में ही कर दिया जाता है।

1.18.11 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियमन में विनिर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार पट्टे की भूमि को 25 वर्ष में अथवा लीज अवधि में, इसमें से जो भी कम हो, पूर्णतया परिशोधित कर दिया जाता है।

1.18.12 नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ–ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर

कारपोरेशन (नीपको), नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएलसी) की परिसंपत्तियों के मामले में 1 अप्रैल, 1992; जम्मू और कश्मीर लाइन, 01 अप्रैल, 1993 से और टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट लिमिटेड, 01 अगस्त, 1993 से मूल्यह्रास आवश्यक समायोजनों के साथ स्थानांतरणकर्ता की बहियों में यथाविहित सकल ब्लॉक के आधार पर प्रभारित किया गया है ताकि परिसंपत्तियों की अवधि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अधिसूचना में यथानिर्धारित टैरिफ के लिए अनुरक्षित किया जा सके।

1.19 पूर्व अवधि मदें

100,000/– रुपए तक की मदों के पूर्व–दत्त/ पूर्वावधि व्यय/ आय का हिसाब लेखे के प्राकृतिक शीर्षों में दर्शाया जाता है।

1.20 परिसंपत्तियों की क्षति

'परिसंपत्तियों की क्षति' पर लेखाकरण मानक एएस–28 में यथा परिभाषित नकदी अर्जक इकाइयों को इसी वसूली योग्य राशि की तुलना में वहन राशि के संबंध में तुलन पत्र की तारीख को अभिज्ञात किया जाता है और क्षति से हानि, यदि कोई हो, को लाभ और हानि लेखे में माना जाता है अगर बाद में क्षति से हुई हानि को समाप्त करना आवश्यक होता है तो उसे समाप्त करने के वर्ष में लेखाकृत किया जाता है।

1.21 कर्मचारी लाभ

1.21.1 परिभाषित पेंशन अंशदान स्कीम और भविष्य निधि स्कीम को वर्ष के दौरान अदा/देय कंपनी अंशदान को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। इसे अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधि को अदा किया जाता है।

1.21.2 कर्मचारी को उपदान के बारे में सेवानिवृत्ति के लिए देयता, जिसे वर्ष के अंत में वार्षिक मूल्यांकन पर वार्षिक आधार पर अभिनिश्चित किया जाता है, को अलग से उपलब्ध एवं वित्तपोषित किया जाता है।

1.21.3 अनुपस्थिति मुआवजे की देयताओं, अवकाश नकदीकरण, अवकाश यात्रा रियायत, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ एवं कर्मचारियों को निपटान भत्ता एवं विदाई उपहार वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोद्भवन आधार पर वार्षिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

1.21.4 अल्पकालीन कर्मचारी लाभों को लाभ और हानि विवरण में दी गई संबंधित सेवाओं के वर्ष में अबट्टाकृत राशि पर माना जाता है।

1.21.5 बीमांकन लाभों/ हानियों की पहचान तुरंत लाभ एवं हानि खाते के विवरण में की जाती है।

1.22 प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं

जब कंपनी का पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है तो प्रावधान को मान्यता दी जाती है और यह संभव है कि दायित्वों के निपटान के लिए संसाधनों का खर्च आवश्यक होगा, जिसके संबंध में तकनीकी मूल्यांकन एवं पिछले अनुभव के आधार पर विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधान अपने वर्तमान मूल्य में कम नहीं किए जाते हैं और तुलनपत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित प्रबंधन के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। उन दायित्वों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है जिनका भावी अनुमान युक्तिसंगत निश्चितताओं के साथ नहीं किया जा सकता। ऐसी देयताओं के लिए मान्यता नहीं दी गई है किंतु प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देयता की अनुसूची में प्रकट की गई है। इनकी प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को समीक्षा की गई है और चालू प्रबंधन अनुमान को प्रतिबिम्बित करने के लिए समायोजित किया गया है।

1.23 आय पर कर

आय कर में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल होता है। वर्तमान आय करों को आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार आय पर प्राधिकारियों को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि पर लिया जाता है। आस्थगित कर, जो लेखाकरण एवं कर योग्य लाभ के बीच समय अंतराल के कारण है, कर दरों का प्रयोग करते हुए और तुलन पत्र की तारीख में अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर कानूनों द्वारा हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर सम्पत्तियां केवल इस सीमा में अभिज्ञात होती हैं कि इसमें उचित निश्चितता है कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय प्राप्त होगी जिसके प्रति आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है।

टिप्पणी 2.1 – शेयर पूंजी

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2015 के अनुसार
इक्विटी शेयर पूंजी		
प्राधिकृत पूंजी		
10/– रुपए प्रत्येक के 10000000000 (पूर्ववर्ती वर्ष 10000000000) इक्विटी शेयर	**10000.00**	10000.00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त		
पूर्ण रूप से प्रदत्त 10/– रुपए प्रत्येक के 523,15,89,648 (पूर्ववर्ती वर्ष 523,15,89,648) इक्विटी शेयर	**5231.59**	5231.59
कुल	**5231.59**	5231.59

अन्य टिप्पणी :

1) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में और अंत में बकाया और शेयर पूंजी की संख्या और राशि का लेखा समाधान

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि (रु. करोड़ में)	शेयरों की संख्या	राशि (रु. करोड़ में)
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	**5231589648**	**5231.59**	5231589648	5231.59
वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस लाए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर	**5231589648**	**5231.59**	5231589648	5231.59

2) इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर यथा–घोषित लाभांशों को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में वोट करने के लिए हकदार हैं।

3) कंपनी की शेयर पूंजी में 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर धारण करने वाले शेयरधारक

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को		31 मार्च 2015 को	
	शेयरों की संख्या	धारण का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारण का प्रतिशत
i) भारत सरकार	**3028835198**	**57.90**	3028835198	57.90
ii) यूरोपेसेफिक शोध फंड	-	-	296023422	5.66

टिप्पणी 2.2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	9578.29		9578.29
अंत शेष		**9578.29**	9578.29
बॉण्ड विमोचन आरक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	5870.47		4886.61
वर्ष के दौरान वृद्धियां	1720.62		1600.44
वर्ष के दौरान कटौतियां	697.93		616.58
अंत शेष		**6893.16**	5870.47
स्व–बीमा आरक्षित निधि			
विनियोजन के माध्यम से			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	350.31		268.68
वर्ष के दौरान वृद्धियां	104.21		81.30
वर्ष के दौरान कटौतियां	-		(0.33)
अंत शेष	454.52		350.31
लाभ के माध्यम से			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	43.67		63.87
वर्ष के दौरान वृद्धियां	0.75		-
वर्ष के दौरान कटौतियां	5.29		20.20
अंत शेष	39.13		43.67
		493.65	393.98

टिप्पणी 2.2 – आरक्षित निधि एवं अधिशेष (जारी .....)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2016 के अनुसार
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) क्रियाकलाप आरक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	129.52		46.74
वर्ष के दौरान वृद्धि	6.19		82.78
वर्ष के दौरान कटौतियां	(0.48)		
अंत शेष		**136.19**	129.52
सामान्य आरक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	16851.90		14461.13
वर्ष के दौरान वृद्धि	3507.31		2406.78
वर्ष के दौरान कटौतियां	47.93		16.01
अंत शेष		**20311.28**	16851.90
भार वितरण एवं संचार (एलडीसी) विकास निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	158.96		130.13
वर्ष के दौरान वृद्धि	78.49		34.20
वर्ष के दौरान कटौतियां	80.86		5.37
अंत शेष		**156.59**	158.96
आरईसी निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	10.64		8.46
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.69		2.18
वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-
अंत शेष		**11.33**	10.64
पूंजीगत आरक्षित निधि			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1.52		1.62
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-
वर्ष के दौरान कटौतियां	0.11		0.10
अंत शेष		**1.41**	1.52
		37581.90	32995.28
अधिशेष (लाभ एवं हानि के विवरण में शेष)			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	211.86		20.82
जमा : वृद्धि			
लाभ एवं हानि के विवरण के अनुसार कर बाद लाभ	6014.56		5046.25
बॉण्ड विमोचन आरक्षित निधि से अंतरण	697.93		616.58
लाभांश समायोजन	82.13		80.04
समायोजित लाभांश कर	0.32		1.93
घटा : विनियोजन			
बॉण्ड विमोचन आरक्षित निधि	1720.62		1600.44
सीएसआर कार्यकलाप आरक्षित निधि	6.19		82.78
एलडीसी विकास निधि	0.17		34.20
आरईसी निधि	0.69		2.18
स्व–बीमा आरक्षित निधि	104.96		81.30
सामान्य आरक्षित निधि	3507.31		2406.78
लाभांश का समायोजन	466.94		433.14
अंतरिम लाभांश पर कर	94.87		86.51
प्रस्तावित लाभांश	789.97		685.34
प्रस्तावित लाभांश पर कर	160.89		141.09
अंतशेष		**154.19**	211.86
कुल#			
		37736.09	33207.14

#संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों का रु. 58.41 करोड़ (विगत वर्ष में 97.63 करोड़ रु.) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.3 – आस्थगित राजस्व

(रु. करोड़ में)

	विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क)	मूल्यह्रास के लिए अग्रिम		**1843.95**	1986.95
ख)	सहायता अनुदान			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	74.42		96.28
	वर्ष के दौरान प्राप्त*	58.00		-
	वर्ष के दौरान समायोजन	22.20		21.86
	अंत शेष		**110.22**	74.42
ग)	विदेशी करेंसी घट बढ़ (निवल) से आस्थगित आय / (निवल)		**3819.12**	2751.22
कुल #			**5773.29**	**4812.59**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों का रु. 48.38 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 48.38 करोड़) का अंश शामिल है।

* वर्ष के दौरान यूनिफाइड रियल टाइम डायनामिक स्टेट मेज़रमेंट योजना के लिए प्राप्त अनुदान

टिप्पणी 2.4 – दीर्घ अवधि उधारियां

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क)	बॉण्ड		
क 1)	सुरक्षित (कर योग्य विमोच्य, गैर–संचयी, अपरिवर्तनीय)		
क 1.1 i)	प्रत्येक रु. 10 लाख के बॉण्ड		
	XXXIX निर्गम – 29.03.2027 को सममूल्य पर विमोच्य 9.40 प्रतिशत	1800.00	1800.00
	XXXVIII निर्गम – 09.03.2027 को सममूल्य पर विमोच्य 9.25 प्रतिशत	855.00	855.00
	XLII निर्गम – 13.03.2023 को सममूल्य पर विमोच्य 8.80 प्रतिशत	1990.00	1,990.00
ii)	रु. 30 लाख प्रत्येक के बांड जिसमें रु. 10 लाख प्रत्येक के 3 एसआरटीपीपी शामिल हैं, जो 23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 को 3 (तीन) बराबर वार्षिक किस्तों में समतुल्य पर विमोच्य है।		
	एलआईआई निर्गम – 23.12.2020 से विमोच्य 8.32 प्रतिशत	1398.00	-
iii)	रु. 30 लाख प्रत्येक के बॉण्ड जिसमें रु. 10 लाख प्रत्येक के एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 09.03.2020, 09.03.2025 और 09.03.2030 को 3 (तीन) बराबर किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य है।		
	XLIX निर्गम – 09.03.2020 से विमोच्य 8.15 प्रतिशत	1305.00	1305.00
iv)	प्रत्येक रु. 40 लाख के बॉण्ड जिसमें रु. 10 लाख प्रत्येक के 4 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 23.01.2020, 23.01.2022, 23.01.2025 एवं 23.01.2030 को जो 4 (चार) बराबर वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य है।		
	XLVIII निर्गम – 23.01.2020 से विमोच्य 8.20 प्रतिशत	2580.00	2580.00
v)	रु. 1.20 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें रु. 10 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जो 12 (बारह) बराबर वार्षिक किस्तों में समतुल्य पर विमोच्य है।		
	LI निर्गम – 14.09..2019 से विमोच्य 8.40 प्रतिशत	3000.00	-
vi)	रु. 30 लाख प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें रु. 10 लाख प्रत्येक के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जो 04.09.2019, 04.09.2024 और 04.09.2029 को 3 (तीन) समान वार्षिक किस्तों के समतुल्य पर विमोच्य हैं।		
	XLVI निर्गम – 04.09.2019 से 9.30 विमोच्य प्रतिशत	4362.00	4362.00
vii)	रु. 1.20 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड जिसमें रु. 10 लाख से 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जो 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में समतुल्य पर विमोच्य हैं।		
	L निर्गम – 27.05.2019 से 8.40 प्रतिशत	2928.00	-
viii)	रु. 1.20 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड जिसमें रु. 10 लाख से 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जो 12 (बारह) समान वार्शिक किस्तों में समतुल्य पर विमोच्य हैं।		
	XLVII निर्गम – 20.10.2018 से विमोच्य 8.93 प्रतिशत	2640.00	2640.00
ix)	रु. 10 लाख प्रत्येक के बॉण्ड जो 15.07.2018, 15.07.2023 और 15.07.2028 को 3 समान किस्तों में समतुल्य पर विमोच्य है।		
	XLIV निर्गम – 15.07.2018 से विमोच्य 8.70 प्रतिशत	3966.00	3,966.00

टिप्पणी 2.4 दीर्घ अवधि उधारियां (जारी ....)

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
x)	रु. 1.2 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें रु. 10 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं; 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य है।		
	XLV निर्गम – 28.02.2018 से विमोच्य 9.65 प्रतिशत	1999.20	1,999.20
	XLIII निर्गम – 20.05.2017 से विर्मोच्य 7.93	3126.00	3,126.00
xi)	रु. 1.5 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, रु. 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जो 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में विमोच्य हैं।		
	XLI निर्गम – 19.10.2016 से विमोच्य 8.85 प्रतिशत	2605.62	2,842.50
xii)	रु. 1.50 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड जिसमें रु. 10 लाख प्रत्येक के 15 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जो 15 (पन्द्रह) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य है।		
	XXXVI निर्गम – 29.08.2016 से विमोच्य 9.35 प्रतिशत	2884.00	3090.00
xiii)	रु. 1.5 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें रु. 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जो 12 (बारह) समान किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य है।		
	XL निर्गम – 28.06.2016 से विमोच्य 9.30 प्रतिशत	3664.37	3,997.50
	XXXVII निर्गम – 26.12.2015 से विमोच्य 9.25 प्रतिशत	1662.50	1828.75
	XXXV निर्गम – 31.05.2015 से विमोच्य 9.64 प्रतिशत	1631.25	1794.38
	XXXIV निर्गम – 21.10.2014 से विमोच्य 8.84 प्रतिशत	2615.62	2906.25
	XXXIII निर्गम – 08.07.2014 से विमोच्य 8.64 प्रतिशत	2160.00	2400.00
	XXXII निर्गम – 29.03.2014 से विमोच्य 8.84 प्रतिशत	690.00	776.25
	XXXI निर्गम – 25.02.2014 से विमोच्य 8.90 प्रतिशत	1365.00	1535.62
	XXX निर्गम – 29.09.2013 से विमोच्य 8.80 प्रतिशत	1555.00	1749.38
	XXIX निर्गम – 12.03.2013 से विमोच्य 9.20 प्रतिशत	756.88	865.00
	XXVIII निर्गम – 15.12.2012 से विमोच्य 9.33 प्रतिशत	1400.00	1600.00
	XXVII निर्गम – 31.03.2012 से विमोच्य 9.47 प्रतिशत	352.50	411.25
	XXVI निर्गम – 07.03.2012 से विमोच्य 9.30 प्रतिशत	499.50	582.75
	XXV निर्गम – 12.06.2011 से विमोच्य 10.10 प्रतिशत	532.50	621.25
	XXIV निर्गम – 26.03.2011 से विमोच्य 9.95 प्रतिशत	333.13	399.75
	XXIII निर्गम – 09.02.2011 से विमोच्य 9.25 प्रतिशत	128.12	153.75
	XXII निर्गम – 07.12.2010 से विमोच्य 8.68 प्रतिशत	287.50	345.00
	XXI निर्गम – 11.10.2010 से विमोच्य 8.73 प्रतिशत	212.50	255.00
	XX निर्गम – 07.09.2010 से विमोच्य 8.93 प्रतिशत	625.00	750.00
	XIX निर्गम – 24.07.2010 से विमोच्य 9.25 प्रतिशत	206.25	247.50
	XVIII निर्गम – 09.03.2010 से विमोच्य 8.15 प्रतिशत	333.00	416.25
xiv)	प्रत्येक रु. 1.00 करोड़ के बॉण्ड, जिसमें रु. 10.00 लाख प्रत्येक के 10 एसटीआरपीपी हैं, जो 10 (दस) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य है।		
	XVII निर्गम – 22.09.2009 से विमोच्य 7.39 प्रतिशत	200.00	300.00
	XVI निर्गम – 18.02.2009 से विमोच्य 7.10 प्रतिशत	75.00	150.00
xv)	रु. 1.5 करोड़ के बॉण्ड, जिसमें रु. 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जो 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य है।		
	XV निर्गम – 23.02.2008 से विमोच्य 6.68 प्रतिशत	150.00	225.00
	गुजरात के जिला वलसाड, गुजरात में मौजे अंभेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल संपत्तियों पर पंजीकृत बॉण्ड न्यास विलेख रैंकिंग सममूल्य द्वारा रक्षित और कंपनी की संपत्तियों पर चल पूंजी प्रभार।		
क1.2	रु. 1.5 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें रु. 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जो 12 (बारह) प्रत्येक समान वार्षिक		

टिप्पणी 2.4 दीर्घ अवधि उधारियां (जारी ....)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य है।			
XIII निर्गम – 31.07.2006 से विमोच्य 8.63 प्रतिशत जिन्हें पंजीकृत बॉण्ड न्यास विलेख के श्रेणीकरण के साथ–साथ गुजरात के जिला वलसाड में मौजे अमेटी तालुका कपाराडा स्थित अचल परिसंपत्तियों द्वारा रक्षित और किशनपुर मोगा व दुलहस्ती आकस्मिक पारेषण प्रणाली की संपत्तियों पर गिरवी व बंधक रखा गया है।	67.50		135.00
क1.3 रु. 1.5 करोड़ प्रत्येक के बॉण्ड, जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य रु. 12.50 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल है।			
XII निर्गम – 28.03.2006 से विमोच्य 9.70 प्रतिशत जिन्हें पंजीकृत बॉण्ड न्यास विलेख के श्रेणीकरण के साथ–साथ गुजरात के जिला वलसाड में मौजे अमेटी तालुका कपाराडा स्थित अचल परिसंपत्तियों द्वारा रक्षित और कायनकुलम व रामागुंडम–हैदराबाद पारेषण प्रणाली की परिसंपत्तियों पर गिरवी व बंधक रखा गया।	-		15.38
क1.4 प्रत्येक रु. 3 करोड़ के बॉण्ड, जिसमें 12 (बारह) समान वार्षिक किस्तों में सममूल्य पर विमोच्य रु. 5 लाख प्रत्येक के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं।			
XI निर्गम – 07.12.2005 से विमोच्य 9.80 प्रतिशत जिन्हें पंजीकृत बॉण्ड न्यास विलेख के श्रेणीकरण के साथ–साथ गुजरात के जिला वलसाड मौजे अमेटी तालुका कपाराडा स्थित अचल परिसंपत्तियों द्वारा रक्षित और अंता, औरैया, मेगा– भिवानीट, चमेरा – किशनपुर, सासाराम – इलाहाबाद, एलआई एल ओ सिंगरौली – किशनपुर और इलाहाबाद सब स्टेशन की परिसंपत्तियों पर गिरवी व बंधक रखा गया है।	-		45.25
क1.5 रु. 0.10 करोड़ रुपए प्रत्येक के बॉण्ड, जो 5वें वर्ष अर्थात 2020 के अंत पर सममूल्य पर विमोच्य हैं।			
2900 बॉण्ड – दिनांक 5 मार्च, 2020 को विमोच्य 8.90 प्रतिशत जिन्हें सहायक कंपनी (पावर ग्रिड विभाग ट्रांसमिशन लि.) की सभी चल परिसंपत्तियों, मूर्त अथवा अमूर्त पर चलायमान प्रभार के द्वारा रक्षित किया गया है।	290.00	**59231.94**	55061.96
क2) अप्रतिभूति			
क2.1 विमोच्य विदेशी मुद्रा बॉण्ड			
17.01.2023 को सम मूल्य पर विमोचित किए गए जाने वाले 3.875 प्रतिशत विदेशी मुद्रा बॉण्ड		**3345.00**	3,159.50
जोड़ (क)		**62576.94**	58221.46
ख) बैंकों से आवधिक ऋण			
ख1) रु. में ऋण (प्रतिभूतित)			
ख1.1 i) भारतीय स्टेट बैंक से स्वीकृत ऋण श्रृंखला (लाइन ऑफ क्रेडिट) **-I**	4546.00		5000.00
ii) भारतीय स्टेट बैंक **- II** से स्वीकृत ऋण श्रृंखला (लाइन और क्रेडिट निवेशों, भूमि और भवन, सड़कों और पुलों, जल आपूर्ति, जल निकासी, नालियों तथा चालू संपत्तियों को छोड़कर कंपनी की संपत्तियों पर समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित	7485.00		2600.00
iii) भारतीय स्टेट बैंक	59.97		74.19
iv) सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	22.04		25.43
v) जम्मू एवं कश्मीर बैंक	14.70		16.96
vi) पंजाब नेशनल बैंक	29.39		33.91
vii) आईसीआईसीआई बैंक लिमि.	20.45		-
viii) यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	20.80		19.37
ix) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	30.84		23.23
संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेपी पावर ग्रिड लिमि. और पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमि. तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन, लिमि.) की मूर्त और अमूर्त संपत्तियों, चल संपत्तियों और चालू संपत्तियों को गिरवी रखकर और तीस्ता ऊर्जा			

टिप्पणी 2.4 दीर्घ अवधि उधारियां (जारी ....)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
जेवी कं. के शेयर गिरवी रखकर प्रतिभूतित हैं।		
ix) बैंक ऑफ बड़ोदा	90.80	80.21
टोरेंट पावर लिमिटेड जे.वी. कंपनी (टोरेंट पावर ग्रिड लिमि.) और तीस्ता ऊर्जा लिमि., जे.वी. कं. (तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमि.) द्वारा धारित अचल, चल संपत्तियों, मूर्त संपत्तियों और इक्विटी शेयरों पर प्रथम समसूल्य प्रभार द्वारा प्रतिभूतित		
x) आंध्रा बैंक	31.72	29.53
xi) बैंक ऑफ इण्डिया	20.80	19.36
तीस्ता ऊर्जा लिमि. जे.वी. कंपनी (तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमि.) की धारित सभी अचल, चल संपत्तियों, अमूर्त संपत्तियों इक्विटी शेयरों पर प्रथम समसूल्य प्रभारों द्वारा प्रतिभूतित		
xii) कैनरा बैंक	13.63	-
xiii) पीएफएस	13.63	-
xiv) इंडसइंड बैंक	4.77	-
जोड़ (ख 1)	12404.54	7922.19
ख2) विदेशी मुद्रा ऋण (प्रतिभूतित)		
ख2.1 बैंक ऑफ इण्डिया केमैन द्वीप समूह	211.26	232.80
कंपनी की अचल संपत्तियों पर चल पूंजी प्रभार द्वारा प्रतिभूतित		
ख2.2 i) नोरडिक निवेश बैंक (पीआईएल 5120)	452.86	505.71
निवेशों और चालू संपत्तियों को छोड़कर कंपनी की संपत्तियों पर समसूल्य प्रभार द्वारा प्रतिभूतित		
ii) एडीबी.-VIII (2788-आईएनडी)	1080.42	530.35
iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम	669.00	1011.04
iv) आईसीएफ डेब्ट पूल एलएलपी	334.50	315.95
निवेशों और भूमि और भवन, सड़कों व पुलों, जल आपूर्ति, जल निकासी, नालियों तथा चालू संपत्तियों को छोड़कर कंपनी की संपत्तियों पर समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित		
v) एशियन विकास बैंक	23.96	35.94
संयुक्त उद्यम कंपनी (पावर लिंक ट्रांसमिशन लिमि.) की मूर्त, अमूर्त सभी चल संपत्तियों और चालू संपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित		
ख2.3 भारत सरकार से गारंटीयुक्त		
एशियन विकास बैंक (एडीबी) से		
एडीबी.-II (1764-आईएनडी)	710.32	801.43
एडीबी-III (2152-आईएनडी)	1822.66	1869.95
एडीबी-IV (2415-आईएनडी)	2475.75	2387.71
एडीबी-V (2510-आईएनडी)	786.59	668.94
एडीबी-VI (2823-आईएनडी)	341.19	307.94
एडीबी-VII (2787-आईएनडी)	1125.28	903.18
पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) से		
पीएसडीपी.-II (4603-आईएन)	1188.86	1332.41
पीएसडीपी.-III (4813-आईएन)	1804.63	1856.74
पीएसडीपी.-IV (4890-आईएन)	3201.64	3202.56
पीएसडीपी.-IV (अति) (7593-आईएन)	2290.86	2253.74

टिप्पणी 2.4 दीर्घ अवधि उधारियां (जारी ....)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
पीएसडीपी-V (7787-आईएन)	4707.42			3711.41
ऋणों के लिए प्रतिभूति के रूप में परिसंपत्तियों पर सृजित ग्रहणाधिकारों में समरूप ब्याज द्वारा प्रतिभूतित				
जोड़ ख2		23227.20		21927.80
ख3) विदेशी मुद्रा ऋण				
ख3.1 स्कंदीनाविस्का एनकिल्ड बैंकन एबी	-			19.42
(पब्लिक) स्वीडनएबी सर्वेस्क एक्सपोर्ट,	2120.84			1,458.64
क्रेडिट, स्वीडन	11.30			3.71
ख3.2 भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा				
नेटिक्सिस बांक (पहले क्रेडिट नेशनल), फ्रांस	78.05			78.79
जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक) जापान	108.61			105.45
केएफडब्ल्यू	441.92			21.94
जोड़ (ख3)		2760.72		1687.95
कुल ख			**38392.46**	31537.94
ग अन्यों से सावधि ऋण				
रुपए में ऋण (प्रतिभूतित)				
ग1 भारतीय जीवन बीमा निगम-III		-		0.22
कंपनी की अचल परिसंपत्तियों पर चलायमान प्रभार द्वारा सुरक्षित।			-	0.22
अंतर्राष्ट्रीय वित्त कार्पोरेशन		26.95		40.42
इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन		-		30.37
आईडीएफसी इंफ्रा फंड लिमि.		20.25		-
संपत्तियों और चालू संपत्तियों पर मूर्त/अमूर्त पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूतित				
जेवी कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमि.)				
पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमि.		549.76		582.79
रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन		209.37		79.27
संयुक्त उद्यम कंपनियों (पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन क. लिमि. और नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन क. लिमि., नेशनल हाईपावर टेस्ट लेब प्रा. लिमि. और क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन क. लिमि.) की अचल संपत्तियों को प्रथम बंधक और सभी चल संपत्तियों और चालू संपत्तियों को गिरवी रखकर प्रतिभूतित			**806.33**	733.07
जोड़ (क से ग)#			**101775.73**	90492.47

इसमें संयुक्त रो नियंत्रित इकाइयों का रु. 1245.98 करोड़ (विगत में रु. 1116.63 करोड़) शामिल है।

अन्य टिप्पणियां :

सावधि ऋण 3 से 5 वर्षों की ऋणस्थगन अवधि के बाद 10 से 20 वर्षों की अवधि पर सामान्यतः संबंधित करार की शर्तों के अनुसार किश्तों में चुकौती योग्य होते हैं।

टिप्पणी 2.5 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
आस्थगित कर देयता		
स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में (निवल) (क)	**8716.79**	6900.01
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
निर्माण अवधि के दौरान आय	**92.34**	110.25
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	**11.67**	13.49
भुगतान आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	**135.58**	113.07
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	**621.41**	670.90
अन्य	**24.09**	39.47
उप–जोड़ (ख)	**885.09**	947.18
आस्थगित कर देयता (निवल) (क–ख)	**7831.70**	5952.83
घटा : आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित संपत्तियां	**5307.19**	3462.38
निवल आस्थगित कर देयता#	**2524.51**	2490.45

#इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 29.95 करोड़ (विगत में रु. 36.91 करोड़) का अंश शामिल है।

अन्य टिप्पणियां:

क) रु. 43.30 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष 36.98 करोड़) का प्रभार वृद्धि लाभ एवं हानि के विवरण में किया गया है और विगत वर्ष के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों/ सहायक कंपनियों के अनंतिम लेखों और लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार संपत्तियों में अंतर के कारण रु. 9.24 करोड़ अन्य को आरक्षित निधि में समायोजित किया गया।

ख) सीईआरसी द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2014–19 के टैरिफ मानक ट्रांसमिशन आय पर वर्ष के दौरान अदा किए गए वास्तविक कर के आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर के आधार पर इक्विटी पर प्रतिफल को संचालित करने की व्यवस्था देता है तदनुसार, ट्रांसमिशन आय पर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान उपलब्ध आस्थगित कर को "आस्थगित कर के संबंध में आस्थगित कर संपत्ति" के रूप में हिसाब में लिया जाता है। वर्ष हेतु आस्थगित देयता के संबंध में आस्थगित करार संपत्तियों को उन भावी वर्षों (कर छूट अवधि सहित) में लौटाया जाएगा जब संबंधित आस्थगित कर देयता चालू कर भाग को निरूपित करती हो। यह आईसीएआई द्वारा जारी दर नियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी मार्गदर्शी नोट के अनुसार है।

टिप्पणी 2.6 अन्य दीर्घ अवधि देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
अन्य देयताएं :		
i) संविदाकारों एवं अन्यों से जमाराशियाँ/ प्रतिधारण धन	**916.06**	661.38
ii) ग्राहकों से अग्रिम (परामर्शदायी संविदाएं)	**431.21**	401.03
iii) पूंजीगत व्यय हेतु देयताएं	**0.04**	22.88
iv) अन्य*	**32.22**	24.86
कुल#	**1379.53**	1110.15

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 39.21 करोड़ (विगत में रु. 29.71 करोड़) का अंश शामिल है।

अन्य टिप्पणियां :

"माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत यथा–अपेक्षित माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी सं. 2.45 में दिया गया है।

* अन्य में प्रतिपूर्ति, पीएफ ऋण और ब्याज वसूली भुगतान आदि के लिए संविदा करों से वसूली जाने वाली राशि शामिल है।

टिप्पणी 2.7 दीर्घ अवधि प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
कर्मचारी लाभ			
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	610.50		554.97
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ (समायोजन)	75.95		55.53
अंत शेष		**686.45**	610.50
जोड़ #		**686.45**	610.50

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 0.93 करोड़ (विगत में रु. 0.99 करोड़) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.8 अल्पकालीन उधारियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
अल्प अवधि		
बैंक द्वारा		
प्रतिभूतित*	**2.90**	6.49
अप्रतिभूति	**2000.00**	1200.00
जोड़#	**2002.90**	1206.49

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 2.90 करोड़ (विगत में रु. 6.49 करोड़) का अंश शामिल है।
* वर्तमान और भावी, दोनों चल संपत्तियों (संयुक्त उद्यम कंपनी – जेपी पावर ग्रिड लिमि.) से सुरक्षित और मौजूदा सावधि ऋण प्रभारों के साथ समरूप आधार पर प्रभार सृजित किए गए हैं।

टिप्पणी 2.9 कारोबार देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए	**344.00**	430.19
जोड़ #	**344.00**	430.19

इसमें संयुक्त नियंत्रित इकाइयों का **रु. 30.11 करोड़** (विगत में रु. 35.79 करोड़) का अंश शामिल है।

और टिप्पणियां :

*"माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत तथा अपेक्षित माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी सं. 2.45 में दिया गया है।

टिप्पणी 2.10 अन्य चालू देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) दीर्घ अवधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वताएं				
प्रतिभूतित				
बॉण्ड	3446.00			2791.71
रुपया सावधि ऋण	551.29			177.46
विदेशी मुद्रा ऋण	1918.69			1489.18
		5915.98		4458.35
अप्रतिभूतित				
विदेशी मुद्रा ऋण		274.72		86.10
			6190.70	4544.45
ख) उपगत ब्याज परन्तु निम्न से उधारियों पर देय नहीं				
भारतीय बैंक, वित्तीय संस्थान और कारपोरेशन		14.59		19.40
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थाएं		69.41		39.30
प्रतिभूतित / अप्रतिभूतित विमोच्य बॉण्ड		2620.89		2315.99
			2704.89	2374.69
ग) अन्य				
i) पूंजीगत व्यय हेतु देयताएं		4510.30		4746.11
ii) कर्मचारी से संबंधित देयता		85.39		116.59
iii) अदावेकित लाभांश*		9.31		10.39
iv) संविदाकारों एवं अन्यों से जमाराशि / प्रतिधारण धन		4669.72		4870.77
v) ग्राहकों से अग्रिम		3593.18		2402.72
vi) सांविधिक देयताएं		121.55		210.22
vii) संबंधित पक्ष**		56.25		34.26
viii) सीईआरसी विनियमों के अनुसार संचालित और संरक्षित नामित लेखों के संबंध में देयताएं		67.68		55.94
ix) ट्रूइंग अप देयता		86.34		180.31
x) निम्नलिखित के तहत तीसरे पक्ष की देयताएं				
i) अल्पावधिक मुक्त प्राप्ति विनियम				
ए) सीटीयू		69.78		47.52
बी) एसटीयू		45.70		38.13
ii) पीएसडीएफ लेखा		233.61		185.46
iii) पीएसडीएफ संकलन लेखा		246.13		-
xi) अन्य@		366.07		199.04

टिप्पणी 2.10/ अन्य चालू देयताएं (जारी .....)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
	14161.01	13097.46
जोड़ #	**23056.60**	20016.60

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्था का रु. 332.92 करोड़ (विगत में रु. 167.73 करोड़) का अंश शामिल है।

और टिप्पणियां :

"माइक्रो, छोटे एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006" के तहत तथा अपेक्षित माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यमों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी सं. 2.45 में दिया गया है।

* निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को भुगतान के लिए कोई राशि देय नहीं है।

** संबंधित पक्षों का ब्यौरा टिप्पणी 2.48 (ख) में दिया गया है।

@ अन्य–अन्य में समाप्त चैक, मूल्य भिन्नता, एलटीए इत्यादि के लिए देयता शामिल है।

टिप्पणी 2.11/ अन्य चालू देयताएं (जारी .....)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) कर्मचारी लाभ				
i) ट्रांसमिशन प्रोत्साहन/ विशेष प्रोत्साहन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	213.13			133.19
वर्ष के दौरान वृद्धि	171.27			117.12
वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित राशि	187.32			37.18
अंत शेष		197.08		213.13
ii) अन्य कर्मचारी लाभ (छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता और दीर्घ सेवा पुरस्कार आदि)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	43.63			40.96
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (समायोजन)	6.07			2.67
अंत शेष		49.70		43.63
जोड़ (क)			**246.78**	256.76
ख) अन्य				
i) कराधान (कर पर ब्याज सहित)				
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	62.70			0.10
वर्ष के दौरान वृद्धि	1717.82			1345.90
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	(2470.89)			(3287.19)
अदा किए गए करों के संबंध में निवल (टिप्पणी 2.18)	4126.45			4570.49
अंत शेष		124.96		62.70
ii) प्रस्तावित लाभांश				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	685.34			690.50
वर्ष के दौरान वृद्धि	789.97			685.34
वर्ष के दौरान प्रदत्त/ राशि	685.34			690.50
अंत शेष		789.97		685.34
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	141.10			118.40
वर्ष के दौरान वृद्धि	161.85			141.10
वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित राशि	141.15			118.40
अंत शेष		161.80		141.10
iv) कम समय सेवा क्रेडिट–टेलीकॉम				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6.78			5.23
वर्ष के दौरान वृद्धि	4.06			2.15
वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित राशि	0.75			0.60
अंत शेष		10.09		6.78
v) अन्य प्रावधान				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.43			2.06
वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित राशि	71.82			1.37
अंत शेष		75.25		3.43
जोड़ (ख)			**1162.07**	899.35
जोड़ (क + ख)#			**1408.85**	1156.11

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 22.07 करोड़** (विगत वर्ष रु. 26.32 करोड़) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.12 अचल परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास/ परिशोधन					निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री/ निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2016 का	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री/ निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2016 का	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
भूमि												
क) फ्री–होल्ड	1811.94	197.06	-	(3.80)	**2012.80**	-	-	-	-	-	**2012.80**	1811.94
ख) पट्टाधारित	277.98	5.31	0.36	0.74	**282.19**	46.74	9.53	-	2.03	**54.24**	**227.95**	231.24
भवन												
क) सब–स्टेशन और कार्यालय	737.86	195.84	-	3.18	**930.52**	219.91	26.88	-	1.18	**245.61**	**684.91**	517.95
ख) टाउनशिप	525.12	38.10	-	(0.06)	**563.28**	155.11	20.70	-	1.63	**174.18**	**389.10**	370.01
ग) आरएलडीसी	13.28	0.34		-	**13.62**	2.66	0.47	-	-	**3.13**	**10.49**	10.62
अस्थायी उत्थापन	10.49	0.40	0.04	-	**10.85**	10.47	0.40	0.04	-	**10.83**	**0.02**	0.02
सड़कें एवं पुल	179.19	16.94	-	-	**196.13**	54.34	7.42	-	1.57	**60.19**	**135.94**	124.85
जलपूर्ति, जल और मल निकासी	110.65	5.53	0.01	(0.10)	**116.27**	34.89	4.21	-	0.49	**38.61**	**77.66**	75.76
संयंत्र एवं मशीनरी												
क) पारेषण	74367.12	22631.77	36.94	(960.55)	**97922.50**	16936.54	4159.79	8.26	40.76	**21047.31**	**76875.19**	57430.58
ख) सब–स्टेशन	38326.79	7037.04	21.92	(358.83)	**45700.74**	10050.52	2009.45	4.21	15.65	**12040.11**	**33660.63**	28276.27
ग) यूएलडीसी एवं संचार	702.53	253.43	6.55	25.87	**923.54**	425.31	42.40	6.47	26.34	**434.90**	**488.64**	277.22
घ) दूरसंचार	1431.22	40.81	-	(0.16)	**1472.19**	636.58	96.39	-	-	**732.97**	**739.22**	794.64
फर्नीचर जुड़नार	104.71	28.05	0.33	0.22	**132.21**	49.91	5.88	0.24	0.23	**55.32**	**76.89**	54.80
कार्यालय उपकरण	115.56	36.37	4.96	0.68	**146.29**	50.38	6.74	4.39	0.28	**52.45**	**93.84**	65.18
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ल्ड प्रोसेसिंग मशीन	129.80	13.21	0.75	0.30	**141.96**	93.88	22.03	1.05	0.74	**114.12**	**27.84**	35.92
वाहन	4.84	0.11	0.03	0.24	**4.68**	2.73	0.39	0.10	0.02	**3.00**	**1.68**	2.11
निर्माण एवं कर्मशाला उपस्कर	216.62	43.58	-	-	**260.20**	49.08	12.09	-	0.24	**60.93**	**199.27**	167.54
विद्युतीय संस्थापन	128.26	2.37	0.02	0.14	**130.47**	49.21	5.97	0.01	0.09	**55.08**	**75.39**	79.05
प्रयोगशाला उपकरण	75.59	0.04	0.03	(0.09)	**75.69**	37.20	3.24	0.24	0.23	**39.97**	**35.72**	38.39
कार्यशाला एवं जाच उपकरण	39.47	43.37	-	-	**82.84**	16.68	2.28	-	0.04	**18.92**	**63.92**	22.79
विविध परिसंपत्तियां उपकरण	0.94	0.22	-	0.01	**1.15**	0.32	0.05	-	-	**0.37**	**0.78**	0.62
जोड़	119309.96	30589.89	71.94	(1292.21)	**151120.12**	28922.46	6436.31	25.01	91.52	**35242.24**	**115877.88**	90387.50
घटाएं : हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	10.33	0.07	-	-	**10.40**	8.61	0.05	-	-	**8.66**	**1.74**	1.72
सकल जोड़ #	119299.63	30589.82	71.94	(1292.21)	**151109.72**	28913.85	6436.26	25.01	91.52	**35233.58**	**115876.14**	90385.78
पिछले वर्ष का जोड़	97249.47	21521.63	9.86	(548.72)	119309.96	23663.73	5292.67	1.46	32.48	28922.46	90387.50	
घटाएं : हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	10.40	-	-	0.07	10.33	8.66	-	-	0.05	8.61	1.72	
पिछले वर्ष का सकल जोड़	97239.07	21521.63	9.86	(548.79)	119299.63	23655.07	5292.67	1.46	32.43	28913.85	90385.78	

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 1451.47 करोड़ (विगत वर्ष 1453.75 करोड़) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.12 अचल परिसंपत्तियां (जारी .....)

अन्य टिप्पणियां :

क) कम्पनी के स्वामित्व में रु. 2294.99 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 2089.92 करोड़) राशि की 7011 हेक्टेयर (पूर्ववर्ती वर्ष 6647 हेक्टेयर) भूमि है, जिसे उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर रु. 2012.80 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 1811.94 करोड़) फ्री–होल्ड में और रु. 282.19 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 277.98 करोड़) पट्टाधारित में वर्गीकृत किया गया है।

ख) i) रु. 68.53 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 68.53 करोड़) की राशि की जम्मू व कश्मीर राज्य में पट्टाधारण भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि को राज्य सरकार द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया है। इस प्रकार अधिग्रहित भूमि का प्रचलित कानून के अनुसार राज्य सरकार भूमि की स्वामी बनी रहती है और कंपनी को केवल विशेष प्रयोग के लिए स्वामित्व दिया जाता है।

ii) जम्मू और कश्मीर में स्थित ट्रांसमिशन सिस्टम को कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से राष्ट्रीय जल विद्युत पावर कार्पोरेशन लिमि. (एनएचपीसी) से कानूनी औपचारिकताओं के पुरा होने तक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अपने अधिकार में लिया है।

ग) फ्री–होल्ड भूमि कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि, जिसके लिए कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को अभी निष्पादित किया जाना है, के संबंध में रु. 191.39 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 33.71 करोड़) और रु. 304.79 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 192.08 करोड़) शामिल हैं।

घ) पट्टाधारी भूमि में स्थायी पट्टा आधार पर कटवारिया सराय, नई दिल्ली में असीमित उपयोग के साथ कार्यालय परिसर हेतु अधिग्रहीत भूमि के संबंध में रु. 7.64 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 7.64 करोड़) शामिल हैं और इसलिए परिशोधित नहीं है।

ङ) पट्टाधारित भूमि में कंपनी एनएचपीसी से चंबा, हिमाचल प्रदेश में अधिग्रहित भूमि के संबंध में रु. 13.97 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 13.97 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए कानूनी औपचारिकताएं लंबित हैं।

च) टाउनशिप बिल्डिंगों में मुम्बई में 28 फ्लैटों के लिए रु. 7.27 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 7.27 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए कंपनी के पक्ष में पंजीकरण लंबित हैं।

छ) बीना सब स्टेशन में भूमि जिसका माप रु. 13.90 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 13.90 करोड़) है जिसका मूल्य रु. 0.04 करोड़ (पूर्ववर्ती रु. 0.04 करोड़) है, को स्वामित्व प्रदान किए बगैर स्थानांतरित किया गया है।

ज) फ्री–होल्ड भूमि में कंपनी द्वारा पट्टा–सह–बिक्री करार के माध्यम से अर्जित टुमकुर (मधुगिरि एसएस) भूमि के संबंध में भुगतान किए गए 20.64 करोड़ रु. शामिल हैं, जिसके लिए केआईएडीबी से नामांतरण के संबंध में सभी शर्तें पूरी की जा चुकी हैं और कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख/ धारणाधिकार तथा राजस्व अभिलेखों में नामांतरण लंबित है।

टिप्पणी 2.13 अमूर्त परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास/ परिशोधन					निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	बिक्री/ निपटान	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री/ निस्तारण	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च 2015 को
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	61.60	5.06	0.32	0.04	**66.30**	19.90	18.05	0.32	0.04	**37.59**	**28.71**	41.70
मार्गाधिकार वनरोपण खर्च	925.44	102.42	0.17	(167.48)	**1195.17**	162.71	56.09	-	(5.18)	**223.98**	**971.19**	762.73
स्काडा सॉफ्टवेयर	193.46	11.21	9.98	148.51	**46.18**	192.61	0.87	9.98	148.51	**34.99**	**11.19**	0.85
जोड़#	1180.50	118.69	10.47	(18.93)	**1307.65**	375.22	75.01	10.30	143.37	**296.56**	**1011.09**	805.28
पूर्ववर्ती वर्ष का जोड़	985.60	194.39	0.12	(0.63)	1180.50	317.93	51.09	0.01	(6.21)	375.22	805.28	

इसमें निवल ब्लॉक में संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 43.45 करोड़** (विगत में रु. 14.63 करोड़) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.14 चालू पूंजीगत कार्य

(रु. करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2016 को
भूमि					
भूमि का विकास	4.34	59.51	-	54.97	**8.88**
भवन					
क) सब–स्टेशन और कार्यालय	311.93	316.69	78.66	196.04	**353.92**
ख) टाउनशिप	62.54	44.06	(19.30)	37.85	**88.05**
अस्थाई उत्थापन	0.02			0.02	
सड़कें एवं पुल	5.96	10.45	-	0.78	**15.63**
जल पूर्ति, जल और मल निकासी	2.26	0.04	-	-	**2.30**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल निर्माण कार्य सहित)					
क) पारेषण	26871.07	13906.23	(11.96)	19165.65	**21623.61**
ख) सब–स्टेशन	6225.53	7384.35	-	5981.82	**7628.06**
ग) यूएलडीसी	397.54	157.50	18.08	247.28	**289.68**

टिप्पणी 2.14 चालू पूंजीगत कार्य (जारी ....)

(रु. करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2016 को
घ) दूरसंचार	47.67	12.90	-	20.61	**39.96**
ङ) टीईएसपी परियोजना पुडुचेरी	2.31	13.11	1.05	-	**14.37**
अन्य कार्यालय उपस्कर	0.15	-	0.15	7.04	**(7.04)**
विद्युतीय संस्थापन	5.58	17.56	-	-	**23.14**
आवंटन होने तक व्यय	0.01	-	-	-	**0.01**
i) सर्वेक्षण, जांच, परामर्श एवं पर्यवेक्षण प्रभार	40.61	8.15	(3.95)	11.20	**41.51**
ii) विदेशी मुद्रा ऋण पर विनियम में अंतर	817.05	525.95	-	702.05	**640.95**
iii) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 2.32)	5471.83	2951.40	(187.54)	3759.42	**4851.35**
जोड़	40266.40	25407.90	(124.81)	30184.73	**35614.38**
घटाएं : अनुपयोगी छोटी गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	3.64	-	-	-	**3.64**
कुल जोड़ #	40262.76	25407.90	(124.81)	30184.73	**35610.74**
पूर्ववर्ती वर्ष	32036.20	30614.32	2082.16	20301.96	**40266.40**
घटाएं : निकाली गई संपत्तियों के लिए प्रावधान	19.40	3.64	19.40		**3.64**
जोड़	32016.80	30610.68	2062.76	20301.96	**40262.76**

इसमें संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का रु. 427.86 करोड़ (विगत में रु. 291.19 करोड़) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.15 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2015 को	वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2016 को
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	0.09	1.67	-	0.30	**1.46**
मार्गाधिकार वनरोपण खर्च	139.44	53.84		101.09	**92.19**
विकास व्यय	73.75	10.97	6.26	-	**78.46**
जोड़ #	213.28	66.48	6.26	101.39	**172.11**
पिछले वर्ष का जोड़	374.34	36.75	10.57	187.24	**213.28**

#इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का शून्य (विगत में रु. 1.99 करोड़) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.16 निर्माण भंडार

(मूल्यन विधि के लिए टिप्पणी 1.11 देखें)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
टॉवर	1940.30		2527.36
कन्डक्टर	1942.13		3400.65
अन्य लाइन सामग्री	1300.21		1655.27
सब–स्टेशन उपस्कर	2254.99		2523.66
एचवीडीसी उपकरण	2650.37		2850.07
यूएलडीसी सामग्री	186.98		200.78
दूरसंचार सामग्री	15.54		8.39
अन्य	60.19		39.08
		10350.71	13205.26
घटाएं: कमियों और पुरानी सामग्री के लिए प्रावधान		**0.02**	0.02
जोड़ #		**10350.69**	13205.24
निर्माण भंडार में शामिल है			
i) मार्गस्थ सामग्री			
टॉवर		**13.42**	6.39
कंडक्टर		**2.23**	13.35
अन्य लाइन सामग्री		**82.53**	62.93
सब स्टेशन उपकरण		**94.74**	794.03
एचवीडीसी उपकरण		**267.35**	413.54
यूएलडीसी सामग्री		-	11.68
अन्य		**1.57**	12.05
जोड़		**461.84**	1313.97

टिप्पणी 2.16 निर्माण भंडार (जारी ...)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
ii) संविदाकारों के पास सामग्री		
टॉवर	**1863.83**	2520.97
कंडक्टर	**1845.91**	3387.30
अन्य लाइन सामग्री	**1144.13**	1592.34
सब–स्टेशन उपस्कर	**2087.69**	1729.63
एचवीडीसी उपकरण	**2383.02**	2436.53
यूएलडीसी सामग्री	**186.98**	189.10
दूरसंचार सामग्री	**15.54**	8.39
अन्य	**57.81**	4.65
जोड़	**9584.91**	11868.90
कुल जोड़	**10046.75**	13182.87

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं को **रु.141.75 करोड़** (विगत में रु. 5.08 करोड़) का अंश शामिल है।

अतिरिक्त टिप्पणियां :

लेखा समाधान होने तक, चालू लाइनों में रु. 199.55 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 112.34 करोड़ रु.) की राशि की सामग्रियों को संविदाकारों के पास पड़े निर्माण भंडारों के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी 2.17 गैर–चालू निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
दीर्घ अवधि		
क. ट्रेड निवेश (लागत पर)		
I. इक्विटी निवेश–पूर्णतः प्रदत्त :–		
उधृत		
पीटीसी इण्डिया लिमि.		
रु. प्रत्येक के 12000006 (पूर्ववर्ती वर्ष 12000006) शेयर	**12.00**	12.00
(बाजार मूल्य रु. 76.80 करोड़ / रु. 64.00 (एनएसई) प्रति शेयर की दर		
पूर्ववर्ती वर्ष रु. 97.08 करोड़ जो 80.90 (एनएसई) प्रति शेयर की दर पर है)		
II. सरकारी प्रतिभूतियां (अनुद्धृत) :		
1.10.2006 से 20 अर्धवार्षिक किस्तों में विमोच्य 8.50 प्रतिशत बाण्ड	**2.50**	7.49
जोड़ (क)	**14.50**	19.49
ख. गैर–व्यापारिक निवेश (अनुद्धृत) :–		
पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर		
इम्पलाइज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, इटारसी में प्रत्येक रु. 10 के 500 (पूर्ववर्ती वर्ष 500) शेयर (रु. 5,000)	**0.00**	0.00
इम्पलाइज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नागपुर में प्रत्येक रु. 10 के 500 (पूर्ववर्ती वर्ष 500) शेयर (रु. 5,000)	**0.00**	0.00
इम्पलाइज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर में प्रत्येक रु. 10 के 500 (पूर्ववर्ती वर्ष 500) शेयर (रु. 5,000)	**0.00**	0.00
भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमि. में प्रत्येक रु. 10 का 1 शेयर (पूर्ववर्ती वर्ष 1) (रु. 10)	**0.00**	0.00
जोड़ (ख)	**0.00**	0.00
कुल जोड़ (क + ख)#	**14.50**	19.49

 # इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का शून्य (विगत वर्ष में शून्य) अंश शामिल है।

और टिप्पणियां :

1) उद्धृत निवेशों की समग्र राशि		
खाता मूल्य	**12.00**	12.00
बाजार मूल्य	**76.80**	97.08
अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि		
खाता मूल्य	**2.50**	7.49

2) निवेशों को लेखाकरण नीति संख्या 1.14 के अनुसार मूल्यांकित किया गया है।

टिप्पणी 2.18 दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम

(असुरक्षित समझा गया, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
i) प्रतिभूतित			-	0.26
ii) अप्रतिभूतित				
क. बैंक गारन्टियों के प्रति	2859.87			2806.07
ख. अन्य	255.02			662.03
iii) प्रतिभूतित, संदिग्ध समझे गए	2.95			3.00
		3117.84		3471.10
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		2.95		3.00
			3114.89	3468.10
			3114.89	3468.36
ख) ऋण				
i) कर्मचारी (उपगत ब्याज सहित)				
प्रतिभूतित	183.36			177.69
अप्रतिभूतित	13.74			8.13
		197.10		185.82
ii) स्वीकार्य पट्टे		400.00		376.61
			597.10	562.43
ग) प्रतिभूतित जमा राशियां			**5.59**	10.03
घ) संबंधित पक्षों को अग्रिम*				
i) लाभकर समझे गए			**0.05**	-
ङ) नकदी में अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम				
संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता (ऋण पर जारी सामग्री सहित)		46.85		46.08
कर्मचारी		10.46		13.31
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों में शेष		21.17		0.31
एमएटी जमा पात्रता		53.11		41.99
अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती	4126.45			4570.49
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	4126.45			4570.49
		-		-
अन्य		37.50		4.60
		169.09		106.29
संदिग्ध समझे गए		3.59		3.72
		172.68		110.01
घटनाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		3.59		3.72
			169.09	106.29
जोड़#			**3886.72**	4147.11
से देय:				
निदेशक			**0.10**	0.11
अधिकारी (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक सहित)			**7.64**	6.72

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं की रु. 117.57 करोड़ (विगत वर्ष रु. 85.75 करोड़) का अंश शामिल है।

और टिप्पणी:

*संबंधित पक्षों को अग्रिमों को ब्यौरे टिप्पणी 2.49 (ख) में उपलब्ध है।

टिप्पणी 2.18 क / अन्य गैर चालू निवेश

(असुरक्षित समझा गया, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) सावधि जमा (एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि)	1.46		-
ख) ब्याज अर्जित लेकिन देय की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	0.07		-
ग) बैंक में जमा मार्जिन राशि	0.02		0.02
		1.55	0.02
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान		-	-
जोड़#		**1.55**	0.02

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 1.55 करोड़ (विगत में रु. 0.02 करोड़) शामिल है।

टिप्पणी 2.19 चालू निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
दीर्घ अवधि निवेशों की वर्तमान भुगतान तिथियां (लागत पर)		
करोबार निवेश		
I) सरकारी प्रतिभूतियां (अनुधृत)		
दिनांक 1.10.2006 से 20 छमाही किस्तों में विमोच्य 8.5 प्रतिशत बाण्ड	5.00	185.43
II) म्युचुअल फंड (अनुधृत)		
आईसीआईसीआई प्रुडेंषियल लिक्विड ग्रोथ	0.37	-
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान संस्थागत ग्रोथ विकल्प	1.43	-
आईडीएफसी नकदी निधि	4.83	1.68
टाटा मनी मार्केट फंड रेगुलर प्लान – ग्रोथ	0.66	-
एचडीएफसी कैश मैनेजमेंट फंड – ग्रोथ	12.20	-
जेएम हाई लिक्विडी – ग्रोथ	0.78	-
रेली गेयर इंवेस्को लिक्विड फंड	-	10.17
सुंदरम मनी फंड रेगुलर – ग्रोथ	-	2.82
जोड़#	25.27	200.10
# इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 20.27 करोड़ (विगत में रु. 14.67 करोड़) का अंश शामिल है।		
और टिप्पणियां:		
1) अनुधृत निवेशों की समग्र राशि का खाता मूल्य	25.27	200.10
2) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति सं. 1.14 (टिप्पणी सं. 1) के अनुसार किया है।		

टिप्पणी 2.20 माल सूची

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
(प्रबंधन तथा यथा–मूल्यांकित एवं प्रमाणित)		
(मूल्यांकन की विधि के लिए टिप्पणी 1.15 को देखें)		
खुले औजार	11.19	10.64
उपभोज्य सामान	5.99	5.06
संघटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं अन्य अतिरिक्त पुर्जे :		
टावर	185.03	167.46
कन्डक्टर	67.00	51.08
अन्य लाइन सामग्री	250.02	212.70
सब–स्टेशन उपस्कर/ अतिरिक्त पुर्जे	214.90	187.32
एचवीडीसी उपस्कर/ अतिरिक्त पुर्जे	71.84	82.13
यूएलडीसी अतिरिक्त पुर्जे	5.59	3.79
दूरसंचार के अतिरिक्त पुर्जे	20.47	5.70
अन्य भंडार	36.36	13.12
	868.39	739.00
घटाएं : कमी/ नुकसान के लिए प्रावधान	20.16	20.16
जोड़#	848.23	718.84
# इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु.24.55 करोड़ (विगत में रु. 1.09 करोड़ का अंश शामिल है)		
संपत्ति सूची जिसमें, मार्गस्थ सामग्री शामिल है		
टावर	-	0.01
अन्य लाइन सामग्री	1.96	0.01
जोड़	1.96	0.02

टिप्पणी 2.21 व्यापार प्राप्य राशियां

(असुरक्षित उपयुक्त समझा गया, जब तक कि अन्य अन्यथा उल्लेख न हो)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
i) उस तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के बकाया ऋण जिस तारीख से वे यह भुगतान के लिए देय है			
सही माने गए	323.01		223.56
संदिग्ध माने गए	29.70		27.41
		352.71	250.97
ii) अन्य		2499.10	1983.40
		2851.81	2234.37

टिप्पणी 2.21 व्यापार प्राप्य राशियां (जारी ....)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान	**29.70**	27.41
जोड़ #*	**2822.11**	2206.96

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 73.64 करोड़ (विगत में रु. 74.54 करोड़) का अंश शामिल है।

*संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्यों का ब्यौरा टिप्पणी 2.29 (ख) में उपलब्ध है।

टिप्पणी 2.12 नकदी एवं बैंक में शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
1) नकदी एवं नकदी समतुल्य राशि			
बैंकों में शेष			
– चालू खातों में	1144.98		1413.50
– नामोद्दिष्ट चालू खातों में (परामर्शदायी आबंटनों हेतु उपयोग किया जाए)	674.56		984.90
– सावधि जमाओं में (3 माह से अधिक परिपक्वता अवधि)	15.81		16.92
– एलटीसी विकास खाते में	103.63		114.69
हस्तगत ड्राफ्ट्स/ चैक	-		0.01
हस्तगत नकदी	1.69		0.02
स्टाम्प और आदाय	0.01		0.15
		1940.68	2530.19
2) अन्य बैंक शेष राशियां			
–बैंक में चिह्नित शेष*		**10.29**	10.39
-चालू खाते फ्लैक्सी जमाओं में			
(सीईआरसी विनियमों के तहत संचालित और अनुरक्षित)		**59.91**	48.33
क) अल्पावधि मुक्त प्राप्ति विनिमय		**115.48**	85.65
ख) पीएसडीएफ वितरण खाता		**233.61**	185.46
ग) पीएसडीएफ संकलन खाता		**221.84**	-
–सावधि जमाओं में, जिनमें भुगतान की तिथि 3 महीने बाद है		**990.01**	128.53
– फ्लैक्सी जमा खाते में – आरईसी		**15.74**	-
–मार्जिन राशि के रूप में रखी गई जमा		**0.30**	-
जोड़#		**3587.86**	2988.55

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 176.09 करोड़** (विगत में रु. 162.82 करोड़) का अंश शामिल है।

और टिप्पणियां :

उपर्युक्त नकद और नकद समतुल्यों के तहत चालू खातों और नामित चालू खातों में बैंक के पास शेष में क्रमश: रु. 182.32 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 442.62 करोड़) नकदी फ्लैक्सी सावधि जमा और रु. 449.43 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 982 करोड़) शामिल है। फ्लैक्सी जमा पर ब्याज निर्दिष्ट पार्टी के खाते में डाला गया है।

*** बैंक के पास चिन्हित शेष में अप्रदत्त लाभांश और एफपीओ लाभ की वापसी शामिल है।**

टिप्पणी 2.23 अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम

(उपयुक्त समझा गया अप्रतिभूतित, जब तक कि अन्यथा बताया न गया हो)

विवरण			31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) ऋण				
क) उपगत ब्याज सहित कर्मचारी				
i) प्रतिभूतित	19.34			16.39
ii) अप्रतिभूतित	7.11			5.95
		26.45		22.34
ख) अन्य				
दीर्घ अवधि अग्रिमों की वर्तमान भुगतान तिथियां				
(प्रतिभूतिकरण योजना के अधीन)	7.71			23.14
स्वीकार्य पट्टे की वर्तमान भुगतान तिथियां	82.72			73.68
अन्य	-			0.03
		90.43		96.85
जोड़ (क)			**116.88**	119.19
ख) संबंधित पक्षों को अग्रिम*			**31.79**	24.22

टिप्पणी 2.23 अल्प अवधि ऋण एवं अग्रिम (जारी...)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
ग) नकदी में अथवा किस्म में प्राप्त किए जाने वाले अथवा मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम				
क) कर्मचारी		14.73		15.91
ख) अन्य				0.22
संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता (ऋण पर जारी की गई सामग्री सहित)	173.50			33.83
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों के पास शेष	88.35			31.98
अन्य @	254.73			199.17
		516.58		264.98
जोड़ (ग)			**531.31**	281.11
जोड़ (क + ख + ग)			**679.98**	424.52
घटाएं : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान			**0.03**	-
जोड़#			**679.95**	424.52
निदेशक			**0.08**	0.08
अधिकारी (प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों सहित)			**2.40**	2.28

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 9.88 करोड़** (विगत वर्ष रु. 32.80 करोड़) का अंश शामिल है।

और टिप्पणी:

*संबंधित पक्षों को अग्रिम के ब्यौरे टिप्पणी 2.49 (ख) में उपलब्ध हैं।

@नकदी अथवा किसी अन्य रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम/ अन्य में ग्रेच्युटी, पीटी ट्रस्ट, प्रीपेड व्यय आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 2.24 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूतित, उपयुक्त समझे गए जब तक कि अन्यथा बताया न गया हो)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 के अनुसार	31 मार्च 2015 के अनुसार
क) बिना बिल का राजस्व	3060.23		2287.58
ख) प्रोद्भूत ब्याज, परंतु देय नहीं			
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज (बॉन्ड)	4.36		12.09
सावधि/ मियादी जमाओं पर प्रोद्भूत ब्याज	12.69		12.98
ग) वसूली योग्य दावे	15.21		4.06
घ) अन्य @	70.67		28.10
ड) संदिग्ध दावे	-		-
		3163.16	2344.81
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान		-	-
जोड़#		**3163.16**	2344.81

और टिप्पणी:

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 27.53 करोड़** (विगत वर्ष रु. 48.03 करोड़) का अंश शामिल है।

रु. 1481.58 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 1002.65 करोड़) का बिना बिल का राजस्व उस राशि को दर्शाता है जिसके लिए कंपनी को अभी सीईआरसी टैरिफ मानकों के अनुसार राजस्व स्वीकरण की दृष्टि से बिलों को तैयार करना है और अप्रैल, 2016 (पूर्ववर्ती वर्ष अप्रैल, 2015) के महीने में लाभभोगियों को दिए गए बिल में मार्च, 2016 के महीने के लिए पारेषण प्रभारों के रु. 1578.65 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 1285.03 करोड़) भी शामिल हैं।

अन्यों

*अन्यों पर अर्जित ब्याज में संविदाओं को अग्रिम पर अर्जित ब्याज शामिल है।@ अन्य में अन्य अर्जित आय और ग्राहकों से प्राप्य शामिल हैं।

टिप्पणी 2.25 प्रचालनों से राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
i) पारेषण व्यवसाय			
सेवाओं की बिक्री			
ट्रांसमिशन प्रभार	20070.29		16668.71
जोड़ें : मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम में से स्वीकृत राजस्व	142.92		79.50
जोड़ें : अल्पावधि खुली पहुंच – प्रभार	30.18		39.57
जोड़ें : प्रणाली और बाजार प्रचालन प्रभार	123.77		139.94
	20367.16		16927.72
अन्य प्रचालन राजस्व			
सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ और अनंतिम के बीच विभेद पर ब्याज	63.22		70.88
		20430.38	16998.60

टिप्पणी 2.25 प्रचालनों से राजस्व (जारी ......)

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
ii) दूरसंचार व्यवसाय			
सेवाओं की बिक्री			
एनएलडी	391.05		272.48
आईपी-1	8.28		8.44
आईएसपी	2.09		2.59
अन्य	33.27		15.59
	434.69		299.10
घटाएं : अंतर मण्डलीय अंतरण			
एनएलडी	37.27		18.97
आईपी-1	5.16		5.16
आईएसपी	0.24		0.26
	42.67		24.39
		392.02	274.71
iii) परामर्शी परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण			
सेवाओं की बिक्री	529.92		385.20
		529.92	385.20
जोड़#		**21352.32**	17658.51

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 420.82 करोड़** (विगत में रु. 313.19 करोड़) का अंश शामिल है।

क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने ब्लॉक अवधि 2014–19 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण दिनांक 21 फरवरी, 2014 के आदेश के तहत "सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन, 2014" को अधिसूचित किया है।

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित के अनुसार पारेषण आय की पहचान की है :–

i) रु. 3915.15 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 4272.76 करोड़), जिसके लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनंतिम आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें दावा किए गए टैरिफ के 90 प्रतिशत तक अनंतिम बिलिंग की अनुमति दी गई है।

ii) रु. 12767.92 करोड़ (विगत वर्ष में शून्य), जिसके लिए सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेश जारी किए गए हैं।

iii) रु. 3194.01 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 12178.10 करोड़), जो 2014–19 के टैरिफ ब्लॉक के लिए लागू सीईआरसी टैरिफ मानकों पर आधारित है, जिसके लिए सीईआरसी द्वारा टैरिफ आदेश जारी किए जाने हैं। इसमें 31.03.2014 तक चालू संपत्तियों के राजस्व भी शामिल हैं।

टिप्पणी 2.26 अन्य आय

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
क) गैर–चालू निवेशों से आय			
i) लाभांश			
अन्य	2.64		2.41
ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	14.03		28.11
ख) अन्य ब्याज			
देयताओं के व्यवस्थापन में सरकार को ऋण	-		2.95
भारतीय बैंक	139.22		318.94
संविदाकारों को अग्रिमों से ब्याज	60.71		156.19
अन्य	14.83		14.41
		231.43	523.01
ग) अन्य			
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		**1.59**	1.90
आस्थगित आय (सहायता अनुदान से स्थानांतरित)		**22.20**	22.19
चल संपत्तियों की हानियों के कारण बीमा प्रारक्षित निधि से अंतरण		**5.29**	20.21
पट्टा आय–राज्य सेक्टर, यूएलटीसी		**34.76**	37.18
अधिभार		**95.47**	66.84
उपकरणों हेतु किराया प्रभार		**0.03**	0.22
एफईआरवी अभिलाभ		**0.05**	12.44
छूट		**0.32**	0.34
प्रावधान प्रतिलिखित		**21.80**	5.52
विविध आय		**97.13**	84.26
		510.07	774.11
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) – टिप्पणी सं. 2.32		**81.63**	199.58
जोड़#		**428.44**	574.53

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 14.20 करोड़** (विगत वर्ष में रु. 15.17 करोड़) का अंश शामिल है।

और टिप्पणियां:

अन्य ब्याज – अन्य में कर्मचारी ऋणों पर ब्याज शामिल है।

टिप्पणी 2.27 कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरियां, भत्ते और लाभ	1246.76		1274.59
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	194.66		277.90
कर्मचारी कल्याण व्यय	154.37		153.98
		1595.79	1706.47
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (नियत) – टिप्पणी सं. 2.32		**511.18**	582.06
जोड़#		**1084.61**	1124.41

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 7.77 करोड़** (विगत वर्ष में रु. 7.51 करोड़) का अंश शामिल है।

और टिप्पणियां:

क) कर्मचारी के पारिश्रमिक एवं लाभ, जिसमें पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों के लिए, निम्नलिखित शामिल हैं, और जो, पूर्व निदेशकों को प्रदत्त बकायों को छोड़कर है।

(रु. करोड़ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वेतन व भत्ते	2.31	1.95
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान उपदान और सामूहिक बीमा	0.35	0.24
अन्य लाभ	0.41	0.71

ख) उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को 2000/– रुपए प्रति माह के भुगतान पर स्टाफ कार (प्राइवेट यात्राओं सहित) का प्रयोग अनुमत किया गया है, जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के का.ज्ञा.सं. 2(23)/ 11–डीपीई (डब्ल्यूसी) – जी एल– V/13 दिनांक 21.01.2013 में निहित है।

ग) विद्युत मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग की मंजूरी मिलने तक कठिन और दूरदराज क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत तक विशेष वेतन, जिसकी राशि वित्त वर्ष 2015–16 (31.03.2016 तक संचयी राशि रु. 114.01 करोड़) के लिए रु. 17.67 करोड़ की राशि अदा की जा रही है। उपर्युक्त भत्ता डीपीई कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) – जीएल– XVI/08, दिनांक 26 नवंबर, 2008 के अनुसार मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त है।

घ) वित्त वर्ष 2014–15 हेतु कर्मचारी लाभ व्यय अवधि 01.01.2007 से 31.03.2012 के लिए पावर ग्रिड इम्प्लाइज डिफाइण्ड कंट्रीब्यूशन सुपर एन्यूवेशन बेनीफिट (पेंशन) योजना के संबंध में शेष अंशदान के रूप में रु. 87.28 करोड़ शामिल है।

ङ) वेतन, भत्तों व लाभ में निष्पादन संबंधी वेतन प्रतिलिखित के अधिक्य प्रावधान प्रतिलिखित के रु. 14.10 करोड़ शामिल है।

टिप्पणी 2.28 वित्त लागत

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
क) i) निम्न से ऋण पर ब्याज			
भारतीय बैंक वित्तीय संस्थान और निगम	1246.71		1169.08
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	270.61		233.33
प्रतिभूतित/ अप्रतिभूतित विमोच्य बाण्ड	5381.89		4755.96
विदेशी करेंसी बाण्ड	135.07		126.13
ii) ब्याज – अन्य	71.60		14.75
		7105.88	6299.25
ख) अन्य उधारी लागतें			
वचनबद्धता प्रभार	12.07		14.40
गारण्टी शुल्क	260.20		238.54
अन्य वित्त प्रभार	44.45		21.70
		316.72	274.64
ग) उधारी लागत के समायोजन के रूप में ईआरवी			
विदेशी विनिमय दर भिन्नता	6.71		6.27
घटाएं : तसदीक करते समय लाभार्थियों से वसूलनीय	6.71		6.27
		7422.60	6573.89
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय हेतु अंतरित (नियत) – टिप्पणी सं. 2.32		**2336.65**	2492.66
जोड़#		**5085.95**	4081.23

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 108.60 करोड़** (विगत वर्ष रु. 78.74 करोड़) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.29/मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/ परिशोधन	**6436.31**	5292.67
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	**75.01**	51.09
	6511.32	5343.76
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) टिप्पणी सं. 2.32	**12.18**	12.68
	6499.14	5331.08
घटाएं : एफईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यह्रास	**196.96**	157.75
लाभ एवं हानि के विवरण पर प्रभारित #	**6302.18**	5173.33

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 107.98 करोड़** (विगत वर्ष रु. 79.98 करोड़) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.30/ट्रांसमिशन, प्रशासन और अन्य खर्चे

(रु. करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव			
भवन		49.83	46.58
संयंत्र और मशीनरी			
सब–स्टेशन	267.10		226.42
ट्रांसमिशन लाईन	172.38		128.95
दूरसंचार उपस्कर	45.34		20.37
आरएलडीसी	7.06		16.98
अन्य	30.31		17.29
		522.19	410.01
सिस्टम और बाजार प्रचालन प्रभार	-		4.17
विद्युत प्रभार	162.75		174.38
घटाएं :– ठेकेदारों से वसूली	0.74		1.25
		162.01	173.13
डीजल जेनरेटिंग सेटों के खर्चे		4.50	6.54
उपभुक्त सामान		4.59	1.02
जल प्रभार		3.24	1.22
मार्गाधिकार खर्चे (दूरसंचार)		4.88	4.41
पेट्रोलिंग खर्चे – दूरसंचार		1.92	1.99
अंतिम चरण की कनेक्टिविटी – दूरसंचार		6.61	2.21
प्रशिक्षण और भर्ती खर्चे	30.76		26.61
घटाएं :– प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए शुल्क	1.01		0.03
		29.75	26.58
कानूनी खर्चे		16.78	11.63
व्यावसायिक खर्चे (टीए/डीए सहित)		18.30	14.21
परामर्शदात्री खर्चे (टीए/डीए सहित)		14.19	7.92
संचार व्यय		17.76	15.97
यात्रा और वाहन भाड़ा व्यय (विदेश यात्रा सहित)	106.92		113.16
विदेश यात्रा	12.09		13.65
		119.01	126.81
निविदा व्यय	29.02		22.58
घटाएं :– निविदाओं की बिक्री	4.19		5.04
		24.83	17.54
सांविधिक लेखा–परीक्षकों को भुगतान			
लेखा–परीक्षा शुल्क	0.90		0.90
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.11		0.14
अन्य क्षमता में	0.83		1.14
बकाया राशियां	-		0.13
व्यक्तिगत खर्चे में से	0.94		0.79
		2.78	3.10

टिप्पणी 2.30/ट्रांसमिशन, प्रशासन और अन्य खर्चे (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन और प्रचार		12.56		12.37
मुद्रण और लेखन सामग्री		7.09		6.52
पुस्तकें, पत्रिकाएं और जनरल		1.28		1.16
इटीपी किराया और अन्य खर्चे		9.32		3.94
मनोरंजन संबंधी खर्चे		1.67		2.16
दलाली और कमीशन		0.41		0.36
अनुसंधान और विकास व्यय		5.41		3.41
लागत लेखा–परीक्षा और वास्तविक सत्यापन शुल्क		1.35		0.76
किराया		11.16		12.57
उन परिसम्पतियों पर पूंजीगत व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है		0.62		3.93
सीईआरसी याचिका और अन्य व्यय		49.63		38.31
विविध व्यय		73.99		70.02
बागवानी व्यय		14.04		12.23
सुरक्षा व्यय		123.95		107.36
वाहन को किराए पर लेना		109.06		124.63
बीमा		84.51		72.87
दरें और कर		7.44		9.64
डीओटी को लाईसेंस शुल्क		34.28		23.44
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा व्यय (दूरसंचार) आदि		22.14		22.17
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और सतत विकास व्यय		118.31		29.65
गैर प्रचालन व्यय		0.07		0.54
मार्गस्थ निवास व्यय	11.23			9.18
घटाएं :– मार्गस्थ निवास से आय	1.15			0.92
		10.08		8.26
ग्राहकों को छूट*		120.09		118.55
विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन (एफआरवी का निवल लाभ और वसूल करने योग्य राशि)		4.84		-
प्रावधान				
अन्य	7.50			43.95
		7.50		43.95
		1833.97		1603.84
घटाएं :–निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल – टिप्पणी संख्या 2.32 देखें)		172.94		196.52
			1661.03	1407.32
अचल परिसम्पतियों के निपटान/बट्टे खाते डालने पर हानि			**1.12**	0.58
जोड़#			**1662.15**	1407.90
मरम्मत और रखरखाव में शामिल किए गए सामान की खपत			**178.78**	137.53

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 93.22 करोड़** (विगत वर्ष रु. 21.01 करोड़) का अंश शामिल है।

और टिप्पणियां :

*कंपनी ने सुसंगता आधार पर राज्य विद्युत उपयोगिताओं से देयताओं की बेहतर एवं समायोचित रूप से वसूली करने के लिए एलसी/ चेक/ आरटीजीएस के जरिए प्राप्त भुगतान के प्रति छूट की अनुमति दी है।

टिप्पणी 2.31/पूर्व अवधि मदें (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
ट्रांसमिशन प्रभार	**(47.74)**	1.74
मूल्यह्रास/परिशोधन अभिलिखित	**60.07**	-
अन्य	**0.79**	(0.48)
	13.12	1.26

टिप्पणी 2.31/पूर्व अवधि मदें (निवल) (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यय		
विद्युत व्यय	**0.66**	37.77
दरें और कर	**0.25**	3.76
ब्याज	**11.92**	-
अन्य	**1.24**	6.21
	14.07	47.74
पूर्व अवधि व्यय/ (आय) (निवल)	**0.95**	46.48
घटाएं :– निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल – टिप्पणी संख्या 2.32 देखें)।	**0.08**	(0.71)
जोड़#	**0.87**	47.19

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 15.61 करोड़** (विगत वर्ष में शून्य) का अंश शामिल है।

टिप्पणी 2.32/निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		415.24		471.64
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		64.54		80.88
कल्याण व्यय		31.40		29.54
जोड़ (क)			**511.18**	582.06
(ख) अन्य व्यय				
मरम्मत और अनुरक्षण				
भवन	4.22			4.40
अन्य	18.40			4.41
		22.62		8.81
विद्युत खर्चे	3.88			11.41
घटाएं :– ठेकेदारों से वसूली	0.24			0.39
		3.64		11.02
डीजल जेनरेटिंग सेटों पर खर्चे		0.35		0.88
जल प्रभार		0.80		0.50
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय		2.29		0.09
कानूनी खर्चे		2.83		3.19
व्यावसायिक खर्चे		13.89		5.24
परामर्शदायी खर्चे		12.14		6.04
संचार व्यय		2.03		2.48
यात्रा और वाहन यात्रा व्यय (विदेश यात्रा सहित)		34.96		47.02
निविदा व्यय	7.17			8.82
घटाएं :– निविदाओं की बिक्री	4.03			4.49
		3.14		4.33
लेखा परीक्षकों को भुगतान		0.18		0.11
विज्ञापन और प्रचार		1.53		0.60
मुद्रण और लेखन सामग्री		0.69		0.81
पुस्तकें, पत्रिकाएं और जरनल		0.03		0.02
ईडीपी किराया और अन्य खर्चे		0.28		1.07
मनोरंजन संबंधी खर्चे		0.05		0.16
दलाली और कमीशन		0.07		0.07
किराया		3.53		5.26
विविध व्यय		16.37		19.70
बागवानी व्यय		0.59		0.42
सुरक्षा व्यय		16.91		19.48
वाहन को किराए पर लेना		32.11		55.87
बीमा		0.04		0.84
दरें और कर		1.25		1.80

टिप्पणी 2.32/निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी.)

(रु. करोड़ में)

विवरण			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा व्यय (दूरसंचार)		0.14		0.19
मार्गस्थ निवास व्यय	0.49			0.55
घटाएं :– मार्गस्थ निवास से आय	0.01			0.03
		0.48		0.52
उप–जोड़			**172.94**	196.52
पूर्वावधि समायोजन (निवल)			**0.08**	(0.71)
जोड़ (ख)			**173.02**	195.81
(ग) मूल्यह्रास/परिशोधन			**12.18**	12.68
(घ) वित्त लागत				
(क) निम्न से ऋणों पर ब्याज				
भारतीय बैंको, वित्तीय संस्थान और कारपोरेशन	637.69			590.03
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	94.45			107.15
सुरक्षित/असुरक्षित विमोच्य बांड	1449.31			1637.90
विदेशी मुद्रा बांड	60.05			70.72
		2241.50		2405.80
(ख) अन्य उधारी लागतें				
वचनबद्धता प्रभार	11.67			13.24
गारंटी शुल्क	65.27			71.09
अन्य वित्त प्रभार	18.21			2.53
		95.15		86.86
जोड़ (घ)			**2336.65**	2492.66
(ड़) घटाएं :– अन्य आय				
निम्न से ब्याज				
भारतीय बैंक	29.47			33.54
ठेकेदारों	47.98			152.42
अन्य	0.20			2.59
		77.65		188.55
विविध आय		3.98		11.03
जोड़ (ड़)			**81.63**	199.58
सकल जोड़ (क+ख+ग+घ+ड़)#			**2951.40**	3083.63

इसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का **रु. 35.34 करोड़** (विगत वर्ष में रु. 41.76 करोड़) का अंश शामिल है।

अन्य टिप्पणियां

2.33. सेकन का आधार

1.1 समेकित वित्तीय विवरण पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि. (कंपनी), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों से संबंधित है।

क) लेखांकन का आधार :

i) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण कंपनी की रिपोर्टिंग तारीख तक ही तैयार किए गए हैं।

ii) समेकित वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक (एएस) 21 – 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखांकन मानक (एएस) – 27 'संयुक्त उद्यमों में वित्तीय रिपोर्टिंग, जैसा कि कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किया गया है।

ख) समेकन के सिद्धांत :

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं :–

i) कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण अंतरा–समूह शेष, अंतरा–समूह सौदों, न वसूले गए लाभों अन्य हानियों को दूर करने के बाद संपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की समान मदों के बही मूल्य को एक साथ जोड़कर लाइन दर लाइन आधार पर साथ मिलाया गया है।

ii) समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम वाली कंपनी का ब्याज शामिल है, जिसे लेखांकन की आनुपातिक समेकन पद्धति और सूचना के लिए शामिल किया गया है, जिसमें कि एक संयुक्त नियंत्रित कंपनी की प्रत्येक संपत्ति में कंपनी के अंश, देयता, आय और व्यय पर लेखांकन मानक (एएस – 27) 'संयुक्त उद्यमों में ब्याज की वित्तीय सूचना' के अनुसार वसूल न किए गए लाभ के आनुपातिक हिस्से को हटाने के बाद एक मद श्रृंखला के रूप में विचार किया गया है।

iii) समेकित वित्तीय विवरणों को समान सौदों और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है और कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों, लेखाओं की टिप्पणियों में अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, की तरह से यथासंभव रूप से प्रस्तुत किया गया है।

ग) लेखांकन नीतियों और उन पर प्रभाव में अंतर :

कुछेक मदों के लिए कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों ने विभिन्न लेखांकन नीतियों का अनुसरण किया है। तथापि, इसका प्रभाव अधिक नहीं है।

1.2 वित्तीय विवरणों में जिन सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों पर विचार किया गया है, वे इस प्रकार हैं :

(रु. करोड़ में)

कंपनी का नाम	निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार शेयर धारिता का अनुपात	
	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
भारत में निगमित सहायक कंपनियां		
1. पावर सिस्टम आपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (पोसोको)	100%	100%
2. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	100%	100%
3. पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	100%	100%
4. पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	100%	100%
5. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	100%	100%
6. पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	100%	100%
7. पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	100%	100%
8. पावरग्रिड वडोदा ट्रांसमिशन लिमिटेड	100%	-
9. पावरग्रिड पारिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	100%	-
10. पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	100%	-
11. ग्रिड कंडेक्टर्स लिमिटेड**	-	-
भारत में निगमित संयुक्त उद्यम		
1. पावरलिंक्स ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	49%	49%
2. टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	26%	26%
3. जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	26%	26%
4. पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	26%	26%
5. तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	26%	26%
6. नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड	26%	26%
7. नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राईवेट लिमिटेड	21.64%	20%
8. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	13.63%	25%
9. बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	50%	50%
10. कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राईवेट लिमिटेड	50%	50%
11. क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	26%	26%

अन्य टिप्पणियां (जारी.)

(रु. करोड में)

कंपनी का नाम	निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार शेयर धारिता का अनुपात	
	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
12. आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राईवेट लिमिटेड	50%	-
भारत से बाहर निगमित संयुक्त उद्यम		
1. पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमि.	26%	26%

(i) एनर्जी एफिसिऐंसी सर्विसेज लिमि. (ईईएसएल) में शेयरधारिता का हिस्सा 25 अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार 4.9 प्रतिशत कम हो गया है और इसके परिणामस्वरूप ईईएसएल के बोर्ड में पावरग्रिड द्वारा नामित निदेशक संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार उसी तारीख से बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

(ii) समेकन के प्रयोजन के लिए कंपनी का ब्याज अंश वित्तीय वर्ष 2014–15 में एनएचपीटीएल के अलावा उपरोक्त शेयरधारिता के अनुसार 21.64 प्रतिशत की ब्याज शेयरधारिता करार के आधार पर 20 प्रतिशत है, जो वास्तविक शेयरधारिता है।

(iii) समेकन के लिए उपयोग में लाए गए वित्तीय विवरण नेशनल हाई पावर टेस्ट लेब्रोरेट्री प्रा. लिमि. के अलावा आलेख परीक्षित हैं। दो संयुक्त उद्यम कंपनियों तीस्तावेली पावर ट्रांसमिशन लिमि. और पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमि. की अन्य टिप्पणियां और लेखांकन नीतियां उपलब्ध नहीं हैं और उन पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है।

**ग्रिड कंटेक्टर लिमि. में 0.05 करोड रु. की शेयर पूंजी का अप्रैल, 2016 में भुगतान कर दिया गया है। तथापि, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि. द्वारा निदेशक मंडल की संरचना के नियंत्रण के आधार पर कंपनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी माना गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार संपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं तथा पूंजी प्रतिबद्धता में कंपनी के अंश और उपरोक्त संयुक्त उद्यम संस्थाओं के संबंध में वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण उनके लेखाओं के आधार पर इस प्रकार है :

(रु. करोड में)

		31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
(क)	परिसम्पतियां		
	• गैर–चालू परिसम्पतियां		
	• अचल परिसम्पतियां	2064.52	1766.63
	• दीर्घावधि ऋण	119.04	85.77
	• चालू परिसम्पतियां	332.05	333.96
	जोड़	**2515.61**	**2186.37**
(ख)	देयताएं		
	• गैर–चालू देयताएं	1364.46	1232.61
	• चालू देयताएं	388.00	236.33
	जोड़	**1752.46**	**1468.94**
(ग)	आकस्मिक देयताएं	40.48	31.55
(घ)	पूंजीगत परिबद्धताएं	493.84	579.59
		वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
(ङ)	आय	435.02	328.36
(च)	व्यय (कर के लिए प्रावधान सहित)	393.54	203.21

1.3 कंपनी ने बिहार ग्रिड कंपनी लिमि, एक संयुक्त उद्यम कंपनी में 30.28 करोड रु. (विगत वर्ष में 10.00 करोड रु.) का और निवेश किया है, जिसमें कि 50 प्रतिशत शेयर कंपनी द्वारा रखे गए हैं और शेष 50 प्रतिशत शेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्वारा, 10 प्रतिशत शेयर आईएल एंड एफएस एनर्जी डवलपमेंट कंपनी लिमि. द्वारा 14 प्रतिशत शेयर हाइड्रोइलैक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डवलपमेंट कंपनी लिमि. द्वारा रखे गए हैं।

1.4 कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमि. में 3.90 करोड रु. (विगत वर्ष 0.98 करोड) निवेश किया है जिसमें 26 प्रतिशत शेयर कंपनी द्वारा धारित है तथा शेष 50 प्रतिशत शेयर नेपाल इलेक्ट्रीसिटी ऑथारिटी द्वारा धारित है, 10 प्रतिशत शेयर आई एल एण्ड एफ एस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमि. द्वारा धारित है और 14 प्रतिशत शेयर हाइड्रोइलेक्टीसिटी इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट कंपनी लिमि. द्वारा धारित है।

1.5 कंपनी ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. में 5.38 करोड रु. (विगत वर्ष में शून्य करोड रु.) का और निवेश किया है, जिसमें कि 20 प्रतिशत शेयर कंपनी द्वारा इस शेष 74 प्रतिशत शेयर आईएल एंड एफएस एनर्जी डवलपमेंट कंपनी लिमि. एसजेवीएन लिमि. तथा नेपाल विद्युत प्राधिकारण द्वारा रखे गए हैं।

1.6 कंपनी ने तीस्तावेली पावर ट्रांसमिशन लिमि., एक संयुक्त उद्यम कंपनी में 26.11 करोड रु. (विगत वर्ष में शून्य करोड रु.) का और निवेश किया है, जिसमें की 20 प्रतिशत शेयर कंपनी द्वारा रखे गए हैं और शेष 74 प्रतिशत शेयर तीस्ता ऊर्जा लिमि. द्वारा रखे गए हैं।

1.7 वर्ष के दौरान कंपनी ने पावरग्रिड पर्ली ट्रांसमिशन लिमि., जो कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक उद्यम कंपनी है, में 0.05 करोड रु. का निवेश किया है। कंपनी को आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमि. से दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के शेयर खरीद करार के तहत टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत कारोबार प्रदान करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड पर्ली ट्रांसमिशन लिमि. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

1.8 वर्ष के दौरान कंपनी ने पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमि., जो कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, में 0.05 करोड रु. का निवेश किया है। कंपनी को दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के शेयर खरीद करार के तहत आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमि. से टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत कारोबार प्रदान करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमि. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

1.9 वर्ष के दौरान कंपनी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन लिमि. में 0.05 करोड रु. का निवेश किया है।

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

कंपनी को दिनांक 4 सिंबर, 2015 के शेयर खरीद करार के तहत आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमि. से टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत करोबार प्रदान करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन लिमि. कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

1.10 वर्ष के दौरान, कंपनी ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी आरआईएनएल पावरग्रिड टीएनटी प्रा. लिमि. में 0.10 करोड़ रु. का निवेश किया है, जिसमें कि कंपनी द्वारा 50 प्रतिशत शेयर रखे गए है और शेष 50 प्रतिशत शेयर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमि. के पास रखे गए हैं।

1.11 वर्ष के दौरान कंपनी ने संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमि. में कोई और निवेश नहीं किया है, जबकि अन्य उद्यमों ने अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारिता 25.00 प्रतिशत से कम होकर 13.65 प्रतिशत हो गई है और समेकन के लिए कंपनी का शेयर तदनुसार लिया गया है।

2.34 ईस्ट – साउथ इंटर–कनेक्टर–।। परियोजना (ईएसआई) और सासाराम पारेषण परियोजना (एसटीपी) के लिए प्रभावित आपूर्तियों के संबंध में रु. 209.99 करोड़ के मानित निर्यात लाभ के समतुल्य नकदी वर्ष 2002–2003 के दौरान विद्युत मंत्रालय, (भारत सरकार) के निर्देशों पर विश्व बैंक से ईएसआई परियोजना के संबंध में संपूर्ण आपूर्ति तथा एसटीपी के संबंध में मार्च, 2000 से पूर्व की गई आपूर्ति हेतु ऋण प्राप्त न होने के कारण सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को अदा की गई थी और इसे लेखा बहियों में पूंजीकृत किया गया था। उसके बाद, विश्व बैंक ने ईएसआई परियोजना और एसटीपी परियोजना, दोनों को वित्तपोषित किया, जैसा कि मूल रूप से संकल्पित है और ये मानित निर्यात लाभों के लिए पात्र हुए। परिणामतः कंपनी ने सीमा शुल्क एवं उत्पाद प्राधिकारियों के पास दावे प्रस्तुत किए।

इस संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2015 तक प्राप्त हुई संचयी राशि एवं विपूंजीकृत राशि रु. 12.12 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 12.12 करोड़) है। कंपनी संबंधित संपत्तियों/ परियोजनाओं के पूंजी मूल्य के रूप में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार रु. 197.87 करोड़ का बकाया सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से इसकी प्राप्ति होने तक है। (पिछले वर्ष का रु. 197.87 करोड़) दर्शाती रही।

2.35 क) परिसंपत्तियों और व्यापार के तहत दर्शाए गए व्यापार प्राप्य और वसूलनीय राशि में शेष तथा देयताओं में कतिपय शेष पुष्टिकरण और परिणामी समायोजन, अगर कोई हो, के अधीन हैं।

ख) प्रबंधन की राय में, अचल संपत्तियों को छोड़कर किसी संपत्ति का मूल्य, निर्धारित परिसंपत्तियों और व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली गैर वर्तमान से भिन्न किसी भी परिसंपत्तियों का मूल्य, जिन पर इन्हें तुलनपत्र में वर्णित किया जाता है, से कम नहीं होगा।

2.36 लागत जमा परामर्शदायी संविदाओं के संबंध में सूचना को उसी रूप में मानते हुए, जैसा कि लेखाकरण मानक (एएस–7) (संशोधित 2002) "निर्माण संविदाओं" को ध्यान में रखते हुए परामर्शदायी करोबार को माना गया है, निम्नानुसार उपलब्ध है :

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
i)	लागत जमा परामर्शदायी संविदा कार्यों पर मानी गई राजस्व की राशि	360.02	286.65
ii)	**स्वीकृत संविदा राजस्व को निर्धारित करने लिए प्रयुक्त प्रक्रिया :** निष्पादन एजेंसियों के लिए ठेका देने के चरण तक कुल परामर्श शुल्क का 15 प्रतिशत (जिसमें से निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करने तक 10 प्रतिशत) आपूर्ति सहित कार्य की प्रगति पर 85 प्रतिशत (कार्य के प्रगति प्रभारी इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित मानी जाती है)	–1.16.7 लेखाकरण नीति	–1.16.7 लेखाकरण नीति
iii)	निर्माण संविदाओं पर उपगत लागतों की संचयी राशि	16057.72	13297.23
iv)	वर्ष के अंत में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम की संचयी राशि	18167.29	15493.67
v)	वर्ष के अंत में ग्राहकों के पास प्रतिधारण राशि	14.95	31.70
vi)	वर्ष के अंत में परिसम्पति के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों के पास सकल राशि	25.97	44.28
vii)	वर्ष के अंत में देयता के रूप में संविदा कार्य के लिए ग्राहकों को देय सकल राशि	2289.82	1312.14

2.37 विगत वर्ष 2014–15 की असाधारण मद में ग्राहकों से दावा न किए गए अग्रिम के रूप में 5.13 करोड़ रु. पटे हुए दर्शाए गए हैं क्योंकि एक सहायक कंपनी द्वारा 3 वर्ष से अधिक की राशि प्रतिलिखित की गई है। चालू कर के तहत 1.74 करोड़ रु. का कर शामिल है।

2.38 विद्युत मंत्रालय के दिनांक 25 मार्च, 2015 और 29 दिसंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 18/2/2015–पीजी के तहत भेज गए पत्र के अनुसरण में निदेशक मंडल ने दिनांक 9 मार्च, 2016 को अपनी बैठक में पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमि. (पोसोको) में कंपनी द्वारा रखे गए 30640000 इक्विटी शेयर (100 प्रतिशत शेयरधारिता) को भारत सरकार को बेचने और हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया है। मंत्रिमंडल ने पोसको द्वारा रखे गए शेयरों को भारत सरकार को हस्तांतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। बोर्ड ने भी आगे यह अनुमोदन प्रदान कर दिया है कि खरीद के लिए हस्तांतरण की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख की स्थिति के अनुसार पोसोको के तुलन पत्र के आधार पर विचार किया जाए। शेयरों को अभी हस्तांतरण किया जाना है।

2.39 कंपनी को 01.07.2011 से लागू पीओसी (प्वाइंट ऑफ कनेक्शन) प्रभार के तंत्र के माध्यम से सभी अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों (आईएसटीएस) की ओर से, जो विद्युत मंत्रालय द्वारा मेगावाट पावर आवंटन पर आधारित पुराने तंत्र के स्थान में पावर की स्वीकृत टावल/ अंतक्षेपन पर आधारित बिलिंग में अंतरग्रस्त हैं, ट्रांसमिशन खर्चों की बिलिंग वसूली एवं संवितरण (बीसीडी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तंत्र द्वारा कंपनी का राजस्व अप्रभावित रहेगा।
पीओसी तंत्र से व्यथित कुछ लाभार्थियों ने भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपील प्रस्तुत की है। कंपनी द्वारा दायर अपील पर उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार ऐसी सभी अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दी गई है और कंपनी ने मामले के निपटान होने तक नई तिथि के अनुसार सभी आंदोलनकारी राज्यों को पूरे पारेषण प्रभार अदा करने के निदेश देने का भी अनुरोध किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी लाभभोगियों को भुगतान जारी करने का निदेश दिया है और तदनुसार लाभभोगियों ने उक्त निदेशों के अनुसार भुगतान करना शुरू कर दिया है।

2.40 सीआईआरसी ने अपने विनियमन के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (टीओसीओ) 01.07.2010 को ध्यान में रखते हुए बर्ही–बालिया ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में दिनांक 29.04.2011 को टैरिफ आदेश जारी किया। इस आदेश के खिलाफ लाभार्थियों में से एक लाभार्थी ने विद्युत संबंधी अपीलय अधिकरण (एटीई) में अपील दायर की है, जिसमें कंपनी द्वारा दावेकित उपरोक्त टीओसीओ के आधार पर सीईआरसी द्वारा स्वीकृत टैरिफ को चुनौती दी गई है। एटीई ने दिनांक 02.07.2012 के अपने आदेश के तहत पाया कि 01.07.2010 का टीओसीओ उपयुक्त नहीं था क्योंकि अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि ट्रांसमिशन लाइन को अगस्त, 2011 से नियमित सेवा में था अर्थात् यह तब नियमित सेवा में था जब जेनरेटिंग कंपनी अर्थात् एनटीपीसी के कार्यक्षेत्र में दूसरा सिरा पूरा हो गया था।

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

अर्थात् अगस्त, 2011 को यद्यपि कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र को 01.07.2010 को पूरा कर लिया था। तदनुसार, एटीई ने ट्रांसमिशन लाइन के टीओसीओ एवं टैरिफ पुनर्निर्धारण हेतु सीईआरसी को लौटाया। इस पर कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 01.07.2010 का टीओसीओ, सीईआरसी विनियमों के अनुसार था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15.03.2013 को कंपनी द्वारा दायर अपील के आधार पर उक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए सीईआरसी के समक्ष सभी कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया था।

कंपनी ने अपने निदेशक–मण्डल द्वारा स्वीकृत संशोधित लागत अनुमान के आधार पर संशोधित ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष 28.02.2013 को दूसरी याचिका भी दायर की थी। बाद में, 08.10.2013 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीईआरसी को टीओसीओ तारीख के निर्धारण के संबंध में अपील का निपटान होने तक उक्त ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए टैरिफ के निर्धारण के साथ कार्रवाई करने का निदेश दिया है। सीईआरसी ने अपने दिनांक 30.06.2015 के आदेश के तहत दिनांक 1.10.2011 से टीओसीओ का पुनःनिर्धारण किया है और माननीय एटीई के निर्णय के अनुसार टैरिफ में संशोधन किया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 03.03.2016 के निर्णय के तहत माननीय एटीई के फैसले पर रोक लगा दी है। कंपनी द्वारा दिनांक 03.03.2016 के आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल की गई है, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 12.05.2016 के आदेश के तहत उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार खारिज किया गया है। इसके लिए राजस्व दिनांक 01.07.2010 के टीओसीओ की बजाय दिनांक 01.09.2011 के मान्य और 01.07.2010 से 31.08.2011 तक की पारेषण आय 112.57 करोड़ (सीईआरसी के आदेश के तहत एनटीपीसी से निवल 18.63 करोड़ रु. की वसूली की गई) को वर्ष के दौरान रद्द किया गया है।

2.41 कनेक्टीविटी की दीर्घ अवधि पहुंच अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन में मध्य अवधि पहुंच तथा समय–समय पर यथा–संशोधित संबंधित मामला विनियमन, 2009 की सीईआरसी मंजूरी के अनुसार सभी ट्रांसमिशन घटक 25 वर्ष तक की दीर्घावधि ग्राहक (एलटीए) की अपेक्षा के अनुसार निर्मित है तथा ट्रांसमिशन शुल्क ऐसे दीर्घाअवधि ग्राहकों से वसूलनीय है। मध्य अवधि खुली पहुंच (एमटीओए) के लिए कोई अतिरिक्त ट्रांसमिशन घटक निर्मित नही है, बल्कि मौजूदा अतिरिक्त ट्रांसमिशन क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। एमटीओए ग्राहकों से वसूले गए शुल्क को अतिरिक्त क्षमता के उपयोग पर जो स्वरूप में बहुत कम एवं अस्थायी है, को एलटीए ग्राहकों के खर्चों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कंपनी राजस्व निष्क्रिय है।

एक एमटीओए ग्राहक ने 16.06.2013 से 3 वर्ष की अवधि के लिए एमटीओए हेतु करार पर हस्ताक्षर किए हैं परंतु क्षमता का उपयोग नही किया। तथापि, कंपनी ने करार के अनुसार ग्राहक को बिल दिया। परंतु एमटीओए ग्राहक ने 16.06.2013 से 31.01.2014 तक की अवधि में रु. 15.64 करोड़ की अपनी बिल देयताओं में धोखाधड़ी की। बकायों की वसूली नही होने से कंपनी ने एपीटीईएल के आदेश के अनुसार 01.02.2014 से एमटीओए को रद्द कर दिया है। तब से दूसरे ग्राहकों से कुल ट्रांसमिशन शुल्कों को वसूल किया जा रहा है। कंपनी द्वारा दायर आवेदन अवधि के दौरान दूसरे ग्राहकों से 16.06.2013 से 31.01.2014 तक तक अवधि के लिए ऐसे एमटीओए ग्राहक की देयताओं की वसूली को स्वीकार करने के लिए सीईआरसी के पास लंबित है। कंपनी का राजस्व एमओटीए की मंजूरी से अथवा उसको रद्द करने के कारण प्रभावित (कम/अधिक) नहीं हुआ है। यह विचार करते हुए कि कंपनी सीईआरसी शेयरिंग विनियमनों के अनुसार संपूर्ण ट्रांसमिशन शुल्कों को वसूल करने के लिए हकदार है। 16.06.2013 से 31.01.2014 की अवधि के लिए एमटीओए शुल्कों की उपरोक्त देयताओं के संबंध में 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है।

उसी ग्राहक द्वारा एलटीए के लिए कंपनी के साथ किए गए अपने करार में की गई चूक के कारण कंपनी ने वर्ष के दौरान निर्माण बैंक गारंटी के 48.00 करोड़ रु. को भुनाया है और उससे प्राप्त राशि को रु. 15.64 करोड़ की अपनी देयताओं और 31.03.2016 तक बकाया सरचार्ज रु. 6.80 करोड़ को समायोजित किया है।

2.42 (i) रु. 1841.04 करोड़ की एफईआरवी की क्षति को (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 510.41 करोड़) अचल संपत्ति/ कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी/ पट्टा प्राप्यों की संबंधित रख–रखाव राशि में समायोजित किया गया है।

(ii) रु. 4.84 करोड़ के एफईआरवी अभिलाभ (पूर्ववर्ती वर्ष एफईआरवी क्षति रु. 12.44 करोड़) को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकार किया गया है।

2.43 लेखाकरण नीति/ लेखाकरण पद्धति में परिवर्तन

क) मोबाइल फोनों की लागत, जिसे अब तक पूंजीकृत किया गया था और परिसंपत्ति के लाभकारी काल के दौरान मूल्यह्रास में दर्शाया जा रहा था, उसे अब लाभ व हानि विवरण में डाला जा रहा है। इस परिवर्तन से सकल ब्लॉक में अनुरूपी कमी और संचित मूल्यह्रास में क्रमशः रु. 7.13 करोड़ और 5.24 करोड़ तक के लाभ में कमी आई है।

ख) कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों तथा सर्वर व नेटवर्क घटकों के संबंध में दूरसंचार और परामर्शी घटक अवशिष्ट मूल्य में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में यथाविनिर्दिष्ट की बजाय शून्य माना गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में अनुरूपी वृद्धि के साथ रु. 0.30 करोड़ तक लाभ में कमी आई है।

ग) सर्वर की लागत, जिसे अब तक 3 वर्ष की लाभकारी अवधि के दौरान मूल्यह्रास में दर्शाया जा रहा था, उसे अब 5 वर्ष की लाभकारी अवधि के दौरान मूल्यह्रास में दर्शाया जा रहा है। इस परिवर्तन से मूल्यह्रास में अनुरूप कमी के साथ रु. 0.30 करोड़ तक लाभ में कमी आई है।

2.44 एएस 16 – 'उधारी लागतों' के अनुसार वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत रु. 2336.64 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 2492.66 करोड़) है।

2.45 कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ आपूर्तिकर्ता/ सेवा प्रदाता ऐसे हैं जो माइक्रो, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत माइक्रो, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत है। एमएसएमईडी, अधिनियम, 2006 द्वारा यथा – अपेक्षित माइक्रो और लघु उद्यमों के संबंध में सूचना निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदत्त मूलधन और उस पर देय शेष ब्याज : मूलधन ब्याज	 शून्य शून्य	 0.02 0.06
2	प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के दौरान निश्चित तिथि से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य	शून्य

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और अदायगी योग्य ब्याज की राशि (जिसे अदा किया गया है, लेकिन वर्ष के दौरान निश्चित दिन के बाद अदा किया गया) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
4	प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि और जो अदत्त रही राशि है।	शून्य	0.06
5	ऐसी तारीख तक उत्तरवर्ती वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य शेष और ब्याज की राशि जब उपरोक्त अनुसार देय ब्याज को वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए छोटे उद्यम को देय ब्याज को जाता है।	शून्य	शून्य

2.46 लेखाकरण मानक (एएस) 15 – 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटन

परिभाषित कर्मचारी लाभ/ अंशदान योजनाएं निम्नानुसार है :

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग न्यास को भविष्य निधि की निश्चित राशि अदा करती है, जो अनुमेय प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है। परिवार पेंशन योजना में अंशदान उपयुक्त प्राधिकारियों को अदा किया जाता है। निधि में अंशदान संबंधित अवधि के लिए रु. 85.57 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 76.92 करोड़) है, को व्यय के रूप में माना जाता है और लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है, और भारत सरकार द्वारा यथा–निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर सदस्यों के अंशदान पर ब्याज देना सुनिश्चित करना है। बीमांकिक की रिपोर्ट के अनुसार समग्र ब्याज अर्जन और संचयी अतिरेक सांविधिक ब्याज भुगतान अपेक्षा से अधिक होता है। अत: कोई प्रावधान जरूरी नहीं समझा जाता है।

ख. उपदान

कंपनी की एक निश्चित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा इससे अधिक की लगातार सेवा की हो, वह 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता) अधिवर्षिता, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अपंगता अथवा मृत्यु सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए अधिकतम रु. 10 लाख के अधीन उपदान प्राप्त करने के लिए हकदार है। योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। उसके लिए देयता वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन पर तुलनपत्र की तारीख को मानी जाती है।

ग. पेंशन

कंपनी की कर्मचारी निर्धारित पेंशन अंशदान स्कीम है। कंपनी के अंशदान को एक अलग ट्रस्ट को अदा किया जाता है। वर्ष के लिए अदा/ देय अंशदान की राशि रु. 102.19 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 76.76 करोड़) को व्यय माना गया है और लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित किया गया है।

घ. सेवा–निवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके जीवनसाथी को सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हाती है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा तक बाह्य रोगी के रूप में इलाज करा सकते हैं। यह योजना निधिदत्त नहीं है और वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित तुलनपत्र की तारीख को मानी जाती है।

ङ. छुट्टी नकदीकरण :

कंपनी, कंपनी के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (क्षतिपूरित अनुपस्थिति सहित) और अर्धवेतन छुट्टी की व्यवस्था प्रदान करती है जो वार्षिक रूप से क्रमश: 30 दिन और 20 दिन होती है। अर्जित छुट्टी सेवा में रहने पर नकदीकरणीय है। अर्धवेतन छुट्टी (एचपीएल) अधिकतम 300 (एचपीएल) तक 55 वर्ष की आयु के बाद केवल वियोजन पर नकदीकरणीय है। तथापि, छुट्टी की कुल राशि, जिसे अधिवर्षित पर नकदीकृत किया जा सकता है, 300 दिन तक सीमित होगी और अर्धवेतन छुट्टी का संराशीकरण अनुमत नहीं होगा। इसके लिए देयता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर एकीकृत है।

च. अन्य निर्धारित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

कंपनी के कर्मचारियों एवं आश्रितों के लिए गृह नगर में सेवानिवृत्ति के समय बसने के लिए एक योजना है। यह योजना निधिदत्त नहीं है और वार्षिक आधार पर तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन पर मानी जाती है।

उपरोक्त योजनाएं (घ, ङ एवं च) निधिकित नहीं है।

छ. लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में दर्शाए गए विभिन्न निर्धारित लाभों की संक्षिप्त स्थिति और निधिदत्त स्थिति निम्नानुसार है :–

क) लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत किए गए व्यय :

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		छुट्टी		ओडीआरबी	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्तमान सेवा लागत	27.02	25.09	9.88	8.64	22.78	20.52	0.83	0.78
लाभ बाध्यता पर ब्याज लागत	39.46	38.56	21.67	19.65	28.01	26.72	1.28	1.28
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित अभिलाभ	(36.12)	(35.91)	-	-	-	-	-	-
वर्ष में स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(32.36)	(0.26)	17.37	17.53	52.11	56.31	(0.26)	(0.45)
लाभ और हानि लेखे में माना गया व्यय	(2.00)	27.48	48.92	45.82	102.90	103.55	1.85	1.61

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

ख) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल रु. 41.72 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 38.99 करोड़) है।

ग) तुलन पत्र में स्वीकृत राशि :

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		छुट्टी		ओडीआरबी	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
(1) वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	502.74	493.31	311.24	270.81	390.34	350.06	16.91	16.00
(2) वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	536.43	494.79	-	-	-	-	-	-
अंतर (2) – (1)	34.69	1.48	(311.24)	(270.81)	(390.34)	(350.06)	(16.91)	(16.00)
तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसम्पत्ति (देयता)	33.69	1.48	(311.24)	(270.81)	(390.34)	(350.06)	(16.91)	(16.00)

घ) निर्धारित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		छुट्टी		ओडीआरबी	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष के शुरू में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	493.26	453.65	270.81	231.28	350.06	333.32	16.00	15.11
ब्याज लागत	39.45	38.56	21.67	19.65	27.99	26.72	1.28	1.28
वर्तमान सेवा लागत	27.01	25.09	9.88	8.64	22.73	20.52	0.82	0.78
अदा किया गया लाभ	(32.39)	(29.08)	(8.50)	(6.30)	(62.43)	(86.83)	(0.93)	(0.72)
बाध्यता पर निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(24.57)	5.04	17.38	17.53	52.11	56.31	(0.26)	(0.45)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	502.74	493.26	311.24	270.81	390.46	350.06	16.91	16.00

ड) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन :

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
वर्ष के शुरू में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	494.79	448.91
योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित अभिलाभ	37.42	35.91
नियोक्ता द्वारा अंशदान	28.74	33.76
अदा किया गया लाभ	(30.60)	(29.08)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.08	5.29
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	536.43	494.79

ज. अन्य कर्मचारी लाभ

वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वर्ष के लिए रु. 0.95 करोड़ की राशि का (पिछले वर्ष रु. 1.24 करोड़), दीर्घ सेवा पुरस्कार हेतु प्रावधान किया गया है।

झ. योजना परिसंपत्ति के ब्यौरे (उपदान)

लागत पर योजना परिसंपत्तियों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	(क्रय मूल्य पर) 31 मार्च, 2016	(क्रय मूल्य पर) 31 मार्च, 2015
i)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	104.05	96.14
ii)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	129.44	121.24
iii)	निगम बाण्ड/ डिबेंचर	279.58	254.32
iv)	भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष जमा	5.13	5.13
v)	अन्य परिसंपत्तियां	18.23	17.96
	जोड़ :	**536.43**	**494.79**

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

ञ. बीमांकिक पूर्वानुमान

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रमुख पूर्वानुमान निम्नानुसार है :

i) प्रयुक्त विधि : पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) पिछले वर्ष (पीयूसी)

ii) छूट की दर : 8.00 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.00 प्रतिशत)

iii) परिसंपत्तियों (केवल उपदान) पर अभिलाभ की प्रत्याशित दर : 8.00 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.00 प्रतिशत)

iv) भावी वेतन वृद्धि – 6.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.50 प्रतिशत)

भावी वेतन वृद्धि के अनुमानों में जो बीमांकिक मूल्यांकन में माने गए हैं, उनमें (i) मुद्रास्फीति, (ii) वरिष्ठता (iii) पदोन्नति एवं (iv) अन्य संगत कारकों, जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति एवं मांग का ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल को मुख्य रूप से योजना परिसंपत्तियों, परिसंपत्ति प्रबंधन के निर्धारित जोखिम और योजना परिसंपत्तियों के लिए मूल प्रतिफल के कई अनुप्रयोज्य कारकों पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है।

ट. कंपनी का वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उपदान के प्रति सर्वोत्तम अनुमान रु. शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 1.51 करोड़) है।

ठ. पीआरएमएफ की चिकित्सा लागत में वृद्धि / कमी प्रतिशत बिंदु का प्रभाव निम्नवत होगा :

(रु. करोड़ में)

विवरण	वृद्धि		कमी	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
सेवा एवं ब्याज लागत	8.30	5.26	(3.25)	(4.37)
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	68.68	60.24	(27.54)	(24.38)

ड. अनुभव समायोजन

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
उपदान i) योजना परिसंपत्तियां ' हानि / (अभिलाभ) ii) बाध्यता हानि / (अभिलाभ)	 4.22 23.54	 3.03 7.72
पीआरएमएफ बाध्यता – हानि / (अभिलाभ)	(16.22)	(10.44)
ओआरटीएन बाध्यता – हानि / (अभिलाभ)	0.26	0.90
पुटटी बाध्यता – हानि / (अभिलाभ)	(48.82)	(50.97)

2.47 एएस – 17 "खण्ड सूचना" के अनुसार प्रकटन :

क) व्यवसाय खंड

कंपनी का प्रमुख व्यवसाय भारत के विभिन्न राज्यों में थोक विद्युत पारेषण करना है। तथापि, एएस – 17 "खंड रिपोर्टिंग" के एएस – 17 के पैरा 28 के अनुसार दूरसंचार एवं परामर्श व्यवसाय को भी रिपोर्ट योग्य खंड के रूप में माना गया है।

ख) खंड राजस्व एवं व्यय

खंड में दिखाए गए प्रत्यक्ष राजस्व को खंड राजस्व के रूप में माना गया है। खंडों में दिखाए गए प्रत्यक्ष व्यय और युक्तिसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय खंड व्ययों के रूप में माने गए हैं।

ग) खंड परिसंपत्तियां एवं देयताएं

खंड परिसंपत्तियों में सभी प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिसमें निवल अचल परिसंपत्तियां, चालू संपत्तियां और ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। चालू निर्माण कार्य, निर्माण भंडार और अग्रिमों और निवेशों को अनाबंटित संपत्तियों में शामिल किया गया है। खंड देयताओं में ऋण देयताएं, चालू देयताएं और प्रावधान शामिल हैं।

खंड रिपोर्टिंग

(रु. करोड़ में)

	पारेषण		परामर्श		दूरसंचार		विलोपन		जोड़	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व:										
प्रचालनों से राजस्व (आवंटन योग्य अन्य आय सहित)	20694.54	17229.88	538.56	385.20	393.88	276.37			21626.98	17898.58
अंतर खंड राजस्व			32.50	7.13	42.90	24.39	(75.40)	(31.52)		
प्रचालनों से निवल राजस्व	20694.54	17229.88	571.06	392.33	436.78	300.76	(75.40)	(31.52)	21626.98	17898.58
खंड परिणाम	12024.90	9832.59	401.59	255.15	162.55	63.14			12589.04	10150.88
अनाबंटित ब्याज और अन्य आय									153.78	334.46
अनाबंटित वित्त लागत									5097.87	4081.23

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

	पारेषण		परामर्श		दूरसंचार		विलोपन		जोड़	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कर पूर्व लाभ									7644.95	6404.11
कर पूर्व लाभ									1630.39	1357.86
कर–पश्चात लाभ									6014.56	5046.25
अन्य सूचना :										
खंड परिसंपत्तियां	128246.64	100905.24	1906.27	1175.89	816.71	800.82			130969.62	102881.95
अनाबंटित परिसंपत्तियां									50949.91	57882.33
कुल परिसंपत्तियां									181919.53	160764.28
खंड देयताएं :	9322.95	7630.83	2923.02	1873.96	391.80	550.09			12637.77	10054.88
अनाबंटित अन्य देयताएं (ऋणों सहित)									126314.09	112270.67
कुल देयताएं									138951.86	122325.55
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	6142.86	5080.77	8.65	2.26	90.60	90.30			6242.11	5173.33
मूल्यह्रास को छोड़कर गैर–नकदी व्यय	1.21	24.50	2.88	0.46	4.53	19.57			8.62	44.53
पूंजीगत व्यय	27162.78	30230.91	53.33	39.80	28.00	53.82			27244.11	30324.53

घ) कंपनी का प्रचालन मुख्यतः देश के अंदर किया जाता है और इसलिए कोई भौगोलिक खंड विशेष उल्लेखनीय नहीं है।

2.48 एएस – 20 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटन

प्रतिशेयर आय (बुनियादी और तनुकृत) के परिकलन में विचार किए गए घटक निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

विवरण	पूर्व असाधारण वस्तु		बाद असाधारण वस्तु	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (रु करोड़ में)	6014.56	5042.86	6014.56	5046.25
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	5231589648	5231589648	5231589648	5231589648
प्रति शेयर (बुनियादी और तनुकृत) (आय रु. में)	11.50	9.64	11.50	9.65
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए में)	10.00	10.00	10.00	10.00

2.49 एएस 18 'संबंधित पार्टी प्रकटन' अनुसार प्रकटन

क) संबंधित पक्षों की सूची :–

i) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री आई. एस. झा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (10 नवंबर, 2015 से)
श्री आर. एन. नायक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30 सितंबर, 2015 को सेवानिवृत्ति)
श्री आर. टी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री रवि पी. सिंह	निदेशक (कार्मिक)
श्री आर. पी. ससमल	निदेशक (प्रचालन)
श्रीमती दिव्या टन्डन	कंपनी सचिव

ii) संयुक्त उद्यम :–

i) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड
ii) टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड
iii) जेपी पावरग्रिड लिमिटेड
iv) पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन लिमिटेड
v) तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
vi) नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
vii) नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
viii) एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड
ix) बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड
x) कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड
xi) क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
xii) पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड
xiii) आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लिमिटेड

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

ख) वर्ष के दौरान उपरोक्त 2.49 (क) में संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन निम्नवत है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए वर्ष के दौरान लेन–देन		**1.81**		-
नेशनल हाईपावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा. लिमिटेड	1.81		-	
कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए सेवाओं के लिए लेन–देन		**75.49**		47.70
पावर ट्रांसमिशन कं. नेपाल लिमिटेड	2.41		-	
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	-		0.19	
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.18		18.39	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरटरी प्राइवेट लिमिटेड	29.42		7.93	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.08		-	
एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	0.15		0.24	
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	3.94		3.94	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	30.38		16.76	
तीस्तावेली ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	16.93		-	
कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड	-		0.25	
वर्ष के अंत में वसूलनीय राशि		**31.84**		34.98
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-		0.01	
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	0.03		-	
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	21.50		22.21	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरटरी प्राइवेट लिमिटेड	-		4.19	
एनर्जी एफीसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	0.13		0.25	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	9.19		7.08	
कलिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड	0.85		0.84	
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-		0.30	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.06		0.10	
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	0.08		-	
वर्ष के अंत में देय राशि		**56.25**		48.23
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.09		0.09	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	5.36		-	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.78		2.78	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	-		3.28	
क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	7.58		1.70	
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	40.44		40.38	
वर्ष के दौरान किए गए निवेश				
इक्विटी		**65.77**		34.72

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	26.11		-	
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-		14.71	
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	5.38		-	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	30.28		10.00	
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	-		9.03	
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	3.90		0.98	
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	0.10		-	
प्राप्त लाभांश		**62.06**		80.04
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	44.72		44.14	
जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	4.68		12.87	
टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	1.29		1.64	
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	10.69		21.39	
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसिज लिमिटेड	0.68		-	
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर वसूली		**0.35**		0.67
एनर्जी एफीसिएंसी सर्विस लिमिटेड	-		0.02	
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	-		0.35	
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.35		0.30	

ग) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) (अंतरराज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों को साझा करना) विनियमन 2010 के अनुसार कंपनी, विनियम के तहत केंद्रीय पारेषण उपयोगिता होने के कारण, सभी अंतरराज्यीय प्रणाली (आईएसटीएस) लाइसेंसी की ओर से बिलिंग, संग्रहण और पारेषण प्रभारों के संवितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तदनुसार, संबंधित पक्षों के लिए सीटीयू की क्षमता में किए गए संग्रहण के लिए कंपनी के लेन–देन निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
संबंधित पक्षों के साथ सीटीयू की क्षमता में कंपनी के लेन–देन		1054.89		789.29
पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	163.13		21.73	
टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड	57.62		55.70	
जेपी पावरग्रिड कंपनी लिमिटेड	170.69		190.37	
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	401.29		261.91	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	260.98		259.58	

घ) पूर्णकालिक निदेशकों, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल हैं, का पारिश्रमिक रु. 3.00 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 2.90 करोड़) है और 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी को बकाया देयताओं की राशि रु. 0.18 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 0.19 करोड़) है।

2.50 एएस 19 – "पट्टे" के अनुसार प्रकटीकरण

क) वित्त पट्टे :

दीर्घावधि ऋणों एवं अग्रिमों तथा अल्पावधि ऋण और अग्रिमों में पट्टा प्राप्य राशियां शामिल हैं, जो राज्य क्षेत्र यूएलटीसी के संबंध में संघटकों के साथ कंपनी द्वारा किए गए वित्त पट्टा लेन–देनों पर प्राप्य राशियों का भविष्य भावी पट्टा किरायों के वर्तमान मूल्य को दर्शाती हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक (एएस) – 19 "पट्टे" के अनुसार, अपेक्षाओं का प्रकटन नीचे दिया गया है :

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

(i) पट्टा प्राप्य राशियों का समाधान (टैरिफ निर्धारण के लिए आईसीआरसी को प्रस्तुत/ इसके द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत डाटा के अनुसार) निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वर्ष के प्रारंभ में अधिग्रहीत एवं पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का सकल मूल्य	1154.08	1099.56
जोड़ें	वर्ष के प्रारंभ पूर्व अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के लिए समायोजन	(18.13)	21.92
	वर्ष के प्रारंभ में परिसंपत्तियों का संशोधित सकल मूल्य	1135.95	1121.48
घटाएं	वर्ष के आरंभ तक उपलब्ध कराई गई पूंजी वसूली	782.26	706.45
जोड़ें	वर्ष के प्रारंभ से पूर्व अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के लिए पूंजी वसूली	(1.30)	6.65
	वर्ष के प्रारंभ तक उपलब्ध कराई गई संशोधित पूंजी वसूली	780.96	713.10
	पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को बकाया पूंजी वसूली	354.99	408.38
घटाएं	चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिग्रहीत और पट्टे पर दी गई संपत्तियों का सकल मूल्य	75.95	32.60
जोड़ें	वर्तमान वर्ष के लिए पूंजी वसूली	74.54	69.16
	वर्ष के अंत में पट्टे से प्राप्य राशियां	356.40	371.82

(ii) वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्य न्यूनतम पट्टा भुगतानों का पट्टा एवं विलेख मूल्य में सकल निवेश के ब्यौरे निम्नवत हैं :

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
पट्टे में सकल निवेश	466.75	529.24
अनार्जित वित्त आय	110.35	157.42
न्यूनतम पट्टे के भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	356.40	371.82

(iii) 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अनार्जित वित्त आय रु. 110.35 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 157.42 करोड़) है।

(iv) एएस – 19 के अनुसार ऐसे पट्टों की संविदात्मक परिपक्वता का मूल्य निम्नवत है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	पट्टे में सकल निवेश		एमएलपी का वर्तमन मूल्य	
	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
एक वर्ष के बाद नहीं	103.54	101.35	82.72	73.67
एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष के बाद नहीं	186.22	245.46	132.63	173.49
पांच वर्ष के बाद	176.98	182.43	141.05	124.66
जोड़	466.75	529.24	356.40	371.82

(v) निम्न के संबंध में लेखों और टैरिफ रिकॉर्डों के अनुसार वर्ष के अंत में शेष पट्टा प्राप्यों में अंतर है :

(क) रु. 68.52 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 17.33 करोड़) राशि की अमुक्त देयताएं। ऐसी लागत केवल ऐसी देयताओं के निर्वहन पर परियोजना लागत बन जाती है।

(ख) रु. 57.79 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 61.41 करोड़) राशि की पट्टा प्राप्यों में शामिल ऋण पर अपरिशोधित एफईआरवी ऐसे एफईआरवी को वास्तविक भुगतान आधार पर भाग के रूप में वसूले जाने की अनुमति है।

ख) प्रचालनरत पट्टे :

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टों की व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए कार्यालय एवं अतिथि गृह/ मार्गस्थ कैंप के लिए परिसरों के प्रचालन पट्टों के संदर्भ में है, उन्हें प्रायः बातचीत कर इनका नवीनीकरण किया जाता है, परंतु ये रद्द करने योग्य नहीं हैं। पट्टा के भुगतान, नियत वसूली, कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के संबंध में पारिश्रमिक और लाभ में रु. 40.59 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 36.36 करोड़) शामिल है। कार्यालय हेतु परिसर एवं अतिथि गृह/ मार्गस्थ कैंप के संबंध में रु. 11.16 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 12.57 करोड़) का पट्टा भुगतान शामिल है, जिसे किराया टिप्पणी 2.30 पारेषण, प्रशासन तथा अन्य व्यय में दर्शाया गया है।

2.51 एएस 28 – "संपत्तियों की हानि" के अनुसार प्रकटन

लेखाकरण मानक (एएस – 28) "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुसार, कंपनी ने तुलन पत्र की तारीख को यह मूल्यांकित किया है कि किन्हीं संपत्तियों की हानि के संबंध में क्या कोई संकेत है। ऐसे निर्धारण के आधार पर यह पता लगाया गया है कि वर्तमान में कोई संभावित हानि नहीं है। तदनुसार, लेखा बहियों में किसी हानिकारक हानि का प्रावधान नहीं किया गया है।

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

2.52 **पूंजी और अन्य वचनबद्धताएं**

पूंजी लेखे पर निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि, जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है, रु. 26560.62 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 26100.90 करोड़) है, जिसमें संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 493.84 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 579.59 करोड़) का अंश शामिल है।

2.53 **आकस्मिक देयताएं**

1. कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें निम्न के संबंध में ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :

(i) पूंजी कार्य

हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठान एवं कार्य निष्पादन हेतु कुछ संविदाओं में संविदा मूल्य के संवर्धन, मूल्यवृद्धि के साथ कार्य अनुसूची का संशोधन, विस्तारित कार्य अवधि के लिए क्षतिपूरण, निरर्थक खर्चे आदि की मांग करते हुए रु. 1666.86 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 219.14 करोड़) के लिए कंपनी पर दावे दर्ज किए हैं। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित संविदाओं के उपबंधों के संबंध में स्वीकार्य नहीं होने से अमान्य किया जा रहा है।

कंपनी इन दावों के निपटान हेतु संविदा में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। यह समाधान होने तक ऐसे दावों के निपटान हेतु संसाधनों का बहिर्प्रवाह, यदि कोई हो, के यथार्थवादी अनुमान करने हेतु व्यवहार्य नहीं है।

(ii) भूमि क्षतिपूरण मामले

परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि खोने वालों ने विभिन्न प्राधिकरणा/ न्यायालयों में अत्यधिक क्षतिपूरण का दावा किया है, जिन्हें अभी निपटाया जाना है। ऐसे मामलों में, रु. 4048.60 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 2258.43 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(iii) अन्य दावे

विभिन्न राज्य/ केंद्र सरकार के विभागों/ प्राधिकरणों द्वारा भवन अनुमति शुल्क, कृषि भूमि से गैर कृषीय भूमि में विपथन पर अर्थदण्ड, नाला कर, जल रायल्टी आदि पर एवं अन्यों द्वारा किए गए दावों के संबंध में, रु. 28.66 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 44.09 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(iv) विवादित आयकर/ बिक्री कर/ उत्पाद शुल्क/ नगरपालिका कर मामले

विवादित आय कर/ बिक्री कर/ उत्पाद शुल्क/ नगरपालिका कर के मामले विभिन्न अपीलीय अधिकरणों में लंबित हैं, जिनमें रु. 896.05 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 896.76 करोड़) की राशि शामिल है और विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों में विवादित है। इसमें से कई मामलों को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है परंतु संबंधित विभागों द्वारा उच्च प्राधिकरणों में विवादित है।

(v) अन्य

क) रु. 361.78 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष रु. 319.54 करोड़) की अन्य आकस्मिक देयता राशियां।

ख) कुछ लाभार्थियों ने सीईआरसी के टैरिफ आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि अभिनिश्चेय नहीं है।

ग) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ हुए पारेषण सेवा करार (टीएसए) के तहत कंपनी का टीएसए के अनुसार निर्धारित खरीद कीमत पर संयुक्त उद्यम कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) की खरीद करने का दायित्व है। ऐसे दायित्व के कारण यदि संयुक्त उद्यम कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमि.) "पावरग्रिड की चूक की घटना" अथवा "अप्रत्याशित घटना" होने पर टीएसए के तहत निर्धारित एक समाप्ति नोटिस भेजा जा सकता है। इस संबंध में किसी आकस्मिक देयता पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि इसका पता नहीं लगाया जा सकता।

उपरोक्त प्रकार की गई आकस्मिक देयताओं में संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं का रु. 40.48 करोड़ (विगत वर्ष रु. 31.55 करोड़) का अंश शामिल है।

2. क) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी, (जो पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है) नामतः पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. (पूर्व में नागापट्टीनम मदुगिरी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड), पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पूर्व में वेमागिरी सिस्टम लिमिटेड), विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड और ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड और विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड को टैरिफ आधारित बोली के तहत अधिनिर्णित कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अधिकार में लिया गया है। कंपनी द्वारा एसपीवी की ओर से प्रदान किए गए कार्य के निष्पादन के संबंध में दिए गए ब्यौरे निम्नानुसार है :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	एसपीवी का नाम	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
1	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	45.00	45.00
2	पावरग्रिड वाइजाक ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	45.00	45.00
3	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	5.40	5.40
4	पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमि.	5.96	5.96
5	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमि.	31.50	31.50
6	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमि.	62.10	-
7	पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमि.	63.90	-
8	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमि.	110.04	-

ख) कंपनी ने देयताओं और नियमित भुगतान के लिए गारंटी तथा पावरग्रिड वाइजाक ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. द्वारा जारी बाण्ड के खिलाफ रु. 290 करोड़ की राशि की जिम्मेदारी ली है।

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

2.54 विदेशी मुद्रा प्रकटन

व्युत्पन्न लिखत द्वारा प्रतिरक्षित अन्य अथवा अन्यथा

विवरण		विदेशी मुद्रा में राशि (रु. करोड़ में)		राशि (रु. करोड़ में)	
		31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
उधारियां	यूएसडी	416.87	412.01	27888.87	26034.82
	ईयूआरओ	11.17	4.33	848.22	297.12
	एसईके	314.14	250.27	2591.68	1841.97
	जेपीवाई	199.95	218.13	119.47	115.04
ब्याज उद्‌भूत परंतु उस पर देय नहीं, जिसमें एजेंसी फीस वचनबद्धता फीस एवं अन्य शुल्क शामिल हैं					
	यूएसडी	1.33	0.94	88.86	59.54
	ईयूआरओ	0.02	0.02	1.64	1.04
	एसईके	0.60	1.16	4.97	8.51
	जेपीवाई	0.52	0.55	0.31	0.29
व्यापार देयताएं/ जमा राशियां एवं प्रतिधारण राशि	यूएसडी	8.50	10.79	568.85	679.18
	ईयूआरओ	1.70	7.92	128.97	543.53
	एसईके	19.81	114.61	163.40	843.58
	सीएचएफ	-	0.03	-	1.51
	जीबीपी	1.19	0.64	114.64	58.71
व्यापार प्राप्य राशियां और बैंक शेष	यूएसडी	0.08	0.22	5.37	13.78
	एनपीआर	0.09	0.07	0.06	0.04
संविदाओं की अनिष्पादित राशि जिसे निष्पादित किया जाना है	यूएसडी	49.79	23.44	3331.02	1480.92
	ईयूआरओ	8.15	10.00	618.76	685.64
	एसईके	0.40	25.80	3.30	189.89
	सीएचएफ	0.12	0.90	8.62	54.14
	जीबीपी	15.38	18.66	1481.71	1709.07

2.55 आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियंत्रित क्रियाकलापों संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी (जीएन) वित्त वर्ष 2015–16 से लागू है।

कंपनी मुख्य रूप से विद्युत के पारेषण में लगी हुई है। कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को विद्युत का पारेषण करने के लिए लिये जाने वाले प्रभारों की कीमत सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों के माध्यम से तय की जाती है। यह टैरिफ मूल्यह्रास, ब्याज, इक्विटी की वापसी, प्रचालन एवं रख–रखाव व्यय इत्यादि जैसी लागतों पर आधारित होता है। इस प्रकार के विनियमन को सेवा विनियमन की लागत के रूप में जाना जाता है, जिसमें कंपनी को सेवाओं और निर्धारित प्रतिफल प्रदान करने की लागत को वसूल करने के लिए प्रावधान है। कंपनी ने सीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ विनियमों के प्रावधानों पर विचार करते हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में मार्गनिर्देशन टिप्पणी (जीएन) तैयार की है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों में यह प्रावधान है कि विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट आर्थिक मदों (दीर्घ आवधिक को छोड़कर) के निपटान/ अंतरण से उत्पन्न विनिमय भिन्नताएं आगे की अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जानी अथवा उसे भुगतान की जानी हैं। ऐसी विनिमय भिन्नताओं की निर्माण अवधि के दौरान क्रेडिट/ डेबिट द्वारा 'विनियामक आय/व्यय' के लिए 'विनियामक परिसंपत्ति/देयता' के रूप में पहचान की जाती है और उस वर्ष से समायोजित की जाती है, जिस वर्ष में यह लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा उन्हें देय होती है।

भावी अवधियों में लाभार्थियों से वसूली जाने/ लाभार्थियों को भुगतान किए जाने के लिए बहियों में विनियमित परिसंपत्तियों/ देयताओं की इस प्रकार पहचान की गई है :

विवरण	विनियमित परिसंपत्तियां (रु. करोड़ में)
क. प्रारंभिक शेष (01.04.2015 की स्थिति)	37.72
ख. वर्ष के दौरान वृद्धि/ कटौती	(0.05)
ग. वर्ष के दौरान संकलित/ वापस की गई राशि	-
घ. लाभ और व्यय के विवरण में पहचानी गई विनियमित	(0.05)
आय/ (व्यय) (ख–ग)	37.67
ङ. अंत शेष (31.03.2016 की स्थिति) (क–घ)	

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

*ऐसी विनिमय भिन्नताएं आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार अब तक 'आस्थगित विदेशी मुद्रा अस्थिरता परिसंपत्ति/ देयता' के रूप में शामिल की गई थी।

2.56 कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यय

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और तत्संबंधी नियमों के अनुसार सीएसआर क्रियाकलापों पर रु. 120.03 करोड़ की राशि खर्च की गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान अविक्य राशि से सीएसआर अर्जित राशि के लिए रु. 6.19 करोड़ की राशि विनियोजित की गई है।

2.57 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।।। के तहत यथा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	निवल संपत्ति अर्थात परिसंपत्ति घटा कुल देयताएं				लाभ या हानि में अंश			
		2015–16		2014–15		2015–16		2014–15	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों का %	राशि (करोड़ रु. में)	समेकित निवल परिसंपत्तियों का %	राशि (करोड़ रु. में)	समेकित निवल परिसंपत्तियों का %	राशि (करोड़ रु. में)	समेकित निवल परिसंपत्तियों का %	राशि (करोड़ रु. में)
	मूल								
1	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	97.40%	41852.49	97.35%	37419.69	98.34%	5914.46	96.57%	4873.08
	सहायक कंपनियां – भारतीय								
1	पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमि.	0.67%	289.48	0.63%	242.08	0.93%	55.72	0.95%	48.03
2	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	0.06%	24.00	0.06%	24.00	0.00%	0.00	-	-
3	पावरग्रिड विभागिरी ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	(0.05%)	(19.37)	(0.05%)	(19.37)	0.00%	(0.01)	-	-
4	पावरग्रिड वाइज़ाक ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	0.13%	57.70	0.14%	54.73	0.05%	2.97	-	-
5	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.00	-	-
6	पावरग्रिड काला अम्ब ट्रांसमिशन लिमि.	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.00	-	-
7	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमि.	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	0.00	-	-
8	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमि.	0.00%	0.05	-	-	0.00%	0.00	-	-
9	पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमि.	0.00%	0.05	-	-	0.00%	0.00	-	-
10	पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमि.	0.00%	0.05	-	-	0.00%	0.00	-	-
11	ग्रिड कंडक्टर्स लिमि.	0.00%	(0.07)	-	-	0.00%	(0.07)	-	-
	संयुक्त उद्यम – भारतीय								
1	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमि.	0.62%	268.13	0.68%	261.66	0.89%	53.39	1.09%	54.93
2	टोरेंट पावरग्रिड लिमि.	0.07%	28.87	0.07%	28.52	0.03%	2.01	0.07%	3.61
3	जेपी पावरग्रिड लिमि.	0.23%	97.34	0.23%	87.07	0.22%	13.10	0.35%	17.76
4	पार्बती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	0.18%	75.54	0.19%	71.64	0.07%	3.94	0.02%	1.12
5	तीस्तावेली पावर ट्रांसमिशन लिमि.	0.15%	66.10	0.12%	46.72	0.00%	(0.07)	0.00%	(0.07)
6	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	0.21%	91.78	0.40%	152.52	(0.58%)	(35.08)	0.90%	45.19
7	नेशनल हाई पावर टेस्ट	0.05%	23.41	0.06%	21.64	0.00%	0.00	-	-
8	लेबोरटरी प्राइवेट लिमि.	0.13%	55.90	0.07%	28.73	0.06%	3.65	0.05%	2.59
9	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमि.	0.09%	40.31	0.03%	10.03	0.00%	0.00	0.00%	0.00
10	बिहार ग्रिड कंपनी लिमि.	0.00%	0.01	0.00%	0.01	0.00%	0.00	0.00%	0.00

अन्य टिप्पणियां (जारी ....)

क्र. सं.	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	निवल संपत्ति अर्थात परिसंपत्ति घटा कुल देयताएं				लाभ या हानि में अंश			
		2015–16		2014–15		2015–16		2014–15	
11	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.03%	10.78	0.01%	5.74	0.01%	0.55	0.00%	0.01
12	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्रा. लिमि.	0.00%	0.10	-	-	0.00%	0.00	-	-
	संयुक्त उद्यम – विदेशी								
1	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	0.01%	4.88	0.01%	3.17	0.00%	0.00	-	-
	जोड़		**42967.68**		**38438.73**		**6014.56**		**5046.25**

2.58 क) आंकड़ों को दो दशमलव तक करोड़ में निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया गया है।
ख) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जब भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहित/ व्यवस्थित किया गया है।

कृते एवं निदेशक – मंडल की ओर से

(दिव्या टंडन)
कंपनी सचिव

(आर. टी. अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)

(आई. एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135एन

(सीए. गौरव मित्तल)
भागीदार
सदस्यता सं. 099387

कृते आर.जी.एन. प्राइस एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 002785एस

(सीए. आर. रंगराजन)
भागीदार
सदस्यता सं. 041883

कृते कोठारी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 301178ई

(सीए. मनस्वी कोठारी)
भागीदार
सदस्यता सं. 064601

कृते प्रकाश एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001475सी

(सीए. इंद्र पाल सिंह)
भागीदार
सदस्यता सं. 410433

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (इसके पश्चात "धारित कंपनी" के रूप में कहा जाएगा) और इसकी ग्यारह सहायक कंपनियों (धारित कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को इकट्ठे "समूह" के रूप में कहा जाएगा) और तेरह संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 को समेकित तुलन पत्र और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ तथा हानि के समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके पश्चात "समेकित वित्तीय विवरणों" के रूप में कहा जाएगा) शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारित कंपनी का निदेशक–मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा जाएगा) की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाहों का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक शामिल हैं; जो कंपनी (लेखा नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित है। समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबद्ध निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों के रक्षोपाय हेतु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकॉर्डों का रख–रखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं और धोखाधड़ियों अन्य अनियमितताएं; को रोकने एवं पता लगाने के लिए तथा उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन एवं लागू करना; राय एवं अनुमान लगाना शामिल है, जो उचित एवं प्रासंगिक हैं तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय कंट्रोलों को लागू करना एवं रख–रखाव शामिल है, जो लेखाकरण रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं परिपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन में थे, वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष राय देते हैं और महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा चूक के कारण जिनका धारित कंपनी, जैसा ऊपर कहा गया है, के निदेशकों के द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है। हमने लेखा परीक्षा करते समय अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मानकों तथा उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिपरक अपेक्षाओं एवं प्लान का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों की समग्र गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है। उन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक एवं समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतिकरण पर धारित कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, तैयार की जा सकें। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और धारित कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाए गए लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगति के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरणों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य और नीचे के अन्य मामलों के पैराग्राफ के उप–पैराग्राफ (क) में उल्लिखित उनकी रिपोर्टों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी मान्य लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित तरीके के अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं :

(क) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के भारत में 31 मार्च, 2016 को समेकित कार्यकलापों के तुलन पत्र के मामले में;

(ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उनके समेकित लाभ और उनके समेकित नकद प्रवाह के मामले में; और

(ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित के मामले में कंपनियों के समेकित नकदी प्रवाह के समेकित नकदी प्रवाह विवरण।

मामले का महत्व

हम ट्रांसमिशन खर्चों से राजस्व के अस्थायी स्पष्टीकरण के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 2.25 (ख) और टिप्पणी संख्या 2.35 (क) पर ध्यान आकृष्ट करते हैं।

हमारी राय में इस मामले में संबंध में आशोधन नहीं किया गया है।

अन्य मामले

(क) हमने एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की थी, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2016 को कुल आस्तियों, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाह दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, नीचे दिए गए हैं :

(रु. करोड़ में)

कंपनियों के नाम	कुल आस्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां			
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेब प्राइवेट लिमिटेड	58.59	0	(2.72)
जोड़	58.59	0	(2.72)

इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां तक ये संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों और हमारी रिपोर्ट के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हैं, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के अनुसार जहां तक ये उपरोक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों से संबंधित हैं अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।

(ख) हमने ग्यारह सहायक कंपनियों और बारह संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की थी, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च की कुल आस्तियों, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, नीचे दिए गए हैं :

वित्तीय विवरण नीचे दिए गए हैं :

(रु. करोड़ में)

कंपनियों के नाम	कुल आस्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
क. सहायक कंपनियां			
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमि.	1356.24	231.65	213.64
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	729.67	0.00	0.07
पावरग्रिड विमगिरि ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	0.00	0.00	0.00
पावरग्रिड वाइजाक ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	1109.78	7.91	(0.55)
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	42.52	0.00	0.00
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमि.	32.65	0.00	0.00
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमि.	21.30	0.00	0.20
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमि.	33.92	0.00	0.85
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमि.	24.65	0.00	0.55
पावरग्रिड सदर्न इंटरकोनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमि.	36.35	0.00	0.10
पावर कंडक्टर्स लिमि.	0.01	0.00	0.00
जोड़ क.	3387.09	239.56	214.86
ख. संयुक्त उद्यम – भारतीय			
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमि.	509.49	121.64	(1.14)
टोरेंट पावर ग्रिड लिमि.	66.29	14.63	3.68
जेपी पावरग्रिड लिमि.	250.77	45.46	(2.54)
पार्बती कोलडम ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	245.38	39.88	(1.83)
तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमि.	260.83	0.00	10.82
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	551.92	116.88	0.33
एनर्जी एफिसिएंसी सर्विस लिमि.	202.45	97.38	19.29
बिहार ग्रिड कंपनी लिमि.	295.24	0.00	8.23
कालिंगा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमि.	0.59	0.00	0.00
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि.	65.21	1.63	(0.59)
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमि.	0.41	0.00	0.09
जोड़ ख.	**2448.58**	**437.50**	**36.34**
ग. संयुक्त उद्यम – विदेशी			
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमि.	19.37	0.00	(1.65)
जोड़ ग.	**19.37**	**0.0**	**(1.65)**
जोड़ (क + ख + ग)	**5855.05**	**677.06**	**249.56**

इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नही की गई है और इन्हे प्रबंधन द्वारा हमे प्रस्तुत किया गया है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां तक ये इन सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों और हमारी रिपोर्ट के संबंध मे शामिल राशियों और प्रकटनो से संबंधित है, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3), (5) और (11) के अनुसार जहां तक ये उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों से संबंधित हैं, पूरी तरह से ऐसे लेखापरीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय मे और प्रबंधन द्वारा हमे दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नही हैं।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय और अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध मे उपर्युक्त मामलों के संबंध में अशोधित नही है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय और अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों और रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता के संबंध मे उपर्युक्त मामलों के संबंध मे अशोधित नही है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

जैसा कि कंपनी अधिनियम, की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि :

(क) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय मे, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि द्वारा यथा अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं जहां तक कि उन बहियों की जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट मे शामिल समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ रखी गई संबद्ध लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) मान्य राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर हमारी राय मे, इस रिपोर्ट से संबंधित पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

(ड़) 31 मार्च, 2016 को धारित कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों जिन्हें धारित कंपनी द्वारा रिकार्ड पर लिया गया है और भारत मे निगमित एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के अन्य सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर कंपनी और भारत मे निगमित एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अयोग्य नही है।

(च) समूह की वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध मे और ऐसे नियंत्रण की नियंत्रण प्रभावकारिता के संबंध मे अनुबंध। मे हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें और

(छ) हमारी राय मे कंपनी (लेखा परीक्षा एवं परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट मे शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. समेकित वित्तीय विवरणों मे समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुद्दों के प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 2.41 एवं 2.53 को देखें।

ii. समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों की व्युत्पन्ना संविदाओं सहित कोई दीर्घ अवधि संविदाएं नही हैं, जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण भविष्यगामी क्षतियां थीं।

iii. समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष को स्थानांतरित किए जाने हेतु अपेक्षित अंतरणकारी लेखों मे कोई देरी नही हुई है।

कृते एस. के. मित्तल एण्ड कं.	कृते प्रकाश एण्ड कं.	कृते कोठारी एंड कं.	कृते आर.जी.एन. प्राइज एंड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135एन	फर्म पंजीकरण सं. 001475सी	फर्म पंजीकरण सं० 301178ई	फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस
(सीए. गौरव मित्तल)	(सीए. इंद्रपाल सिंह)	(सीए. मनस्वी कोठारी)	(सीए. आर. रंगराजन)
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 099387	सदस्यता सं. 410433	सदस्यता सं. 064601	सदस्यता सं. 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

अनुबंध 1

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि. के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में उसी तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के क्लॉज (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए और उसी तारीख को कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में हमने पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमि. (इसके बाद इसे 'धारित कंपनी' कहा गया है) और इसकी सहायक तथा इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों, जो कि 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में निगमित कंपनियां हैं, की वित्तीय सूचना के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारित कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों, जो कि भारत में निगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय सूचना के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशन नोट में यथाउल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं, जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी परिसंपत्तियों के परिरक्षण, जालसाजी व चूकों के निवारण करने और पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित इसकी कारोबार के समुचित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से पूरी की जा रही थी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय सूचना पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की है। हम अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशन और ("मार्गनिर्देशक नोट") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने गए लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार करते हैं, जहां तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू है; जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू है और दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गनिर्देशक नोट में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और लेखा परीक्षा की योजना तथा निष्पादन करते हैं ताकि इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और अनुरक्षण किया गया है और क्या सभी महत्वपूर्ण संबंधों में नियंत्रण का प्रभावी प्रचालन हुआ है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय सूचना और उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय सूचना पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन शामिल हैं। इसमें चयनित प्रक्रिया चाहे धोखाधड़ी व चूक के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हम यह विश्वास करते हैं कि हमने प्राप्त किए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय सूचना पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय सूचना पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय सूचना और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। वित्तीय सूचना पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कंपनी की परिसंपत्तियों के सौदों पर निपटान के लिए कंपनी की ऐसी वित्तीय नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं :

i. जो अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित है, जिनमें दिए गए समुचित ब्यौरों से कंपनी की परिसंपत्तियों के सौदों और उनके प्रबंधन की सही और स्पष्ट जानकारी मिले;

ii. जो उचित आश्वासन प्रदान करे कि लेन–देन को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किए गए हैं और यह कंपनी की प्राप्तियों तथा व्यय को कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकार से और कंपनी के निदेशकों के निर्देशों से किए जा रहे हैं, तथा

iii. जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा प्रबंधन की रोकथाम अथवा समय पर जानकारी के संबंध में समुचित आश्वासन दे, जिसके वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाएं

वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों से हटकर अनुचित प्रबंधन अथवा मिलीभगत की संभावना शामिल है, चूक अथवा हेराफेरी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता न चलता हो। साथ ही, भावी अवधियों की वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की परिकल्पना ऐसे जोखिम के अधीन होती है कि वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकती है अथवा यह कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुरूप परिणाम में खराबी हो सकती है।

राय

हमारी राय में, धारित कंपनी और भारत में निगमित एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय सूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय सूचना पर यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा से संबंधित मार्गनिर्देशन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति अनुसार प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था और यह भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी की अन्य लेखा परीक्षक की अनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है। भारत में निगमित ग्यारह सहायक कंपनियों और ग्यारह संयुक्त नियंत्रित कंपनियों के मामले में, अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत यथा अपेक्षित वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अभाव में, हम इन सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपनी राय प्रकट करने में असमर्थ हैं।

अन्य मामले

जहां तक एक संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो कि भारत में निगमित एक कंपनी है, का संबंध है, वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट भारत में निगमित ऐसी एक कंपनी की अनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते एस. के. मित्तल एण्ड क.	कृते प्रकाश एण्ड क.	कृते कोठारी एंड क.	कृते आर.जी.एन. प्राइज एंड क.
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स	चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 001135एन	फर्म पंजीकरण सं. 001475सी	फर्म पंजीकरण सं॰ 301178ई	फर्म पंजीकरण सं. 002785 एस
(सीए. गौरव मित्तल)	(सीए. इंद्रपाल सिंह)	(सीए. मनस्वी कोठारी)	(सीए. आर. रंगराजन)
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 099387	सदस्यता सं. 410433	सदस्यता सं. 064601	सदस्यता सं. 041883

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई, 2016

टिप्पणियां

संगठन चार्ट

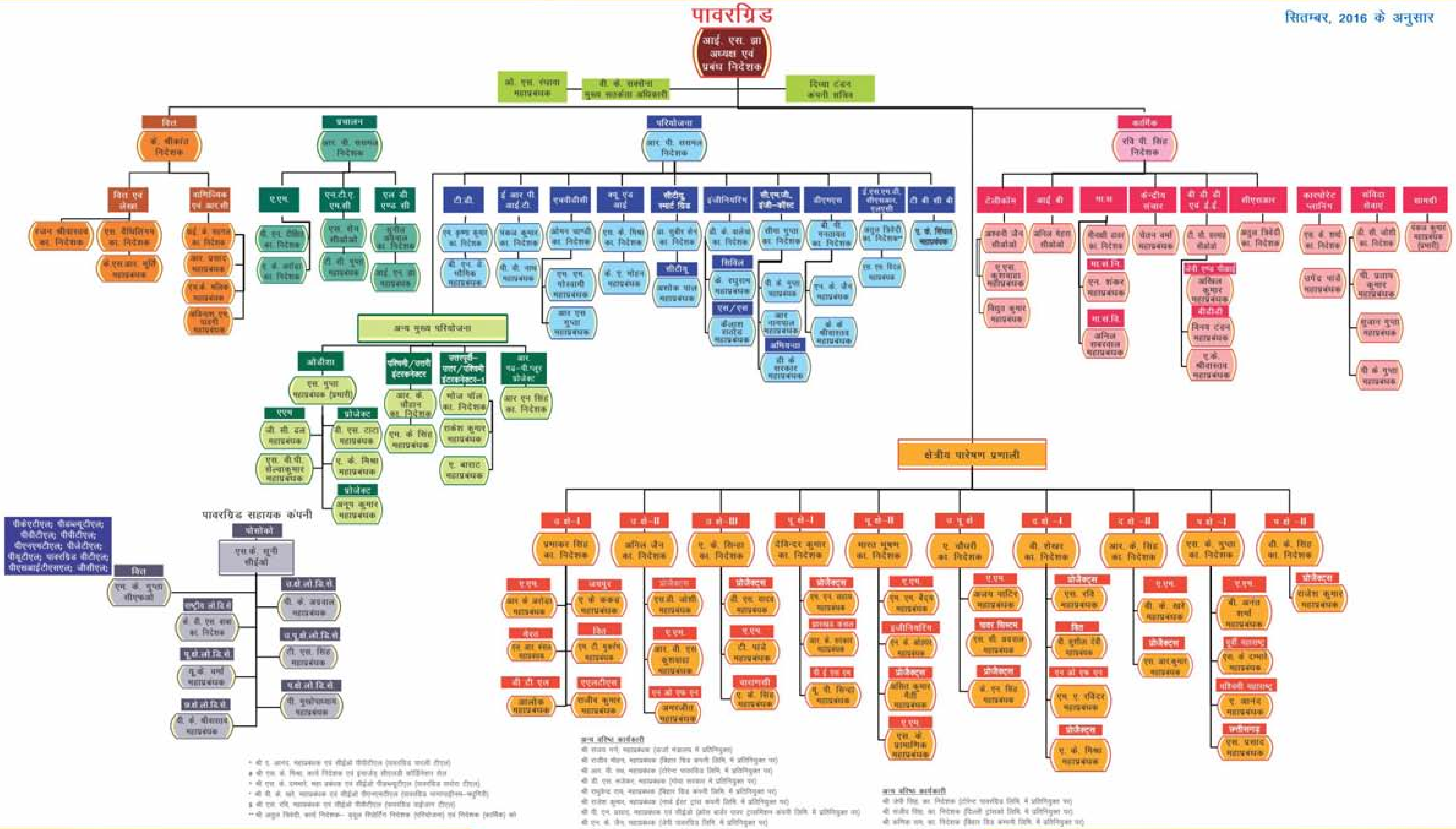
पावरग्रिड
सितम्बर, 2016 के अनुसार
आई. एस. झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बी. के. सक्सेना
मुख्य सतर्कता अधिकारी
दिव्या टंडन
कंपनी सचिव
वित्त
के. श्रीकांत
निदेशक
प्रचालन
आर. पी. सासमल
निदेशक
परियोजना
आर. पी. सासमल
निदेशक
कार्मिक
रवि पी. सिंह
निदेशक
वित्त एवं लेखा
वाणिज्यिक एवं आर.सी
टी.डी.
ई आर पी आई.टी.
इंजीनियरिंग
सिविल
टेलीकॉम
कारपोरेट प्लानिंग
संविदा सेवाएं
सामग्री
अन्य मुख्य परियोजना
ओडीशा
प्रोजेक्ट
क्षेत्रीय पारेषण प्रणाली
उ क्षे-I
प्रभाकर सिंह
का. निदेशक
उ क्षे-II
अनिल जैन
का. निदेशक
उ क्षे-III
ए. के. सिन्हा
का. निदेशक
पू क्षे-I
दविन्दर कुमार
का. निदेशक
पू क्षे-II
भारत भूषण
का. निदेशक
उ पू क्षे
ए. चौधरी
का. निदेशक
द क्षे-I
वी. शेखर
का. निदेशक
द क्षे-II
आर. के. सिंह
का. निदेशक
प क्षे-I
एस. के. गुप्ता
का. निदेशक
प क्षे-II
डी. के. सिंह
का. निदेशक
पावरग्रिड सहायक कंपनी

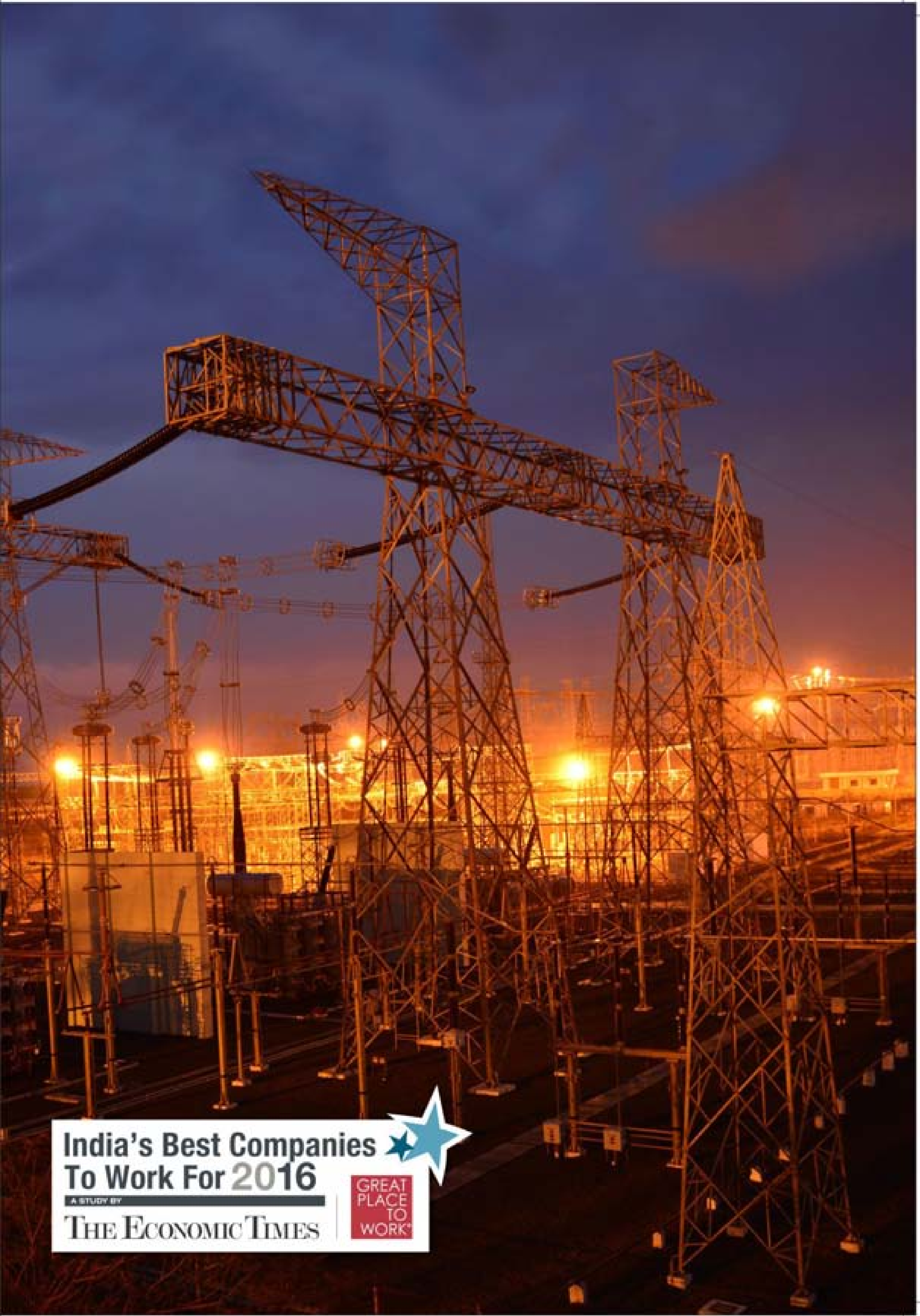
India's Best Companies
To Work For 2016
A STUDY BY
THE ECONOMIC TIMES
GREAT PLACE TO WORK®

पावरग्रिड

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली – 110 016, भारत

केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट संख्या 2, सेक्टर–29, गुड़गांव, हरियाणा – 122 001, भारत

CIN : L40101DL1989GOI038121

एक राष्ट्र एक ग्रिड एक फ्रीक्वेन्सी एक मूल्य

— हमसे संपर्क करें —

www.powergridindia.com